

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारत की आर्थिक प्रगति

(Economic Development of India)

(बी० काम० तथा बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए)

लेखक

दुर्गा दयाल निगम, एम० काम०,

प्राध्यापक, वणिज्य विभाग, बी० ए० वी० कालेज, कानपुर ।

कि ता च म ह ल, इ ला हा वा द

बम्बई : दिल्ली : कलकत्ता : भोपाल : हैदराबाद : जयपुर

१९६०

समर्पण

पूज्य पिता जी,

स्व० श्री गजाधर प्रसाद जी निगम
की

पुण्य स्मृति में

दो शब्द

राजनैतिक परतन्त्रता की शृङ्खलाओं से मुक्ति पर हमारे राष्ट्र के सूत्रधारों ने, जिन्होंने हमें पराधीनता के प्रवाइन एव ग्रथकार से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की थी, अपने जर्जरित एव शोषित राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष की सुखद कल्पना को साकार करने के लिए मविष्य की रचना की प्रौढ़ भित्ति का न्यास करने का दृढ़ सङ्कल्प से प्रयत्न आरम्भ कर दिया। नव निर्माण एव आर्थिक विकास की अनेक योजनाया का प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन भारत के उच्च गौरव को पुनः प्राप्त करने की आशाएँ सक्रिय हो उठीं। आज इन्हीं योजनाओं के फलस्वरूप भारत समृद्धिशाली, उज्ज्वल एव गौरवमय आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लक्ष्य की ओर अबाध गति से प्रगति करता चला जा रहा है। अभी हमारा देश आर्थिक संकट से होकर गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई को हमें अपने घरेलू साधनों द्वारा दूर करना होगा। हमें दूसरी योजना में अतिरिक्त लाञ्छन उत्पादन करके ससार को दिखलाना हे कि भारत-वासी सङ्घटों से घबराने नहीं, उनका सामना करना जानते हैं और वे आपदाओं की आंधियों एव तूफानों से सफलतापूर्वक लड़ने की क्षमता रखते हैं। देश के मविष्य एव उसके स्वाभिमान का प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है। भारत की परीक्षा है। रुकने में मृत्यु है। बढ़ते हुए कदम के आगे बढ़ने में ही आत्मसम्मान की रक्षा है और यही निर्धनता का अन्त करके समृद्धि का मार्ग है।

आज राष्ट्रीय विकास में जो महत्वपूर्ण मानवीय परातल उभर रहा है, दृष्टी हुई मर्यादाओं और बिखरती हुई निष्ठाओं के बीच मानवीय मूल्यों के प्रति जो नई आस्था फनप रही है, सामाजिक रुढ़ियों और राजनीतिक भ्रान्तियों को चीर कर मनुष्य की आन्तरिकता पर आधारित जिस नई मर्यादा का उदय हो रहा है, उसकी ओर भी ध्यान रखना आवश्यक है। “बाह्य परिस्थितियों को बदलने से ही काम नहीं चल सकता, आदमी को भीतर से भी बदलना पड़ेगा . नया सनेरा आ रहा है, नई रोशनी आयेगी, नई जिन्दगी आवेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता...निश्चय ही। लेकिन उसका आधार इन्सानियत पर होगा, करुणा एव सम्वेदना पर होगा।” ऐसे समय में विभिन्न क्षेत्रों में विकास एव योजनाओं से परिचय और उनका समुचित ज्ञान हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधार नवयुवक विद्यार्थियों के लिए, जिन पर ही उज्ज्वल मविष्य की आशा अबलम्बित है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से ही लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की योज-

नाश्रों की रूपरेखा एवं प्रगति के नवीनतम तथ्यों को संग्रहित करके पाठकों के समझ रखने का प्रयास किया है, जिससे व अपना सहयोग एवं सुभाष देकर राष्ट्रीय विकास की सुखद कल्पना को साकार करने में सहायक हो सकें ।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतः बी० काम०, बी० ए० तथा एम० काम०, एम० ए० क विद्यार्थियों के हितार्थ लिखी गयी है, किन्तु इस विषय के प्रति सामान्य पाठक की रुचि बनाये रखने का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है । यहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इस पर तो पाठकों का निर्णय ही सर्वाधिक उचित होगा ।

लेखक के जीवन में नवीन चेतना प्रदान करने का श्रेय स्वर्गीय डा० वृजेन्द्र स्वरूप जी, एम० ए०, एल एल० डी० को है, और यह उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि लेखक पाठकों की सेवा का यह प्रयास कर सका है । लेखक अपने श्रेय गुरुवर श्री कालका प्रसाद भटनागर, एम० ए०, एल एल० बी (उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय) एवं प्रो० सी० पी० श्रीवास्तव, एम० ए०, बी० काम० का भी अत्यन्त आभारी है जिनके ज्ञान प्रकाश का ही परिणाम यह पुस्तक है । मानव जीवन में परिस्थितियों एवं वातावरण का अनुकूल होना उसके विकास की मूलभूत आवश्यकता है और इस दृष्टि से लेखक अपने बंधुवर श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी, एम० ए०, एल एल० बी० का भी अनुग्रहीत है । अपने विभाग के प्रो० रामचन्द्र त्रिवेदी, एम० ए०, एम० काम० के प्रति, जिनका लेखक के हृदय में अध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थान है, श्रद्धा एवं आभार केवल शब्दों द्वारा व्यक्त करना कदाचित् कठिन होगा । लेखक इस विषय के मौलिक लेखकों एवं विद्वानों का भी अत्यन्त आभारी है जिनकी कृतियों एवं लेखों से उसे सहायता एवं प्रेरणा प्राप्त हुई है । पुस्तक के प्रस्तुत करने में जो सहायता मुझे अपने विद्यार्थियों श्री मेराज अहमद सिद्दीकी बी० काम० एवं ज्योति स्वरूप सक्सेना एम० काम० से प्राप्त हुई है, अत्यन्त प्रशसनीय है । श्रीमती राजकिशोरी निगम तथा सुसुम कुमारी निगम ने पुस्तक के मूद्र शुद्ध करने का कार्य अपने हाथों में लेकर जो सहायता की है, उसके लिए लेखक उनका आभारी है । पुस्तक को इनके अल्प समय में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का श्रेय इसके प्रकाशक श्री एस० एम० अग्रवाल को ही है और इसके लिये लेखक उनका भी हृदय से आभारी है ।

विषय-सूची

प्रथम खंड—“भूमिका”

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
३.	प्रकृति एवं आर्थिक विकास	... ३
४.	सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास	... १५
३.	इङ्गलैंड की औद्योगिक क्रांति	... ३६

द्वितीय खंड—“भारतीय कृषि समस्याएँ”

४.	भारतीय कृषि का विकास	... ५६
१.	भारत में अकाल	... ७१
६.	राज्य समस्या	... ८८
७.	सिंचाई व्यवस्था	... १०८
८.	कृषि-भूमि उपविभाजन एवं उपखंडन	... १३०
९.	कृषि पदार्थों का विक्रय	... १५२
१०.	भूमि-व्यवस्था	... १७१
११.	कृषि नियोजन	... १६६
१२.	सामुदायिक विकास योजनाएँ	... २०६
१३.	मूल्यों का स्थिरीकरण	... २२०
१४.	कुटीर उद्योग धंधे	... २२८

तृतीय खंड—“भारतीय श्रम-समस्याएँ”

१५.	सामाजिक सुरक्षा	... २५५
१६.	श्रम-कल्याण	... २६६
१७.	श्रम सम्बन्धी अधिनियम	... २८०
१८.	श्रम-सघ	... २८८
१९.	औद्योगिक सघर्ष	... ३०३
२०.	भारतीय श्रम की चार्जमता	... ३२०

चतुर्थ खंड—“भारतीय संगठित उद्योग”

२१ सूती वस्त्र उद्योग	...	३३३
२२ लौह एवं इस्पात उद्योग	...	३४६
२३ जूट उद्योग	.	३५४
२४. सीमेंट उद्योग	..	३६२
२५. कागज उद्योग	..	३७०
२६ चीनी उद्योग	...	३७८

पचम खंड—“विविध”

२७. भारतीय राज्यकोषीय नीति	...	३८६
२८. भारत की नवीन औद्योगिक नीति	...	३९७

प्रथम खण्ड

भूमिका

- (१) प्रकृति एवं आर्थिक विकास
- (२) सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास
- (३) इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति

प्रकृति एवं आर्थिक विकास

(Nature and Economic Development)

प्रारम्भ से ही मानव प्रकृति के क्रीडास्थल में जन्म लेकर पनपता है और प्राकृतिक साधनों के सहारे ही जीवन क्षेत्र में पदार्पण कर उद्योग का निर्माण करता है। मानव स्वयं ही प्रकृति की देन है। वास्तव में 'मानव को प्रकृति का शिशु'^१ कहने में अतिशयोक्ति न होगी। अनादि काल से मानव प्रकृति के प्रागण में अपने वातावरण को अनुकूल बनाने का सतत प्रयत्न करता रहा है और प्रकृति की अपार शक्ति के कारण ही आज वह वर्तमान अवस्था को पहुँच सका है। क्या मरुभूमि के निवासी अपने आर्थिक विकास की कल्पना भी कर सकते हैं? आज मानव अपनी प्रगति की चरम सीमा पर पहुँच कर, प्रकृति-प्रदत्त साधनों का अपनी बुद्धि एवं श्रम द्वारा उपयोग करके ही विश्व को नया रूप देने में सफल हो सका है और विज्ञान के प्रचंड सूर्य की रश्मियों द्वारा प्रगति के पथ को निरन्तर आलोकित करता जा रहा है।

मानव एवं प्रकृति ही दो महान स्तम्भ हैं जिन पर किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के भवन का निर्माण सम्भव है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक उन्नति, वैभव एवं सम्पन्नता की गृहभूमि में प्राकृतिक वातावरण का सदैव शक्तिशाली हाथ रहा है। इङ्ग्लैंड को आज के आर्थिक जगत में सर्वश्रेष्ठ होने का श्रेय उसके प्राकृतिक वातावरण—एकाकी स्थिति, शीतोष्ण जलवायु, अच्छे समुद्रतट और लोहे व कोयले की खानों^२ को ही है। इसके विपरीत भारतवासी अपनी प्रचुर प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और परिणामस्वरूप यह कथन कि "भारत निर्धन लोगों से बसा एक धनी देश है"^३ पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होता है। निस्सन्देह किसी भी राष्ट्र का वैभव वहाँ की पर्वत-श्रेणियों, जलवायु, मिट्टी, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति

^१"Man is the child of nature"

^२"The coast line and rivers, the proximity of rich coal and iron fields, the temperate moist climate and the fertility of the soil are still the foundations of the wealth of England"—Mr. J. S. Nicholson.

^३"India is a rich country inhabited by the poor"—Vera Anstey.

एवं खनिज पर ही निर्भर है। मानव जीवन में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्रांत केवल प्राकृतिक साधनों पर ही अवलम्बित है। यह सत्य है कि आज मानव ने विज्ञान के सहारे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि वह एक सीमा तक ही प्रकृति का नियंत्रण कर सकता है और अन्त में उसे जैसा प्रो० मार्शल ने लिखा है “भूमि, पानी, वायु, प्रकाश तथा गर्मी”^१ के रूप में प्रकृति पर ही आश्रित होना पड़ता है। मानव प्रकृति के हाथों में खिलौना है। बिना प्रकृति के स्नेह के मनुष्य भौतिक जगत का सृजन नहीं कर सकता। वास्तव में प्रकृति ने अपनी विभिन्नता तथा वैचित्र्य के द्वारा मानव जीवन को ढाला है।

भारत के आर्थिक विकास पर भी यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। अतीत काल में भारत अपनी भौतिक उन्नति की चरम सीमा पर था। उस समय जब आधुनिक पाश्चात्य जगत में जंगली जातियाँ निवास करती थीं भारत अपनी सम्यता एवं कला-कौशल के लिये सारे विश्व में विख्यात था और ससार के महासागरों के बद्धस्थल पर केवल भारतीय सामग्रियों से लदे हुए भारतीय जलयान मड़राया करते थे। भारतीय गौरव की इस पृष्ठभूमि में उसकी जलवायु, उत्तम पर्वत-मालायें, लहलहाते हुए मैदान, खनिज पदार्थों की प्रचुरता, मिट्टी भौगोलिक स्थिति एवं लहराती हुई सरिताएँ ही रही हैं। आज पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक दृष्टि में पीछे रह गया है, इसका मूल कारण प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग न होना ही है। एम० एल० डार्लिंग ने ठीक ही लिखा है—

‘भारत की सबसे विशेष बात यह है कि उसकी भूमि उर्वर है और उसके निवासी निर्धन।’^२

भारतवर्ष चार प्राकृतिक विभागों में बाँटा जा सकता है—(१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, (२) गंगा सिन्धु का उत्तरी मैदान, (३) दक्षिण का पठारी प्रदेश, (४) समुद्रतटीय मैदान। इन चारों भागों के निवासियों के रहन सहन, आचार-विचार, उद्यम तथा उद्योग, राजनैतिक तथा सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। प्रत्येक राष्ट्र के प्राकृतिक वातावरण में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है—

^१ ‘Ultimately man must depend upon the natural gifts of land and water, in air, light and heat’—Prof Marshall

^२ ‘The most arresting fact about India is that her soil is rich and her people are poor’—M L Darling

- (१) जलवायु
- (२) मिट्टी एवं मैदान
- (३) पर्वत
- (४) नदियाँ
- (५) वन सम्पत्ति
- (६) खनिज सम्पत्ति
- (७) समुद्र-तट
- (८) भौगोलिक स्थिति

जलवायु (Climate)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में जलवायु का प्रमुख स्थान रहता है। देश के निवासियों की कार्य-क्षमता, रहन-सहन का स्तर, कृषि-उत्पादन, वन-सम्पत्ति, पशु एवं उद्योग धन्धे सदैव वहाँ के जलवायु से प्रभावित होते हैं। ठंडे प्रदेशों के निवासी स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं। उनका शरीर दृष्ट पुष्ट होने के कारण उनकी कार्य-क्षमता भी अधिक होती है और वे कठोर परिश्रम करने में सफल होते हैं। इसके विपरीत गर्म देशों के निवासी आलसी एवं दुर्बल होते हैं जिसके कारण उनकी कार्य-क्षमता भी बहुत कम होती है। गर्म प्रदेशों के निवासियों की आवश्यकताएँ भी ठंडे प्रदेश के निवासियों की अपेक्षा कम होती हैं। गर्म प्रदेशों में तापमान की अधिकता होती है। परिणामस्वरूप गर्म देश के रहने वालों में आर्थिक उन्नति करने की प्रेरणा का अभाव सा रहता है। ठंडे प्रदेशों में प्रकृति की कठोरता के कारण मनुष्य को कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वास्तव में प्रकृति की कठोरता ही ठंडे प्रदेश के निवासियों के लिए आर्थिक विकास की प्रेरणा है। पश्चात्य देशों के शतप्रधान होने के कारण ही वहाँ के निवासी परिश्रमी एवं साहसी होते हैं। यही मुख्य कारण है कि आज पश्चात्य देश आर्थिक संसार के प्रमुख पथ-प्रदर्शक हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आविष्कार, विशाल उद्योगों का जन्म एवं श्रमिकों की कार्यक्षमता की पृष्ठ भूमि में पश्चात्य जगत की जलवायु है। प्रकृति की कठोरता ने ही इन देशों के निवासियों को निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिये प्रेरणा प्रदान किया है और आज ये आर्थिक उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का श्रेय प्राप्त करने में सफल हो सके हैं। इसके विपरीत अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा भारत में जलवायु गर्म होने के कारण वहाँ के निवासी अल्प आयु एवं आलसी होते हैं जिसके कारण इन देशों की आर्थिक प्रगति कुण्ठित हो गई है। बीरा एन्स्टे (Vera Anstey) ने भारत के निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में लिखा है—

“A handful of rice, a cotton rag, a mud hut and dung cakes for fuel constitute the only necessities”

आवश्यकताएँ ही आविष्कार की जननी हैं और मनुष्य को विकास के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। आवश्यकताएँ कम होने के कारण ही भारतीय दृष्टिकोण भौतिकवाद की ओर नहीं उड़ा और आज वह भौतिक जगत में सबसे पिछड़ा हुआ है।

भारत में कृषि उद्योग का प्रमुख स्थान होने का श्रेय जितना मैदानों के विस्तार का है उतना ही यहाँ की जलवायु को है। यदि यहाँ वर्षा न होती तो यह देश मरुभूमि होता। इतना होते हुए भी भारतीय कृषि उद्योग पिछड़ा हुआ है। इसका कारण भी जलवायु ही है। भारत में वर्षा मानसून द्वारा होती है और मानसूनी वर्षा बड़ी अनिश्चित रहती है। भारतीय कृषि को “वर्षा में धुआँ” कहा गया है। मानसून किसी भी समय कृषि पर तुशारापात कर सकता है। गर्म जलवायु के कारण ही भारतीय किसान आलसी होते हैं। वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसान निराशावादी एवं भाग्यवादी जन-जाति है। परिणामस्वरूप कृषि उद्योग का पिछड़ा होना स्वभाविक ही है। यही नहीं कभी कभी वर्षा की अधिक्ता के कारण बाढ़ द्वारा फसलें नष्ट हो जाती हैं।

महामारियों का प्रकोप

वर्षा के दिनों में तथा उसके बाद जलवायु में नमी होने के कारण मलेरिया फैलाने वाले मच्छर पैदा हो जाते हैं जिसके कारण मलेरिया का प्रकोप अत्यन्त भीषण रूप ले लेता है। लाखों मनुष्य काल के गाल में चले जाते हैं और जो बच जाते हैं उनकी कार्यक्षमता बहुत घट जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अन्य महामारियों—चेचक, हैजा, इन्फ्लुएन्जा इत्यादि का भी प्रत्येक वर्ष प्रकोप रहता है।

उद्योग धन्धे

उद्योग धंधों पर भी जलवायु का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत से उद्योगों का स्थान तथा विकास जलवायु पर निर्भर होता है। उदाहरणस्वरूप सूती उद्योग के लिए नम जलवायु की आवश्यकता है। यही कारण है कि बम्बई तथा अहमदाबाद में इस उद्योग का कन्द्रीयकरण हो गया है। यही नहीं गर्म देश होने के कारण यहाँ क लोग अधिकतर ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं जिसके कारण यहाँ हमेशा सूती वस्त्रों की माँग अधिक रही है और यह उद्योग अति प्राचीन समय से चला आ रहा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलवायु ही मनुष्य के आर्थिक जीवन को दालती है। यद्यपि आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानसून, शीत तथा गर्मी के उग्र एवं विनाशकारी रूप पर नियंत्रण कर लिया है, तथापि प्रकृति आज भी अज्ञेय है और मनुष्य की विशाल योजनाओं को क्षण भर में छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखती है। भारतीय खाद्य-संकट इस बात का जीता-जागता सबूत है। राष्ट्रीय सरकार के अकर्म प्रयत्नों के होते हुए भी खाद्य-संकट की समस्या आज भी भीषण रूप धारण किये हुए है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। यह सब प्रकृति के प्रकोप, जिसकी कुपित भूमणिमा मानव की विशाल योजनाओं को क्षण भर में नष्ट करने की क्षमता रखती है, के कारण ही है।

मिट्टी एवं मैदान (Soil and Plains)

किसी भी देश की मिट्टी से वहाँ के आर्थिक विकास का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि, उद्योग तथा उत्पादन देश की मिट्टी पर ही निर्भर होता है। हमारे देश में मुख्यतः चार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है—लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दुमट मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी। इन मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रसायन पाये जाते हैं। मिट्टी की भिन्नता पर ही उस मिट्टी से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा उनकी किस्मों में भिन्नता होती है। इन भिन्न भिन्न उत्पादित वस्तुओं पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास निर्भर होता है। भारत में जूट उद्योग का केन्द्रीयकरण पगाल राज्य में हुआ है। इसका मुख्य कारण पगाल में कच्चे जूट का उत्पादन है। वास्तव में मिट्टी ही उत्पादन का प्रथम साधन है तथा किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की मुख्य आधार शिला है। हमारे देश में, जो प्रधानतः एक खेतिहर देश है तथा जहाँ ८५ प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं, मिट्टी का महत्त्व और भी अधिक है।

उद्योग, व्यापार एवं वातावात इत्यादि का विकास मैदानों पर निर्भर होता है। यही कारण है कि मैदानों के निवासी पहाड़ के निवासियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न होते हैं। अधिक क्रियाओं की जितनी सुविधाएँ मैदानों में उपलब्ध होती हैं उतनी पहाड़ों या रेगिस्तानों में नहीं हो सकती। मैदानों में ही रेलों, सड़कों, नहरों इत्यादि का निर्माण आसानी एवं सुविधा से किया जा सकता है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक रहता है। श्रम की गतिशीलता अधिक होने के कारण मैदानों में उद्योगों का विकास होता है।

हमारे देश का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान प्राचीन समय से ही अपनी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये

प्रसिद्ध रहा है। देश के सभी प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल इन्हीं मैदान से ही प्राप्त होता है। इन्हीं मैदानों में ही भारत के प्रमुख उद्योग केन्द्रित हैं और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों से भरपूर है। इन्हीं मैदानों की आर्थिक सम्पन्नता के फलस्वरूप यहाँ के धन एवं वैभव से आकर्षित हो कर विदेशियों ने इस देश पर धार धार आक्रमण किये जिसका प्रभाव हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास पर पड़ता रहा। समस्त विश्व को चकित कर देने वाले कवि, सत, विद्वान एवं दार्शनिक इन मैदानों की ही देन हैं। वास्तव में मैदान ही किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के केन्द्र हैं।

पर्वत (Mountains)

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता में वहाँ के पहाड़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पहाड़ी देशों के रहने वाले प्रायः निर्धन होते हैं। पहाड़ी भूमि होने के कारण कृषि एवं आधुनिक उद्योग धर्मों का विकास सम्भव नहीं होता। आवागमन के साधनों का विकास भी नहीं हो पाता। आवागमन के साधनों के अभाव में सन्ध्या में भी पहाड़ी लोगों का पाछे रहना स्वाभाविक ही है क्योंकि उनका सम्पर्क सम्यक् बगल से नहीं रह पाता। प्रत्येक राष्ट्र में मैदान के रहने वालों के लिए पर्वत एक अनमूल्य निधि हैं। प्रायः सभी नदियों का श्रोत पर्वत ही हैं। इन्हीं नदियों पर किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता निर्भर है। पर्वत खनिज एवं वनों के रूप में भी किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक मिति की मुख्य आधार-शिला हैं।

भारतवर्ष में तो पहाड़ों का आर्थिक विकास में और भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि मानसून की वर्षा हिमालय की उत्तम पर्वतमालाओं के कारण ही होती है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो कदाचित् सारा भारत ही मरुभूमि होता। भारतवर्ष उत्तर में लगभग १५०० मील लम्बी तथा २०० मील चौड़ी हिमालयद्वारा पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। मध्य भारत में विन्ध्याचल, सतपुड़ा तथा अरावली की पहाड़ियाँ पाद जाता हैं। दक्षिणी भारत के समुद्रतटीय मैदान पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं से ढरे हैं।

उत्तरी दुर्गम पर्वतमालाएँ सदैव भारत को विदेशीय शत्रुओं से रक्षा प्रदान करती रही हैं। यही कारण है कि हिमालय को भारत का प्रहरी कहा गया है। विदेशी आक्रमणों से रक्षा प्रदान करके हिमालय ने भारतीय सभ्यता एवं सत्कृति की रक्षा की है। देश में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करके हिमालय ने हमारे देशवासियों को अपना भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। यही नहीं

यह पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से भी रक्षा प्रदान कर भारत के आर्थिक निर्माण में सहायक सिद्ध होता है।

भारत के पहाड़ों से ही यहाँ के देशवासियों को गंगा, यमुना, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की उपलब्धि हुई है। यही सरिताएँ अनन्त काल से देश को सुख एवं समृद्धि वितरित कर रही हैं। भारत के मैदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। भारतीय कृषि तथा आर्थिक व्यवस्था इन्हीं नदियों की कृपा का परिणाम है।

हिमालय के जंगलों पर बहुत से उद्योग धंधे निर्भर हैं। इन्हीं जंगलों से विभिन्न प्रकार की मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध होती है। इन्हीं पहाड़ों पर बड़े बड़े चरागाह भी पाये जाते हैं जहाँ भेड़ें इत्यादि जानवर पाल कर बहुत लोग अपनी जीविका चलाते हैं।

पहाड़ी जलवायु के कारण ये पहाड़ स्वास्थ्य-केन्द्र के रूप में भी मानव को बहुत अधिक लाभ पहुँचाते हैं। रमणीक प्राकृतिक दृश्यों की प्रचुरता मनुष्य को बरस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। गर्मियों में लू एवं सूखे की प्रचंड किरणों से छुटकारा पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इन्हा रमणीक स्थलों की शरण लेते हैं और स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पर्वत ही भारत की आर्थिक व्यवस्था के मूलस्तम्भ हैं। हमारे देश की वर्षा, नदियाँ, कृषि, उद्योग एवं जलविद्युत के भावी स्रोत इन्हीं पर निर्भर हैं।

नदियाँ (RIVERS)

प्राचीन काल से ही नदियों की घाटियाँ सम्यक्ता एवं आर्थिक समृद्धता के लिये विख्यात रही हैं। इतिहास के पृष्ठों से स्पष्ट है कि गङ्गा सिन्धु की घाटियाँ भारत में, नील नदी सिंधु में एवं हांगहो चीन में आदि काल से सम्यक्ता, सृष्टि एवं आर्थिक वैभव का केन्द्र रही हैं। आज के औद्योगिक जगत के लिये नदियाँ अमूल्य निधि हैं। किसी भी राष्ट्र की कृषि, आन्तरिक जलमार्ग एवं जलविद्युत का उत्पादन नदियों पर ही निर्भर है। वास्तव में नदियाँ राष्ट्र रूपी शरीर की रक्तवाहिनियाँ नाडियाँ के समान हैं जिनपर ही सम्पूर्ण राष्ट्र का जीवन निर्भर है।

भारत सदा से कृषिप्रधान देश रहा है। इसका मूल कारण भारत की विशाल नदियाँ ही हैं। प्राचीन समय में भारत का व्यापार इन्हीं नदियों द्वारा ही होता था। आज भी भारत की सम्पूर्ण सिन्धु-व्यवस्था इन्हीं नदियों पर आधारित है। गंगा सिन्धु का मैदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है।

आन्तरिक जलमार्ग के रूप में सहायक होकर भारत की नदियों ने यहाँ

के व्यापार एवं वाणिज्य को सदैव प्रोत्साहन प्रदान किया है। यही कारण है कि नदियों के किनारे ही प्रायः बड़े बड़े नगर एवं व्यापार कन्द्र स्थित हैं।

आज भारत बहुमुखी सिंचाई एवं जलविद्युत योजनाओं द्वारा अपनी आर्थिक मोक्ष का द्वार खोल रहा है। ये बहुमुखी योजनाएँ भारतीय सरिताओं की ही देन हैं। जलविद्युत के उत्पादन द्वारा भारत औद्योगिक जगत में निरन्तर प्रगति करता चला जा रहा है। वास्तव में भारत का भावी आर्थिक विकास इन्हीं योजनाओं की सफलता पर अवलम्बित है और ये योजनाएँ सरिताओं की देन हैं। भारत की नदियाँ भारत के आर्थिक विकास की अभिन्न अंग हैं, इसमें सन्देह नहीं।

वन सम्पत्ति (Forests)

वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति हैं। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक वनस्पति का महत्वपूर्ण योग रहता है। मुख्यतः भारतवर्ष ऐसे कृषिप्रधान देश क लिये वनों का महत्व अतुलनाय है। हमारे देश में चार प्रकार के वन हैं—सदाबहार, पतझड़ क वृक्षों वाले, मानसूनी तथा डेल्टाओं के वन। भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल ६३२ लाख एकड़ है। इन वनों से भारत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनेक लाभ होते हैं। वन सम्पत्ति के पूर्ण एवं उचित उपयोग पर ही भारत की आर्थिक प्रगति की गति निर्भर है।

वनों का आर्थिक विकास पर प्रभाव

नदियों की बाढ़ों की भयकरता में कमी हो जाती है, क्योंकि जल का प्रवाह पेड़ों की सघनता से धीमा हो जाता है तथा जल आगे की ओर नहीं बहने पाता। नदियों की बाढ़ का पानी वनों में फल जाता है। इस तरह बाढ़ों से होने वाला नुकसान कम हो जाता है। जल प्रवाह की गति धीमी हो जाने के कारण मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) भी कम होता है।

वनों से भूमि का उर्वरा शक्ति बढ जाती है। पेड़ों से गिरने वाली सड़ी गली पत्तियाँ मिट्टी में वनस्पति अंश की वृद्धि करती हैं। यही मिट्टी पानी द्वारा आस पास की भूमि पर फैल जाती है और सर्वत्र उपजाऊ मिट्टी का आवृत्तार हो जाता है।

वर्षा की अधिकता भी वनों की ही देन है, क्योंकि पेड़ों की पत्तियों से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में नमी अधिक हो जाती है और वर्षा अधिक होने की सम्भावना रहती है।

वनों से हमको ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, गन्ध, लाख एवं रबड़ इत्यादि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। चमड़ा रगने के पदार्थ भी कई जगती वृक्षों की छालों, पत्तियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। खुशबूदार तेल

भी विभिन्न जंगली घासों एवं लकड़ी से निराले जाते हैं। इनमें मुख्य चन्दन का तेल, तारपीन का तेल, लेमन ग्रास तेल आदि हैं।

वनों में अनेक प्रकार के जंगली जीव पाये जाते हैं जिनका शिकार किया जाता है। शिकार से केवल लोगों का मनोरंजन ही नहीं होता, बरन् गोश्त, ताल, रींग, समूर इत्यादि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। हाथी दाँत का उपयोग तो बहुत सी वस्तुएँ बनाने में होता है।

देश के व्यावसायिक विकास में वन सम्बन्धी उद्योगों का विशेष महत्व है। ये उद्योग भारत में लाखों व्यक्तियों की जायिका के साधन हैं। लगभग २५ लाख व्यक्ति इन धंधों में लगे हुए हैं। अतिरिक्त हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना व्यवसाय का समय इन धंधों में लगाते हैं जब कि उनका प्रधान व्यवसाय खेती है। वनों पर आधारित मुख्य उद्योग ये हैं—कगज उद्योग, लार उद्योग, दियासलाई उद्योग, रेशम उद्योग, नारियल सम्बन्धी उद्योग, जेल का सामान, लकड़ी उद्योग, कत्या उद्योग, प्रामोथेन रेकॉर्ड, वार्निश का तेल, रेंट उद्योग, बाँस उद्योग, सुपारी तथा खड़ उद्योग इत्यादि।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वन सम्बन्धी उद्योग भारत की आर्थिक व्यवस्था के प्रधान अंग हैं। वनों से प्राप्त लाभों के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्भव है। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण आर्थिक साधन के विकास के लिए प्रयत्नशील है। वन सम्बन्धी अन्वेषणों (Research) की व्यवस्था के लिए देहरादून में वन शोध संस्था (Forest Research Institute, Dehradun) स्थापित किया गया है। प्राचीन काल में भारत के बहुत बड़े भाग पर वनों का विस्तार था। परन्तु धीरे धीरे वन वृद्धों का हास होता गया और अब तो भारत के २० प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार रह गया है। प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र का उत्तरोत्तर घटते जाना अत्यन्त नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योग रहता है। यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने वनों के संरक्षण को उच्च स्थान प्रदान किया। विनाश योजनाओं के फलस्वरूप सन् १९५६ तक वनों का क्षेत्रफल २२ प्रतिशत तक पहुँच गया। सरकार की योजना इस प्रतिशत को ३३ तक पहुँचाने की है। इस प्रकार भारत सरकार वन-सम्पदा के रक्षण, सदुपयोग तथा परिवर्द्धन की ओर प्रयत्नशील है और विविध दिशाओं में पर्याप्त कार्य भी हो रहा है। आशा ही नहीं बरन् पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भारतीय वनों के क्षेत्र का विस्तार होगा और वनों का सदुपयोग करके इन पर निर्भर उद्योगों का समुचित विकास सम्भव हो सकेगा। प्रत्येक वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है जिससे जन-साधारण का ध्यान वन सम्पत्ति के महत्व

की ओर आकृष्ट होता है और वनों की उन्नति की योजनाओं की ओर सजगता उत्पन्न होती। तृतीय पंचवर्षीय योजना में वन विकास पर ७० करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ तथा द्वितीय आयोजन में २२ करोड़ थी।

खनिज सम्पत्ति (Minerals)

भूमि के गर्भ में छिपी हुई प्राकृतिक सम्पत्ति आधुनिक युग के आर्थिक वैभव एवं सम्पन्नता की मुख्य आधार शिला है। प्रत्येक राष्ट्र के उद्योग धंधे, व्यापार, यातायात और वहाँ के रहने वालों का रहन सहन का स्तर खनिज पदार्थों की प्रचुरता पर ही निर्भर है। इङ्ग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का मूल कारण लोहे एवं कोयले की ज़ाँदें रही हैं। सोना, चाँदी, ताँबा इत्यादि अन्य धातुएँ भी किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के आवश्यक अंग हैं। आधुनिक युग में मानव की आँखें अणु शक्ति (Atom Energy) के चमत्कारों की ओर लगी हैं। अणु शक्ति का विकास भी खनिज पदार्थों पर ही निर्भर है क्योंकि 'थोरियम' यूरैनिम मूल्यवान् खनिजों से ही अणु शक्ति बनता है। लोहा एवं इस्पात वास्तव में न केवल औद्योगिक ढाँचे का मूलाधार है वरन् आधुनिक जगत के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन संचार करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक प्रगति, परिवहन, वैज्ञानिक कृषि इत्यादि सभी इसी पर निर्भर हैं।

भारत भी खनिज पदार्थों की दृष्टि से पर्याप्त रूप में सम्पन्न है। अति प्राचीन समय से ही हमारे देश में लोहे एवं इस्पात का प्रयोग होता रहा है। वेदों में अन्य धातुओं का भी वर्णन मिलता है। परन्तु अभाग्यवश राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम खनिज सम्पत्ति का उचित उपयोग नहीं कर सक। यही कारण है कि भारत के औद्योगिक विकास की गति बहुत मन्द रही। भारत की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये यहाँ पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से ये हैं—इस्पात, क्रोमाइट, मैंगनीज, शीशा, चूना, जिप्सम, कोयला, साइनाइट, तथा ताँबा। राष्ट्रीय सरकार देश की खनिज सम्पत्ति के विकास के प्रति सजग है और इसी पर राष्ट्र का न केवल औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, वरन् राजनैतिक सुरक्षा एवं देशवासियों का सुख एवं शान्ति अवलम्बित है।

समुद्रतट (Coast line)

समुद्रतट की बनावट का भी प्रभाव किसी देश के आर्थिक विकास पर अत्यधिक पड़ता है। समुद्रतट जहाँ जहाँ पर कटे फटे हैं वहाँ पर बड़े बड़े बन्दरगाह एवं व्यापारिक केन्द्र स्थित हैं। विदेशी व्यापार के लिये समुद्र ही मुख्यतः यातायात के

साधन हैं। इङ्ग्लैंड तथा हालैंड के विश्व में प्रमुख समुद्रीय-शक्ति प्राप्त करने का श्रेय यहाँ के समुद्रतट को ही है। समुद्रीय-शक्ति के कारण ही इङ्ग्लैंड अपना इतना बड़ा राज्य कायम कर सका जिसमें सूर्य ही न अस्त होता हो। आज भी इसी शक्ति के कारण इङ्ग्लैंड को विश्व के वाणिज्य एवं व्यापार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अन्तर्देशीय व्यापार ही किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग है और उस राष्ट्र के आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता है और यह समुद्रीय शक्ति पर ही निर्भर है। बितनी ही तट-रेखा लम्बी होगी उतने ही अधिक बन्दरगाहों का विकास सम्भव हो सकेगा।

सामुद्रिक मछलियों के पकड़ने के केन्द्रों का विकसित होना भी अच्छे समुद्रतट पर निर्भर होता है। मछली पकड़ने का उद्योग न केवल मछली पकड़ने वालों की जीविका का साधन ही होता है वरन् राष्ट्र की खाद्य समस्या को हल करने में भी सहायक सिद्ध होता है।

समुद्र से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग करने वाले अनेक उद्योग-घरों का विकास भी समुद्रतट पर ही निर्भर है। मोती, मूंगा इकट्ठा करना, नमक बनाना इत्यादि समुद्र की देन हैं।

भारत के समुद्रतट की लम्बाई २५०० मील है, परन्तु यह लगभग सपाट होने के कारण अच्छे बन्दरगाहों से विहीन है। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार बन्दरगाहों के विकास में सलग्न है और इनके विवसित हो जाने पर निःसन्देह भारत पूर्वीय गोलार्द्ध में अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण विश्व की एक महान समुद्रीय शक्ति प्राप्त कर सकेगा।

भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)

किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति अर्थात् समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी सतह की ऊँचाई तथा निचाई तथा पहाड़ों की स्थिति इत्यादि का प्रभाव वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ता है। समुद्र की सतह से ऊँचाई पर ही भूमि की बनावट और उर्वरता निर्भर है। इसी पर प्रत्येक देश की जलवायु तथा वर्षा का परिमाण निर्भर होता है।

भारतवर्ष की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका प्रभाव यहाँ के वाणिज्य, सुरक्षा तथा जलवायु पर पड़ता है। हमारा देश पूर्वीय गोलार्द्ध के मध्य में स्थित है। दक्षिण में यह तीन तरफ समुद्र से घिरा है तथा उत्तर में दुर्गम पर्वत अण्डियों से। इसकी स्थिति दो अविशय प्रधान क्षेत्रों के मध्य है। पूर्व में बहुत घने बने हुए नम भाग (बर्मा, चीन, मलाया, इण्डो-चीन, इण्डोनेशिया, तथा जापान) और पश्चिम में बहुत कम घने बसे

हुए शुष्क भाग जो कि औद्योगिक दृष्टि से भी विह्वले हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण स्थिति कदाचित् भविष्य में इसे एक वैभवशाली राष्ट्र बना दे सकती है। पूर्वा गोलार्द्ध में यह भारतीय महासागर के सम्मुख मध्य की स्थिति प्राप्त करता है। प्राचीन व नवीन विश्व के मध्य जलमार्गों का पथ प्रदर्शक यही देश है, क्योंकि इसके पश्चिम में अफ्रीका तथा योरोप, और दक्षिण में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा पूर्व में थाईलैंड, चीन, जापान, और अमरीका स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो अपने देश की स्थिति बड़ी लाभदायक है। भौगोलिक स्थिति के कारण ही भारत अब भी पुनः समृद्धशाली बनने के प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का इतिहास भारत की भौगोलिक स्थिति के बलस्थल पर ही लिखा हुआ है।

उपसंहार (Conclusion)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक वैभव एवं सम्पन्नता वहाँ के प्राकृतिक घातावरण की देन है। भारत का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का ही प्रतिबिम्ब है। राजनैतिक दासता की शृंखलाओं में जकड़े होने के कारण भारत अपनी अमूल्य एवं असीम प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग न कर सका और फलस्वरूप अन्य उन्नतिशील राष्ट्रों की अपेक्षा आर्थिक दौड़ में पीछे रह गया। आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भारत अपने नवनिर्माण के पथ पर चल पड़ा है और अतीत के उच्च गौरव को पुनः प्राप्त करने की आशाएँ सक्रिय हो उठी हैं। परन्तु भारत के आर्थिक मोक्ष का स्वप्न वहाँ के प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग पर ही सागर हो सकता है। भारत की आर्थिक योजनाओं की पृष्ठभूमि में वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। यह प्राकृतिक परिस्थितियों का ही वरदान है कि भारत आज आधुनिक औद्योगिक युग के विशाल द्वार पर खड़ा हुआ समृद्धिशाली, उन्नत एवं गौरवमय आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लक्ष्य की ओर अबाध गति से प्रगति करता चला जा रहा है। 'हिमालय का आंगन, सागर का तट, प्रकृति का क्रीडा-क्षेत्र, ऋतुओं का वन विहार, वनस्पतियों का भण्डार, सुपमा और सौन्दर्य का आगार यह भारतवर्ष आज भी मोहक और आकर्षक है। आज भी यह विश्व का केन्द्र बिन्दु है और विज्ञान के कोलाहल में शान्त का अध्यात्मिक सन्देश देने के लिये उन्मुख है।'

सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास

(Social Environment and Economic Development)

प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास के दो मूल स्तम्भ हैं—मानव एवं प्रकृति । इन दोनों में प्रकृति मूल एवं निष्क्रिय साधन है और मनुष्य जाग्रत एवं सक्रिय । अतः मानव आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है । रत्नगर्मा वसुन्धरा की सर्वतोमुखी सौन्दर्य-वृद्धि के लिए मानव का अथक परिश्रम आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । मनुष्य के पराक्रम एवं पुष्पार्थ की महत्वाकांक्षाओं से ही पृथ्वी यस्य श्यामला सुजला, सुफला हो उठी । मानव के इस अभिन्न स्वरूप ने ही भगवान को गौरवान्वित और पुलकित किया है । किसी भी देश में प्रकृति अपना वरदान देने में कितनी ही दयालु क्यों न हो, बिना मानव की शक्ति के आर्थिक वैभव एवं सम्पन्नता केवल एक सुखद कल्पना ही रहती है । भारत की आर्थिक विकास की गति मन्द होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । भारत में प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी यह राष्ट्र अन्य उन्नतशील राष्ट्रों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अविकसित रह गया है । इसका मूल कारण यहाँ के निवासियों द्वारा अपनी प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग न करना ही है । वेस एन्स्टे (Vera Anstey) ने ठीक ही लिखा है —

“Here is a country of ancient civilization with rich and varied resources and which is a byword throughout the world for the poverty of its people ”

मानव सामाजिक प्राणी है । बिना समाज के मनुष्य अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज के कार्यों का प्रभाव उसके जीवन की गति को निर्धारित करता है । इस कथन में अतिशयोक्ति न होगी कि मानव समाज का दास है । यही कारण है कि समाज की धार्मिक भावना, रीति रिवाज तथा प्रथाएँ एवं सामाजिक संस्थाएँ मानव के आर्थिक विकास को शाश्वत काल से प्रभावित करते आये हैं । भारतवासियों की आध्यात्मिकता, सभार के प्रति उदासीनता एवं भौतिक सुखों के प्रति अवहेलना की भावना का प्रतिबिम्ब

भारत के आर्थिक विकास की मन्द गति पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। वेरा एन्सट (Vera Antsey) के शब्दों में—

“The religious tenets and practices in India have strictly limited her economic development in the past, and influence fundamentally future potentialities.”

मानव का सामाजिक परिस्थितियों एवं उसके आर्थिक विकास के बीच सदैव से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। प्रकृति एवं सामाजिक परिस्थितियों ने मनुष्य को धार्मिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है और यही कारण है कि विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के धार्मिक दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाती है। अनादि काल से ही मनुष्य के सामाजिक संगठन एवं धार्मिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही उसकी अर्थ-व्यवस्था भी ढलती रहा है। प्रत्येक देश में समाज में सम्पत्ति का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, उद्योग धंधे तथा व्यवसाय, और मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ सदैव से सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए देशवासियों की रुचियाँ एवं आकांक्षाएँ ऐसी होनी, जिसे वे आर्थिक विकास के महत्व और लाभों को समझ सकें और उनके लिए प्रयत्नशील हों, अत्यन्त आवश्यक हैं। आर्थिक विकास की गति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि समाज में विकास के प्रति किसनी आकांक्षा एवं उन्साह है। सामाजिक रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं, और उसे रोक भी सकती हैं। राष्ट्रसंघ (United Nations) की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही ज़िला है—

“उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रगति की इच्छा हो और उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएँ इस इच्छा को कार्यान्वित करने में सहायक हों।”

भारत प्रकृति का उपासक है। सूर्य, पृथ्वी, वायु, वृक्ष तथा अग्नि आदि की उपासना इसी विशेषता की देन है। भारतीय दृष्टिकोण का अमूर्तिक तत्वों की ओर होना एवं अन्धविश्वास तथा रूढ़वादिता का जन्म भारत की धार्मिक भावना का ही परिणाम है। यही कारण है कि अन्ध विश्वास एवं रूढ़ियों की शृंखलाओं में अटकड़ा हुआ भारत अपने मौलिक क्षेत्र के निर्माण में असफल रहा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित मौलिक अंग हैं जो सामाजिक जीवन के विकास के प्रारम्भ से ही यहाँ के आर्थिक विकास को पूर्णतया प्रभावित करते चले आ रहे हैं—

(१) धार्मिक दृष्टिकोण

(२) जाति प्रथा एवं रीति रिवाज

- (३) सयुक्त-परिवार-प्रणाली
- (४) उत्तराधिकार क नियम
- (५) बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा ।

धार्मिक दृष्टिकोण (Religion)

प्राचीन काल से ही हमारे देश में धर्म की प्रधानता रही है । भारतीय जन-जीवन सदैव से ही धार्मिक भावना से ओत प्रीत रहा है । हमारे सामाजिक एवं आर्थिक संगठन की मुख्य आधार शिला धर्म ही है । धर्म ही हमारे प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कार्य का पथ प्रदर्शक रहा है । धार्मिक भावनाओं के कारण ही हमारा सामाजिक एवं आर्थिक संगठन न्याय, सत्य एवं अहिंसा इत्यादि के उत्तम गुणों पर आधारित था । सबल द्वारा निर्बल का केवल शोषण ही नहीं होता था, वरन् उनकी रक्षा होती थी । ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि दुर्मणों का हमारे धर्म में कोई स्थान न था । परिणामस्वरूप अतीत का भारत एक सुसंगठित, शक्तिशाली एवं आर्थिक वैभव से परिपूर्ण था । धार्मिक सिद्धान्तों पर संगठित हमारे देश की उत्तम व्यवस्था एवं आर्थिक समृद्धि ही 'रामराज्य' के नाम से आज भी विख्यात है और आज भी प्रत्येक देश का आदर्श है । सच्चे अर्थ में 'रामराज्य' ही आधुनिक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) का प्रतिविम्ब है । अतीत काल में उच्च धर्म ज्ञान ने ही भारतवासियों के जीवन में प्रेरणा का संचार किया और मानव जीवन में कर्म एवं स्वर्ग का पाठ पढ़ाया । प्राचीन भारत का गौरव एवं भौतिक समृद्धि इस बात का प्रतीक है कि धर्मवाद एवं अध्यात्मवाद आर्थिक समृद्धि का नाशक तथा बाधक न होकर उसके सहायक थे । हमारे अध्यात्मवाद का उद्देश्य धर्म, कर्म और इस लोक तथा परलोक दोनों की उन्नति करना था । इस प्रकार अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद में अति उत्तम सामंजस्य स्थापित हो गया । परन्तु समय के व्यतीत होने के साथ ही साथ मुसलमान शासकों की धर्म परिवर्तन की नीति का फलस्वरूप हमारा विशुद्ध धर्म रुढ़िवादिता एवं ग्रन्थविश्वास का कारण दूषित हो गया और हमारे आर्थिक तथा सामाजिक विरासत में बाधक बन गया ।

रुढ़िवादिता की शृंखलाओं में बँधे हुए धर्म ने यहाँ के लोगों को बतलाया कि संसार स्वप्न है और सतोष ही सबसे बड़ा धन है । मानव सुख सतोष में ही निहित है । भौतिक एवं आर्थिक उन्नति क्षणिक एवं पृथक्पृथक् है । यहाँ के देशवासियों को इन भावनाओं ने निकम्मा एवं झालसी बना दिया और इस भावना का प्रादुर्भाव हुआ—

“अज्ञगर करे न चाकरी, पछी करे न काम,

दास मलूरा बह गये कि सबके दाता राम ।”

परलोकवाद की भावनाओं ने हमारे देशवासियों को अकर्मस्य, अ-वशिवासी, निरक्षर भट्टाचार्य एव साहसहीन बना दिया। परिणामस्वरूप प्रयत्न एव सधष की भावना से लुप्त-प्राय भारतवासी दगिद्रता एव दुःखमय जीवन को जिताकर ही परलोक एव स्वर्ग क सुखद् स्वप्न देखने में निमग्न रहने लगा और अपने अतीत के गौरव एव आर्थिक सम्पन्नता को खो बैठा। भारत के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का पूर्णरूप से उप-योग न होने का यही कारण रहा है।

धार्मिक भावनाओं एव अन्धविश्वास के कारण ही विदेशियों ने हम देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करके भारतवासियों को दासता की शृंखलाओं में जकड़े रक्खा और भारत के धन एव प्रचुर प्राकृतिक देनो का उपयोग करके अपने देश को वैभवशाली एव सम्पन्न बनाया। मुहम्मद गोरी ने इस देश पर आक्रमण किया और हम उसका स्वागत अतुल धन सम्पत्ति देकर करते रहे। परिणामस्वरूप भारत विदेशी सत्ता का शृङ्खलाओं में सदैव जकड़ा रहा और इस देश का शोषण होता रहा। पहले मुगल और बाद में अंग्रेज इस देश के सोने से अपना भवन निर्माण करते रहे और परिणामस्वरूप राजनैतिक दासता की मुक्ति पर सन् ४७ में हमको एक शोषित एव जबरत भारत प्राप्त हुआ।

धर्म ने ही भारत में अहिंसा एव भाग्यवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। इन प्रवृत्तियों के कारण ही भारतीय कृषि जो कि यहाँ का मुख्य उद्योग है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। भारतीय कृषक भाग्यवादी होने के नाते परिश्रम एव प्रयत्न से मुक्त मोड़कर भाग्य के सहारे बैठा रहता है। वह यह भूल बैठा है कि भगवान् उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं कर सकता है। अकाल, बाढ़ एव अन्य सन्कटों को भारतीय कृषक देवी सखट मानकर उनसे सधर्ष करने का प्रयास नहीं करता और पलस्वरूप वह दुःख एव सखट क गहन अघकार म जीवन व्यतीत करता रहता है। अहिंसा का पुजारी होने के नाते भारतीय कृषक आधुनिक खादों का प्रयोग भी नहीं कर पाता। हथियों की खाद को छूना भी पाप समझता है। यहाँ नहीं बूढ़ नैलो तथा अन्य पशुओं को भी वह जीवन पयन्त पालन करता है चाहे उनसे उसको कितनी ही आर्थिक हानि न उटानी पड़े। प्रत्येक वर्ष टि ड्रियों एव अन्य जगली पशुओं द्वारा कृषकों को कितनी ही हानि क्यों न हो इन पशुओं को मारना पाप समझता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में, चूहों, बन्दरों, टिड्डियों एव अन्य जगली पशुओं द्वारा लगभग ६० करोड़ रुपये की फसल प्रत्येक वर्ष बरबाद हो जाती है। इतना हात हुए भी भारतीय कृषक इनकी श्राधना करता है।

भारतीय कृषक की अरण्यस्तता भी बहुत कुछ धार्मिक भावनाओं का

विश्वास एव उदार नवीन आर्थिक उन्नति की योजनाओं के प्रति उदासीनता आदि को प्रोत्साहन देता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिये क्लक है। श्रीमती वीरा एन्स्टे (Mrs. Vera Anstey) ने ठीक ही लिखा है :—

“धार्मिक प्रवृत्ति चाहे किसी भी विशेष सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग में व्याप्त है, तथा रूढ़वादिता व अन्धविश्वास की जन्मदाता है, तथा प्रत्येक नवीनता का तर्कहीन विरोध करती है चाहे वह कितनी ही जागृत या उदार क्यों न हो। धर्म, आर्थिक उद्देश्यों का बहिष्कार करके उनके स्थान पर रूढ़ि एव पूर्वस्थिति की प्रतिस्थापना करता है। पारचात्य देशों की तुलना में भारत में आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये धार्मिक विरोध को नष्ट करने में अधिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि यहाँ वर्तमान धार्मिक विश्वास तथा उनसे उत्पन्न हुआ विशेष सामाजिक संगठन इस उद्देश्य में बाधक हैं।”

जाति-प्रथा एव रीति-रिवाज (Caste System & Customs)

यद्यपि मनुस्मृति, वेद एव गीता इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में जाति प्रथा का उल्लेख है, किन्तु इस प्रथा का वास्तव में क्या और किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल से ही यहाँ व हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था चली आ रही है। हिन्दुओं में मुख्यतः चार जातियाँ होती हैं—(१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य और (४) शूद्र। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का मूलाधार आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर प्रारम्भिक श्रम विभाजन था। उपर्युक्त चारों वर्णों का कार्य क्षेत्र बाँट दिया गया था और उनके कर्मों के अनुरूप ही उन्हें विशेष वर्ण या जाति में रखा गया था। गीता में कहा गया है—“चातुर वर्णं भय कृत्यम् गुण कर्म विभागशः” अर्थात् चार वर्ण मनुष्य के गुणों एव कर्मों के अनुसार बनाये गये। इस प्रकार ब्राह्मणों का पठन पाठन का कार्य, क्षत्रियों को देश की सुरक्षा का कार्य, वैश्यों को व्यवसाय एव वाणिज्य का कार्य, एव शूद्रों को अन्य वर्णों की सेवा कार्य निर्धारित किया गया। कालान्तर में यह वर्ण-व्यवस्था अधिक जटिल बनती चली गई और आज हम देखते हैं कि इन चारों जातियों में विभिन्न उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हो गया है। मध्यकाल में मुसलमानों की धर्म परिवर्तन की नीति के फलस्वरूप सभ्यता एव सस्कृति की रक्षा करने की भावना जाग्रत हुई और परिणाम स्वरूप जाति-पाँति के बन्धन और भी सुदृढ़ हो गये। समाज का अनेक छोटे छोटे वर्गों में उपखंडन होकर एक जाति के अन्तर्गत अनेक उपजातियाँ बन गईं। मनुष्य के पेशे के अनुसार उसकी जाति मानी जान लगी जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने

वाला षट्पद, कपड़े धोने वाला घोड़ी, बाल धनाने वाला नाई इत्यादि । इस प्रकार जो मनुष्य जिस प्रकार का उद्यम करने लगा उसी के आधार पर उसकी उपजाति का नामकरण होने लगा । इस प्रकार सारा समाज विभिन्न उपजातियों में विभाजित हो गया । इस प्रकार आदि काल में यह जाति-भेद उतना सभ्य और समुचित नहीं था जितना आजकल है । प्राचीन समय में जाति प्रथा ने अपनी सांस्कृतिक वैयक्तिकता बनाये रखने में बहुत सहायता प्रदान की है । इस प्रथा के कारण ही पारिवारिक रक्त की शुद्धता के विचार से पारिवारिक घनिष्ठता और एकता को बहुत बल मिलता था । यही कारण है कि भारतीय समाज अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा और अपनी पृथक सत्ता विदेशी आक्रमणों द्वारा विशुद्ध होकर भी बनाये रखने में सफल हो सका । परन्तु आज विभिन्न वर्गों एवं उपजातियों के जन जाने के कारण समाज की नींव ही खिलखिली हो गई है और जाति पंक्ति की व्यवस्था एक अत्यन्त दुरुह सामाजिक व्यवस्था बन गई है । आज वास्तव में जाति-पंक्ति की प्रथा समाज के मत्पे पर बलक का टीका है और विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कुरीतियों की जन्मदात्री है । 'इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया' में जाति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—

‘कुछ परिवारों अथवा परिवारों के झुण्ड का वह समूह जिसका एक ऐसा नाम है जो किसी विशेष पेशे की ओर संकेत करता है अथवा उससे सम्बंधित है और जो किसी काल्पनिक मानवीय या देवी पूर्वज के वंशज होने का दावा करता है ।’^१

इस प्रकार जाति प्रथा के आधारभूत दो तत्व हैं— (१) वंशगत रक्त शुद्धि की भावना एवं (२) समाज में संगठित श्रम विभाजन का विचार । परन्तु आज समाज के कुछ विशेष वर्गों ने समाज पर अपनी सत्ता अग्रद्व बनाये रखने के उद्देश्य से अपने निहित स्वार्थों के कारण इस सुप्रथा को स्थायी रूप से जड़िल बना दिया है । परिणामस्वरूप इस प्रथा के उन्मूलन के बिना अपने देश की आर्थिक प्रगति को गति नहीं प्रदान की जा सकती ।

जाति प्रथा के लाभ

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत की समृद्धि एवं गौरव में वर्ण व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ था । प्राचीन समय में भारत की आर्थिक समृद्धता एवं औद्योगिक विकास का श्रेय जाति प्रथा को ही है । प्राचीन काल में जाति पंक्ति की व्यवस्था अनुभूत एवं वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित थी । इसके द्वारा विभिन्न

१ 'A collection or group of families bearing a common name and having the same traditional occupation and claiming common descent from a mythical ancestor'—Imperial Gazetteer of India

उद्योगों के उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं के वितरण में अत्यन्त लाभदायक सामञ्जस्य स्थापित होता था। भारतीय प्राथमिक उद्योग षष्ठों की समृद्धता एवं आर्थिक स्वर्ण युग की आघारशिला जाति पाँति की व्यवस्था ही थी। इस प्रथा से समाज को निम्न लिखित लाभ प्राप्त होते थे—

श्रम विभाजन के लाभ

जाति प्रथा श्रम विभाजन के लाभों को प्रदान करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मुख्य साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति के अनुरूप ही कार्य मिलने के कारण प्रारम्भ से ही उसकी रुचि उस कार्य में होने लगती है। एक विशेष निर्धारित कार्य करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता भी अधिकतम रहती है।

प्रशिक्षण की सुविधा

जाति व्यवस्था के जन्मजात होने के कारण प्रत्येक शिशु अपने पिता से बाल्यकाल से ही अपने पानदानी उद्यम में अति उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त करता था। यह क्रम निरन्तर चलता रहता था। स्वयं अपने स्थान पर ही श्रमकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध रहती थी और उसी धातावरण में नित्य प्रति रहने के कारण श्रमिक अपनी कला में दक्ष हो जाता था। इसका प्रभाव राष्ट्र के उत्पादन पर पड़ता था और साथ ही साथ श्रमिक की आर्थिक समृद्धि पर भी।

कला एवं कौशल की रक्षा

भारतीय कला कौशल की समृद्धि एवं उसकी रक्षा का श्रेय भारतीय वर्ग व्यवस्था को ही है। जाति पाँति की प्रथा के कारण ही आज हम देखते हैं कि प्राचीन उद्योग षष्ठे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्रान्तियों के होते हुए भी आज भारत में विद्यमान हैं। जाति प्रथा के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के अनुसार पेशे को अपनाना अनिवार्य था। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वजों का कला कौशल परम्परागत स्थानांतरित होता चला गया। प्रो० जाधर एवं बेस (Prof's Jathar & Beri) के शब्दों में—

‘The caste system has preserved the wonderful mechanical skill and dexterity of the artisan class in the face of foreign competition. It helped the Hindu Society to face the shocks of political revolutions’

आपसी प्रेम भावना एवं प्रतिस्पर्धा का अभाव

एक विशेष जाति के लोग एक ऐसे सहकारी सब के रूप में होते थे जिसमें प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के हितों की रक्षा में तन, मन, धन से लगा रहता था। एक विशेष जाति का व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग समाज हित में

कर देता था। एक ही प्रकार के खानपान, वेश-भूषण एवं रीति-रिवाजों और सामाजिक बन्धनों के कारण आपस में मेल-मिलाप एवं सद्भावना का होना स्वाभाविक ही था। इसके कारण पारस्परिक हानिकारक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। जाति एक सुदृढ़ एवं सगठित सहकारिता संगठन स्थापित करके कम से कम त्याग से अधिक से अधिक लाभ क उद्देश्य में सकलता प्राप्त करने में जाति के सदस्यों की सामूहिक सहायता करती थी। जाति वह प्रभावशाली संगठन था जिसमें दुर्बलों की शोषण से रक्षा होती थी और सन्धता एवं सस्कृति के उज्ज्वल आदर्श को जीवित रखने की क्षमता प्राप्त होती थी। जातिगत श्रेणियाँ सगट्टि श्रमिकों व शिल्पियों के समूहों के रूप में विकसित हो गईं। मध्यकालीन योरोप में भी इसी प्रकार की श्रेणियों (Guilds) का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत में जाति प्रथा को अधिकांश में देशों पर आधारित है वास्तव में महान् सहकारिता प्रणाली है। इस प्रकार जातियाँ सहकारी श्रृण समितियों के रूप में, श्रमिक संघों, रोजगार कार्यालयों तथा पंच अदालतों का कार्य करती रही हैं। श्री एस० लो (Mr. S Low) के शब्दों में —

“The caste organization is to the Hindu his club, his trade union, and his benefit society”

इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल में जाति-जाति की प्रथासे भारतीय आर्थिक विकास में बड़ी सहायता मिली और इसी के परिणामस्वरूप अशोक, चन्द्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य एवं महाराज हयवर्द्धन के समय में भारतीय आर्थिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। भारत का वह ‘स्वर्ण युग’ था।

जाति प्रथा के दोष

आधुनिक काल में समय के आमूल परिवर्तन हो जाने के कारण और मुख्यतः पश्चात्य देशों में हुए अठारहवीं शताब्दी की रकहीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रांति के फलस्वरूप भारत के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन हो गये। इस परिवर्तित वातावरण में हमारी पौराणिक जाति-जाति का व्यवस्था बल बेकार ही नहीं हो गई, बल्कि इसने प्रत्येक रूप से हमारे आर्थिक विकास में रोड़े अटकाने हैं। जाति-जाति की प्राचीन प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण भी इस व्यवस्था के वे सभी मुख्य जिनका ऊपर विवेचन किया जा चुका है प्रायः लुप्त हो गये हैं और इस प्रथा ने सामाजिक एवं आर्थिक अभिशाप का रूप ले लिया है। इस प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं—

व्यक्तित्व के विकास का अभाव

जाति प्रथा के कारण ही मनुष्य को अपनी प्रतिभा को खेञ्छा से किसी

आर्थिक या औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का व्यवसाय एवं रोजगार उसकी अपनी अभिरुचि एवं शिक्षा दीक्षा द्वारा निश्चित न होकर उसके परिवार की पैतृक परम्परा द्वारा निर्धारित होता है। जन्म द्वारा मनुष्य के उद्यम निर्धारित होने के कारण उसके प्राकृतिक, क्रियात्मक एवं रचनात्मक गुणों का जीवन में कुछ भी स्थान नहीं रहता। परिणाम-स्वरूप धर्म की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। भारतीय धर्म की अकुशलता के अन्य कारणों में से जाति पाति की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मनुष्य जीवन पयन्त एक ऐसे उद्यम को करने के लिए बाध्य हो जाता है जिसके लिए उसे कोई रुचि नहीं होती और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सदैव के लिए अवरुद्ध हो जाता है। आर्थिक प्रगति के लिए व्यक्ति की प्रतिभा का उचित उपयोग नितांत आवश्यक है।

सहकारिता की भावना का नष्ट होना एवं पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष का जन्म

जाति प्रथा समाज को विभिन्न वर्गों में बाँट कर उन व्यक्तियों में सहकारिता की भावना का नाश करती है। प्रत्येक अपने उद्यम की ही बात सोचता रहता है। यह व्यवस्था पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा की भावनाओं को उत्पन्न करके समाज को आपसी वैमनस्य रखने वाले वर्गों में बाँट देती है। इस प्रकार व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना जन्मति होती है। इस व्यवस्था के कारण ही भारतीय समाज धनहीन व शारीरिक परिश्रम करने वाले तथा धनवान व बौद्धिक कार्य करने वाले दो वर्गों में बँट गया। भारतीय समाज में ऊँच नीचे, धनी निर्धन एवं शोषण शायित वर्ग बन गये जो सदैव से भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक रहे हैं। ऊँची "स्वर्ण" कहलाने वाली जातियों में छोटे और नीचे कामों के प्रति अरुचि और उदासीनता उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर "नीची जातियों" के अछूत एवं समाज से बहिष्कृत वर्गों को अनेक व्यवहारों से वंचित रहना पड़ा। श्री वाडिया एवं मर्चेंट के शब्दों में —

“अस्पृश्यता की प्रथा के कारण हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग स्वातन्त्र्य, आत्मगौरव एवं स्वावलम्ब के पथ पर अप्रसर होने के अवसर से वंचित रक्खा गया है।”

इस प्रकार जाति प्रथा ने प्रतिभा एवं आकांक्षा, तथा आकांक्षा एवं अवसर के बीच एक गहरी खाई प्रस्तुत कर दी है। एक ओर तो ऊँची जातियों के पास प्रतिभा एवं बुद्धि है पर वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते और दूसरी ओर नीची जातियाँ काम करना चाहती हैं पर उनका पास अवसर नहीं है। यह भेद भाव की भावना सदैव से भारत की आर्थिक प्रगति को रोकती रही है।

✓ नीची जाति के लोगों का शिक्षित होना उचित नहीं समझा जाता। उनको

ऊँची जातियों के साथ समानता का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। वे देवी-देवताओं के मन्दिरों, कुओं इत्यादि का उपयोग नहीं कर सकते। उनको केवल ऊँची जाति के लोगों की सेवा का ही अधिकार है। वे पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या।

धन का विषम वितरण

जाति प्रथा के कारण नीची जातियों का शोषण होने लगा। उनको धनवान बनने का अवसर ही नहीं मिल सका। दरिद्रता के कारण वे अपना आर्थिक विकास करने में सदैव असफल रहे और परिणामस्वरूप अधिक दरिद्र होते चले गये। दूसरी ओर उच्च जातियों के कुछ व्यक्तियों में ही धन का सङ्ग्रह होने लगा और वे और अधिक सम्पन्न बनते चले गये। धन के इस असमान वितरण के कारण अन्य आर्थिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ।

श्रम की गतिशीलता का अभाव

विभिन्न जातियों के श्रमिक, कारीगरों तथा कलाकारों का पारस्परिक आदान-प्रदान रुक गया। प्रत्येक ने अन्य जाति के कारीगरों तथा श्रमिकों को अपनी जाति में आने से रोका। जाति प्रथा के कारण ही श्रमिक अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता क्योंकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में भिन्नता होने के कारण दूसरे स्थानों पर वह अपने को एक अजनबी-सा पाता है। ऐसी परिस्थिति में अन्य जातियों से उसको कुछ भी सहयोग नहीं प्राप्त होता। इसका राष्ट्र के आर्थिक विश्वास पर भयंकर परिणाम पड़ा। हमारे राष्ट्र में आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों के पिछड़े होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात

समाजवाद का मूलाधार "समानता" है। नीची जातियों के साथ उचित व्यवहार न होने के कारण उनके बालकों को उचित शिक्षा एवं अवसर नहीं मिल पाता। उन्नति एवं प्रगति के द्वार बन्द होने के कारण नीची जाति के बड़े बड़े मेधावी बालकों को भी अपनी निर्धनता एवं सामाजिक विवशताओं के कारण दीन-हीन जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उद्योगों में कुशल श्रमिकों का अभाव तथा सामान्य रूप से भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का मुख्य कारण हमारी जाति व्यवस्था ही है।

राजनैतिक परतन्त्रता

हमारे देश की राजनैतिक परतन्त्रता का मुख्य कारण जाति प्रथा ही रही है।

इसी परतन्त्रता के कारण ही भारत का सदैव विदेशियों द्वारा शोषण होता रहा और हम अपने प्राकृतिक साधनों का उचित एवं पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहे जिसके कारण भारत ऐसे सम्पन्न राष्ट्र में भी दरिद्रता का गहन अन्धकार छाया रहा। भारतीय इतिहास विभिन्न जातियों के पारस्परिक संघर्ष एवं द्वन्द से भरा पड़ा है। महाभारत का युद्ध, राजपूतों के युद्ध, और इसी प्रकार के अन्य यह युद्ध सदैव भारत को जर्जर बनाते रहे। यही नहीं आपसी फूट एवं वैर के कारण यहाँ के शासकों ने विदेशियों को आमन्त्रित किया और अपना स्वाधीनता की तिलाजलि दे दी। भारत में मुगलों का शासन इसी तरह कलह का परिणाम था। इसी प्रकार अंग्रेजों को भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में काठनाई नहीं उठानी पड़ी। वास्तव में सन् १८५७ का विद्रोह भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम सद्गम विजय-पताका पहराता यदि आपसी फूट का बीज न बनना। आपसी द्वेष एवं वैमनस्यता के कारण ही यहाँ शत्रुओं की दाल सदैव गलती रही और भारत राजनैतिक परतन्त्रता की शृङ्खलाओं में जकड़ा हुआ विदेशी सत्ता के उत्पीड़न एवं शोषण का केन्द्र बना रहा। श्री वाडिया एवं मर्चेंट के शब्दों में :—

“जाति भेद से आक्रांत सामाजिक व्यवस्था उस बौद्धिक और नैतिक सम्पत्ति से वंचित रह जाती है जो मानव कल्याण के लिए इतनी आवश्यक है। बहुत दिना तक विदेशी प्रभुत्व के बने रहने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पृथक्तर, अनेकता और वैर को बल देने वाली इसी जाति प्रथा पर है।”

उद्योगों पर बुरा प्रभाव

जाति-प्रथा का प्रभाव हमारे देश के उद्योगों पर भी बहुत बुरा पड़ा। उच्च जाति के लोग शारीरिक परिश्रम करना तथा चमड़े इत्यादि के व्यापार एवं उद्योग को अपनी जाति एवं सम्मान के विरुद्ध समझने लगे। फलस्वरूप कुटीर उद्योग अधिकतर केवल छोटी जाति के व्यक्तियों तक ही सीमित रहे। इन लोगों में पूँजी का अभाव था और साथ ही साथ ये अशिक्षित भी थे। फलस्वरूप मशीन उद्योग की उन्नति पर कुटीर उद्योग उनका सामना करने में असमर्थ रहे और क्रमशः विनाश की ओर अग्रसर होते रहे। यही नहीं हमारे आधुनिक दीघस्तर वाले उद्योगों को भी जाति प्रथा ने हानि पहुँचाई है। बड़े उद्योगों में श्रम विभाजन अनिवार्य होता है, परन्तु जाति प्रथा सूक्ष्म श्रम-विभाजन के मार्ग में बाधक है। विभिन्न जातियों में छुआ छूत की भावना के कारण श्रमिक एक दूसरे के साथ कार्य करने में सकोच करते हैं।

कृषि पर बुरा प्रभाव

जाति प्रथा के दुष्परिणामों से भारतीय कृषि भी वंचित नहीं रह पाई। ऊँची

जाति में भ्रम को हीन समझा जाता है और इसलिए भ्रम का कार्य शूद्रों एवं नीची जाति वालों द्वारा लिया जाता है। इनको भूमि पर कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता और वे सदैव ऊँची जाति वालों पर ही निर्भर रहते हैं। भूमि पर वास्तविक भ्रम करने वाले का अधिकार न होने के कारण भूमि पर किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ और फलस्वरूप राष्ट्र का उत्पादन कम होने लगा। कृषिबिहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। उच्च जाति वालों के हाथ ही में भूमि केन्द्रित होने के कारण, नीचे जाति वाले उन पर आश्रित रहने लगे और उनका शोषण सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त उच्च जाति वाले जातीय उद्योग के भ्रम में पड़कर खेतों में हड्डी, मछली तथा मलमूत्र की खाद का प्रयोग भी नहीं करते। परिणामस्वरूप कृषि उद्योग का पिछड़ा होना स्वाभाविक ही है।

वस्तुओं के उपभोग पर प्रभाव

जाति-भेद की व्यवस्था का प्रधान राष्ट्र के निवासियों के उपभोग पर भी पड़ा। ऊँची जाति के लोगों की आवश्यकताएँ नीची जाति वालों से भिन्न होती हैं। जाति के अनुसार ही खान-पान तथा बेप भूषा भी निर्धारित होती है। इससे हमारे श्रमिकों को सन्तुलित भोजन नहीं मिल पाता। मछली मारने का उद्योग तथा चमड़ा उद्योग की उन्नति मली-भाति न होने में जाति-भेद की व्यवस्था ही मुख्य कारण है।

सामाजिक कुरीतियों का जन्म

जाति-प्रथा के कारण बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का प्रादुर्भाव हो गया है। जाति प्रथा के अनुसार शर्दी-विवाह एक ही जाति के अन्दर हो सकता है। परिणाम स्वरूप दहेज का अभिशाप समाज में फैल गया है। जाति बन्धनों के कारण विधवा विवाह भी नहीं हो सकता। जाति में प्रचलित सामाजिक सस्कारों को करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य है। मुण्डन सस्कार, जनेऊ सस्कार, विवाह सस्कार इत्यादि में मनुष्यों को प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार व्यवहरना अनिवार्य हो जाता है चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी ही क्या न हो। इसका परिणाम दरिद्रता में परिणित हो जाता है। शीमती वैरा एन्सटे क शब्दों में—

“In India birth determines irrevocably the whole course of a man's social and domestic relations and he must through life eat, drink, dress, marry and give in marriage in accordance with the usages into which he was born,”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन समय में तो जाति व्यवस्था कुछ लाभदायक अवश्य थी, परन्तु इसका आधुनिक स्वरूप समाज के लिये निरन्ध्र ही

अभिशाप एव कलक है। जाति प्रथा आज भारत के आर्थिक मोक्ष के पथ पर सबसे बड़ी बाधा है। भारतीय जन-जीवन में इनकी जड़ें बहुत दूर तक व्यापक हैं और यह आज भी असंख्य व्यक्तियों का भाग्य का निर्णय कर रही हैं। राष्ट्रीय प्रगति की गति को तीव्र करने क लिये इस ठोस प्राचीर का हटाना ही पड़ेगा तभी देशवासियों का मानसिक, सांस्कृतिक एव आर्थिक विनाश संभव हो सकता है। आधुनिक जाति व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने अपने ही विनाश के लिये इस प्रथा को जन्म दिया है। आज यह प्रथा अत्याचार एव असाहित्यता की जन्मदाता है, तथा सामाजिक एव राजनैतिक असंगठन एव दुर्बलता का मूल कारण है। हर्ष का विषय है कि पूज्य महात्मा गांधी का अछूतोंद्वारा आन्दोलन के फलस्वरूप एव शिक्षा का प्रचार एव देशवासियों में जागरूकता का कारण इस प्रथा की नींव हिल उठी है और इस प्रथा का मन्धन क्रमशः ढीले पड़ते जा रहे हैं। अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रथा की निरर्थकता और मूर्खता सबको भली भाँति विदित हो चुकी है और यह निश्चित धारणा बन चुकी है कि देश की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए इसका शीघ्र ही समाप्त हो जाना श्रेयस्कर है।

सयुक्त-परिवार प्रणाली (Joint Family System)

हिन्दू समाज की एक प्रमुख प्रथा सयुक्त परिवार प्रणाली भी है जिसने भारतीय जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस प्रणाली का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब मानव ने आखेट युग से क्रमशः कृषि युग में प्रवेश किया। यह प्रथा वास्तव में भारतीय कृषि की देन है। अति प्राचीन समय से ही कृषि कार्य छोटे छोटे परिवारों द्वारा होता चला आया है। पिता परिवार का प्रमुख व्यक्ति होता था और उसी पर सारे परिवार के पालन करने का उत्तरदायित्व होता था। कालान्तर में सयुक्त परिवार एव सामाजिक एव आर्थिक संस्था के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार सयुक्त परिवार की प्रथा सारे देश में व्याप्त हो गई और आज भोजन, धर्म एव सम्पत्ति में सयुक्त परिवार हमारे—हिन्दू तथा मुसलमान—समाज की आधिक इकाई हैं और हिन्दू समाज का एक प्रमुख अंग। हिन्दू परिवार में सबसे बृद्ध पुरुष परिवार का प्रधान या कर्त्ता और सब सम्पत्ति का मालिक होता है। समस्त परिवार की आय पर कर्त्ता का ही नियंत्रण रहता है और वह सारे कुटुम्ब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्तरदायी रहता है। सयुक्त परिवार का सभी सदस्य परिवार की सम्पत्ति, श्रेय, भोजन और भजन में सम्मिलित रहते हैं। शादी ब्याह एव उत्तराधिकार का नियम सयुक्त परिवार से ही शासित होते हैं। इस प्रकार सयुक्त परिवार परस्पर सम्बन्धित, एक ही धर्म, एक से ही रीति-रिवाज एवं लगभग एक ही आर्थिक परिस्थितियों वाले मनुष्यों का समुदाय होता है।

सयुक्त परिवार प्रथा के लाभ

सयुक्त परिवार प्रथा का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक सदस्यों का भौतिक एवं अध्यात्मिक उन्नति करना होता है। इस प्रथा का भारत के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रथा ने भारत में सम्पत्ति का वितरण, उत्तराधिकार, सहकारिता तथा कुटीर उद्योग धर्मों के संगठन को सदैव से प्रभावित करके उनको वर्तमान रूप प्रदान किया है। यह प्रथा वहाँ के आर्थिक विकास में बहुत सहायक रही है जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट होता है—

त्याग एवं सदकारिता की भावना को प्रोत्साहन

सयुक्त परिवार त्याग एवं सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य में अनुशासन की भावना भरकर उसे एक कर्मण्य एवं उत्तम नागरिक बनाने में यह प्रथा बहुत सहायक है। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य सधके लिए तथा सब प्रत्येक के लिए होने है। साथ साथ रहने, भोजन करने, उठने बैठने एवं कार्य करने के कारण, एक दूसरे के प्रति ममता का उमड़ खाना स्वाभाविक ही है। पारस्परिक स्नेह एवं प्रेम के अन्तर्गत सब जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के लिए त्याग एवं बलिदान करने के लिए सदैव प्रयत्न रहता है। 'एकता में ही बल है' कहावत इस प्रथा में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है।

स्वार्थ की भावना का अन्त एवं सुरक्षा

परिवार के वर्त्ता के माध्यम से सभी सदस्य प्रेम एवं त्याग की भावना से प्रेरित होकर एक सूत्र में बंधे होते हैं। इस प्रथा के कारण स्वार्थ की भावना का दमन होता है और प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए राय करत है, क्योंकि प्रत्येक के कल्याण में सामूहिक कल्याण और सामूहिक कल्याण में प्रत्येक के कल्याण निहित होता है। अतः प्रत्येक सदस्य को स्वायत्त भावना छोड़कर सामूहिक कल्याण की रात सदैव सोचनी पड़ती है।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसकी सुरक्षा के लिए दाल का काम करता है। मानव जीवन में दो अवस्थाएँ—बचपन और बुढ़ापा—ऐसी हैं जिनमें मनुष्य को दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहायक और सुभचिन्तक होता है। वयस्क अवस्था में भी कामगारी बेकारी एवं अन्य किसी काठन परिस्थिति में परिवार ही आश्रय प्रदान करता है। सुदृढ़ सयुक्त प्रणाली के होते हुए मानव को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बेकारी, बीमारी एवं अन्य प्रकार के संकटों के समय सयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को आश्रय परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त

होता है। रोगी, अपाहिज एवं असहायों को समुक्त परिवार सहानुभूति तथा आश्रय प्रदान करता है। “युवा पत्नी, एकाकिनी विधवा, निस्सहाय और अनाथ सन्तान, वृद्ध पितामह सभी को समुक्त परिवार में स्थान मिलता है”, इस प्रकार कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा एवं निश्चितता बनी रहती है जिसके कारण उनकी कार्य शक्ति बढ़ती है और सम्पत्ति के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलता है।

साम्यवाद की स्थापना

समुक्त परिवार एक आदर्श प्रजातन्त्रीय शासन की छोटी इकाई होती है। यह साम्यवाद के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके द्वारा सम्पत्ति का वितरण न्यायपूर्ण होता है और धन के विषम वितरण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ नहीं उत्पन्न होतीं।

श्रम विभाजन

समुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा और अभिरुचि के अनुसार काम कर सकता है और इस प्रकार श्रम विभाजन सम्भव हो जाता है। जो सदस्य जिस प्रकार का कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है उसे वही कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य का कार्य उसकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग घट जाता है और इस प्रकार अधिकतम उत्पादन एवं सम्पत्ति की वृद्धि सामूहिक रूप से सरलता से प्राप्त हो जाती है।

पारिवारिक व्यय में कमी

समुक्त परिवार प्रणाली में व्यय भी न्यूनतम होता है। सामूहिक रूप से आवश्यकताओं की तृप्ति सहज और कम व्यय में ही सम्भव हो जाती है। बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो कि सामूहिक रूप से सभी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। सभी सदस्यों के समुक्त रहने के कारण सभी का खाना समुक्त रूप से बनता है। बर्तन, मेज-कुर्सियाँ, इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार दोहरा खर्च बच जाता है और थोड़ी सी आमदनी में अच्छे रहन-सहन के स्तर को कायम रखना आसान हो जाता है।

भूमि का उपखण्डन न होना

समुक्त परिवार प्रथा ने कृषि में भूमि का उपखण्डन एवं उपविभाजन रोक कर उत्पादन वृद्धि में बहुत सहायता प्रदान की है। इस प्रथा के कारण ही बहुत कुछ सीमा तक भूमि बड़े पैमाने पर कृषि के योग्य बनी रही। उत्तराधिकार के नियम अनन्त काल से उपस्थित होते हुए भी भारत की कृषि भूमि के उपखण्डन की समस्या यहाँ

कभी उपस्थित नहीं हुई। इसका कारण केवल सयुक्त परिवार प्रणाली ही है। सयुक्त परिवार में वैटवारा होना एक बुरी बात समझी जाती है। परिवार के कर्त्ता के माध्यम से सभी सदस्य प्रेम एवं त्याग की भावना से प्रेरित होकर एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। जब से सयुक्त परिवार छिन्न भिन्न होने लगे भूमि के उपरगडन की समस्या उत्तरोत्तर विकराल रूप धारण करने लगी है।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त सयुक्त परिवार प्रथा का एक यह भी लाभ है कि इसके अन्तर्गत पूजा के सचन होने की भी अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं। पारिवारिक व्यय के कम होने के कारण एवं श्रम विभाजन समभव होने के फलस्वरूप अधिक आय के कारण पूँजी का सचय होना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त सयुक्त परिवार व्यक्त के जीवन में आदर, श्रोदाय, अनुशासन एवं त्याग की भावनाओं को सुदृढ़ कर के समाज का नैतिक उत्थान करने में सहायक होता है।

सयुक्त परिवार प्रणाली के दोष

उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी यह प्रथा दोषों से रहित नहीं है। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—

अकर्मण्यता आलस्य की जननी है

इस प्रणाली का समय बढ़ा दोष यह है कि यह अकर्मण्यता, आलस्य एवं निष्कर्मण्यता की प्रवृत्त को प्रोत्साहन देती है। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। उनको परिवार में भोजन, वस्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त होती जाती हैं और वे 'अजगर करे न खावो, पत्नी करे न काम' का मूल मंत्र ग्रहण कर के दूसरों के परिश्रम से कमाये हुए धन पर गुनछुरें उड़ाने रहते हैं। ये व्यक्ति समाज या परिवार की समृद्धि एवं समृद्धि के उत्पादन में कुछ भा सहयोग नहीं देते। ऐसे व्यक्ति समाज एवं परिवार दोनों ही लिये अभिशाप हैं। इसका कारण परिवार का रहन सहन का स्तर निम्न हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि वृद्ध पिता की कमाई पर तटस्थ बटे पलते रहते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि पारिवारिक कुछ सदस्य परिवार का भाल पर श्रम ल लेते हैं और इस प्रकार उपादन में वृद्धि करने के स्थान पर उसका हास करने पर ही तुले रहते हैं।

व्यक्तित्व का विकास रुक जाना

परिवार का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे पर आश्रित रहता है और उसकी भरण पोषण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। परिणामस्वरूप उसमें चाहत एवं

आत्मनिर्भरता की भावना सदैव के लिए मर जाती है। वे अपने पैरों पर खड़े होने में सदैव असमर्थ रहते हैं। भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होने का यह भी एक मुख्य कारण है।

आर्थिक प्रगति की प्रेरणा का अभाव

प्रत्येक व्यक्ति की आय सयुक्त परिवार के कर्त्ता के पास जाती है। जो सदस्य धन उपार्जन करता है उसको खर्च करने का अधिकार नहीं होता। परिणामस्वरूप कोई भी सदस्य अपनी आय के बढ़ाने की चेष्टा नहीं करता। व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्य की आर्थिक प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहता है। सयुक्त परिवार में इस प्रेरणा का अभाव स्वभाविक ही है। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी गाढ़े पसीने की कमाई लाकर परिवार को देता रहे और उस धन के व्यय करने का अधिकार उसको उतना ही हो जितना उसने आलसी एवं चेकार भाई को। इसका परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे अपने काम से उदासीन एवं विमुख होने लगता है। इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास शिथिल हो जाता है और कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति शोचनीय बन जाती है। भारतीय श्रमिकों की कार्य कुशलता कम होने का कारण उनका व्यक्तित्व का पूर्णतया विकसित न होना है।

श्रमिका में गतिशीलता का अभाव

सयुक्त परिवार प्रणाली के कारण व्यक्तियों में परिवार के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। इस अतिरिक्त एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण स्वावलम्बिता की भावना नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप परिवार के सदस्य अपने को परिवार से विलग करने से मजबूर हो जाते हैं। भारत में श्रम की गतिशीलता के अभाव का मुख्य कारण यह प्रथा ही है जिसने मनुष्यों को मोह के बन्धन में जकड़ रक्खा है। इस भावना का प्रादुर्भाव कि 'घर की सुखी भली, बाहर की चुपडी अचन्डी नहीं' केवल इसी प्रथा के कारण ही हुआ है। श्रम की गतिशीलता के अभाव के कारण न तो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति ही सुधर पाती है और न राष्ट्र का औद्योगिक विकास ही दृढ़ नींव पर विकसित हो पाता है। श्रमिक परिवार के साथ रहने का इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि बाहर जाकर धन उपार्जन करने का अपेक्षा घर पर दरिद्र जीवन बिताना हितकर समझता है।

पारस्परिक ईर्ष्या एवं वैर भाव

सयुक्त परिवार प्रथा में सब सम्पत्ति सम्मिलित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अधिक भाग प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य आलस्य के कारण पारिवारिक सम्पत्ति में वृद्धि नहीं करता तो अन्य सदस्य उसके प्रति

द्वेष की भावना रखने लगते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कर्त्ता की मृत्यु के बाद सभी सदस्यों में सम्पत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमेवाजी होने लगती है जिसमें बहुत बन् बरवाद हो जाता है और पारस्परिक ईर्ष्या एवं वैर भावना की बल मिलता है। भाइयो-भाइयों में कीर्तदारियाँ होता है और वैमनस्यता का अकुर परम्परागत उगता चला जाता है। इसका कारण न केवल लोगों में दरिद्रता ही फैलती है वरन् राष्ट्र का आर्थिक विकास भी रुक जाता है।

पूँजी के संचय का अभाव एवं निम्न रहन-सहन का स्तर

आर्थिक उन्नति की प्रेरणा कम होने का कारण समुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार की श्राय बढ़ाने में सचेष्ट नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं रहती। इस प्रकार परिवार की थोड़ी सी श्राय में बहुत लोगों का खर्च रहता है और इसलिये धन की वचत और पूँजी का संचय कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक श्राय पर सामूहिक अधिकार होने के कारण प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयत्न करता है। प्रायः देखा जाता है कि समस्त परिवार थोड़ी-सी ही कृषि भूमि पर अवलम्बित रहता है। परिवार में भले ही वृद्धि होती जाय परन्तु श्राय व्यो की त्यो बनी रहती है। ऐसी दशा में परिवार का रहन-सहन का स्तर निम्न हो जाना स्वाभाविक ही है। पूँजी के अभाव में बड़े पैमाने के उद्योग-धर्मों को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और राष्ट्र का आर्थिक विकास रुक जाता है।

उत्सुक दोषा के अतिरिक्त समुक्त परिवार प्रथा ने कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी जन्म दिया है जिसका प्रभाव हमारे देश के आर्थिक विकास पर बुरा पड़ा है। उदाहरण स्वरूप इस प्रथा ने बाल-विवाह एवं विधवाओं को आश्रय देकर देशवासियों के नैतिक पतन में सहायता प्रदान की है। पारिवारिक कलह, मुकदमेवाजी तथा दंग एवं ईर्ष्या की भावना को प्रोत्साहित करके इस प्रणाली ने समाज को पूर्ण रूप से विशृङ्खल कर दिया है।

उत्सुक विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में उदारता, दया, भ्रातृभाव, त्याग, स्नेह एवं सहयोग आदि उत्तम गुणों का प्रादुर्भाव एवं विकास करने का श्रेय समुक्त परिवार प्रणाली को ही है। इस प्रकार यह प्रणाली उस समय देश की आर्थिक समृद्धि की दात्री थी। परन्तु आधुनिक काल में परिवर्तित परिस्थितियों में इस प्रणाली के लाभ प्रश्नसूचक चिन्ह से चिह्नित अवश्य हो गये हैं। पारिचात्य शिक्षा के प्रसार, जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि, भूमि पर अधिक भार एवं औद्योगिक विकास के कारण आज यह प्रणाली जबर हो चली है और क्रमशः कीर्तुम्भिक त्याग, सहनशीलता तथा उदारता का भी विनाश होता चला जा रहा है। इस सबीय व्यक्तिवादी

मनोवृत्ति के कारण मनुष्य सभी नैतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को भुलाकर केवल निजी स्वार्थ की प्रतिष्ठा करता है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रथा ने भारतीय आर्थिक संगठन एवं विकास पर एक स्वस्थ प्रभाव छोड़ा है, परन्तु इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इसके दोषों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। वास्तव में व्यक्ति के महत्व को अस्वीकार करने वाले संयुक्त परिवार, एवं आतृभाव, सहयोग तथा त्याग की भावना का नाश करने वाले व्यक्तिवाद दोनों ही समाज के सर्वाङ्गीण विकास के लिये अहितकर हैं। इन दोनों के मध्य का स्वस्थ पथ ही भारतीय समाज के विकास के लिये उचित एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance & Succession)

भारत में उत्तराधिकार के नियमों का भी यहाँ के आर्थिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उत्तराधिकार के नियम संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित हैं। हिन्दुओं में उत्तराधिकार के दो नियम हैं—(१) दायभाग (Dayabhag) और (२) मिताक्षरा (Mitakshara)।

दायभाग के अन्तर्गत परिवार का प्रधान या कर्ता परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होता है। कर्ता के जीवन काल में कोई भी सदस्य सम्पत्ति का बटवारा नहीं कर सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई विभाजन नहीं हो सकता। पिता की मृत्यु के पश्चात् ही माइयो के बीच सम्पत्ति का बटवारा हो सकता है। केवल बंगाल में ही यह प्रथा पाई जाती है।

मिताक्षरा के अन्तर्गत परिवार के सभी पुरुष सदस्य परिवार की सम्पत्ति के सामूहिक स्वामी होते हैं। परिवार का प्रधान या कर्ता केवल प्रबन्धकर्ता के रूप में होता है। यह पद्धति बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में पाई जाती है। सभी सदस्यों का परिवार की सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार होने के कारण सम्पत्ति का प्रत्येक सदस्य परिवार के प्रधान के जीवनकाल में ही खराया जा सकता है। इस प्रणाली में पिता एवं पुत्र में विभाजन हो सकता है। किसी भी एक सदस्य की मृत्यु के बाद बचे हुए व्यक्ति सामूहिक रूप से संयुक्त सम्पत्ति का स्वामी हो जाते हैं। विभाजन हो जाने पर प्रत्येक सदस्य अपना भाग पाने का अधिकारी हो जाता है। इसमें स्त्रियों का उत्तराधिकार नहीं होता है।

हिन्दू कोड बिल पास हो जाने के उपरान्त अब पिता की सम्पत्ति में लड़कों के समान ही लड़कियों का भी भाग हो गया है।

मुसलमानों में परिवार की संपत्ति में स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों का ही समान अधिकार रहता है। पिता की सम्पत्ति उसके पुत्रों तथा पुत्रियों में समान विभाजित की

जाती है। यही कारण है कि मुसलमानों में प्रधान की मृत्यु होने के बाद सम्पत्त अखण्ड भागों में बँट जाती है।

इस प्रथा के लाभ

उत्तराधिकार के नियमों के बहुत से लाभ हैं जो इस प्रकार हैं—

उत्तराधिकार के नियम न्याय एवं समानता पर आधारित हैं

इन नियमों के द्वारा सम्पत्ति का वितरण समान एवं न्याययुक्त होता है। पूर्वजों की सम्पत्ति पर प्रत्येक उत्तराधिकारी समान भाग पाने का अधिकारी होता है। समा उत्तराधिकारी समान होते हैं अतः सभी को सम्पत्ति में समान भाग मिलना चाहिये अतः ही न्यायसंगत है।

जायन में पर्दापण करते समय सहारा

पारिवारिक प्रत्येक सदस्य को परिवार की सम्पत्ति में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस धनराशि से वह अपना जीवन प्रारम्भ कर सकता है। यदि परिवार की सम्पत्ति केवल सरस रूढ़ सदस्य को ही प्राप्त हो जाती तो शेष सदस्यों को मजदूरी आदि करने पर विवश होना पड़ता। इस प्रकार अलग-अलग एवं अलग-अलग व्यक्ति का शप जीवन तो मजदूरी में ही मिल जाता। परिवार का सम्पत्ति में सभी को कुछ न कुछ मिल जाने के कारण इसका सहारा मनुज जीवन-संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में ये नियम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं भौतिक उन्नति करने का सहारा एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं।

धन का समान वितरण

परिवार की सम्पत्ति का समान बंटवारा होने के कारण सम्पत्ति के कुछ व्यक्तियों के ही हाथों में केंद्रित हो जाने की सम्भावनाएँ नहीं रहती। इस प्रकार सम्पत्ति के अप्रत्यक्ष वितरण से उत्पन्न होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का अभ्युदय नहीं होता। ये नियम पूँजीवाद पर अक्रुश का कार्य करते हैं और समाजवादी अर्थ व्यवस्था के मूल प्रवर्तक हैं।

इन नियमों के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को सम्पत्ति में कुछ न कुछ मिल जाने के कारण बेकार नहीं पैलती। प्रत्येक व्यक्ति के सम्पत्ति में अधिकारी होने के कारण उनमें स्वाभिमान, उत्तरदायित्व तथा वर्गगतता की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त इन नियमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को “एकता में ही समृद्धि एवं शक्ति है तथा फूट में ही निर्धनता एवं निवृत्तता है” की उत्तम शिक्षा मिलती है।

इस प्रथा के दोष

अपर्युक्त लाभों के होते हुए भी उत्तराधिकार के नियमों का प्रभाव हमारे देश के आर्थिक विकास पर अच्छा नहीं पड़ा। इस प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं—

भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन

भारत में कृषि भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन का मूल कारण उत्तराधिकार के नियम ही हैं। समूह परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सभी सम्पत्ति पर समान अधिकार होने के कारण सभी व्यक्ति भूमि का बँटवारा आपस में कर लेते हैं। परिणामस्वरूप भूमि टुकड़ों टुकड़ों में बँट जाती है। भूमि के इन छोटे छोटे टुकड़ों पर वैज्ञानिक कृषि सम्भव नहीं हो पाती। यही कारण है कि आज भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है और यहाँ का उत्पादन सवार में सबसे कम है। भारतीय कृषकों की निधनता एवं निम्न रहन सहन के स्तर का यही मुख्य कारण है।

पूँजी के संचय का अभाव एवं घटे पैमाने के उद्योगों का विकसित न होना

पूँजी के टुकड़ों में बँट जाने के कारण पूँजी का संचय नहीं हो पाता जिसके कारण बड़े पैमाने के उद्योग धंधे जिनमें बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है नहीं चलाये जा सकते।

मुकदमेजाना एवं अन्याय का विनाश

सम्पत्ति में बँटवारा करने के लिये परिवार के विभिन्न सदस्यों में मुकदमेजानी होती है। ऐसा देखा गया है कि मुकदमेजानी में बड़ी बड़ी सम्पत्तियाँ विक गयीं और सारा कुटुम्ब तबाह हो गया। यह कथन 'दावाना करती दीवानी' का रूप से चरितार्थ होता है। मुकदमेजानी में समय एवं धन दोनों का ही दुरुपयोग होता है जिससे निर्धनता और बढ़ती है। यही नहीं मुकदमेजानी से आपस में ईर्ष्या, द्वेष एवं घूट का भावना भी इन्फि होती है। बँटवारे के कारण ही भाई भाई में पौत्रदारवा हाती है और वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। इस प्रकार इन नियमों के कारण सहकारिता का भावना का विनाश हो जाता है।

निधनता एवं निम्न रहन सहन का स्तर

सम्पत्ति का बँटवारा विभिन्न वर्गों में हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भाग प्राप्त हो जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठोकाठोका हो जाता है। सम्पत्ति में थोड़ा थोड़ा भाग मिलने के कारण किसानों का भी आर्थिक स्थिति ठोका नहीं रहती। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का रहन-सहन का स्तर निम्न बना रहता है। निधनता के कारण वे अपने मजिब्य का भी निर्माण करने में असफल रहते हैं। वास्तव में निर्धनता ही भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तराधिकार के नियमों ने हमारे देश की

आर्थिक प्रगति के मार्ग में बड़े बड़े रोड़े अटक दिये हैं और अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है।

बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा (Early Marriages and Purdah System)

बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा भी भारतीय सामाजिक संरचना के दो मुख्य अभिन्न हिस्से हैं। बाल-विवाह का प्रादुर्भाव तो भारत में संयुक्त परिवार प्रथा के कारण हुआ और पर्दा प्रथा का जन्म भारत में मुसलमानों के शासन के कारण हुआ।

बाल विवाह के कारण छोटी अवस्था से ही मनुष्य के ऊपर गृहस्थी का भार पड़ जाता है जिसके कारण रहन-सहन का स्तर ऊँचा नहीं हो पाता। सन्तानोत्पत्ति भी अधिक होने के कारण मनुष्य का रहन-सहन का स्तर गिर जाता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। कार्यक्षमता कम हो जाने के कारण न केवल व्यक्ति विशेष का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है वरन् राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी मन्द हो जाती है।

पर्दा प्रथा का भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्दा प्रथा के कारण ही मातृ में स्त्रियों को मरान की चहा-दीवारी के अन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इस प्रकार वे राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देने से वंचित रह जाती हैं। यह किसी भी राष्ट्र के श्रम का दुष्प्रयोग है। प्राचीन समय में भाँसी की रानी, रजिया बेगम आदि वीरगनाओं ने युद्धस्थल में पर्दापण कर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में हाथ बटाया था। आज भी पारचात्व युग में स्त्रियाँ बहुत से राष्ट्र निर्माण कार्यों में सक्रिय भाग लेती हैं। यही नहीं पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है जिसके कारण वे निर्बल सतानों को जन्म देती हैं। इन्हीं अनेक वाली सन्तानों पर ही किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का भार रहता है। वास्तव में यही शिशु राष्ट्र के भविष्य के कर्णधार होते हैं। यदि ये भविष्य के निर्माता ही निर्बल हों तो कौन राष्ट्र किस तरह अपने आर्थिक निर्माण की कल्पना कर सकता है। वास्तव में पर्दा प्रथा भारत के आर्थिक विकास के लिए महान् अभिशाप है।

उपसंहार

उपरोक्त वर्णन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन को यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। भारत का अतीव समृद्धि, शान्ति एवं वैभव से परिपूर्ण या और इसका श्रेय हमारे देश

की सामाजिक व्यवस्था को ही था। परन्तु कालान्तर में सामाजिक प्रथाओं के रूढ़िवादिता एवं अन्ध-विश्वास में परिवर्तित हो जाने के कारण, भारत की सामाजिक व्यवस्था यहाँ के आर्थिक विकास का मुख्य अभिशाप बन गई और हमारी आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उसके मार्ग में रोड़े अटकाने लगी। सामाजिक कुरीतियों की शृङ्खलाओं में जड़ने होने के कारण भारत की प्रगति का पथ अवरुद्ध हो गया और वह अपने अतीत के गौरव को खो बैठा। हर्ष का विषय है कि राजनैतिक दासता की शृङ्खलाओं से मुक्ति के उपरान्त सामाजिक रूढ़ियों एवं राजनीतिक भ्रान्तियों को खीर कर मनुष्य की आन्तरिकता पर आधारित नई मर्यादा का उदय हो रहा है, सामाजिक रूढ़ियों एवं धार्मिक अन्ध विश्वासों के बन्धन शिथिल हो रहे हैं और भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर पड़ा हुआ स्वर्णिम भविष्य के दर्शन कर रहा है।



इङ्ग्लैंड में औद्योगिक क्रांति

(Industrial Revolution in England)

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं के प्रारम्भ में इङ्ग्लैंड में जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए वे इतने मौलिक तथा अघोषापी थे कि उनको औद्योगिक क्रांति की सहा प्रदान की गई है। क्रांति की पृष्ठभूमि में प्रायः रक्तपात निहित होता है और इसलिए आर्थिक क्षेत्र के इन परिवर्तनों को क्रांति के नाम से पुकारना अन्यायक वा प्रतीत होता है, परन्तु राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जो आमूल परिवर्तन इसका फलस्वरूप हुए जिनसे सारे विश्व का रूप ही बदल गया, क्रांति की सहा प्रदान करना कदाचित् अनुचित न होगा। नोल्स (Knowles) के शब्दों में—

‘The result was new people, new classes, new politics, new problems and new empires’

वास्तव में औद्योगिक क्रांति के उपरान्त विश्व ने एक नए युग में प्रवेश किया। बड़ी बड़ी निर्माणशालाओं की सख्याओं में अपार वृद्धि होने लगी। उत्तमाया अतरीय और अटलांटिक महासागर के बन्दस्थल पर सामग्रियों से भरे हुए जलयान नेंदराने लगे। जो सामग्रियाँ किसी समय महलों तथा उच्च अट्टालिकाओं तक ही सीमित थीं अब वे पर्यटकों को भी सुलभ हो गईं। नित्य प्रति नये-नये आविष्कारों का जन्म होने लगा। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। विज्ञान के प्रचण्ड सूर्य की शरिमयों द्वारा सारा ससार आलोकित हो उठा। मानव जीवन में नवीन चेतना एवं जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ। मानव के ऐश्वर्य एवं प्रतिभा पर स्वर्ग की अप्सराएँ लज्जित होने लगीं। मोड्रेसर दुवे ने ठीक ही लिखा है—

“In the early days the English farm with its natural surroundings was the most typical feature of the country, now the factory chimney belching out soot laden smoke is the most outstanding landmark of England”

गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ, भीमकाय उद्योग, विकसित आवागमन के साधन

एव विश्वव्यापी व्यापार तथा वाणिज्य मानव के वैभव की पराकाष्ठा थीं। प्रो० हैमन्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

“The vast oceans became the high-ways and by ways between the doorways of two nations.”

नवीन आविष्कारों ने मानव को नव-जीवन प्रदान किया। विश्व ने कवच बदली और मानव ने अपने को पाया उस जगत में जो केवल कल्पना की वस्तु था। इन चमत्कारी एव आश्चर्यजनक परिवर्तनों को यदि औद्योगिक क्रान्ति के नाम से पुकारा जाय तो इसमें अतिशयोक्ति क्या होगी।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण

प्रायः यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि सर्व प्रथम इङ्ग्लैण्ड को ही औद्योगिक क्रान्ति के रगमच होने का श्रेय क्यों प्राप्त हुआ। फ्रांस एव हालैंड भी उस समय विश्व के उन्नतशील राष्ट्रों में थे। इन देशों में भी पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका था और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक थी। इन देशों की सामुद्रिक शक्ति भी इङ्ग्लैंड से पीछे नहीं थी। इतना होते हुए भी इङ्ग्लैंड ही औद्योगिक क्रान्ति म पथ प्रदर्शक रहा, इसका कारण वहाँ की स्थिति, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, राजनैतिक वातावरण एव देशवासियों में साहस एव स्फूर्ति का होना था। इन सभी का योरोप के अन्य राष्ट्रों में अभाव था जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है—

औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि प्रशस्त थी

सत्रहवीं शताब्दी में ही इङ्ग्लैण्ड ने औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। इङ्ग्लैण्ड का ऊन उद्योग अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। मशीनों का प्रादुर्भाव हो चुका था और इङ्ग्लैण्ड के घरेलू उद्योग क्षेत्रों में पूँजीवाद का अक्रूर पनप चुका था। ऐसी अवस्था में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग इङ्ग्लैण्ड के लिए अत्यन्त सरल था। बड़े पैमाने की उत्पत्ति में इसका अपना गत वर्षों का अनुभव भी था। प्रो० हैमन्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

“Before great inventions began, England had a government favourable to commerce, internal free trade, a prosperous and growing textile industry, exporting its products to the continent with large commercial connections, joint stock companies and a banking system”

वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों ने इङ्ग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति की पृष्ठभूमि

प्रस्तुत कर दिया और इंग्लैंड सर्व प्रथम औद्योगिक क्रान्ति का श्रेय प्राप्त करने में सफल हो सका। प्रो० नोल्स (Prof Knowles) के शब्दों में —

“She had a long start and although that meant that she had to bear the burden of the experiments and that other countries could begin where she left off, it did mean that she had evolved a race of skilled and trained workers such as no other country in the world possessed and this enabled her to improve upon or adapt machines invented elsewhere.”

पूँजी, विस्तृत बाजार एव वीरल का उपलब्ध होना

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये पर्याप्त पूँजी, विस्तृत बाजार एव वीरल मूलाधार हैं। प्रत्येक राष्ट्र में औद्योगिक क्रान्ति के लिये ये सभी प्रथम आवश्यकताएँ हैं। इन सभी का इंग्लैंड में उपरिष्ठ होना औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणेश करने के लिये पर्याप्त था।

(क) पूँजी

पूँजी ही उद्योगों का जीवन रक्त है और वह इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसका कारण इंग्लैंड का ऊन उद्योग था। इस उद्योग के कारण यहाँ का व्यापार बढ़ा विस्तृत हो गया था और इस देश में विदेशों से धनराशि निरन्तर चला आ रही थी। ऊन के विषय में डिफो (Defoe) के शब्द उद्धृत करना यहाँ पर कदाचित् अनुचित न होगा—

“The wool is an exclusive grant from heaven to Great Britain, it is peculiar to this country and no other nation has it or anything equal to it in the world. While England has the wool, her trade is invulnerable, at least no mortal, final, destructive blow can be given to it.”

नोल्स ने तो लिखा है कि विश्व का समस्त राष्ट्र अपने को इंग्लैंड के ऊन द्वारा ही गरम रखते थे। इसका अतिरिक्त इंग्लैंड का सूती व्यवसाय भी उन्नति पर था। इस बड़े-बड़े व्यापार का कारण अठारहवीं शताब्दी में ही इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में पूँजी इकट्ठी हो गई थी। टॉड (Todd) के शब्दों में—

“Great Britain exports about 9/10th of her cotton output if bulk is considered and 8/10th in value, and the

amount she retains for home consumption is worth approximately £30 million ”

इस अतिरिक्त इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था भी सुसज्जित रूप में विद्यमान थी। इंग्लैंड का बैंक सार विश्व का बैंक बन चुका था। इस बैंकिंग व्यवस्था के कारण इंग्लैंड न केवल अपने राष्ट्र की धन राशि का वरन् अन्य राष्ट्रों की पूँजी का भी उपयोग करने में समर्थ हो गया। नोल्स (Knowles) के शब्दों में—

Her banking was organized so as to make the capital easily obtainable France with her larger export and import trade might have had more capital but there was no banking system which made credit readily available

जहाँ अग्रजों का प्रश्न है नोल्स ने लिखा है—

‘They understood capital, they understood large scale production, and they knew they would reap where they had sowed’

फेडरल ट्रेड कमिशन (Federal Trade Commission) के शब्दों में—

‘Great Britain has provided all the financial facilities needed for its exporters and importers to do business with other men anywhere on the globe In short, wherever British imports are bought or British exports sold there is either a local bank intimately connected with London or there is a British Bank for the accommodation of British Commerce’

(ख) विस्तृत बाजार

विशाल उद्योग विशाल भाग पर ही अवलम्बित हैं। बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये विस्तृत बाजार प्रथम आवश्यकता है। भाग्यवश इंग्लैंड व पाठ स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजार के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध था। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य निरन्तर बढ़ता चला जा रहा था और साथ ही साथ इंग्लैंड व बाजार का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता था। जिस समय योरोप के अथ देश अपने यह युद्ध में सलग्न थे, इंग्लैंड अपनी साम्राज्य की सीमा के विस्तार में सलग्न था। इस प्रकार इंग्लैंड को विस्तृत बाजार उपलब्ध था जैसा कि नोल्स के शब्दों से स्पष्ट है—

‘At home the new roads and the canals provided a better home market and a richer England could afford to buy more goods, abroad there was a growing trade especially with semi-tropical countries where cotton goods would be specially in request’

(ग) कौशल (Skill)

विशालकाय उद्योगों के कुशल संचालन में कुशल श्रमिकों का होना नितान्त आवश्यक है जिसके बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। विशेष रूप से मशीन के युग में श्रम की कुशलता उद्योगों के संचालन के लिये मूल आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी इंग्लैंड भाग्यशाली था। इंग्लैंड के श्रमिकों के पास स्वयं उनका गढ़ चर्चों का अनुभव था। नोल्स के शब्दों में—

“Although English machines were exported in large numbers after 1825, foreigners could not work them to anything like the same advantage as the English. It is well known that the Lancashire cotton spinner could work more spindles than any cotton operative in the world and that English fine yarns are unsurpassed.”

यही नहीं योरोप के अन्य राष्ट्रों में गृहयुद्ध एवं अशांति के कारण वहाँ के बहुत से कुशल श्रमिक इंग्लैंड में आकर बस गये क्योंकि इंग्लैंड ही एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ उनको रोजी प्राप्त हो सकती थी। परिणामस्वरूप कुशल श्रमिकों का इंग्लैंड में अभाव न रह गया और वह औद्योगिक क्रान्ति में सफल होने का गौरव प्राप्त कर सका।

बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता

इंग्लैंड के बढ़ते हुए व्यापार की माँग को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अनिवार्य हो गया था। अतः यह कथन ‘आवश्यकता आविष्कार की जननी है’ चरितार्थ हुआ। इंग्लैंड का बाजार बहुत विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण माँग को पूरा करने के लिए उद्योगों का विकास नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस विशाल क्षेत्र को देखते हुए राष्ट्र में श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी। परिणामस्वरूप मशीनों का निर्माण एवं आविष्कार इंग्लैंड के लिए अनिवार्य हो गया। नोल्स के शब्दों में—

“To cater for an export and import trade of £40 million, France had 26 million people, while Great Britain only had 9 million to deal with a foreign trade of £ 32 million.”

ऐसी स्थिति में नवीन मशीनों का आविष्कार होना स्वाभाविक ही था जैसा कि जेम्स ओग्डेन (James Ogden) के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है :—

“No exertion of the manufacturers or workmen could have answered the demands of trade without the introduction of spinning jennies.”

आन्तरिक शान्ति (Internal Peace)

किसी भी राष्ट्र व आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए एह-शांति का होना अत्यन्त आवश्यक है। भाग्यवश इङ्गलैंड में शांति की पूर्ण व्यवस्था थी। योरोप के अन्य राष्ट्र नेपोलियन युद्धों के कारण या अपनी एह अशांति के कारण अपने देश व उत्थान के विषय में बहुरना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में आन्तरिक शांति का कारण इङ्गलैंड को अपने भाग्य का निर्माण करने का स्वर्ण अवसर मिला गया और वह अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ गया। नोल्स ने ठीक ही लिखा है—

‘But for the French Revolution, France and not England might have been the pioneer country of the Industrial Revolution. The economic disturbances caused by the Revolution put France back for 40 years and by 1830 when she had recovered, Great Britain was the workshop of the world’

इस प्रकार आन्तरिक शांति के कारण लोग निश्चित होकर व्यापार एवं उद्योग कर्मों के निर्माण करने में लगे हुए थे। ऐसी दशा में इंगलैंड का औद्योगिक विकास स्वाभाविक ही था। नोल्स के शब्दों में—

“In France moneyed people were afraid to take the risks of new ventures and preferred land as an investment. The political security of Great Britain was so good that people did not hesitate to sink their money in the fixed form necessary for large scale enterprise”

कोयले एवं लोहे का उपलब्ध होना

कोयला एवं लोहा औद्योगिक ढाँचे का मूल स्तम्भ हैं। वास्तव में कोयला उद्योग की जननी है तथा लोहा उसका पिता। बिना इन दोनों के न तो उद्योगों का जन्म हो सकता है और न उनका उचित भरपूर पोषण ही। जिस प्रकार शिशु को उचित संरक्षण के लिये माता पिता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उद्योगों को भी कोयले एवं लोहे की आवश्यकता है। मशीनें, औजार, रेलें, मोटरें, वायुयान, जलपोत एवं असंख्य अन्य वस्तुएँ लोहे पर ही अवलम्बित हैं और इन सभी में जीवन एवं गति प्रदान करने का श्रेय कोयले को ही है। इंगलैंड को ये दोनों ही खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यही नहीं इंगलैंड और भी भाग्यशाली था क्योंकि ये दोनों ही खनिज पास पास पाए जाते थे जिसके कारण यातायात की कठिनाई स्वयं ही दूर हो गई। नोल्स के शब्दों में—

“It is only when one sees how Britain’s great industrial rival, France, was hampered by the cost of coal

all through the century that one realises the enormous bounty bestowed by nature upon this country. Cheap and good coke joined to the existence of skilled artisans enabled Great Britain to make cheap machines, cheap locomotives, steamers and engines, and she was thus able to become the world's construction shop and forge. Over and above this the geographical situation of the coal fields was most favourable; i.e. the coal was not merely there, it was get at able and transportable.. Her coal and Iron also lay together near the coast which minimised the difficulty of transporting the finished goods”

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Freedom)

मानव के पूर्ण विकास के लिए उत्तरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का होना परमावश्यक है। बिना स्वतन्त्रता के मनुष्य अपना विकास तथा राष्ट्र का विकास करने में सदैव असमर्थ रहता है। भाग्यवश इंग्लैंड के निवासियों को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इंग्लैंड के निवासी अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र थे। नोल्ड के शब्दों में—

“Serfdom had disappeared in England, Scotland and Ireland by the end of the 16th century, so that by the middle of 18th century the inhabitants of Great Britain were free to move as perhaps no other people were at that time”

सरकार मुक्त व्यापार नीति (Free trade) का अनुसरण कर रही थी। व्यापार एवं उद्योग में सरकार द्वारा किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप न था। बस्तुओं के आयात निर्यात पर भी कोई प्रतिबंध न था। ऐसी दशा में इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योग धर्मों का पनपना त्वमाविक ही था। नोल्ड के शब्दों में—

“It is only when one contrasts the utter destruction of industrial and commercial life for 10 years after the French Revolution and grasps the fact that it took France till 1830 to get back to the same pitch of commercial prosperity that she enjoyed before the Revolution that one realises how destructive to Economic progress political insecurity may become.... It is clear that the political and economic freedom in England was one of the contributing causes of her industrial expansion.”

सामुद्रिक शक्ति (Maritime Power)

प्राचीन समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता कायम

रखने के लिए सामुद्रिक शक्ति का होना अनिवार्य था। वस्तुओं का आयात निर्यात जलपोतों पर ही निर्भर था। इंग्लैंड की जहाजी शक्ति उस समय अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अतुलनीय थी। इसी जहाजी शक्ति व कारण ही इंग्लैंड अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सका। इंग्लैंड का विश्वव्यापी व्यापार इहीं जलपोतों की देन था जिसका कारण ही इंग्लैंड का औद्योगीकरण बड़ी द्रुतगामी गति से सम्भव हो सका। श्री नोल्स ने शब्दा में—

‘Her ubiquitous tramp has given her facilities for the receipt and despatch of goods which were unrivalled by any other country before 1914. It is scarcely realised however what an important asset the English ship captain has been in pushing English trade. As he goes all over the world it is his business to get freights, and he is willing to carry for any one who will charter him, but he wishes above all to get back to England, and will work towards that end in getting cargoes. He is one of the best agents for British trade and he is found everywhere’

संगठन की योग्यता (Ability of Organization)

बड़े पैमाने की उत्पत्ति में संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविकता तो यह है कि बिना कुशल संगठन के किसी भी राष्ट्र का व्यापार एवं औद्योगिक विकास उन्नति नहीं कर सकता। ‘संगठन में ही चल रहे’ यह एक सच सत्य है। उचित संगठन ही कुशल उत्पादन की मूल आवश्यकता है। उद्योग धर्मों का संचालन एवं उनका विकास बिना संगठन के सम्भव नहीं। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास की पृष्ठ भूमि में वहाँ के लोगों में संगठन की योग्यता का होना ही है। इंग्लैंड के निवासियों ने बृहत् व्यापार के कारण संगठन की योग्यता प्राप्त करने में सफल हो चुके थे। नोल्स के शब्दों में—

‘To the Englishman who had catered for a century for large foreign Markets of the most diverse character, large scale production was perfectly familiar—he had trading connections all over the world with hot climates and with cold ones. He could and did sell his stuff from the Arctic to Mexico’

इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति (Geographical Location of England)

इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में प्रकृति का भी बड़ा शक्तिशाली हाथ रहा है। वास्तव में बृहत् कुछ इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योग-धर्मों का विकास उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण सम्भव हो सका। नोल्स के शब्दों में—

“The Geographical position of Great Britain on the out skirts of Europe at the head of the Atlantic and commanding the approach to northern Europe gave her unrivalled opportunities for selling in any market”

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही इंग्लैंड पुनः निर्यात व्यापार में आशा कीत सफलता प्राप्त कर सका। प्रो० थॉमस (Prof. Thomas) ने ठीक ही लिखा है—

‘England was first in the field and her natural resources have enabled her to remain first amongst nations’

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अत्यन्त बजार, पूँजी की प्रचुरता, उद्योग संचालन का योग्यता, आन्तरिक शान्ति, ताहे एव चीपले की प्रचुरता देशवासियों में साहस की भावना एवं अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के कारण इंग्लैंड ही ऐसा राष्ट्र था जिसका औद्योगिक क्रान्ति वा सर्वप्रथम सामान्य प्राप्त हो सकता था।

औद्योगिक क्रान्ति के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव

(Economic & Social Effects of Industrial Revolution)

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नवीन आविष्कारों का क्रम सा लग गया जिसने इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का स्वरूप ही बदल दिया। विद्यालयीय उद्योग, आन्तगमन के साधनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने इंग्लैंड को आर्थिक क्षेत्र में विश्व का पद प्रदर्शक बना दिया। आर्थिक वेधन एवं सम्पत्ता में आशातीत वृद्धि होने पर दशवासियों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। राजनैतिक क्षेत्र में भी इंग्लैंड अपना प्रभुत्व जमा कर इतने बड़े साम्राज्य के स्थापित करने में, जिसमें कभी सूर्य ही न अस्त होता हो, सफल हो सका। नोल्स के शब्दों में—

“The Industrial and commercial Revolutions had created new social classes, a new trading class, a new industrial class and a new moneyed power arose, and the old landed interest declined correspondingly in importance. These new classes constituted the new democracy of the 19th century”

आर्थिक प्रभाव

नये उद्योगों का जन्म

औद्योगिक क्रान्ति के कारण ही इंग्लैंड में नए-नए उद्योगों का जन्म हुआ। उदाहरणस्वरूप चीपला उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, रसायनिक उद्योग, र्जनी निर्यात उद्योग आदि। औद्योगिक विकास के कारण अन्य बहुत से पूरक उद्योगों का

पनपना स्वामाधिक ही था। वास्तव में इङ्गलैंड औद्योगिक क्रांति के उपरान्त विशाल काय उद्योगों का द्वीप बन गया।

कुटीर उद्योगों का पतन

बड़े पैमाने पर उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाने के कारण कुटीर उद्योग उनकी प्रतियोगिता में न टहर सके और क्रमशः उनका स्थान बड़े उद्योगों ने ले लिया। प्रो० हैमण्ड (Prof. Hammond) के शब्दों में—

‘The handicraft system of manufacturing industry passed through domestic system in which the germ of capitalism was sown to the present factory system’

व्यापार के स्वरूप में अन्तर

औद्योगिक क्रांति के उपरान्त व्यापार का स्वरूप ही बदल गया। प्राचीन समय में आवागमन के साधनों के विरहित न होने के कारण व्यापार केवल एक राष्ट्र की चहारदीवारी तक ही सीमित रहता था। अन्तर्देशीय व्यापार बहुत सीमित वस्तुओं में सम्भव हो सकता था क्योंकि लघु अर्थिक होने के कारण सभी वस्तुएँ उसको वहन नहीं कर सकती थीं। क्रांति के उपरान्त प्रायः प्रत्येक वस्तु का अन्तर्देशीय व्यापार होने लगा। भौगोलिक अर्थ विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्देशीय व्यापार पर ही निर्भर रहने लगा। प्रो० हैमण्ड (Prof. Hammond) ने ठीक ही लिखा है—

‘Before the Revolution Luxury goods for the use of the rich were the most important in the foreign commerce. After the revolution goods of daily use for popular consumption occupied the most important place’

बड़े पैमाने पर कृषि

औद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोग प्राणीय क्षेत्रों को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्रों में आने लगे जिसके कारण जनसंख्या का भार भूमि पर बहुत कम हो गया। नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप कृषि में यन्त्रों का उपयोग सम्भव हो गया। अर्थ की कमी हो जाने के कारण ऐसा अनिवार्य भी था। परिणामस्वरूप १८४६ में कृषि बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ।

वृद्ध उत्पादन एवं रहने सहने के स्तर में वृद्धि

विशालकाय उद्योगों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पत्ति होने लगी। विभिन्न प्रकार

की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य भी बहुत कम हो गये। परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं के उपभोग करने की क्षमता रखने लगा। ऐसी अवस्था में रहन-सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। प्रो० हैमण्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

“Two centuries ago not one person in a thousand wore stockings, one century ago not one person in five hundred wore them, now not one person in a thousand is without them”

शहरों की उत्पत्ति तथा श्रमिका के स्वास्थ्य एवं आवास की समस्या का प्रादुर्भाव

औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। नोल्ट के शब्दों में—

“Before 1760, the south east of England had been the richest and most populous part of the country, but after the revolution the north western part became more prominent”

शहरों की उत्पत्ति के साथ ही विभिन्न सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। जनसंख्या के आधिक्य के कारण आवास की समस्या अत्यन्त बढ़िल हो गई। गन्दी शस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और परिणामस्वरूप सरकार के सम्मुख शहर निवासियों के स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न मुख्य रूप से उपस्थित हुआ। नोल्ट के शब्दों में—

“There were no arrangements for disposing of the house refuse which always accumulates, ash pits overflowed and spread “a layer of abomination” about the courts and streets Town had always been insanitary places suffering from plague, small pox and other virulent fevers...The piling of the population on new areas made an existing evil much worse, it aggravated the filth, congestion and infection, and no machinery existed to grapple with the problem On the top of the dirt and disease came the great difficulty of the disposal of the dead The overcrowded state of the little town burial grounds added to the horrors of town life and poisoned the water supply”

उपर्युक्त समस्याओं के प्रादुर्भाव के कारण सरकार के दायित्व अत्याधिक बढ़ गये जिसके कारण नये क़रों की व्यवस्था एवं राजस्व में आमूल परिवर्तन करने की

आवश्यकता हुई। वास्तव में यह राज्य के लिए एक नवीन जटिल आर्थिक समस्या थी।

श्रमिकों की आर्थिक स्वतन्त्रता का अभाव

बड़े पैमाने की उत्पत्ति में श्रम विभाजन का होना अनिवार्य होता है। श्रम विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक को केवल एक ही कार्य सदैव करना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वह केवल सम्पूर्ण कार्य के एक भाग का ही जानने वाला बन बैठा और अपने प्राचीन कौशल को खो बैठा। एक विशेष कार्य के सम्पादित करने की योग्यता रखने के कारण वह अन्य स्थानों पर कार्य छोड़कर जाने में असमर्थ हो गया और इसलिये पूर्णरूप से वह अपने मालिकों पर आश्रित रहने लगा। अब वह केवल मशीन का दास था और अपनी आर्थिक सम्पन्नता को बढ़ाने में पूर्ण रूप से असमर्थ था।

कार्य में नीरसता

श्रम विभाजन के कारण एक ही कार्य निरन्तर करते रहने से श्रमिक अपने कार्य में नीरसता का अनुभव करने लगा और उसकी कार्यक्षमता गिर गई और इसके साथ ही उसकी श्वाय भी। नोल्स के शब्दों में—

“A spinner is required to do but one thing through out his whole life to watch a pair of wheels and to walk three steps forward and three steps backward”

श्रमिकों का शोषण

बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उद्योगपति पूँजी तथा कच्चे माल का मालिक था और श्रमिक केवल कुछ द्रव्य के बदले में उत्पादन क्रिया का सम्पादन करता था। अब वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता नहीं था, वरन् अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से अपने पूँजीपति मालिकों पर आश्रित था। मालिकों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना था। परिणामस्वरूप उन्होंने श्रमिकों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और उनका प्रत्येक रूप से शोषण किया। काम के घण्टे अधिक एवं मजदूरी कम थी, परन्तु फिर भी श्रमिक आश्रित होने के कारण उसके विरुद्ध एक शब्द भी कहने में अपने को असमर्थ पाता था। ऐसी दशाओं में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो

आत्म, स्वामित्विक, दी, था, ।

श्री टामस के शब्दों में—

“Labourers became mere attendants on machines, propertyless, moneyless and homeless”

औद्योगिक सघर्ष एवं शान्ति का अभाव

श्रमिकों में शोषण के कारण उनको पूँजीपतियों के विरुद्ध सघर्ष करने के लिए विवश होना पड़ा। हड़ताल एवं तालेबन्दी आमतौर पर होने लगे। इन औद्योगिक सघर्षों के कारण सामाजिक शांति का भंग होना स्वाभाविक ही था।

श्रमिक संघों का प्रादुर्भाव

निर्धन एवं शक्तिहीन श्रमिक अपने प्रतिद्वन्द्वी पूँजीपति से अनेके सघर्ष करने एवं अपनी दशा में सुधार करने के प्रयत्न में कभी भी सफल नहीं हो सकता था। परिणामस्वरूप उनको संघों का स्थापित करना अनिवार्य हो गया क्योंकि बिना सामूहिक शक्ति के वे विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। मोल्स के शब्दों में—

“Massed together they could discuss their grievances and the operative became ‘class conscious’ All through the 18th century trade Unions had been developing.”

संयुक्त प्रमडलों का प्रादुर्भाव (Birth of Joint Stock Companies)

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये बहुत पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इतनी संपत्ति की संपूर्ण पूँजी की पूर्ति केवल एक ही व्यक्ति के शक्ति के बाहर थी। परिणामस्वरूप संयुक्त प्रमडलों का जन्म हुआ जिसकी पूँजी विभिन्न अंशों (Shares) में विभक्त थी और उसको कई मनुष्य मिलकर समंजित करते थे। इस प्रकार इंग्लैंड में पूँजी का उपयोग समुचित रूप से सम्भव हो गया। प्रत्येक व्यक्ति बड़े बड़े सस्थानों में केवल कुछ अंश खरीद कर ही उसके मालिक होने का गौरव प्राप्त कर सकता था। इन प्रमडलों के कारण इंग्लैंड की औद्योगिक उन्नति को और भी मोत्साहन मिला।

नवीन व्यावसायिक सस्थाओं का जन्म

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के कारण नवीन व्यावसायिक सस्थाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार, दलाली आदि का स्थापित होना आवश्यक ही था। बिना इसके बड़े पैमाने की उत्पत्ति सुचारु रूप से नहीं चलाई जा सकती थी। वास्तव में वृहत् उत्पादन के ये सभी आवश्यक प्रसाधन हैं।

इंग्लैंड का कच्चे माल तथा खाद्यान्न के लिये अन्य राष्ट्रों पर निर्भर होना

भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण इंग्लैंड के लिए वह लाभप्रद था कि वह केवल उद्योगों द्वारा कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करके अन्य राष्ट्रों से अपनी खाद्यान्न की कमी को पूरा करे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं के कारण ऐसा सम्भव भी हो सकता था। परिणामस्वरूप इंग्लैंड ने कच्चा माल तथा खाद्यान्न

अन्य देशों से आयात करना प्रारम्भ कर दिया और निर्मित माल को उसके बदले में देने लगा। अब वह ज़ाद्यान की पूर्ति के लिये दूसरे देशों पर निर्भर हो गया और यह कथन सिद्ध हुआ कि यदि इंग्लैण्ड का व्यापार चला जाय तो उसकी आधी जन-संख्या चली जाय। नोल्स के शब्दों में—

“By the beginning of the 20th century Great Britain had become a great food importing nation, only one in ten of her male workers were still in agriculture, 77% of the population was massed in urban areas in 1901”

राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि

औद्योगिक उत्थान एवं वृहत् व्यापार के कारण विश्व की सम्पत्ति क्रमशः इंग्लैण्ड में आने लगी। इंग्लैण्ड का वैभव एवं सम्पन्नता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। ऐसी दशा में वहाँ के निवासियों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी।

श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि एवं उनकी आर्थिक सम्पन्नता

नवीन मशीनों के प्रादुर्भाव के कारण इंग्लैण्ड के श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप श्रमिकों को रोजगार मिलने की सुविधाएँ भी अधिक थीं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाने के कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। नोल्स के शब्दों में—

“It is admitted by every one that our skill is unrivalled, the industry and power of our people unequalled, their ingenuity as displayed in the continual improvement of machinery and production of commodities without parallel.”

सामाजिक प्रभाव

औद्योगिक क्रांति का परिणाम समाज का दो प्रतिरोधी वर्गों में विभाजित हो जाना था—एक और धनी वर्ग और दूसरी और निर्धन एवं अभावग्रस्त। इस वर्ग विभाजन का परिणाम समाज में धन के असमान वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव था। धनी वर्ग समाज में अपने प्रभुत्व के कारण निर्धनों का शोषण करने लगा जिससे वह और अधिक वैभवशाली एवं सम्पन्न बनता गया, परन्तु दूसरी और निरीह निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन बनता चला गया। इस प्रकार धन के विषम-वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ।

श्रमिकों की स्वतन्त्रता का अभाव

श्रमिकों की स्वतन्त्रता वास्तव में औद्योगिक विकास के कारण सदेव के लिए

छिन्न गई। अब वह केवल एक मजदूर के रूप में उद्योगपतियों पर निर्भर हो गया। पहले वह स्वतन्त्र रूप से खुले एवं स्वच्छ वातावरण में अपना कार्य करता था अब उसको फैक्ट्री की चहारदीवारी के अन्दर अस्वच्छ वातावरण में एक दास के रूप में कार्य करना पड़ता था। अब वह केवल आज्ञा का पालन करने वाला सेवक ही रह गया। नोल्स के शब्दों में —

“The worker disliked the regularity and the tyranny of the factory bell.”

सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव

श्रमिकों की दशा के सुधार, आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि वनाम सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव केवल औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। बच्चों तथा स्त्रियों की फैक्ट्री में काम करने की समस्या ने भी एक जटिल रूप धारण कर लिया जिसके कारण उसका सुधार करना भी आवश्यक हो गया।

शान्ति का अभाव

औद्योगिक स्पर्ध के कारण समाज में शान्ति की व्यवस्था भी एक नवीन समस्या थी जिसका प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ।

इङ्ग्लैंड एक कृषि प्रधान देश न रह कर औद्योगिक राष्ट्र हो गया

औद्योगिक विकास के कारण इङ्ग्लैंड की लगभग ७७ प्रतिशत जनता उद्योगों में लग गई। इङ्ग्लैंड खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगा। नोल्स के शब्दों में —

“Before Industrial Revolution the typical picture of John Bull represents him as a prosperous farmer, not as a captain of industry.”

उपर्युक्त घुरे प्रभावों के अतिरिक्त औद्योगिक क्रान्ति के कुछ सामाजिक प्रभाव अच्छे भी थे। सर्वप्रथम औद्योगिक विकास के कारण इङ्ग्लैंड के वेपव एवं समृद्धि में वृद्धि हुई जिसके कारण घरे समाज का रहन-सहन का स्तर बढ़ गया। लोगों की आय में पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो सकी। अब कुटुम्ब के सभी व्यक्ति अलग-अलग धन-उपाजन करने लगे जिससे सभी की आर्थिक सम्भ्रता में वृद्धि सम्भव हो सकी।

द्वितीय, काम करने की दशाओं में भी सुधार हुआ। क्रान्ति के पहले सभी कुटुम्ब के व्यक्ति मिलकर अपने निवास स्थान पर ही कार्य किया करते थे परिणामस्वरूप स्थान का अभाव रहता था। अब श्रमिक फैक्ट्री में कार्य करता था और उसके रहने का स्थान अलग था। नोल्स के शब्दों में —

“A man was physically better off in a well ventilated factory than when he worked in a home littered with the mess of the family production He no longer ate, drank and slept with the refuse of his work ”

तृतीय, सयुक्त परिवार प्रथा के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एव आर्थिक उत्थान हुआ। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलम्बी बन सका। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग आमदनी के साधन हो गये। नोल्स ने ठीक ही लिखा है —

“Although the sentimentalists were shocked at the break up of family life, yet domestic happiness is not promoted but impaired by all the members of a family muddling together and jostling each other constantly in the same room The man was improved morally by working regular hours which were said to engender regular habits ”

चतुर्थ, परिणाम यह था कि नवीन व्यवसायी के प्रादुर्भाव के कारण लोगों को अधिक काम मिलने लगा।

पाँचवाँ प्रभाव वस्तुओं की किस्मों के सुधार एव उसके सस्ते होने का था। बड़े पैमाने पर उत्पत्ति के कारण वस्तुओं का मूल्य कम होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त मशीन का बना हुआ माल हाथ द्वारा उत्पादित माल की अपेक्षा अच्छा भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में व्यक्तियों को सस्ती तथा अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध होने लगीं और उसके रहन सहन के स्तर में विकास हुआ।

छठे, श्रमिकों की बुद्धि में विकास भी औद्योगिक मशीनों के उपयोग से सम्भव हुआ। नवीन मशीनों पर कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी। वे अपने काम में दक्ष हो गये।

सातवें, कार्य करने की दशायें भी अच्छी हो गईं। स्त्रियों तथा बच्चों को तो बहुत ही राहत मिल गई। नोल्स ने लिखा है —

The creatures were set to work as soon as they could crawl and their parents were the hardest of task masters family work and the family wage often meant that the members of the family were sweated by their parents or the wife by the husband ”

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रान्ति इङ्ग्लैंड के लिये वरदान थी। इसके फलस्वरूप हो सकता है कुछ हानियाँ भी हुईं हों, परन्तु सम्पूर्ण काल

(Period of Transition) में कुछ अशान्ति होना स्वाभाविक ही है। वास्तविकता तो यह है कि औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैंड ऐसे छोटे से द्वीप की सत्ता सारे विश्व में राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जमा दिया और वह एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र बन गया। नोल्ल के शब्दों में :—

“The 16th century was the century when Spain swayed the economic destinies of Europe..... The 17th century belongs to Holland with her vast exchange business and shipping, the 18th is the century of France with her great industrial, commercial and colonial development.....but the 19th century is the century of the predominance and world-wide influence of this tiny island on the outskirts of Europe”

यह औद्योगिक क्रान्ति का ही परिणाम था कि इंग्लैंड अपना राजनैतिक प्रभुत्व समस्त विश्व के लगभग १/४ भाग पर जमा सका। इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें कभी सूर्य ही अस्त न होता हो कदाचित् इंग्लैंड का प्रथम एवं अन्तिम उदाहरण होगा। इंग्लैंड सारे विश्व के आर्थिक जगत का भाग्य-निर्माता बन गया। नोल्ल ने ठीक ही लिखा है —

“England became the forge of the world, the world's carrier, the world's ship-builder, the world's banker, the world's work-shop, the world's clearing house, and the world's entrepot.”

द्वितीय खण्ड

“भारतीय कृषि की समस्याएँ”

- (१) भारतीय कृषि का विकास
- (२) भारत में अकाल
- (३) खाद्य-समस्या
- (४) सिंचाई व्यवस्था
- (५) कृषि भूमि उपविभाजन एवं उपखडन
- (६) कृषि पदार्थों का विक्रय
- (७) भूमि व्यवस्था
- (८) कृषि नियोजन
- (९) सामुदायिक विकास योजनाएँ
- (१०) मूल्यों का स्थिरीकरण

भारतीय कृषि का विकास

(Evolution of Indian Agriculture)

“जब रोती फलती फूलती है, तब सब धन्धे पनपते हैं, किन्तु जब भूमि को बजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धन्धे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।”

मुकराव

भारतवर्ष आदि काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ही देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे देश का न केवल एक उद्योग घषा ही है और न केवल यह जीविकोपार्जन का साधन मात्र ही, वरन् यह वास्तविक रूप में राष्ट्र का प्राण है। कृषि कार्य एक प्रमुख राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र-सम्पत्ति एवं समृद्धि एक मात्र कृषि की समृद्धि एवं उन्नति पर निर्भर है। आज यह निर्विवाद सत्य है कि कृषि की उन्नति पर ही हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति, शान्ति, सुख एवं समृद्धि निर्भर है। आज भी लगभग ८० प्रतिशत भारतीय जनता कृषि उद्योग पर ही निर्भर है। कृषि पर ही किसी देश की लाच सामग्री की उपलब्धि निर्भर है और साथ ही साथ अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी। यही कारण है कि औद्योगीकरण के इस बढ़ते हुए युग में भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। वस्तुतः कृषि ही हमारे राष्ट्रीय सम्पत्ति की मुख्य आधारशिला है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी विगत चार सौ वर्षों का भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषक का दयनीय, दुःखद एवं दरिद्रता की रोमाञ्चकारी एवं कदर कहानी है। भारताय मान्यता के इस प्रतीक ने शताब्दियों तक लगान, कर, नजराने का फरार तोड़ देने वाला बौद्ध ढोया है। लेकिन इतने पर भी वह विचलित नहीं है। युगों युगों की निराशा और क्लेश ने उसको भाग्यवादी बनाकर छोड़ दिया है और उसने समझ लिया है कि यह सब किस्मत का खेल है।

प्राचीन काल में (१८५७ के पूर्व) कृषि की दशा

हमारे देश की जल वायु, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि ही हमारे देश के आर्थिक विकास की आधारशिला थी। कृषक-परिवार छोटे

छोटे समूहों में अपने निकट की कृषि भूमि के पास निवास करने लगे और ये स्थान ही उनके ग्राम कहलाने लगे थे। कृषि इन परिवारों द्वारा छोटे पैमाने पर की जाने लगी। इस प्रकार कृषि का विकास एक छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं के लिए उसे स्वावलम्बी (self sufficient) बना देना था। इस प्रकार प्राचीन काल में ग्राम एक आर्थिक स्वावलम्बी इकाई के रूप में होता था। प्रत्येक गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहाँ के निवासियों को गाँव को छोड़ कर अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य स्थान या व्यक्तियों पर निर्भर न होना पड़े। प्रत्येक गाँव का मुख्य उद्यम कृषि था। कृषि से खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कपास, गन्ना, तेलहन, जूट इत्यादि वस्तुएँ भी प्राप्त होती थीं। प्रत्येक गाँव में कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, जूतों तथा खेती के लिए चमड़े का सामान बनाने वाले चमार, सफाई करने वाले मेहतर, बच्चा पैदा कराने वाली दाई, कपड़े धोने के लिये धोशी, हजामत बनाने के लिए नाई, अन्य छोटी-छोटी वस्तुओं के बेचने वाले बनिए, उधार धन देने का कार्य करने वाले महाजन, लोहे व लकड़ी का सामान बनाने वाले लोहार बढई, सुरक्षा के लिए चौकीदार, कृषि भूमि का हिसाब किताब रखने के लिये पटवारी, आपसी झगड़ों का निवारण करने के लिए गाँव का मुखिया होता था। इस प्रकार गाँव एक स्वावलम्बी आर्थिक एवं सामाजिक इकाई थी। गाँवों की स्वाधीनता के कारण यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ क्योंकि आवश्यकताएँ ही आविष्कार की जननी हैं। स्वावलम्बिता को पुष्ट करने के लिए आवश्यकताएँ कम से कम हो यह आवश्यक था। आवश्यकताओं की वृद्धि पर धार्मिक भावना अकुश लगाती थी।

कृषि में काम आने वाले पशु तथा दूध देने वाले पशु पाले जाते थे। कृषि में उत्पादित वस्तुओं के द्वारा आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग प्रत्येक परिवार में किये जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक गाँव कृषि के सहायक एवं कृषि पर निर्भर उद्योग धर्मों का कन्द्र था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी और वर्षा की अनिश्चितता के कारण प्रायः कृषि में उत्पादन अत्यन्त अल्प होता था। उस समय कृषि का सकट काल अर्थात् अकाल की समस्या उपस्थित हो जाती थी। ऐसे अवसरों पर कुटीर उद्योग कृषकों की रक्षा करते थे और सम्पूर्ण ग्राम निवासी सहकारिता के आधार पर एक दूसरे की सहायता करके सकट काल पर विजय प्राप्त कर लेते थे। आवश्यकताओं के न्यूनतम होने के कारण मुद्रा द्रव्य का प्रयोग नहीं होता था। वस्तु विनिमय मुख्यतः प्रचलित था। इस प्रकार का विनिमय प्रायः समय-समय पर किसी एक स्थान पर सभी व्यक्ति एकत्रित होकर कर लिया करते थे। इन स्थानों को हाट या बाजार कहा जाता था। तीर्थ स्थानों पर भी लोग एकत्रित होते थे और वहाँ पर

भी वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता था। यातायात का मुख्य साधन बैलगाड़ी या खच्चर, घोड़े और गधे थे। ऊँची ज़मीं पर ऊँट गाड़ियाँ भी प्रचलित थीं।

सम्पूर्ण कृषि भूमि उस स्थान के प्रमुख व्यक्ति अर्थात् राजा, तालुकेदार या जमींदार की होती थी। कृषक को राजा के लिए कृषि से उत्पादित वस्तुओं के रूप में जो कि सम्पूर्ण वार्षिक उत्पादन का एक निश्चित अंश होता था लगान के रूप में देना पड़ता था। इसके बदले राजा अपनी प्रजा की रक्षा करना तथा उनको सुविधा प्रदान करना अपना कर्तव्य समझता था।

हिन्दू सभ्यता के युग में भारतीय ग्रामों में धन धान्य, सुख, शान्ति एवं समृद्धि भरपूर थी। जनता सुखी थी तथा उच्च विचार एवं सादा जीवन के सिद्धान्त पर सभी चलते थे। इसी कारण से प्राचीन काल में हमारे देश में बड़े से बड़े विद्वान, कवि, कलाकार तथा सत महात्मा उत्पन्न हुए जिनके अतीत गौरव से हम अब भी अपना मस्तक गर्व से ऊपर उठा सकते हैं। मौर्य काल एवं गुप्तकाल में विदेशी यात्रियों ने कृषि उद्योग एवं नहीं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारे देश की कृषि अत्यन्त समृद्धशाली एवं उन्नतिशील थी।

मध्यकालीन युग में (१२५७ से पूर्व) कृषि की दशा

हिन्दू राज्य काल के समाप्त होने पर हमारे देश में मुसलमानों का राज्य शासन स्थापित हुआ। इन बादशाहों ने हमारे ग्राम समूहों से कोई छेड़ छान नहीं की अतः हमारे ग्रामों के समूहों की रूप रेखा लगभग वही बनी रही जो कि प्राचीन काल में थी। इन शासकों से कुछ ने तो कृषि की उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न किये जैसे शेरशाह के समय में भूमि की नाप जोख हुई तथा उपजाऊपन के अनुसार कृषि का वर्गीकरण भी किया गया। सिंचाई के लिए कुएँ तथा तालाबों एवं नहरों के निर्माण भी किये गये। अकबर, शाहजहाँ और जहाँगीर के समय में भी इसी प्रकार राज्य की ओर से कृषि की उन्नति के प्रयत्न किये गये।

औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य के अधःपतन का काल आया। केन्द्रीय शासन कुछ टूटने लगा तथा कर वगैरह करने में कठिनाइयाँ आने लगीं। कर एकत्रित करने के लिए राज्य की ओर से कुछ व्यक्तियों को कृषकों से कर वसूलने के ठेके दिये जाने लगे। इससे जनसंख्या का भार कृषि पर अत्यधिक बढ़ गया। सन् १६७० ई० के बर्नियर इतिहासकार के वर्णन से पता चलता है कि राज्य कर्मचारियों, जमींदारों तथा ठेकेदारों के भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता के कारण कृषकों पर अत्याचार तथा उनका शोषण होने लगा और इन सब कारणों से कृषि की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। कृषकों से जबरदस्ती बेगार ली जाती

थी। व गांधी को छोड़ कर अत्याचार से पीड़ित होकर भागे-भागे फिरते थे। कृषकों की दशा न दयनीय वर्णन करते हुए पेलसर्ट महोदय लिखते हैं—

“इन अभागों के जीवन की यह सन्निपन्न कथा है। इन दासों की तुलना उन घृणित केचुआ तथा छोटी छोटी मछलियाँ से की जा सकती है जो चाहे जितना प्रयत्न करने पर भी सामुद्रिक बड़े बड़े दानवाकार जलजीवों से अपनी रक्षा में असमर्थ हैं और किसी भी ममय उनके द्वारा मक्षण कर लिए जा सकते हैं। इस देश के महलों में यहाँ की सम्पत्ति केन्द्रित है। वह सम्पत्ति जो कि वास्तव में चमचमाती हुई है किन्तु वह असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों की पसीने की कमाई एवं संप्रहीत सम्पत्ति है जो उनसे छीन ली गई है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन युग में कृषि की दशा अत्यन्त शोचनीय थी और मध्यस्थों, जागीरदारों, जमींदारों, ठेकेदारों तथा ताल्लुकेदारों के खूनी पक्षों में भोली भाली, निर्धन एवं असहाय कृषक जनता तड़प तड़प कर जीवित रहने का प्रयत्न कर रही थी।

इसके बाद और तो मुगल साम्राज्य का अक्षयवन हो रहा था और उबर अंग्रेज शासन की नींव ईस्ट इंडिया कम्पनी का रूप में पड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के समय में भी कृषकों की वही दयनीय एवं शोचनीय दशा रही। अंग्रेज भी मध्यस्थों एवं जमींदारों के सहयोग से कृषकों का भरसक शोषण करते रहे। उन्होंने निर्दयतापूर्वक कृषकों का शोषण करके और उनकी समस्त सम्पत्ति उनसे छीन कर अपने देश को ले जाते रहे। इस काल में अनेक रोमांचकारी अकाल पड़े जिनमें पड़ी सख्या में ग्रामीण जनता का नाश हो गया। कुटीर उद्योगों का हास, असह्य दरिद्रता, निरक्षरता, असहाय शोषण एवं अत्याचार का बोल बाला हो गया। इस काल की कृषि का इतिहास अत्यन्त शोचनीय एवं दयनीय इतिहास है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगलकाल एवं ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में कृषि के ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कृषि करने के जिन तरीकों को कृषक चिरकाल से अपनाते चले आ रहे थे वही ढंग अपनाये रहे। सन् १८१२ में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने यहाँ के शासन की बागडोर सभाली तब उसका उद्देश्य एवं उसकी नीति का मूल मंत्र भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ों को मजबूत करना तथा राज्य संचालन के लिए कृषकों का शोषण करके अधिक से अधिक मालगुजारी प्राप्त करना था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को आर्थिक शृङ्खलाओं में जकड़ कर ब्रिटिश शासन की नींव दृढ़ करना और साथ ही साथ इङ्गलैंड के वेमंत्र को भारतीय सम्पत्ति द्वारा और अधिक वैभवशाली बनाना था। यही नहीं भारतीय एकता

को नष्ट करना भी शासन को दृढ़ करने के लिये आवश्यक था। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मध्यस्थों का बाहुल्य आवश्यक था। अतः जर्मिंदारों के रूप में कम्पनी ने अपने बी हुजूरों एवं पिट्टुओं को जन्म दिया जिन्होंने अपने भाइयों पर ही अत्याचार करके भारतीय एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। इनके कारण ही भारतीय कृषकों का निरन्तर आर्थिक शोषण होता रहा और परिणामस्वरूप ये कृषक निराशावादी, हतोत्साहित एवं किर्कृतव्यविमूढ़ हो बैठे। उनकी उत्पादक कार्यक्षमता नष्ट हो गई और वे क्रमशः अवनति की ओर अग्रसर होते चले गये। सन् १८५७ तक भारतीय कृषि पतन की सीमा पार कर चुकी थी और भारतीय कृषक पूर्ण रूप से वर्जित हो गया था। वास्तव में १८५७ की क्रान्ति की पृष्ठभूमि में जनता की यह असतोष की भावना ही मुख्य थी।

१८५७ के उपरान्त कृषि की दशा

सन् १८५७ के बाद देश का राज्य शासन ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के हाथ में चला गया। अंग्रेजी शासन ने भारत पर पूर्णतया शासन करने का निश्चय कर लिया था और उन्हें पूर्णतया विदित हो गया था कि भारतीय बजट की समृद्धि यहाँ की कृषि पर ही निर्भर है। अतः सरकार ने कृषि की ओर अपनी सहानुभूति दृष्टि डालना प्रारम्भ कर दिया। एक ओर तो सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ और दूसरी ओर इस समय तक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव भी पूर्णतया भारत पर पड़ रहा था। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन करने वाले उद्योगों की बहाँ-तहाँ स्थापना होने लगी। विदेशी माल के मुकाबले देशी कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल बाजार में न टहर सका। कृषि उद्योग की पिछड़ी हुई दशा, कुटीर उद्योगों का हास, गाँवों से लोगों का नगरों में निरन्तर आना इत्यादि परिवर्तन प्रारम्भ हो गये। औद्योगिक क्रान्तिजनित परिवर्तनों के कारण हमारे देश के आर्थिक ढाँचे में भी बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। १८५७ की क्रान्ति ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट रूप से आभास दिला दिया कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और बिना कृषकों की असतोष की भावना को निर्मूल नष्ट किए अंग्रेजी शासन की नींव दृढ़ नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शासन को नियमपूर्वक चलाने के लिए आवागमन के साधनों के विकसित करने की समस्या का भी प्रादुर्भाव हुआ। परिणामस्वरूप सरकार की कृषि नीति में परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ आवागमन के साधनों में भी पर्याप्त बुद्धि होने लगी। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय कृषि में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। इन परिवर्तनों की मुख्य मुख्य बातों का वर्णन निम्नलिखित है।

गाँवों की स्वावलम्बिता का हास

यातायात के साधनों में वृद्धि हुई। विदेशी माल के बाजार में प्रचुर मात्रा में होने के कारण लोगों की नवीन आवश्यकताएँ बढ़ीं और ग्रामीण जनता ग्रामों से नगर की ओर जाने लगी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि गाँवों की स्वावलम्बिता और आर्थिक सगठन छिन्न भिन्न हो गया। ग्रामीण जनता वस्तुओं का क्रय-विक्रय अन्य स्थानों से करने लगी। आवागमन के साधनों के विकसित हो जाने के कारण ग्रामवासी समस्त विश्व से सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सके। वे वस्तुएँ जो केवल शहरवासियों के लिये ही सुलभ थीं ग्रामवासियों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ बन गईं। कृषक केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जो उसके लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी थीं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को अन्य स्थानों से क्रय करने लगा और इस प्रकार दूसरों पर आत्म निर्भर रहने लगा। वस्तुओं के क्रय विक्रय में प्रतियोगिता होनी प्रारम्भ हो गई। प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं के मूल्य में बहुत परिवर्तन होने लगे। अब मूल्य स्थानीय नहीं रहा, धरन् समस्त ससार में प्रचलित मूल्य से प्रभावित होने लगा।

सयुक्त परिवारों का विघटीकरण

पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण और पाश्चात्य नियमों के चालू हो जाने के कारण लोगों में स्वार्थ बुद्धि की प्रेरणा मिली। नए-नए अंग्रेजी कानूनों के द्वारा भी इस भावना को प्रोत्साहन मिला। अतः सयुक्त परिवार छिन्न-भिन्न होने लगे। निधनता एवं यातायात के साधन की उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता अपने घर छोड़ छोड़कर जीविकोपार्जन करने के लिए अपने गाँवों को छोड़कर दूसरे स्थानों को जाने लगी और इस प्रकार भी सयुक्त परिवारों का सगठन बहुत कुछ शिथिल हो गया।

वस्तु विनिमय के स्थान पर द्रव्य (Money) विनिमय

वस्तु विनिमय के स्थान पर अब द्रव्य विनिमय को प्रोत्साहन मिलने लगा। लगान भी द्रव्य में ही लिया जाने लगा। वस्तुओं के बाजार अब बहुत दीर्घकाल तथा विस्तृत हो गए। अतः द्रव्य विनिमय की आवश्यकता पड़ी। वस्तु विनिमय धीरे धीरे समाप्त होने लगा तथा द्रव्य विनिमय का प्रचलन शीघ्रता से होने लगा। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी हुआ कि कृषि का व्यापारीकरण हो गया अर्थात् कृषि का उद्देश्य कृषि वस्तुओं को बेच कर लाभ कमाना हो गया। आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण बाहर से वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। ऐसी अवस्था में वस्तु विनिमय सम्भव नहीं हो सकता था। अतः द्रव्य विनिमय का होना

अनिवार्य हो गया। खेतों का लगान, श्रमिकों की मजदूरी एवं वस्तुओं का क्रय विक्रय सभी मुद्रा में होने लगा।

यातायात, सिंचाई एवं कृषि-विज्ञान की उन्नति

यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में विकसित हुए। रेलवे व मोटरकार इत्यादि का प्रयोग होने लगा। सड़कें बनाई गईं। देश का प्रत्येक स्थान एक दूसरे से सम्बन्धित हो गया। साप्ताहिक यातायात क उपलब्ध होने क कारण देश का सम्पर्क विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों से हो गया। सिंचाई के साधनों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई तथा कृषि में वैज्ञानिक आविष्कारों तथा खोंों का प्रयोग होना प्रारम्भ हो गया। बैंकों और सहकारी समितियों का प्रचार हुआ और कृषि उद्योग को आर्थिक सहायता सुगमता से उपलब्ध होने लगी। यातायात के साधनों एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने के कारण कृषि एवं कृषकों की दशा में सुधार हुआ तथा देश की सुपुत प्राकृतिक साधनों का विकास सम्भव हो सका। इस प्रकार इन सबका देश के आर्थिक विकास पर बड़ा अच्छा प्रभाव पडा।

कृषि का व्यापारीकरण होना

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति क प्रभाव, रेलों एवं सड़कों के निर्माण, स्वेज नहर क निर्माण, सवाद के साधनों का विकास तथा अमरीकी गहदुद के फलस्वरूप भारतीय कृषि का व्यापारीकरण हुआ अर्थात् कृषि कार्य व्यापारिक उद्देश्य से किया जाने लगा। कृषि में उत्पादित वस्तुयें ससार के सुनूर देशों में जाकर बिकने लगी। भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा और भारतवष विश्व के कच्चे माल के निर्यात करने वाले देशों में एक प्रमुख देश बन गया। भारत के कच्चे माल जैसे रुई, चूट, तेलहन, कह्या, और चाय के लिए बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र उपलब्ध हो गया। सन् १८५६ से १८६४ तक इंग्लैण्ड क लिए भारत की रुई का निर्यात ५,०६,६६५ गाँठों से बढ़ कर १४,००,००० गाँठों हो गया था। रुई का माव भी काफी बढ़ गया था। भारत से गेहूँ और चावल भी निर्यात किया जाने लगा। इस प्रकार हमारे देश की कृषि वस्तुयें दो वर्गों में बँट गई—(क) खाद्य वस्तुयें और (ख) व्यापारिक वस्तुयें। सिंचाई के साधनों में पर्याप्त वृद्धि क कारण भारतीय कृषकों की व्यापारिक फसलों के उत्पादन में बहुत सहायता मिली। इस सुविधा के कारण उत्पादन व्यय भी कम होने लगा। विश्वव्यापी बाजार में इन वस्तुओं का माँग होने क कारण, व्यापारिक फसलों के बेचने पर अधिक लाभ भी होने लगा। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषक क्रमशः व्यापारिक फसलों की ओर अधिक आकृष्ट होने लगा। अब वह केवल अपने ग्राम का ही उत्पादक नहीं था वरन् समस्त ससार का उत्पादक बन चुका था। डा० बलजीत सिंह ने ठीक ही लिखा है—

“ A village is, however, no longer isolated, and marketing has become an integral part of the farmer's job. Commercialization of agriculture in the sense of its organization as a business is nowhere to be found except on the industrial plantations, but the ordinary cultivator has been obliged to grow more for commerce. Unlike his forefathers, an Indian cultivator today is both a farmer and a dealer ”

भूमि की मालगुजारी का निश्चित किया जाना

सन् १८५७ के पश्चात् सम्पूर्ण भारत की कृषि भूमि की नाप तथा उपजाऊ शक्ति के आधार पर उसका लगान निश्चित किया गया। विभिन्न प्रदेशों की कृषि भूमि स्थायी, महलवारी, जमींदारी तथा रैयतवादी लगान व्यवस्था के अन्तर्गत कर दी गई। कृषकों के हितों की रक्षा के लिए कृषि अधिनियम बनाए गए। इन सब कार्यों का प्रभाव यह हुआ कि कृषि की दशा बहुत कुछ पहले की अपेक्षा सुधरी और कृषि उद्योग एव लामकारी उद्योग माना जाने लगा परन्तु भूमि वितरण एव व्यवस्था व दूषित होने के कारण कृषि की उन्नति से प्राप्त लाभ कृषक को न मिलकर मध्यस्थों के हाथों में ही केन्द्रित होने लगा। सन् १८५७ के उपरांत ब्रिटिश शासन की नींव टूट हो गई तब समस्या जनता द्वारा अधिक कर वसूल करने की उत्पन्न हुई। सरकार बिना करों के अपनी शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला सकती थी। भारतीय बजट मानसूत पर निर्भर है, केवल इसीलिये कहा जाता है कि यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है और राजकीय कोष का अधिक भाग इन्हीं कृषकों से करके रूप में आता है। यदि कृषि की दशा अच्छी होगी तो कर भी अधिक मात्रा में वसूल किये जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि पर इङ्ग्लैण्ड की कच्चे माल की प्राप्ति निर्भर थी। यही नहीं कृषकों की दरिद्रता एव असन्तोष की भावना ब्रिटिश राज्य की नींव टूट करने में बाधक थे। परिष्कृत स्वरूप कृषकों की दशा सुधरना विदेशी सरकार का प्रथम कर्तव्य हो गया। उनको शोषण से बचाने के लिए एव अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से मालगुजारी का निश्चित करना आवश्यक हो गया।

कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में खण्डन एव उपखण्डन

श्रौद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव, भूमि के मूल्य में वृद्धि, पाश्चात्य देशों से प्राप्त व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, कुटीर उद्योगों के हास तथा ऋणप्रस्तता इत्यादि कारणों से हमारे देश की कृषि भूमि तेजी के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगी तथा एक व्यक्ति के अधिकार में रहने वाले टुकड़े

एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो गए। भूमि उपखरबदन तथा उनके छितरे होने की समस्या आगे कृषि की प्रमुख समस्याओं के वर्णन में विस्तृत रूप से की गई है।

कृषि-मजदूरों के वर्ग का प्रकट होना

श्रीलोकिक-क्रान्ति के प्रभाव के फलस्वरूप गावों की स्वावलम्बिता नष्ट हो गई। देश के मशीन उद्योगों ने कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। अतः फलस्वरूप गावों में एक भूमि-हीन कृषि-मजदूर वर्ग उत्पन्न हो गया। ये लोग या तो नगरों में जाकर मशीन उद्योगों में कार्य करने लगे या जमींदारों तथा बड़े-बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी पर कार्य करने लगे। खेतिहर मजदूरों के वर्ग की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। कृषि-मजदूरों का घनी कृषकों द्वारा बुरी तरह शोषण किया जाने लगा। आज भी हमारे देश में कृषि मजदूरों की समस्या एक जटिल समस्या बनी हुई है।

भूमि का वास्तविक खेतिहरों के हाथों से निकल कर महाजनो आदि के हाथ में आ जाना

भारतीय कृषक की अशिक्षिता के कारण पूँजीपतियों ने उनका शोषण प्रत्येक रूप से किया। जमींदारों ने अत्यधिक लगान लेकर एव महाजनो ने अत्यधिक ब्याज पर ऋण देकर निरीह किसानों को दरिद्रता के सागर में डुबो दिया। अशिक्षिता के कारण ही कृषक बढ़ते हुए कृषि-पदार्थों के मूल्यों से कोई भी लाभ न उठा सके। कृषि में किसी प्रकार के स्थायी सुधार न होने के कारण कृषि उपज में भी निरन्तर हास होता गया। परिणामस्वरूप खेतों को रेहन रखकर ही कृषक ऋण लेने लगा। ऋण का अदा करना ऐसी दुःख परिस्थितियों में उनकी क्षमता के बाहर था और साहूकार के ब्याज के कारण तो और भी कठिन हो गया। इस प्रकार उनकी भूमि क्रमशः साहूकारों के पास जाने लगी जो स्वयं खेती नहीं करते थे और वास्तविक कृषक केवल भूमिहीन कृषि श्रमिक ही रह गया। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन के हास में और भी अधिक पड़ना स्वाभाविक ही था। कृषि उद्योग के निरन्तर अवनति की ओर अग्रसर होने का यही मुख्य कारण रहा है क्योंकि स्थायी अधिकार न होने के कारण वास्तविक कृषकों ने भूमि पर स्थायी सुधार करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में निरन्तर हास होता चला गया।

अकाल की प्रकृति में अन्तर

आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण अकाल की प्रकृति ही विस्तृत बदल गई। प्राचीन समय में रेलों तथा सड़कों के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाद्यान्त भेजना अत्यन्त कठिन कार्य था। यही कारण रहा कि प्राचीन समय में

जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ता या तब उत्तरी भारत में खाद्यान्न का आधिक्य रहता था, परन्तु ऐसा होते हुए भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गल्ला न भेज सकने की कठिनाई के कारण लाखों व्यक्ति भूख से मृत्युल होकर जाल के गाल में चले जाते थे। परन्तु अन्न आवागमन के साधनों में पर्याप्त विकास हो जाने के कारण खाद्यान्न न केवल एक राष्ट्र के विभिन्न स्थानों से बरन् विश्व के किसी कोने से भी उपलब्ध किया जा सकता है बशर्त कि उसका मूल्य सुगतान करने की क्षमता हो। अतः अन्न अकाल खाद्य सामग्री के अभाव का प्रतीक न होकर, देशवातियों की न्यत्र शक्ति के अभाव का प्रतीक बन गया।

कुटीर उद्योग बन्धों की अवनति एवं असतुलित आर्थिक विकास

आवागमन न साधना न अन्नार वृद्ध एवं प्रविष्ट शासकों की स्वतंत्र व्यापारिक नीति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों को इङ्गलैंड के विशालकाय उद्योगों से प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व खाना पड़ा। इन बड़े-बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में भारत के छोटे उद्योग अधिक समय तक न टिक सके और भारत अपने अतीत के क्लान-कीशल के गौरव को खो बैठा। श्री आर० सी० दत्त के शब्दों में—

“इङ्गलैंड में मशीन से चलने वाले कारखे के आधिपत्य ने भारतीय उद्योगों के पतन को सम्पूर्ण कर दिया।”

इन उद्योगों के विनाश के कारण भारत पूर्णतया कृषिप्रधान देश रह गया और यहाँ का आर्थिक विकास असतुलित हो गया। इससे अतिरिक्त इन उद्योगों की विस्थापित जनसंख्या के लिए कृषि के अतिरिक्त कोई और साधन न था। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का भार भूमि पर और अधिक बढ़ गया। कृषकों की आर्थिक दशा और बिगड़ने लगी। उनके पास अपने आर्थिक विनाश का कोई अन्य साधन न रह गया। भारत प्रमुख रूप से कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया और यहाँ के औद्योगिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया।

सरकारी कृषि नीति

सन् १८५७ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में किसी भी प्रकार की स्थायी कृषि नीति नही अपनाई गई। १८५७ के उपरान्त भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के द्वारा होने लगा। तभी से जनता की आर्थिक समस्याएँ सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकीं। सरकारी नीति के कारण इस काल में कृषि की पर्याप्त उन्नति हुई। यदि इस कृषि के पुनर्निर्माण का काल कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। इस काल में हमारे देश में कई बड़े भयंकर दुर्भिक्ष भी पड़े जिनसे कृषि की उन्नति की आवश्यकता की अनिवार्यता से सरकार पूर्णतया परिचित हो गई। दुर्भिक्ष

कमीशनें नियुक्त की गईं जिनका विस्तृत वर्णन आगामी अध्याय में 'भारत में अकाल की समस्या' के अन्तर्गत किया गया है। इन कमीशनों ने कृषि की उन्नति के पर्याप्त सुझाव दिए परन्तु भारत सरकार ने कृषि में सुधार करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया और करीब-करीब १० वर्ष केवल सम्मेलन बुलाने एवं वस्तु-स्थिति की जांच करने में व्यतीत हो गए। १८६६ के लगभग भारत सरकार ने कृषि-विभाग की स्थापना की। १९०४ में कृषि को पूँजी प्राप्त कराने तथा कृषकों की आर्थिक दशा के सुधारने के उद्देश्य से सर्वप्रथम सहकारिता अधिनियम बनाया गया जिसका संशोधन सन् १९१८ में किया गया और सहकारिता आन्दोलन का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। सन् १९०५ में इम्पीरियल तथा प्रान्तीय कृषि विभागों की स्थापना हुई। १९०६ में भारतीय-कृषि सेवा का संगठन किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि उन्नति के विषय में विचार-विमर्श के लिए कई सम्मेलन इत्यादि बुलाए गए। कृषि-अनुसंधान तथा खोज करने के भी प्रयत्न किये गये तथा कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार सन् १८२७ के उपरान्त बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशकों तक के समय में कृषि उद्योग में सुधार हुए और सरकार द्वारा प्रयत्न भी किए गए, परन्तु कृषि विकास एवं इसके नवीनीकरण करने की राष्ट्रव्यापी ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी। प्रान्तीय सरकारों ने कृषि अनुसंधान तथा सुधार के नामित कुछ छुटपुट प्रयत्न अवश्य किये किन्तु रायल कमीशन के मतानुसार—

“यह समस्या जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था, उसका रूप इतना गंभीर था कि कुछ भी करना उनके लिये कठिन हो रहा था। न तो उनके पास दत्त कर्मचारी ही थे और न अपनी सिफारिशों को मनवाने के लिये उनके पास कोई संगठन ही था।”

इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ तथा अधिक उत्पादन एवं उससे प्राप्त लाभों का केन्द्रीयकरण मुख्यतः मध्यस्थ वर्गों के हाथ में हुआ। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न अनेक कृषि समस्याएँ उत्पन्न हो गईं जिन्होंने कृषि सुधार कार्य को अत्यन्त जटिल बना दिया। परिणामस्वरूप भारतीय कृषि आज भी अपने उन्हीं रास्तों पर चली आ रही है जिन पर वह शताब्दियों से चल रही थी। कृषकों का वही सर्वोच्च दृष्टिकोण, उनकी गरीबी, उनका संगठन, उनके उत्पत्ति के तरीके तथा उनकी प्रति एकड़ उपज सभी में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इतना अवश्य हुआ कि भारतीय कृषक जहाँ पहले साध पदार्थों का ही उत्पादन करता था वहाँ अब व्यापारिक फसलों की माँग के कारण इनका भी उत्पादन करने लगा जिससे उसकी आय में कुछ वृद्धि अवश्य हुई। परन्तु भारतीय कृषि एवं कृषकों का मूल दर्जा वैसा ही बना रहा। अंग्रेजी

शासन में तो देश की अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित होती चली गई क्योंकि विदेशी सरकार की शोषण नीति के फलस्वरूप हमारे देश की औद्योगिकीकरण की गति बहुत ही मन्द रही और खेतों पर ही अधिकाधिक लोग निर्भर रहने लगे। परिणामस्वरूप कृषि अविकसित और हीन होती गई, पैदावार गिरती चली गई और अलापकर आराजियों पर बहुत अधिक मानव श्रम नष्ट होने लगा। भूमि खेती न करने वाले मालिकों के हाथ में जा पहुँची जो केवल लगान बसूल करने में ही दिलचस्पी रखते थे और इस प्रकार भूमिहीन खेतिहरों की संख्या बेतरह बढ़ती चली गई। श्रम-प्रस्तता और भी अधिक बढ़ने लगी। भारत का मुख्य उद्योग कृषि भी एक पिछड़ा उद्योग रह गया, अन्य उद्योगों की प्रगति का तो प्रश्न ही नहीं। यही कारण है कि वीरा एन्स्टे (Mr Vera Anstey) ने लिखा है—

“The crumbling of the authority of caste, the loosened bonds of religion, the adoption of the western ‘Economic outlook’ and acceptance of western methods and ideals have as yet affected only a tiny percentage of the people. The masses undoubtedly still live in the material surroundings and retain the social outlook of mediaevalism.”

परन्तु विदेशी सत्ता की शृङ्खलाओं के टूट जाने के उपरान्त भारत अपने निर्माण के पथ पर शीघ्रता से चल पड़ा है। भारतीय कृषकों के जीवन में नवीन चेतना एव जागृति का प्रादुर्भाव हो चुका है। आवागमन के साधनों में विकास, बहुमुखी सिंचाई योजनाओं, भूमि व्यवस्था में सुधार, सामुदायिक योजनाओं एव कृषि में वैज्ञानिकीकरण के कारण आज भारतीय ग्राम्य जीवन नवीन आशा की किरण से जगमगा उठा है। अब भारतीय कृषक अपनी भूमि का स्वयं मालिक एव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उसकी आर्थिक शृङ्खलाएँ क्रमशः स्थिर होती जा रही हैं और वह स्वतंत्रता की स्वर्णिम आभा से प्रदीप्त उल्लास एव उत्साह के मध्य अपने नव-निर्माण के पथ पर अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ भारत का औद्योगिक विकास भी निरन्तर प्रगति की ओर जा रहा है। इस प्रकार संतुलित अर्थ-व्यवस्था का शिलान्यास हो चुका है और कृषि अर्थ व्यवस्था में सक्रमण-काल का अन्त स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा है। निःसन्देह वह समय दूर नहीं जब भारतीय कृषि पुनः अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर सकेगी और भारतीय जनजीवन नवीन आभा से पुनः प्रदीप्त हो उठेगा।

भारत में अकाल

(Famines in India)

ऐतिहासिक सिंहावलोकन

भारतीय आर्थिक विकास का इतिहास प्रलयकारी एवं बीभत्स अकालों का इतिहास है। वास्तव में इन अकालों में अपार नरसंहार एवं मानव की दयनीय स्थिति का वर्णन करने में लेखनी काँपने लगती है, हृदय रोमांच से भर उठता है और मानव विवेकमूल्य हो जाता है। हमारे राष्ट्र का प्रमुख उद्योग कृषि, जिस पर सम्पूर्ण देश का जन जीवन निर्भर है, मानसून की वर्षा का लुभ्राँ है। सिंचाई के साधनों के अविश्वसित होने के कारण, भारतीय कृषि का भाग्य सदैव वर्षा पर निर्भर रहा है और मानसून की अनिश्चितता के कारण अनाकृष्टि एवं अतिवृष्टि दोनों का ही शिकार होता रहा। परिणामस्वरूप प्रकृति का विनाशकारी ताडव नृत्य अकाल के रूप में भारत के बद्धस्थान पर सदैव होता रहा और भारतीय अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती रही। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारत में स्थापानिक रूप से अकाल प्रति पाँच वर्ष बाद एवं बड़े अकाल प्रति दस वर्ष उपरान्त दृष्टिगोचर होते रहे। इन अकालों में खाद्यान्न के अभाव के साथ ही साथ चारे की कमी हो जाने के कारण पशुओं का अपार भी लाशों की गुरुता में प्रारम्भ हो जाता था। अकाल के प्रादुर्भाव होने पर छूत की बीमारियों का प्रकोप भी उड़ा उग्र रूप धारण कर लाशों मनुष्यों को काल के गाल में ले जाता था। आवागमन के साधनों के अविश्वसित होने एवं सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण भारतीय कृषक इन अकालों से अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ था और परिणाम स्वरूप अकालों को देवी प्रकोप समझ कर उनके समक्ष आत्मसमर्पण करने एवं भाग्य पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गया। अत्यन्त प्राचीन काल का इतिहास अपूर्ण है, अतः अकालों का सत्य वर्णन उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी इस विषय पर वर्णन प्राप्त होता है वह परम्परागत दस्त-कथाओं पर आधारित है। इतिहास के अनुसार सबसे प्रथम अकाल का वर्णन ६५० ई० में मिलता है जिसने सम्पूर्ण देश को आक्रान्त कर डाला था। इसके उपरान्त सन् ६४१, १०२२, १०३३, ११४८ एवं ११५६ ई० में भी अकालों का वर्णन मिलता है। सन्

१३४४ में मुहम्मद तुगलक के शासन काल में उत्तरी भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें राज्य परिवार को ही खाद्यान्न उपलब्ध न हो सकने के कारण दिल्ली छोड़कर दकन में देवगिरी स्थान पर जाना पड़ा था।

सन् १६३० में गुजरात का भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इसका विस्तृत विवरण इतिहास में मिलता है। एक डच व्यापारी वान ट्विस्ट (Van Twist) ने इसका वर्णन निम्न शब्दों में किया है—

“The corpses at the corner of the streets lie twenty together, no bodyburying them Thirty thousand had perished in the town alone

औरगजेब के शासन काल में अकाल का वर्णन करते हुए अमीन रिजवनी (Amin Razwiny) ने लिखा है—

‘Life was offered for a loaf but none would buy, rank was sold for a cake, but none cared for it For a long time dog’s flesh was sold for goat’s flesh..Men began to devour one another and the flesh of a son was preferred to his love.’”

इसी प्रकार एक अन्य अकाल का वर्णन करते हुए एडवर्ड थोमस (Edward Thoma^s) ने लिखा है—

“The roads were beginning to be lined with living skeletons, ponderting processions drifting aimlessly, anywhere, they did not know where Tormented by hunger every one thought only of his belly and forgot in his misery love for his wife, affection for his children and tender regard for his parents”

इस प्रकार के वीभत्स अकाल सन् १६०० तक पड़ते रहे जिनका रोमाचकारी दृश्य शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इन अकालों का सक्षिप्त वर्णन निम्न लिखित सन्देशिका से सरलतापूर्वक हृदयगम किया जा सकता है—

वर्ष	स्थान	टिप्पणी
१७६६-७० १७८४	बंगाल बंगाल तथा उत्तरी भारत एवं मद्रास	१ करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु
१७६०-६२ १८१३ १८२३ और १८३७	दक्षिणी भारत बम्बई मद्रास उत्तरी भारत एवं देश-व्यापी	अत्यन्त भीषण था। अत्यन्त भीषण, करोड़ों व्यक्ति मरे।

श्री० आर० सी० दत्त ने १८३७ क इस अकाल का उल्लेख करते हुए लिखा है—

“मृत्यु सख्या असख्य एव अगाणत थी। कानपुर म एक विरोप सैनिक डुकड़ी सड़कों तथा नदी का गश्त लाशों को हटाने क लिए लगाती थी। सुदूर गाँवों में तो सड़कों से सख्या में लोग मर गये जिनक विषय में न तो कोई जान पाया और न कोई उनका प्रबन्ध कर सका। सड़कों पर लाशें दिना जली और बिना दफनाई हुई तब तक पड़ी रहती थीं जब तक कि आकर उन्हें जगली जानकर नहीं खा जाते थे।”

१८३६	उत्तरी भारत	८ लाख व्यक्ति मरे।
१८६०	उत्तरी भारत	१३० लाख व्यक्ति मरे।
१८६५-६७	उड़ीसा	लगभग ४३ करोड़ व्यक्ति पीड़ित हुए।
१८७७	मद्रास	

सन् १८७७ के इस अकाल का वर्णन इविद (Ibid) क शब्दों में—

‘Large villages were depopulated Vast tracts of country were left uncultivated and five millions of people—The population of a fair sized country—perished in this Madras famine in one single year’

१८७८	उत्तरी भारत	मुख्यत बिहार प्रान्त में अधिक विनाश हुआ।
१८९६-९७	बम्बई, मद्रास तथा मध्यप्रान्त	१० लाख व्यक्ति मरे।
१८९९-१९००	बम्बई, मध्यप्रान्त, हैदराबाद, और मध्यभारत	लगभग ६ करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए।

रमण दत्त क शब्दों में—“मध्य प्रान्त तो विल्कुल ही नष्ट हो गया। जिले के जिले उजड़ गये। हरे भरे खेत जगल हो गये। कपि एव जनसख्या दोनों ही कम हो गये।”

सन् १९०० के उपरान्त अकाल

सन् १९०० क उपरान्त ब्रिटिश सरकार द्वारा आवागमन क साधनों में विकास एव सिंचाई क साधनों में वृद्धि के कारण अकाला की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। अब अकाल क अर्थ लाद्यान्न की कमी नहीं बरन् खनता की क्रय शक्ति में कमी होना था। आवागमन क साधनों में वृद्धि क कारण सारा विश्व एक लड़ी में पिरो दिया गया और अन्य देशों से लाद्यान्न की कमी की पूर्ति सम्भव हो गई। इसके अतिरिक्त सरकारी अकाल निवारण नीति के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप

अकालों की भीषणता म भी कमी आ गई। अन्न की पूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की होने लगी। विदेशों से भी अन्न के आयात की सुविधा हो गई। सरकार की आमदनी कृषि पर ही निर्भर होने के कारण सरकार की नीति में भी परिवर्तन हुआ और कृषि सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सन् १९०० से १९४२ तक छुटपुट अकाल पड़े तो अवश्य परन्तु वे प्राचीन समय के अकालों की तरह विनाशकारी नहीं रहे और विशेष जन हानि भी नहीं होने पाई। इस प्रकार विनाशकारी अकाल लोगों की स्मृति से निकल गये और केवल प्रतीत की कल्पना में परिवर्तित हो गए। परन्तु सन् १९४३ में बंगाल का भीषण दुर्भिक्ष पुन अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ और हमारी आशाओं को मिट्टी में मिला दिया। सरकार की अकाल नीति पूर्ण रूप से असफल हो गई और देशवासियों को पुन दुर्भिक्ष के यातक और भीषणता का नग्न नृत्य खुली आँखों से देखना पड़ा। लगभग ३० लाख व्यक्ति काल के गाल में चले गए। अकाल के साथ ही साथ सक्रामक रोगों की भी आड़ आड़ और स्थिति और भी अधिक भयकर हो उठी। श्री जे० के० मित्रल, अर्धचन्द्र बङ्गाल नेशनल चैम्बर आफ कार्मिस, क शब्दों में—

ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा और दूसरा नगर कलकत्ता आज भूरे और नगे लोगों का शिकारगाह बन रहा है। कलकत्ते से भी अधिक दयनीय दशा आस पास के गाँवों की थी जहाँ गरीबी के कारण लोग अपने प्रियजना की अन्तिम क्रिया भी नहीं कर सकते थे, इसलिए लाशों को नदी या नालों में फेंक दिया जाता था। बङ्गाल की नई सुन्दर नदियाँ और नाले अपने अन्तस्तल में भूखे और नगों को लिए चल रहे थे। गीदडा के लिए भोजन था, इसलिए कई सुन्दर चेहरे नोचे जाने के कारण पहचाने भी नहीं जाते थे।

भारत की जनता के लिए यह एक भीषण आघात था। इस लोमहर्षण घटना ने देशवासियों की आँखें खोल दीं और राष्ट्रव्यापी खाद्य-स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करने को बाध्य कर दिया।

बंगाल दुर्भिक्ष के कारण

(क) बंगाल के निवासियों का खाद्यान्न मुख्यत चावल था, परन्तु समस्त चावल के उत्पादन द्वारा केवल ८३% जनता का भरण पोषण हो सकता था अतः लगभग पूर्ण आवश्यकता का १७% चावल ब्रह्मा से आयात किया जाता था। सन् १९४२ ई० में ब्रह्मा जापानियों के अधिकार में चला गया और वहाँ से चावल का आयात बन्द हो गया। फलतः खाद्यान्न की कमी हो गई।

(ल) मिर्जापुर जिले में चावल की फसल के कटने के समय भीषण आंधी और तूफान आ गया जिससे १५ लाख टन चावल नष्ट हो गया।

(ग) दामोदर नदी में भीषण बाढ़ आई और दूसरे प्रान्तों से अन्न आने में बाधापत की कठिनाई पड़ी। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के कारण भारतीय यातायात के साधन युद्ध के कार्यों में व्यस्त रखे गए और यातायात के साधनों का अभाव हो गया। अतः बंगाल के अकाल-पीड़ितों के लिए खाद्यान्न नहीं पहुँचाया जा सका।

(घ) जापानियों के हमले के भय के कारण बङ्गाल में सरकार द्वारा अन्न खरीदने तथा एकत्र किए जाने की नीति के फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी हो गई।

(ङ) चोरबाजारी तथा घूसखोरी का बोलबाला था। मुस्लिम लीग प्रान्तीय सरकार में अयोग्य एवं स्वार्थी व्यक्ति चुने हुए थे जिससे सरकारी नियन्त्रण अत्यन्त निर्बल एवं असन्तोषजनक था।

(च) जापानियों के हमले तथा युद्ध सम्बन्धी अफवाहों के कारण जनता पर मनोवैज्ञानिक कुपभाव पड़ा और उनका सहस्र नष्ट हो गया।


इस अकाल का मुख्य कारण सरकार की घातक नीति थी और इस कथन में अतिशयोक्ति न होगी कि यह अकाल मानव द्वारा आयोजित अकाल था। खाद्यान्न भारत में उपलब्ध था, परन्तु सरकार की अनुचित वितरण नीति के कारण बङ्गाल के निवासियों को उपलब्ध न हो सका। यही नहीं बङ्गाल तो अकाल से पीड़ित था और हमारी विदेशी सरकार खाद्यान्न का निर्यात विदेशों को कर रही थी। सरकार को द्वितीय महायुद्ध में विजयपताका फहराने के लिए यह आवश्यक ही था, भारतवासियों की दयनीय स्थिति से उनको सम्बन्ध ही क्या। ऐसी दशा में बङ्गाल का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाना स्वाभाविक ही था।

सन् १९५० ई० में बिहार में अकाल पड़ा तथा सन् १९५१ में गुजरात, पंजाब, राजस्थान, अजमेर तथा मध्यप्रदेश में वर्षा के अभाव के कारण अकाल के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। सन् १९५५ से वर्तमान वर्ष १९५६ में भी अति-वृष्टि के कारण उत्तरप्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अकालग्रस्त हैं।

इस प्रकार यदि समय समय पर पड़े हुए अकालों की गति विधि का निरीक्षण किया जाय तो पता चलता है कि प्रत्येक शताब्दी के मध्य और अन्त में बहुत बड़े एवं विनाशकारी अकाल पड़ते रहे हैं। कम से कम भीषण अकाल प्रत्येक १० वर्ष और उनसे छोटे अकाल प्रत्येक ५वें वर्ष पड़ते हैं। यों तो प्रायः एक साल छोड़ कर प्रत्येक तीसरे वर्ष या तो अनावृष्टि होती और या अति-वृष्टि और इस प्रकार सम्पूर्ण देश में से कुछ क्षेत्र फसलों के न होने या नाश हो जाने के कारण खाद्यान्न के

अभाव से पीड़ित होते रहते हैं। यही भारतीय इतिहास में अकालों की दुख दर्द भरी कहानी है।

अकाल के कारण



श्री रमेश दत्त के शब्दों में—

“भारत में दुर्भिक्ष प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक वर्षा के अभाव में पड़ते हैं किन्तु इन अकालों की दुरुहता तथा इसके उत्पन्न मृत्यु संख्या का अधिकार म कारण यहाँ के लोग की दरिद्रता है। यदि साधारणतः लोग की आर्थिक अस्थिति अच्छी होती, तो वह पड़ोसी प्रान्तों से अनाज खरीद कर स्थानीय फसलों की पूर्ति कर सकते थे और ऐसी अस्थिति में मृत्युएँ नहीं होती। किन्तु जब लोग नितान्त साधनहीन हैं तो वे आस पास के भागों से अनाज नहीं खरीद सकते। अतः जब कभी स्थानीय फसलें असफल रहती हैं, लोग सेकड़ा हज़ारा और लाखों की संख्या में नष्ट हो जाते हैं।”

अकालों के कारण मुख्यतः दो हैं—प्राकृतिक एवं आर्थिक। प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत वे सभी बातें आती हैं जिनसे प्रकृति के प्रकोप के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और खाद्यान्न का अभाव हो जाता है। परन्तु आवागमन के साधनों के विकसित हो जाने के कारण खाद्यान्न की कमी की पूर्ति अथवा स्थानों से की जा सकती है, अतः आर्थिक परिस्थितियों के ठीक होने पर प्राकृतिक प्रकोप के कारण खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति की जा सकती है और अकाल को रोक जा सकता है। इसलिए आर्थिक कारण भी आधुनिक युग के अकालों के महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके अन्तर्गत वे सभी बातें आती हैं जिनके कारण मनुष्यों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्राकृतिक कारण

प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं —

वर्षा का अभाव

भारत मानसूनी वर्षा का प्रदेश है और ये मानसूनी सदैम अनिश्चित रहते हैं। सिंचाई के साधनों में विकास न होने के कारण भारतीय कृषि पूर्णरूप से वर्षा के हाथों में पिलौना है। वर्षा का अभाव में लाखों बीघे लहलहाती हुई खेती सूर्य की प्रचंड किरणों द्वारा जलकर भस्म हो जाती है। प्रायः अकाल का मुख्य कारण वर्षा का अभाव रहा है। सन् १९०१ के दुर्भिक्ष आयोग के अनुसार—

“सभी प्रान्ता में वास्तव में क्रियात्मक सिंचाई के साधनों का अभाव ही नहीं है, किन्तु थोड़े रूप में भी कार्य नहीं हुआ है, अतः पानी का समग्र, बाध बाधना और नहरें निकालना आदि कार्यों का क्षेत्र विशाल है।”

अतिवृष्टि या बाढ़

अतिवृष्टि अथवा बाढ़ भी अकालों का दूसरा मुख्य कारण है। बाढ़ के कारण भी लाखों बीघे खेती नष्ट हो जाती है। भारत में सन् १९५० से १९५४ तक बाढ़ द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में लगभग १३५ करोड़ रुपये की फसलों की हानि का अनुमान लगाया गया है। बाढ़ के कारण पकी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

टिड्डियों का आक्रमण एवं कृषि रोग

टिड्डियों का आक्रमण एवं कृषि रोगों के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। टिड्डियों द्वारा तो गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं। कृषि रोगों के कारण भी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। इन फसलों की भवादी के कारण खाद्यान्न का अभाव हो जाता है।

श्रापी, तूफान तथा ओले

श्रापी, तूफान तथा ओलों द्वारा भी प्रायः फसलें नष्ट हो जाती हैं। पाला पड़ने पर तो प्रत्येक वर्ष फसलों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचता है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न का अभाव होना स्वाभाविक ही है।

उत्पादन की कमी एवं जनसंख्या का आधिक्य

भारत में निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि भी खाद्यान्न की कमी का एक मुख्य कारण है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ राष्ट्र का उत्पादन प्रति एकड़ ससरा में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण कृषि उद्योग का पिछड़ा होना है। भारतीय कृषकों

का दृढ़ता, आधुनिक खेती के तरीकों का अभाव, आधुनिक खादों के प्रयोग का अभाव, कृषि में वैज्ञानिकरण की कमी, खेतों का उपविभाजित एवं उपखंडित होना एवं भूमि-व्यवस्था का अनुचित होना आदि मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय कृषि में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं हो सका जिसका फलस्वरूप आज भी कृषि उद्योग अन्य उन्नतशील राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है और, कृषि उत्पादन बहुत कम है। ऐसी अवस्था में खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक ही है।

युद्ध

प्राचीन समय में युद्ध तथा लूट से भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। एक शासक द्वारा दूसरे शासक पर आक्रमण करने पर कृषि नष्ट कर दी जाती थी। वास्तव में आज भी युद्ध के विनाशकारी बादल जो सारे विश्व पर मंडरा रहे हैं बहुत कुछ खाद्यान्न की कमी के कारण हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए लाखों रुपये खर्च कर युद्ध के सामान बनाने में व्यय करता है। भारत में भी वह व्यय कम नहीं, बल्कि विभाजन के फलस्वरूप यह बढ़ ही गया है। यदि यह धन राष्ट्र के विकास पर व्यय किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं खाद्यान्न की कमी को बहुत बड़े अंशों में पूरा किया जा सकता है।

आवागमन के साधनों का अविकसित होना

भारत में आवागमन के साधनों का विकसित न होना भी अकालों का एक मुख्य कारण रहा है। इन साधनों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में अन्य स्थानों पर खाद्यान्न उपलब्ध होत हुए भी लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा।

आर्थिक कारण

दृढ़ता एवं ऋय शक्ति का अभाव

प्राचीन समय में तो खाद्यान्न का अभाव ही अकाल का मुख्य कारण रहता था क्योंकि आवागमन के साधनों का विकास न होने के कारण अन्य स्थानों से खाद्यान्न की पूर्ति सम्भव नहीं थी। परंतु आज परिस्थितियाँ भिन्न हैं। खाद्यान्न की कमी की पूर्ति अन्य स्थानों तथा विदेशों से अन्न आयात करके की जा सकती है। ऐसी दशा में भारतीय जनसमूह की दृढ़ता एवं उनमें ऋय शक्ति का अभाव ही अकाल का मुख्य कारण कहा जा सकता है। भारतीय दृढ़ता सर्व विदित है। वास्तव में आज भारत विश्व में दृढ़ता का प्रतीक बन गया है। सन् १९६८ के दुर्भिक्ष आयोग का कथन है

“हम सोचते हैं कि भारत का अतिरिक्त उत्पादन विदेशों को भेज दिया

जाता है फिर भी इतना बच रहता है कि यहाँ के लिए पर्याप्त है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में अन्न का अकाल नहीं वरन् धन का अकाल है।”

इस प्रकार भारत की निर्धनता एक कटु सत्य है क्योंकि यहाँ की विशाल जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और यह उद्योग अपनी पतन की चरम सीमा पर पहुँच चुका है।

श्रृणुमस्तथा

ऐसा कहा जाता है कि भारतीय कृषक श्रृणु में ही जन्म लेता है, श्रृणु में ही पलता है और श्रृणु का बोझ लेकर मरता है। भारत की दरिद्रता ही इसका मुख्य कारण है। महाजन एव साहूकारों के चुगल में एक बार फँस जाने पर भारतीय कृषक अपने को मुक्ति दिलाने में असमर्थ पाता है। श्रृणुमस्त होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति सदैव ढाँवाडोल बनी रहती है। अनालों के अतिरिक्त भी सम्पत्तियों की स्थिति में प्रायः कृषकों की क्रय शक्ति खत्म रहती है जिसके परिणामस्वरूप सदैव खाद्यान्न की कमी बनी रहती है। अनालों में यह और भी अधिक भीषण रूप धारण कर लेती है। सन् १९०१ के तुर्क आयोग के शब्दों में—

“अच्छे वर्षों में किसान के पास जीवन निर्वाह योग्य सामग्री होती है, लेकिन खराब वर्षों में वह दूसरा की दया पर ही निर्भर रहता है।

कुटीर उद्योग धधा का अभाव

प्राचीन समय में कुटीर उद्योग धधे भारतीय कृषकों के सकटकाल के अभिन्न एव विश्वासनीय मित्र थे। कुटीर उद्योगों के कारण कृषक अपनी आय में वृद्धि करने में सफल होता था और कृषि बर्बाद हो जाने पर इन उद्योगों के सहारे अपनी जीविका चला सकता था। इन उद्योगों के विनाश ने भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय बना दिया। इन उद्योगों के अभाव में भूमि पर जनसंख्या का भार और भी अधिक बढ़ गया और परिणामस्वरूप खाद्यान्न की कमी दृष्टिगोचर होने लगी।

अनुचित वितरण

खाद्यान्न का अनुचित वितरण भी खाद्यान्न की कमी का एक मुख्य कारण है। भारतवर्ष में कृषक अपनी निर्धनता के कारण खाद्यान्न का उपग्रह करने में असमर्थ रहता है। परिणामस्वरूप खाद्यान्न का भंडार यह पूँजीपति व्यापारियों का निवास स्थान होता है। ये व्यापारी अधिक मुनाफा उठाने के दृष्टिकोण से कृषकों की निर्धनता एव विवशता का अनुचित लाभ उठाते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण साधारण जनता अन्न खरीदने में अपने को असमर्थ पाती है और परिणामस्वरूप अन्न का अभाव दृष्टिगोचर होने लगता है।

औद्योगिक विकास का अभाव

भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास नहीं हुआ है और वह औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त विछुड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास न होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार अत्यधिक हो गया है। औद्योगिक विकास न होने के कारण यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति भी बहुत कम है। अन्य राष्ट्रों से भी आयात करने में हमारा देश कम इसीलिये असमर्थ रहा है कि विदेशी मुग्तान की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारत में बेरोजगारी एवं निर्धनता का एक मात्र कारण यहाँ का औद्योगिक विकास न होना है। निर्धनता के कारण ही लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और खाद्यान्न उपलब्ध होने पर भी वे उसको नहीं खरीद सकते। यदि लोगों को नियमित उद्यम मिलता रहे जिससे वे पैसा उत्पन्न करके अनाज खरीद सकें तो आजकल दुर्भिक्ष ही न पड़े।

अकाल निवारण के उपाय

अकालों से पूर्ण रक्षा के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम तो ऐसे उपाय काम में लाये जायें जिनसे अकाल का प्रादुर्भाव ही न हो और दूसरे वे उपाय जिनके द्वारा यदि अकाल पड़ भी जाय तो उसका प्रकोप एवं भीषणता उम्र रूप धारण न कर सके और इस प्रकार अकाल से होने वाली जन हानि एवं धन हानि को रोका जा सके। इस प्रकार अकाल निवारण के उपायों के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) प्रतिबंधक उपाय (Preventive Measures)

(२) रक्षात्मक उपाय (Protective Measures)

प्रतिबंधक उपाय

वास्तव में जो कारण दुर्भिक्ष के हैं यदि उन पर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा उनको समाप्त कर दिया जाय तो अकाल का निवारण स्वाभाविक ही है। इसके लिए कृषि का सर्वाङ्गीण विकास नितान्त आवश्यक है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, भूमि सुधार एवं व्यवस्था, कृषि में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, बाढ़ से सुरक्षा एवं फसलों का रागों एवं टिड्डियों तथा अन्य जंगली पशुओं द्वारा रक्षा कृषि की उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे। आयात के साधनों में पर्याप्त विकास भी इतना ही आवश्यक है।

देशवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के लिए उनकी जघन्य दक्षिता को मिटाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में कुटीर उद्योग धर्मों का विकास, कृषकों को श्रम से छुटकारा, खाद्यान्न के उचित वितरण की व्यवस्था एवं राष्ट्र का

श्रीद्योगिक विकास बहुत सरलता प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में जनता की ऋणशक्ति में वृद्धि ही आज के युग में खाद्यान्न के अभाव को दूर करने का प्रथम एवं आधार-भूत उपाय है।

रक्षात्मक उपाय

अकाल के रोकने के भरसक प्रयत्नों को कार्यान्वित करने के उपरान्त भी खाद्यान्न की कमी की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नष्ट नहीं होती। अतः खाद्य-उत्पत्ति से सुरक्षा के लिए रक्षात्मक उपायों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत अन्न के व्यापार का नियंत्रण, पशु-रक्षा, कृषकों को श्रौषधियों की सुविधाएँ, लगान की छूट, उद्यापी ऋणों की व्यवस्था, जन-सेवा कार्यों का संचालन जैसे नहरें, तालाब आदि सुदधाना, किसानों को उत्तम बीज, खाद एवं औजार इत्यादि का प्रेषण करना एवं गरीब व असहाय व्यक्तियों के लिए गरीब रहों की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन उपायों द्वारा अकाल की भीषणता को रोका जा सकता है और लोगों को राहत प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकाल के भूत को सदैव के लिए भगाने के लिए ग्राम सुधार की वृहद् योजना ही मूल मंत्र है। अकाल निवारण के लिए कोई एक उपाय नहीं है। उद्युक्त दोनों ही प्रकार के विभिन्न प्रतिपक्षक एवं रक्षात्मक उपायों द्वारा ही अकाल से सुरक्षा मिल सकती है। डा० राधा कमल मुकर्जी के शब्दों में—

“भारतीय अकाल समस्या का प्रश्न उन गम्भीर भयानक परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत वर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भूमि व्यवस्था और दुर्बल आर्थिक संगठन आते हैं, इसलिए कोई भी एक कारण अकाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये सब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से भारतीय भूमि पर किसान के लिए अकाल का निमंत्रण देते हैं।”

सरकार द्वारा प्रयत्न

(अकाल-निवारण-नीति का विकास)

प्राचीन समय में हिन्दू शासक अकाल निवारण के लिए नहरें एवं तालाब बनवाते थे, राज्य कोष से धन एवं अन्न का वितरण करते थे और लगान में छूट, उद्यापी ऋण आदि की भी व्यवस्था करते थे। अकाल के समय शासकों द्वारा सदा-वर्त्त (free food) बाँटने की भी प्रथा थी। मुसलमान शासकों ने भी इन्हीं उपायों को कार्यान्वित किया। सन् १३४३ ई० में मुहम्मद तुग़लक़ ने अकाल निवारण के हेतु दिल्ली के लोगों में ६ महीने लगातार अन्न बँटवाया था और कुएँ खोदने

क लिए उदारता से रुपये दिए। इसी प्रकार सन् १६३० में शाहजहाँ ने अकाल के समय हर शुक्रवार को ५००० रुपया दरिद्रों में वितरित करने की व्यवस्था की थी। ७० लाख रुपये का लगान माफ़ कर दिया गया था और अन्न का उदारतापूर्वक वितरण होता था। लोगों को काम देने के लिए फौज में भरती प्रारम्भ कर दी गई थी। औरंगज़ेब के समय में भी इसी प्रकार के सहायता कार्य हुए थे। सन १३६६ में मुलतान महमूद के समय, फरिश्ता के अनुसार १०,००० बैल चबल इसीलिए पाल रखे गए थे कि वे मालवा तथा गुजरात से सदैव बहमना में अन्न लाते रहें। हिन्दू तथा मुस्लिम काल में नहरें खुदवाना, बावली बनवाना, कुएँ खुदवाना एवं हनु रोपण कराना शासकों द्वारा धार्मिक एवं पवित्र कार्य समझे जाते रहे। अकाल में सहायता के लिए राज्य का एक अन्न सभ्रालय भी हुआ करता था। परन्तु आवागमन के साधनों के उपलब्ध न होने के कारण अकाल निवारण के सभी उपायों में अत्यन्त अक्षमता पायी जाती थी।

१८वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का अन्त हो चुका था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभाव सम्पूर्ण देश पर व्याप्त हो गया था। इस शताब्दी में पड़े अकालों के प्रति ईस्ट इण्डिया कम्पनी पूर्णतः उदासीन रही। यही नहीं उसने कर्मचारियों ने अकालपीड़ितों से निर्दयतापूर्वक लगान भी वसूल किया। नदतों हुए अकाल की भीषणता को देख कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अकाल निवारण के लिए पैसल इतना ही लिया कि अकाल क्षेत्र से खाद्यान्न न निर्यात पर रोक लगाई और खाद्यान्न सभ्रालय बनाने का प्रयत्न कर दिया। १७८३-६० के बाद के अकालों में कम्पनी ने लगान में कुछ छूट भी दी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तो यहाँ स्थानीय दशाज्ञानों से परिचित थी और न उसका उद्देश्य यहाँ का आर्थिक विकास करना ही था। यह तो यहाँ पर व्यापार के द्वारा लोगों का शोषण करने तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही स्थापित का गई था।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कम्पनी की अकाल निवारण नीति में कुछ उदारता आई। कुछ निर्माण कार्य भी किए गए। १८५४ में कृषकों को तमानी भाँटा बाँटी गई। निधन तथा भूत से पाड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता भी की गई। परन्तु १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक अकाल निवारण की दिशा में तो कोई निश्चिन्त नीति ही निधारित की गई और न कोई सुसंगठित प्रयास ही किया गया।

सन् १८५७ के गदर के बाद कम्पनी के राज्य शासन का अन्त हो गया और इंग्लैण्ड के बाराशाह के हाथ में यहाँ का राज्य शासन आ गया। अंग्रेजी सरकार ने अब यहाँ के आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान दिया तथा अकाल निवारण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। परन्तु अकाल निवारण नीति का

सुसंगठित एवं व्यवस्थित रूप सन् १८६० ई० तक नहीं बन सका। वास्तव में सन् १८६० ई० का अकाल प्रथम अकाल था जिसने सरकार का प्यान सुसंगठित अकाल निवारण नीति की ओर आकृष्ट किया। इसी अकाल में आधुनिक दुर्भिक्ष नियम (Modern Famine Codes) के बीज निहित थे। इसी वर्ष आधुनिक अकाल नियमों का भी निर्माण हुआ। नई नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

(1) जनसंख्या का तीन बर्गों में विभाजन (क) शारीरिक श्रम करने योग्य व्यक्ति, (ल) निर्धन एवं कम श्रम कर सकने वाले व्यक्ति, (ग) श्रम करने के लिए अयोग्य व्यक्ति।

(II) नैतिक स्तर उच्च करके आत्म निर्भरता की भावना व्याप्त करना।

(III) ग्राम सहायता

उपर्युक्त नीति के अनुसार सन् १८६५ के उड़ीसा अकाल में कार्य किया गया परन्तु यह नीति सफल न हो सकी। भारत सरकार ने १८६५-६७ के उड़ीसा के अकाल के समय ३५ मिलियन इकाइयों की सहायता की और १४५ मिलियन रुपया व्यय किया गया। इसमें सरकार को सफलता न मिली क्योंकि एक तो फर्मचारी अनुभवहीन थे और दूसरे सहायता कार्य देर से प्रारम्भ किया गया, और यह पूर्व नियोजित तथा सुसंगठित नहीं था। परिणामस्वरूप सन् १८६७ में सर जार्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल जाँच आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी।

सर जार्ज कैम्पबेल अकाल समिति (१८६७)

सन् १८६७ में भारत सरकार ने एक अकाल कमीशन नियुक्त किया। इसका चेयरमैन सर जान कैम्पबेल थे। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अकाल निवारण का कार्य जिलाधीश की सौंपा गया तथा विस्तृत रूप से तत्वाधीन वितरित की गई। सरकार को यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि अकाल एक आकस्मिक संकट न होकर सर्वकालिक संकट है जिसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रवन्ध होना चाहिए। सन् १८७८ ई० में सरकार ने एक अकाल बीमा फण्ड खोल दिया तथा १३ करोड़ ६० वार्षिक इस फण्ड में डालने का निश्चय किया। इसी निधि को स्थायी बनाने के लिए जयपुर महाराज ने सन् १९०० में १५ लाख रुपये का विनियोग करके स्थायी निधि के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया। इस निधि में प्रान्तीय सरकार भी कुछ वार्षिक राशि जमा करती थीं। इस फण्ड से अकाल निवारण करने में बड़ी सहायता मिली।

सर जान स्ट्रेचे अकाल कमीशन (१८८०)

सन् १८८० ई० में एक दूसरी अकाल समिति बनाई गई जिसके चेयरमैन सर

स्ट्रेचे महोदय थे। इस कमीशन ने अकाल निवारण के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों के अपनाने की सिफारिश की—

(क) स्वस्थ व्यक्तियों को पर्याप्त मजदूरी पर कार्य देने की व्यवस्था की जाय।

(ख) अश्रमार्थ एव पशु व्यक्तियों को मुफ्त भोजन एव बख्त दिए जायें।

(ग) जिन क्षेत्रों में साद्यान्न का अभाव न हो वहाँ पर साद्य पूरति का कार्य निजी व्यापार के हाथ में छोड़ दिया जाय।

(घ) किसानों को श्रृणु सहायता की जाय तथा लगान में छूट दी जाय।

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर प्रान्तीय अकाल कानूनों का निर्माण किया गया। ये उपरोक्त सिद्धान्त फेमिन कोड्स (Famine Codes) कहलाते हैं तथा १८८० के उपरान्त सभी ग्रणालों में इन्हीं नियमों के अनुसार अकाल निवारण का कार्य सगठित किया जाता रहा, परन्तु परिस्थितियों तथा अनुभव के आधार पर इनमें यथासमय पर सशोधन भी किए गए। इन कानूनों का उद्देश्य साधारण समय में सहायता कार्यों का नियमन तो था ही, परन्तु अकाल की सूचना प्राप्त होते ही अधिकारियों के उचित कदम उठाने पर जोर देना था। अब अकाल सहायता कार्यों की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों पर थी। इन नियमों के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों— जिला बोर्ड, पंचायत आदि—को अकाल का खबत मिलते ही, उसका सामना करना उनका कर्तव्य हो जाता है। इस आयोग ने निम्नलिखित बातों पर अधिक जोर दिया जिनको सरकार ने स्वीकार कर प्रान्तीय अकाल नियमों में स्थान प्रदान किया।

(१) अकाल की प्रारम्भिक स्थिति में स्वार्या एव अस्थायी बुद्धों के खोदने तथा सिचाइ के साधनों की उन्नति के लिए अग्रिम राशि दी जाय।

(२) दरिद्राश्रमों की स्थापना की जाय।

(३) कृषकों को लगान की छूट एव आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

(४) सहायता केन्द्र समुचित नियंत्रण में चालू किए जायें।

(५) अकाल से सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठे किए जायें और जाँच कार्य चालू किया जाय।

(६) गैर सरकारी रूप में जनता को पुण्य-कार्यों के लिए बढ़ावा दिया जाय।

(७) नहरों तथा रेलों के समुचित विकास की व्यवस्था की जाय।

सर जेम्स लायल अकाल समिति (१८६८)

सन् १८६८ ई० में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में तृतीय अकाल समिति बनाई गई। इस कमीशन ने निम्नांकित सिफारिशों की—

(क) दलित वर्गों की विशेष सहायता की जाय।

(ख) अकाल फंडों पर उचित नियन्त्रण रखा जाय।

(ग) मुफ्त सहायता बढ़ाई जाय तथा सहायता कार्य विकेंद्रित किया जाय ।

कमीशन का मत था कि अकाल नियमों के आधार पर चलने में कम व्यय में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य हो सका । सामयिक एवं उदारता से अकाल में सहायता देने के कारण जनता की अकाल निवारक शक्ति एवं साधन बढ़ गये ।

मैकडानेल अकाल कमीशन (१९०१)

सन् १९०१ ई० में सरकार ने मैकडानेल महोदय की अध्यक्षता में चतुर्थ अकाल समिति की स्थापना की । इस कमीशन की सिफारिशों में पहिले क अकाल नियमों (Famine Codes) पर जोर देने के अतिरिक्त निम्नलिखित नई बातों का समावेश था —

(क) 'साहस बढ़ाने का सिद्धान्त' अकाल निवारण कार्यों की सफलता के लिए आवश्यक है । इसका अनुसार यह आवश्यक है कि सरकारी नीति इस प्रकार की हो कि अकाल से लड़ने के लिए लोगों का साहस बढ़े । वे धमड़ा कर इधर उधर न भागें तथा बहादुरी से अकाल की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर हो जायें ।

(ख) तत्कालीन अकाल के लक्षण प्रकट होते ही उदारता पूर्वक दिए जायें ।

(ग) गैर सरकारी उदार एवं दानियों की सहायता को प्रोत्साहन दिया जाय तथा सरकार उनकी सहायता सधन्यवाद स्वीकार करे ।

(घ) प्रत्येक जिले में अकाल सहायता समितियों की स्थापना की जाय । अकाल के लक्षणों पर कड़ी दृष्टि रखी जायें ।

(ङ) पशुओं की रक्षा का भी ध्यान रखा जाय तथा उनके चारे का प्रबंध किया जाय ।

(च) निष्क्रियता सुविधा प्रदान की जाय तथा महामारी निरोधक कार्य किए जायें ।

(छ) नहरों का बनना तथा अन्य निर्माण कार्यों के करने के लिए बहुत जोर दिया गया क्योंकि बिना इसके अकालों का स्थायी रूप से निवारण नहीं हो सकता ।

(ज) निर्माण कार्यों को दो वर्गों में बाँट दिया गया—(क) रक्षात्मक (Protective works) (ख) उत्पादक (Productive works) । रक्षात्मक कार्य लघु कालीन हों तथा अकाल पीड़ितों की सीधी सहायता के उद्देश्य से किए जायें और उत्पादक कार्य दीर्घकालीन हों तथा अकालों को स्थायी रूप से रोकने के उद्देश्य से किए जायें ।

उपरोक्त अकाल-निवारण-नियमों (Famine Codes) के अनुसार कार्य करने से सरकार की अकाल निवारण नीति को बड़ी सफलता मिली। फलस्वरूप २०वीं शताब्दी में सन् १९४३ के बंगाल के अकाल के पहले कोई भी अकाल इतना भयानक नहीं होने पाया जिसके द्वारा जन धन का विनाश हुआ हो। सन् १९४३ के बंगाल के अकाल में सरकार की अकाल निवारण नीति असफल रही। परिणामस्वरूप जाँच करने के लिए सन् १९४५ में बुडहेड अकाल आयोग की स्थापना की गई।

बुड हेड अकाल कमीशन—(१९४५)

बंगाल के अकाल के विषय में जाँच करने तथा भविष्य में इस प्रकार के अकालों को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने सन् १९४५ में बुड हेड अकाल कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए—

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' चालू की जाय जिससे कि अन्न की उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो।

(ख) खाद्यान्न बाहर से आयात किए जावे और खाद्यान्न का वितरण उचित ढंग से किया जाय।

(ग) खाद्य नीति (Food Policy) को सुसंगठित करने के लिए अखिल भारतीय खाद्य परिषद (All India food council) की स्थापना की जावे। साथ ही क्षेत्रीय खाद्य परिषदें (Regional food councils) भी बनाई जावे।

(घ) सरकार खाद्य खरीदने का एकाधिकार (Monopoly) अपने हाथ में ले ले।

(ङ) खाद्यान्नों का मूल्य पर्याप्त ऊँचा रक्ता जावे।

(च) जन-संख्या की वृद्धि को रोका जाय।

(छ) भोजन में पोषक तत्वों (Nutritive elements) को बढ़ाया जाय।

(ज) जनता और सरकार एक-दूसरे पर विश्वास रखें और पूर्ण सहयोग की भावना से तथा हिम्मत से अकाल-शत्रु को नाश करने का प्रयत्न करें।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस कमीशन के उपरोक्त सुझावों को मान लिया तथा इन्हीं सुझावों के आधार पर अपनी खाद्यान्न नीति का निर्माण किया। इस प्रकार वर्तमान अकाल निवारण नीति के दो पहलू हैं—(१) अकाल पीड़ितों को तत्कालीन सहायता (२) अकाल की पुनरावृत्ति रोकने के लिये दीर्घकालीन प्रयत्न जिसके अन्तर्गत यातायात, सिंचाई, खाद, बीज आदि का वितरण आते हैं।

हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई की बहुमुखी योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा बहुत-सी योजनाएँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चल रही हैं जिनके कारण सिंचाई के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, बाढ़ नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है और विद्युत शक्ति का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सम्भव हो सका है। जमींदारी प्रथा का अन्त हो चुका है और कृषक अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन गया है। कृषि करने के तरीकों में भी सुधार किया गया है और उत्तम बीज तथा उर्वरक के वितरण करने की सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था कर दी गई है। कुटीर उद्योग बंधों को पुनः जीवन प्रदान किया जा चुका है। आवागमन के साधनों में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। औद्योगिक विकास की गति तीव्र हो चुकी है। इस प्रकार राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास निरन्तर होता चला जा रहा है। पाच समस्या को सदेव के लिए हल करने के उद्देश्य से प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इन समस्याओं के प्रति जागरूक है और सतत् प्रयत्न करती जा रही है। कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिये सिंचाई की बहुमुखी योजनाएँ, भूमि सुधार एवं कृषि में वैज्ञानिकता आदि क्रमशः कार्यान्वित किये जा रहे हैं। आशा ही नहीं करण्य विश्वास है कि इन योजनाओं के फलस्वरूप भारत में अफाल नामक दैवी प्रकोप केवल अतीत का स्वप्न ही रह जायेगा।



खाद्य समस्या

(Food Problem)

“Bitter bread” Never before had the lesson of self-reliance and self sufficiency been brought home to the Indian people so pointedly. It would not do to parade the capitals of the world with a begging bowl in hand.”

Romesh Thapar—“India in Transition”

“So long as even a dog in my country is without food, my whole religion will be to feed it”—Swami Vivekanand

यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि अतीत का भारत जो सारे विश्व का लायान-भंडार कहा जाता था, आज स्वयं अपनी लायान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य राष्ट्रों के समुल हाथ पैलाये दया भी भील माँगने के लिये विवश है। इपि भारत का प्रमुख उद्योग है। यहाँ की लगभग ७५ प्रतिशत जनता इस उद्योग में लगी हुई है और भारतीय कुपकों के पास अपना विगत ४०० वर्षों का अनुभव भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी भारत द्वितीय महायुद्ध से खाद्य संकट का क्रीड़ास्थल बना हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में एक नवीन आशा की। वरण का प्रादुर्भाव अवश्य हुआ परन्तु पुन इस स्वर्णिम आशा पर तुषारपात हो गया और क्रमशः खाद्य संकट विषम से विषमतर होता चला गया। वर्तमान समय में तो खाद्य संकट ने अपना विकराल रूप धारण करके न केवल भारतीय शांति एवं सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, वरन् राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य को भी अन्धकारमय बना दिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी पर डगमगाने लगे हैं। वास्तव में आज खाद्य संकट की समस्या लायान की ही समस्या नहीं, वरन् भारत के भाव्य के निर्माण की समस्या है। यह समस्या अस्थायी न रहकर क्रमशः स्थायी रूप धारण करती जा रही है जिसका कारण शासनाहूद दल तथा विरोधी दल सभी इस संकट की विषमता से चिन्तित ही नहीं बस हो उठे हैं। इस समस्या को अन्धी वर्षा या लसाम वर्षा, अथवा सूखा या

बाद के नाम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जनता की भावनाओं के साथ अधिक समय तक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज खाद्यान्न के अभाव के कारण सर्वत्र असन्तोष की भावना व्याप्त है और 'असतोप ही क्रान्ति की जननी है'

लाघ समस्या का उद्भव

लाघ समस्या का उद्भव वास्तव में द्वितीय महायुद्ध काल में बंगाल के भीषण दुर्भिक्ष से हुआ। युद्ध के कारण ब्रह्मा से चावल का आयात बंद हो गया था। आयात के साधनों की कमी के कारण अन्य क्षेत्रों से खाद्यान्नों के आयात करने में बड़ी कठिनाई थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग बढ़ने के साथ ही लाघ युद्ध के कारण सरकार की खाद्यान्न की मांग भी पर्याप्त बढ़ गई। उपयोगवश हमारे देश में इसी समय कई आकस्मिक प्राकृतिक दुष्घटनाएँ जैसे बाढ़ इत्यादि भी प्रकट हुईं। चीतवा शतान्दी में बंगाल दुर्भिक्ष व समान कोई भीषण समस्या मानव के सम्मुख उपस्थित हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस दुर्भिक्ष में लाघ संकट के काले बादलों की घनघोर घटाओं का आच्छादन ही वास्तव में भारत पर आने वाले लाघ संकट की पूर्व सूचना थी। हमारी विदेशी सरकार ने इस दिशा में कुछ भी ध्यान नहीं दिया और यह स्वभाविक ही था क्योंकि उनका भारतीय जनता की सम्पन्नता एवं समस्याओं से सम्बन्ध ही क्या था।

सन् १९४७ में भारत विदेशी दाघता की श्रृंखलाओं से मुक्त हुआ, परन्तु विभाजन के फलस्वरूप स्वतंत्रता का आनन्द एवं उल्लास विपाद में परिणत हो गया। अभी भारत बंगाल के भीषण दुर्भिक्ष के प्रभावों से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त भी न कर पाया था कि विभाजन के रूप में दूसरा कठोर आघात लगा और हमारी लाघ समस्या और भी अधिक दुरूह बन गयी। विभाजन के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र का सबसे उत्तम भाग पंजाब जिसका भारत का गहू का भंडार कहा जाता था पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। यही नहीं विभाजन के उपरान्त लाखों की संख्या में पाकिस्तान से शरणार्थी भी भारत में आ गये और लाघ संकट अधिक गम्भीर हो उठा। पूर्वी पाकिस्तान के कारण ही जूट व प्रदेश भारत के हाथ से निकल गये, परन्तु जूट उद्योग भारत में ही रहा। परिणामस्वरूप जूट उद्योग का बीजित रहने के लिये जूट की फसलें उत्पन्न करना आवश्यक हो गया। लाघ उत्पादन के क्षेत्र में और भी कमी हो गयी और भारतीय लाघ समस्या ने एक मुख्य राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया। परन्तु इन कठिन परिस्थितियों में भी भारतवासी विचलित नहीं हुए। हमारे राष्ट्र के कर्णधार एवं निर्माताओं ने दृढ़ संकल्प से नव-निर्माण एवं आर्थिक विकास का अनेक योजनाएँ बनायीं और भारतवासी उनको कार्यान्वित करने के प्रयत्न में गुट गये। फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाघ समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से

दृष्टिगोचर होने लगा और भारतवासियों की आशाओं में आत्मनिर्भरता की आशाएँ सक्रिय हो उठीं। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रकृति ने भारत के भाग्य का साथ नहीं दिया और आज भी भारत अपने भगीरथ प्रयत्नों के बावजूद भी खाद्य समस्या के गहन अन्वेषण में मटक रहा है।

वर्तमान खाद्य समस्या के रूप एवं उसके कारण

हमारी खाद्य समस्या के दो मुख्य रूप हैं—

(१) खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव।

(२) खाद्यान्न की मात्रा में कमी।

खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव एवं उसके कारण

हमारे देश में लोगों को असन्तुलित तथा आवश्यक पोषक तत्वों से रहित भोजन प्राप्त होता है। सरधान भैसा, श्री परादेह तथा डाक्टर राधानमल मुखर्जी ऐसे प्रधान अर्थशास्त्रवेत्ताओं ने खाद्य समस्या के इस रूप पर खोजबीन की है और उन सभी ने एक मत से निर्णय दिया है कि हमारे खाद्य पदार्थों में साधारणतया उन पोषक तत्वों का अभाव रहता है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिये आवश्यक हैं।

‘Colonies intake in some 30% of families is below requirement and that even when the diet is quantitatively adequate it is most invariably ill balanced containing a preponderance of cereals and insufficient ‘protective food’ of higher nutritive value. Intake of milk, pulses, meat, fish, vegetables and fruit is generally insufficient’

(Nutritive Advisory Committee)

कारण

(क) भूमि की अनबाज शक्ति की कमी के कारण बड़े इत्यादि उच्च पोषक पशुओं के स्थान पर निम्नकोटि की पशुओं का प्रयोग जाना।

(ख) बागवानी तथा पशु-वर्द्धि पालन उद्योगों का अभाव।

(ग) जनता की निरक्षरता के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता सम्बन्धी ज्ञान का अभाव।

(घ) अस्विकृत भावना के कारण गोशव, बछड़ा तथा मछली के प्रयोग का विरस्तार करना।

(ङ) निधनता के कारण पोषक तत्वों को खरीदने की क्षमता का अभाव रहना।

खाद्यान्न की मात्रा की कमी के कारण

वर्तमान खाद्य समस्या का कारण विशेष रूप से खाद्यान्न की कमी है। इसके कारणों को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

- (१) राजनैतिक कारण
- (२) सवैधानिक कारण
- (३) व्यावहारिक कारण

राजनैतिक कारण (Political Causes)

राजनैतिक गुटबन्दी

काग्रस ही वर्तमान आन्तरिक गुटबन्दी बहुत कुछ सीमा तक वर्तमान खाद्य संकट के लिए उत्तरदायी है। गुटबन्दी का कारण खाद्यन्न का वितरण विभिन्न राज्यों में उचित रूप से नहीं हो पाता जिसके कारण खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट बहुत कुछ इसी का परिणाम है। श्री क० सधानम् के शब्दों में—

“सुप्रसू, वितरण, मूल्यां का निर्धारण, सस्ते गल्ले की दूकानों को खोलने तथा उन दूकानों को गल्ला प्रदान करने आदि का एक मात्र दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।”

श्री जय प्रकाश नारायण ने अभी कुछ समय पूर्व अपनी विदेश यात्रा से लौटने के उपरान्त अपने सार्वजनिक भाषण में यह घोषणा की है कि संसदीय गणतंत्र की वर्तमान व्यवस्था भारत में अनुकूल नहीं है। उ होने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच स्वार्थों का संघर्ष इस तीव्रता के साथ चल रहा है कि निरन्तर भविष्य में ही नहीं तानाशाही की स्थापना की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। उनकी यह आलोचना निराधार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा इस समय दलीय हितों को अधिक महत्त्व प्राप्त हो रहा है। लखनऊ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री प्रबोध घोष के अनुसार करल में ७,००० सस्ते गल्ले की दूकानें हैं जब कि उत्तर प्रदेश में लगभग ३८००। नैतिक सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है, अतः इस पर्याप्तपूर्ण नीति से ऐसा आभास मिलता है कि या तो केन्द्र सरकार कम्युनिस्टों के प्रचार से भयभीत है अथवा उसका कम्युनिस्टों से प्रेम है। एक विधान सभाई संवत्स के अनुसार—

‘मने की बात यह है कि दिल्ली से चलने वाली गल्ले की गाड़ियाँ बिहार और बंगाल चली जाती हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश नहीं आ पाती।’

उपरोक्त उदाहरण केवल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं कि उत्तर प्रदेश की खाद्य

समस्या ही ख़ाद्य सक्कट हो, वरन् यह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ख़ाद्य सक्कट को जन्म देने में राजनीति का यहाँ तक हाथ है। ऐसी नीति किसी भी राज्य के साथ बरती जा सकती है।

सवैधानिक (Constitutional)

श्री अजित प्रसाद जैन क अनुसार—

“सविधान ख़ाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में मूलभूत दायित्व प्रदेश सरकार पर डालता है।”

श्री जैन का यह कथन ठीक है क्योंकि सविधान में कृषि प्रदेश का विषय है, परन्तु ख़ाद्य समस्या क अन्तगत कवल उत्पादन ही निहात नहीं है, इसमें वितरण भा सम्मिलित है। जहाँ तक वितरण का प्रश्न है यह क द्वीय सूची में है। अत एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ख़ाद्य समस्या के सम्बन्ध में दायित्व राज्य सरकार का है अथवा कन्द्रीय सरकार का। प० नेहरू के अनुसार केन्द्र सरकार का नेतिक दायित्व भले ही हो, सवैधानिक दायित्व कतइ नहीं है। राज्य सरकारों का वितरण म कुछ भी हाथ न होने के कारण, प्रदेश सरकारें कवल अधीनस्थ एजन्सियाँ रह जाती हैं। यही कारण है कि प्रादेशिक सरकारों का उत्साह ख़ाद्योत्पादन क सम्बन्ध में उहुत मन्द पड़ जाता है और उनक अधिनाश कार्य केवल प्रदशनी का वस्तु ही रहते हैं। यह अनावश्यक एव अनावहारिक सवैधानिक कन्द्रीयकरण का ही परिणाम है।

व्यावहारिक (Practical)

व्यावहारिक कारणों के अन्तगत वर्तमान ख़ाद्य सक्कट के मुख्य कारण निम्न लिखित हैं—

द्वितीय पचवर्षीय योजना में कृषि को गौण स्थान देना

हमारी सरकार ने प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि एव ख़ाद्योत्पादन को प्रमुख स्थान देकर उचित दिशा में कदम उठाया था। इस योजना काल में इस दिशा में बहुत कुछ सफलता मिली, परन्तु हम आत्म निर्भर न हो पाये। सन् १९४६ से लेकर अब तक १२ वर्षों में सरकार ने लगभग ३०० लाख टन गल्ले का विदेशों से आयात किया है। यह इस बात का द्योतक है कि देश म अन्न का उत्पादन आवश्यकता क अनुकूल पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सका है। ऐसी अधस्था में द्वितीय पचवर्षीय योजना म कृषि एव ख़ाद्योत्पादन को प्रमुख स्थान न प्रदग्न करना एक महान भूल थी जिसका ही परिणाम वर्तमान ख़ाद्य सक्कट है जेसा कि भूतपूर्व के द्वीय मन्त्री श्री मोहन लाल सक्सेना के शब्दों से स्पष्ट है—

“यद् बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि योजना निर्माताओं तथा प्रशासकों ने रात योजना के समान इस योजना के अतर्गत कृषि तथा खाद्योत्पादन को अधिक महत्व नहीं दिया है और पूर्व चेतावनियों की उपेक्षा कर खतरे को मोल लिया है।”

योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था

विश्व बैंक के बिन दो विशेषज्ञों को भारत की विनास योजनाओं का अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करने का भार सौंप गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह मत प्रदर्शित किया है कि भारत अपने विकास अभियान के तारतम्य में एक ऐसे स्तर पर आ गया है कि आगे बढ़ने की अपेक्षा कुछ ठहर कर प्राप्त सफलताओं का द्वितीकरण अधिक वाञ्छनीय बात होगी। इनके मत की व्यक्तिगत मतलब के रूप में उपेक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सभी जानते हैं कि देश के अन्दर भी बहुत से अर्थशास्त्रियों की ओर से यह मत प्रदर्शित किया गया है कि योजना आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षिणी हो गयी है अर्थात् उभरे लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय साधनों की अपर्याप्तता को दृष्टिगत नहीं किया गया है। यथार्थता यह है कि शासन ने अनाप शनाप बड़ी और घाटे की योजना बनाकर मुद्रा स्फीति को जन्म दिया है और यही खाद्य संकट का स्थायी कारण बनता जा रहा है। १० नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया है कि खाद्यान्न उत्पादन में आधारभूत महत्व को शासन ने अभी समझा है, किन्तु फिर भी भविष्य में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि करने अथवा वर्तमान अभावजन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई ठोस एवं प्रभावी पग नहीं उठाया गया है। शासन बरानर पाड़े की अर्थ व्यवस्था का सहारा लेता चला जा रहा है।

योजना में धन की बर्बादी एवं असफलता

योजना में धन का अपाय होने का कारण भी खाद्यान्न उत्पादन में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिये। खाद्यान्न में कुछ वृद्धि अथवा हुई परन्तु उसको प्राकृतिक परिस्थितियों अनुकूल होने का परिणाम कहा जाना चाहिये। उदाहरणस्वरूप १९५२-५३ में खाद्यान्न का उत्पादन ५८३ लाख टन हुआ जब कि १९५३-५४ में ६८७ लाख टन हुआ। एक वर्ष में ही लगभग १०० लाख टन की वृद्धि योजना का परिणाम नहीं, बल्कि किसी प्राकृतिक कारण का परिणाम ही माना जा सकता है। यदि योजनाबद्ध वृद्धि हुई होती तो अगले वर्षों में इसी क्रम से वृद्धि होना चाहिये थी, परन्तु निम्न आंकड़े ऐसा प्रकट नहीं करते—

१९५४-५५

६६६ ६ लाख टन

१९५५-५६

६७७.६ " "

१९५६ ५७

६८७ ५ लाख टन

१९५७ ५८

६२० ३ " "

ये आँकड़े स्पष्टतः संकेत करते हैं कि उत्पादन की मात्रा साथे साथे प्राकृतिक कारकों से सम्बद्ध रही है। इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में किये गये व्यय का यथोचित परिणाम नहीं प्राप्त हो सना है। आज स्थिति यह है कि लक्ष्यों की पूर्ति हो या न हो, किन्तु व्यय का बोटा पूर्ण कर लेने का उतावलापन छाया हुआ है। केन्द्र कोष प्रदान करता है और प्रदेश सरकारें धन तर्क करती हैं।

बहुत सी योजनाएँ ऐसी थीं जिनको चलाया गया परन्तु वे असफल रहीं। बहुत से बाँध बनाये गये परन्तु वर्षा श्रुतु में बह गये। ऐसा कहा जाता है कि काफी रूपया बर्माचारियों के भ्रष्टाचार ने नष्ट कर ली है और योजना पर निर्धारित खर्च से बहुत कम खर्च लग पाती है जिसके कारण योजना का असफल होना स्वाभाविक ही है। बिचाई की छोटी छोटी जो योजनाएँ चलती हैं उनमें भी किस प्रकार धन का अपव्यय होता है, निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है—

प्रदेश	निश्चित किया गया धन	व्यय हुआ धन (करोड़ रुपये में)	सींचित क्षेत्र का लक्ष्य (लाख एकड़ों में)	वास्तविक सींचित भूमि (लाख एकड़ों में)
बिहार	(करोड़ रुपये में) ४ ७८	४ ७६	१७ ४	१ ६२
मध्यप्रदेश	७ ८६	४ ७	७ ७५	१ ८
मद्रास	३ ३	२ २	५ ०५	६५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतगत बांध तैयार करने के लिए खेतों का योजना करने का निश्चय किया गया, किन्तु अधिकांश प्रदेश सरकारें इस प्रकार के भूखरब प्राप्त करने में ही असफल रहीं। भूमि के दाम अधिक होने के कारण प्रदेश सरकारों ने येन-तन्-प्रकारेण दिखाने की भी उतावलापन खेतों का आज सजाया केवल इसलिये कि धन व्यय करते कुछ न कुछ तो पका ही किया जाना चाहिये।

जनता में क्रय शक्ति की कमी

खाद्यान्न की कमी के कारण उसके मूल्यों में वृद्धि स्वाभाविक ही थी, परन्तु जनता की क्रय शक्ति कम होने के कारण सबट और भी अधिक तीव्र हो गया। पूँजा प्रधान योजना ने जिसकी मारी करों से पूरा किया जा रहा है, जनता की क्रय शक्ति

को घटा दिया है। विदेशी मुद्रा संकट के कारण लगाये गये आयात नियमों के परिणामस्वरूप उद्योग-वर्गों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण बेकारी और बढ़ गई। कानपुर में ही सूती मिल उद्योग में संकट उत्पन्न होने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये। बेकारी के कारण जनता की मन शक्ति में और भी कमी हो गई और खाद्य संकट का रूप गम्भीर हो गया।

जनसंख्या में वृद्धि

भारतवर्ष में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि भी वर्तमान खाद्य संकट का एक मुख्य कारण है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यह कहा जाता है कि नवजात शिशु जबल मुँह लेकर ही नहीं बरन् दो हाथ भी लेकर आता है और यदि हाथों को काम मिलता रहे तो मुँह भरने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। परन्तु यह कथन निराधार-वा प्रवात होता है क्योंकि प्रारम्भ से ही शिशु इस योग नहीं होता कि वह किसी प्रकार का उत्पादक कार्य कर सक। अतः जनसंख्या की वृद्धि की समस्या को टाला नहीं जा सकता। वास्तव में ऐसे समय में जब पूर्व से विद्यमान हाथों को ही काम देने की समस्या उत्पन्न हो, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि खाद्य संकट की पूर्व सूचना ही कही जा सकती है।

कृषि उपज का कम होना

एक ओर तो जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर प्रति एकड़ उत्पादन में कोई भी वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी। ऐसी दशा में खाद्य संकट का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। इसमें संदेह नहीं कि स्वतंत्रता के उपरान्त भूमि व्यवस्था में सुधार, सिंचाई के साधनों में विकास एवं मान सुधार की अन्य योजनाएँ तथा न्यूनतम की जा चुकी हैं, परन्तु कृषि उपज में वृद्धि अधिक नहीं हो पाई। इसका कारण केवल यही है कि सभी कार्य सरकारी स्तर पर किये गये हैं और जनता के सहयोग का प्रभाव रहा है। यदि योग्य भूमि की मात्रा में भले ही वृद्धि हुई हो किन्तु प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा। भारतीय किसानों के खेतों को खेतों के दग दग भी पुराने ही हैं। वैज्ञानिक साधनों का उपयोग अब भी वे नहीं जानते। वास्तव में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का वैज्ञानिक दृष्टि पर खेती करने के लाभों को ज्ञानाना ही काफ़ी नहीं, उनको प्रशासनिक साधन भी उपलब्ध करना आवश्यक है। जब तक किसानों की वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन न हो, आधुनिक दृष्टि वास्तव में असंभव हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। केवल कागज पर योजनाएँ बनाने से ही उपज में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। प्रचार को आवश्यक

अधिक किया जाता है, परन्तु ठोस कार्य बहुत कम। भारतीय कृषक आज भी उसी स्थिति में हैं जिसमें वह दस वर्ष पूर्व था।

नये बान्नों के भय से खेतिहर अपने खेतों को खाली छोड़े रहते हैं किन्तु किसी को बटाई पर नहीं देते जिसके कारण ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५० लाख एकर भूमि बेकार पड़ी रहती है।

प्राकृतिक प्रकोप

वास्तव में वर्तमान खाद्य संकट का मूल कारण प्रकृति का भारत के भाग्य का साथ न देना है। पिछले दो वर्षों से भीषण बाढ़ों के कारण लाखों बीघे लहलहाती हुई खेती नष्ट हो गई। मानसून के देर में प्रारम्भ होने के कारण घान की फसल को भी काफी आघात पहुँचा। परिणामस्वरूप यह कहावत "Man proposes and God disposes" चरितार्थ हुई और सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ सफल न हो सकीं। यदि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रकृति का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान खाद्य समस्या का इतना विचराल रूप न होने पाता और कदाचित् स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई के अप्रैल १९५४ के निम्नलिखित शब्द बथार्थ सिद्ध होते—

“यदि आज की भाँति हमारी खाद्य परिस्थिति सतोपप्रद रहती है तो अगले वर्षों में, हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेंगे, परन्तु कुछ निर्यात करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेंगे।”

व्यापारियों की दूषित मनोवृत्ति

व्यापारियों की दूषित मनोवृत्ति भी वर्तमान खाद्य संकट के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है। व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना है, अतः उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए खाद्यान्न का बहुत अधिक मात्रा में संग्रह कर लिया और अधिक मूल्य पर बेचना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप खाद्य संकट और भी गम्भीर हो गया है। अब तो बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों में भी स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। इसी प्रवृत्ति के कारण खाद्यान्न के मूल्य निरन्तर बढ़ते चले जाते हैं। यदि खाद्यान्न का उचित वितरण किया जाय तो खाद्य संकट की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

खाद्य समस्या के हल करने के सुभाव

(क) वर्तमान संकट काल के निवारण के लिए अस्थायी समय के लिए बाह्य देशों से खाद्य पदार्थों का आयात करना चाहिए।

(ख) कृषि प्रणाली में परिवर्तन, न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था, सिंचाई के साधनों का विकास, वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग तथा उत्तम खाद और बीज के वितरण इत्यादि के द्वारा प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करनी चाहिए।

(ग) फल, शाक, दूध, घी, मछली, मांस और अण्डों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए।

(घ) उचित वितरण के लिए यातायात के साधनों में वृद्धि तथा विपणन की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। लाभ पदार्थों के मूल्यों के स्थायीकरण के उपाय अति आवश्यक हैं।

(ङ) निर्धनता एवं क्रय-शक्ति के अभाव को दूर करने के लिए देश में शौचोगीकरण, कृषि में सुधार, कुटीर उद्योगों की उन्नति, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण तथा शोषण का उन्मूलन करना आवश्यक है।

(च) लाघ समस्या को किसी दल का विषय न बनाया जाकर पूर्ण राष्ट्रीय विषय बनाया जाना चाहिए। शासन को अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(छ) नगर भूमि की ओर कृषकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह घोषणा की जानी चाहिये कि भूमि को उपजाऊ बनाने वाले से निश्चित समय तक लगान नहीं लिया जायगा।

(ज) कागूनों की पेचीदगी समाप्त की जानी चाहिये जिससे खेतिहर छोड़ी गई भूमि को मजदूरों से जुतवा सकें प्रथवा बटाई पर दे सकें।

सरकार द्वारा प्रयत्न

(Government Measures)

द्वितीय महायुद्ध काल में हमारी लाघ समस्या ने अत्यन्त सङ्कटकाल उपस्थित कर दिया और हमारे सम्मुख केवल दो ही रास्ते रह गये, करो या मरो। अतः हमारी सरकार ने अप्रैल १९४२ में अन्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक लाघ उत्पादन सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया। इस सम्मेलन की सिफारिशों का फल स्वरूप सन् १९४३ में 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' (Grow more food campaign) चालू की गई।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय अपनाये गये.—

(क) नई भूमि को उपजाऊ बनाकर और पुरानी भूमि पर खेती करके खाद्यान्नों का उत्पादन में वृद्धि करना।

(ख) वर्तमान सिंचाई के साधनों की मरम्मत करना, उनमें वृद्धि करना और नये कुओं व तालाबों का निर्माण करना ।

(ग) रसायनिक खादों का विस्तृत प्रयोग करना ।

(घ) उत्तम बीजों के उत्पादन में वृद्धि व उनके वितरण की अच्छी व्यवस्था करना ।

योजना के अन्तर्गत कार्य

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को आर्थिक सहायता एवं ऋण देकर योजना को सफल बनाने का प्रयत्न किया । राज्यों में नई बजर भूमि उपजाऊ बनाई गई, कुएँ खुदवाये गये, तालाब बने, हरी खाद, रसायनिक खाद इत्यादि का वितरण हुआ तथा विदेशों से कृषि औजार एवं मशीनरी मँगाई गई । इन सब प्रयासों के होते हुए भी खाद्य स्थिति न सुधर सकी । इस योजना के फलस्वरूप खाद्यान्नों के अन्तर्गत १० मिलियन एकड़ भूमि का विस्तार हुआ और अन्त में द्वाइ मिलियन टन की वृद्धि हुई । खाद्य समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह परिणाम सागर में कुछ बूंदों के समान थे ।

योजना की असफलता के कारण

इस योजना के सफल न होने के निम्नलिखित कारण थे—

(क) यह एक वागजी योजना ही रह गई, रचनात्मक ठोस कार्य कम किया गया ।

(ख) जो कुछ भी प्रयत्न किये गये वे सरकारी स्तर पर किये गये और वास्तविक किसान तक सुधारों का फल न पहुँच सका ।

(ग) योजना का स्वरूप अस्थायी था । नियोजन का अभाव था । अतः खाद्य संकट की जड़ों को उखाड़ फेंकने में यह योजना नितान्त असफल रही ।

(घ) धन का व्यय तो बहुत हुआ परन्तु उसका सदुपयोग न हो सका । निरीक्षण का अभाव में तथा सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैले होने के कारण खेतों पर कुएँ बनने के स्थान पर लोगों के घरों में कुएँ बने, उत्तम बीज बोये जाने के स्थान पर पाये गये और इसी प्रकार अन्य गड़बड़ियाँ हुई ।

(ङ) युद्ध के उपरान्त निर्माण सामग्री का भी अभाव रहा और इस प्रकार आवश्यक निर्माण न हो सका ।

अधिक अन्न उपजावटों योजना का पुनर्संगठन

प्रथम योजना की असफलता के कारण हमारी सरकार ने सन् १९५७ ई० में द्वितीय खाद्यान्न नीति समिति (Food Grains Policy Committee)

नियुक्त की। इस समिति ने सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया और निम्नलिखित सुझाव दिये—

(क) सिंचाई की बहुमूर्ती योजनाएँ बनाई जावे और उनके द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में १६ मिलियन एकड़ भूमि की वृद्धि का ज्ञान।

(ख) खाद्य संकट के निवारण के लिए कृषि नियोजन अत्यन्त आवश्यक है अतः एक केन्द्रीय बोर्ड कृषि नियोजन के लिए स्थापित किया जाय।

(ग) नई भूमि को तोड़ने और उर्वर भूमि को उपजाऊ बनाने में भरपूर प्रयत्न किया जाय।

(घ) एक केन्द्रीय भूमि उपजाऊ बनाने वाला संगठन (Central Land Reclamation Organization) बनाया जावे।

(ङ) खाद्य संकट के निवारण के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जावे जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष दस मिलियन टन अधिक अन्न उत्पन्न करना हो।

पुनः संगठित अधिक अन्न उपजाऊ योजना के अन्तर्गत कार्य

इस योजना के अन्तर्गत लाखों कुएँ खोद गये, बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ, लाखों एकड़ भूमि तोड़ कर उपजाऊ बनाई गई और हजारों टन उत्तम बीज तथा रासायनिक खादा का वितरण किया गया। मुख्यतः उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्यों में सराहनीय कार्य हुआ। श्री क० एम० मुशी के शब्दों में —

“It is important to note, however, that the loss would have been even greater if the defferent Grow More Food Schemes had not been in operation and the additional production due to them had not taken place”

भारत सरकार की नई खाद्य नीति की घोषणा

२४ फ़िब्रवर सन् १९४८ को भारत सरकार ने अपनी खाद्य नीति की घोषणा की जिसकी निम्न मुख्य बातें थी—

(क) देश को अधिक उत्पादन, आत्मनिर्भर और खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में विभाजित किया जाय। इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का एकाधिकार सरकार को हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य पर अधिक अन्न वाले क्षेत्रों से राज्य सरकारों के नियन्त्रण में अन्न की खरीद की जाय।

(ग) बिना लाइसेन्स के कोई भी व्यापारी अन्न का क्रय विक्रय तथा संग्रह न कर सक।

(घ) खाद्यान्नों के राशननिग क्षेत्रों में विस्तार किया जावे।

इस नीति की अपेक्षाकृत भी राशन सफ्ट दूर न हो सका। सन् १९४६ ई० में एन एनए उत्पादन कमिश्नर की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए एक राशन उत्पादन बोर्ड स्थापित किया गया। अगस्त सन् १९५० ई० में दिल्ली में राज्यों के राशन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निम्न लिखित सुझाव दिये गए—

(क) खाद्य नीति के विषय में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य पूर्ण सहयोग होना चाहिये।

(ख) राशन उत्पादन, उसकी परीक्षा तथा वितरण सुदृढतर पर होना चाहिये।

(ग) अन्न सग्रह करने वाले तथा चोर-पतारी करने वालों के साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

(घ) विभिन्न राज्यों में अन्नों के मूल्य में स्थिरता लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

इतना सब होत हुआ भी मार्च १९५२ तक देश अन्न के विषय में आत्म निर्भर न हो सका। सन् १९५२ ई० में भारत सरकार ने एन अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति (Grow More Food Enquiry Committee) की स्थापना की। इस समिति की सिफारिश के अनुसार अधिक अन्न उत्पादन योजना सम्पूर्ण ग्राम सुधार योजना का एक अंग बना दी गयी।

देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए १९५७ में भी 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएँ चलती रहीं। इसके लिये १९५७-५८ वित्तीय वर्ष में २५ करोड़ ६७ लाख ६० की राशि रती गई। इससे राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जायगी। अतिरिक्त सहायता, अर्थात् २२ करोड़ ६५ लाख ०० ऋण के रूप में दिया जायगा। इसमें १० करोड़ ६७ लाख ६० की वह राशि भी शामिल है जो राज्य सरकारों को वसुल समय के ऋण के रूप में प्राप्त, उर्वरक और उद्दिष्ट बोज खरीद कर वाँटने के लिए दी जायगी। शेष ३ करोड़ २ लाख ६० रुपयों को सहायता के रूप में दिये जायगे। इस प्रकार के छोटे सिंचाई कार्यों और भूमि सुधार आदि का स्थायी सुधार योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में प्रविष्टि सहायता देने की नीति इस वर्ष भी जारी रखी गयी। १९५७-५८ वित्तीय वर्ष के लिए जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें से ३१ जनवरी १९५८ तक, भारत सरकार राज्य सरकार को ३ करोड़ ४४ लाख ६० तो अनुदान के और २३ करोड़ ४२ लाख ६० ऋण के रूप में देना स्वीकार कर चुकी थी।

अन्न की उन्नत बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का घना प्रयोग करने का विशेष प्रचार इस वर्ष भी किया जाता रहा और इस वर्ष ८ लाख टन अमोनियम सल्फेट की खपत हुई। बहुत-सी राज्य सरकारों ने गाँव में ही अधिक खाद तैयार करवाई और हरी खाद का प्रयोग बढ़ाने का उपाय किया। यह भी निश्चय किया गया कि १९५७-५८ से "अधिक अन्न उपजाओ" कोष में से सहायता चन्द्रन्दी करने के लिए भी दी जाय। आशा है कि राज्यों ने १९५७-५८ के जो "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम बनाये हैं, उनसे २१ लाख ६० हजार टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हो सकेगा। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, अनेक राज्यों में २८,१३७ कुएँ और ३२० तालाब नये बनवाये जा सकेंगे और पुराने मरम्मत करके ठीक किये जा सकेंगे। इन कुएँ और तालाबों के पूरा हो जाने पर इनसे लगभग १७३ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। नदियों, नालों और कुओं में १३ हजार से अधिक रहट लगवा दिये जाने की आशा है। उनसे १३८ हजार एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। इनके अतिरिक्त भी, राज्य सरकारों का विचार अनेक बाँध, नाले और रजवहे आदि बनवाने का है। उनके पूरे हो जाने पर उनसे १४ लाख ६० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगने की आशा है। आशा है कि १९५७-५८ में, "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई की जो छोटी-छोटी अनेक योजनाएँ चलाई जायेंगी उनसे और नल-कूप लगाने के विशेष कार्यक्रम से लगभग २२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन

प्रथम पंचवर्षीय योजना की यदि कृषि विभाग योजना कहा जाय तो अति श्रेयोंकि न होगी। इस योजना में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की गयी। ७६ लाख टन अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया तथा सामुदायिक विचार योजनाएँ, सिंचाई योजनाएँ, एष जापानी पद्धति से धान की खेती करने की योजनाएँ कार्य रूप में परिष्कृत की गयीं। योजना के तृतीय वर्ष में लक्ष्य से कहा अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। यतः खाद्यान्न, पर कन्ट्रोल द्वारा दिये गये तथा स्वातंत्र्य, आयात बन्द कर दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा कि खाद्य उन्नत का सदैव के लिए अन्त हो गया जैसा कि तत्कालीन खाद्य मंत्री का वक्तव्य था:—

“हम सब केवल अन्न में स्वावलम्बी ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए कुछ संचित करने योग्य भी अपने को बना सकते हैं।

इस प्रकार योजना की सफलता की आशा थी और इसी सफलता की आशा से द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने के समय केवल आवश्यकतानुसार ही अतिरिक्त अन्न की आशा के लिये एचर्षे की रकम निर्धारित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत सन् १९६१ तक २५ मिलियन टन अतिरिक्त अन्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस आशा से अन्न उत्पादन के लक्ष्य रखे गये थे, परिस्थिति उसके विपरीत दृष्टिगोचर हुई। योजना के प्रथम वर्ष में ही स्थिति निम्नानुसार रही। एक ओर लोगों के पास बढ़ी हुई क्रय शक्ति और फलस्वरूप उनकी अन्न के लिए अधिक माँग और दूसरी ओर अन्न उत्पादन आशा के प्रतिबल रहा। विशेषकर उत्तरी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में—बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश आदि में बाढ़, सूखा आदि के कारण फसलें खराब हो गयीं। योजना के द्वितीय वर्ष में अन्न का अभाव और भी बढ़ गया, साथ ही अन्न के मूल्य काफी बढ़ गये। कीमतों में होने वाली इस वृद्धि के कारण जनता और सरकार दोनों को ही परेशानी में पड़ जाना पड़ा। अतः सरकार को सोचना पड़ा कि उसका कैसे सामना किया जाय। फलस्वरूप सरकार ने खाद्य अभाव और मूल्य जाँच के लिए श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में जून सन् १९५७ में खाद्यान्न जाँच समिति (The Food Grains Enquiry Committee) की नियुक्ति की। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर सन् १९५७ में सरकार के समक्ष रख दी।

खाद्यान्न जाँच समिति (१९५७) का प्रतिवेदन

इस समिति ने देश में खाद्यान्न का उत्पादन, वितरण और दाम की मूल समस्या पर समग्र दृष्टि से विचार किया है। पूर्वी भारत में जो सूखा पड़ा था उस पर समिति विचार नहीं कर सकी, परन्तु उसने कहा है कि इन क्षेत्रों के बारे में उसने जो साधारण सुझाव दिए हैं उनका पूरा होने पर भविष्य में इस प्रकार की आपत्तियों से काफी हद तक बचाव हो सकेगा।

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह है कि आर्थिक विकास की क्रिया में दामों का बढ़ना स्वाभाविक है। उत्पादन, आमदनी, काम, माँग, दाम आदि का बढ़ने का अंतर एक दूसरे पर होता है और इस कारण दामों का बढ़ाव उतार होता रहता है। पर साधारण रख बढ़ाव का हाँ होता है। हाँ एक दम से बहुत अधिक दाम बढ़ने से लोगों को बर्ध होता है, इसलिए उसे बचाना चाहिए।

समिति ने पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण विनियंत्रण दोनों की ही अस्वीकृत करते हुए सुझाव दिया है कि नियंत्रण का स्वरूप प्रतिबन्धक न होकर प्रतिबन्ध के रूप में अथवा नियामक होना चाहिए। खाद्य मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन द्वारा संसद में

लाधान्न डॉन् रिपोर्ट में आगामी कुछ वर्षों तक २० से ३० लाख टन लाधानों के वार्षिक निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

समिति की सिफारिशें

मूल्य स्थिरीकरण मंडल (Price Stabilization Board) की स्थापना

समिति ने सुझाव दिया है कि अनाज के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए ठोस कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है। समिति ने इसके लिए उच्च अधिकार प्राप्त 'मूल्य स्थिरता मंडल' स्थापित करने का सुझाव दिया है जो सामान्य रूप से भाव स्थिरीकरण के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारण करने के साथ साथ उसे समय समय पर लागू करने के लिए कार्य-क्रम निश्चित करेगा। समिति का यह भी सुझाव है कि एक 'केन्द्रीय खाद्य सलाहकार परिषद्' की भी स्थापना की जाय जिसका कार्य केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालय और मूल्य स्थिरीकरण समिती की मदद करना होगा। सरकार को लाधानों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता रहे, इसके लिए एक अलग 'मूल्य सूचना विभाग' स्थापित किया जाना चाहिए।

यह समिती अनाज की खरीद-बिक्री का काम करेगा। जब किसी क्षेत्र में दाम गिरने लगेंगे तो यह समिती उचित मूल्य पर खरीद शुरू करेगा और इन्हीं प्रकार भावों की तेजी होने पर बिक्री करेगा। इस प्रकार यह अनाज के व्यापार पर काबू रखेगा। सब मंडियों में इसकी शाखाएँ रहेंगी।

अन्न का वितरण

समिति का कहना है कि अन्न का वितरण सस्ते अनाज की दूकानों या नए टग की राशन की दूकानों या सहकारी सस्थाओं द्वारा होना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, सस्ते अनाज की दूकानों पर अनाज इस आधार पर बिकना चाहिए कि न नफा हो और न घाटा पड़े।

अन्न का आयात

समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अगले कुछ वर्षों में अन्न का काफी मात्रा में आयात किए बिना, अन्न का भंडार जमा करना या अभावग्रस्त लोगों की जरूरतें पूरी करना समय नहीं होगा। इसलिए विदेशों से अन्न का आयात करना आवश्यक है। समिति का अनुमान है कि यह आयात २० से ३० लाख टन के बीच करना होगा। यह बहुत जरूरी है कि हम चावल के आयात के लिए बर्मा से कोई दीर्घकालीन समझौता करें। अमेरिका से काफी मात्रा में गेहूँ और थोड़ा-सा चावल मँगाना भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा।

अन्न भंडार

खाद्यान्न सगठन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य यह होना चाहिये कि वह २० लाख टन अन्न का भंडार रखे। १९५५ का अनुभव यह है कि वास्तविक संकट के समय १५ लाख टन अन्न का भंडार भी काफी नहीं होता। यह सुरक्षित भंडार महत्वपूर्ण स्थानों पर जमा रहना चाहिये।

गल्ला वसूली

समिति का मत है कि फ़िलहाल गहुँ और मोटे अनाज की अनिवार्य वसूली जरूरी नहीं है। इन्हें मंडी से खरीद लेना काफी होगा। लेकिन चावल की कुछ हद तक अनिवार्य वसूली जरूरी होगी जिससे सरकारी भंडार में ६-७ लाख टन चावल रखा जा सके। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि उड़ीसा, पंजाब, आंध्र और छत्तीसगढ़ आदि कुछ क्षेत्रों का वसूली कर दी जाय और इनमें खाद्यान्न मूल्य सगठन को ही क्षेत्रों से बाहर भेजने के लिए खरीद का एकमात्र अधिकार दिया जाय।

व्यापारियों को लाइसेंस

उत्प्रेक्ष्य प्रणाली को वास्तव में सफल बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि खाद्यान्न के व्यापार पर नियंत्रण किया जाय। इस दृष्टि से अनाज के सभी व्यापारियों पर सख्त उपायों को जो १०० मन से अधिक अनाज का व्यापार करते हैं, लाइसेंस दिये जाय। लाइसेंस की एक शर्त यह होनी चाहिये कि व्यापारी अपने भंडार, बिक्री एवं खरीद के बारे में निश्चित अधिकारों को पालिका हस्त में दें। व्यापारियों के स्टॉक जमा करने से भी सीमाओं की खींच बढ़ी है। सन् १९५५-५६ में तो बड़े व्यापारी हाथ में जमा कर रहे थे, पर १९५६-५७ में बड़े और मध्यम श्रेणी के किसान भी यही करने लगे।

बाजार में अनाज का आयात

अगले कुछ वर्षों में शहरों में अनाज की जरूरत और भी बढ़ेगी, लेकिन यह निश्चित नहीं कि गाँवों से उतना ही अधिक अन्न शहरों में बराबर आता रहेगा। बाजार में किसान अपनी अधिक से अधिक उपज बेचे, इसके लिये सहकारी समितियों की ओर से विक्री के अनुसार बर्ब मिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये बाजार का दल भा स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसलिये बाजारों के उतार चढ़ाव और भावों पर अंतर डालने वाला सब कार्यों की पूरी पूरी जानकारी एनएच करने के लिए यत्न होना चाहिये।

उत्पादन वृद्धि

अन्न के उत्पादन के विषय में समिति ने कहा है कि दूसरी योजना में १ करोड़

३ लाल टन अर्थात् लक्ष का दो-तिहाई अनाज ही अधिक उत्पन्न हो सकेगा। लक्ष से कम इस उत्पादन के लिए भी बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत होगी। समिति ने अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। ये सुझाव सिंचाई की छोटी-बड़ी योजनाओं, उत्तम बीजों की पैदावार बढ़ाने एवं उनके उचित वितरण करने, देशी खाद के उपयोग बढ़ाने और रसायनिक खाद की उत्पत्ति बढ़ाने, भूमि क्षरण को रोकने और वन विकास करने तथा पशु-धन का उचित प्रयोग करने से सम्बन्धित हैं। समिति ने कहा है कि सब बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के खर्च की बड़ी सावधानी से जाँच की जानी चाहिए और यदि कहीं कुछ धन बच सके तो उसे बचाकर छोटी सिंचाई की योजनाओं में लगाना चाहिए क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनका लाभ जल्दों लाने आया था।

परिवार नियोजन

खाद्य समस्या के प्रभावी समाधान के लिए समिति ने केवल सुदृढ़ और प्रत्येक संभव प्रयास पर ही बल नहीं दिया है, बल्कि उत्पादन बढ़ाकर तेजी से बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन का राष्ट्रव्यापी अभियान भी छेड़ देने का आह्वान किया है। इस काम में समाज सेवकों, स्त्रियों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक नेताओं और प्रशासकों इत्यादि की शक्ति और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यदि इस दिशा में देशव्यापी आन्दोलन न किया गया तो देश की खाद्य समस्या मयानक रूप धारण कर सकती है।

उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त समिति का विचार है कि सरकार को शून्यः शून्यः गल्ले के पूरे थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। अन्त में समिति ने यह कहा है कि देश की खाद्य समस्या इतनी गम्भीर है कि दलगत राजनीति और मतभेदों से ऊपर उठकर इसको हल करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयत्न होने चाहिए। शासन की ओर से सहायुभूति और उचित नीति का आश्वासन पाने पर हमारे किसान पैदावार बहुत बढ़ा सकते हैं। खाद्य नीति की सफलता देशवासियों के सहयोग और समझदारी पर निर्भर है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेहता समिति ने अन्न समस्या का एक नये ढंग से अध्ययन किया है जो इसके पूर्व कभी नहीं किया गया। इसमें सन्देह नहीं कि इस समिति के अनेक सुझावों को सरकार द्वारा कार्यान्वित करने से वर्तमान खाद्य समस्या के सुलभाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। सस्ते गल्ले की दुकानों पर सरकार ३ करोड़ रुपये मासिक व्यय कर रही है। नवम्बर १९५८ से सरकार ने गल्ले के राजकीय व्यापार सम्बन्धी नीति घोषित कर दी है। गल्ले के थोक व्यापारियों द्वारा दी गई हड़ताल की घमटी के प्रत्युत्तर में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अभी ७

दिसम्बर १९५८ क एक जन सभा के भाषण में स्पष्ट कह दिया कि सरकार उनकी धमकियों क सामने अभी नहीं झुकगी और चोषित नीति म किसी प्रकार का परिवर्तन नहा हो सकता। प० नेहरू ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य थोक व्यापारियों का रोजगार छानना नहीं, बरन् उनकी बेचा मुनाफाप्लोरी को रोकना है। वे उचित लाभ क अधिकारी हर समय देने रह सकते हैं। यदि देश का व्यापारी वर्ग अपने उत्तरदाताओं क प्रति जागरूक होता और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हितों का अतिक्रमण न करता तो सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता न थी। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों क अन्तगत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से अनिवार्य है, भले ही यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अनुचित हो।

उपसंहार

खाद्य संकट को दूर करने क लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न कम सहायनीय नहीं हैं। सिवाइ की बहुमुखी योजनाएँ लगभग पूर्ण हो रही हैं, परिवार नियोजन की प्रगति हो रही है तथा कृषक की स्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है। सरकार खाद्य संकट क प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है, परन्तु परिस्थितियों क कारण इस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाई है। जहा तक हमारी पञ्चवर्षीय योजना का अधिक महत्वाकांक्षी होने का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहा कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा ही प्रतीत होता है और लक्ष्य की तुलना म साधन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, किन्तु अगर आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय तो अपने वर्तमान स्वरूप म योजना महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि अपर्याप्त प्रतीत होगी। मानव जीवन म महत्वाकांक्षी आशाओं एवं अभिलाषाओं का होना प्रगति क लिए नितान्त आवश्यक है। अत वर्तमान, खाद्य संकट क लिए योजना की दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव म विरोधी दलों की प्रदर्शन, नारों एवं सत्याग्रह की नीति ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। समस्या अधिक उत्पादन की है जिसको नारों एवं प्रदर्शनों से हल नहीं किया जा सकता। इस समय संगठित प्रयास की आवश्यकता है जैसा कि श्री वी० वी० गिरि ने अभी अपने सार्वजनिक भाषण म व्यक्त किया था—

'The demon of unemployment and starvation which had to be fought on a war footing could only be accomplished with a spirit of oneness and a complete sense of unity of all sections of the population sinking all political differences'

अभी हमारा देश आर्थिक संकट से होकर गुजर रहा है। देश के भविष्य एवं उसका स्वामिमान का प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है। हमें आज संगठित

होकर अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करके सस्तर को दिसलाना है कि भारतवासी सकटों से बचसते नहीं, उनका सामना करना जानते हैं। भारत की साय समस्या का समाधान अधिक उत्पादन पर ही निर्भर है। भारत की परीक्षा है। करने में मृत्यु है। बढ़ते हुए कदम के आगे बढ़ने में ही आम सम्मान की रक्षा है और यही समृद्धि का मार्ग है। जुलाई १९५८ के अंतिम सप्ताह में हमारे प्रधान मंत्री ने उत्तर भारत में गेहूँ उत्पादक क्षेत्र में रबी फसल के सम्बन्ध में उत्पादन आन्दोलन चलाने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा स्वयंसेवकों का नौ उच्चस्तरीय सम्मेलन बुलाया था वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए एक दृढ़ आधार बनाने के लिए तैयार है। उपज बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को बहुत से ठोस सुझाव जैसे सिंचाई शुल्क की दर सशोधित करके पानी का अधिक उपयोग, अधिक छाटी सिंचाई के साधन, आदि दिए जा चुके हैं। केंद्रीय साय एवं वृषि मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि ये टुकड़े टुकड़े उपाय काफी नहीं हैं। अतः उसने आगामी रबी फसल में अनाज की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैज्ञानिक और तेज आन्दोलन की योजना तैयार की है। इस प्रकार जनता तथा सरकार के मंगोस्य प्रयत्नों के फलस्वरूप अब हमारे धन धान्य से परिपूर्ण होने की आशाएँ पुनः सक्रिय हो रही हैं और इस दिशा में स्पष्ट रूप से सर्वोच्च महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होने लगा है।



सिंचाई व्यवस्था

(Irrigation)

भारतीय कृषि 'वर्षा में जुँझा है'। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून सर्दर अनिश्चित रहता है। वास्तव में भारतीय कृषक का भाग्य मानसून पर ही निर्भर है। नील्स के शब्दों में—

"If mansoons fail, there is a complete lockout in Agriculture"

वर्षा ऋतु में भारतीय कृषक आशा है और नीम्बरी बादल की टुकड़ी की ओर आशापूर्ण दृष्टि से टुकटुकी लगायें देखते रहते हैं क्योंकि उसी पर उनके सम्पन्न एवं सुखी भविष्य की कल्पना अवलम्बित है और वही उनका भाग्य है। यदि वही वर्षा न हुई तो उनकी सुन्दर भविष्य की कल्पना पर तुपारापात हो जाता है और सर पर निपत्तियों के बाटल मड़राने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा के अनियमित होने के कारण स्थानांतरण विषमताएँ भी बहुत हैं। राजपूताना में १०" और आशाम की पहाड़ियों में ३००" से भी अधिक वर्षा होती है। अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा के कारण ही लाखों बीघे भूमि पानी के अभाव में परती पड़ी रहती है और लाखों बीघे लहलहाती हुई बोई कृषि मूल्यों की प्रचण्ड किरणों से जलकर भस्म हो जाती है। यही कारण है कि सिंचाई के कृषिमा साधनों की भारत में अत्यन्त आवश्यकता है। सत्य तो यह है कि पानी ही भारतीय कृषि का जीवन रक्त है। सर चार्ल्स ट्रेवेलियन के शब्दों में—

"Irrigation is everything in India Water is more valuable in India than land, because when water is applied to land it increases its productivity atleast six fold and generally a great deal more."

आज वास्तव्य की कमी की समस्या भारत की प्रमुख समस्या है। वास्तव्य में इस समस्या के उचित समाधान के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता का कोई भी अर्थ नहीं है। नहरों द्वारा केवल अल्प क्षेत्र में ही वृद्धि नहीं होगी वरन् बाढ़ एवं दुर्भिक्ष की

समस्याओं का भी अन्त हो जायगा। सत्य तो यह है कि अकाल का सामना करने के लिए, खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए एव कृषकों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए सिंचाई ही एक मात्र साधन है। देश के विभाजन के पश्चात् जब काफी नहरें पञ्जाब में पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई हैं, तब तो सिंचाई के साधनों के विकास का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब तक हम लगभग केवल १० प्रतिशत नदियों के पानी का ही उपयोग कर पाये हैं और बाकी पानी व्यर्थ समुद्र के अन्दर चला जाता है। पटसन, करास, गन्ना इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए तो कृत्रिम सिंचाई के साधनों की और भी आवश्यकता है। विद्युत् शक्ति का भी संचार विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के साथ पूर्ण किया जा सकता है। कुटीर उद्योग धन्धे के विकास पर भी इस प्रकार सिंचाई की योजनायें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस प्रकार देश की आर्थिक सम्पन्नता एव श्रौद्योगिक विनास भी सिंचाई के साधनों पर ही निर्भर हैं। उद्योग में कृत्रिम सिंचाई के साधना का महत्व एक ओर तो याद एव अकाल से रक्षा करने के लिए है और दूसरी ओर अधिक उत्पादन एव कृषकों के जीवन में सुख एव समृद्धि प्रदाने के लिए है। इन्हीं समस्याओं के समाधान होने पर ही भारत अपनी आर्थिक मोक्ष के स्वप्न को साकार कर सकता है।

भारतीय आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला कृषि ही है जिस पर सारे राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता निर्भर है। आज भारत जब अपने नव निर्माण के पथ पर साधता से अग्रसर हो रहा है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। सिंचाई की व्यवस्था से ही कृषकों के जीवन में नई आशा की किरण का प्रकाश फैलाया जा सकता है। रूपक ही भारत की रीढ़ है।

सिंचाई के विभिन्न साधन

कुएँ (Wells)

सिंचाई के विभिन्न साधनों में कुआँ द्वारा सिंचाई सबसे प्राचीन एव महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मत है कि पूर्ण नेपाल कुछ किसानों को ही जीवन दान देते हैं और सिंचित क्षेत्र सीमित रहता है। परन्तु भारत ऐसे देश में जहाँ कृषि छोटे पैमाने पर होती है, खेत दूर दूर लपारे हुए हैं और सिंचाई के अन्य साधनों का पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है, कुआँ का महत्व अत्यधिक है। दुर्भिक्ष जाँच आयोग (Famine Inquiry Commission—1945) ने लिखा है—

“कुएँ सिंचाई के सर्वोत्तम महत्व के साधन हैं और अगर सिंचित क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि करनी है, तो व्यक्तिगत कूपों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना अनिवार्य है।”

कुओं का प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारत में विशेषतया उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं बिहार में है। वन्वड में भी कुओं द्वारा काफी सिंचाई होती है। भारतवर्ष में कुल बोये हुए क्षेत्र का लगभग २५ प्रतिशत भाग कुओं द्वारा सिंचा जाता है। भारत में लगभग २६ लाख कुएँ हैं।

कुएँ द्वारा सिंचाई के लाभ

कुओं द्वारा सिंचाई के बहुत से लाभ हैं। सर्वप्रथम नहरों के अपेक्षा कुओं के निर्माण में बहुत कम पूँजी की आवश्यकता होती है। इससे अतिरिक्त नहरों में पानी नदियों के द्वारा आता है। गर्मी के दिनों में जब पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती है नदियों में आमन्तौर पर पानी सूख जाता है अथवा कम हो जाता है। ऐसी दशा में नहरों का कोई भी उपयोग नहीं रह जाता। कुओं द्वारा सिंचाई किसी भी समय की जा सकती है। कुएँ कृषकों को आम निर्भर बना देते हैं।

नहरों से सभी किसान अपना सेत पहले सींचना चाहते हैं जिसके कारण आपसी मारपीट की नीवत आ जाती है और मुकदमवाजी में काफी रुपया खराब हो जाता है। कुओं पर व्यक्ति विशेष का अधिकार रहता है और इसलिये किसी प्रकार के झगड़े की सम्भावना नहीं रहती है।

नहरों के पानी का मूल्य कृषकों को चुकाना पड़ता है। यह बहुत अधिक होता है। कुओं द्वारा सिंचाई में इस प्रकार का बोझ भी लच नहीं होता और किसानों को बचत होती है।

ऐसी अनुमान लगाया गया है कि नहरों के पानी की अपेक्षा कुओं के पानी से उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः कुएँ किसानों की सहूलियत एवं उनके आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त लाभप्रद हैं।

भारत में प्रगति

सन् १९४४ से १९४७ तक 'अधिकृत अन्न उत्पादकों योजना' के अन्तर्गत लगभग ७२,५०० कुओं का निर्माण किया गया और हजारों पुराने कुओं की मरम्मत की गई। सन् १९४७ और १९४९ के बीच लगभग ५६०० नये कुएँ खुदवाये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुओं द्वारा लगभग १६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई का विस्तार हुआ। परन्तु सिंचित क्षेत्रफल में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। सन् १९०२ से ३६० म कुल सिंचित भूमि ११६ मिलियन एकड़ थी। सन् १९३७ से ३८ में यह बढ़ कर १२७ मिलियन एकड़ हो गई। सन् १९५० में यह १४१ मिलियन एकड़ हुई। कुओं के निर्माण में असंतोषजनक प्रगति के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो कृषकों की आर्थिक कठिनाई है। जब भी उनकी बहुत अधिक सूद पर प्राप्त होता है। भूमि

का उपविभाजन एवं उपखंडन दूसरा मुख्य कारण है। एक रिक्तान क खेत एक जगह पर ही न होकर दूर दूर फैले हुए हैं और इसलिये वह प्रत्येक खेत पर अलग अलग कुएँ नहीं बनवा सक्ता। इसक अतिरिक्त कुओं का निर्माण उन्हीं स्थाना पर लाभप्रद हो सकता है जहाँ पर पानी बहुत कम गहराई में उपलब्ध हो सक।

नल कूप (Tube Wells)

नल कूप का प्रादुर्भाव भारत की कुओं द्वारा सिंचाई प्रणाली में एक नवीन अन्वय का प्रीगणेश है। यह सिंचाई का एक उन्नत साधन है और देश भर में इसक विकास क लिए प्रचुर क्षेत्र है। तेल क इंजिन अथवा बिजली की शक्ति से मोटर (मशीन) चलाकर ही इतनी गहराई से पानी निकाला जाता है। इस कार्य में अधिकतर बिजली का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में इस तरह क कुएँ अधिकतर उत्तर प्रदेश में हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सन् १९२० ई० में नल कूपों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। शुरु में मुरादाबाद, रिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर आदि जिलों में ६५ नल कूप बनाये गये। सन् १९३४ से १९४३ तक विभिन्न जिलों में १९५६ नल-कूप तैयार हुए। सन् १९४७ ई० की योजना के अन्तर्गत गोरखपुर, उस्ती तथा देवरिया जिलों में १०० नल-कूप बनाये गये। इसके बाद 'सुहावल शक्तिशुद्ध' तथा 'शारदा विद्युत कम' से प्राप्त बिजली द्वारा ४४० नल कूप अन्य जिलों में बनाये गये। अब कुल ४००० नल कूपों द्वारा करीब १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

सन् १९५० तक भारत भर में कुल २५ हजार नल-कूप थे। इसके बाद ६५६ नल-कूप 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत बनाये गये जिनमें ४४० उत्तर प्रदेश में, ३०२ बिहार में और २२५ पंजाब में हैं। इसक बाद समुक्तराज्य अमेरिका क टेक्निकल सहयोग प्रोग्राम (American Technical Cooperation Assistance Programme) क अनुसार २००० नल कूपों का निर्माण हुआ। इनमें ६६५ उत्तर प्रदेश, ३५० बिहार में, २५५ पंजाब में और ३०० पटियाला में अने। इनक निर्माण में ७ करोड़ रुपया भारत सरकार ने और ७२६ करोड़ रुपये समुक्तराज्य अमेरिका ने व्यय किये। इसक उपरान्त ७०० नल कूप और बनाये गये। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ५६०० नल कूप तैयार हुए। अब भारत में करीब ८००० नल-कूप हैं।

नल कूपों क निर्माण के सम्बन्ध में भूगर्भवत्ताओं के दल विभिन्न राज्यों में पढ़वाल कर चुके हैं। इसी सम्बन्ध में एक समिति का भी निमाय किया गया है जिसमें भारत सरकार क खान एवं कृषि विभाग क विशेषज्ञ, ज्योलॉजिकल सर्वे क

अधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। इस समिति ने मद्रास, विंध्यप्रदेश तथा मध्यभारत के राज्यों का दौरा कर लिया है। इसके बाद अब सौराष्ट्र, कच्छ तथा बम्बई का दौरा करते हुए यह समिति दक्षिणी भारत में नल-वृषों के निर्माण किये जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी।

तालाब (Tanks)

पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वास्तव में तालाब ही कृत्रिम सिंचाई के लिये एकमात्र सहारा है। तालाब द्वारा सिंचाई भी भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है और तालाबों का स्थान भी सिंचाई के साधनों में महत्वपूर्ण है। वेसे तो तालाबों द्वारा सिंचाई कुछ न कुछ प्रत्येक राज्य में होती है, परन्तु विशेष रूप से तालाबों का महत्व दक्षिणी एवं मध्यभारत में है। मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर इत्यादि में इनका विशेष प्रचलन है। शतान्दियों से इन भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचार है। शुष्क ऋतु में इन जल भंडारों से छोटे-छोटे नाले निकाल कर सिंचाई की जाती है। मद्रास में करीब २४ हजार तालाब हैं जिनसे करीब १६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में तालाबों को साफ करने के कार्य पर ५० लाख रुपया खर्च किया जा रहा है ताकि ये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें।

छोटी सिंचाई की योजनाओं की प्रगति

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं का महत्व भी कम नहीं है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पर खर्च कम होता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती एवं फल जल्दी मिल जाना है। छोटी सिंचाई की योजनाओं के लिये बहुत शिल्पिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी होता है कि अपने आप योजना को पूरा करने में गाँव के लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है।

नल वृष भी छोटी सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना में प्रगति

पहली पंच वर्षीय योजना में जो छोटी सिंचाई की योजनाएँ पूरी हुई हैं उनसे केवल ६.५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकी है। इस भूमि का व्योरा इस प्रकार है—

बिहार
बम्बई

१७ लाख ७४ हजार एकड़ भूमि
३ " ४४ " "

मध्यप्रदेश	× लाख	६५ हजार एकड़ भूमि
मद्रास	५	८
उड़ीसा	१	३५
पंजाब	८	२७
उत्तर प्रदेश	१४	८३
पश्चिमी बंगाल	१२	१४
मैसूर	२	८१
हैदराबाद	१	४५
आन्ध्र	१	७४
आसाम	८	६७
पटियाला	१	३६
राजस्थान और सौराष्ट्र	२	६१

प्रथम योजना में केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ४६ करोड़ ५२ लाख रुपये ऋण के रूप में और ८ करोड़ २५ लाख रुपये सहायता के रूप में दिया है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय सेवा विस्तार खण्डों में १६ करोड़ रुपये नल रूप बैठाने तथा ७ करोड़ ३४ लाख रुपया अन्य छोटी सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

दूसरी योजना में छोटी सिंचाई की योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। इसमें से आधी भूमि सामुदायिक विकास क्षेत्रों में होगी। इन योजनाओं के लिये १ अरब २० करोड़ रुपये रक्के गये हैं।

राज्यों से जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि दूसरी आवोजना का पहले दो वर्षों में इन योजनाओं पर काफी खर्च हुआ है। इन दो वर्षों में ३८ लाख ६० हजार एकड़ भूमि की छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। इसमें विकास खण्डों में छोटी सिंचाई योजनाओं से जो लाभ हुआ है वह भी सम्मिलित है।

केवल सामुदायिक विकास क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं तथा भूमि सुधार के कामों पर इन दो वर्षों में ११ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना के पूरे काल में ८ करोड़ रुपया खर्च हुआ था।

सन् १९५७-५८ में इन योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को निम्न प्रकार से रुपया दिया गया था—

आन्ध्र प्रदेश		६३ लाख	७१ हजार
बिहार		६३ "	१० "
बम्बई	२ करोड़	५५ "	८८ "
करल		५३ "	
मध्य प्रदेश	२ "	४५ "	६ "
उड़ीसा	१ "	२ "	४७ "
पंजाब	१ "	५७ "	१५ "
उत्तर प्रदेश	२ "	७५ "	२७ "
पश्चिमी बंगाल		८६ "	

सन् १९५८-५९ में इन योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को निम्न राशियाँ दी गईं—

बिहार	१ लाख	१७ लाख	१४ हजार	रुपये
बम्बई	१ "	७२ "	×	×
करल	३ "	२६ "	५६ "	"
मध्यप्रदेश	×	×	५४ "	×
मद्रास	१ "	७५ "	×	×
पंजाब	१ "	२० "	×	×
राजस्थान	×	×	७८ "	×
उत्तर प्रदेश	२ "	७३ "	६० "	"
पश्चिमी बंगाल	×	६० "	५० "	"

बताव इन वर्षों में बहुत सी सिंचाई योजनाएँ पूरी हुई हैं। फिर भी इस प्रगति का सर्वापेक्षक नशा कहा जा सकता क्योंकि छोटी सिंचाई योजनाओं का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें से केवल ४० प्रतिशत लक्ष्य का ही पूर्ति हो सकी।

छोटी सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत-सी कठिनाइयाँ सामने आयी हैं, जिसमें मुख्य गठिनाई भूमि अधिग्रहणता में देरी, शिल्पिक लोगों की कमी डोजल इन्धन तथा अन्य सामान की कमी की है।

सांख्यिक विकास की केन्द्रीय समिति ने इस बात पर आर दिया है कि जो सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त हैं उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुये अब नई योजनाओं की शुरु करने के बजाय इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये कि गांधी में जो छोटी सिंचाई योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं उनसे उचित देखभाल होती रहे।

उपर्युक्त योजनाओं की कृष्टभूमि में अभावग्रस्त कृषकों का स्वर्णिम भविष्य प्रतिबिम्बित हो रहा है। इन योजनाओं के कारण अभी तक लाखों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुये खेतों में परिणत हो गई है। नि.सदेह हमारी इन सिंचाई की योजनाओं में एक समृद्ध शाली एवं सम्पन्न भारत का स्पष्ट दिग्दर्शन हो रहा है।

नहरें (Canals)

भारत में सिंचाई के कृत्रिम साधनों में नहरों का विशेष महत्व है। भारत में नहरों की लम्बाई लगभग ६०,००० मील है। भारत की समस्त सिंचित भूमि का ४० प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। नहरों का विस्तार उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में अधिक है। परन्तु अब तो सिंचाई की बहुमुखी योजनाओं के कारण नहरों का विस्तार अन्य राज्यों में भी तेजी से हो रहा है। रॉयल कृषि आयोग के शब्दों में—

“भारत में नहरों का महत्व अन्य साधनों के सम्मिलित महत्त्व से भी अधिक है।”

नहरों से सिंचाई की योजना द्वारा केवल कृषि को कृत्रिम सिंचाई का साधन ही नहीं उपलब्ध होता बल्कि कृषकों एवं राष्ट्र को अन्य लाभ भी साथ ही साथ प्राप्त होते हैं—विद्युत शक्ति, बाढ़ नियन्त्रण एवं आन्तरिक बलमार्गों का विकास अन्य लाभ हैं। विद्युत शक्ति द्वारा औद्योगिक विकास में काफी सहायता प्राप्त होती है। आन्तरिक बल मार्गों के विकास से आवागमन के साधनों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि नहरों द्वारा सिंचाई का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

नहरों के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा

बड़े तो नहरों का निर्माण मुगल बादशाहों के समय में प्रारम्भ हो गया था, परन्तु वे प्राचीन नहरों बहुत कम लम्बी थीं और अनित्यवाही या बाढ़ की नहरों थीं और गर्मी में प्रायः सूखी पड़ी रहती थीं और वास्तव में इनकी उपयोगिता नहीं के बराबर थी। अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के क्षिन्न-भिन्न होने पर इन नहरों की मरम्मत न हो सकी और ये नहरें नष्ट भ्रष्ट हो गईं। वास्तव में नहरें अंग्रेजों की देन हैं। प्रारम्भ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुगलकालीन नहरों के साफ एवं मरम्मत कराने का कार्य किया और १६वीं शताब्दी के अन्त तक यह नहरें बिल्कुल ठीक हो गईं। इन पुरानी नहरों के जीर्णोद्धार हो जाने से इञ्जीनियरों को बड़ा प्रोत्साहन मिला और इसके बाद विभिन्न प्रान्तों में मुख्यतः दुर्भिक्ष के कुप्रभावों को उम्र करने के लिए नहरों के बनाने के प्रयत्न किये जाने लगे। इस प्रकार १८४२

म प्रसिद्ध उत्तरी गंगा नहर बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। यह नहर आज ससार की सबसे बड़ी नहरों में से एक है जिससे करीब १५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इसी प्रकार अन्य नहरों का निर्माण भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। इन नहरों की सफलता ने व्यक्तिगत कम्पनियों को भी नहरों के निर्माण करने का प्रोत्साहन प्रदान किया, परन्तु ये कम्पनियाँ सफल नहीं हो सकीं। व्यक्तिगत साहस ही इस असफलता पर सरकार को नहरों के निर्माण के लिए व्यय जुटाने के लिए नई नीति अपनानी पड़ी। नहरों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया—

(१) उत्पादक नहरें (Productive Canals)—ये नहरें वे थीं जो अपने निर्माण होने के बाद दस वर्ष के भीतर जितनी पूँजी उनमें लगी है उसके ब्याज के बराबर आमदनी प्रदान कर सकने में सामर्थ्य हों। ऐसी नहरों के लिए सरकार ने कर्ज लेकर निर्माण करने की व्यवस्था की। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई तथा सीमाप्रान्त में बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण हुआ।

(२) रक्षात्मक नहरें (Protective Canals)—इन नहरों से प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कोई आय नहीं होती थी किन्तु ये कार्य दुर्भिक्ष रोकने में सहायता प्रदान करते थे। इनके निर्माण के लिये दुर्भिक्ष कोष से अर्थ-प्रबन्ध की व्यवस्था की गई।

(३) छोटी छोटी नहरें (Minor Works)—ये नहरें वह थीं जो उत्पादक या रक्षात्मक श्रेणी में नहीं आती थीं। इन कार्यों की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों पर रखी गई।

उपर्युक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप नहरों का खूब विकास हुआ और सिंचित क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुई। लाखों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिणित हो गई। परन्तु भारत का क्षेत्रफल देखते हुये यह विकास कुछ भी नहीं था। वास्तव में दासता के कारण जनता में जागृति का अभाव एवं ब्रिटिश सरकार की शिथिल तथा स्वार्थमयी नीति ही इस धीमी प्रगति के मुख्य कारण थे। इसके अतिरिक्त पूँजी एवं टेकनिकल योग्यता का अभाव भी एक बाधा रहे। श्रीमती बेरा ऐन्स्टे के शब्दों में—

“पूँजी और इंजीनियरिंग की योग्यता का अभाव, भूमि अधिकार की अनिश्चितता और उसके परिणामस्वरूप स्थायी सुधारों में पूँजी लगाने के प्रति विरक्ति, बार बार आक्रमणों और आन्तरिक राजनैतिक झगड़ों से देश की अराजकता के फलस्वरूप देश में किसी प्रकार के सिंचाई के साधनों का प्रिस्तार न हो सका।”

“Lack of capital and engineering skill, insecurity of tenure and ever recurring invasions and internal political dissension, seriously checked the extension of irrigation.”

—Vera Anstey

वास्तव में सन् १६४७ में राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् ही जब भारत विदेशी दासता की शृङ्खलाओं से मुक्त हुआ, नहरों का पार्ष्व विकास सम्भव हो सका है। सिंचाई के विकास की आवश्यकता इस कारण और भी बढ़ गई कि देश के विमाजन के कारण पत्र तथा सिध में स्थित बहुत सी भारत की गौरवपूर्ण नहरें पाकिस्तान में चली गईं और साथ ही साथ देश के सींचित क्षेत्र का २८ प्रतिशत भाग भी चला गया। दूसरी ओर देश में भयंकर रूप से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इसने अनिश्चित भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनता गावों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। अतः राष्ट्रीय सरकार का सर्वप्रथम यह चर्च हो गया कि देश की अपेक्षा जनता आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करे। यह सिंचाई के साधनों में पूर्ण विकास के बिना सम्भव नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय सरकार तो राष्ट्र का हित चाहती है। परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् सिंचाई की वृहत योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं में कुछ तो एकमुखी और कुछ बहुमुखी हैं।

विभिन्न राज्यों में प्रगति

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

नौगढ़ बाँध की नहरें—गाजीपुर जिले में कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ स्थान के पास बाँध बन चुका है। इसके द्वारा ८०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इसका निर्माण पर १३ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

माताटीला बाँध की नहरें—भाँसी में वेतवा नदी पर यह बाँध बनाया जा रहा है। इसके निर्माण का पहला सोपान पूर्ण हो चुका है और दो नहरें भी निकाली जा चुकी हैं जिनसे २६ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। दूसरे सोपान के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसकी कुल लागत का अनुमान ८ करोड़ रुपया लगाया गया है।

ललितपुर बाँध—यह बाँध भाँसी में शाहजाद नदी पर बनाया जा रहा है। इससे ६०० एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी।

नागना बाँध—यह बाँध नागना (जिला भाँसी) स्थान पर कर्मनाशा नदी

पर बनाया जा रहा है। इससे मिर्जापुर के आसपास ६०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी और चावल पैदा किया जायगा।

वेलन बाँध की नहरें—यह बाँध वेलन नदी पर बनाया गया है इससे नहरें निकाल कर मध्यप्रदेश क रीवा जिले तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लगभग १ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

सपरार बाँध की नहरें—यह बाँध जिला भाँसी में बनाया गया है जिससे ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। मऊरानीपुर से छोटे चार मील दक्षिण की ओर करोदा गांव के समीप एक जलाशय बनाकर नहरें निकाली गई हैं जिससे लगभग दो लाख में सिंचाई होती है।

रगावन बाँध की नहरें—यह बाँध वेन की सहायक नदी पर बनाया जा रहा है। इस बाँध से ६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

अर्जुन बाँध की नहरें—यह बाँध अर्जुन नदी पर जिला हमीरपुर में चरपारी नगर के समीप बनाया गया है। यह १६००० हजार फुट लम्बा और ७५ फुट ऊँचा है। इससे नहरें निकाल कर २,६७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हमीरपुर जिले में की जाती है। इस पर १ करोड़ रुपये व्यय हुआ।

वेलन नहर योजना—वेलन की सहायक नदी भारत पर एक जलाशय निर्मित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम वेलन नहर योजना है। इस योजना का एक भाग सिरसी बाँध है। यह पूर्णरूपेण मिट्टी का बना है जो ढाई मील लम्बा और ७२ फीट ऊँचा है। इसमें ७ करोड़ ७० लाख घनफुट पानी एकत्र होता है और लगभग १,०२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। अतः चन् १६५५ में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया और अब यहाँ का मनोरम बाँध तथा सिरसी प्रपात पर्यटकों के लिये आकर्षण के केन्द्र बन गये हैं।

वेलन नहर योजना के अन्तर्गत सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और उनकी सहायता से सिंचाई हो रही है।

वेनगंगा नहर क्रम—बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर वेन गंगा में एक बाँध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। इस क्रम की नहरों की लम्बाई ६० मील है। इससे जिला बस्ती की २५,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ होने वाली योजनाएँ

नाथर बाँध योजना—यह बाँध गंगा की सहायक नदी नाथर पर गढ़वाल जिले में मरोड़ा स्थान पर बनाया जा रहा है, जहाँ से नहरें निकाल कर २,३७,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जावेगी।

रामगगा बांध—रामगगा नदी पर बालागढ (जिला गढ़वाल) स्थान पर बांध बनाकर नहरें निकाली जायेंगी, जिनसे ६,४८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (१९६१) तक पूरी होगी।

कोठरी बाँव—इस बाँध की नहरों से गढ़वाल तथा निजनीर जिले के भाबर क्षेत्रों में सिंचाई की जावेगी।

पंजाब की नहरें

विभाजन से पूर्व तो पंजाब प्रान्त में ही नहरों का सबसे अधिक विस्तार था। वछार की सबसे लम्बी नहरें इसी प्रान्त में थी। अब भी पंजाब प्रदेश में काफ़ी नहरें हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अग्रिम में १३ करोड़ रुपया व्यय करके सिंचाई की सुविधाओं में और विस्तार करने का इरादा है।

नागल बांध की नहरें—भाखरा नांगल योजना के अधीन नांगल बांध का निर्माण कार्य जुलाई सन् १९५५ में हो गया। इस बांध से नहरें निकाल कर करनाल, पटियाला, नाभा, अम्बाला इत्यादि जिलों में सिंचाई की जा रही है।

गुडगाँव प्रोजेक्ट की नहर—देहली के समीप ओपला के ऊपर की ओर गनुना से एक नहर निकाली जा रही है, जिसमें ११०५ क्यूसेक जल आ सकेगा। इस पर २३ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है और इससे ८ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई होगी।

बिहार राज्य की नहरें

सोन बांध की नहरें—सोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है जिससे दो बड़ी नहरें निकाली गई हैं।

कनाडा बांध की नहरें—बिहार मयूरगंजा (मोर) नदी पर मैसनजोर स्थान पर २१७० फुट लम्बा व १५३ फुट ऊँचा बाँध बनाया गया है। इसे कनाडा बाँध कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में कनाडा से अर्थ सहायता प्राप्त हुई है और कनाडा के विदेश मन्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। इस बाँध पर बने जलाशय से नहर निकाल कर १३,२७० एकड़ चावल क्षेत्र पर सिंचाई होती है।

गडक बांध योजना—गङ्गा की सहायक नदी गण्डक पर त्रिपेरी घाट स्थान पर एक बाँध बनाया जायगा। इससे दो नहरें निकाली जायेंगी, जिनसे धारन, नम्पारन, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों की २३ लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। इस योजना के निर्माण में लगभग २५ करोड़ रुपया व्यय हुआ और निर्माण कार्य सन् १९५८ ई० तक लगभग पूरा हो गया।

पश्चिमी बंगाल की नहरें

तिलपारा बाँध की नहरें—तिलपारा मयूराही नदी का एक अंग है। यह बाँध मैसनजोर के कनाडा बाँध से २२ मील नीचे मयूराही नदी पर बंगाल के वीरभूमि जिले में सूरी स्थान के निकट बनाया गया है। यह १०१३ फुट लम्बा है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं जिनसे पश्चिमी बंगाल के वीर भूमि, मुर्शिदाबाद तथा बर्दवान जिलों में ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। इससे बिहार राज्य में भी २३,००० एकड़ भूमि सींची जाती है।

दामोदर योजना की नहरें—आसनसोल, हुगली व बर्दवान जिलों के कुछ भाग पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अतः दामोदर नदी से नहर निकाली गई जो उपरोक्त जिलों में २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना

कंगसावती (Kangsavati)—इस योजना के द्वारा ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

आंध्र प्रदेश की नहरें

गोदावरी डेल्टे की नहरें—गोदावरी नदी की शाखाओं पर डेल्टा प्रदेश में कई बाँध बनाये गये हैं उनसे २५०० मील लम्बी नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

तुङ्गभद्रा योजना की नहरें—कृष्णा की सहायक नदी तुङ्गभद्रा पर हासपेट स्थान के निकट ८००० फुट लम्बा, १६० फुट ऊँचा एक बाँध बनाया गया है और इसकी नहरों से आंध्र प्रदेश के २५ लाख एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई करने की योजना है, जिससे लगभग १८ लाख एकड़ कपास मूंगफली व ज्वार बाजरा तथा ५५ हजार एकड़ पर चावल और २५ हजार एकड़ पर गन्ना उगाया जा सकेगा। नहरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कृष्णा वैरेज प्रोजेक्ट—कृष्णा नदी पर कृष्णा एनीकट से ६० फुट ऊपर की ओर यह बाँध बनाया गया है। जून सन् १९५६ में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इससे नहरें निकाल कर डेल्टा तथा ऊपर के क्षेत्र पर ४६ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और इस पर २३ करोड़ रुपये व्यय हुआ।

राम पद् सागर योजना—यह एक बहु ज्येवी योजना है, परन्तु सिंचाई के लिए इसका विशेष महत्त्व होगा। इससे विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी और गन्तूर जिलों में लगभग २७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। यह बाँध गोदावरी नदी पर पोलावरम के पास बनाया जा रहा है।

गोदावरी घाटी योजना—गोदावरी नदी पर कबायली गोदाम तथा कुल्लपुरम स्थानों पर दो बाँध बनाये जायेंगे और इनसे नहरें निकाल कर आंध्र प्रदेश में ३१ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। यह एक बहु ध्येयी योजना है और इससे २ लाख किलोवाट जल विद्युत् भी पैदा की जायगी। इस योजना पर ९९ करोड़ रुपया व्यय होगा।

कृष्णा पिनार योजना—इस योजना में एक बांध कृष्णा नदी पर कन्नूल जिला के सिद्धेश्वरम स्थान पर तथा दूसरा बाँध पिनार नदी पर सोमेश्वरम स्थान पर बनाया जायगा। इन बाँधों से निकाली गई ८१० मील लम्बी नहरों से ३० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। इससे १ लाख २० हजार किलोवाट विद्युत् भी उत्पन्न की जायगी। इस योजना पर ८० करोड़ रुपया व्यय किया जायगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना

वमस धारा (Vamasadhara)—इस योजना के द्वारा ३ लाख ६ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

मद्रास प्रान्त की नहरें

लोअर भवानी योजना की नहरें—यह बाँध कावेरी की सहायक नदी भवानी पर बनाया गया है। इस पर १० करोड़ रुपया व्यय हुआ। यह बाँध ५३ मील लम्बा और १६० फीट ऊँचा है। यहाँ भवानी सागर झील में पानी इकट्ठा किया गया है। इसकी नहरों द्वारा २ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है जिससे लगभग ३३ हजार टन अनाज और १४ हजार टन कपास अधिक उत्पन्न होने लगी है। १४ सितम्बर सन् १९५२ से यहाँ सिंचाई आरम्भ हुई और सबूत हरियाला दृष्टिगोचर होती है।

पेरियार बाँध योजना की नहरें—मद्रास राज्य के सुदूर दक्षिण भाग में पेरियार नदी दक्षिणी भाग से निकल कर पश्चिमी तटाय मैदान पर बहती हुई आरब सागर में गिरती है। इस नदी पर केरल सब म बाँध बनाकर इसका पानी को रोककर एक बड़ी झील बना ली गई है। इन नहरों की लम्बाई २७० मील है और इसके द्वारा लगभग १ लाख एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई होती है।

मैट्टूर बाँध की नहरें—सन् १९३४ में कावेरी नदी पर मैट्टूर स्थान पर एक बांध बनाया गया जिससे एक विशाल झील बन गई। यह बाँध सवार का सबसे बड़ा बाँध समझा जाता है। इसकी नहरों से १३ लाख एकड़ भूमि पर पहले हा से सिंचाई होती थी। अब नई नहरों द्वारा कोयम्बटूर व सलेम जिले में ४५ हजार एकड़ अति-रिक्त भूमि की सिंचाई होने लगी है।

कावेरी डेल्टा की नहरें—कावेरी की शाखा कोलेरुन नदी पर उपर एनी कट नामक बाँध लगाकर जो नहरें बनाई गई हैं उनकी शाखाओं सहित लम्बाई ५ हजार मील है। इनसे १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

केरल राज्य की नहरें

मालमपुजा बाँध की नहरें—मलाबार जिले में यह बाँध पंचवर्षीय योजना के अधीन सन् १९५३ में बनकर पूरा हुआ और इस पर लगभग ४ करोड़ रुपये व्यय हुआ। इससे ५० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

बलयार जलाशय की नहरें—इस योजना पर ८५ लाख रुपये व्यय हुआ और इसकी नहरों से ६ हजार एकड़ भूमि सींची जाती है। इसका और विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने की आशा सन् १९५७ के अन्त तक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना

बूथा थानकेत्तू (Bootha Thankettu)—इस योजना के द्वारा ६३ हजार एकड़ भूमि सींची जायगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई का जो लक्ष्य है उसमें से नई योजनाएँ केवल ६ करोड़ एकड़ भूमि को सींचेगी। ६ एकड़ भूमि की सिंचाई प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई योजनाओं से पूरी होगी, जोकि अब लगभग समाप्त होने को है। नवीन सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य १५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई करना है।

वन्म्वई राज्य की नहरें

ताप्ती नहर योजना—ताप्ती नदी पर काकरापारा के निकट १६६ फुट ऊँचा तथा ४२ हजार २४० फुट लम्बा बांध बनाया गया है। इससे वन्म्वई और ग्रहमदानाद के बीच ५ लाख ६० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

मूला योजना की नहरें—मूला नदी पर चौसा नामक स्थान पर एक बाँध बनाया गया है जिससे ग्रहमदनगर जिले में १ लाख ४० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

काकरापारा नहर बाँध की नहरें—ताप्ती नदी पर काकरापारा स्थान पर २१७५ फुट लम्बा और ४५१ फुट ऊँचा एक बाँध बनाया गया है। इससे नहर निकालकर ६५ लाख एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है।

गगपुर बाँध योजना—यह बाँध गोदावरी नदी पर उद्गम से १२ मील नीचे और नासिक नगर से ८ मील ऊपर बनाया गया है। यह बाँध १२ हजार ५ सौ फुट लम्बा और १४५ फुट ऊँचा है। इस पर जलाशय में ५५० करोड़ घन फुट जल

ग्रहीत होता है। इस बाँध पर बाईं ओर से एक नहर निकाली गई है जो २५ मील लम्बी है। यह २५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई नासिक जिले में करती है।

इस योजना के द्वितीय खंड में जलाशय की क्षमता ७२० करोड़ घन फुट हो जावेगी और तब इससे और अधिक सिंचाई हो सकेगी। पूरी योजना पर लगभग ४ करोड़ रुपया खर्च होगा।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनाएँ

यूकाई (UKAI)—इस योजना के द्वारा ६ लाख १४ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होन लगेगी।

खदकवासला (Khadakwasla)—इस योजना के द्वारा २ लाख ४ हजार एकड़ भूमि सींची जावेगी।

नर्मदा (Narmada)—इस योजना के द्वारा ११ लाख ५७ हजार एकड़ भूमि सींची जावेगी।

मैसूर राज्य की नहरें

भद्रा प्रोजेक्ट की नहरें—भद्रा नदी पर एक तंग घाटी के स्थान पर पत्थर का एक बाँध बनाया गया है जो उसार में कदाचित्त सबसे ऊँचा पत्थर का बाँध होगा। इससे नहरें निम्नलिखित सिंचाई करने तथा बल विद्युत बनाने की योजना है। पूरी होने पर इससे २ लाख ३४ हजार एकड़ भूमि सींची जावेगी, और ४१ हजार किलोवाट बल विद्युत उत्पन्न होगी। इस बाँध के बाईं ओर से एक नहर निकाली जा चुकी है, जो ५० मील लम्बी है। इससे २२ हजार एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई होने लगी है। यह योजना सन् १९६१ तक पूरी होगी। इस पर केवल १६ करोड़ रुपया व्यय होगा किन्तु सापेक्ष लाभ र्हा अधिक होने।

तुंगा बाँध की नहरें—तुंगाभद्रा नदी की सहायक नदी पर १३ मील से ७ मील दूर ऊपर की ओर १-०० फुट लम्बा सिंचाई बाँध बनाया गया है। इसके दोनों ओर से नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से सिंचाई काम सन् १९५४ में शुरू हो गया था, किन्तु बाईं ओर वाला नहर का निर्माण जून १९५५ में पूरा हुआ और अब यह हानोनी तथा शिमोगा ताल्लुका में सिंचाई करती है। दाईं ओर वाली नहर जून १९५६ में पूरी हुई। इन दोनों नहरों से मैसूर राज्य के २१ हजार ५ सौ एकड़ क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है।

प्रमुख बहुमुखी योजनाएँ (Multi purpose Projects)

भारत में स्वाधीनता के प्रभाव की स्वल्पिम रश्मियों के प्रकाश के उपरान्त,

प्रायः हर दिशा में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की योजनाएँ कार्यान्वित की हैं। सिंचाई एवं जल विद्युत के क्षेत्र में तो वास्तव में क्रांतिकारण परिवर्तन हुए हैं। कुछ योजनाएँ तो केवल सिंचाई योजनाएँ हैं और अन्य योजनाएँ ऐसी हैं जिनमें सिंचाई विस्तार, शक्ति विकास और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण का सामना रखा गया है। इस प्रकार की बहुमुखी योजनाओं को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इन योजनाओं द्वारा योजना क्षेत्र की अधिकाधिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जाता है। पीने के जल की व्यवस्था, मत्स्योत्पादन के लिये तालाब, मनोरंजन के लिये तैरने के सरोवर, विद्युत-शक्ति उत्पादन, वृद्धरोपण व बाढ़ नियंत्रण एवं आन्तरिक जलमार्गों का विकास इत्यादि इन बहुमुखी योजनाओं का उद्देश्य होता है।

सारे भारत में कुल १२५ योजनाएँ प्रस्तावित हुईं जिनका अनुमानित व्यय ७०० करोड़ रुपये था। इन सभी योजनाओं की ५ से १० वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है। सन् १९६० तक इन योजनाओं द्वारा लगभग १ करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि सींचो जा सकेगी और इसका फलस्वरूप करीब ३० लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न होने की आशा है। इन योजनाओं से १९ लाख किलोवाट जल विद्युत भी उत्पन्न होगी और अन्न उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकेगी।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त १२२ योजनाएँ ऐसी हैं जिनका विषय में अनुसंधान तो किया जा चुका है परन्तु धन के अभाव के कारण उनका निर्माण शकित कर दिया गया है। इन योजनाओं पर १२०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। शेष कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायगा। दूसरी योजना में कुछ नई विकास योजनाएँ भी ले ली गई हैं।

दामोदर घाटी योजना

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बहुमुखी योजना है। दामोदर नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आता करती थी। प्रतिवर्ष अपार जन धन की हानि होती थी। अतः दामोदर तथा उसका सहायक नदियों पर सात बड़े बड़े बाँध बनाये जा रहे हैं।

इन सात बाँधों के अतिरिक्त एक और बाँध केवल बिजला उत्पादन करने के लिए बनाया जायगा। इन आठों बाँधों के बन जाने पर दामोदर घाटी में लगभग ३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

दामोदर घाटी योजना में तिलम्या, कोनार और दुर्गापूर के बाँध बनकर तैयार हो गये हैं। इसके अलावा बोकारो का ताप-विद्युत शक्ति गृह तथा मुख्य-मुख्य नहरें बन करके तैयार हो चुकी हैं। मैथान और पंचेत हिल बाँध भी अब बनकर तैयार हो गये हैं। कुल व्यय का अनुमान १०० करोड़ रुपये लगाया गया है।

कोसी बाँध योजना

यह योजना बिहार प्रान्त की है। कोसी योजना के लगभग १५० मील के बाँध में लगभग १४४ मील तक कार्य समाप्त हो चुका है। कोसी योजना (प्रथम भाग) के दूसरे मुख्य कार्य जैसे एक बैराज तथा सिंचाई व्यवस्था का कार्य अब भी शेष है। इससे बिहार में १४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और नेपाल में २६ हजार एकड़ भूमि पर। इससे २० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न की जायगी। करीब ४४.६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके तैयार होने में १० वर्ष लगेंगे। अभी इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ ही हुआ है।

चम्बल बहुमुखी योजना

इस योजना के अन्तर्गत नर्मल नदी पर ३ बाँध बनाये जायेंगे, और प्रत्येक बाँध के पास एक शक्ति-गृह होगा। कोटा (Kota) के पास बैराज (Barrage) है। नदी के दोनों ओर नहरें हों। चम्बल योजना के पूरी हो जाने पर १.५ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी तथा १२ लाख एकड़ भूमि को सिंचा जा सकेगा। इस योजना के प्रथम सोपान का कार्य शीघ्रता से हो रहा है उदाहरणार्थ, गाँधी सागर बाँध, कोटा बैराज (Kota Barrage) और नहरें बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अनुमानित व्यय ४८ करोड़ रुपये है और यह कार्य १९६० तक पूर्ण हो जायगा।

हीराकुण्ड बाँध योजना

यह उड़ीसा प्रान्त की योजना है। हीराकुण्ड बाँध उड़ीसा के खलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत ३ स्थानों पर ३ बड़े-बड़े बाँध बनाये जायेंगे। प्रथम तीरादण्ड, द्वितीय तिरपारा, तृतीय नराज। हीराकुण्ड बाँध योजना में दो शक्ति गृह स्थापित किये गये हैं। इन शक्ति गृहों से ३ लाख २० हजार किलोवाट बिजली जमशेदपुर तथा कटक तक को प्राप्त हो सकेगी। इस बिजली की लाइन को मुक्तक शक्ति गृह से जोड़ दिया जायगा।

हीराकुण्ड बहुमुखी योजना का प्रथम सोपान अगस्त १९५३ तक पूरा हो गया। इस योजना के द्वारा लगभग १,००,००० किलोवाट बिजली भी प्राप्त होने

लगी है। योजना के पूर्ण हो जाने पर ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी और ३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। अनुमानित व्यय ७८ करोड़ रुपये है। योजना का शेष कार्य द्वितीय पंचवर्षाय योजना में पूरा होगा।

रिहन्द बाँध योजना

यह उत्तर प्रदेश की बहुमुखी योजना है। मिर्जापुर के पिपरिया नामक ग्राम के पास रिहन्द नदी पर बाँध तैयार किया जा रहा है। रिहन्द बाँध के भित्तिबल समीप ५ यूनिट से सुसज्जित शक्ति गृह स्थापित किया गया है। प्रत्येक यूनिट से ५० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

इस योजना के पूरा हो जाने पर ३ हजार ट्यूबवेल (Tube well) चलाये जायेंगे। गंगा, जमुना और घाघरा नदियों के पानी को पम्प करके ४ हजार मील लम्बी नहरें निकाली जायेंगी। इन नहरों से ३५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अनुमानित व्यय ४५ करोड़ रुपये है। यह योजना सन् १९६१ तक सम्भवतः पूरी हो सकेगी।

तुंगभद्रा नदी योजना

तुंगभद्रा नदी पर एक बाँध बनाया गया है। इस बाँध से दो नहरें निकाली गई हैं जो कि नदी के दोनों किनारों के क्षेत्रों की सिंचाई करती है। यह दोनों नहरें मैसूर, आन्ध्र और हैदराबाद प्रान्तों में क्रम से ६१,५८८ एकड़, १,५६,६१३ एकड़ और ५,८०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई करती हैं। इन शक्ति गृहों से कुल ६३,००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

रामपद सागर बाँध

गोदावरी नदी पर ४२८ फुट लम्बा एक बाँध पोलावरम् के पास बनाया जायगा। यह प्रधानतः सिंचाई की योजना है यद्यपि यह भी बहुमुखी योजना है। बाँध के ऊपर से दोनों तरफ एक एक नहर निकाली जावेगी जिनमें से एक विशाखा पट्टम व दूसरी गन्तूर जिलों की भूमि पर सिंचाई करेगी। बाँध के दाईं ओर एक शक्ति गृह बनाया जावेगा जिससे बेट्टे लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। इस योजना पर १३० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया जाता है। इसके निर्माण में ५ वर्ष का समय लगेगा।

नायर बाँध योजना—

गंगा की सहायक नदी पर जिला गढ़वाल में मरोडा स्थान पर हरिद्वार से ५० मील ऊपर ६५५ फुट ऊँचा तथा १५०० फुट लम्बा बाँध बनाया जायगा। यह सगर के सबसे ऊँचे बाँधों में से एक होगा। इस योजना में दूसरा बाँध

५२० फुट ऊँचा गंगा-नाथर सगम पर व्यास घाट पर बनेगा। इस योजना से २ लाख ३७ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। मरोड़ा तथा व्यास घाट दोनों स्थानों पर शक्ति गृह बनाये जायेंगे जिनसे २६४००० किलोवाट बिजली उत्पन्न की जायगी। इस पर बनी विशाल भील में मछलियाँ उत्पन्न की जायेंगी। साथ ही यह स्थान पर्वत-प्रदेशों में जाने वाले लोगों के लिए रमणीक स्थल बन जायगा। इस योजना पर ३३ करोड़ रुपये व्यय होगा तथा इसका बनाने में ७ वर्ष लगेंगे।

रामगङ्गा योजना

यह बाँध गंगा की सहायक नदी रामगंगा पर जिला मढ़वाल में कालागढ स्थान पर बनाया जायगा। यह ३१० फुट ऊँचा तथा १८२० फुट लम्बा बाँध होगा। इस योजना से गंगा व रामगंगा क दुन्नाय प्रदेश में ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस योजना द्वारा ५००० किलोवाट बिजली भी उत्पन्न की जावेगी। इस योजना पर २५ करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

भाखरा नांगल योजना

इस योजना में भाखरा तथा नागल दो बाँध सम्मिलित हैं और ये बाँध भारत की सबसे बड़ी योजना है। नागल बाँध सतलज नदी पर भाखरा बाँध से ८ मील नीचे बनाया गया है। इससे ६६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। भाखरा स्थान पर बाध के दोनों ओर एक-एक शक्ति गृह बनाया जायगा। नागल बाँध से निकाली गई नहर पर तीन शक्ति गृह बनेंगे। दोनों योजनाओं के शक्ति गृहों से ४ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जायगी। इस योजना में १३० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया गया था। इसके निर्माण का कार्य बड़ी शीघ्रता से चल रहा है। नागल बाँध बनकर तैयार हो चुका है और ८ जुलाई सन् १९५४ को इसकी नहरों का उद्घाटन प० नेहरू द्वारा किया गया था। यहाँ गंगवाल शक्ति-गृह से जलविद्युत् तैयार होने लगी है। कोटला शक्ति गृह भी बन चुका है और इससे बिजली प्राप्त होने लगी है।

कोयना बाँध योजना

महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर होलवाक स्थान पर ८२ फुट ऊँचा तथा ३०३० फुट लम्बा बाँध बनाया जायगा। यह प्रधानतः जल-विद्युत् शक्ति के उत्पादन की योजना है। इससे ७२०००० किलोवाट जल विद्युत् उत्पन्न की जावेगी। नहरें निम्न कर ३७००० एकड़ भूमि पर सिंचाई भी की

जावेगी। इस योजना पर ६० करोड़ रुपये व्यय होंगे और यह १९६०-६१ तक बन कर तैयार होगी।

नागार्जुन सागर बहुमुत्ती योजना

कृष्णा नदी पर नन्दीकोडा (Nandikonda) नामक गाँव के पास, ३८७ फीट ऊँचा बाँध बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। दिसम्बर सन् १९५५ ई० में प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल जी ने इस बाँध का शिलान्यास किया था। इस योजना के पूरा हो जाने पर ७५ हजार किलोवाट बिजली प्राप्त होगी तथा ३४०२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की प्रगति

सन् १९५०-५१ में भारत में ५१५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६३ करोड़ एकड़ भूमि बढ़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं द्वारा अधिक सींची जाने लगी तथा १ करोड़ एकड़ भूमि छोटी योजनाओं द्वारा अधिक सींची जाने लगी। बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं के पूर्ण विकास होने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ६५ मिलियन एकड़ भूमि सींची जाने लगी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा जल शक्ति योजनाओं के ऊपर ६७० करोड़ रु० व्यय किये गये, जिसमें से केवल सिंचाई योजनाओं पर ७२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं (८० करोड़ रु० पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पहले ही खर्च हो चुक थे)।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५ योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वह योजनाएँ तो चालू रहेंगी ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हो गई थीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा मध्यम श्रेणी के सिंचाई कार्यों में ३८१ करोड़ रु० व्यय करने का प्रवन्ध किया गया है जिसमें २०६ करोड़ रु० प्रथम योजना से द्वितीय योजना तक के समय तक चालू रहने वाली योजनाओं पर खर्च किया जायगा। इन १९५ योजनाओं से यह आशा की जाती है कि १२ करोड़ एकड़ भूमि में अधिक सिंचाई होने लगेगी। इसके अलावा ६ करोड़ एकड़ भूमि में छोटी योजनाओं द्वारा अधिक सिंचाई की जायगी। इस प्रकार सन् १९६१ में भारत में २१ मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं में मध्यम श्रेणी की योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। १९५ सिंचाई योजनाओं में से १० ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें १० करोड़ रु० से ३० करोड़ तक व्यय किये जायेंगे और शेष सिंचाई योजनाओं पर ५ करोड़ रु० से कम व्यय किया जावेगा। कुल निर्धारित

भिये हुए ६० मे से १७२ करोड़ ६० द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे व्यय किया जायगा तथा शेष रुपया तृतीय एव आगे आने वाली योजनाओं पर व्यय किया जायगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शक्ति उत्पादन और सिंचाई योजनाओं के पूरा होने पर ६५ करोड़ टन (जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पैदा होगा) की अपेक्षा १ करोड़ टन अन्न की अधिक उत्पत्ति होने लगेगी । शक्ति उत्पादन में वृद्धि होने से देश में बहुत प्रकार के उद्योग प्रारम्भ हो जायेंगे, विरोध करके लोहा और इस्पात उद्योग तथा भारी मशीनों के बनाने वाले कारखाने । इस प्रकार हमारा देश एक समृद्धिशाली देश हो जायगा ।

उपरोक्त सिंचाई योजनाओं में अधिकांशतः बहुमुत्ती योजनाएँ हैं । ये सभार में अद्वितीय होने के साथ-साथ हमारे सम्पूर्ण देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायक होंगी, क्योंकि जहाँ एक ओर इन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप हजारों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिणित हो जायगी वहाँ साथ ही साथ प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर में जल विद्युत् शक्ति से संचालित छोटी छोटी मशीनों के द्वारा कुटीर उद्योगों में उत्पादित आवश्यक वस्तुओं से न केवल हमारा देश ही भरपूर हो जायगा वरन् हम अपने अभाव ग्रस्त पड़ोसी देशों की जनता की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । पं० नेहरू के शब्दों में—

“ये वस्तुतः देश के नये तीर्थ बन गये हैं, जिन्हे भारतीय श्रद्धा के साथ तथा विदेशी पयटक आश्चर्य के साथ देखते हैं ।”



कृषि-भूमि उपविभाजन एवं उपखंडन

(Fragmentation & Sub division of holdings)

हमारे देश के कृषकों की हीन दशा तथा कृषकों की असहनीय दरिद्रता का मुख्य कारण कृषि भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन है। बिना इस समस्या के उचित समाधान के भारतीय कृषि की उन्नति एवं कृषकों के आर्थिक विकास का कल्पना करना एक सुखद स्वप्न के समान है। कृषि सुधार की किसी भी योजना के पथ में यह एक मजबूत चट्टान की भांति स्थित है। डा० राधाकमल मुरुजी के शब्दों में—

“The inefficiency of Agriculture is more due to the small size and scattered nature than due to ignorance or want of alertness on the part of peasants

वास्तव में उपविभाजन एवं उपखंडन आर्थिक ज्वालामुखी हैं जिन्होंने भारतीय कृषि के विकास को मद्धम कर दिया है। नोल्स (Knowles) के शब्दों में—

“In India is subjected to a continuous series of economic earthquakes owing to sub division

उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति अनेक उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बाँटी जाती है। इस विभाजन के कारण खेत उद्भूत छोटे छोटे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक किसान के सभी खेत एक ही स्थान पर नहीं होते हैं। सभी खेत बिखरे हुए रहते हैं। पटवाग होने पर प्रत्येक उत्तराधिकारी प्रत्येक भूमि पर अलग अलग पटवारा करता है। परिणामस्वरूप भारत में खेतों का क्रमशः उपविभाजन एवं उपखण्डन होता चला जाता है। इन छोटे-छोटे खेतों पर किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होता है। कभी कभी तो ये खेत इतने छोटे होते हैं कि कृषकों को जीवित रहने योग्य भी उत्पादन उनसे नहीं प्राप्त होता है। ऐसे अनार्थिक खेतों के परिणामस्वरूप दरिद्र किसानों का जीवन स्तर निम्नतर हो जाता है।

भारत के खेतों का आकार कितना लघु है, यह अन्य देशों की तुलना से और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

विभिन्न देश	औसत कृषि प्रति व्यक्ति (एकड़)
अमरीका	१४६
इंग्लैंड	६२
डेनमार्क	४२
फ्रान्स	२१
भारतवर्ष—उत्तर प्रदेश	२.५
बिहार एवं उड़ीसा	२.६
आसाम	२.६
बङ्गाल	२.१
मद्रास	३
पञ्जाब	३
गुजरात	५

डा० बलजीव सिंह क शब्दों में—“It has been carried to ludicrous extent in some areas like Ratnagiri, for instance, where plots have been reduced to the size of 1/60 of an acre. Such pocket handkerchiefs strips are common in all the parts of the country”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खेत छोटे-छोटे और दूर-दूर बिखरे होने के कारण मशीनों व प्रयोग के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। वास्तव में भारतीय कृषक इन छोटे टुकड़ों पर अपने परिवार पैलों एवं छोटे से लकड़ी के हल का भी उपयोग ठीक प्रकार नहीं कर सकता। ऐसी दशा में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन कम होना स्वाभाविक ही है। यह छोटे छोटे खेत भारतीय कृषक की दरिद्रता के आँसू पोंछने में सर्वथा अयोग्य हैं। भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए, किसानों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए, एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास करने के लिए इन छोटे खेतों को, जो भारत माता के शरीर पर कौड़ के दाग के समान हैं, हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी भी प्रकार का सुधार नहीं सम्भव हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खेत का आकार उचित होने पर, खेतों में बिना किसी सुधार के ही, कृषकों की आय कम से कम २० प्रतिशत बढ़ जाती है।

उपनिभाजन एव उपखण्डन के कारण—

भारत में उपनिभाजन एव उपखण्डन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) उत्तराधिकार के नियम—हिन्दुओं तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियम अन्तर्निभाजन एव भूमि खण्डन के प्रमुख कारण हैं। डा० मुकर्जी के शब्दों में :—

“यह रिवाज कि कुटुम्ब के पुरुष उत्तराधिकारियों में पैतृक सम्पत्ति बराबर बाँटी जाय, इस भूमिखण्डन का एकमात्र कारण है।”

हर एक उत्तराधिकारी हर प्रकार की भूमि में, हर एक कुर्र में, हर एक तालाब में, हर एक मकान में, बरागाह में और वहाँ तक कि छोटे छोटे खेतों में बराबर का हिस्सा माँगता है। परिणामस्वरूप खेतों की संख्या अत्यन्त बढ़ती जाती है और वह छोटे छोटे एव बिखरे हुए होते जाते हैं। मुसलमानों में सम्पत्ति पर स्त्रियों का भी अधिकार होने के कारण और भी भयङ्कर परिणाम होते हैं। श्री बी० पी० जैन ने सहारनपुर जिले के एक मुसलमान जमींदार के बारे में लिखा है कि उसकी ७२ बीघे जमीन का २४ खेतों के रूप में भी उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, दो लड़कें, एक लड़का और एक बहू के बीच १०८ खेत बनकर बाँट गई।

(ii) खेती करने के ढङ्ग—प्रत्येक व्यक्ति पैतृक भूमि में हर प्रकार की भूमि पर अपने बराबर का हिस्सा चाहता है, इसका मुख्य कारण खेती करने का ढङ्ग भी है और भारतीय कृषि की मानस्य पर अत्यधिक निर्भरता भी है। भूमि के बंटवार के समय बर्षों का भी ध्यान रखा जाता है। इससे अतिरिक्त फसलों के आबर्चन (Rotation of Crops) का भी रिवाज है। भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रखने के लिए अप्रदा (Fallow) भूमि रखना अनिवार्य हो जाता है। परिणामस्वरूप खेतों का छोटा होना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय ऋषक निर्धनता के कारण हल तथा बैलों का उपयोग हा करता है। ये बड़े-बड़े फ़ानों पर खेती करने के अनुकूल नहीं होते। परिणामस्वरूप किसान छोटे-छोटे खेतों को हा पसंद करता है। इससे अलावा हमारे यहाँ की कुछ फसलें या कुछ स्थानों पर छोटे छोटे खेत हा जाने का कारण हैं। उदाहरण के रूप में चावल के खेतों में पानी निकालने और धान को दुबारा लगाने की आवश्यकता होता है, इसलिए खेती का छोटा होना आवश्यक हो जाता है।

(iii) जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या की वृद्धि ने उपखण्डन एव उपनिभाजन का और भी अधिक उग्र रूप दे दिया है। अब तक खाली भूमि पर्याप्त माना में प्राप्त थी तब तक वा इस वृद्धि का भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर भार बहुत बढ़ गया है। देश में औद्योगिक विकास न होने के कारण अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि ही भारत का मुख्य धंधा है।

परिणामस्वरूप जनसंख्या के आधिक्य के कारण उपविभाजन एवं उपखंडन और अधिक बढ़ गया। जितने अधिक व्यक्ति होते हैं उनमें ही भागों में भूमि का आपसी बँटवारा होता है।

(vi) सयुक्त परिवार प्रथा का विघ्न-भिन्न होना—यदि केवल जनसंख्या में ही वृद्धि हुई होती तो शायद इतने अधिक अन्तर्विभाजन की नौबत न आती। सयुक्त परिवार प्रथा में आपसी बँटवारे की कोई जरूरत नहीं रहती। पश्चात्त्य देशों के प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति की अभिलाषा रखता है और सम्पत्ति के बँटवारे का प्रयत्न करता है; यही कारण है कि आज भी जहाँ जहाँ सयुक्त परिवार जीवित हैं वहाँ के स्तर पर्याप्त बढ़े हैं।

(v) व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना—पश्चात्त्य उभयता के प्रभाव पड़ने से एक आर्थिक सङ्घटन के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना अत्यन्त प्रबल हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति सबसे पहले चाहता है। अतः प्रत्येक कुटुम्ब में हर एक सदस्य अपना अलग भाग लेकर कुटुम्ब से अलग रहना चाहता है। यहाँ तक कि माता-पिता के प्यार को भी लोग तिलाबलि दे देते हैं। परिणामस्वरूप देहातों में भूमि का उपखंडन होता चला जाता है।

(vi) रहन-सहन का स्तर एवं सामाजिक वातावरण—रहन सहन के स्तर का निम्न होने के कारण भूमि का क्रय-विक्रय छोटे-छोटे खेतों के ही रूप में हो पाता है। निर्धनता के कारण किसान एक ही स्थान पर एक ही समय अधिक भूमि खरीदने में असमर्थ होते हैं। इसका परिणाम उपखंडन होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव भूमि के विभाजन एवं उपखंडन पर पड़ा है। भारतीय समाज में किसी व्यक्ति के पास भूमि का होना प्रतिष्ठित एवं गौरव का प्रतीक समझा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कृषि के लिए भूमि अवरुध रखना चाहता है जिसका परिणाम उपविभाजन एवं उपखंडन होता है।

(vii) पैतृक भूमि के प्रति मोह एवं श्रद्धा—भारतवासियों में पैतृक सम्पत्ति के लिये मोह रहता है। यहाँ तक कि लोग मूलों मरना पसन्द करते हैं न कि पैतृक भूमि का बेचना। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति पैतृक भूमि में अपना निवास चाहता है जिसके कारण भूमि का उपखंडन एवं उपविभाजन होता है।

(viii) ग्रामीण रीति रिवाज—भारत में यह प्रथा है कि लोग अपने सेवकों जैसे घोड़ी, नाई, बहार इत्यादि को मजदूरी के बदले में एक या दो गीये भूमि दे देते हैं। जमींदारों के समय में तो इस प्रथा का बहुत ही चलन रहा। परिणामस्वरूप भूमि का उपखंडन हुआ।

(11) ग्रामीण ऋणप्रस्तता—निर्धनता के कारण भारतीय कृषक ऋणप्रस्त हैं। वे ऋण म ही जन्म लेते हैं, ऋण म ही जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण का बोझ लेकर ही इस ससार से प्रस्थान करते हैं। महाजन लोग खेतों को गिरवी रखकर ही कृषकों को रकबा उधार देते हैं। विभिन्न किसानों के खेत भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। कर्ज के भुगतान न होने पर ये खेत महाजनों के पास चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप भूमि का उपखंडन होता चला जाता है।

(12) कुटीर उद्योग धन्धा का विनाश—वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ और आधुनिक उद्योग धन्धे जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार विनसित नही हो सके। इस कारण भी भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन बढ़ गया। छोटे छोटे उद्योगों के पतन से और दूसरे पेशों के अभाव में फारीसों को खेती की ओर झुकना पड़ा और फलस्वरूप खेतों का उपविभाजन होने लगा। यदि इस पतन के साथ साथ और जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार आधुनिक उद्योग धन्धों का भी विकास होता रहता तो बढ़ती हुई जनसंख्या इन उद्योगों में लग जाती और भूमि पर जनसंख्या का भार न बढ़ता। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और भूमि का उपविभाजन और उपखंडन बढ़ता चला गया।

उपविभाजन एवं उपखंडन के लाभ

भूमि के उपविभाजन एवं उपखंडन के कुछ लाभ भी हैं जो निम्न लिखित हैं—

(1) आर्थिक आत्म निर्भरता (Economic stability)—भूमि के इस प्रकार विभाजन के कारण अधिकांश लोगों के पास भूमि हो जाती है और वे कृषि करके किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। उपविभाजन द्वारा सम्पत्ति का अधिक वितरित हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक पुरुष सदस्य को जीवन प्रारम्भ करने के लिए एक सहारा मिल जाता है। इससे बहुत से किसान बन जाते हैं जिससे देश में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता आती है।

(2) अधिक परिवारों का भरण पोषण एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था—छोटे छोटे खेत होने पर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खेत अवश्य मिल जाते हैं। छोटे खेतों पर मशीनों का उपयोग न होने के कारण अधिक श्रमिकों को भी काम मिल जाता है। इस प्रकार उपविभाजन द्वारा अधिक परिवारों का भरण-पोषण सम्भव हो जाता है। बड़ी बड़ी जमीनें तो कुछ व्यक्तियों के ही हिस्से में आ सकती हैं, जिनसे पूँजीवाद का प्रादुर्भाव होता है। भारत जैसे देश में जहाँ बेकारी बुरी तरह फैली हुई

है, छोटे-छोटे खेत अधिक लोगों को जीविका प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न लोगों के पास छोटे छोटे खेत होने के कारण आर्थिक समानता आती है और पूँजीवादी शोषण का अन्त हो जाता है।

(iii) कुशल उत्पादन—अधिक लोगों के पास छोटे छोटे खेत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति खेतों की देखभाल उचित रूप से कर सकता है और गहरी खेती भी सम्भव हो जाती है। जमीन बड़ी ज़मीनों को किसान ठीक प्रकार से नहीं बना पाते हैं। भूमि थोड़ा होने के कारण किसान अधिक से अधिक परिश्रम करता है जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे अतिरिक्त भारतीय ऋणक निर्धनता के कारण पुराने हल बैल से ही खेती करता है। यह तभी उपयोगी हो सकता है जब खेत छोटे हों।

(iv) फसला की रखवाली के त्रय में कमी—खेतों के अन्तर्विभाजन हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग का रखवाली करता है। इस प्रकार किसान एक ही व्यक्ति को रखवाली की आवश्यकता नहीं रहती। जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा की जा सकती है।

(v) न्यायपूर्ण व्यवस्था—उपउत्पन्न के कारण विभिन्न प्रकार की उर्वर शक्ति वाली भूमि का वितरण हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को पराश और अच्छी दोनों ही प्रकार की भूमि मिलती है। भारत जैसे देश में कहा कि वर्षा इतनी अनिश्चित है, यह बात बड़े महत्व की है। डाक्टर मुरुगों के शब्दों में—

“जिस देश में वर्षा इतनी अनिश्चित हो वहाँ खेतों का विभिन्न प्रकार की भूमियों में छिटका होना अत्यन्त लाभप्रद है।”

भारतीय ऋणक सदा इस बात से डरता है कि वर्षा न होने या सिंचाई के अभाव में यदि खेतों को कोई क्षति पहुँचती है और उससे सब खेत एक ही स्थान पर हैं तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जायगी। ऐसी स्थिति में वह यह हितकर समझता है कि कोई खेत कहीं पर हो और कोई कहीं दूसरे स्थान पर जिससे कम से कम उसका नुर्बाह तो हो सके।

(vi) जोखिम का वितरण—खेतों के छोटे-छोटे एवं भिन्नरे हुए रहने के कारण गांव के अनेक भागों में ऋणक की कुछ न कुछ भूमि रहती है जिससे बाढ़, टिंडुली तथा अन्य प्राकृतिक सफ़टों के आने से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाने से बच जाती है क्योंकि एक हिस्से की क्षतिपूर्ति दूसरे हिस्से से हो जाती है। यदि सभी भूमि एक स्थान पर हो तो सारी फसल ही नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

(vii) फसला का आवर्तन (Rotation of crops)—फसलों के हेर-फेर के हित में भारतीय ऋणक यह आवश्यक समझते हैं कि खेतों के अलग

अलग टुकड़े हाँ ताकि उर्वरता व सिंचाई इत्यादि की सम्भावनाओं को देख कर प्रत्येक टुकड़े में उपयुक्त फसल बोई जा सके। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती भारतीय जलवायु में खेती के जोखिम को कम करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। भूमि का उर्वरा शक्ति कायम रखने के लिये भी आवर्तन आवश्यक होता है।

उपखण्डन एवं उपविभाजन के दोष

वह सत्य है कि भारत में कृषि में मशीनों का प्रयोग लाभप्रद नहीं होगा और गहरी खेती की आवश्यकता है और इसलिए खेतों का छोटा होना ठीक है। परन्तु उपविभाजन एवं उपखण्डन की भी एक सीमा होती है। यहाँ पर खेत इतने छोटे हो गये हैं कि उनमें मामूली हल त्रैल का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अत्यधिक अन्तर्विभाजन एवं भूमिखण्डन का कारण ही इस समस्या का रूप अत्यन्त भयंकर हो गया है। उपविभाजन तथा उपखण्डन की घुसाइयाँ इतनी गम्भीर हैं कि उनके सापने इसका सभी गुण लोप हो जाते हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट है—

अत्यधिक अन्तर्विभाजन का फल यह होता है कि किसान हल और त्रैल भी नहीं खरीद सकता और उसे अपने फासड़ से ही काम करना पड़ता है। खेतों का छिटक होने से अनाज का उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और भूमि का कुल उत्पादन गिर जाता है। सन् १९२४ में उत्तर प्रदेश की चम्पारनी की रिपोर्ट में यह अन्दाज लगाया गया था कि प्रत्येक ५०० मीटर की दूरी पर कृषि की लागत ५३ प्रतिशत बढ़ जाती है, और खाद ले जाने में तथा फसलों की स्थानान्तरित करने में तो वह व्यय क्रमशः २० से ३५ प्रतिशत तथा १५ से ३२ प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

(क) वैज्ञानिक कृषि का अभाव—छोटे-छोटे खेतों पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें अच्छे बीज, अच्छी खाद तथा आधुनिक मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। भारत में कुछ जगहों तो इतनी छोटी हैं कि ट्रैक्टर अपने हल त्रैल तथा अन्य साधनों का पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाता है। भारत में यह आमगौर पर देखा जाता है कि बंद के अधिकांश भाग में किसान और त्रैल दोनों बेकार पड़े रहते हैं और उनका खर्च बेकार में उठाना पड़ता है।

(ख) खेती पर स्थायी सुधार सम्भव नहीं होता—खेतों के निपटरे एवं छोटे होने पर प्रत्येक खेत पर स्थायी सुधार सम्भव नहीं होता। उदाहरण के रूप में प्रत्येक खेत पर अलग-अलग कुएँ नहीं बनवाये जा सकते। प्रत्येक खेत की अलग-अलग चहारदीवारी नहीं खिंचवाई जा सकती। इसका परिणाम यह होता है कि

अत्यन्त दीर्घ सख्या में खेत बिना किसी पर्याप्त सिंचाई के साधन के सूखे पड़े रहते हैं। इससे पेदावार की अपार क्षति होती है।

(ग) समय तथा शक्ति का हास—किसानों का उहुत समय, धन तथा शक्ति व्यर्थ में एक खेत से दूसरे खेत पर बैल तथा अन्य औजार ले जाने में लग जाता है।

(घ) उचित निरीक्षण का अभाव—खेत बिपारे होने के कारण एक व्यक्ति अपने सभी खेतों का निरीक्षण करने में असमर्थ होता है। यदि सभी खेत एक जगह पर हों तो नौकरों द्वारा भी निरीक्षण सम्भव हो सकता है। परन्तु खेत बिखरे होने पर प्रत्येक खेत के लिये अलग-अलग नौकर भी नहीं रखे जा सकते। उचित निरीक्षण के अभाव में फसले जगली जानवरों द्वारा नष्ट हो जाती हैं और किसानों को नुस्सान उठाना पड़ता है।

(ङ) बेकारी की समस्या—प्रायः किसान साल में ५ महीने बेकार रहता है क्योंकि छोटी-छोटी ज़ोतों में पूरे साल के लिये काम ही नहीं रहता। यह अर्द्ध बेकारी की समस्या पूर्ण बेकारी से भी अधिक दुरुह है।

(च) भूमि की उरता का हास—जो खेत गाँव के निकट होते हैं वे अत्यधिक गहरी खेती के कारण धीरे धीरे कम उरते जाते हैं और गाँव से दूर खेत बरकर पूरी तौर पर जोते ही नहीं जाते। जनसख्या का भूमि पर भार अधिक होने के कारण अत्यधिक गहरी खेती की जाती है। यहाँ तक कि भूमि की प्राकृतिक उत्पादन शक्ति तेजी से क्षीय होती चली जाती है। अनादिन ज़ोत के कारण किसानों के पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वे रसायनिक खादों का प्रयोग कर सकें अथवा नवीन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर सकें। इस प्रकार वे भूमि की उरता शक्ति के हास को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं।

(11) भूमि क्षेत्र का दुरुपयोग—भूमि के उपविभाजन के कारण खेतों में नैर्बे बनावना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार ज़िदना अधिक उपविभाजन होता है उतनी ही अधिक मेंडें होती हैं। यदि सभी खेत एक स्थान पर हो तो नद्या के रूप में बहुत-सी भूमि व्यर्थ न जाए। पञ्जाब में की गई जाँचों से पता चलता है कि इस प्रथा के फलस्वरूप ५ प्रतिशत भूमि की तो कमी जुलाई ही नहीं होती।

(111) मुकदमेबाजी तथा अपव्यय—खेत बिखरे होने के कारण प्रत्येक किसान अपने खेत को पहले सींचना चाहता है ताकि वह अन्य खेतों को भी सींच सके। नहरों के पानी द्वारा ही अधिकतर सिंचाई होती है। गर्मों के दिनों में नहरों के पानी का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप आपस में फौजदारी होती है और मुकदमेबाजी में बेकार खर्च होता है। इसके अतिरिक्त मेंडों के मामले में भी बहुत से झगड़े होते रहते हैं और मुकदमा होती रहती है।

(iv) सहयोग की भावना का अन्त—खेतों के उपविभाजन के कारण खेतों में, यहाँ तक कि एक ही कुटुम्ब के सदस्यों में एकता एवं सहयोग की भावना नहीं रहती। आज भारत में कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर पार्टीबन्दी एवं आपसी मनमुटाव न हो। उपखण्डन के कारण ही एक कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक भूमि पर बँटवारा माँगते हैं और बँटवारे के लिये झगड़ा करते हैं। मि० जी० एन० एन्टरसन के शब्दों में—

“They will go so far as to fight over the partition of honey on the branch of a tree They have even been known to fight over the partition of the shade of a tree, not its fruits nor its branches.”

उपर्युक्त भावना का प्रादुर्भाव केवल उपखण्डन एवं उपविभाजन के कारण ही हुआ है।

(v) कृषकों की निधनता एवं ऋणग्रस्तता—वास्तव में भारत की अनार्थिक जोतें ही भारतीय कृषक की दरिद्रता का मुख्य कारण है। इन छोटे-छोटे एवं बितरे हुए खेतों पर उत्पादन तो कम होता ही है, इसके साथ ही उनको पूरे वर्ष तक काम देने के लिए वे जोतें अर्पणात्त होती हैं। इसके कारण उनकी आर्थिक दशा खराब रहती है। उत्पादन कम होने के कारण किसान अपनी फसल को स्वयं बाजार ले जाकर बेचने में असमर्थ पाता है। प्रायः किसान अपनी उपज को गाँव में ही बेचता या महाजन को सस्ते दामों पर बेच देता है। आर्थिक दशा खराब होने के कारण महाजन से ऋण लेना पड़ता है जिस पर व्याज की दर बहुत अधिक होती है। ऋणग्रस्त होने का मुख्य कारण कृषकों की निर्धनता ही है और उनकी आर्थिक उन्नति में उपविभाजन एवं उपखण्डन एक बहुत बड़ी बाधा है।

(vi) जानवरों के पालने में कठिनाई—छोटे-छोटे खेतों से पशुओं के लिये चरागाह या बाड़ बनाने में बाधा होती है। डा० मुर्जी का कथन है—
“अत्यधिक भूमिखण्डन से केवल कृषि का ही ह्रास नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ी हानि यह होती है कि पर्याप्त जानवरों को नहीं पाला जा सकता।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की कार्यक्षमता पर भूमि के उपविभाजन एवं उपखण्डन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वास्तव में उपविभाजन एवं उपखण्डन भारतीय कृषि में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए चुनौती है। डा० मैन के शब्दों में—

“उपविभाजन एवं उपखण्डन साहस की भावना नष्ट कर देता है, धर्म की अपार हानि करता है, मेड़ों के कारण बहुत सी भूमि नष्ट कर देता है, जोतों की गहरी

कमाई जितनी होनी चाहिये नहीं हो पाती, और जिन लोगों के पास अधिक पूँजी है अच्छी कृषि सम्पत्ति खरीद कर कृषक बनने से रोकता है।”

वास्तव में यह समस्या भारतीय कृषि की एक गम्भीर समस्या है जिसके सुलभावे बिना देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। किसानों की आर्थिक सम्पन्नता एवं देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस समस्या का उचित समाधान आवश्यक है। मि० जॉन रसेल (John Russell) के शब्दों में—

“The fragmentation of holdings in India is a more deep seated matter and may be incapable of remedy, yet unless some solution is found, the rate of progress must be extremely slow.”

उपविभाजन एवं उपखंडन को दूर करने के उपाय

संतों का अन्तर्विभाजन एवं दूर दूर तिरपरे होना भारतीय कृषि की एक गहन एवं दुरुह समस्या है जिसका शीघ्रातिशीघ्र हल होना आवश्यक है। कृषि में सुधार एवं कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए आर्थिक जोतों (Economic Holdings) का होना आवश्यक है। इस समस्या को हल करने के लिए निम्नांकित दो प्रकार के उपाय हैं—

(१) प्रतिबन्धक (Preventive) उपाय जिससे और अधिक उपविभाजन एवं उपखंडन न हो।

(२) चरबन्दी एवं सहकारी कृषि प्रणाली जिसमें भौजदा अनार्थिक जोतों को खत्म किया जा सके।

प्रतिबन्धक उपाय (Preventive Measures)

(क) बटवारे की रोक थाम—बटवारे बन्द कर देने पर संयुक्त परिवार के सदस्य कृषि भूमि का बँटवारा नहीं करा सकेंगे जिससे और अधिक उपविभाजन सम्भव नहीं हो सकेगा।

(ख) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन—यदि यह कानून बना दिया जाय कि पैतृक भूमि केवल परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को ही प्राप्त हो सकेगा और दूसरे पुरुषों का अधिकार नहीं रहेगा तो भी उपविभाजन की समस्या हल की जा सकती है।

(ग) आर्थिक जोतों का कानून द्वारा निर्धारण—सरकार द्वारा विभिन्न भागों में स्थानीय दशाओं के अध्ययन के पश्चात् आर्थिक जोतों का निर्धारण कर देना चाहिये। जिन व्यक्तियों की अनार्थिक जोतें हों उनको वे सुविधाएँ न देनी

चाहिये जो उन लोगों से हों जिनकी बोतें कानूनन आर्थिक हैं। इससे आर्थिक जातों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसक साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि की अधिकतम मात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिये।

(घ) सयुक्त प्रबन्ध (Joint Management)—यदि कुछ किसान आपस में एक निश्चित भूमि पर एक साथ मिलकर कार्य करें और बाद में भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार कुल उपज बाँट लें तो भी उप-विभाजन की समस्या हल हो सकती है। परन्तु सयुक्त प्रबन्ध भारतवर्ष में जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना दृढ़ हो कर बरी हुई है असम्भव सा प्रतीत होता है।

(ङ) भूमि का राष्ट्रीयकरण—भूमि का राष्ट्रीयकरण भी उप-विभाजन एवं उपखण्डन की समस्या को हल कर सकता है। यदि सरकार भूमि का राष्ट्रीय करण करके उसका वितरण विभिन्न कृषकों में आर्थिक जात के आधार पर कर दे तो समस्या मुलक सकती है। परन्तु यह उपाय भी भारत में सम्भव नहीं है क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की भूमि लाने पर उनको भूमि का मूल्य देना पड़ेगा और राष्ट्र के पास इस समय इतने साधन नहीं हैं कि उनका भुगतान की समस्या मुलक हो जा सके।

चकबन्दी (Consolidation of Holdings)

वास्तव में भविष्य में और अधिक उप-विभाजन एवं उप-खण्डन को रोकने के उपायों में अलावा, सबसे प्रमुख समस्या तो यह है कि मौजूदा छोटे छोटे एवं बिखरे हुए खेतों का आर्थिक जोतों में परिणित किया जाये। इसके लिए जंगल एकमात्र उपाय भूमि का चकबन्दी है। रायल कृषि कमीशन के शब्दों में—

“कृषकों के खेतों के उपखण्डन होने से उत्पन्न बुराइयों से राहत दिलाने का जो एक मात्र उपाय दिखाई देता है वह चकबन्दी का तरीका ही है, यद्यपि वास्तव में यह पद्धति एक प्रकार से एक व्यवस्थित खेत के स्थान पर कुछ अन्य विखरले खेतों को बदल लेना ही है। इस पद्धति के द्वारा, एक किसान की सारी भूमि का या तो एक ही चक बना दिया जाता है अथवा विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कुछ चक बना दिये जाते हैं।”^१

चकबन्दी के अन्तर्गत दूर दूर बिखरे हुए खेतों के टुकड़ों को जिन पर एक ही परिवार का अधिकार होता है, उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है अर्थात् एक

^१ “The only measure that appears to promise relief from the evils that arise from fragmentation of holdings is the process generally known as consolidation of holdings

परिवार के पास कुल जितनी भूमि होती है उतनी ही भूमि एक ही स्थान पर एक चक्र में दे दी जाती है। इस प्रकार सभी जोतें एक-एक चक्र के रूप में एक ही स्थान पर हाँ जाती हैं और उप-विभाजन एवं उपखंडन का समस्या हल हो जाती है। चक्रवन्दी करने के निम्नलिखित तीन साधन हैं—

- (१) व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रवन्दी।
- (२) सहकारी समितियों द्वारा चक्रवन्दी।
- (३) कानून द्वारा चक्रवन्दी।

व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रवन्दी

इसमें किसान स्वैच्छापूर्वक छोटे एवं गिरे हुए खेतों का आदान प्रदान कर लेते हैं और इस प्रकार एक स्थान पर एक व्यक्ति का चक्र तैयार हो जाता है। परन्तु व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रवन्दी भारत में सफल नहीं हो सकती है। इसका निम्नलिखित कारण हैं—

(क) भारतीय कृषक अशिक्षित हैं। उनकी विचारधाराएँ सर्कीर्य हैं। उनका अन्दर यह भावना गहरी है कि उनके खेत अन्य खेतों से अलग हैं। यद्यपि बरा बरा सा मुम्मान भी भूमि का आदान प्रदान में सह-बंदाशत करना चाहते हैं। उनकी चक्रवन्दी से कोई लाभ नहीं प्रतीत होता है।

(ख) कृषि अधिकारों की विभिन्नता का कारण भी यह योजना सफल नहीं हो सकती है। भारत में यह प्रकार का कारगर पाये जाते हैं जैसे शिकमी, मौरुही, गढाईदार, भूमिधर इत्यादि। परिणामस्वरूप भूमि का आदान प्रदान आपस में नहीं सम्भव हो सकता है।

(ग) पेट्टरु भूमि के प्रति ममता भी एक कारण है जिससे यह योजना काम-याप नहीं हो सकती है। भारतीय कृषक की यह धारणा रहती है कि पेट्टरु खेत अन्य खेतों की अपेक्षा अलग है और इसलिए भूमि का आदान प्रदान सम्भव नहीं होता है।

(घ) सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता भी किसान को अपने खेत न देना के लिए लाजलाशित करती है। सिंचाई का साधन अपायक होने के कारण कुछ खेतों पर सिंचाई का साधन होता है और अन्य खेतों पर नहीं। यही कारण है कि किसान ऐसे खेतों को जहाँ पर सिंचाई के साधन निकट उपलब्ध हैं दूरे खेतों से नहीं बदलना चाहते हैं। अतः यह योजना सफल नहीं होती है।

श्री कीटिज के शब्दों में—

“व्यक्तिगत प्रयत्न से चक्रवन्दी करने का तरीका जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क

तथा जापान आदि देशों में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में जहाँ किसानों में घोर अज्ञानता है, यह आशा करना कि वह उदारता व बुद्धिमान्नीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से अपनी जड़ता छोड़ कर चकवन्दी करने के लिए तयार हो जायेंगे, केवल हठ मात्र है।”

सहकारिता द्वारा चकवन्दी

इसके अन्तर्गत जो किसान अपने खेतों की चकवन्दी करना चाहते हैं, वे एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं और अपने सभी खेतों को समर्पित कर लेते हैं। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में कुल उत्पादन में उसका भाग निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की योजना में सदस्यों का शिक्षित होना एवं उनमें परस्पर प्रेम एवं सद्भावना होना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार चकवन्दी में भी वही कठिनाइयाँ हैं जो व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चकवन्दी में हैं। मि० डार्लिङ्ग के शब्दों में—

“सहकारिता द्वारा चकवन्दी करने के लाभों को लिखना सरल है अपेक्षा-कृत उन्हें प्राप्त करने के, क्योंकि इसमें प्रत्येक को सन्तुष्ट रचना और सभी प्रतिद्वन्द्वी अधिकारियों को शान्त करना होता है। अज्ञानियों को बुद्धिमान बनाना तथा हठधर्मियों को समझाना पड़ता है। निर्धनो, दुर्बलो तथा मूक व्यक्तियों का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि धनी, शक्तिवान तथा शोर मचाने वालों का। एक मात्र अस्त्र, जिसका प्रयोग किया जा सकता है वह है ‘जिह्वा’ और एतन्मात्र साधन ही समझाना बुझाना।”

कानून द्वारा चकवन्दी

कानून द्वारा चकवन्दी का अभिप्राय सरकार द्वारा चकवन्दी की योजना को अनिवार्य बना देना है। सहकारी चकवन्दी समितियों को कानून अनिवार्य किया जा सकता है और प्रत्येक कृषक को अनिवार्य रूप से इन सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए कानून द्वारा मजबूर किया जा सकता है। कानून द्वारा उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन करके भी चकवन्दी की योजना सफल बनाई जा सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत के लोग अपने वर्तमान बौद्धिक एवं नैतिक स्तर पर कानूनी अनिवार्यता के अन्वेष हैं। बिना कानूनी अनिवार्यता के कोई भी योजना भारत में सफल नहीं हो सकती। जनतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर तो यह उचित नहीं मालूम पड़ता, परन्तु यह नभन सत्य है जिसके बिना उपविभाजन एवं उपखण्डन को दूर नहीं किया जा सकता। इतना अवश्य है कि अनिवार्यता का प्रयोग सोच-समझ ही कर करना चाहिए

क्योंकि बिना प्रत्येक व्यक्ति की मर्जी के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। रायल कमीशन का मत है—

“चक्रवर्दी के पक्ष में राज्य का प्रयत्न, जहाँ कहीं भी इसे कानून द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा हो, सावधानी से आरम्भ करना चाहिए। अनिवार्यता का सिद्धान्त लागू करने के पहले विशेष क्षेत्रों को चुन लेना चाहिये। राज्य को प्रचार करना चाहिए, वस्तुस्थिति का ज्ञान कर लेना चाहिए और प्रारम्भिक अवस्थाओं में बच्य भी उठाना चाहिए।”

कृषि के रायल कमीशन ने यह सुझाव भी दिया है कि जब चक्रवर्दी के अन्य साधन नाकामवाच्य हो जायें तभी कानून का सहारा लेना उचित होगा जैसा कि निम्न-लिखित शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

“When all that persuasion, perseverance and skill can do has been exhausted, and a beneficial scheme of consolidation has been completed, we think that compulsion may be applied to secure for the majority advantages which an obstinate minority might otherwise withhold.”

Royal Commission on Agriculture.

महकारी-कृषि

भूमि के उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या का समाधान सहकारी कृषि पद्धति पर भी बहुत कुछ निर्भर है। सहकारिता जिसका आधार आपसी प्रेम, सद्भावना एवं श्रद्धा है, एक मात्र अस्त्र है जिससे द्वारा कृषि एवं भूमिसुधार में स्थायी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। सहकारी कृषि पद्धति द्वारा भूमि पर व्यक्तिगत सम्पत्ति का बिना जल्लिदान किये बड़े पैमाने की खेती के लाभों को सम्भव बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी का कथन है—

“सहकारिता की असफलता भारत की स्वर्णिम आशा पर तुपासपात होगा।”

जहाँ तक चक्रवर्दी का प्रश्न है, यह अनागिक इकाइयों की औपधि तो अवश्य है, पर उसका प्रभाव थोड़े समय परचात समाप्त हो जाता है क्योंकि एक या दो पीढ़ी के बीतने पर भूमि पुनः विभाजित और भिन्नित (Sub-divided and Fragmented) हो जाती है। स्थायी समाधान तो वास्तव में सहकारी खेती में ही निहित है जिसका अर्थ है गाँव की सम्पूर्ण भूमि को एक इकाई मानकर खेती करना। इस प्रकार भूमि की उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या का समाधान स्वयं ही हो जाता है।

सहकारी खेती के कारण आज साम्यवादी चीन भी कृषि क्षेत्र में आशावादी सफलता प्राप्त कर सका है जैसा कि सरकारी कृषि मंडल जो धी धापर के सभापतित्व में चीन गया था, की निम्न रिपोर्ट से स्पष्ट होता है—

“कृषि और आर्थिक विकास के क्षेत्र में चीन द्वारा इतने थोड़े समय में किये गए प्रयत्न सराहनीय हैं। पर उनकी कृषिक सफलताओं का मूल आधार सहकारी खेती है, जिसने प्रति एकड़ उपज में उत्साहवर्धक वृद्धि की है।”

परन्तु भारत में प्रश्न यह है कि क्या सहकारी कृषि प्रणाली भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है? जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है यहाँ के कृषकों के विचारों एवं भावनाओं में भूमि का विशेष स्थान है। भारतीय किसान का अपनी भूमि से विशेष प्रेम है और उनको अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी भूमि है उसका स्वामी कहने में गर्व का अनुभव होता है। इसलिए कोई भी सहकारी खेती जिसमें उनके स्वामित्व का अपहरण होगा कदापि सफल नहीं हो सकती। सहकारी कृषि प्रणाली में व्यक्ति अपने व्यक्ति के रूप में एक विशाल समूह में विलीन कर देने के लिये बाध्य हो जाता है और इसलिये वह अपनी स्वतंत्रता को खो देना ठीक नहीं समझता। सामूहिक संगठन में, जहाँ हर किसी की जिम्मेदारी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रह जाती काम में ढिलाई और लापरवाही की सम्भावना बनी रहती है और उत्पादन बढ़ाने में विशेष प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। वास्तव में यह कथन सत्य है कि व्यक्तिगत प्रयत्न में धूल को भी धन में परिणत कर देने की क्षमता है। भारतीय कृषक इस प्रणाली के प्रति रुचि इसलिए भी नहीं रखता कि वह अपनी भूमि से वंचित होकर सहकारी समिति या सदस्य मात्र अर्थात् भूमिहीन मजदूर बन जायगा। यही कारण है कि भारत में सहयोग का अनुभव उत्साहवर्धक नहीं रहा है। रूस, फिलिस्तीन, एवं बेनमाक आदि देशों में सहकारी खेती का उदाहरण उपस्थित करना ही केवल भारत में सहकारी कृषि प्रणाली की उपयोगिता पर प्रभाव नहीं डालता। भारत की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा मौलिक रूप से भिन्न है यही कारण है कि ब्रिटेन के मजदूर दल के प्रमुख सदस्य श्री वेविन ने, जिन्होंने चीन सरकार के निमंत्रण पर वहाँ का भ्रमण किया, २ अप्रैल १९५७ को दिल्ली की सांजनात्मिक सभा में कहा था—

“भारत को रूस और चीन जैसी गलती नहीं करनी चाहिये।”

इस सम्बन्ध में प्रा० रंगा क, जो इस क्षेत्र में काफी जानकार हैं, इन शब्दों को उद्धृत करना ठीक ही होगा—

“शोषणहीन कृषिकीय अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आन्दोलन खतरनाक है। यह तो समाजवादी आदर्श या सहकारी कामनवेल्थ के विपरीत होगा। इस आन्दोलन से किसानों की वचत को कृषि उन्नति में

लगाने से निरूत्साहित किया जा रहा है। इससे कृषि में अधिक रूपया लगाने में बाधा पड़ेगी और चतुर, शिक्षित और साहसी किसान कृषि कार्य छोड़ने को विवश हो जायेंगे। इससे जो होगा वह यह कि भ्राम, प्रामीण जीवन तथा पारिवारिक अथव्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी।”

इसलिए यह सत्य नहीं कि समाजवादी आदर्शों को लाने के लिए जमीन की मिलिक्रयत को समाप्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री के यह शब्द विचारणीय हैं—

“मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि अक्सर पिता के मरने पर या अन्य किसी कारण से एक ही मां से जन्मे दो भाई एक परिवार से अलग हो जाते हैं। तब इस स्थिति में ऐसा सोचना अव्यावहारिक होगा कि एक औसत प्रहस्थ अचानक अपने हितों को उन अनेक अपरिचित व्यक्तियों से मिला लेगा, जिनके विषय में उसने सुना तक नहीं।”

अतः कौन-सी सहकारी कृषि प्रणाली अपनाई जाय, इसका उत्तर किसानों की मनोवैज्ञानिक भावनाओं एवं कृषि की वर्तमान स्थितियों को देखकर ही देना होगा। इस प्रकार कोई भी सहकारी खेती जिसमें उनके स्वामित्व अपहरण का अंश होगा, रुदायि सफल नहीं हो सकती। अति प्राचीनकाल से भारतीय किसान फसल काटने, बांध बनाने, कुएँ खोदने, यंत्रों के प्रयोग करने आदि कार्यों में सामूहिक रूप से कार्य करते चले आ रहे हैं, अतः वे सहकारिता के इस व्यापक स्वरूप को भी शीघ्र अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास गत ५० वर्षों का सहकारिता का अनुभव है जिसे सहकारिता का आधुनिक रूप कहा जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों का रुझान भी इस ओर है। तात्पर्य यह है कि सहकारी खेती के सफलतापूर्वक संचालन के सभी लक्षण आज अंगार प्रखर भारत में विद्यमान हैं। भारतीय कृषक को यह दृष्टिकोण अन्नाने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है एवं उसे इस तथ्य से पूर्णतः अवगत करना है कि आयोजन का वर्तमान युग सर्वमान्य है और सामाजिक हितों की तुलना में व्यक्तिगत हितों को गौण स्थान देना ही पड़ेगा। पोलैण्ड के श्री गोमुलक ने १० वर्षों के परीक्षणों के बाद कहा है कि किसान को सहकारी समितियों में भेजने के लिए उसके मन और चिन्तन-रूप को बदलना होगा।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रयास (Government Measures)

सन् १९४६ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मसबल सहकारी खेती के व्यापक अध्ययन करने के लिए फिलिस्तीन भेजा था और उसकी रिपोर्ट के परचात् ही इस दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। वास्तव में १९४४ के पूर्व यहाँ कमी इसका उल्लेख ही

नहीं हुआ। सर्वप्रथम बम्बई में द्रुतगति से इस ग़ौर कार्य आरम्भ हुआ और ३० जून १९५४ तक २६४ सहकारी खेती समितियों की स्थापना हुई।

दिल्ली राज्य में भारतीय सहकारी सघ लिमिटेड की देख-रेख में हृत्तरपुर में ३५ परिवारों की एक ग़रुणार्थी बस्ती नसायी गयी है। एक बहुधन्वी कृषि सहकारी समिति के अन्तर्गत इस योजना में ४०० एकर भूमि पर समुक्त कृषि का कार्यक्रम बनाया गया है। भारत सरकार ने भूमि जोतने के लिये अपने ट्रैक्टर दिये हैं।

उत्तर प्रदेश में एक अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की जा चुकी है। वह गंगा खादिर उपनिवेशकरण योजना है। तराई क्षेत्र में ४७,००० एकर का एक चक्र खेती के लिए नये सिरे से तैयार किया गया है। हर जोत १० एकर भूमि की है और इस प्रकार १,००० एकर भूमि के १०० फ़ार्म एक सहकारी समिति की इकाई माने जाते हैं। इन समितियों के द्वारा सहकारिता के आधार पर भूमि की जुताई, बीज, ग़ीज़ार और टोरो की खरीद, सहकारी तौर पर उपज की बिक्री, प्रबन्ध, देख रेख तथा पशुपालन आदि कार्यों का संगठन होता है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी माजरा रीठ (बरोरा तहसील) में १,२०० एकर नव निर्मित भूमि पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की एक सहकारी उपनिवेश योजना तैयार की है। योजना के अन्तर्गत १० वष तक समुक्त कृषि की व्यवस्था की गई है, किन्तु इस अवधि में सहकारी संस्था से कोई सम्बन्ध-बिच्छेद नहीं कर सकता।

मद्रास, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र, मेसूर, द्रावणकोर कोचीन में भी प्रगति हुई है, पर कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं हुआ है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६१५ सहकारी खेती समितियों का लक्ष्य रखा गया था जो पूर्ण हो गया है। सन् १९५८ तक देश भर में २,०२० सहकारी कृषि संस्थाएँ २४४ लाख एकर भूमि पर कार्यशील थीं। फिर भी सहकारी खेती को हमें भारत में शैशव अवस्था में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कुल भूमि का कठनता से एक प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत होगा।

सन् १९५८ में देश भर में २५० नई समितियाँ बनाई गईं बिना राज्यवार ग़ौरा इस प्रकार है—

राज्य	सहकारी कृषि समितियाँ
आसाम	३८
बिहार	१५
बम्बई	१५
करल	४
मध्य प्रदेश	१
आन्ध्र प्रदेश	१
मद्रास	६ ग्रामदान सभादय सहकारी खेती समितियाँ
मैसूर	१०
उड़ीसा	१०
पंजाब	६५
राजस्थान	२
उत्तर प्रदेश	२२
पं० बंगाल	५८
जम्मू काश्मीर	१
दिल्ली	१
त्रिपुरा	१
योग	२५०

द्वितीय योजना में सहकारी कृषि सम्बन्धी मुख्य सुझाव यह रखा गया है कि सहकारिता की नींव दृढ़ की जाय जिससे प्रगले १० वर्षों में देश की कृषि योग्य भूमि का काफ़ी भाग सहकारी कृषि की परिधि में आ जाय। इस योजना के कार्य क्रम को देखकर सहकारी खेती के उज्ज्वल भविष्य की झाँकी आँसों जा सकती है।

चक्रवन्दी में प्रयास (Consolidation of Holdings)

सहकारी समितियों द्वारा प्रयत्न

पञ्जाब में—इस साधन को सर्वप्रथम पञ्जाब में सन् १९२० ई० में अपनाया गया। इसके अन्तर्गत सम्बन्धित लोगों को समस्त सुझाव आपसी संगठन के लिए राशी दिया जाता था। ये काम चक्रवन्दी अफसर के नीचे पटवारी एवं कानूतगो किया करते थे। मान विभाग एवं सहकारिता विभाग इसमें सहायता देते हैं। गुजरातपुर, बालसर और होशियारपुर जिलों में इस कार्य में काफी सफलता मिली है। सन् १९३५ तक ११६७ सहकारी समितियों ने करीब ६ लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी की। १९३८ तक करीब ८ लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी हुई। सन् १९४३ तक समितियों

की संख्या १८०७ हो गई और लगभग १४३ लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी हो गई। विभाजन के पश्चात् १९४८ में समितियों की संख्या १५७३ रह गई, परन्तु इनकी प्रगति म बाधा नहीं पड़ी और अब करीब १६,००० सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं। परिणामस्वरूप भूमि का लगान और उत्पादन बढ़ गया है। बहुत ही ज़रूर भूमि कृषि योग्य बन गई है। सिंचाई के लिए दुबारा का निर्माण हुआ है और मेड़ों के कारण भूगर्भ कम हो गये हैं। किसानों का जीवन स्तर भी ऊँचा हो गया है।

उत्तर प्रदेश—इस राज्य में सन् १९१२ में श्री मोरलैंड ने भूमि चक्रवन्दी की सिफारिश की थी, परन्तु माल विभाग ने इसका विरोध किया। १९२१ में श्री मिश्रा ने फिर चक्रवन्दी की सिफारिश की, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं माना। सहकारी समितियों द्वारा चक्रवन्दी का कार्य सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में १९२५, १९२८ और १९३३ में क्रमशः शुरू हुआ। सन् १९५८ में कुल १८२ सहकारी समितियाँ थीं जिनके द्वारा करीब ८ लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी हुई। १९४७ में इन समितियों की संख्या २८३ हो गई। भूमि की विभिन्नता, भूमि व्यवस्था की जटिलता और योग्य अधिकारियों के अभाव के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी और सन् १९४७ में इसको भङ्ग करना पड़ा।

मद्रास एवम् मध्य प्रदेश—मद्रास में १९४७ ४८ में २२ सहकारी समितियाँ थीं परन्तु यह योजना सफल न हो सकी। मध्य प्रदेश में भी यह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है। वजौदा, फरल, तथा काश्मीर राज्यों में भी चक्रवन्दी सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं।

कानून द्वारा चक्रवन्दी

मध्य प्रदेश—सबसे पहले कानून द्वारा चक्रवन्दी की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। सन् १९५८ में यहाँ पर 'मध्य प्रांत कृषि चक्रवन्दी अधिनियम' (The C P Consolidation of Holdings Act) पास किया गया। इस अधिनियम ने अनन्त अग्रर किसी गाँव के आधे कृषक जिनके पास गाँव की कु भूमि है चक्रवन्दी की इच्छा प्रकट करते हैं, तो एक विशेष सरकारी अधिकारी द्वारा पंचायत की सहायता से इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की जायगी जिसका पुष्टिकरण कन्दो वस्तु कमिश्नर करेगा। इसके बाद यह योजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी जायगी। इस योजना की प्रगति सतोपजनक रही है।

पंजाब—पंजाब में १९३६ ई० में कृषि चक्रवन्दी अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत अग्रर किसी गाँव के कु किसान जिनके पास गाँव

की कृषि भूमि हो और वे चक्रवन्दी के लिए तैयार हो तो यह योजना उस गाँव में अनिवार्य रूप से लागू कर दी जायगी।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश में 'चक्रवन्दी अधिनियम' (U. P. Consolidation of Holdings Act) सन् १९४१ में पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा चक्रवन्दी अफसर नियुक्त किये गए। इन अफसरों को उन ग्रामों में चक्रवन्दी की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया जिनमें ३ कृषि भूमि के अथवा उससे अधिक के स्वामियों द्वारा प्रार्थनावत्र प्रेषित किया जाय। इसको ८ जिलों में लागू किया गया था, लेकिन कुछ शासन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस कानून को वापस ले लिया गया। पुनः सन् १९५२ में अनिवार्य चक्रवन्दी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया जो कि १९५३ में पास कर दिया गया। प्रारम्भ में यह अधिनियम मुझफरनगर तथा मुल्तानपुर में लागू किया गया। अब इसके अनुसार राज्य के १७ जिलों में चक्रवन्दी का कार्य चला जा रहा है। क्रमशः इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जायगा। शासन सम्बन्धी कठिनाइयों एवं प्राथमिक जनता के अशिद्धि होने के कारण अभी तक अधिक सफलता नहीं मिल सकी है।

बम्बई—बम्बई राज्य में भी सन् १९४७ में 'बम्बई कृषि उपविभाजन तथा उपखंडन निरोधक अधिनियम' (The Bombay Prevention of Fragmentation & Consolidation of Holdings Act) पास किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक किसान के पास स्टैंडर्ड क्षेत्र कर दिया जायगा।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में चक्रवन्दी के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं भूमि सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद आयोग ने 'सहकारी कृषि' एवं 'सहकारी ग्राम्य प्रबन्ध' की सिफारिश की है और भूमि सुधारों के लिए 'केन्द्रीय संगठन' के निर्माण करने का उल्लेख किया है। योजना आयोग के विचार में सहकारी कृषि समितियों की स्थापना होनी चाहिए और उनके अन्तर्गत एक दिव्य हुए म्यूनतम क्षेत्र से कम क्षेत्र न होना चाहिए। म्यूनतम क्षेत्र कितना हो वह परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

सहकारी ग्राम्य प्रबन्ध (Cooperative Village Management) योजना द्वारा भी भूमि के उपविभाजन एवं उपखण्डन की समस्या हल हो सकती है। इस योजना के अन्तर्गत किसी गाँव की सारी भूमि एक इकाई मानना पड़ेगा जिसका प्रबन्ध ग्राम पंचायत के सुपुर्द होगा। सभी किसानों को उनकी भूमि के क्षेत्रफल के

अनुपात से लाभ में भाग निर्धारित हो जाता है। योजना आयोग क मत में यह योजना उधी गांव में लागू करना चाहिए जहाँ पर कुछ कृषक भूमि क अधिकारी योजना के पक्ष में हों। वास्तव में यह योजना भा सहकारिता क सिद्धांत का ही एक रूप है। इस योजना को काय रूप में परिचित करने क लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से पथ प्रदर्शन, सहायता एवं प्रोत्साहन मिले। योजना आयोग के शब्दा में—

“इस प्रकार गाँव की सम्पूर्ण भूमि का संगठन सहकारिता के आधार पर होने से गाँव एक शक्तिशाली प्रगतिशील तथा अविकारा में राष्ट्रीय योजना का स्वयं शासित आधार बन सकेगा और वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक असमानतायें जो कि सम्पत्ति, जाति प्रथा एवं रूढ़ियों से उत्पन्न हुई हैं, समाप्त हो सकती हैं।”

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के हेतु सहकारी खेती को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस विषय में आधुनिकतम तथ्य प्राप्त हो सकें, इसक लिये भारत सरकार ने एक सात सदस्यीय दल श्री आर० क पाटिल की अध्यक्षता में चीन और जापान भेजा। दल की रिपोर्ट अभी हाल में ही जून १९५७ में प्रकाशित हुई है। इस दल ने निम्न शब्दों में सहकारी कृषि का समर्थन किया है—

“सहकारी खेती न केवल छोटे किसानों के हितों को सुरक्षित करेगी, वरन् उत्पादन वृद्धि भी करेगी।”

दल का कहना है कि सहकारी खेती ने चीन को न केवल एक आत्मनिर्भर देश बना दिया है, वरन् उसे अब एक निर्यात करने वाले देशों में भी प्रमुख स्थान रखने का मार्ग प्राप्त हो सका है। दल ने आगे चार वर्षों में १०,००० सहकारी कृषि समितियों का निर्माण की भी सफाई की है।

भूदान यज्ञ

आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित ‘भूदान आन्दोलन’ भी भूमि उपस्था एवं भूमि सुधार सम्बन्धी समस्याओं का हल करने के लिये उचित दिशा में प्रथम कदम है। आचार्य भावे की धारणा है कि अहिंसा एवं प्रेम से बड़े किसानों को समझ कर उनका हृदय परिवर्तन करके उनसे भूमि दान में लेकर भूमिहीनों को बाट दी जाय। इस आन्दोलन द्वारा भी भूमि का उपविभाजन एवं उपखण्डन कुछ सीमा तक रोक जा सकता है। दान में मिली हुई भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों के पुनर्वितरण में प्रत्येक व्यक्ति को भूमि यदि आर्थिक जीव के अनुसार दी जाय तो उपविभाजन एवं उपखण्डन की समस्या मुलभ सक्ती है।

उपखटन

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किये गए प्रयत्न उचित ही हैं। इस समस्या को पूर्ण रूप से हल करने के लिए सरकार द्वारा चक्रवर्ती का प्रयत्न सराहनीय है, परन्तु केवल चक्रवर्ती ही आनायायक इपाइयों की यौशधि नहीं है क्योंकि थोड़े समय के बाद भूमि पुनः विभाजित एवं खडित होने लगेगी। स्थायी समाधान तो वास्तव में सहकारी खेती में ही निहित है। कुछ दिनों पहले एक सरकारी कृषि मंडल श्री थापर की अध्यक्षता में चीन गया था जिसने लिखा है—

कृषि और आर्थिक विकास के क्षेत्र में चीन द्वारा इतने थोड़े समय में किये गये प्रयत्न सराहनीय हैं। पर उनकी कृषिक सफलताओं का मूल आधार सहकारी खेती है जिसने प्रति एकड़ उपज में असाहपूर्वक वृद्धि की है।

यह निश्चित है कि कानून द्वारा किसी सुधार को भी जनता के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। कानून तो फल सहायक के रूप में है। उपविभाजन एवं उपखटन की समस्या भी कानून द्वारा हल नहीं की जा सकती। सहकारिता, जिसका आधार आपसी प्रेम, सद्भावना एवं भद्रा है, एक मात्र अस्त्र है जिसके द्वारा कृषि एवं भूमि-सुधार में स्थायी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। सहकारी एवं सम्मिलित खेती भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का बिना बलिदान किये उड़े पैमाने की खेती के लाभों को सम्भव बनाती है। विभिन्न राज्यों में इस दिशा में किये गये प्रयत्नों में असफलता का मुख्य कारण कृषकों की अशिक्षितता एवं रुढ़िवादिता रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को शिक्षित बना कर एवं प्रचार द्वारा सहकारिता के लाभों को बतलाया जाय। गाँव समाज एवं पंचायत इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। किसानों का हृदय परिवर्तन करके ही उनमें नवीन चेतना एवं जागृति का जन्म दिया जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी एवं सम्मिलित खेती के कार्य क्रम के होने के कारण पूर्ण आशा है कि आज के शोषवाचस्था के 'सहकारिता आन्दोलन' का भविष्य उज्वल है और साथ ही साथ कृषि भूमि की उपविभाजन एवं उपखटन की समस्या का समाधान।

कृषि पदार्थों का विक्रय

(Marketing of Agricultural Produce)

कृषकों की आर्थिक सम्पन्नता कुशल उत्पादन के अतिरिक्त इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर है कि उनको कृषि पदार्थों के विक्रय में उचित लाभ प्राप्त हो। वास्तव में भारतीय कृषक विक्रेता के रूप में बिल्कुल ही अकुशल है जिसके परिणामस्वरूप उसको अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि किसान को एक रुपये में केवल ६३ आने ही प्राप्त हो पाता है और बाकी सब मध्यस्थों में बँट जाता है। भारतीय कृषक की दरिद्रता एवं निर्धनता का मुख्य कारण उसका अकुशल विक्रेता होना ही है। भारतीय कृषि आयोग ने ठीक ही लिखा है—

“जब तक खेत की उपज की विक्री की समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया जाता, तब तक कृषि समस्या का हल अधूरा ही है।”


यह कहना बिल्कुल ठीक ही होगा कि एक कुशल कृषक वही बन सकता है जो अपनी एक आँख हल की ओर रखता है और दूसरी बाजार पर। कृषि पदार्थों की विक्रय की समस्या भारत में कृषि की प्रमुख समस्या है। इस समस्या के मुलभूत जान पर कृषकों की आर्थिक सम्पन्नता एवं कृषि विकास सम्भव है। कृषक धीरे परिश्रम करने के बाद जो कुछ उत्पादन करता है उसके बेचने के समय तमाम मध्यस्थ अघरार में छिपे हुये घातक बन्तुओं की भाँति उस पर दूट पड़ते हैं और कृषक के पास केवल बर्जर हड्डियों का टाँचा ही रह जाता है। भारतीय कृषक अशिक्षित होने के कारण जीवन के प्रत्येक पग पर ठगा जाता है। वह अपने दैनिक जीवन के उपयोग का

“The prosperity of the agriculturists and the success of any policy of general agricultural improvement depends to a very large degree on the facilities which the agricultural community has at its disposal for marketing”

—Royal Commission On Agriculture

वस्तुएँ अधिक मूल्य पर खरीदी जाती हैं और अपने कृषि पदार्थ सस्ते मूल्य पर बेचता है और इस प्रकार उसको दोनों ही ओर से हानि उठानी पड़ती है। भारतीय कृषक अशिक्षा एवं दरिद्रता के गहन अवनत में रहने के कारण और बातायात की पूर्ण एवं उचित मुविधाओं के अभाव में किस प्रकार से कुशल विक्रेता बन सकता है, सोचने वाली बात है। उचित रूप में लाभप्रद कृषि पदार्थों के विक्रय पर ही भारतीय कृषक का भाग्य निर्भर है। इस बिना कृषि विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना नवल एक सुखद कल्पना ही रहेगी।

कृषकों के अकुशल विक्रेता होने के कारण अथवा विपणन के दोष



कृषि पदार्थों के विक्रय में कृषकों से उचित लाभ न मिलने के दो मुख्य कारण हैं—प्रथम तो भारतीय कृषक की स्वयं अकुशलता है और द्वितीय बाजार में उचित व्यवस्था का अभाव है। बाजार में व्यवस्था ठीक न होने के कारण कृषक बुरी तरह से ठग जाते हैं और परिणाम उठना यह होता है कि उसको बहुत कम लाभ मिल पाता है। विपणन के दोष निम्नलिखित हैं—

कृषकों की अशिक्षा—वास्तविकता तो यह है कि कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता ही उनसे कुशल व्यापार न होने का मुख्य कारण है। अशिक्षित होने के कारण वे जीवन के प्रत्येक पग पर ठगे जाते हैं। उनको बाजार में प्रचलित मूल्यों का

ज्ञान नहीं रहता और न उनको यही मालूम रहता है कि वस्तु को लाभप्रद मूल्य पर वहाँ बेचा जा सकता है। परिणामस्वरूप वे गाँव में ही अपनी उपज महाजनों या बनियों व हाथ बच देते हैं और चतुर बनिये वा महाजन न समझ वे भोले भाल किसान जिनको यह नहीं मालूम हाता कि वस्तु का बाजार में वास्तविक मूल्य क्या है, भाव ताव करने में असफल रहते हैं।

शृणुप्रस्तता—भारतीय कृषक अधिकतर शृणुप्रस्त हैं। दरिद्रता एव सामाजिक रुढ़िया का दास हाने व कारण उनको शृणु लेना पड़ता है। आमतौर पर यह शृणु गाँव का महाजन वा बनिया देता है। यही महाजन बाद म कृषि पदार्थों का क्रय करता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि महाजन शृणु देने पर किसानों की फसल गिरवी रख लेता है वा शृणु की अदायगी में फसलें सस्ते मूल्य पर पहले से ही खरीद लेता है। इस प्रकार गरीब किसानों का कमी मज्दूरी का मुँह देखने का सीमाग्र नहीं प्राप्त होता है। शृणी होने के कारण किसान अपने महाजन को अक्षुब्ध भी नहीं कर सकते और अपनी फसल को सस्ते मूल्य पर बेचने व लिए बाध्य हो जाते हैं।

अन्तार्थिक जातें—भारतीय कृषक क खेत छोटे-छोटे एव विपारे हुए हैं। व खेती बहुत छोटे पैमाने पर करते हैं। अपनी आवश्यकता से आधरु इन किसानों व पास करल दो चार छे मन गल्ला ही उच पाता है। इतने थोड़े से गल्ले के लिए किसान मडियों में मारा मारा फिरना नहीं पस द करता है। दूसरे, मडियों में इतना थोड़ा माल ले जाने पर माग में व्यय अधिक पड़ जाता है। अतः कृषक यह पसन्द करता है कि फसल को गाव में हा बेच दे और अपना भ्रम एव समय बेकार में न नष्ट करे। प्रो० क्लाक व शब्दों में—

“The operations of the average farm are on too small a scale to warrant giving much time to marketing”

कृषक म उचित संगठन का अभाव—अशिक्षित होने व कारण किसान सहकारिता व लाभों से अनभिज्ञ है। प्रत्येक किसान अपनी थोड़ी थोड़ी फसल को अलग अलग बेचता है। दूसरी ओर खरीदार पूरी तरह संगठित होते हैं। थोड़ी सी फसल बेचने पर उनसे एक किसान उचित भाव-भाव नहीं कर पाता। यदि व संगठित हों तो खरीदार को विनम्र होकर अधिक मूल्य देना पड़े क्योंकि वह किसी दूसरे कृषक से गल्ला नहीं प्राप्त कर सकता। कृषि आयोग के शब्दों में—

“His interests have in the main been left to the free play of Economic forces, and they have suffered in the process For he is an infinitely small unit as compared with distri


butors and consumers of his produce who, in their respective field, become every year more highly organized and more strongly consolidated”

कृषकों की विपशाता—कृषकों का अशिक्षा, दरिद्रता, अज्ञानता एवं भूमि-अवस्था उनका निवश कर देती हैं कि वे अपनी फसलों को यौने-पौने मूल्य पर बेचें। निर्धनता के कारण कृषक उस समय तक अपनी फसल को नहीं रोक सकते जब तक कि वह उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। भूमि का लगान एवं ऋण पर ब्याज भी उनको उसी समय देना पड़ता है जब उनकी फसल तैयार हो जाती है और कटने लगती है। परिणामस्वरूप सभी किसान फसल कटते ही उसे बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे समय में अधिक पूर्ति होने के कारण मूल्य बहुत गिर जाता है। प्रायः उनकी फसलें महाजनो के पास पहुँचे से ही गिरवी होती हैं। परिणामस्वरूप उनको अपने धन का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता। इस प्रकार किसानों को अपनी फसल एक प्रति कूल समय पर, प्रतिकूल दर पर तथा प्रतिकूल बाजार में ही बेचना पड़ता है। इसका प्रतिरिक्त भारत में शादी-विवाह भी उसी समय होते हैं जब फसल कट कर तैयार हो जाती है। किसानों को सामाजिक कार्यों के लिए नकद रूप की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन विपशाताओं में कँसा हुआ किसान बलात अपनी उपज को सस्ते मूल्य पर बेच देता है।

माल की निम्न कीटि—अच्छे बीज एवं खाद के अभाव में अनाज की किस्म अच्छी नहीं होती। वैज्ञानिक कृषि न होने के कारण माल की किस्म अच्छी नहीं रहती। फसलें तरह-तरह का रोगाणुओं के कारण खराब हो जाती हैं। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण, शोल पड़ने के कारण और कीटाणुओं के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। फसलें कटने के पश्चात् खलिहान में ही पड़ी रहती हैं जिसकी वजह से धूल और कण्डू इत्यादि मिल जाते हैं। दीमक, बुल और चीलन आदि से भी फसल खराब हो जाती है। इसका प्रतिरिक्त किसान कभी कभी मिलावट भी कर देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनका उचित मूल्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब वे मिलावट करेंगे। माल की किस्म अच्छी न होने के कारण उनको कम मूल्य मिलना स्वाभाविक ही है।

मध्यस्थों की श्रृंखला—वह दोष विपणन में सब से बड़ा दोष है जिसका कारण कृषक को अपनी फसल का बहुत कम मूल्य मिल पाता है। कृषकों और अन्तिम उपभोक्ता के बीच बहुत बड़ी मध्यस्थों की श्रृंखला है। ये सभी मध्यस्थ अपना अपना मुनाफा लेते हैं। परिणामस्वरूप किसानों को बहुत थोड़ा या लाम बच पाता है और वे अपनी फसल का आभा मूल्य भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में

बिना परिश्रम के ही ये मध्यस्थ किसान की पसीने की कमाई का बहुत बड़ा भाग हड़प कर जाते हैं। साधारणतया कृषक और उपभोक्ता के बीच में निम्नलिखित मध्यस्थ पाये जाते हैं—



औद्योगिक आयोग के शब्दों में—

“गाँवों की फसलों की जो निकासी होती है उनकी विक्री में बहुत से अनावश्यक मध्यस्थों का समावेश रहता है, जो किसानों के अधिकांश लाभ को स्वयं हड़प जाते हैं, क्योंकि किसान निर्धनता और अशिक्षितता के कारण अपनी फसलों को मंडी में ले जाकर बेचने में असमर्थ होते हैं। यह शोचनीय अवस्था मुख्यतः बिहार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाती है।”

केन्द्रीय सरकार द्वारा नी गई जाँचों से स्पष्ट होता है कि गोहूँ की बिक्री में एक रुपये के मूल्य में से किसान को केवल सवा आठ आने और बाबल की बिक्री में सवा नौ आने प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी किसान को वस्तु के मूल्य का लगभग आधा भाग ही मिल पाता है।

यातायात के साधनों का अभाव—भारत में रेलों एवं सड़कों की व्यवस्था अपर्याप्त है। आज भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर वर्षा ऋतु में दूसरे स्थानों पर आने जाना कठिन समस्या बन जाता है। वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कों पर ढलदल हो जाता है और बैलगाड़ा जो केवल माल ढोने का साधन है बेकार हो जाती

है। वैसे भी सड़कों में बड़े बड़े गढे आदि होने के कारण मडियों में माल ले जाने में बड़ी असुविधा रहती है। बिराये पर त्रैलगाड़ी का भाड़ा बहुत अधिक बैठ जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि माल ले जाने का खर्चा कुल मूल्य का २० प्रतिशत होता है। परिणाम स्वरूप समय एवं कष्ट को भ्रान्ते के लिये कृषक यह अच्छा एवं लाभप्रद समझता है कि फसल को गाँव में ही बेच दे। रायल कृषि आयोग के शब्दों में—

“यथायात के दोषपूर्ण साधनों के कारण हा वहुन से मध्यस्थों का अस्तित्व हो गया है जो किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलाने देते।”

भारतीय कृषक दूरों द्वारा मडियों तक अपनी थोड़ी-थी फसल पहुँचाने की कल्पना तक नहीं कर पाता है और गाँव में ही सस्ते मूल्य पर बेच देता है।

सत्तिया का अभाव—भारतीय कृषकों को अपनी फसल को काटने के उपरान्त तुल्य सस्ते मूल्य पर बेच देने के लिये इसलिये भी विनश होना पड़ता है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहाँ पर फसल सुरक्षित रूप से रखी जा सके। प्रायः किसानों के मकान ढाँचे होते हैं जिनमें सीलन होना स्वाभाविक ही है। वषा ऋतु में तो पौधे भी अधिक सीलन का डर रहता है। प्रायः किसान कोठियों (छोटो कोठरी) में भूसा अथवा नीम की पत्तियों पर अनाज इकट्ठा करते हैं। इन कोठियों में अन्धकार एवं चूहों का साम्राज्य रहता है। इन कोठियों में अनाज चलाने के कारण परास हो जाता है और चूहों तथा बुरे और दीमक द्वारा अलग बर्बाद होता है। ऐसी दशा में भारतीय कृषक तुरन्त माल बेच देना हितकर समझता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सत्तियों के अभाव में सीलन और कीड़ों द्वारा भारत में प्रति वर्ष ३ लाख टन गेहूँ गाँव में ही नष्ट हो जाता है।

प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण का अभाव

(Absence of Standardization & Gradation)

विक्रय की कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि माल को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर अनुसूचित राशियाँ और प्रमाणित निश्चिन्ता निधारित की जाय। भारतीय कृषक प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण से अनभिज्ञ होने के कारण अपनी सारी फसल को, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों ही फसलें शामिल होती हैं, एक ही ढेर में बेचता है। बिना श्रेणीकरण के फसल का मूल्य कम मिलना स्वाभाविक ही है क्योंकि माल की किसी अच्छी नहीं हो पाती है। इससे अतिरिक्त उन किसानों को भी जिनकी फसल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है वही मूल्य मिलता है जो परास

फसल वाले कृषकों को। प्रमाणीकरण से मूल्य निर्धारण में भी बड़ी सुविधा होती है क्योंकि प्रत्येक किस्म का अलग अलग मूल्य होता है। विदेशों में भी विभिन्न किस्म के नमूने भेजकर एक ही निर्धारित किस्म का माल भेजा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का माल की साख न होने का कारण यही है कि यहाँ पर श्रेणीकरण का अभाव में मिलवा माल भेजा जाता है। यही कारण है कि सभी उन्नतिशील राष्ट्रों ने प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण को अपनाया है।

बाजार सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव

किसानों की अज्ञानता ही गाँव के व्यापारी द्वारा उनका ठगे जाने का मूल कारण है। किसानों को देश की विभिन्न मण्डियों के प्रचलित मूल्य नहीं मालूम रहते। जो भी बाजार सम्बन्धी सूचना उनको प्राप्त होती है वह गाँव का व्यापारी जो खुद माल खरीदता है देता है। अशिक्षित होने के कारण समाचार पत्र भी उनके लिए उपयोगी नहीं होते। ऐसी दशा में जो कुछ भी गाँव का व्यापारी वह देता है वह किसानों को मान्य होता है। गाव का व्यापारी चालाक होने के कारण ऐसा व्यवहार करता है जिससे यह प्रतीत होता है कि वस्तुओं का मूल्य बहुत गिर गया है और वह खरीदने में असमर्थ है और इस प्रकार कृषक उसने जाल में फँस कर फसल को सस्ते मूल्य पर बेच देता है।

असंगठित बाजार

असंगठित बाजार वे बाजार कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार का सरकारी या अन्य नियन्त्रण नहीं रहता है। ऐसे बाजारों में व्यापारी अपनी इच्छानुसार भावनाएं एवं तौल इत्यादि की बातचीत करता है। बेईमानी करने में रोक की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि कभी किसान बाजार में माल बेचने ले भी जाता है तो वहाँ पर घुरी तरह ठगा जाता है। भारत में नियन्त्रित बाजारों का अभाव है जिसके कारण बाजारों में प्रायः निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं जिनसे किसानों को मण्डों में माल बेचने पर बहुत ही हानि उठानी पड़ती है जिसका कारण वह गाव में ही माल बेचना पसन्द करता है।

(क) तौल एवं बाँटा की विभिन्नता—बाजारों में तौल एवं बाँटों की बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कृषि आयोग के अनुसार पूर्वी खानदेश के १६ जिलों में से ११ जिलों में १ मन की तौल २१३ सेर से लगाकर ८० सेर तक की है। केन्द्रीय कपास समिति ने जाँच करके पता लगाया था कि खानदेश में गेहूँ तौलने और चीनी तौलने के मन विभिन्न वजन के थे। इसके अतिरिक्त बाजारों में ऋय के लिए अलग और विक्रय के लिए अलग बाँट रखे जाते हैं। यही नहीं बाँट

लकड़ी, पत्थर, लोहे आदि के टुकड़ों क होते हैं। १ मन ४० सेर से लेकर ५४ सेर तक पाया जाता है। कृषक इन तौलों की विभिन्नता के कारण ठगा जाता है।

(ख) कम तौल एव डडी मारने की प्रथा—तौलने वाले लोग व्यापारियों के यहाँ रहते हैं। अत वे उहीं का पत्र लेते हैं और गल्ला तौलते समय डडी मारकर अधिक गल्ला तौलते हैं। कभी कभी वे तगनू क पलड़े क नीचे सुम्बक या गोंद लगा देते हैं जिससे हर बार उन्हें गल्ला अधिक मिल जाता है और भोला भाला किसान दमसे अनभिज्ञ रहता है। परीदने वाले बाँट भी व्यापारियों के यहाँ अधिक वजन के रहते हैं। परिणामस्वरूप कृषक बुरी तरह ठगा जाता है।

(ग) दलाल एव अद्वितिया—दलाल लोग किसानों को लालच देकर फसाते हैं और वे लाग अदायतों से मिले रहते हैं। दलाल एव अद्वितियों का पारस्परिक सम्बन्ध होता है क्योंकि उनको बाजार में प्रत्येक दिन रहना पड़ता है। दलाल लोग फसल का मूल्य कृषकों से कपड़े की आड़ में तै करते हैं। प्राय मूल्य तो दलाल और अद्वितियों क बीच तै होता है जिसका ज्ञान किसान को विनमूल ही नहीं हो पाता। दलाल सदैव अद्वितिया का पत्र लेता है और इसलिए किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त दलाली के रूप में और क्षया भी किसान को देना पड़ता है।

(घ) वजार के प्रचलित रीति रिवाज—बाजारों में बहुत से रीति रिवाज बना रखे गये हैं जिनसे किसानों को और भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रिवाज निम्नलिखित हैं—

(1) नमूना—नमूने क लिए किसानों को गल्ला देना पड़ता है जो कई लोगों क दिखाने क बहाने दलाल काफी मात्रा में ले लेता है। इसका कुछ भी मूल्य किसान को नहीं मिलता है।

(2) करदा—अनाज तल जाने के बाद में कुल वजन में से कुछ वजन किसानों को इसलिए कम करना पड़ता है कि उनका अनाज में मिलावट है और गर्द या कड़क है। यह एक रिवाज है चाहे मिलावट हो या न हो कृषक को करदा के रूप में छूट दनी ही पड़ेगा। अनाज तल जाने क बाद यदि कृषक इन्कार भी कर दे तो उसका माल के पुन लदवाने में भी और धन करना पड़े। इसलिए वह करदा देना ही पसन्द कर लेता है और नाहरु पाटा उठाता है।

(3) विभिन्न कर—मरगी आने पर किसान को बहुत स कर भी देने पड़ते हैं जिनका रिवाज है। सबसे पहले शहर में घुसने पर चुगी ही देनी पड़ती है। फिर बाजार में आने पर बेचने क स्थान का किराया, पल्लेदारी, तुलाइ, दस्तूरी, प्याऊ इत्यादि को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त धर्मादा क नाम पर

मन्दिर, गोशाला, अनाथालय, पाठशाला आदि के लिए भी चन्दा देना पड़ता है। भगी, मुनीम, चौकीदार, भिखारी इत्यादि के लिए भी कौती की जाती है। किसान न अकेला और भोला भाला होने का कारण प्रत्येक व्यक्ति मण्डी में कुछ न कुछ लेने का प्रयत्न करता है और किसान ठगा जाता है। इस प्रकार खरीदार के लिये किसानों पर लाद दिये जाते हैं और किसानों को उन धार्तों के लिए भी रुखा देना पड़ता है जिससे वह कुछ भी लाभ नहीं उठाता है। कृषि आयोग ने ठीक ही लिखा है—

“बाजारों में प्रचलित बहुत से रिवाज तो खुली चोरी से कम नहीं हैं।”

दोषों के दूर करने के उपाय

वस्तुओं का विक्रय एक कला है। कृषक इस कला में तभी प्रवीण हो सकते हैं जब उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाय। वास्तव में अधिज्ञा ही किसानों की अकुशलता का मुख्य कारण है। अतः शिक्षा का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। अन्य उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) यातायात के साधनों में विस्तार

(२) प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण की सुविधाएँ

(३) उचित साख की व्यवस्था—वास्तव में किसान के द्वारा मण्डियों में फसल न बेचने का कारण यह है कि कर्जदार होने का कारण वह महाजन एवं भणियों का दास बना रहता है। इस अतिरिक्त धनाभाव का कारण उसको अपनी फसल काटने के बाद तुल्य ही कम मूल्य पर बेच देना पड़ता है। ऐसे समय में पूर्ति अधिक होने के कारण मूल्य तो कम रहता ही है, महाजन या गाँव का बणिजा व्यापारी किसानों का गरजमन्द होने का और भी लाभ उठाता है। साख की उचित व्यवस्था से किसान महाजनों के जुगल से निकल सकता है और फसल को कुछ समय तक रोक्ने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जिससे उसे अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना रहनी है।

(४) मध्यस्था का अन्त

(५) संगठित बाजारों की स्थापना—इसके लिए सरकार द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता है। वे सभी रीति रिवाज जो बाजार में प्रचलित हैं, नियंत्रित बाजार में उत्तम हो जायगे। कम तौनाई, राटों में मिश्रण एवं डडी मारने आदि की धखे बाजरी भा उत्तम हो जायगी। इस प्रकार बाजारों में पैली हुई अन्धेसर्दा एवं अनियमितता का अन्त हो जायगा।

(६) वॉट एवं तोलो का सरकार द्वारा प्रमाणीकरण एवं बाजारों में लागू करने की व्यवस्था और नियन्त्रण।

(७) बाजार सम्बन्धी सूचनाओं की व्यवस्था—सरकार द्वारा रेडियो से अथवा समाचारपत्रों द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है।

(८) माल की किस्म में उन्नति की व्यवस्था—यह अच्छे बीज एवं वैज्ञानिक कृषि की व्यवस्था द्वारा पूर्ण किया जा सकता है।

(९) अन्न भंडारों तथा गोदामों की व्यवस्था—भारत में सग्रह की दुर्बल-वस्था के कारण आज भी किसान अपने भोपड़ों में, कोठियों में, खादरों और कनातों आदि पुराने सग्रह करने के तरीकों को अपनाये हुए हैं। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक अपनी फसल को शीघ्रता से विक्रय न करके अच्छे भावों की प्रतीक्षा करे। उसके लिए सग्रह एवं भंडार की व्यवस्था बाह्यनीय है। अनाज सग्रह करने क सुधरे हुए वैज्ञानिक तरीकों द्वारा उस राष्ट्रीय हानि को रोका जा सकता है जो सग्रह के निकृष्ट तरीकों के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग ३२ लाख ५ हजार टन अनाज के रूप में होती है। वास्तव में गोदामों से अन्य लाभ भी होंगे जो निम्नलिखित हैं—

(क) फसल के सग्रहण की व्यवस्था करके बाजार भावों के होने वाले हास को रोना जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त माल पर श्रृण प्राप्त करने में सुविधा रहती है। गोदाम रसीद के द्वारा कृषक अपनी साख का विस्तार कर सकते हैं।

(ग) व्यापारी लोग गोदाम में ही कृषि पदार्थों का क्रय कर लेते हैं जिससे यातायात व्यय व उठा-धरी व्यय में मितथ्ययता होती है।

(घ) गोदामों से रेबल उपज को नष्ट होने से ही नहीं बचाया जाता, अपितु निर्यात क लिये, शुद्धीकरण, वर्गीकरण, सुखाने की व्यवस्था, भरणे की सुविधा, परिष्करण इत्यादि की सुविधाएँ भी प्राप्त हो सकती हैं जिसे विपणन अच्छे मूल्यों पर किया जा सकता है।

(१०) सहकारी विपणन-समितियों का विकास

श्री एफ० फ्लवर्ट के शब्दों में—

“सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा पूर्वक, मनुष्य के रूप से ओर समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहयोग करते हैं।”

वास्तव में सहकारिता ही निर्धन, दुर्बल एवं शक्तिहीन कृषक के पास मूल अन्न है जिसके द्वारा वह धनी, सम्पन्न एवं चतुर लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ‘एकता में बल है’ इसमें कोई सन्देह नहीं। सहकारी-कृषि समितियों द्वारा कृषक अपनी फसल की विक्री में लम्बी मध्यस्थों की शृंखला तोड़कर उपभोक्ता से

सीधा सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सकता है। इन समितियों द्वारा विपणन के बहुत से दोष दूर किये जा सकते हैं और कृषकों को अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार मिल सकता है। महाजन के पत्रों से छुटकारा पाना केवल सहकारिता के बल पर ही निर्भर है। सहकारी कृषि समितियों से कृषकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे—

(क) भाव-ताव करने की क्षमता में वृद्धि—जब सभी कृषकों की फसल समितियों द्वारा बेची जाती है तो गाँव का व्यापारी केवल इन्हीं समितियों द्वारा ही अनाज खरीद सकता है। इन समितियों के हाथ में सब की सब पूर्ति होने के कारण गाँव का व्यापारी उचित मूल्य देने के लिये मजबूर हो जाता है।

(ख) साख का प्रबन्ध—इन समितियों को बैंक से फसल के आधार पर ऋण आसानी से मिल जाता है और ब्याज की दर भी उचित होती है। प्रत्येक किसान जो इन समितियों का सदस्य होता है, ऋण ले सकता है। परिणामस्वरूप महाजनों के पत्रों से छुटकारा मिल जाता है।

(ग) कम खर्च पर मंडियों से सम्बन्ध—सहकारी समितियों के पास अधिक मात्रा में फसल होने के कारण ट्रकों या रेलों का उचित उपयोग फसलों को मंडी तक ले जाने में किया जा सकता है। प्रत्येक किसान अलग-अलग अपने माल को ट्रक द्वारा नहीं भेज सकता क्योंकि थोड़ा माल भेजने में ले जाने का खर्चा अधिक बैठता है। समितियों के पास गल्ला अधिक होने के कारण यह समभव हो जाता है कि थोक व्यापारी से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

(घ) प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण में सुविधा—समितियों के पास अधिक मात्रा में अनाज इकट्ठा होने के कारण प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण भी सुविधाजनक हो जाता है। इस सुविधा के कारण मान का उचित मूल्य तो प्राप्त होता ही है, और साथ ही साथ करदा इत्यादि जो कटौतियाँ होती हैं वे भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा दूर की मंडियों में नमूने के अनुसार बिक्री समय होने के कारण माल को उस मंडी में बेचने की सहूलियत होती है जहाँ पर वस्तु का मूल्य सबसे अधिक हो।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त एक लाभ यह भी होगा कि सहकारी समितियाँ फसल को सुरक्षित रखने के लिये अच्छे गोदामों का निर्माण कर सकती हैं जो एककी किसान नहीं करा पाता और इस प्रकार वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पूर्ति के नियंत्रण के कारण अधिक मूल्य भी प्राप्त हो जाता है।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Government Measures)

सरकार द्वारा भी विपणन की समस्या हल करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है—

(१) विपणन विभाग की स्थापना—भारतीय कृषि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कृषि विभाग में कुछ विपणन अधिकारियों (Marketing Officers) की नियुक्ति की जानी चाहिये, किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें इस पर ध्यान नहीं कर सकीं। परन्तु भारत सरकार ने कृषि विपणन के महत्व को समझ कर इस सिफारिश पर ध्यान देने का दायता लिया। यह सोचा गया कि ऐसे योग्य व्यक्ति को जो अन्य देशों में कृषि विपणन का अनुभव रखता हो कुछ समय के लिये इस कार्य पर नियुक्त किया जाये और उसके लिये कुछ सहायक अधिकारियों की भी नियुक्ति हो। परिणामस्वरूप १ जनवरी १९२५ को दिल्ली में भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार के कार्यालय की स्थापना हुई। इस दफ्तर में अग्र कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, तीन सीनियर विपणन सलाहकार, चार विपणन अधिकारी, एक सुपरवाइजर और सोलह सहायक विपणन अधिकारी हैं। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विपणन विभाग हैं। जिन राज्यों में ऊँच विपणन अधिकारी नहीं होता वहाँ उसका कार्य कृषि संचालक करता है।

विपणन विभाग के निम्नलिखित कार्य हैं—

(क) विपणन सम्बन्धी निराकरण करके रिपोर्ट प्रकाशित करना—विपणन विभाग उत्पादन की समस्याओं, वितरण, भाँक, व्ययसाय, निष्कासन, एकत्रीकरण, मूल्य एवं किस्मों के बारे में निरीक्षण करता है और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये द्वाय विभाग ने १९३७ तक लगभग ३६० स्थानीय विपणन निरीक्षण कर लिये थे। उन १९४३ में मटर, मेथी, गोभा का फूल, टमाटर, दालें, हड्डियों और कुछ अन्य वस्तुओं के विपणन के निरीक्षण किये गये परन्तु उनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई।

(ख) वस्तुओं का प्रमाणीकरण—इस विभाग का दूसरा कार्य विभिन्न वस्तुओं के नमून इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करना है। १९३८ में यमक, लाल और मक्खन के विश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया था। १९३७ में वस्तु के ग्रेड, प्रकार और किस्म के प्रमाण को निश्चित करने के लिये Agricultural Produce Grading & Marketing Act बना। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि विपणन सलाहकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों

को स्वामित्व क सर्टीफिकेट प्रदान करे जो अग्रणी वस्तुओं के क्रमबधन के लिये तैयार हों। इस कानून द्वारा अब फल, सब्जियाँ, चमड़ा, दूध, दही, घी, तम्बाकू, काफ़ी, आटा, तिलहन, वनस्पति तेल, रुई, चावल, गेहूँ, लाल, गुड़, हर्र बहेड़ा, ऊन, इत्यादि वस्तुओं का श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण किया जाता है। प्रत्येक श्रेणीकृत वस्तु पर आग मार्ग सुहर लगा दी जाती है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति बप लगभग १२ करोड़ रुपयों की वस्तुओं का रसायनिक विश्लेषण एवं श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण किया जाता है।

(ग) वाजार सम्बन्धी सूचनाओं को प्रसारित करने की व्यवस्था—आजकल दिल्ली रेडियो स्टेशन से वाजार की साप्ताहिक खबरें प्रसारित की जाती हैं जो हाफुड मण्डी में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य बताती हैं। चलकत्ता टे भी रेडियो द्वारा भाव सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जाती है। जम्बई से सोना, चाटी, गेहूँ, अलसी मूँगफली आदि के भाव बताये जाते हैं। यह कार्य कन्द्रीय सरकार के अन्तरी विभाग द्वारा होता है।

(घ) कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनियाँ का आयोजन—इन प्रदर्शनियों में यह विभाग अपना कार्य निबरण प्रस्तुत करता रहता है। प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण को भी प्रदर्शित किया जाता है।

(२) तौल और घाँटा में सुधार—गाँवों और तौलों में विभिन्न स्थानों पर समानता लाने के लिये भारत सरकार ने सन् १९३६ में प्रमाणित तौल विधान (Standards Weight Act) पास किया। यह अधिनियम १ जुलाई १९४२ से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। बम्बई, विहार, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मैसूर एवं पटियाणा राज्य में कानून द्वारा प्रमाणित तौलों को अनिवार्य कर दिया गया है। योजना आयोग का मुभाव है कि अन्य राज्यों में भी इसी अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिये। मेट्रिक प्रणाली (Metric System) जो भारत में लागू की जा रही है तौल के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी।

(३) नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना

नियन्त्रित बाजारों की स्थापना सर्वप्रथम बरार में १९२७ ई० में की गई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा आदि राज्यों में की गई। मध्यप्रदेश में रुई के लिये नियन्त्रित बाजारों की संख्या १९४६ में ३६ थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बम्बई में भी बाजारों का नियन्त्रित संचालन किया जा रहा है। पूर्वी पंजाब में ५६, हैदराबाद में ४२ और ग्वालियर में ३६ नियन्त्रित मण्डियाँ हैं। इस समय आंध्र प्रदेश, बम्बई, मैसूर मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में ५३२ मण्डियाँ

काम कर रही हैं। कुछ मडियों में तो किसानों के ठहरने के लिये विश्रामघर और खाने-पीने की चीजों की दूरानें भी बनायी गयी हैं। इन मडियों की मुख्य विशेषताएँ निम्न लिखित हैं—

(1) इन मडियाँ का प्रबन्ध क्रेताओं और विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा होता है। ये समितियाँ तौल, माप तथा कटौतियों पर नियन्त्रण रखती हैं और कृषकों की दलालों से रक्षा करती हैं।

(11) प्रत्येक मन्धस्थ, दलाल, तौलने वाले को समिति द्वारा अपना पञ्जीन (Registration) कराकर अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करना आवश्यक होता है। अनुचित मारवाही पर दण्ड की व्यवस्था होती है।

(111) क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच झगड़ों का निवटारा भी समिति ही करती है।

(1V) तौलाई, चुगी एवं बाजार के अन्य कर मंडी समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अन्य प्रकार के अनिर्धारित व्यय कृषकों से कोई भी नहीं ले सकता।

उपर्युक्त सुविधाओं के कारण कृषक इन मडियों की ओर स्वयं आकृष्ट होकर अपना माल बेचने आते हैं। पहले केवल १० प्रतिशत किसान ही अपना माल खुद बेचने जाते थे, अब मडियों में आने वालों में ६० प्रतिशत ऐसे होते हैं जो अपना माल लाकर वहाँ बेचते हैं। मंडी खर्च में भी २८ से ६६ प्रतिशत तक कमी हो गई है। फलस्वरूप किसानों को यहाँ माल बेचने से प्रति बैकडा १ ६० से ५ ६० तक और मुनाफा होने लगा है।

(४) गोदामों की सुविधाएँ

केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५४ में गोदाम संचालक विभाग की स्थापना की थी जिसका कार्य सग्रह करने की वर्तमान अवस्थाओं और भविष्य के लिये सुझाव देने, सग्रह करने की पद्धतियों की सूचना देने, प्रान्तीय सग्रह अधिकारियों को शिक्षा देने आदि का है। इस विभाग द्वारा कई लाख टन अनाज सग्रह करने के लिये बम्बई, त्रिगंगारटन, कोयम्बेदूर तथा मध्यप्रदेश और उड़ीसा में बड़े-बड़े गोदाम बनवाये गये हैं।

सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा दी गई प्रतिवेदन में गोदामों के विषय में बहुत सुझाव रखे गये थे, जिन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान की और आज देश में उन्नीस करोड़ अनुसार कार्य किया जा रहा है। समिति के सुझाव के अनुसार सरकार ने “कृषि उपज (विकास और गोदाम) निगम अधिनियम

सन् १९५६" पारित किया जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय गोदाम निगम व राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड की स्थापना की गई। इस अधिनियम की मुख्य धारों निम्न हैं—

(I) राष्ट्रीय सरकारी विकास और गोदाम बोर्ड की स्थापना की जाय, जिससे यह अधिकार होगा कि वह व्यर्थ पड़ी भूमि पर अधिकार करे और गोदामों की गृहला देश में खोलने में सहयोग दे।

(II) इस बोर्ड के १० सदस्य हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, चायदा विपणन आयोग के समापति, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंक के प्रतिनिधि व केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी गण उसके सदस्य होंगे।

(III) बोर्ड के कार्यों में सहकारी विपणन समितियों के साथ ही गोदामों की योजना बनाना, उत्पादित माल का पारिष्करण, विक्रय व्यवस्था का भी भार सौंपा गया है।

(IV) केन्द्रीय सरकार ५ करोड़ रु० की (Non-recurring) सहायता देगी व ५ करोड़ रु० की (Recurring) सहायता ५ वर्ष तक देती रहेगी। बोर्ड के दो कोष होंगे (अ) राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष और (आ) राष्ट्रीय गोदाम विकास कोष। पहले में ३ करोड़ व दूसरे में २ करोड़ रुपये का कोष होगा।

(V) केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना २ मार्च सन् १९५७ को हो गई है। इस निगम की अधिकतम पूँजी २० करोड़ रुपये की होगी और १ हजार रुपये के २ लाख अंश होंगे। निगम के १४ सचालक होंगे। निगम के अनेक कार्यों में से एक दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश भर में १०० गोदामों की एक गृहला स्थापित करना व प्रत्येक राज्य में राजकीय गोदाम निगम खोलने में सहायता देनी होगी। राज्य निगम राज्यों में २५० गोदामों की स्थापना करेंगे। निगमों के उत्तरदायित्व में गोदामों के लिये भवन निर्माण, कृषि उत्पादन के लिये व्यवस्था करना, खाद, औजार व बीज के भण्डार की व्यवस्था करना व ग्रामीणों को श्रृणु इत्यादि प्रत करने में सहायता करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं। राज्य गोदाम निगम केन्द्रीय निगम के निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे। राज्य निगमों की अधिकृत पूँजी २ करोड़ रु० से अधिक नहीं होगी। राज्य गोदाम निगम सम्बन्धित राज्यों में सहकारी समितियों के विनाश कार्य के साथ ही गोदामों के विकास कार्यों को भी सम्मिलित रूप से विकसित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल में ही ऐसे निगम की स्थापना की है।

द्वितीय पञ्च वर्षीय योजना में कार्यक्रम

वर्तमान समय में देश में गोदामों की व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है, परन्तु फिर भी सरकार क प्रयत्नों से २ लाख १० हजार टन अन्न सग्रह करने के लिये गोदाम बनाये जा चुके हैं परन्तु गोदामों का विस्तार गाँवों में करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य सरकार व जनता दोनों के सहयोग से ही सम्पन्न हो सकता है। योजना आयोग ने गोदामों की व्यवस्था के लिये द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में निम्न लक्ष्य रखे हैं—

(1) १०० गोदामों का निर्माण, जिनकी क्षमता १० से २० हजार टन तक की होगी। ये केन्द्रीय निगम द्वारा स्थापित किये जायेंगे।

(II) २५० गोदाम, राज्य गोदाम निगमों द्वारा, जिनमें प्रत्येक की सग्रहण क्षमता २ हजार से १० हजार टन तक की होगी, स्थापित किये जायेंगे।

(III) १५०० विपणन समितियों के गोदाम व ५ हजार बड़ी समितियों के गोदाम भी स्थापित किये जायेंगे।

इस प्रकार उपर्युक्त योजना के अनुसार देश की सग्रहण क्षमता ५० लाख टन तक हो जायगी। केन्द्रीय गोदाम निगम की प्रथम संचालक सभा श्री पी० एन थारर की अध्यक्षता में २१ मार्च १९५७ को हुई थी। इस सभा ने इस वर्ष के लिये २२ गोदामों की व्यवस्था भी तैयार कर ली है।

(५) सरकार द्वारा सहकारी विपणन समितियों को प्रोत्साहन—विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। सम्पूर्ण राज्य में १९३९ ई० के पश्चात् सहकारी-विपणन समितियों में काफी प्रगति की है। सन् १९३९ में इनकी संख्या ६४ थी परन्तु १९५६ ई० में ३४४ हो गई। सन् १९४९-५० में इन समितियों ने २०३२ ०५ लाख रुपये की विक्री की। गुजरात व खानदेश में कपास की बिन्नी क लिये इनकी स्थापना हुई है।

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में गन्ने की बिन्नी के लिए सहकारी समितियाँ सतोपजनक कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले १० वर्षों में लगभग १६,००० गन्ना सहकारी समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। चीना के कारखानों को जितना गन्ना मिलता है उसका ८५ से ९० प्रतिशत भाग इन समितियों द्वारा ही दिया जाता है। इन समितियों द्वारा दिये गये १९४८-४९ से १९५१-५२ ई० तक ५० लाख टन गन्ने का मूल्य २५ करोड़ रुपये था। यह सफलता 'Sugar Factory Control Act' में दी गई सुविधाओं के कारण हो सकी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सन् १९४९ में मेरठ, तिलहन, दालें, तम्बाकू आदि के विपणन के लिये ११६

समितियाँ थीं और धी के विक्रय के लिये ७२७ समितियाँ थीं। सन् १९४६-५० में ६३० धी समितियों ने .७२ लाख रुपये का लाभ फसाया।

मद्रास में १९३६ में विक्रय समितियों की संख्या केवल १३८ थी किन्तु १९४६-५० में बढ़कर २७६ हो गई जिन्होंने सब मिलाकर ३६४५८ लाख रुपये का माल बेचा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर केन्द्रीय विक्रय संघ भी है। मद्रास की ये समितियाँ चावल, मूँगफली, तम्बाकू, निरवा, नारियल, तिलहन, रई और कुसारी इत्यादि का विक्रय करती हैं।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त मैसूर, कुर्ग, मध्यप्रदेश, हैदराबाद तथा पेंजु में भी इसी प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं।

सरैया (सहकारी) समिति—सन् १९४६ में भारत सरकार ने श्री आर० बी० सरैया की अध्यक्षता में एक सहकारी योजना समिति की स्थापना की। इस समिति ने सुधार के लिये निम्न सुझाव दिये—

(1) १० वर्ष के अन्दर सभी कृषि पदार्थों का २५% भाग सहकारी विक्रय समितियों के द्वारा खरीदा बेचा जाये। इसके लिए २,००० विक्रय समितियाँ, १२ प्रांतीय विक्रय संघ तथा एक केन्द्रीय विक्रय संघ की स्थापना की जाये।

(ii) सदस्यों के लिये अचना उपादन इन समितियों के हाथ बेचना अनिवार्य होना चाहिये।

(iii) प्रत्येक २ हजार भूदियों अथवा २० गाँवों के लिये एक विक्रय समिति होनी चाहिये।

(iv) अखिल भारतीय विक्रय संघ की स्थापना जो प्रांतीय समितियों में समन्वय स्थापित कर सके।

गोरवाला कमेटी

सन् १९५२-५३ में गोरवाला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विक्रय समिति बनाने का सुझाव दिया है। इस कमेटी के अनुसार—

(१) प्रत्येक मण्डली में एक विक्रय समिति की स्थापना हो, जिसको सफल बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाय।

(२) इस समिति के सदस्य कृषकों के अतिरिक्त सरकार भी होगी। समिति की पूँजी के लिये वहाँ सदस्यों को चन्दा देना अनिवार्य है वहाँ यह भी बरूरी है कि सरकार भी इसमें भागी हो।

(३) समिति को सफलतापूर्वक चलाने के हेतु सुशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

(४) इस समिति का यद्यपि मुख्य कार्य सदस्यों के उत्पादन का विक्रय करना होगा, किन्तु इसके अलावा यह समितिश्रेणियन तथा समूह कम्पे वा भी कार्य कर सकती है।

(५) शेष स्थानों में जहाँ विक्रय समिति खोली जाय वहाँ किसी सहकारी बैंक की शाखा अथवा कोई बुद्धत्-स्तर वाली साल समिति अवश्य होनी चाहिये जिससे विपणन तथा साल में सदा सर्वोच्चित सम्बन्ध रहे।

अस्तुवर सन् १९५३ ई० में नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के बाजारों के अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कृषि पदार्थों के विपणन के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।

पंचवर्षीय योजना में कृषि विपणन

पंचवर्षीय योजना में कृषि वस्तुओं के विक्रय के लिए सहकारी समितियों के विकास, प्रचार तथा उत्पादन की पूँजी समस्या एवं विक्रय समस्या, दोनों के पारस्परिक सम्पर्क पर बहुत जोर दिया गया है। इसके विशेष अध्ययन के लिये चार विशेषज्ञों की एक के द्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिश की गई है। नियन्त्रित मंडियों के विनाश, मंडियों में कृषक सहकारी समितियों के अधिक प्रतिनिधित्व तथा प्रमाणिक तौल विधान को उचित रूप से लागू करने की योजना भी बनाई गई है। ऊन, लाख, चमड़ा तथा तिलहन आदि वस्तुओं के श्रेणियन के लिये योजना में ८६५ लाख रुए का आयोजन है। श्रेणीकरण के कारण यह आशा की जाती है कि देश में इन वस्तुओं का मूल्य में १०% से १५% तक वृद्धि हो जायगी, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तोल-माप की मीटरिक प्रणाली की व्यवस्था

नाप और तौल में भारत ने मीटर प्रणाली का शुभारम्भ गत वर्ष किया है। पहले तो जुलाई १, १९५८ से ही इसका भी गणेश जूट उद्योग में कर दिया गया था, क्योंकि जूट व्यवसाय का आर्थिक वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होता है किन्तु इसका वास्तविक आरम्भ अक्टूबर १, १९५८ से किया गया है। यह प्रणाली समस्त देश में एक साथ लागू नहीं की गई है वरन् यह धीरे-धीरे १० वर्षों में लागू हो पायेगी। नया प्रणाली के अपनाने का आधार उसकी सरलता तथा व्यापकता है। हमारे यहाँ इस समय लगभग १४३ प्रणालियों का प्रयोग होता है। इन नाना प्रकार के बाटो और पैमानों के चलने से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, उलझनें और गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। बेहमानी, ठगी, धोखेबाजी, लूट, अपेक्षे चाहे जैसी भी सजा दें, बाटों की विचित्रता के कारण सत्रकी सब उपयुक्त ही होगी। एक राज्य के बाँट और

पैमाने दूबरे राज्य के चाँट और पैमानों से भिन्न प्रकार के हों यह बात कुछ खाना तक भी न्यायसगत नहीं जचती है। देश भर में मीटरिक नाप तौल पर आधारित एक समान प्रणाली प्रारम्भ हो जाने से पर्याप्त सुविधा हो जायगी और सारे देश का व्यापार एक आधार पर आ जाने से उसमें पर्याप्त वृद्धि की आशा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि विपणन में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न सराहनीय हैं, परन्तु सरकार ही यम कुछ नहीं कर सकती। जन तक कृषक स्वयं भी इस योग्य न होगा कि वह सरकारी योजनाओं से लाभ उठा सके तब तक इस दिशा में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हा सकती। हृदय का निषय है कि अपनी राष्ट्रीय सरकार कृषकों की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रही है। अज्ञानता दूर होने क उन्नत सहकारिता का स्वयं ही विकास समभव हो सक्गा और कृषक कुशल विक्रेता क रूप में अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार प्राप्त करके अपनी तथा कृषि की उन्नत क पथ पर अग्रसर हो सकगा।



भूमि-व्यवस्था

(Land Tenure System)

टेन्योर (Tenure) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'Teno' से हुई है जिसका अर्थ होता है 'अधिकार'। अतः भूमि व्यवस्था से आशय यह है कि भूमि पर किसका क्या अधिकार है, कृषक और भू-स्वामी का परस्पर क्या सम्बन्ध है और कृषक किन दशाओं में भूमि पर कृषि करता है। वास्तव में भूमि पर कृषक के क्या अधिकार हैं और वह किन दशाओं में कृषि करता है इसका प्रभाव कृषि विकास एवं कृषकों की आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक पड़ता है। निम्नी ने ठीक ही लिखा है—

“अधिकार का जादू रेत को भी सोने में परिणत कर सकता है।”

भूमि प्रकृति की देन है। अतः सभा मनुष्यों को इसका उपयोग करने का अधिकार है। यदि लोगों को यह अधिकार नहीं प्रदान किया जाता तो यह एक सामाजिक अन्याय है। यही कारण है कि भूमि-व्यवस्था में उत्पादन एवं सामाजिक न्याय का भी समावेश हो जाता है। भारत कृषिप्रधान देश है और यहाँ की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। निम्नु उचित भूमि व्यवस्था न होने के कारण आज भी हमारी कृषि अन्य उन्नतशील राष्ट्रों से पिछड़ी हुई है और कृषक दरिद्रता के दलदल में घँसा हुआ है। विश्वी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला वहाँ की भूमि होती है। भूमि के उचित वितरण एवं भूमि पर कृषकों के अधिकारों पर ही वहाँ न कृषकों की आर्थिक सम्पन्नता निर्भर होती है। भारतीय भूमि व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ अब तक यह रही हैं—भूमि पर कृषकों का स्थायी अधिकार न होना, मध्यस्थों का आधिक्य, अत्यधिक लगान, अनुपस्थित जमींदारों तथा भू-स्वामियों की वृद्धि एवं उनकी स्वेच्छान्तरिता एवं शोषण। इस प्रकार भारतीय भूमि-व्यवस्था दीर्घकाल से लोगों से परिपुर्ण है। जनसमूह की सम्पन्नता एवं संभव पर भूमि अधिकारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज किसान दरिद्र हैं क्योंकि भूमि पर स्थायी अधिकार न होने के कारण भूमि पर सुधार नहीं कर सका और शोषण के कारण अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सका। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त देश की राष्ट्रीय सरकार ने बिन विमिष

समस्याओं का विश्लेषण किया तथा सुधार का कदम उठाया उनमें से भूमि व्यवस्था प्रमुख है। वास्तव में देश में कृषि सम्बन्धी सुधार अथवा ग्राम-सुधार की कोई भी योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि भूमि व्यवस्था उचित न हो। देश के लगभग ८० प्रतिशत ग्रामीणों के जीवन में सुधार तभी दिया जा सकता है जब एक सकुशल भूमि व्यवस्था का निर्माण हो सके। देश की कुशल भूमि-व्यवस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए—

(I) इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

(II) किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के शोषण का अन्त हो सके।

(III) उत्पादन के ढंग इस प्रकार से हों जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके।

(IV) यथासम्भव सम्पत्ति तथा आय के वितरण की विषमता दूर हो सके।

अनुचित भूमि व्यवस्था जन-समूह में असन्तोष का मूल कारण है और असन्तोष ही क्रान्ति की जननी है। देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का स्वप्न पूरा करने के लिए उचित भूमि-व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। श्री राधाकमल मुर्जी के शब्दों में—

“हमारी भूमि-व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है और इसमें सुधार के बिना वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता किसी से भी कुछ लाभ नहीं होगा।”

आर० एम० टानी के शब्दों में—

“खेतों के तरीकों में सुधार निःसन्देह अनिवार्य है, परन्तु जाँकों द्वारा चूसे गये दखि खेतिहरों को इसके लिए शिक्षा देना निरर्थक है क्योंकि उनके पास इसके लिए साधनों का अभाव है। उन्नीसवीं शताब्दी के यारोप में भूमि-व्यवस्था के कानून में परिधर्तन, उत्पादन विधियों और कृषि विपणन के आधुनिकीकरण के पूर्व ही हो चुका था। पहिली बातों के अभाव में अन्तिम दो चारों सम्भव नहीं थी।”

भारतीय भूमि व्यवस्था का ऐतिहासिक सिद्धान्तलोकन

प्राचीन काल में भारतीय राजा ही सारी भूमि का मालिक होता था और किसानों से कर या लगान के रूप में कुल फसल में से हिस्सा लिया करता था। राजा या भाग ‘मदु’ के अनुसार साधारणतया ३ और विपत्तिकाल में ३ तक होता था। लगान की यह प्रथा अच्छी थी क्योंकि फसल के अनुपात में ही लगान होता था। गाँव का मुखिया गाँव से लगान वसूल करके राज्य के अधिकारी को दे दिया करता था। अकबर बादशाह ने भूमि पर उर्वरता के अनुसार लगान की दरें निर्धारित कीं। किसान

को द्रव्य या अनाज के रूप में लगान देने की सुविधा थी। लगान वसूल करने का तरीका मुखिया द्वारा ही होता रहा। इसका परिणाम “नानावती तथा अञ्जारिया” के शब्दों में निम्नलिखित हुआ—

“लगान वसूल करने वालों के द्वारा खेत जोतने वालों का शोषण हुआऐसी घटनाएँ भी हुईं कि लगान न दे सकने वाले किसानों को अपनी खी व घरूचे तक दासों के रूप में बेचने पड़ते थे।”

यह प्रथा जुगनों के शासनकाल तक चलती रही परन्तु अँग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद नई भूमि-व्यवस्थाओं का जन्म हुआ जिनका विवरण निम्न लिखित है—

(१) रेयतवाड़ी प्रथा—यह प्रथा मद्रास, बम्बई तथा आसाम में लागू की गई। इस प्रथा में कृषक ही भूमि का स्वामी होता है। कृषक तथा सरकार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। किसान सरकार से भूमि लेता है। किसान अपने खेत को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, न-बक रत सकता है परन्तु किसी भी हालत में उसे बेच नहीं सकता। यदि वह खेती नहीं करना चाहता है तो सरकार भूमि वापस ले लेती है और अन्य किसानों को दे देता है। किसान अपनी भूमि को सभी तरह के प्रयोगों में ला सकता है। किसान और सरकार के बीच कोई मध्यवर्ती नही रहता। जब तक किसान भूमि का लगान देता रहता है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। लगान का निर्धारण २० वर्ष से लेकर ४० वर्ष तक के लिए किया जाता है। भूमि कर निर्धारण अधिकारी ही लगान निर्धारित करता है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह रहा कि किसान के रूप में पूँजीगतियों ने काफी भूमि हथिया ली और बड़े बड़े जमीनदारों की तरह एक दीर्घ शृङ्खला खेतिहर मजदूरों की कर ली जिनका शोषण होता रहा। इस प्रकार वास्तविक किसानों और सरकार के बीच बड़े बड़े किसान मध्यस्थों के रूप में आ गये। जन साधारण जो खेती करते हैं उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा और वे निर्धन तथा शोषित ही रहे।

(२) महालवाड़ी प्रथा—इस प्रथा का जन्म सन् १८२३ में रेगूनेशन ऐक्ट के अन्तर्गत आगरा और प्रवच में हुआ। यह प्रथा पंजाब और मध्यप्रदेश में भी पाई जाती है। देश का ८ प्रतिशत भूमि पर इस नियम के अन्तुसार खेतायन जाती है। सरकार प्रत्येक कृषक को अलग अलग भूमि देने के भयङ्क में नहीं पड़ती है, परन्तु ग्राम के कुछ व्यक्तियों को सामूहिक रूप में देती है। इस दल का एक व्यक्ति मुत्तवा होता है और वह भूमि को कृषकों के मध्य विभक्त कर देता है। उसे सरकार को लगान देने का अधिकार रहता है। लगान से एक निश्चित मात्रा रखकर बाकी सरकार को दे देता है। महालवाड़ी प्रथा में यदि एक कृषक लगान देने में असमर्थ रहा, तब भी वह-

पर परिवर्तन किया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पञ्जाब में प्रचलित थी।

अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा का शीघ्रेश्च अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया था। बालक म यह प्रथा ब्रिटिश शासन की नींव दृढ़ करने के लिए एक प्रमुख साधन थी। इस प्रथा के द्वारा अंग्रेज सरकार अपनी आय निश्चित करना चाहती थी। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहती थी जो राजभक्त हो और अपने आधीन कृषकों को अंग्रेज शासन के विरुद्ध पड़्यन्त रोक्ने में कार्य करे। ये पक्षस्थ ही वास्तव में अंग्रेज शासन काल में देश के गद्दारों के रूप में कार्य करते रहे और भारत की स्वतन्त्रता में एक बड़ी बाधा के रूप में जन्म रहे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में शिथिलता का मुख्य कारण इन्हीं की वृत्तीति रही है। यही नहीं इन्होंने निधन किसानों का शोषण करके भारत की अहिंसा जनता को नकारित कर दिया और कृषि जैसे भारत के मुख्य उद्योग को भी अवनति के पथ पर डाल दिया। जमींदारी प्रथा का इतिहास वास्तव में कृषकों के ऊपर किये गये दुःख अत्याचार का इतिहास है। कृषकों से मनमाना लगान लेना, बेगार लेना और उनके खेतों को इच्छानुसार वेदभ्रम कर लेना आम तौर पर प्रचलित हो गया। कृषकों के भूमि पर स्थायी अधिकार न होने के कारण भूमि पर स्थायी विकास भी रुक गया और भारतीय कृषि का भावी उन्नति रुक गई।

जमींदारी प्रथा के दोष

कृषि-उद्योग की अवनति—जमींदारी प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह रहा कि कृषकों के भूमि पर स्थायी अधिकार न होने के कारण किसी प्रकार का सुधार भूमि पर नहीं हुआ। कृषक इस बात से सदैव डरता रहता था कि खेत उससे किसी भा समय लिया जा सकता था और इसलिए वह उन खेतों पर किसी प्रकार स्थायी सुधार भी हितकर नहीं समझता था। उपज का उड़ा अथ जमींदार हा ले लेता था और इस लिए कृषकों में आबक उत्पादन का चाव नहीं रहता था। परिणामस्वरूप भूमि का उन्नत शक्ति क्रमशः कम होती चली गई और साथ ही साथ उत्पादन भी घटता गया। कृषि उद्योग में अवनति आना इन दशाओं में स्वाभाविक ही था।

किसानों का शोषण—जमींदारों को भूमि पर पूजा लगाने के बदले में सदैव अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा लगा रहती थी। दूसरी ओर किसान निर्धन एवं निःसहाय था। भूमि की माँग तो भारत में अधिक थी ही। परिणामस्वरूप किसान जमींदारों पर पूर्ण रूप से अवलम्बित थे। जमींदारों ने इस स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और किसानों से अधिक से अधिक लगान लेने लगे। लगान इतना अधिक था कि

गरीब किसानों की अपनी उपज का बड़ा भाग जमींदारों को दे देना पड़ता था क्योंकि वे विपश्य थे। निर्धनता के कारण जमींदार लोग किसानों को श्रृणु देते थे और उस पर बहुत अधिक ब्याज लेते थे। प्रायः किसानों की उपज को श्रृणु के भुगतान में बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई और श्रृणुप्रसता का साम्राज्य स्थापित हो गया जिसका समाधान अभी तक समय नहीं हो सका है।

(३) भूमि का अनुपयोग व्यवस्था—जमींदारों को सभी सुख एवं सुविधाएँ प्राप्त थीं और इसलिए उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन विधानों के लिए अपने आलीशान महान शहरों में बनाने प्रारम्भ कर दिये और जमींदारी की देन माल करने के लिए कारिन्दों की निशुक्ति की। ये कारिन्दे मा जमींदारों की अनुपस्थिति का फायदा उठाते थे। किसानों के ऊपर दुहन करते थे और अपने लिए भी उनसे रचना वसूल करते थे। इन कारिन्दों की कृपकों के प्रात कोई भी सहानुमति नहीं थी क्योंकि उनसे तो अपने मानिकों को खुश रखना था चाहे किसानों को तकलीफ हों या आगम। जमींदारों को भी कोई सम्बन्ध कृपकों से नहीं रहता था और इसलिए उनको भी कुछ सहानुमति किसानों से नहीं थी। फसल क उपार हो जाने पर किसानों के ऊपर दण्ड लिखलाना तो दूर रहा ऊपर से लगान वसूल करने में और कड़ाई की जाती थी। किसानों को लगान न देने पर उनकी पूर में बड़ा खना, मारना, स्त्री तथा बच्चों की बेइज्जी करना इत्यादि मानूता भी बात थी।

जमींदारी व्यवस्था प्रारम्भ करते समय सरकार का उद्देश्य था कि जमींदारों को एक तरह का एक ऐसा उर्ग उभार करेगा जो किसानों की सुरक्षा, भूमि की उत्पत्ति, एक कृषि विकास के लिए आर्थिक सहानता प्रदान करेगा जिससे सारे राष्ट्र की उत्पत्ति होगा और कृषि विकास भी सम्भव हो सकेगा। परन्तु ये सभी आशाएँ व्यर्थ रहा।

(४) कृषकों से वेगार एवं नजराने की प्रथा—जमींदारों लोग कृषकों से भूमि देने के बदले में वेगार लेते थे। किसानों की जमींदारों के यहाँ दुपा में काम करना पड़ता था। टिपानी इत्यादि त्योहारों पर किसानों को सलामी के रूप में नजराना देना पड़ता था। महान बनाने पर नून के लिए नजराना देना पड़ता था। जानवरों के पालन के लिए नजराना देना पड़ता था। जमींदारों को यहाँ शादी इत्यादि उत्सवों पर दुपय न दूर, गौ, तरकारी इत्यादि देना तो किसानों के लिए अनिवार्य-बा था। जमींदारों द्वारा भूमि की, आवश्यक नजराना लेकर एक जातदार से दूसरे को देना तो आमनी पर प्रचलित था। परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती चली गई।

(५) मुकदमेवाजी—किसानों की भूमि बेदखल करने के कारण एव बकाया लगान, जिसको कृषक अपनी दरिद्रता के कारण नहीं दे सकता था, जमींदारों और किसानों में मुकदमेवाजी होना स्वाभाविक ही था। मुकदमेवाजी में किसानों का बहुत सा बचाव बचीलो की फीस इत्यादि में खर्च हो जाता था। इसके कारण किसानों में और भी निर्भरता फैलने लगी।

(६) राष्ट्रीय धन का अपव्यय—जमींदार अपने ऐश्वर्य एव वैभव में अत्यधिक स्वभाव व्यय करते थे। एक ओर किसान, जो वास्तव में अत्यधिक परिश्रम करता था, दोनों समय भरपेट भोजन पाने में असमर्थ था और उसका परिवार आर्थिक उकटक सागर में डूबता था, और दूसरी ओर जमींदार दिना परिश्रम के ही रंग रेलियाँ मनाया करते थे। गढ़िया से गढ़िया खाना, कपड़ा, मकान और शराब यही जमींदारों का जीवन का उद्देश्य रहा है। यह सभी द्रव्य यदि वहीं किसानों के कल्याण पर खर्च किया जाता तो किसानों की आर्थिक समस्या एव राष्ट्रीय विकास बहुत कुछ समझ हो जाता।

(७) देश की आर्थिक विकास की गति मन्द होना—कृषि द्वारा ही सभी कच्चे माल की प्राप्ति समझ हो सकती है और कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति होने पर ही देश का औद्योगिक विकास समझ हो सकता है। कोई भी राष्ट्र अपना आर्थिक विकास उस समय तक नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर औद्योगिक एव कृषि का विकास न हो। जमींदारी प्रथा का कारण ही देश में कृषि विकास नहीं हो सका और उसका साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी नहीं उभर हुआ। परिणामस्वरूप आज भी भारत आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ देश है।

(८) सरकार का आय में घाटा—जमींदारी प्रथा में सरकार को जमींदारों से मालगुजारी के रूप में केवल एक निश्चित आय मिलती रहती है। भूमि पर लगान बढ़ाने के फलस्वरूप जो भी आमदनी होती थी वह सब जमींदारों के पास चली जाती थी। जमींदारी के अन्तर्गत खानों, नदियों, तालाबों आदि की आमदनी में भी सरकार का कुछ भाग नहीं रहता था।

(९) सरकार एव कृषकों के बीच अभेद्य दीवार—सरकार का सम्बन्ध केवल जमींदारों से था और कृषकों से नहीं। परिणामस्वरूप सरकार किसानों की दृष्टि से विलुप्त अनभिज्ञ रहती थी और किसी भी प्रकार के सुधार के लिए कदम नहीं उठा सकती थी। इस अभेद्य दीवार के कारण किसानों का हित सरकार की आँखों से ओझल हो गया।

(१०) समाज में असन्तोष की भावना—जमींदारों के जुल्म और शोषण से पीड़ित किसान को निर्भरता एव शोषण से छुटकारा पाने का केवल एक ही

मार्ग था जिसको क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है। असतोप की भी एक सीमा होती है। जमींदारी प्रथा में किसानों के असतोप के कारण ही क्रान्ति के बीड़ों का जन्म हो रहा था और यह असतोप की चिनगारी किसी भी समय भीषण अग्नि का रूप धारण कर सकती थी जिससे सारे समाज की शान्ति भङ्ग होने की शक्यता थी। यही कारण था कि राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी ने जमींदारी खत्म होने पर जमींदारों के लिये कहा था—

“To day we are taking your land and paying you compensation Five years hence the anger of the peasantry will not permit any compensation Ten years from now you would not only lose your land but also have your throat cut”

वास्तव में जमींदारी प्रथा भारतीय कृषि की मुख्य अभिशाप रही है जिसने न केवल किसानों को निर्धन एवं दरिद्र बनाया है, वरन् सारे राष्ट्र की आर्थिक विकास की प्रगति को मन्द कर दिया। जमींदारों ने अपने कर्तव्य को नहीं निज़ाहा और वे सदैव भूमि को अपनी वासना वृत्ति का साधन समझते रहे। परिणाम स्वरूप कृषि में किसी प्रकार का विकास सम्भव न हो सका। किसान को जर्जरित एवं अधुशल बनाकर जमींदारों ने भारत व आर्थिक विकास की रीढ़ ही तोड़ दी। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है—

“The Zamindars were parasites and they have failed miserably as trustees of the nation They have regarded their property merely as a means for satisfying their lust and are, therefore, not its owners but its slaves”

सरकार द्वारा प्रयत्न (Measures taken by the Government)

१९वाँ शताब्दी के मध्य तक तो हमारी गरीब सरकार का एकमात्र उद्देश्य भूमि से अपनी आमदनी को सुरक्षित बनाये रखना था। सरकार को किसानों एवं जमींदारों व पारस्परिक सम्बन्धों से कोई सरोकार नहीं था। सरकारी कोप म रूपया जमा करने एवं सरकार की जीहुजूरी करने वाले तो जमींदार थे, अतः उन्हीं के लिये सरकार सदैव ध्यान रखती रही और क्रमशः कृषकों की स्थिति दयनीय होती चली गयी। जमींदारों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और परिणामस्वरूप खेतों का लगान और बेदखलियाँ बढ़ने लगीं। कृषकों की दशा शोचनीय हो गई और क्रमशः भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने के कारण उत्पादन भी घटने लगा। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य तो भारत से घन धान्य लेकर अपने देश को समृद्ध करना

था। उसकी पूर्ति किसानों की दयनीय स्थिति और कम उपज होने के कारण नहीं सम्भव हो सकती थी। सरकारी कोष में कृषकों की सम्पत्ति पर ही निर्भर था क्योंकि इस देश के कर्जाताओं में उन्हीं की अधिकांश संख्या थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार यह भी जानती थी कि कृषकों में अव्यधिन्न असन्तोष हो जाने पर शासन की नींव हट नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप कृषकों के लिये उचित भूमि व्यवस्था करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया और सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में कानूनकारी अधिनियम पास किये और कृषकों की दशा में सुधार करने के प्रयत्न किये गये।

बंगाल—‘बंगाल कृषि अधिनियम’ जो १८५६ ई० में पास किया गया, कृषकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार का सर्वप्रथम प्रयास था। इस अधिनियम के अनुसार जो किसान किसी खेत को १२ वर्षों से लगातार जोत रहा या उसको मौसमी अधिकार प्रदान कर दिए गए अर्थात् उस कृषक से भूमि वेदखल नहीं कराई जा सकती थी। किसी भी प्रकार से लगान या नदानी अथवा अवेधानिक रूप से जुद्ध कराना लेना गैरकानूनी करार दिया गया। यही नियम पुनः सन् १६२८ ई० में संशोधित हुआ जिसके द्वारा किसानों को खेतों पर मकान तथा कुएँ आदि के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। इसका संशोधन १६३६ तथा १६४० ई० में भी हुआ। इस अधिनियम से किसानों को कुछ लाभ तो अवश्य हुआ परन्तु जमींदार लोग किसी भी एक किसान को भूमि १२ वर्ष के लिए न देने लगे और इस प्रकार कुछ थोड़े से ही किसानों को मौसमी अधिकार मिल सका और परिस्थिति ज्यों की त्यों रही।

उत्तर प्रदेश—अवध क १८८६ ई० के लगान अधिनियम के अनुसार कानूनी कानूनकारों (Statutory tenants) का जन्म हुआ जिनको ७ वर्ष तक खेत जोतने का अधिकार मिल गया। जो मौसमीदार अपना हफ्त खो चुके थे उन्हें मौसमी हक प्रदान किया गया। सन् १६२१ में कानूनी कानूनकारों को आजीवन कृषि अधिकार प्रदान किया गया। इन कृषकों के मर जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को ५ वर्ष तक खेत जोतने का अधिकार था।

बंगाल का १८५६ का अधिनियम आगरा प्रान्त में भी लागू कर दिया गया। सन् १८०१ का आगरा कानून (The Agra Tenancy Act 1901) के अन्तर्गत किसानों के भूमि अधिकारों को अधिक सुरक्षित कर दिया गया और ७ वर्ष या इससे अधिक कच्चे मौसमी कर दिये गये। सन् १६२६ ई० में अथेन्स कानूनकारों को कानूनी कानूनकार बना दिया गया और उसे भूमि में आजीवन अधिकार एवं उसकी मूल्य के उदात्त उसके उत्तराधिकारी को

५ वर्ष तक भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया। परंतु जमादारों की चालाकियों के कारण इस अधिनियम से कृषकों की रक्षा नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप सन् १९३६ ई० में 'उत्तर प्रदेश काश्तकारी कानून' पास किया गया जो सार प्रान्त में लागू होता था। इस अधिनियम से कृषकों को निम्नलिखित अधिकार एवं सहूलियतें प्राप्त हुई—

(१) कृषकों के लिये पैतृक अधिकार—कृषकों की सुरक्षा की दृष्टि से उसे भूमि पर स्थायी पैतृक अधिकार प्रदान किया गया। सभी जमीनी काश्तकार तथा उनका उत्तराधिकारी वशानुकूल (Hereditary tenants) बन गये। सीर जोतने वाले किसानों को भी ५ वर्ष का स्थायी अधिकार दे दिया गया।

(२) जमींदार के सार अधिकारों में कमी—इस अधिनियम में जिस जमीन पर जमींदार खुद काश्त करता था सीर की जमीन कहलाता थी। सन् १९२१ के नियमों के अनुसार जमींदार को यह भी अधिकार मिल गया था कि १० वर्ष की खुदकाश्त की जमीन को वह सीर में परिवर्तित कर ले सके कि वह भूमि गांव में जमींदार की कुल पुती हुई भूमि की १० प्रतिशत से अधिक न हो। पर १९३६ के अधिनियम के अनुसार सीर की जमीन की अधिकतम सामा ५० एकड़ निर्धारित कर दी गई।

(३) काश्तकारों का उत्तराधिकार हस्तान्तरण तथा शिकमी किराया खोरी—शिकमी काश्तकारों व सीर की भूमि पर काम करने वाले किसानों को छोड़कर और बाकी सभी प्रकार के कृषक कुछ बंधनों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपनी भूमि को किराये पर उठा सकते थे। गैरमालुमी किसान अपना भूमि को एक वर्ष के लिये उठा सकते थे और उसका एक वर्ष बाद फिर उठा सकते थे। वे प्रातनच खियों, नावा लियों, पागलों, अ बों तथा अपाहिजों पर लागू नहीं हात। साथ ही तहसीलदारों के द्वारा भूम सुधार अथवा मकानों के निर्माण के लिये अनिवार रूप से भूमि का आदान प्रदान किया जा सकता था।

(४) सुधार करने का अधिकार—शिकमी काश्तकारों को छोड़कर बाकी सब प्रकार के किसान अपनी भूमि पर बिना जमींदार से आज्ञा लिये मकान, पशुशाला अनाज का भण्डार आदि का निर्माण कर सकते थे पर भूमि की बदखली पर ऐसी १०वीं इमात या स्थायी सुधार पर उन्हें मुश्किल नहीं मिल सकता।

(५) नानाचन रकमा की वसूली का अन्त—इस नियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का नजराना, अवकाश अथवा बेगार लेना निषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति इन आज्ञाओं का उल्लंघन करके जान बूझ कर गिड़गिड़े उपायों से अधिक वसूल करेगा अथवा उस पर ६५ प्रतिशत से अधिक न्याय होगा अथवा

छूट दिये गये लगान को वसूल करेगा अथवा स्थगित लगान को स्थगन की मियाद न पूर्व वसूल करेगा तो कृषक को अधिकार होगा कि वह २०० रु० तक जमींदार से मुआवजा उस फसल अथवा रकम न अतिरिक्त वसूल कर ले जो उससे ली गई हो।

(६) वेदखलियाँ—यदि कृषक जान चूक कर लगान न देने का आदी न होगा तो उसे लगान वसूली के लिये वेदखल नहीं किया जा सकेगा। कृषक अगर अवैधानिक रूप से अपनी जमीन दूसरे किसान का किराये पर उठा देगा तो जमींदार उसे वेदखल कर सकेगा।

(७) लगान के सुगठान व निर्धारण में सशोधन—जमींदार के लिये यह आवश्यक है कि वह लगान प्राप्ति की रसीद सरकार से मिले हुए छुपे फार्मों पर दे। नियम न अन्तर्गत लगान निर्धारण की भी व्यवस्था है। पेटूक अधिकार वाले कृषकों का लगान निश्चिन्त करते समय लगान न अफसर दूसरी बातों के साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि लगान की रकम फसल के मूल्य के १।५ से अधिक न हो।

सन् १९३६ के काण्टनारी विधान के पास होने के ६ वर्षों के अंदर जमींदारों ने उस विधान के १७१ वाँ व १७५ वाँ धाराओं के बल पर लाखों किसानों को वेदखल कर दिया था। इन धाराओं के अनुसार किसानों को शिकमी पर उठाने या नयाया लगान न आधार पर तत्काल वेदखल किया जा सकता था। अतः १९४७ में इस कानून का संशोधन कर दिया गया। किसानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपना लगान चाहें तो सीधा गनीआर्डर न द्वारा भेज सकते हैं अथवा राज्य कोष में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही यह भी व्यवस्था कर दी गई कि यदि कोई कृषक लगान न देने के कारण वेदखल हो गया है तो १ महीने के अंदर बढ़ाया लगान अदा करने पर अपने अधिकारों को वापस पा सकता है।

बिहार—सन् १९३४ में 'बिहार कृषि कानून' न अन्तर्गत भूमि की कीमत पर जमींदार को १० प्रतिशत देने पर किसानों को हस्तान्तरण का अधिकार मिल गया और गैरकानूनी रकमा का वसूल करना निषेध कर दिया गया। इस कानून में १९३८ में संशोधन के अनुसार जिनके लगान की अदायगी बन्द कर दी गई, १५ वर्षों तक के लिए लगान में किसी भी प्रकार की वृद्धि अवैध घोषित कर दी गई। सिवा जमींदारों द्वारा सुधार कार्य में व्यवस्था नगरण लगान में वृद्धि न और हर प्रकार की वृद्धि समाप्त कर दी गई और लगान की जाकी रकमों पर ब्याज की दर कम करके ६.५ प्रतिशत कर दी गई। इस निम्न न अन्तर्गत यह भी व्यवस्था थी कि किसानों को भूमि का हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार हो, वेदखली नाजायज हो, आधिकारी कृषकों का स्वामित्व पंक्त हो तथा उन्हें मकान कुर्छा आदि बनवाने का अधिकार हो। इस प्रकार जमींदार

अधिकार स्वामित्वपूर्ण किसानों को मान्यता दी गई। पूर्ण स्वामित्व क किसान तथा अधिकार स्वामित्व के किसान। प्रथम वर्ग क किसान मालगुनार को रूपा देने क उपरान्त अपनी भूमि का विक्रय अथवा बंधक कर सकते थे, पर दूसरी प्रकार क किसान कवल कुछ उत्तराधिकारियों तथा साक्षीदारों से ही भूमि का हस्तांतरण कर सकते थे यद्यपि उनकी भूमि लगान की वसूली क लिए विक्रय अथवा कुर्न नहा की जा सकता परन्तु उन्हें क्वाया लगान क लिए बेदखल किया जा सकता था। १९३८ ई० में कृषकों को रेहन अथवा ५ वर्ष तक शिवमी पर उठाने का अधिकार भी दे दिया गया। यदि कोई शिवमी काश्तकार निरन्तर रूप से किसी आराजी को जोत रहा है, तो उसे उसमें मौरूसी अधिकार देने की व्यवस्था कर दी गई।

पञ्जाब—पञ्जाब म बटाई प्रथा का सबसे अधिक था। परिणामस्वरूप इस प्रान्त में यथेच्छ कृषकों (Tenants at will) की संख्या अधिक थी। इस प्रान्त म अधिकतर जमींदार स्वयं ही खेत जोतते थे और इसलिये बगद वाले काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना कानून द्वारा सम्भव नहीं हो सका। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पहले ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं था जिससे बटाई वाले काश्तकारों को कुछ राहत मिल सके। सन् १९५० म पञ्जाब सरकार ने एक अधिनियम द्वारा कृषकों क भूमि अधिकारों को अधिक स्थायी बना दिया है। परन्तु यथेच्छ काश्तकारों (Tenants at will) को कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई।

जमींदारों उन्मूलन एवं मध्यस्था का अन्त

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रान्तों म काश्तकारी अधिनियमों के पास हो जाने पर कुछ कृषकों क हितों की रक्षा तो अवश्य हुई परन्तु अधिकार कृषकों को भूमि पर अधिकार प्राप्त न हो सके और उनको लगान भी अधिक देना पड़ा। इन काश्तकारी अधिनियमों से कृषकों को सुरक्षा तो कम मिली, मुन्दमेवाजी अधिक, नससे और अधिक रूपा बनीलो एवं अदालतों में व्यव होने लगा। फ्लाउड जाच समिति क शब्दों म—

“यह सत्य है कि इन कानूनों से काश्तकारों का भूमि पर अधिकार हो गया है किन्तु ज्यादा सरका में ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्हें कुछ अंशों में भी भूमि पर स्वामित्व नहीं मिला है। उन्हें लगान के ज्यादा बढ़ने और काश्तकारी से हटाये जाने के लिए सरक्षण नहीं मिला।”

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त ही जब देश की राष्ट्रीय सरकार ने शासन का बागडोर अपने हाथ में ली, तब सर्वप्रथम कृषि समस्याओं का समाधान देश की आर्थिक नवि दृढ़ करने क लिये नितान्त आवश्यक हो गया। कृषि उद्योग भारत का

मुख्य उद्योग है और राष्ट्र की अधिकांश जनता गाँवों में ही निवास करती है। बिना कृषि की उन्नति के देश का औद्योगिक विकास भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः कृषि में सुधार करने के लिये यह आवश्यक हो गया कि कृषकों को भूमि पर स्थायी अधिकार दिये जायँ जिससे वह भूमि पर स्थायी सुधार कर सके और उनके लगान भी चाँजिब हों। इस उद्देश्य की पूर्ति उस समय तक नहीं सम्भव हो सकती थी जब तक कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थों का अंत न कर दिया जाय। परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त भूमि व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में राष्ट्रीय सरकार का सर्वप्रथम कदम मध्यस्थों का अन्त करना था। विभिन्न प्रान्तों में जमींदारी उन्मूलन करके सरकार ने मध्यस्थों का अन्त कर दिया। वास्तव में जमींदारी उन्मूलन करोड़ों निरीह एवं निर्धन कृषकों के जीवन में आर्थिक मोक्ष दिलाने का प्रथम प्रयास था और इसके उपरान्त भारतीय भूमि व्यवस्था में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ क्योंकि मध्यस्थों के हट जाने से कृषकों की वषों की आर्थिक दासता की गृहलार्हें हट गईं और उनको उन्नति के पथ पर प्रथम चरण रखने का सौभाग्य प्राप्त हो सका।

बिहार राज्य में जमींदारी उन्मूलन

बिहार राज्य सरकार ने सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। सन् १९५० में बिहार भूमि सुधार बिल (Bihar Land Reforms Bill) स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई—

(१) सभी जमींदारियाँ ६ महीने के अन्दर ले ली जायँगी और भूमि पर सरकार का स्वामित्व होगा। कृषकों का सरदार से सीधा सम्पर्क रहेगा।

(२) जिन जमींदारों की आय ५००० रुपये तक होगी उनको उनकी शुद्ध आय का १६ से २० गुना तक मुआवजा दिया जायगा। आधक आय होने पर क्रमशः मुआवजे की दर घटती जायगी।

मद्रास राज्य में

मद्रास राज्य में कुछ क्षेत्र तो जमींदारी में थे और कुछ रैयतवाड़ी में। जमींदारी क्षेत्र के लिए दो अधिनियम बनाये गये। पहला तो सन् १९४७ का भूस्वत्ति (लगान घटाओ) अधिनियम (Estates-Reduction of Rent-Act) और दूसरा सन् १९४८ का भू स्वत्ति उन्मूलन तथा रैयतवाड़ी परिवर्तन एक्ट (Estates Abolition & Conversion into Ryotwari Act) था। इन अधिनियमों

का उद्देश्य लगान में कमी करना एवं जमींदारी प्रथा का अन्त करना था। २८०० जमींदारी तथा २५०० इनाम जागीरों का १२०५ करोड़ रुपये का मुआवजा देकर जमींदारी एवं इनाम भू-सम्पत्ति का अन्त कर दिया गया। इसका द्वारा प्राप्त की गई भूमि को रैयतवाजी पट्टों पर किसानों को दिया गया।

बम्बई राज्य में

बम्बई राज्य में भी सन् १९४८ में भू-वारण तथा वृषि भूमि एक्ट (Lard Tenancy and Agricultural Lands Act) पास किया गया। इसके पश्चात् सन् १९४६ में "Bombay Maliki Tenures Abolition Act" और "Talukdari Tenure Abolition Act" पास किये गये। सन् १९५० में "Bombay Parganas and Kulkarni Watan Abolition Act" और "Bombay Khoti Abolition Act" पास किये गये। इन अधिनियमों के अन्तर्गत मध्यस्थों का अन्त हो गया और किसानों को भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो गये। अकृषक वर्गों को भूमि के हस्तान्तरण पर निषेध लगा दिया गया।

मध्य भारत

२५ जून सन् १९५१ को मध्य भारत का जागीरदारी एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम राज्य में लागू किया गया। इसका प्रभाव राज्य के १२१६६३ जमींदारों पर पड़ा। सरकार ८६०० जमींदारियाँ अधि ले चुकी है। प्रत्येक किसान को जागीरदारी अथवा जमींदारी भूमि पर खेती करता है तथा शिक्मी वास्तुकार उस भूमि में जिसमें वह खेती करता है, पक्के भू-धारी अधिकार प्राप्त कर लेगा। जागीरदारी को सरकार द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद जिस भूमि पर जागीरदार स्वयं खेती करता है जागीरदार को पक्के भू-धारी के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

राजस्थान

राजस्थान में भी जागीरदारी तथा भूमि सुधार अधिनियम सन् १९५१ में पास हो चुका है। इसके अन्तर्गत सरकार ने सभी जागीरदारियों को ले लिया। मुआवजे की दर शुद्ध आय का ७ गुना निर्धारित की गई है। जागीर क्षेत्र के किसान उत्तिदारों को भू-धारी अधिकार प्राप्त हो गये। गर खातेदार किसानों तथा अकृषकों को भू-धारी अधिकार प्राप्त करने के लिये तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र भेजने पड़ेंगे। जागीरदार अपनी खुदवांश भूमि पर भू-धारी बन जायेंगे।

अन्य राज्यां में—मैसूर, उड़ीसा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि

अन्य राज्यों में भी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि मुधार के व्यापक विधान बनाने गये हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश धारा सभा ने १० जनवरी सन् १९५१ को 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिमुधार अधिनियम' (The U P Zamindari Abolition & Land Reforms Act) पास किया जो सन् १९५२ में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया और कृषकों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया। कृषक अब भूमि का लगान सीधे सरकार को ही देता है। जमींदारों को मुआवजे की भी व्यवस्था की गई है जो शुद्ध आय का आठ गुना है। इसके अलावा ५००० रुपया या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों को पुनर्वास अनुदान (Rehabilitation Compensation) भी दिया गया है जो कि २ गुना से लेकर २० गुना तक है। जमींदारों को अपनी सीर और खुदकाश्त पर बिना कुछ दिये नये ही भूमिधर बना दिया गया है। इस अधिनियम ने अन्तर्गत राज्य की सारी भूमि कानूनी रूप से राज्य की होगी। गाँव की ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है जैसे तालाब, जंगल, रास्ते, रास्ते के वृक्ष, हाट तथा बाजार, आबादी आदि सभी गाँव समाज की सम्पत्ति माने जायेंगे। गाँव समाज को ही इनके प्रबन्ध तथा रक्षा का उत्तरदायित्व है।

अब भूमि उसी की होगी जो वारस में खेती करता है। कोई भी किसान अपने खेत को शिकमी काश्तकार को नहीं उठा पायेगा। यदि वह ऐसा करता है तो भूमि शिकमी काश्तकार की हो जायगी। शिकमी काश्तकार रखने की छूट कुछ लोगों का प्रदान की गई है जैसे भारतीय सेना में काम करने वाले, रोगी, अपाहिज, पागल, पधराने इत्यादि।

उपरोक्त अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार के कृषकों का जन्म हुआ—

(क) भूमिधर—जो कृषक अपने लगान का १० गुना रुपया सरकार को अदा कर दग व भूमिधर कहलायेंगे। भूमिधरों को अपने खेतों पर पूर्ण अधिकार होगा और वे अपने खेतों का स्वयं मालिक होंगे। वे उनसे वेच सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित कर सकते हैं। ये कृषक अपने खेतों पर स्वामी सुधार या यह निर्माण करने के लिये भी स्वतन्त्र हैं। ऐसे किसानों का लगान ५० प्रतिशत कम कर दिया जाता है।

(ख) सीरदार—वे किसान जो १० गुना रुपया नहीं अदा करेंगे सीरदार कहलायेंगे। ये कृषक भी अपनी भूमि का स्वयं मालिक होंगे परन्तु इनकी खेतों का बचने या अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा। इसका अतिरिक्त

इनको वे सभी अधिगार प्रा न हागे जो भूमिधरो को मिले हुए हैं। इनक लगान म कमी न होगी।

(ग) अधिवासी—ये किसान जिनक पास भूमि क पत्रे नहीं हैं और ना जेत को शिकमी की भाँति जोत रहे य, उनको अधिवासी कहा जायगा। अभा तब ये किसान खेत स हटाये ना सकत थे। इस अधिनियम क अन्तर्गत ऐसे किसानों का खेतों से नहीं हटाया जा सग्ना। ये किसान लगान का १५ गुना जमा करक भूमिधर नन सक्ते हैं। अब सभी अधिवासियों को सीरदार मान लिया गया है।

(घ) असामी—व किसान जो रेहन की भूमि, बन भूमि, अथवा ग्राम समान की भूमि पर खेती करत आ रह हैं असामी माने जायगे।

ना रुपया किसानों से भूमिधर बनने क लिए लिया जाता है उसको जमादारा उन्मूलन क्रोप में जमा किया जाता है और इसका उपयोग जमींदारों को मुआवजा देने क लिए किया जाता है।

इस अधिनियम म अब इस बात की भा व्यवस्था कर दा गद् है कि कोई भा किसान दूहे एकड़ स कम एव ३० एकड़ से अधिक नी आसानी नहीं प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों क पास पहले से ही २० एकड़ स अधिक भूमि है उनके पास वह भूमि नशान्त बनी रहेगी।

उपर्युक्त विवचन से त् स ट है कि मध्यस्थो क अन्त हो जाने क कारण कृषक अपनी भूमि का अब स्वय मालिक हो गया है और वह भूमि पर किसी भी प्रकार ना सुधार करने क लिए स्वतंत्र है। भारतीय कृषक अब अपने भाग्य ना स्वय निमाण करने वाला है और उसकी आर्थिक दायता की शृङ्खलाए लिय मित्र हो गद् हैं और व अब सम्मानित नागरिक हैं। भारत की भूमि व्यवस्था क सुधार म, जो एक मयकर रूप धारण कर चुकी था और जिसक कारण दश क अधिनाश किसानों का शोषण हो रहा था और कृषक स्थायी अधिनाश स वचित थ, जमादारी उन्मूलन एव मध्यस्थों का अब पहला कदम है जिसक जना इस संरचना ना सम धान भारत म अस्तम्भ था।

आराजिया पर अधिकतम नोमा

पहली पंचवर्षीय योजना म यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था कि आराजी पर अधिकतम नोमा नियत की जानी चाहए। यह मुभाव दिया गया था कि अधिकतम सामा क निर्धारण करने स सम्बन्धत आरङ्ग प्राप्त करने क लिए भूमि का आराजियों और कृषि का गणना का काम किया जाना चाहिए। अधिकतर राय्या म गणना का काम किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना म इस सिद्धारथ को फिर

स दुहराया गया है कि तीन पारिवारिक आराजियों तक अधिकतम सीमा नियत की जानी चाहिए। पारिवारिक आराजी की धारणा पर योजना में सोच विचार किया गया था और इसके कार्यन्वयण में आने वाली कठिनाइयों को सामने रखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर और अधिक अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक का एक छोटा सा दल नियुक्त किया जाय। इस सिफारिश के अनुसार राज्य और कृषि मन्त्रालय ने एक समिति नियुक्त कर दी थी जिसने कि नवम्बर १९५७ में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

निम्नलिखित राज्यों में अर्जित की गई भूमि पर अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है—

(I) आंध्रप्रदेश	५० एकड़
(II) छत्तीसगढ़ (अथवा बम्बई में)	६० से १२० एकड़ तक
(III) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य	१२ से १८० एकड़ तक
(IV) जम्मू और काश्मीर	२२.५ एकड़
(V) मध्य भारत (अथवा मध्य प्रदेश में)	५० एकड़
(VI) पंजाब	३० प्रामाणिक एकड़ (विस्थापित व्यक्त ४० प्रामाणिक एकड़)
(VII) उत्तर प्रदेश	३० एकड़
(VIII) पश्चिमी बंगाल	१५ एकड़
(IX) दिल्ली	३० प्रामाणिक एकड़

निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान आराजियों पर अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया है—

आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
आंध्रप्रदेश	५० एकड़
भूतपूर्व हैदराबाद राज्य	४.५ पारिवारिक आराजिया
मद्रास—रनाट्ट क्षेत्र	१२ से १७० एकड़
जम्मू और काश्मीर	२२.५ एकड़
पंजाब (अथवा पंजाब में)	३० एकड़ प्रामाणिक (विस्थापित व्यक्त, ४० प्रामाणिक एकड़)
पश्चिमी बंगाल	१५ एकड़
हिमाचल प्रदेश	चम्बा जिले में ३० एकड़ और अन्य क्षेत्रों में निर्धारित १२.५ रुपए भूमि कर की सीमा।
बम्बई	१८ से २७० एकड़

कानून के मातहत पञ्जाब सरकार को भूस्वामियों से भूमि ले लेने के अधिकार दे दिए गए हैं जिनके पास ३० एकड़ (विस्थापित व्याक्त ५० एन्ड) से अधिक भूमि है। यह भूमि उन काश्तकारों के बसाने के लिए ली जायगी जिन्हें वेदखल किए जाने की सम्भावना है।

जम्मू और काश्मीर में वर्तमान आराजियों पर अधिकतम सीमा लागू करने का कानून कार्यान्वित किया जा चुका है। भूतपूर्व हेदराबाद राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में यह काम हाथ में लिया जा चुका है।

- (1) रामगंज जिला और वारंगल जिले के कुछ भाग (अब आन्ध्र प्रदेश में)
- (ii) औरंगाबाद जिला (अब मैसूर में)
- (iii) वादगिर जिले के कुछ भाग

इन क्षेत्रों में अतिरिक्त भूमि की सीमा नदी के लिए बंदम उठाए जा रहे हैं।

इस कानून में कानून को घाटा देने के लिए स्वामित्व हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं। शुरू में जितना अनुमान लगाया गया था उससे अतिरिक्त भूमि अब बहुत कम प्राप्त हुई है।

पश्चिमी बंगाल में भी अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है। भूमि अर्जित करने के लिए और कार्रवाहियाँ की जा रही हैं।

केरल में जहाँ भूमिपुष्कर जिले १९५७ अर्थात् प्रथम समिति के समस्त विचार-धीन है, १५ से ३० एकड़ भूमि की भावी बंदखली की व्यवस्था की गई है। अन्य राज्यों में अभी तक इस सम्बन्ध में विधान नहीं बनाए गए हैं।

किमानों के लिए मिलकियत के टुक

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामतौर से यह नीति अपनाई गई थी कि किसानों को उस भूमि का मालिक बना दिया जाय, जिसे वेदखल नहीं किया जा सकता। इस दिशा में जो प्रगति की गई, वह बहुत धीमी थी। इसलिए दूसरी योजना में यह भिन्नविशेष की गई कि जो जमीनों वेदखल करने योग्य नहीं हैं, उनके किसानों को राज्य के हीचे सम्पर्क में अखिलम्व लाया जाय और प्रत्येक राज्य इस बात का तुरन्त प्रयत्न करे कि पुराना किसान भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लें, जिससे किसान जमींदार के परम्परागत सम्बन्धों का अन्त किया जा सके।

नागपुर अधिवेशन में यह एक आवश्यक प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था "भूमि सुधारों के बारे में अनिश्चितता दूर करने के और किसानों की जिन्दगी में पायेदारी कायम करने की दृष्टि से, आज की और बाद की भी जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना चाहिए।" यह कार्य १९५६ के अन्त तक

पूरा करने का सफल किया गया है क्योंकि अधिक विलम्ब न्यायोचित नहीं। जो भूमि अधिक होगी वह ग्राम पंचायतों का संपत्ति दी जावगी और उसका वितरण भूमिहीन कृषकों में कर दिया जायगा।

इन सुधारों के फलस्वरूप हम ऐसे चक्र को गतिमान कर देंगे जो धृष्टा और 1858 के स्थान पर प्रेम और शान्ति के द्वार पर ले जायगा। भारत के भाष्यनिर्माताओं ने सत्य की मही माँति लोज करने के पश्चात् यह भूमि सुधार का शखनाद बजाया है, जिसने सपुत्र ग्रामवासियों में धार्मिक उमाद की एक अग्नि प्रज्वलित कर दी है और यदि यह आग स्वार्थ या सघर्ष की चाह को भस्म करती रही तो हमारे जीवन में भ्रातृत्व तथा एकता का समावेश स्वाभाविक ही है।

भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूमि समस्या का अभी तक पूर्ण समाधान नहीं हो पाया है। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि समस्या में हल की ओर दो तीन कदम बड़े हैं। मूल एवं नगण्य अभी भी हमारे देश में व्यापक है। हमारे मानवों का जीवन स्तर भी अत्यन्त नीच निम्न कोटि का है। हमारे भूमि सुधारों ने जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी जैसी कुछ मध्यस्थ प्रथाओं को खत्म किया और निश्चय ही इन मध्यस्थों के उन्मूलन से हमारे कृषकों को अन्न हरी, बेगार, नजराना, मोठराना, आदि तरह तरह की पैशाचिक वसुलायावियों को नहीं देना पड़ता। यह कुल रकम क्या होती थी इसकी तो कभी गणना भी नहीं हुई पर यह निश्चय है कि यह रकम अरबों रुपये के बराबर हुआ करती थी। यह छूट तो हमारे किसानों की मिली पर इसका बाद बाकी सभी बाँटें पुरानी ही हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन केवल हमारे कृषि सुधारों को पूरा करने के लिए दरवाजा ही खोलता है पर स्वयं पेचीदा भूमि प्रश्न का हल नहीं है।

वास्तव में भारत की भूमि समस्या का हल किसी और तरफ है। विनोबा जी तो यही कहते रहते हैं कि भारत के भूमि समस्या का हल भूमि का पुनर्वितरण है, और कुछ नहीं। सच में भूमि प्रश्न पर विनोबा का दृष्टिकोण बहुत ही बामपंथी है। 'वह तो भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हवा और जल के समान भूमि भी भगवान के द्वारा दी गई चीज है और जिस प्रकार जल और वायु पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता उसी प्रकार भूमि पर भी किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता।

भूदान आंदोलन का शीर्षक भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को भूमि प्रदान करने का ही उद्देश्य से किया गया है। उत्तर जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे हैं

जा पग पग चलकर देश के उन असह्य पददलितों की सेवा करना चाहते हैं जो सदियों से दासत्व, पराधीनता, निर्धनता, निरक्षरता आदि यन्त्रगुल में फँस रहे हैं। १८ अप्रैल १९५१ को पावन दिवस को इस आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ जब कि हेदराबाद जिले के पोन्नाम्बली नामक स्थान में १०० एकड़ भूमि विनोबा जी को दान स्वरूप मिली।

आज लगभग ६३ वर्ष हो गये हैं और इस समय में विनोबा जी ने मद्रास, हेदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र, मध्य प्रदेश आदि लगभग सभी राज्यों की पदल यात्रा कर ली है। ३० जून १९५७ तक इस आन्दोलन में अन्तर्गत ४३ लाख एकड़ भूमि एकत्र कर ली गई थी और इसमें से ५,१३,३३२ एकड़ भूमि वितरित भी कर दी गई है। दिसम्बर १९५८ तक ४४ लाख २६ हजार एकड़ भूमि एकत्र हुई जिसमें लगभग ८ लाख एकड़ भूमि वितरित की गई।

अब भूमिदान में ग्रामदान भी जुड़ गया तो समस्त भूदान का रूप ही बदल गया जो उसकी उद्गम कल्पना में विलकुल भिन्न है। स्वयं विनोबा जी ने कहा है—

“जैसे नदी विशाल रूप धारण करती है और जो रूप उसके उद्गम में होता है, उससे विलकुल भिन्न रूप ही इस भूदान यज्ञ का हुआ है। भूदान यज्ञ का जो रूप अब जाना जा रहा है वह कुछ लोगों को उल्टा एवं विपरीत मालूम होता है लेकिन जैसे नदी के विशाल रूप में गुरु परिवर्तन नहीं होता और पानी का स्थायण कायम रहता है वैसे ही भूदान यज्ञ के आरम्भ में इसका जो गुरु रूप था, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। हमने शुरु में ही कहा था कि दान से हमारा मतलब समग्रिभाजन से है।”

भूमिदान का उच्चतम दर्शन ग्रामदान में मिलता है जो वृत्तियों एवं समुद्धि के बीच संपर्क की मलात् दानारों को चक्राचूर करके भक्ति योग की सामुदायिक साधना द्वारा रामराज्य की कल्पना को साकार करते हैं। सम्भव है सब ग्रामीणों के लिए गाँव की व्यवस्था एवं ही दंग की न हो किन्तु सहकारा ग्राम प्रणाली अवश्य आधार-व्यक्तिगत स्वामित्व का ऐच्छिक त्याग होगा, ग्रामदान के पीछे मुख्य सिद्धान्त है। यही नया-युग ग्राम समाजवाद होगा। विनोबा जी इस ग्रामदान आन्दोलन को एक गहरा महत्व रखने वाली एक महान् अहिंसात्मक क्रांति समझते हैं। एक गाँव के सब वाशारा आत्म बलिदान तथा परस्पर सहयोग की भावना से प्रेरित हो अपनी सब बर्धन भूमिदान में दे देते हैं और फिर अपने अपने परिवारों की सख्या के अनुपात में वापस जमीन पाते हैं। क्या इंसान के दिल और दिमाग को इस अद्भुत तरीके से बदलने से बच कर और कोई भी क्रांति हो सकती है? ग्रामदान

में प्राप्त गाँव की जमीन का एक हिस्सा कम से कम कुल जमीन का १/१० भाग, रूषि—सहकारी समिति के रूप में सार्वजनिक खेती के लिये सुरक्षित रहता है। इस सार्वजनिक भूमि से प्राप्त लाभ पन्नायत प्रशासन, ग्राम पाठशाला, प्रसूति चिकित्सा गृह, सफाई, सांस्कृतिक गतिविधि और गाँव के मेले त्यौहारों जैसी सामुदायिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है। सन् १९५७ तक लगभग २,५० ग्राम, दान में प्राप्त किये जा चुके थे जिनमें से १८० गाँव उड़ीसा में, २२० गाँव बम्बई और इतने ही मद्रास में प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों में दिसम्बर १९५८ तक इन गाँवों की संख्या बढ़कर ८८१६ हो गई है। सबसे अधिक गाँव उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या १९६० है। आंध्र में ४८१ तथा तामिलनाडु में २६८, पश्चिमी खानदेश जिले के अक़ानी परगने में सभी १५३ ग्रामों ने ग्रामदान किया है। कैसे आश्चर्य एव आनन्द की बात है कि धरल प्रदेश में भी ग्रामदान हुए हैं—एक दो नहीं दस बीस नहीं ५५३ या इससे भी अधिक। अन्ततः सहकारी गाँव व्यवस्था कायम करना भूदान आन्दोलन का उद्देश्य है, जिसकी सफलता योजना में भी की गई है। आन्दोलन ने एक सामाजिक वातावरण भी पैदा कर दिया है जो भूमि सुधार के लिए उठाए गए वैधानिक चरणों के कार्यकरण को सरल बनायेगा। वस्तुतः ग्रामदान 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श है जिसमें सबको जमीन मिलेगी, सबको ज्ञान मिलेगा और मिलना एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रेम जिसके धरातल में 'मैं था मेरे' का भौतिक जड़ समाज की चेतनता में विलीन हो जायगा। यह अमृत के पावस विदुओं के सदृश्य भूमिहीनों की लुप्ता और पिपासा का शमन कर उन्हें जीवन दान देगा। यह भू क्रांति का शतनाद है, सवालय समाज का रहस्य है, साम्ययोग की आधार शिला है।

उपसंहार

उपयुक्त विषयों से स्पष्ट है कि मध्यस्थों एवं जमींदारों के उन्मूलन के पश्चात् ग्राम भी उचित एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है—

(क) भविष्य में भूस्वामियों द्वारा पुनः प्राप्त की जाने वाली भूमि और भूचूदा आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर भूमि का पुनर्भितरण, निर्धारित उच्चतम सीमा से ऊपर की अतिरिक्त भूमि को हस्तगत कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनः बसाना, और लाभकर आराजियों के आकार को उद्वाना।

(ख) पिछले कुछ आराजियों को संयुक्त खेती में एकत्र करके और जमान को लाभकर आकार से बहुत ज्यादा टुकड़ा में बँट जाने और छोटा होने से रोकना।

(ग) सहकारी खेती का विघात जिसके द्वारा छोटी आराजियों को एक साथ इकट्ठी करके उस पर सम्मिलित खेती की जा सके विससे खेती की क्रियात्मक इकाई का आकार बढ़ सके और बड़े पैमाने के सगठनों की मितव्ययिता का लाभ प्राप्त किया जा सके, और जिसके फलस्वरूप, अन्त में, सहकारी ग्राम प्रबन्ध स्थापित हो सके ।

भूमि नीति के उद्देश्य दोहरे हैं—सामाजिक न्याय और अधिक उत्पादन । भूमि में विलचस्वी रखने वाले विभिन्न वर्गों के अधिकारों में समन्वय स्थापित करने के लिये साधन भी इसमें सम्मिलित हैं । यह समन्वय भूमि क और अधिक समान वितरण और कृषि ढाँचे का पुनर्गठन करने के लिये आवश्यक है क्योंकि इससे वे संस्थाजन्य खामियाँ दूर की जा सकेंगी जिनके कारण कृषि के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं । सामाजिक प्रतिष्ठा, आगदनी और अवसरों की विषमताओं को सन्धे प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण के लिये दूर करना जरूरी है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन्नत उत्पादन के लिए मनोवैज्ञानिक उत्साह और उपयुक्त संस्थात्मक ढांचा प्रदान किया जाय ।

जहां तक काश्तकारी कानूनों का सम्बन्ध है मौजूदा कानूनों की उपर्युक्त जाँच से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों में बहुत भिन्नता है । अधिनतम लगान की दर पैदावार के १६ भाग से ५० प्रतिशत तक है । इसी प्रकार काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाने के लिये की गई कार्यवाहियों में बहुत प्रक है । यद्यपि दूसरी पंचवर्षीय योजना सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है, लेकिन दरअसल की गई कार्यवाही को देखने से नजर आता है कि बड़ा प्रक अभी तक मौजूद है ।

मौजूदा आराजियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति व्यापक स्तर पर स्वीकार की गई है । लेकिन इस नीति को कार्यरूप में लाने की धीमी रफ्तार से जाहिर होता है कि काफी समय और हिचकिचाहट मौजूद है । मौजूदा आराजियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये केवल कुछ ही राज्यों में कानून जारी किये गये हैं लेकिन उन कुछ राज्यों में भी कानून को अमल में लाने में काफी तरकबी नहीं हुई है ।

यह भी जरूरी है कि सभी काश्तकारों को भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पूरी सुरक्षा देने और विभिन्न प्रकार की बेदखलियाँ तुरन्त बन्द करने के लिये काश्तकारी सम्बन्धी सुधार कानून लागू किये जायें । इस तरह के भूमि सुधारों को लागू करने में थोड़ी सी देर हो जाने की वजह से बहुत काश्तकारों को बेदखली का सामना करना पड़ा है । वहाँ तक निची खेती के लिये फिर से जमीन हस्तगत करने का तात्पर्य है यह

जरूरी है कि बहुत साफ साफ शब्दों में निजी खेती की परिभाषा कर दी जाय। निजी खेती के तौर पर खेती करने के उद्देश्य से जमीन पर फिर कब्जा करने के लिये खेत पर एक निम्नतम मात्रा में स्वयं श्रम करना बुनियादी रूप में अनिवार्य हो जाना चाहिये। इसके लिये सिर्फ पूँजी लगाना और सामान्यतः खेती धाड़ी की देख रेख करना ही काफी नहीं माना जाना चाहिए। चूँकि भूतकाल में निजी खेती की परिभाषा सामान्य तौर पर दोषपूर्ण रही है, इसलिए कुछ राज्यों में बटाई द्वारा खेती की व्यवस्था को जिसमें काश्तकारी की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं निजी खेती नहीं माना गया और बटाईदार उन हकों से वंचित रखे गये हैं जो काश्तकार को मिले हैं। इस दोष को भी जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द दूर कर देना चाहिये।

लगान का नियमन एक अन्य भूमि सुधार है जिसके सम्बन्ध में श्रम देर करना वाञ्छनीय नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि अगर लगान दर उपज के एक चौथाई या पाँचवें हिस्से से अधिक हो तो उसके लिये विशेष औचित्य का आधार जरूरी होना चाहिये। लगान के नियमन की दिशा में हुई प्रगत अथमान रही है और कई राज्यों में कानून काफी पीछे पड़ गये हैं। इसलिये यह वाञ्छनीय है कि लगान की दर को इस स्तर पर ला दिया जाय जिसका सुझाव पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। लगान नियमन के सामान्य तरीके के अलावा अधिकतम लगान को भी मालगुजारी के कुछ गुने के रूप में निश्चित कर देना लाभ दायक सिद्ध होगा।

सिर्फ भूमि सुधार सम्बन्धी प्रगतिशील कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं। हमारा अनुभव बतलाता है कि भूमि सम्बन्धी कानून बना देने से उन लोगों के लिये बहुत सी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं जिन्हें इन कानूनों से लाभ पहुँचाना होता है। यहाँ तक कि हाल के चुनावों के समय यह भी देखा गया कि उन बहुत से राज्यों में जहाँ पर भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अच्छे कानून बनाये गये हैं उन दोनों ही पक्षों ने—जिन्हें कि लाभ पहुँचा है अथवा जिनकी जमीन हस्तगत कर ली गई है—शासक दल के खिलाफ मत दिया है। यह भी जरूरी है कि हमारा प्रशासन, खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर, बहुत साफ सुधरा और ईमानदार हो, अन्यथा प्रगतिशील भूमि सुधारों का बहुत कुछ महत्व प्रशासन की अयोग्यता और भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो जायगा जिसका सामना किसानों और ग्रामीणों को अपने प्रति दिन के जीवन में करना पड़ता है। भूमि व्यवस्था का उचित एवं न्यायपूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस समस्या के समाधान होने पर ही भारत राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास करने का स्वप्न साकार कर सकता है, अन्यथा नहीं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में—

“चीन में साम्यवादी विजयी हो रहे थे पर भूमि समस्या विजय का प्रधान कारण थी। ४० वर्ष पूर्व वहाँ के शासक निष्कासित कर दिये गये थे क्योंकि चीन आवश्यक भूमि सुधार न कर पाया था। परिणाम यह हुआ कि सरकार स्वयं ही समाप्त हो गई। इतिहास बतलाता है कि जो भी सरकार भूमि समस्या का निराकरण नहीं कर पाई वही विलीन हो गई।”



कृषि नियोजन के उद्देश्य

मातृवर्ष ऐसे कृषि प्रधान देश में कृषि नियोजन के उचित उद्देश्य नहीं हैं। नियोजन के उद्देश्य अत्यन्त उदार, मानपूर्ण एवं उच्च हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि कृषि नियोजन का उद्देश्य पूँजावादी व्यवस्था को मुण्ड बनाना है तथा कुछ लोगों का विचार है कि नियोजन का उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था को स्थापना करना है। ये दोनों ही विचार भाग्यै भ्रम पूर्ण हैं। हमारे देश के कृषि नियोजन के उद्देश्य सच्चे में निम्नलिखित हैं—

(क) “विनाश का अभिप्राय अब केवल भौतिक पदार्थों के उत्पादन के बढ़ाने से ही नहीं है, अब इस बात का निश्चय करना आवश्यक है कि इसके साथ ही अन्य उद्देश्यों जैसे पूर्ण उद्यम तथा आर्थिक विषमताओं का भी निराकरण हो जाय।” (प्रथम पञ्चवर्षीय योजना)

(ख) अधिकतम उत्पादन, बेरोजगारी का अन्त, आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय की उल्लिखित नियोजन के अत्यन्त उदार उद्देश्य हैं।

(ग) जनसाधारण की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य को प्राप्त करना।

(घ) शांति का अन्त करना तथा बर्गहीन आतृत्व प्रेम एवं देश प्रेम की सुन्दर भावनाओं से ओत प्रोत समाज की रचना करना।

(ङ) अतीत कालीन सम्पत्ता एवं सङ्कृते की पृष्ठ नृभि पर समाज का वैज्ञानिक एवं न्याय पर आधारित समन्वय प्राप्त करना।

(च) कराजों निर्यह एवं निर्धन किन्तु भ्रमशील किसानों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।

(छ) देश के अपार प्राकृतिक संपत्तियों का अधिकतम विकास करना जिससे कि हमारा देश एक सुदृढ़, शक्तिशाली एवं समृद्धिशीली देश बन सक और विश्वव्यापी शान्ति सन्देश के द्वारा आधुनिक अशान्तिमय विश्व को विरकाल तक शान्तिमय आनन्द प्रदान करने का दृढता प्राप्त कर सके।

नियोजन के प्रयत्न

द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप हमारे आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि में विषमताएँ एवं अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गईं तथा जो पहले से थीं उनमें बढिलता आ गई। अतः जनता एवं सरकार दोनों का ध्यान नियोजन की ओर आकर्षित हुआ। देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा कई एक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें प्रमुख योजनाएँ बम्बई योजना (Bombay Plan) गांधी योजना (Gandhian Plan), लोक योजना (Peoples Plan) बिड़ला योजना (Birla Plan),

सरकारी योजना, राष्ट्रीय योजना समिति की योजना (National Planning Committee's Plan), कोलम्बो योजना (Colombo Plan) तथा प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। उपरोक्त सभी योजनाओं में कृषि का महत्व स्वीकार किया गया है तथा खेती को ही भारतीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास की आधारशिला माना गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्पूर्ण अनुमानित व्यय २०६६ करोड़ रुपया था, जिसका १७४ प्रतिशत कृषि एवं सामूहिक विकास योजनाओं के लिए रखा गया था। १८४ करोड़ रुपया केवल कृषि के विकास के लिए रखा गया था। कुल मिलाकर कृषि या कृषि से सम्बन्धित सुधारों एवं विकास के लिए कुल व्यय का ६८.६ प्रतिशत व्यय किया जाने का निश्चय किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को संक्षेप में बतलाते हुए योजना कमीशन ने लिखा है कि “यद्यपि पंचवर्षीय योजना के मूल में कृषि विकास प्रधान है, तथापि इसका सम्बन्ध एक ऐसी बृहद्तर योजना से है जिसका उद्देश्य राष्ट्र का सर्वांगीण विकास है।”

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १९५१ में लागू की गई थी तथा १९५६ में समाप्त हो गई। सन् १९५६ से दूसरी योजना चल रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। खाद्य सप्लाई लगभग निवारण कर दिया गया। खाद्यान्नों की उत्पादन में लगभग ३०%, कपास उत्पादन में ४५% तथा तिलहन में ८२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगभग १६० एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। रसायनिक खाद की व्यवस्था, उत्तम बीजों की व्यवस्था, कृषि में नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान तथा भूमि व्यवस्था में सुधार इत्यादि अत्यन्त लाभप्रद कार्य किये गये। चक्रवर्दी, सहकारी साख एवं विपणन समितियों का विकास इत्यादि के द्वारा खेती के सर्वांगीण विकास की ओर ठोस कार्य किये गये। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (Central Tractor Organisation) का स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य राशियों में ऊसर, बजर तथा ऊबड़ खाबड़ जमीन को पुनः खेती योग्य एवं उपजाऊ बनाना है तथा मशीनों द्वारा खेती करने की उचित सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। सिंदरी, जिला मिर्जापुर में एक खाद बनाने वाली विशाल फैक्टरी स्थापित की गई। पशुओं की नस्ल में सुधार, भूमिचरण, सहकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्था, तथा सहकारी कृषि के प्रयोग किये गये। सन् १९६२ में प्रारम्भ किये गये टेक्निकल कोऑपरेशन आयोजन (Technical Co-operation Programme) के अन्तर्गत हजारों पाठाल

तोड़ कुओं का निर्माण किया गया। समुद्री मत्स्य के उत्पादन तथा टिट्टी दलों पर नियन्त्रण के विभिन्न उपाय प्रयोग में लाए गये। बहुपन्थी सहकारी समितियाँ, सहकारी कृषि समितियों, साख सहकारी समितियों तथा ऋय विक्रय समितियों की स्थापना की गई।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये तथा राज्यों के तत्सम्बन्धी कार्यों के क्रमबद्ध करने एवं प्रोत्साहित करने के लिये 'केन्द्रीय भूमि सुधार संगठन (Central Organization for Land Reforms) की स्थापना की गई। कृषि श्रमिकों की समस्या की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के प्रोजेक्टों के लिये ५१८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई तथा कुल महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे भी किये गये जिनसे हजारों एकर भूमि हर भरे खेतों से परिपूर्ण हो गई। सामूहिक विवाह योजनाओं, खेती के लिये वित्त व्यवस्था तथा वैज्ञानिक विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य किये गये। कृषि प्रणाली का सुधार, कृषि औजारों का सुधार, कृषि शिक्षा का प्रसार एवं कृषि अनुसंधानों में भी काफी प्रगति हुई। दुग्धशालाओं की स्थापना, फल एवं शाक उत्पादन में वृद्धि की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यह हुई कि इसने दीर्घ काल से सुपुष्ट एवं गुलामी की जबीरों में बकड़े हुये किसानों में नवीन जागृति एवं चेतना उत्पन्न कर दी है। किसान अब अपने मरत्व, गौरव एवं कर्तव्यों को समझने लगा है। उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रादुर्भाव हुआ है तथा उनके अन्तःकरण में उन्नति एवं प्रगति की प्रवृत्ति इच्छा उत्पन्न हो गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपने नव निर्माण सन्देश के द्वारा जागरूक कर दिया है। इस योजना ने भविष्य के समृद्धशाली तथा खुशहाल भारत की नींव डाली है जिसके आधार पर द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को कार्य करना है। इस योजना में हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के अक्षरों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना एवं कृषि

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की उन्नति की प्राथमिकता दी गई है परन्तु कृषि को अग्रद्वेषना न करके उसको इस योजना में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। वास्तव में यह निर्विवाद सत्य है कि उद्योगों की प्रगति के लिये कृषि की प्रगति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि मनुष्यों को जीवित एवं

कार्यशील रखने के लिये भोजन की आवश्यकता होती है। उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करना कृषि का ही कार्य है। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कृषि का महत्व कम नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुमानित व्यय का लगभग १८ प्रतिशत कृषि के लिये निर्धारित किया गया है। लगभग १६ प्रतिशत सिंचाई तथा शक्ति के साधनों पर व्यय किया जाना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन् १९६०-६१ में पूर्ण हो जायगी और उस समय तक आशा की जाती है कि खाद्यान्नों में १५%, कपास उत्पादन में ३१%, गन्ना उत्पादन में २६ प्रतिशत, तिलहनो के उत्पादन में २७%, जूट उत्पादन में २५% तथा चाय के उत्पादन में लगभग ६% की वृद्धि हो जायगी। सामूहिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यों में भी पर्याप्त धन किया जायेगा। जूट, कपास, गन्ना, तिलहन, फल, शাক, तरकारियाँ, दूध, फल, झरडा तथा मत्स्य उत्पादन पर विशेष ज़र दिया जायगा। भूमि प्रदूषण एवं भूमि व्यवस्था तथा भूमिहीन कृषकों में भूमि वितरण इत्यादि के कार्य किये जायेंगे।

वनस्पतियों, मछली, दूध तथा फलों के उत्पादन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल ६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे किन्तु द्वितीय योजना में इन पर लगभग ६८ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये प्रथम योजना में ६०० ग्राम केंद्र (Key Villages) और १५० कृषि गमर्धान केंद्र खोले गये थे। द्वितीय आयोजना में १२५८ नस्ल सुधार ग्राम केंद्र तथा २४५ कृषि गमर्धान केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था है। लगभग १६०० नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जायगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनुमान किया जाता है कि अन्न का उपभोग प्रति व्यक्ति वर्तमान समय के १७ २ औंस से बढ़कर १८ ३ औंस हो जायगा। शक्कर का उपभोग प्रति व्यक्ति १.४ औंस से बढ़कर १.७ औंस हो जावेगा। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त उत्तरी किस्मों में सुचार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जावेगा।

सिंचाई के साधनों में वृद्धि के द्वारा अतिरिक्त सिंचित भूमि में लगभग २१ मिलियन एकड़ भूमि की वृद्धि हो जायगी। लगभग २०० नवीन सिंचाई प्रोजेक्ट बनाये जायेंगे। ३५८१ नए पाठाल ठोड़ कुएँ बनाए जायेंगे जो कि जब विद्युत से संचालित हिये जायेंगे।

रसायनिक खादों के उत्पादन में १९५६ के ६१ लाख टन से १८० लाख टन तक वृद्धि की जावेगी। लगभग ३००० ऐसे कृषि कार्म खोले जायेंगे जिनपर

वैज्ञानिक ढंग से उत्तम बीज उत्पादित किए जावेंगे। लगभग ३५० लाख एकड़ नई भूमि कृषि योग्य बनाई जावेगी।

कृषि पदार्थों के सुरक्षित एवं सप्रह करने के लिये अनेक सप्राहालय (Store Houses) खोल जायेंगे। नई मडियों का संगठन एवं पुरानी मडियाँ का पुनर्संगठन किया जावेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ५०% विपणन कार्य सहकारी विपणन समितियों द्वारा होने लगेगा। विपणन सम्बन्धी कार्य करने तथा संगठित करने के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा गोदाम बोर्ड (National Co-operative Development and Warehousing Board) की स्थापना की जा चुकी है। इस बोर्ड ने अब तक १७ राज्यों में सहकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य एवं उनका

आलोचनात्मक अध्ययन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने के एक ही वर्ष उपरान्त विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लक्ष्य स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। सन् १९५६-५७ तक खाद्य सामग्रियों के उत्पादन में १४ मिलियन टन की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त रूई और गन्ने के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में भी ९% की वृद्धि हुई। सन् १९५६-५७ के वर्ष में ८७ मील नई रेलवे लाइनों खोली गईं तथा ५२४ मील नई रेलवे लाइनों के बनने का कार्य हो रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष एक एटामिक रिएक्टर की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्य देश की औद्योगिक उन्नति के लिये स्वर्णिम आशाओं से पूर्ण है। सन् १९५७-५८ में २० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई होने लगी। १९५८-५९ के लिये इसका जो अनुमान लगाया गया है उसका योग २०३ लाख एकड़ है। परन्तु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में द्वितीय योजना के अन्तर्गत वाञ्छित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। १९४९-५० से १९५६-५७ तक की अवधि में कृषि उत्पादन में केवल २ से २.५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह गति पर्याप्त नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की उत्तमपत्रक सफलता के बाद जिस आशा एवं उत्साह से दूसरी योजना प्रारम्भ की गई थी, वह दो-तीन वर्षों तक उसे पूर्ण करने के प्रयत्नों के बाद आज हमारी वह आशा, वह उमंग और वह आशामय वातावरण कुछ शिथिल पड़ गया है। हमने जिन कठिनाइयों की कल्पना नहीं की थी, वे हमारे सामने आ गईं। उनमें से कुछ कठिनाइयाँ ऐसी भी हैं, जिन पर हमारा कोई बल नहीं था। गत दो वर्षों से इन्द्र भगवान की कृपा से हम वंचित

हो गये। अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि दोनों कारणों से हमारा अन्न उत्पादन खतरे के सीमा को पार कर गया और हमें आज करोड़ों रुपये का वीक विदेशी मुद्रा पर ढाक कर अनाज का आयात करना पड़ रहा है। जन साधारण में प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का शिवायत है कि जीवन निरंतर मेंहगा होता जा रहा है और अन्न वस्त्र आदि नित नान आने वाले पदार्थ दुर्लभ से दुर्लभतर होते जा रहे हैं। योजना के सरकारी वकीलो द्वारा इस शिवायत का उत्तर आंकड़ा के तीरो की बौछार करके दिया जाग है और शॉकडे भी बहुधा, अमरीकनो के अनुकरण में रुपये के दिए जाते हैं कि अमुक कार्य में इतने करोड व० व्यय किये गए और अमुक पर इतने। इस प्रकार रुपयो की चकाचौध में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि अन्न वस्त्र आदि उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा उपलब्धि में कितनी वृद्धि हुई।

बस्तुतः योजना की सफलता असफलता प्रकट करने के लिए, उसके विभिन्न कारणों पर न्यय किए गए या किए जाने वाले रुपयो का अन्धान न करने, उनसे प्राप्त फलों का विवरण देना चाहिए, और इस वसूली पर कसने से द्वितीय योजना की असफलताएँ जितनी सामने आती हैं, उतनी सफलताएँ नहीं आती।

द्वितीय योजना में अन्न की उपज बढ़ाने का लक्ष्य १०० लाख टन रक्ता गया था, अर्थात् १९५६ की समस्त उपज ६५० लाख टन मानकर १९६१ तक उसे ७५० लाख टन कर देने का निश्चय किया गया था। यह लक्ष्य द्वितीय योजना तैयार करते समय १९५४ में निर्धारित किया गया था। पीछे १९५६ में छत्र जाय मन्त्रियों ने मन्त्री में एकत्र होकर निश्चय किया कि अन्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य १०० लाख टन कम है, उसे बढ़ाकर १६५ लाख टन कर दिया जाय। परन्तु इस प्रकार लक्ष्य ठीका उभार देने मात्र से उसका पूर्ति नहीं हो जाती। स्वयं योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बड़ा पीछा रह गया। निम्न तालिका से ऐसा स्पष्ट होता है—

राज्य	वृद्धि का लक्ष्य (लाख टन)	वर्ष	आवधिक उत्पादन (लाख टन)
पंजाब	१४.४०	१९५६-५८	२.८४
उत्तर प्रदेश	२४.००	" "	५.२५
राजस्थान	८.०७	" "	१.२७
मध्य प्रदेश	१४.६१	" "	२.१०
कर्नाटक	२.०६	" "	०.२७

वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के प्रलोभन में कृषि की अपेक्षा ही इस स्थिति का मुख्य कारण रही। प्रधान मंत्री पं० नेहरू के शब्दों में—

“भारत सरकार एवं योजना आयोग ने कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर एक कड़वा सबक सीख लिया है। औद्योगिक प्रगति की अपेक्षा कृषि उत्पादन बढ़ाने की समस्या ‘बहुत उलम्बनपूर्ण’ और मुश्किल है, क्योंकि इसका सम्बंध विशाल जन समूह से है।”

उपर्युक्त कटु अनुभव के आधार पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पुनः अपनी प्रथम स्थिति पर आसीन हो गई है।

बहुत से अर्थशास्त्रियों की ओर से यह मत प्रदर्शित किया गया है कि योजना आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षिणी हो गई है अर्थात् उसके लक्ष्यों एवम् कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय साधनों की अपर्याप्तता को दृष्टिगत नहीं किया गया है। योजना आयोग व शासन के अधिकारी इस विचार का विरोध करते रहे हैं और इसे निराशाजनक मनोवृत्ति बताकर आशा व उत्साह का संदेश देते रहे हैं। किन्तु अब वे भी वस्तु स्थिति को देखकर धीरे-धीरे विपत्त की सचाई को स्वीकार करने लगे हैं। पहले ५५ ६० अरब रुपये की बात करते थे फिर ४८ अरब रुपये पर उतर आये और योजना के पूर्ण करने पर जोर देने लगे। फिर अनिवार्य योजनाओं (Core of the Plan) को अवश्य पूर्ण करेंगे, यह कहकर दबी जवान से प्राथमिकता के अनुसार कुछ कम आवश्यक योजनाओं पर पुनर्विचार की बात की जाने लगी। किन्तु अब स्थिति यी गमीला को समझ कर योजना ही ४५ अरब रुपये की कर दी गई है यद्यपि ४८ अरब रुपये के शब्दों की सख्या को वे अभी तक छोड़ नहीं पाये हैं। फलस्वरूप १२०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था करने के बाद भी आन्तरिक साधनों में ४०० करोड़ रुपये की कमी आती है। भारत को विदेशी सहायता पर अवलम्बित होने के लिये विवश होना पड़ रहा है। अभी हाल ही में वर्तमान वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई इसी कठिनाई को हल करने के लिये अपनी विदेश यात्रा पर गये थे और उनको इस दिशा में आशावादी सफलता भी प्राप्त हुई है, परन्तु खेद का विषय है कि माननीय मंत्री का एक ब्रिटिश दैनिक पत्र द्वारा निम्नलिखित शब्दों में स्वागत किया गया—

“शुशिया का निष्पत्ती आया.....भारत दिवालिया हो चुका है..... और भारत का वित्तमन्त्री हाथ में भीख का कटोरा लेकर अपने दुर्दैव की एक लम्बी-चौड़ी मनगढ़न्त कहानी सुनाने आ रहा है।”

अभी हाल में ही भारत की श्रद्धा विनमन सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने कहा है कि स्थिति इतनी गभीर है कि सतर्कता

तथा विवेक का दृष्टिकोण लेने पर पूँजीगत माली के आयात को पूर्णतया स्थगित कर देना आवश्यक प्रतीत होगा। परन्तु जहाँ तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है इसका बदावित अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश ने नियोजन की सफलता के लिये विदेशी सहायता का सहारा लिया है। हम भीख नहीं माँगते हैं, बल्कि श्रम की याचना करते हैं जिसमें किसी प्रकार की अपमान की चूँ नहीं है। एरिडट नेहरू ने स्पष्ट कहा है कि भारत अपने स्वाभिमान को खोकर विदेशों से कुछ भी सहायता लेने के लिये तैयार नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जावे तो हमारी योजना कुछ महत्वाकांक्षिणी प्रतीत होगी और लक्ष्यों का तुलना म साधन अपर्याप्त प्रतीत होंगे, किन्तु आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय तो अपने वर्तमान स्वरूप में योजना महत्वाकांक्षिणी नहीं बरन् अपर्याप्त प्रतीत होगी। वास्तव में उच्च आशाएँ एवं अभिलाषाएँ मानव जीवन में प्रगति के मूल तत्व हैं। आशाएँ मनुष्य को जीवन में निरन्तर प्रयास करने के लिये प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं और उत्साह के कारण वह अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अतः योजना का महत्वाकांक्षिणी होना प्रगति के लिये आवश्यक ही है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में १० हजार करोड़ रुपये के विनियोग की व्यवस्था की गई है। इस योजना के एक ओर कृषि उत्पादन तथा दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार इस योजना में कृषि को एक बार फिर प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसका साथ उत्पादन एक आवश्यक अंग है।

उपसंहार

हमारे देश के किसान आब दरिद्रता, महामारी एवं अज्ञानता के चंगुल में फँसे हुए हैं। उनकी भूमि अत्यन्त अल्प, शक्तिहीन, खादहीन एवं तृपित है। घोर परिश्रम करने, चोटी का पसीना पड़ी तक आने पर भी वे भूखे एवं अर्द्ध नग्न रहने पर विवश हैं। उनका जीवन स्तर अत्यन्त नीचा है। वह अनेक बुराईयों एवं सामाजिक कुरीतियों के शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में वास्तव में पूछा जाय तो किसानों की दशा तथा उनके सुधार के विषय में आवश्यकता से अधिक लम्बे चौड़े भाषण दिये जा चुके हैं, लेख लिखे जा चुके हैं तथा योजनाएँ बनाई गई हैं परन्तु इन सबकी अपेक्षा उनके वास्तविक जीवन में अब तक बहुत कम सुधार हो पाया है। अतः इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हमें नव निर्माण एवं नवीन रचनात्मक कार्यों का संदेश कर्षकों की भाषा में घर घर तथा जन जन तक पहुँचाना है। किसानों की दशा सुधारने के लिए सुधारकों तथा विद्वानों को स्वयं किसान बनकर दुःख दुःख में हिस्सा बैटाना,

उनमें धुल मिलकर कार्य करना चाहिए और तभी हम उनका वास्तविक हित कर सकते हैं। कृषि समस्याओं का समाधान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उनपर बहुमुखी आक्रमण नहीं किया जाता। बहुमुखी आक्रमण (Launching attack on all sides) बिना बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजित योजना के सम्भव नहीं हो सकता। यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार के कर्णधार ऐसे महापुरुष है, जिन्होंने हमारे देश के निर्धन किसानों के लिए तन, मन, धन अर्पण कर रखा है। आशा है कि उनके नेतृत्व में हम सब मिल-जुलकर कृषि नियोजन को सफल बनाकर अपने गाँवों को सुख, समृद्धि एवं शान्ति से भरपूर बनाने में सफल हो सकेंगे। यह सही है कि आन्ध्र देश की खाद्य व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती सी प्रतीत हो रही है, बेकारी के कम हो जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और विदेशी मुद्रा इस स्थिति में पहुँच गई है कि राष्ट्र के दिवालियेपन का खतरा दृष्टिगोचर होने लगा है। इन्हीं कारणोंवश लोगों की चारणा बन गई है कि राष्ट्र प्रगति नहीं कर रहा है। परन्तु स्वाधीन भारत के शेषकाल में यह स्वाभाविक ही है। एक शिशु अनेक सत्रों से गुजर कर ही बड़ा होता है। हम अपने राजनैतिक तथा आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर भले ही कुछ आलोचना करें, किन्तु विदेशी अर्थशास्त्रियों एवं अनुभवी शासकों की दृष्टि में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वे सही दिशा में किये जा रहे हैं। अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि, विदेशी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा या स्वावलम्बन की प्रवृत्ति आदि को हम कैसे बश में कर सकते हैं। प्रथम योजना से अब तक लगभग ४ करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। योजना तो केवल एक लक्ष्य के पूर्ति की साधन मात्र है, अतः योजना को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प० नेहरू ने ठीक ही कहा है—

“हमारी द्वितीय योजना ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करती है। यह औद्योगिक विकास की आधारशिला निर्मित करती है और देश के कमजोर एवं अधिकारहीन वर्गों के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक सीमा तक सुखवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों का समतुलित विकास करना है।”

सत्य तो यह है कि यदि आज सारा देश ईमानदारी और कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाये तो कोई कारण नहीं कि चट्टिनाइयों के रहते हुए भी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकें। इस समय यदि हमें धन से भी अधिक किसी अन्य बल की आवश्यकता है तो वह है चरित्र बल, निःस्वार्थ सेवा, ईमानदारी तथा देश के भविष्य में विश्वास।

सामुदायिक विकास योजनाएँ

Community Development Projects

“भारत के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाएँ सबसे महत्वपूर्ण विकास हैं। हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में पहली बार हमने ग्रामीण समस्या को सही ढंग से सुलभाने का प्रयास किया है। नगर जागरण का श्री गणेश हो चुका है।”—प० नेहरू

विदेशों में यह शब्द एक ऐसे जनसमूह का बोध कराता है जिसका अस्तित्व प्राकृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक विनाश तथा सामान्य आर्थिक समस्याओं पर आधारित हो। सामुदायिक विनाश योजना की कल्पना देश तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक केन्द्र से ऐसे सावजनिक भवनों तथा संस्थाओं से आशय होता है जो सामान्य मनोरंजन तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम संचालित करती है। ये सामुदायिक केन्द्र प्रभावशाली न शिक्षा के स्थान माने जाते हैं। श्री से-डरसन के शब्दों में—

“सामुदायिक संगठन सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके सम्बन्ध में सर्वोत्तम साधन उपलब्ध करने की एक कार्य निधि हैं।”

सामुदायिक विकास योजना का यदि सरल शब्दों में अर्थ किया जाय तो उसका तात्पर्य यही है कि किसी भी कार्य को आपस में मिल जुल कर करना जिससे उनके स्वयं के विनाश के साथ-साथ समुदाय का भी विकास हो। इसमें व्यक्त को निजी लाभ के साथ-साथ राष्ट्र को भी लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह वह योजना है जो गाँवों में बहुमुखी विकास की ओर सचेत करती है जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, पशुकल्याण नौकरी आदि सभी दिशाओं में एक ही साथ विकास हो। श्री ‘लोशबोह’ के शब्दों में—

“सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक संगठित तथा आयोजित प्रयत्न है।”

पर भारतवर्ष में इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामों की सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करना है, जैसा कि १९५२ 'त्रिविक अन्न उपबाओ समिति' ने स्पष्ट कहा था—

“हमारे ग्रामों की समस्याएँ अन्तर्सम्बन्धित हैं और जब तक इन समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रयत्न नहीं किया जायगा, हमारी खाद्य-समस्या का समाधान असम्भव है।”

सामुदायिक योजनाएँ ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में काया पलट करने की योजनाएँ हैं और ग्राम विकास सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। आज दरिद्रता, अज्ञान, रोग, लुधा तथा विभिन्न प्रकार के नैतिक रोग से पीड़ित भारतीय गाँव मानवता का एक अत्यन्त ही दयनीय चित्र उपस्थित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का विकास करने के लिए यह एक नवीन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामों का बहुमुखी विकास है अर्थात् गाँवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रहन सहन एवं सांस्कृतिक कल्याण कार्यों की वृद्धि हो।

इस योजना का मुख्य आधार जनता का सहयोग है। सरकार केवल पथ प्रदर्शन करेगी और धन की सहायता देगी, किन्तु जनता को इस योजना में वन मन धन से योग देना होगा। यह विशाल योजना स्वयं जनता के सामुदायिक प्रयत्नों से क्रियान्वित होगी, इसलिए इसे 'सामुदायिक विकास योजना' कहते हैं। यह योजना जन मन में जागृति उत्पन्न करने के हेतु आरम्भ की गई है। सामुदायिक विकास राष्ट्र निर्माण का एक भाग है। प्रधान मन्त्री १० नेहरू के शब्दों में—

‘मामूली योजनाओं के बनिश्चत यह कुछ ज्यादा व्यापक और विस्तृत है। राष्ट्र के निर्माण का एक शक्तिशाली अस्त्र है। १ सब मिलकर एक नये भारत का अमूर्त राष्ट्र के लिए नहीं, वरन् ३६ करोड़ व्यक्तियों के लिए निर्माण कर रहे हैं।’

योजना आयोग के शब्दों में—

“विकास के जिन क्षेत्रों का ग्रामीण जनता की भलाई से सबसे अधिक और निकट सम्बन्ध है, उनमें सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा को मूल महत्व का स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय प्रसार और सामुदायिक विकास योजनाओं के ढाँचे पर भरपूर कार्य के लिए जिन क्षेत्रों को चुना जायगा उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग और सहकारिता के क्रम को तेज किया जायगा।”

राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति मानव कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति तक

पहुँचने का एक साधन है, साध्य नहीं। स्वतन्त्रता के उपरान्त सदियों के शोषण से छिन्न-भिन्न हुई अर्थ-व्यवस्था के सुधारने के लिये नागरिकों को तथा राज्य को मिल कर कई मोर्चों पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रॉडहरो पर एक नया भवन बनाना एक विशाल कार्य है। दीर्घकालीन दासता की बेड़ियाँ तोड़ कर भारत आज अभाव-ग्रस्त विशाल जन समुदाय के जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाने के लिये उद्यत हुआ है। जनोत्साह का अभाव नहीं है और न प्राकृतिक व मानवीय साधनों की ही कमी है। अब तक जो भी प्रयास गाँवों के उत्थान के लिए हुआ है उससे स्पष्ट है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्रामीण समस्याओं को खडबत लेकर हल करने से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। मानव जीवन एक अजस्र धारा है, और इसकी समस्याओं को हल करने के लिये उन सभी का समन्वय करके कोई एक ऐसी योजना कार्यान्वित करनी होगी जो कि समस्त जीवन के सम्पूर्ण पक्षों को ढक ले। सामुदायिक विकास योजनाएँ इस दिशा में उचित प्रयास हैं।

भारत ग्रामों का देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ८२ प्रतिशत भाग ग्रामों में निवास करता है। अतः ग्रामोत्थान की कल्पना से विहीन राष्ट्रोन्नति की कोई योजना का निम्न अधूरा रहेगा। ग्रामों का बहुमुखी विकास देश की सुख समृद्धि के लिए उचित ही नहीं, अनिवार्य है। सामुदायिक विकास योजनाएँ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये संचालित की गई हैं। वैसे तो असहयोग आन्दोलन के समय से ही समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर गया था और राज्य ने इस ओर छुट पुट कार्य किये भी हैं, परन्तु पञ्चवर्षीय योजना में राज्य व नागरिकों के सहयोग से ग्रामों की सर्वाङ्गीण उन्नति की जो सामुदायिक योजनाएँ बनाई गई हैं, भारत के भविष्य में विकास की मुख्य आधारशिला हैं।

भी एस० के० डे० ने इनका महत्व बतलाते हुए कहा था—

“सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिपालन एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना एक ऐसे जंगल के समान नहीं है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष तथा यन्त्रस्पर्तियाँ भी हर्ष।”

विशेषताएँ

- (I) ग्रामों का सर्वाङ्गीण विकास
- (II) कृषि की उन्नति
- (III) जन सहयोग, भ्रमदान, द्रव्यदान और स्वयंसेवा
- (IV) ग्राम स्तर कार्यकर्त्ता

कार्यक्रम

- (1) कृषि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में—
- (क) परती या निरूपयोगी भूमि को काम में लाना
 - (ख) सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध करना
 - (ग) अन्तुड़ी किस्म के नीबू और पत्तियों को उपलब्ध करना
 - (घ) पशुधारा की निश्चिन्ता का प्रबन्ध करना
 - (ङ) उन्नतशील कृषि, विक्रय, सात आदि की व्यवस्था करना
 - (च) फलों, मछलियों और तरकारियों की खेती को उन्नत करना
- (II) यातायात तथा सहाहन क्षेत्र में—
- (क) ढाँची तथा पक्की सड़कों की व्यवस्था करना
 - (ख) माटर यातायात की व्यवस्था करना
 - (ग) पशु यातायात का नवीनीकरण करना

ग्रामों में इस प्रकार सड़कों का निर्माण किया जायगा जिससे प्रत्येक ग्राम विनास क्षेत्र से सम्बन्धित बिना जा सके। इस प्रकार की सड़कें एक ग्राम से दूसरे ग्राम की दिशा में ३ मील तक लम्बी होगी और इनका निर्माण ग्रामीणों के ऐच्छिक श्रम द्वारा होगा। अन्य सड़कें सरकार के व्यय से निर्मित होगी। इस प्रकार यातायात श्रम में मानवीय श्रम की महत्ता एवं ग्रामीणों के सहयोग पर ही अधिक जोर दिया गया है।

(III) शिक्षा क्षेत्र में—

- (क) ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमरी शिक्षा की व्यवस्था करना
- (ख) मिडिल तथा हाई स्कूलों का विस्तार करना
- (ग) प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा साधारण बनवा को स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक वर्तव्यों की जानकारी करवाना।
- (घ) प्राविधिक प्रशिक्षण (Technical Training) की व्यवस्था।

(14) स्वास्थ्य—प्रत्येक योजना क्षेत्र में तीन प्राथमिक चिकित्सा की इकाइयाँ (Health units) होंगी जो विकास लक्ष्यों में होंगी। इसके अतिरिक्त योजना क्षेत्र का सहायक चिकित्सा इकाई होगी, जिसक अन्तर्गत एक प्रसवताल तथा एक चल औपचारिक (Mobile Dispensary) होगा, जो पूरे क्षेत्र में घूमता रहेगा। क्षेत्रों में स्वास्थ्य समूहों का उद्देश्य गाँवों में प्राथमिक स्व-रक्षा तथा रोगों के लिये उच्च

पानी का प्रबन्ध, मनुष्यों तथा जानवरों के मल मूत्र एवं मृतक के अन्तिम संस्कारों की उचित व्यवस्था, चिकित्सा का प्रबन्ध, जनता की स्वच्छ रहन सहन तथा अच्छे भोजन के बारे में शिक्षा आदि देना होगा।

(v) प्रशिक्षण—शोध (Research) विकास तथा ग्रामीण स्तर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

(vi) रोगनगर या नियोजन—बेकारी दूर करने के लिये कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों का विकास करना जिससे गाँवों का बेजार तथा अर्द्ध बेकार ग्रामीण लोगों को काम मिल सक।

(vii) आवास स्थान—अच्छे मकान बनाने के लिये ग्रामीणों को प्रेरणा तथा सम्पत्ति प्रदान करना। पाकों तथा खेत के मैदानों की भी व्यवस्था की जायगी।

(viii) सामाजिक कल्याण—इसके अन्तर्गत मनोरंजन और व्यावहारिक शिक्षा के लिये सिनेमा, खेल, तमाशे, मेले और प्रतियोगिता आदि का प्रबन्ध करना है।

सामुदायिक विकास योजनाएँ भारतवर्ष के जनसमूह के लिये केवल आर्थिक विकास की योजनाएँ ही नहीं हैं वरन् उनके जीवन का सर्वाङ्गीण विकास ही उनका उद्देश्य है। इन योजनाओं का देश में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता यद्यपि रोटी उसकी आधारभूत आवश्यकता है। अतः मनुष्य के जीवन का सम्पूर्ण विकास उसकी सभी आवश्यकताओं आर्थिक, सामाजिक, एवं नैतिक—की पूर्ति करना ही भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य है।

योजनाओं का संगठन—इन योजनाओं के उचित संचालन एवं व्यवस्था के लिए एक केंद्रीय संगठन होगा जिसका नाम सामुदायिक विकास शासन (Community project Administration) है। इसके अन्तर्गत एक केंद्रीय समिति (Central Committee) तथा सामुदायिक योजना प्रबन्धक (Community project Administrator) सम्मिलित हैं। इस समय स्वयं योजना आयोग ही केंद्रीय समिति का कार्य कर रहा है। इस समिति का कार्य प्रमुख नीति निर्धारण, सामान्य निरीक्षण तथा कार्य संचालन करना होगा। इसकी सहायता के लिए एक परामर्शदात्री समिति होगी जिसका अन्तर्गत सरकार के उच्च, योग्य तथा अनुभवी अधिकारियों होंगे जो प्रबन्ध, वित्त, कर्मचारी आदि योजना से सम्बन्धित अनेक विषयों पर सलाह देंगे।

प्रत्येक राज्य में राज्य विकास समिति (State Development Committee) होगी, जिसमें राज्य के प्रधान मन्त्री तथा ऐसे मन्त्री, जिन्हें वह आवश्यक समझेंगे, सम्मिलित होंगे। इस समिति का कार्य-वाहक राज्य विकास कमिश्नर होगा। विकास कमिश्नर पर ही राज्य में योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी है। यही समिति राज्य में समस्त सामूहिक नियोजन का पथ प्रदर्शन करेगी।

प्रत्येक जिले में सामूहिक योजना के निरीक्षण का उत्तरदायित्व एक जिला विकास अधिकारी या होगा जो राज्य विकास कमिश्नर के अधीन होगा जिसमें सामूहिक योजना से सम्बन्धित सरकार के सभी विभागों के अधिकारी होंगे। इस समिति का अधिवक्ता जिलाधीश तथा मन्त्री जिला विकास अधिकारी होगा।

योजना कमीशन के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक योजना के अन्तर्गत लगभग ३०० गाँव होते हैं, जिनकी जनसंख्या २ लाख के लगभग तथा संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग ४५० से ५०० वर्ग मील होगा। योजना क्षेत्र को ३ विकास खण्डों (Development Blocks) में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत १०० गाँव होते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग ६० हजार से ७६ हजार तक होती है। यह विकास खण्ड पाँच पाँच गाँवों के उपखण्डों में विभाजित कर दिया जाता है।

योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था

भारत में इन योजनाओं का प्रादुर्भाव अमेरिका की प्रेरणा से हुआ है। अमेरिका ने अपनी कृषि विकास योजनाओं के द्वारा अपने यहाँ देश का विकास किया था। भारतीय सामुदायिक विकास योजनाएँ अमेरिकी योजनाओं के अनुरूप हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ५ जनवरी १९५२ को अमेरिका सरकार से भारत अमेरिका शैलिक सहायता समझौता (Indo U. S A Technical Co-operation Agreement) किया गया था जिसके अनुसार अमेरिका ने 'फोर्ड फाउन्डेशन' के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया है।

वास्तव में इन योजनाओं के संचालन में अमेरिका ने प्रेरणा और आर्थिक सहायता प्रदान की है। योजना कमीशन के अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में तो एक योजना पर ३ वर्ष में ६५ लाख रुपए व्यय होंगे जिनमें ६.५३ लाख रुपया अमेरिका से मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के एक सामुदायिक विकास क्षेत्र में ३ वर्षों में १११ लाख रुपया व्यय होगा जिसमें १५.४५ लाख रुपया अंतर सहायता से प्राप्त होगा। योजना कमीशन ने प्रथम आयोजन काल के लिए कुछ सोच विचार के उपरान्त ग्रामीण

क्षेत्र की योजना का व्यय ६५ लाख रुपए से घटाकर प्रति योजना पर ४२ लाख रुपया कर दिया था।

सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय में ४६ तथा राज्य सरकारों का सहयोग है। ग्रामीण व्यय का ७५ प्रतिशत केंद्र तथा २५ प्रतिशत राज्य सरकार देती है। स्थायी व्यय का दोना आधा आधा देते हैं।

योजनाओं का आरम्भ एवं प्रगति

सामुदायिक विकास योजनाओं का आरम्भ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के 'महेवा' नामक स्थान में सितम्बर १९४८ ई० में हुआ। इस केंद्र के पाछे यदि कोई शक्ति थी तो वह अमरीकन विरोधज्ञ श्री अलनट मेयर की बुद्धि थी। इस योजना में रुपया भी अमरीका ने ही लगाया। पहले महेवा केंद्र का कार्य क्षेत्र केवल २४ गांवों तक सीमित था। आगे चलकर यह ६७ गांवों तक पहुँचा। इस प्रथम प्रयास में ही कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में जो आशातीत उन्नति हुई, उससे देश की जनता हारा नहीं बरन् सुदूर देशों के लोग भी प्रभावित हुए और इसकी प्रशंसा की और इन योजनाओं को 'शान्तिमय क्रान्ति' कह कर पुकारा।

महेवा केंद्र और विदेशी अनुभव से प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के फलस्वरूप पञ्चवर्षीय योजना आयोग के सदस्यों ने भी इन योजनाओं को ग्रामीण उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान दिया। परिणामस्वरूप इन योजनाओं का श्री गणेश पूजन गण्डू के जन्म दिन पर २ अक्टूबर सन् १९५२ को हुआ। पूरे देश को ५५ सामुदायिक योजना क्षेत्रों में बाटा गया तिनका विस्तार दक्षिण में कुमारी अन्तरीप से लेकर उत्तर में काश्मीर तक था। विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं का वितरण इस प्रकार किया गया—उत्तर प्रदेश में ६, मद्रास में ६, पंजाब में ४, उजाल में ३, उड़ीसा में ३, आसाम में २, मध्यभारत में २, ईदरावाद में २, राजस्थान में २, कर्नाट में २। इनके अतिरिक्त प्रत्येक 'ब' और 'घ' वर्ग के राज्य में एक-एक योजना नियत की गई। इन समस्त योजनाओं का क्षेत्र लगभग २७ हजार मील पर विस्तृत था। जिसमें लगभग १८३ हजार गांव शामिल थे और ये बेदुबरोड़ ग्रामीण जनता के जीवन से सम्बद्ध थीं। २ अक्टूबर सन् १९५३ को ५३ योजनाओं पर कार्य आरम्भ हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक कार्य करने के हेतु भारत सरकार ने २ अक्टूबर सन् ५३ को राष्ट्रीय विकास सेवा याजना का सूत्रपात किया। यह सामुदायिक विकास याजना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है और तान बप बाद राष्ट्रीय विकास सेवा समितियों के माध्यम से सामुदायिक याजना संचालन में परिणित हो जाता है। इस प्रकार

मार्च १९५६ को राष्ट्रीय विकास सेवा एण्ड सामुदायिक योजना खंड का रूप धारण कर लेंगे। अब तक भारत में राष्ट्रीय विकास सेवा खण्डों की संख्या इस प्रकार है।

२ अक्टूबर सन् १९५३ को चालू	२५८
२ अक्टूबर सन् १९५४ को चालू	२४१
१ अप्रैल सन् १९५५ को चालू	१०७
२ अक्टूबर सन् १९५५ को चालू	११६
२ अक्टूबर सन् १९५६ को चालू	३१४
	योग १०१६

इनमें से १८३ खण्ड, सामुदायिक खण्डों में बदले जा चुके हैं और अब चालू हैं। दूसरी योजना के अन्त (१९६०-६१) तक राष्ट्रीय विकास सेवा योजना सारे देश में चालू हो चुकेगी। इस समय ३,८०० राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड होंगे और १,७४० सामुदायिक विकास खण्ड होंगे।

जनवरी १९५६ तक सामुदायिक-विकास और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्डों का विस्तार २,७६,००० गाँवों पर था और इन क्षेत्रों की संख्या २३८३ थी। इन गाँवों के १३ करोड़ से अधिक परिवारों को इन विकास कार्यों से लाभ पहुँचा। सामुदायिक-विकास कार्यक्रम से १९५७-५८ में ११.४ मिलियन परिवार लाभान्वित हुए जब कि राष्ट्रीय विस्तार कार्यों से ३७२ मिलियन परिवारों को लाभ पहुँचा। इन विकास कार्यों से लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार प्राप्त हुआ; जब कि ५ लाख से अधिक व्यक्तियों को थोड़े समय के लिए काम मिला। स्पष्ट है कि इनसे रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई। जनता में अपनी सहायता प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हुई है और एक मनो वैधानिक परिवर्तन आ गया है। अतः आशा है कि सामुदायिक-विकास कार्य निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण हाथ बटा-वगा और ग्राम-क्षेत्रों के विकास का स्वप्न एक दिन पूरा होकर रहेगा।

२ अक्टूबर १९५८ तक की प्रगति की तालिका इस प्रकार है—

लाभ वितरण	३,२८,६७,००० मन
बीज वितरण	१,३६,२५,००० मन
फलों का बढ़ाया क्षेत्र	१,५७,००० एकड़
नया छिन्दाई में लाया गया क्षेत्र	१,५६,००० एकड़
तरकारियों का बढ़ाया क्षेत्र	३,८२,००० एकड़
पत्ती भूमि का सुधार	११,००,००० एकड़

नए स्कूल	१,१७,०००
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	८८,०००
बच्ची सड़कें	७०,६०० मील
पक्की सड़कें	६,०२६ मील
नई सहकारी समितियाँ	३६१५
बाचनालय	३०,८००
नया दिया गया रोजगार	३०४ लाख लोगों को
नए मनोरञ्जन व चन्द्र एवं पुस्तकालय	६६,५१३

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि सामुदायिक योजनाएँ देश के दैनिक जीवन का अग्र बल गई हैं, क्योंकि इनमें केवल सरकारी कर्मचारी और धन ही नहीं काम कर रहा है बल्कि कोटि कोटि ग्रामीण जनता तन मन धन से सहयोग कर रही है।

सन् १९५७ तक इन योजनाओं पर जितना सरकारी धन व्यय हुआ है उसका लेखा इस प्रकार है—

१ पशुपालन तथा कृषि प्रसार	४२५ लाख रुपया
२ सिंचाई	६२४ "
३ भूमि नवीनीकरण (Land Reclamation)	६३ "
४ स्वास्थ्य तथा गाँवों की सफाई	५१० "
५ सामान्य शिक्षा	३६८ "
६ सामाजिक शिक्षा	२१३ "
७ सम्पाद वाहन	२३ "
८ ग्रामीण हस्तशिल्प, व उद्योग	१८३ "
९ गृहनिर्माण	६८ "

३,४०७ लाख रुपया

२ अक्टूबर १९५८ तक कुल व्यय १६६.३६ करोड़ रुपया था जिसमें से १०३.३८ करोड़ सरकारी और ६५.९८ करोड़ रुपया जनता का था।

इस धन के अतिरिक्त शेष रुपया प्रशासन पर व्यय हुआ है। प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन काल में योजना कमाशन के १०१ करोड़ रुपया की व्यवस्था की थी। द्वितीय आयोजन में इसके लिए २०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। प्रथम आयोजन काल में सामुदायिक विकास योजनाओं तथा प्रसार सेवा स्तरों की सफल प्रगति

क लिए विदेशों से भी सहायता ली गई है। इस दृष्टिकोण से अमरीका ने १९५२ में प्रारम्भ किये गये ५५ विकास क्षेत्रों के लिए २४२ करोड़ रुपये का सामान दिया था। इसका उपरान्त फिर २६६ करोड़ रुपये इस कार्य के लिए अमरीका सरकार ने नकद दिया। फोर्ट फाउन्डेशन भी विकास कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करके सहायता कर रही है।

भारतीय जनता भी तन मन-धन से इन योजनाओं में सहयोग दे रही है। मार्च १९५८ तक सरकार ने लगभग ६६.४० करोड़ रुपया विभिन्न सामुदायिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं पर व्यय किया है जब कि जनता ने ५७.६५ करोड़ रुपये के मूल्य का सहयोग नकदी, सामान तथा भ्रमदान के द्वारा दिया है।

राष्ट्रीय-विस्तार परिषद् ने यह निर्णय किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश भर के ग्रामीण क्षेत्र पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का जाल बिछा जाय और देश की ३१ करोड़ ग्रामीण जनता उनके द्वारा नवजागरण के पथ पर अग्रसर हो जाय। सामुदायिक योजना खण्डों का विस्तार ग्रामीण भारत के ४० प्रतिशत भाग पर करने का निश्चय किया गया है। शेष समस्त भाग पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड छड़ा जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जायेंगे। इनमें से १,१२० खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिया जायगा। इस काम के लिए योजना में दो अरब रुपये की व्यवस्था की गई है।

अभी हाल ही में माउण्ट आबू में हुए सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन को प्रधान मन्त्री ने अपने शुभ सन्देश में कहा कि—

‘अब सामुदायिक आन्दोलन को प्रगतिमय ढंग से जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए। उसमें सरकारी मदद व सहूलियत जरूरी है और वह जारी रहेगी। लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा जनता का आन्दोलन बनना है, न कि ऊपर से सरकार द्वारा चलाई गई एक चीज।’

श्री वी० टी० कृष्णामन्त्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग ने भी सामुदायिक विकास की सभी योजनाओं में ग्रामीण स्थायी को साथ मिलाने की सख्त जरूरत पर बल दिया। श्री कृष्णामन्त्री ने इच्छा प्रकट की कि अगले दो बिन वर्षों के भीतर ही सभी क्षेत्रों में ग्राम सगठन स्थापित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्त में उन्होंने कहा—

“आन्दोलन को मानवीय मान्यताओं के आधार पर लिया जाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत और सम्मिलित जिम्मेदारी

दोनों ही भावनाओं का विकास करना ही उसका लक्ष्य है। ताकि वे निजी उन्नति के साथ-साथ सामूहिक तौर पर सामाजिक जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार से ग्रामीण जीवन सामाजिक और नैतिक समन्वय को प्राप्त होगा, जो कि राष्ट्रीय एकता का एक मात्र आधार है।

माउण्ट बैलु सम्मेलन ने प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में बलवन्तराय मेहता अध्वयन दल की रिपोर्ट पर भी सर्वस्व विचार विमर्श किया और महसूस किया कि सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अध्वयन दल के सुझावों को अत्यावश्यक मानकर उन्हें कार्यान्वित करें। यह महसूस किया गया कि जब तक ग्राम सङ्घठनों को काफ़ी अधिकार देकर स्थानीय नेतृत्व को विकसित नहीं किया जाता, तब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधारभूत लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकेगा।

सम्मेलन ने सामुदायिक विकास और ग्रामदान आन्दोलन के बीच यथोचित समन्वय लाने की जरूरत पर जोर दिया। सभी ने स्वीकार किया कि आचार्य विनोबा का ग्रामदान कार्य जनता में सहकारिता और आपसी मदद विकसित करके उनमें सामुदायिक जीवन की भावना पैदा करने में बहुत कारगर रहा है। हमें आशा है कि इस सम्मेलन से सामुदायिक विकास कार्य को सही माने में जन आन्दोलन बनाने की अहम समस्या को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी।

केन्द्रीय सामाजिक विकास एवं सहयोग मंत्रालय ने ११ राज्यों की सरकारों को अधिष्ठाता दिया है कि वे २ अक्टूबर, १९५६ से १०१ खण्डों के विस्तार के पूर्व के कार्य प्रारम्भ कर दें। जम्मू वा काश्मीर सरकार भी विस्तार सेवा खण्डों के अन्तर्गत आती है। प्रा.प्र. प्रदेश में १८, आसाम में ५, बिहार में २३, मध्यप्रदेश में १२, मद्रास में १३, मेसूर में १०, केरल में ५ उड़ीसा में १२, उत्तर प्रदेश में ३७, पश्चिमी बंगाल में १२ खण्ड विस्तार के लिये निर्धारित किए गये हैं।

आलोचनाएँ

इस योजना के आलोचकों का कहना है कि—

(१) यह योजना हमारे आर्थिक परावलम्बन की चोतक है, क्योंकि इसके लिए अमरीका का सहारा लिया गया है। ऐसा दशा में जनता में आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा।

(२) हमारी विदेशी नीति अमरीका के आश्रित होने की बाध्य हो जायगी। यह कहा जाता है कि ये योजनाएँ अमरीकी पूँजावाद और औपनिवेशवाद स्थापित

करना चाहती है। ग्रानार्थ विनोबा भावे तथा श्री कुमारप्पा श्रमरीकी सहायता के पूर्णतः विरुद्ध हैं।

(३) राज्य सरकार न पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी रहती है, वे अपने हिस्से की लागत का वहाँ से प्रयत्न करेंगी ?

(४) योजना के श्रमरीकी अध्वक्ष को भारत की ग्राम्य समस्याओं का कोई क्रियात्मक ज्ञान नहीं, वह कैसे पथ प्रदर्शन कर सकेगा ?

(५) कुछ लोगों का कहना है कि यद्यपि इन योजनाओं में जन सहयोग का महत्व बतलाया जाता है, पर प्रत्येक योजना के संचालक बड़े बड़े श्रमरीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त और कोई नहीं है।

(६) विकास की दिशा ही गूढिपूर्ण है। खाद, बीज इत्यादि इतनी महत्वपूर्ण माले नहीं हैं जितनी कि चक्रवर्दी, भूमि हीन मजदूरी इत्यादि की समस्याएँ, जिनको सामुदायिक योजनाओं ने बिल्कुल छोड़ रखा है।

(७) छोटे मोटे विनाश कार्यक्रमों जैसे ग्राम सेवक इत्यादि भ्रष्ट हैं और वे विकास कार्यों के लिए न्यत्र जिसे जाने वाले रुपये का दुरुपयोग करते हैं तथा गाँवों में किसानों की सीमेंट, मीन, खाद अथवा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ दिलाने में पक्षपात से काम लेते हैं। इस विभाग के प्रमुख पत्र 'कृषि क्षेत्र' के कुछ वाक्य उद्धृत करना कदाचित् अनुचित न होगा—

“सामुदायिक योजना क्षेत्रों के गैर सरकारी निरीक्षकों का यह अभिमत है कि वहाँ दुरुपयोग की वृत्ति अधिक है और जनसेवा कम। सामुदायिक योजना के कारण यह तो हुआ है कि जहाँ गाँवों में पहले अधिकारियों की सरया बहुत कम थी, वहाँ अब काफी सरया में अधिकारी पहुँच गये हैं, परन्तु उनके कारण गाँवों की उन्नति हो रही है इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। बल्कि उन्होंने गाँव की स्वायत्त शासन सस्था का भी छुड़ा लिया है। कहने के लिये तो २ हजार से ऊपर व्लाक बन चुके हैं जिनका प्रसार २ लाख ७५ हजार गाँवों में और १५ करोड़ जनता के अन्दर है, परन्तु इसकी वास्तविकता क्या है? योजना के उपयुक्त हो या न हो, अफसरों की सरया तो काफी है लेकिन जिन ग्राम सेवकों पर योजना का दायित्व है उनकी सरया कितनी है?— हर गाँव के पीछे एक ग्राम सेवक! उद्यम, अध्यवसाय, उत्साह, देश सेवा और ग्राम सेवा सब उसी ग्राम सेवक के लिये हैं। वास्तुतः क्या कि वह भी खानापूर्वी में लग जाता है और वह भी छोटा अफसर बन जाता है।”

उपसंहार

उपर्युक्त आलोचनाएँ कोई छार नहीं रखती हैं क्योंकि विकास कार्यक्रम एक या

दो वष का नहीं अनेक वष का होता है। यद्यपि इसकी कई गणमान्य व्यक्तियों जैसे आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे इत्यादि तक ने कटु आलोचना की है तो भी शका के लिए विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि विकास का सभी कार्य स्वयं जनता द्वारा कराया जा रहा है। ये योजनाएँ अवश्य ही जन जागृति का शखनाद फूककर प्राग्भ्य क्षेत्रों के बहुमुखी विकास में सहायक होंगी। योजना का संचालन विभिन्न स्तरों पर अनेक समितियाँ, जिनके सदस्य भारतीय नेता, मंत्रीगण, सरकारी अफसर तथा जनता के प्रतिनिधि हैं, किया जा रहा है। 'प्रमुख योजना प्रपक्ष' जो एक अमरीकी हैं स्वतः योजना नहीं बनाता, योजना निर्माण में सलाहमात्र देता है। इस प्रकार हम एक विकसित देश के अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। जहाँ तक हमारी विदेशी नीति के अमरीका की वशवर्तिनी होने का प्रश्न है यह बबल भ्राति है। हमारे प्रधान मंत्री आत्म सम्मानपूर्ण विदेशी नीति का पालन कर रहे हैं जिसमें किसी के आश्रय की गंध भी नहीं है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का प्रश्न है, यह योजना का दोष नहीं कहा जा सकता। इसका अतिरिक्त प्रत्येक योजना के परीक्षण काल में प्रारम्भिक दोषों का होना स्वाभाविक ही है। सत्य तो यह है कि अभी इन योजनाओं की शशवावस्था ही है और इसलिए रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। डा० राज द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा है—

“ये योजनाएँ ऐसे छोटे बीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल वृक्ष में परिणत हो जायेंगे।”

अपने विशाल आकार और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर तन्दीलिया लाने के अपने मजसद की वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कुछ हद तक प्रयोग करने और गलती होने का विशेषता का होना स्वभाविक है। इस कार्यक्रम को भारत के अन्दर गावों में समाजिक आर्थिक क्रांति लाने का एक गतिशील साधन मानने के उद्देश्य से प्रारम्भ से ही इसकी चार चार जांच होती रही है और इसकी प्रगति पर तेज निगाह रखी गयी है। इस बात को ध्यान में रखकर ही उन क्रान्तिकारी परिवर्तनों पर विचार करना चाहिये, जिनका प्रस्ताव इस वष सामुदायिक विकास के सशोचित कार्यक्रम में किया गया है। इस कार्यक्रम का सामुदायिक विकास सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ने मचूर कर लिया है। यह बलवन्त राय महता कमटी के मुख्य सुझावों पर आधारित है। इसमें आयोजन और विकास कार्यों को जल्द से जल्द विगन्धित करने की कल्पना की गई है।

सशोचित कार्यक्रम में दो तन्दीलियाँ उड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनका सम्बन्ध कार्यक्रम लागू करने के काल क्रम और पूँजी लगाने के पैमाने से है। सशोचित कार्यक्रम के मसविदे का अभिनाथ रावों ने मचूर कर लिया है। मसविदे का लक्ष्य यह है

कि इस समय विकास कार्यों में तीन अवस्थाएँ—राष्ट्रीय विस्तार सेवा, गहन सामुदायिक विकास और उत्तर गहन अवस्था है, उनकी जगह पर पाँच पाँच साल की सिर्फ दो अवस्थाएँ रानी जावे। आशा की गई है कि ऐसा करने से विकास की गति तेज हो जावेगी, जो कि अभी तक बहुत सनोपप्रद नहीं रही है। प्रस्तावित अवस्थाओं में पहली गहन अवस्था होगी। इसक लिये बजट में १२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। दूसरी अवस्था के लिये ५ लाख रुपये खर्च करने का पैसला दिया गया है। पुराने कार्यक्रम में पूँजी का कुल खर्च सिर्फ १२ लाख रुपये रखा गया था।

केन्द्रीय समिति ने कार्यक्रम को मनूर करते हुए एण्ड विकास कार्यक्रम में विद्येन्द्रोपकरण की अहमियत पर जोर दिया था और बलवन्त राय मेहता कमेटी का यह सुझाव मान लिया गया था कि एण्ड या जिला स्तर पर ऐसी नियमानुबूल सस्थाएँ स्थापित होनी चाहिये, जिन पर आगोजन और विकास की पूरी जिम्मेदारी हो। अब राज्यों से अनुरोध विवा जाने वाला है कि वे अगले तीन वर्षों के भीतर इन नियमानुबूल सस्थाओं का निर्माण कर ले, ताकि पहली अवस्था एतम होने से पहले उन पर काम शुरू हो जावे। कार्यक्रम व सशोधन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जाल बिछा देने के लिये अप्रैल १९६१ की बजान, अक्टूबर १९६३ तक दो जावे। लेकिन ये दोनों अवस्थाएँ दूसरी योजना में निश्चित किये गये २०० करोड़ रुपये की मौजूदा व्यवस्था से पूरी कर ली जावेगी। कार्यक्रम पूरा करने की तारीख टाल देने से एक यह फायदा होगा कि इस समय प्रशिक्षित कर्मचारियों की जो कमी है वह दूर हो जावेगी। उससे दूसरा फायदा यह होगा कि साधारण योग्यता वाले कर्मचारियों को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कार्यक्रम में काफी मजबूती आ जावेगी।

वास्तव में ये योजनाएँ भारतीय ग्रामीणों के जीवन में नव ज्योति, नवीन चेतना एवं स्वर्णिम प्रगात का संदेश हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये योजनाएँ चाँद हा समय में राष्ट्र के पददालत ग्रामीण जीवन में अमान्यकारा अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक परिवर्तन कर दगी। पाठ्य जवाहर लाल नेहरू के शब्दा में—

“समस्त भारत में मानव क्रियाश्रमा के ये केन्द्र ऐसे ज्योति स्तम्भ हैं जो घने अन्धकार में प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फैलता रहगा जब तक समस्त भारत भूमि आलोकित न हो उठे।”

मूल्यों का स्थिरीकरण

(Price Stabilisation)

हमारे देश में किसानों का जीवन स्तर अत्यन्त निम्न काटि का है। अत्यन्त परिश्रम करने पर भी उनको मुक्तमयी से मरना पड़ता है तथा अर्द्ध मृत रह कर जाड़े में ठिठुरते हुए गर्मा में गरम लूनी लपटों सहन करना पड़ता है। कृषि उनका लिये उद्यम नहीं बरन् उत्साहहीन जीवन यापन करने का एक मात्र साधन ही है। उनका पास खादवा एव अल्प कृषि भूमि मात्र ही है, उसी पर अपने दान्यान्ना औजारों तथा भूख निराल जैलो एव प्रपञ्च अथवा परिश्रम का महार पे जो कुछ भी पैदा कर लते हैं उसी पर उन्हें और उच्च प्राश्रितों को विनाह करना पड़ता है। उच्च कृषि कार्य की शक्ति नहीं बरन् मजबूरन काय करना ही पड़ता है। इस दयनीय दशा का एक मात्र कारण यह है कि उनको अपने परिश्रम एव पूँजी व्यय का उचित पारितोषिक (Reward) नहीं मिल पाता।

ट० एन० रामरत्नामी क शब्दों में—

“अनिश्चित मानसून और दूर मूल्य व्यवस्था के बीच भारतीय कृषक आर्थिक संकट के दलदल में नीचे ही घसता गया।”

कृषक निर्बल हैं, प्रशिक्षित तथा असहाय हैं। वे अपने उत्पादन की लागत निकालना नहीं जानते और जानते भी हैं तो निकालना बजार समझते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि कृषि वस्तुओं का मूल्य अनेक ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर होता है जिनपर उनका कोई बंध नहीं चल सकता। उत्पादन लागत मूल्य निकले या न निकले उन्हें तो उच्च बचना ही है क्योंकि ऐसा न करने पर उनका जीवन या मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। अन्य उद्योगों में उत्पादक अपने लागत व्यय के ऊपर कुछ प्रतिशत मुनाफा लकर ही अपनी वस्तुओं को बेचता है परन्तु कृषि-वस्तुओं में प्रायः ऐसा समझ नहीं होता।

हमारे देश में कृषकों को द्वारा उत्पादक वस्तुओं का मूल्य नगरीय व्यापारियों और मध्यस्थों के द्वारा उत्पादक वस्तुओं का मूल्य नगरीय व्यापारियों और मध्यस्थों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये अपने लाभ को ही दृष्टि में

रखकर निरीह कृषकों का शोषण करने पर ही तुले रहते हैं। कृषक एव उपभोक्ता के बीच सीधा सम्बन्ध न होने के कारण कृषि वस्तुओं के मूल्य माँग और पूर्ति के नियमों के अनुसार निर्धारित नहीं हो पाते। यहाँ तो यदि कृषि वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरते हैं तो निरीह एव भोले-भाले कृषक बाल, धर्म तथा ईश्वर के मन्त्रों द्वारा दोगू देते हैं और जो तोड़ कर अधिक परिश्रम करते हैं जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भर को पर्याप्त धन मिल सके। परिणाम उल्टा होता है। एक बार तो उत्पादन के ह्रास का नियम लागू होने के कारण लागत व्यय बढ़ता जाता है और दूसरी ओर उत्पादन बढ़ने से मूल्य और भी कम हो जाते हैं। सुदृढ़ इत्यादि कारणों से यदि मूल्य बढ़े तो हमारे देश के किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और थोड़े से हा लाम में सतोष को साध लेने लगते हैं। अकर्मण्यता के कारण वे उन बड़े हुए मूल्यों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। जो कुछ लाभ प्राप्त भी होता है उस मुचदन, -गाह, ब्रह्ममाज इत्यादि अन्तुत्पादन मार्गों से व्यय कर डालते हैं। प्रत्येक देश में कृषि वस्तुओं के मूल्य में बढ़ि होने से भी कृषकों का दशा में अच्छाई की ओर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कृषि और कृषकों की दशा में सुधार लाना प्रत्येक आवश्यक है। अतः जब तक कि कृषकों को अपने श्रम एवं पूँजी के बदले उचित तथा पर्याप्त पारितोषिक नहीं मिल पायगा तब तक उनका दशा में कोई स्थायी सुधार की सम्भावना नहीं हो सकती। कृषि मूल्य जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक कृषि वस्तुओं के विपणन की कठिनाइयाँ दूर नह जायगी तब तक न तो उनका शोषण ही समाप्त किया जा सकता है और न उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वाच्छान तथा अन्याय कृषि वस्तुओं प्राप्त हो सकती हैं।

आर्थिक लाभ—कृषि-वस्तुओं के मूल्य का स्थिरीकरण करने से निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे—

(क) कृषक इस बात का प्रयत्न करने लग जायेंगे कि उनका उत्पादन व्यय कम से कम हो जिससे उनकी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें।

(ख) कृषकों का शोषण सम्भव न हो सकेगा तथा मध्यस्थों को लाभ कम होने के कारण वे भी मिलीन हो जायेंगे।

(ग) कृषकों के जीवन स्तर (Standard of Living) में प्राकृतिक परिवर्तन न हो सकेगा जिससे कि उनका जीवन स्तर स्थिर रहेगा।

(घ) कृषि वस्तुओं की विपणन सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर हो जायेंगी।

(ङ) मूल्य इस स्तर पर स्थिर किये जायेंगे जिस पर न तो कृषकों में अकर्मण्यता एवं आलास्य की भावना ही आ पावेगी और न उनको अनुत्पादक घोर परिश्रम ही करना पड़ेगा।

(च) कृषि से ही लगभग समस्त उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। उनक मूल्य में स्थिरिकरण हो जाने पर अन्य उद्योगों की वस्तुओं का लागत व्यय भी स्थिर एवं निश्चित हो सकगा तथा इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी अच्छा पड़ेगा।

(छ) कृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिरिकरण करने से सम्पूर्ण देश को आर्थिक लाभ हांगा तथा राष्ट्रीय आय (National Income) में वृद्धि होगी।

(ज) कृषकों में उचित पारितोषिक मिलने के कारण एक सम एवं न्यायपूर्ण वितरण से युक्त खुशहाल समाज का संगठन हो सगा।

(झ) उद्योगकार्यों का निश्चित एवं उचित मूल्य पर कृषि पदार्थ प्राप्त हो सकेंगे तथा उनक जीवन स्तर में भी इस स्थिरिकरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

(ञ) आधुनिक आर्थिक समाज में द्रव्य के मूल्य में अस्थिरिकरण होने से आकस्मिक तथा कष्टकारी परिवर्तन हाते हैं। द्रव्य मूल्य के स्थिरिकरण में भी कृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिरिकरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मूल्यों की गति का ऐतिहासिक सिद्धान्तोक्त

हमारे देश में औद्योगिक क्रान्तिक प्रभावों के फलस्वरूप, जनसंख्या वृद्धि, अकाल तथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं, कृषि का व्यापारीकरण एवं अन्तरराष्ट्रीयकरण तथा यातायात के साधनों की वृद्धि इत्यादि कारणों से कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। सर्वप्रथम सन् १९१३ के बाद से कृषि पदार्थों के मूल्य सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित किए जाने लगे। निम्नांकित तालिका से तत्कालीन कुछ वर्षों के मूल्यों की गति का अनुमान किया जा सकता है।

थोक विक्रय मूल्य निदर्शाक

(Wholesale Price Index Nos)

आधारिय वर्ष (Base Year) जुलाई १९१४ ई० = १००

वर्ष संख्या	संख्या	कलकत्ता
१९१४	१००	१००
१९२०		२०१
१९२१	१६८	१७६
१९२२	६८	८७
१९२६	६६	६१
१९३७	१०६	१०२
१९३८	१०१	६५
१९३९	१०६	१०८

उपरोक्त तालिका के निरीक्षण करने पर पता लगता है कि हमारे देश में कृषि मूल्यों में कितनी अस्थिरता रही। सन् १९२६ में विश्वव्यापी मन्दी का दौड़-दौध प्रारम्भ हुआ। हमारे देश पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ा। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में बहुत कमी हो गई। औद्योगिक कृषि वस्तुओं के मूल्य लायाचक्रों की अपेक्षा बहुत नीचे गिर गये। अन्य औद्योगिक देश भारत की अपेक्षा इतनी बुरी तरह नहीं प्रभावित हुये क्योंकि वहाँ पर उद्योग विनष्टित थे। हमारे देश में उद्योगों का अभाव था। कुटीर उद्योग निर्मूल तथा विनिष्ट हो चुके थे। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बाह्य ग्राहक मच गई। ग्रामीण जनता की श्रम शक्ति में हास तथा मूल्यों की गिरावट के कारण जो कुछ उद्योग चल रहे थे वे भी रुक होने लगे। बहुत से बैंकों तथा महाजनों का दिवाल्ला पिट गया। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट का कुप्रभाव ग्रामीण जनता अथवा कृषकों की दरिद्रता, सुखमयी तथा असहायता के रूप में प्रकट हुआ। सम्पूर्ण देश की अर्द्ध विनष्टित आर्थिक व्यवस्था की नींव को एक जपरदस्त बरफ़ा लगा। सम्पूर्ण आर्थिक व सामाजिक जीवन अस्त-व्यवस्त हो गया। सन् १९३४ तक आर्थिक मन्दी का निर्दयी दानव का द्वारा सम्पूर्ण भारतीय जनता अस्त एव दुखी होती रही। उसके उपरान्त धीरे धीरे कृषि मूल्यों में वृद्धि होना प्रारम्भ हुआ परन्तु यह परिवर्तन न के बराबर रहा। फिर भी पिछले वर्षों की अपेक्षा सन् १९३६ में मूल्य स्तर पर्याप्त ऊँचा रहा।

द्वितीय महानुद्ध काल—द्वितीय महानुद्ध की शोषणा सन् १९३६ में हुई और कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की ओर अग्रसर होने लगे। सन् १९४१ से मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने लगी। युद्धकाल में मूल्यों का बढ़ने के कतिपय निम्नलिखित कारण थे—

(क) युद्ध की अकनाहें और सट्टेबाजी में वृद्धि।

(ख) भारतीय बाजार में इंग्लैंड की सरकार द्वारा युद्ध सामग्री तथा खाद्यान्न इत्यादि का खरीदा जाना।

(ग) जापान, चीन व वहाँ से लायाचक्र आयात का रुक हो जाना।

(घ) यातायात के साधनों का अभाव और कठिनाइयाँ।

(ङ) मुद्रा स्थिति का होना।

(च) कृषि-पदार्थों का व्यापारियों, किसानों तथा सरकार द्वारा समूह किया जाना।

(छ) चोरबाजारी, धूसखोरी का बोलबाला तथा सरकारी मूल्य नियन्त्रण नीति की स्थिरता और अयोग्यता।

(ज) बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई माँग ।

उपरोक्त सभी कारणों का प्रभाव यह हुआ कि मूल्य स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई और जनता को अन्न वस्त्र के प्रभाव तथा बढ़े हुए मूल्यों के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े । जिस प्रकार आर्थिक मन्दी के समय मूल्यों में गिरावट के कारण कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं उसी प्रकार बढ़े हुए मूल्यों के कारण उपभोक्ता वर्ग में त्राहि त्राहि मच गई । सन् १९४३ ई० में जन प्रान्दोलन तथा स्थिति की गम्भीरता से प्रभावित होकर सरकार ने मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण के प्रयास करना प्रारम्भ किये ।

• युद्धकाल में मूल्यों की वृद्धि का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है ।

निर्देशांक (आधारीय वर्ष १९३६ = १००)

वर्ष Year	कृषि पदार्थ Agricultural Commodities	सामान्य General
१९३६-४०	१२७ ५	१२५*६
१९४०-४१	१०८ ६	११४ ८
१९४१-४२	१२४ २	१३७*०
१९४२-४३	१६६ ०	१७१*०
१९४३-४४	२६८ ७	२३६ ४
१९४४-४५	२६५*४	२४४ १
१९४५-४६	२७२ ६	२४४ ६
१९४६-४७	३१८ ८	२७५ ४

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट प्रकट होता है कि युद्धकाल में निरन्तर मूल्यों में वृद्धि होती गई और यह भी प्रकट होता है कि किस प्रकार कृषि-पदार्थों के मूल्य सामान्य निर्देशांकों को प्रभावित करते रहे । कृषि-वस्तुओं के मूल्यों का वृद्धि घनिष्ठ सम्बन्ध सम्पूर्ण देश के मूल्य-स्तर से है । इससे यह निर्दिष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण देश के मूल्य-स्तर के स्थिर करने के लिए कृषि पदार्थों के मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यन्त आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है ।

युद्धोपरान्त का काल—युद्ध समाप्त हुआ परन्तु मूल्य निरन्तर वृद्धि की ओर ही अग्रसर होते रहे । द्वितीय महायुद्ध काल में भी मूल्य वृद्धि के कारण व्यो के व्यो प्रभावशाली बने ही रहे साथ ही कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हो गये । देश की

स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश का विभाजन भी हुआ। फलस्वरूप पर्याप्त उपद्रव उपस्थित हो गया। तूफानी आर्थिक सागर में बड़े बड़े भयंकर उथल पुथल प्रारम्भ हो गये। हमारे देश को कम आर्थिक साधनों के द्वारा बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने की समस्या उपस्थित हो गई। लाखों की संख्या में शरणार्थियों को शरण देने की समस्या ने हमारे देश की सुदृढकालीन समस्याओं के द्वारा नर्जरित आर्थिक ढाँचे को झकझोर डाला। जो कुछ उत्पादन में वृद्धि अधिक अन्न उपजाओ इत्यादि योजनाओं के द्वारा हुई थी वह सब विलीन हो गई। खाद्य संकट उपस्थित हुआ तथा मूल्यों में वृद्धि की सीमा न रह गई।

निम्नांकित तालिका से मूल्य वृद्धि का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है।

थोक मूल्य निर्देशांक आधारीय वर्ष १९३६ = १००

वर्ष	खाद्य पदार्थ	कच्चा औद्योगिक माल	सामान्य
१९४७-४८	३०६	३७८	३०८.२
१९४८-४९	३८३	४४५	३७६.९
१९४९-५०	३९१	४७२	२८५.४
१९५०-५१	४१६	५२३	४०९.७
१९५१-५२	३९९.१	५७४.१	४३३.१
आधारीय वर्ष—१९५२-५३ = १००			
१९५३-५४	९४.६	१०१.९	९७.५
१९५४-५६	८६.६	९९.१	९९.४
१९५६-५७	१०२.२	१०६.०	१०५.२
१९५७-५८	१०६.४	११६.५	१०८.४
दिसम्बर १९५८	११७.९	११६.५	११४.४

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अब भी वृद्धि हो रही है। सन् १९५९ में भी मूल्यों की प्रगति वृद्धि ही की ओर है। उत्तरी भारत के पूर्वी प्रदेशों में वर्षा के अभाव तथा अन्य प्राकृतिक उपद्रवों के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो गया है। इस वर्ष सन् १९५९ में तो खाद्यान्न के मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि हो गई है। खाद्य संकट की समस्या ने इस वर्ष अति उग्र रूप धारण करके, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को और भी जटिल बना दिया है। समाचार पत्रों ने पूर्वीय क्षेत्र व लोगों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि बहुत से लोग वृद्धों की पत्तियों खा खाकर अपने जीवन की रक्षा करने पर मजबूर हो गए हैं।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में हुई खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि बढ़ती हुई जनसंख्या, बेकारी, प्राकृतिक उपद्रव तथा अन्न वितरण की गंभीरता में शिथिलता इत्यादि कारणों से प्रभावहीन हो गई है। मूल्यों में गिरावट की कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस समस्या की ओर जागरूक है तथा संकट निवारण के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में सरकार ने सन् १९५७ में "खाद्यान्न जांच समिति" की नियुक्ति की थी जिसने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि अनाज के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए ठोस कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से समिति ने एक उच्च अधिकारप्राप्त "मूल्य स्थिरता बोर्ड" (Price Stabilization Board) स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह बोर्ड सामान्य रूप से भाव स्थिरीकरण के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारण करने के साथ साथ उसे समय समय पर लागू करने के लिए कार्यक्रम निश्चित करेगा। सरकार को खाद्यान्नों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता रहे, इसके लिए एक अलग से "मूल्य सूचना विभाग" स्थापित करने की भी सलाह समिति ने दी है।

सन् १९५८ में सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण एवं नियन्त्रण की घोषणा मूल्यों के स्थिरीकरण की दिशा में निश्चय ही एक सहायनीय कदम है। इस नीति का मूल उद्देश्य ही कृषि पदार्थों के मूल्यों में ऐसी स्थिरता लाना है जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्तियों दोनों को ही उचित दर पर खाद्यान्न मुलम हो जाएँ।

उचित मूल्य निश्चित करके उनको देश में लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार निश्चित मूल्य पर बाजार में बस्तुएँ खरीदने एवं बेचने के लिए तैयार रहे। सहकारी विक्रय समितियाँ भी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर सकती हैं। सन् १९५८ में खाद्यान्न के मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर की है। परन्तु समस्त खाद्यान्न की माँग को पूरा करना सरकार की सामर्थ्य के बाहर है और इसके कारण सरकार की इस नीति का खाद्यान्न के मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक ही है। व्यापारी वर्ग पर बिना नियन्त्रण के खाद्यान्न के मूल्यों की समस्या का समाधान कदाचित् असम्भव सा प्रतीत होता है। ऐसी दशा में एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना, जो उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण रखे और खाद्यान्नों का आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य स्थिर करे, अत्यन्त आवश्यक है। समस्त कारगरों की स्थापना भी इस दिशा में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। आज खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि का मूल कारण व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न का अनुचित समूह है। इस पर भी नियन्त्रण आवश्यक है। बिना इसके सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण के अन्य प्रयत्न सफल हो सकें, इसमें किञ्चित् संदेह है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक पुनर्विकास की सफलता तथा आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि वस्तुओं के मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। मूल्य स्थिरीकरण के द्वारा हम अपने किसानों के साथ न्याय कर सकते हैं और उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करके उन्हें खुशहाल बना सकते हैं और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के रहन सहन के स्तर में आशातीत वृद्धि कर सकते हैं। आज खाद्यान्न के बढ़ते हुए मूल्यों के फलस्वरूप जनता में असतोष की भावना व्याप्त है। असतोष ही क्रान्ति की जननी है। ऐसे समय में इन मूल्यों में स्थिरता लाना देश की शांति, सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता भी खाद्यान्न के मूल्यों की स्थिरता पर ही निर्भर है। वास्तव में ये बढ़ते हुए मूल्य द्वितीय योजना के लिए चुनौती हैं। मजदूर वर्ग की समृद्धि और खुशहाली ही नहीं, लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्र समाज का भविष्य भी आज खतरे में है। मूल्यों का स्थिरीकरण देश के आर्थिक ढाँचे को स्थायी एवं दृढ़ बनाने के लिए और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। बिना इसके देश के आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता शीघ्र नहीं हो सकती।



कुटीर उद्योग-धन्धे

(Cottage Industries)

छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उन उद्योगों को ही 'कुटीर उद्योग' कहते हैं जिनमें कोई व्यक्ति स्वयं ही साधारण औजारों की सहायता से काम करता है। ऐसे उद्योगों में अधिकतर मालिक स्वयं अपने घर के सदस्यों की सहायता से ही काम करता है और मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत सीमित होती है। किन्तु कुटीर उद्योग मशीनों तथा चालक शक्ति का सर्वथा अभाव होना आर्थिक दृष्टि से वाछनीय नहीं है। ये कुटीर उद्योग तभी देश की मावी आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण स्थान रख सकते हैं जब कि उनमें एक सीमा तक चालक शक्ति तथा मशीनों का प्रयोग किया जा सके। लघु उद्योग वे हैं जिनमें सामान्यतः १० से ५० व्यक्तिक काम करते हैं। इनमें पारिश्रमिक पर श्रमिकों को रटा जाता है और मशीनों से भी कार्य किया जाता है तथा बिजली की शक्ति प्रयोग में लाई जाती है। इनमें अक्सर वर्ष भर काम चलता रहता है।

महत्त्व

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योग धंधों का क्या महत्त्व है, यह बतलाना वास्तव में सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाना है। महात्मा गांधी के शब्दों में—

“भारत का मोक्ष उसके कुटीर-उद्योगों में ही निहित है।”

भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए भारतीय अर्थ व्यवस्था में गाँवों की आर्थिक सम्पन्नता एवं कृषि विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में कृषक वर्ष में लगभग ५ महीने बेकार रहता है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है और भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाने के कारण उत्पादन भी कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय किसान की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। वर्षा के अभाव में या अन्य कारणों से अकाल पड़ने पर किसानों की दशा और भी शोचनीय हो जाती है। अकाल पड़ने पर आमदनी के अन्य साधन न होने के कारण किसानों को काल के गाल में जाना पड़ता है। कुटीर उद्योग-धंधों में होने पर किसान न केवल अपने खाली समय का सदुपयोग करने अपनी आर्थिक स्थिति दृढ़ कर सकता है वरन् सक्

के समय अपने को भुलमरी से बचा सकता है। सच तो यह है कि कुटीर उद्योग भारतीय किसानों के आर्थिक धनुष की दूसरी डोरी का कार्य करेंगे।^१ किसानों की आर्थिक सम्पन्नता के कारण कृषि का विकास एवं उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न दृष्टिकोण से और भी अधिक बढ़ जाता है—

इन उद्योगों से भारत की बहुत बड़ी संख्या को काम व जीविका प्राप्त होती है। सन् १९३१ में भारत के समस्त औद्योगिक मजदूरों में ८५% मजदूर कुटीर उद्योगों में लगे थे।

कुटीर उद्योगों के विकास से बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। मिल उद्योगों में करीब ३६ लाख अर्थात् १% व्यक्ति ही खप सकते हैं। भावी विकास का अनुमान करते हुए अधिकधिक इतने ही व्यक्ति और खप पायेंगे। फिर भी बेकारी की समस्या का समाधान न हो सकेगा। किन्तु यदि देश भर में कुटीर उद्योग फैला दिये जायें तो यह समस्या काफी हद तक सुलभ सकती है।

गाँवों की आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्व इसलिए भी है कि ये किसान के लिये अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं और उसके बेकारी या अर्द्ध बेकारी के चार-पाँच महीनों में काम प्रदान कर सकते हैं।

कुटीर उद्योगों के विकास से देश की आर्थिक विषमता कम की जा सकती है। मिल उद्योगों के कारण एक ओर दरिद्रता का अट्टहास एवं दूसरी ओर भोग-विलास और अपरिमित वैभव देखने में आता है। कुटीर उद्योगों के फैलाव से धन के वितरण में समानता लाई जा सकती है क्योंकि बेकारी दूर होने से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन मिलेगा तथा किसी व्यक्ति विशेष को अधिक धन संग्रह करने का अवसर न रहेगा। शोषण की संभावना भी न रहेगी।

उद्योगों के केन्द्रीयकरण से अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जैसे निवास स्थानों की कमी, नैतिक पतन, स्वस्थ वातावरण का अभाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त शत्रु सरलतापूर्वक बम-बर्षा द्वारा उद्योगों को नष्ट कर सकते हैं। कुटीर-उद्योगों के स्थापित करने से केन्द्रीयकरण के दोष दूर हो जायेंगे। कानपुर, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों की मजदूर वस्तियों के नारकीय जीवन से मजदूरों को बचाया जा सकेगा। औद्योगीकरण के लाभ सारे देश पर समान रूप से वट जायेंगे, अर्थात् नगर ही धन की निधि न होकर गाँव भी धन वैभव से युक्त हो जायेंगे।

^१ Cottage industries will act as the second string to the bow of finances of the agriculturists."

नैतिक दृष्टि से भी कुटीर उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है । मशीनों ने जिस स्वार्थ परता एव विद्वेष की भावना, असहयोग तथा कटुता का प्रसार किया है, उसको नष्ट करके सहानुभूति, भ्रातृभाव, पारस्परिक सहयोग एव स्नेह के भावों का विकास करना कुटीर उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है ।

अधिकाधिक उत्पादन का प्रश्न भी आज देश के सामने है । उत्पादन के इस महान कार्य में कुटीर उद्योग भी सहयोग दे सकते हैं ।

देश के विभाजन के कारण विस्थापितों की चिन्त समस्या उपस्थित हो गई है । उन्हें काम देने तथा समान रूप से देश में बसाने के लिये कुटीर उद्योग बहुत उपयुक्त हैं । कुछ दिनों की श्रौचौगिक शिक्षा देने के बाद उन्हें गाँवों में कुटीर उद्योगों की सुविधाएँ दी जायँ तो विस्थापितों की समस्या शीघ्र सुलभ सकती है ।

विशेष परिस्थिति आ पड़ने पर कुटीर उद्योग बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं । उदाहरणार्थ द्वितीय महायुद्ध में कुटीर उद्योगों का कार्य सराहनीय रहा । उत्तर प्रदेश के शीशामरों ने फौज के लिये काँच का सामान बनाया, आगरा के संगतराशों ने फौज के लिये परिचय पत्रक बनाये, मल्लाली के जाल बनाने वालों ने फौज के लिये शत्रु से छिपाने वाले जाल बनाये तथा खिलौना बनाने वालों ने फौजी टोप बनाये ।

कुटीर उद्योग मिल उद्योग के सहायक बन सकते हैं जैसा जापान में होता है । एक-एक भाग अलग अलग जगह में बनाकर किसी एक पैकटरी में जोड़कर पूरी चीज तैयार करने की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

बड़े बड़े उद्योग तो पूँजीवाद को जन्म देते हैं क्योंकि इन उद्योगों से कुछ हाथों में ही द्रव्य कन्द्रित होता जाता है जिसके कारण शोषण, निर्धनता एव धन के वितरण की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । कुटीर उद्योग धर्मों से धन का समान वितरण होता है, शोषण का अन्त हो जाता है और धन का समग्र कुछ व्यक्तियों में ही नहीं वीमित रहता है । वास्तव में कुटीर उद्योग-धर्मों साम्यवाद की चुनौती है और समाजवाद के जन्मदाता हैं । भारत आज अपना विकास समाजवाद के दृढ़ आधार पर कर रहा है । ऐसे समय में कुटीर उद्योग धर्मों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना में कुटीर उद्योग धर्मों ही मुख्य आधारशिला हैं । वास्तव में कुटीर उद्योग धर्मों भारत की सामाजिक क्रान्ति के बीज हैं जिनके बिना राम राव्य ऐसे वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी सुखद एव शीतल छाया में भारतीय नागरिक सुख एव शान्ति की नींद सो सकेंगे ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आब भारत के कुटीर उद्योग-धन्धों का महत्व औद्योगीकरण में इतना है बितना सम्भवतः पहले नहीं था। चम्बई योजना में लिखा गया है—

“औद्योगिक संगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ लघु प्रमाण एवं कुटीर धन्धों की समुचित योजना होनी चाहिये। यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे रोजगार का साधन मात्र हैं, अपितु पूँजी की विशेषतः प्रारम्भिक स्थिति में बाहरी पूँजी की आवश्यकता कम करने के लिये भी आवश्यक है। ... सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि आधारभूत उद्योगों में छोटी छोटी इकाइयों के लिये कम स्थान है, परन्तु उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एवं महत्व अधिक है। इस क्षेत्र में उनका कार्य अधिकतर बड़ी इकाइयों के लिये सहायक होगा।”

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कहा गया है—

“ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुटीर धन्धों का प्रमुख स्थान है।.... यदि कृषि को वैज्ञानिक करना है तो सम्पूर्ण देश के अतिरिक्त श्रमिकों को जो कुल संरक्षा के पुँ हैं, काम देने का साधन खोजना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल मानवी एवं आर्थिक समस्याओं को सुलझाना होगा, इसलिये निकट भविष्य में कुटीर धन्धों की आवश्यकता एवं महत्व सब से अधिक है, जिस पर जोर देना होगा।”

श्री गेडगिल के शब्दों में—

“आधारभूत एवं लघु प्रमाण धन्धों के विकास से ही आर्थिक विपमता का अन्त होगा।”

ग्राम उद्योगों के लिए स्थान

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारी अर्थ व्यवस्था में खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिये स्थायी स्थान है और क्या उन्हें आर्थिक सहायता सदैव मिलती रहनी चाहिये? जहाँ तक भविष्य के पर्दे में झाँककर देखा जा सकता है वे उद्योग उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि तक ही नहीं बनी रहेगी, वरन् ऐसी अनेक पंचवर्षीय अवधियों तक बनी रहेगी। हमारी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः ग्राम प्रधान अर्थ-व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण उद्योगों के ह्रास के कारण उतत असुलन बना हुआ है। अतीत में इन उद्योगों के द्वारा इन कृषिजन्य तथा अन्य कच्चे माल का बड़बड़ी प्रयोग किया जा सका है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मात्रा में

उपलब्ध हैं। ये पूरक धंधे, सहायक उद्योग तथा ग्राम कलाएँ इस तरह से चलायी जा रही हैं जो हमारी ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त हैं। इन उद्योग-धंधों में ग्रामों में ही निर्मित यंत्र तथा उपकरण प्रयोग करके दूरे समय तथा अवकाश के समय में काम किया जाता है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक लोग उन उपयोगी उत्पादक कार्यों में न लगाये जा सके जो उनकी आवश्यकताएँ अधिक से अधिक सीमा तक उनके अपने ही प्रयासों से पूरे करते हैं। इन्हीं उद्योगों द्वारा हम अपने ग्राम्य जीवन पर छामे उत्पाद को दूर कर सकते हैं। जब ग्राम निवासियों को विविध आर्थिक उत्थान के अवसर सुलभ हों सकेंगे तभी हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था समृद्ध होगी।

बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का विगत चार दशकों का अनुभव बतलाता है कि धन तथा आर्थिक शक्ति धीरे-धीरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाकर इकट्ठी होती जाती है। शहरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और इसके साथ ही साथ गंदी बस्तियाँ भी। नगरीय जीवन का प्रादुर्भाव होना इन परिस्थितियों में स्वाभाविक ही है। निश्चय ही ऐसी परिस्थितियों में विकेन्द्रीकृत उद्योगों की महान् आवश्यकता है। छोटे पैमाने पर उपयोग की वस्तुएँ बनाने वाले विकेन्द्रीकृत उद्योगों का विस्तार ही लाभ को अधिकाधिक लोगों में वितरित करने में सहायक हो सकता है और इस प्रकार धन के विषम-वितरण की समस्या का समाधान भी कुछ सीमा तक संभव हो जायेगा। विकेन्द्रीकृत आधार पर उत्पादन करने से जो सामाजिक लाभ होंगे वे केन्द्रीकृत आधार पर उत्पादन करने के वित्तीय लाभों से अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

ऐतिहासिक सीमांसा एवं पतन के कारण

भारत बहुत प्राचीन समय से अपनी कला-कौशल और उद्योग धन्धों के लिये विख्यात रहा है। भारतीय औद्योगिक आयोग १९१८ ने लिखा है—

“जब यूरोप के उन देशों में, जो आज औद्योगिक विकास के नेता बने हैं, असभ्य जातियाँ निवास करती थीं, तब भारत अपने शासकों के अपार वैभव तथा कारीगरों की श्रेष्ठ कला के लिये प्रसिद्ध था।”

शताब्दियों तक गाँव की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ग्रामीण कलाओं तथा दस्तकारियों के उद्योग, नगरों में राजदरबारों तथा धनी एवं समृद्धि-शाली बगों के लिये और निर्यात के लिये भोग-विलास की सामग्रियों के अनेक उद्योग हमारे देश में पनपते रहे। सूती तथा रेशमी कढ़े, कशीदों के काम, ऊनी शालें तथा दरियाँ, बागु के काम, पत्थर नक्काशी, मीना के काम के आभूषण, हाथी दाँत के काम, धरी के काम, लाख और खिलौने के काम, अन्न शल्ल तथा ढालों के बनाने

के काम, शाही कारखानों तथा दस्तकार सभ के आधीन दस्तकारों के घरों पर सुसंगठित थे। राजाओं तथा दरबारियों से उन्हें उदा प्रोत्साहन मिलता था तथा वे अपनी सुन्दरता और श्रेष्ठता के लिये सुदूर मिश्र, यूनान और वेविलोन व बाजारों में प्रसिद्ध थे। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग व सम्पन्न में मुगलकालीन यात्री ट्रेवनिगर लिखता है—

“भारत निर्मित वस्तुएँ इतनी सुन्दर थीं कि वे तुम्हारे हाथ में हैं यह ज्ञान किंचित ही होता था। वह अतीव कोमलता से काते गये तागो से बुना जाता था तथा १ पाँड रूई में २५० मील लम्बा कपड़ा बुना जाता था।”

मिश्र में ईसा से २,००० वर्ष पूर्व क शव उच्च कोटि की भारतीय मलमल में लपेटे हुये पाये गये हैं। रोम में भारतीय माल की खपत बहुत होती थी और टाका की मलमल से यूनानी परिचित थे, जिसे व गजेटिका कहते थे।

भारत के गौरव कुटीर उद्योग अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ के साथ साथ क्रमशः अवनति की ओर अग्रसर होने लगे। महात्मा गाँधी के शब्दों में—

“The cottage industry in India had to perish in order that Lancashire might flourish ”

कुटीर उद्योग धन्धों की अवनति के कई कारण थे जिनका सङ्घित विवरण निम्नलिखित है—

(१) नवाबों एवं राजाओं का अन्त—देशी शासक कुटीर उद्योगों की अपनी वस्तुओं को प्रोत्साहन देते थे। राजधानियों में कितने ही ऐसे उद्योग चालू थे, जिनका अस्तित्व नवाबों और राजाओं के सरक्षण पर ही था। जब राजा, महाराजा, नवाब और उनके दरबारी न रहे तो अधिकार कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की माँग जाती रही। इस प्रकार ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ साथ प्राचीन भारतीय शासकों का लोप होता गया जिसके फलस्वरूप कुटीर-उद्योगों के आश्रय, प्रोत्साहन एवं खपत का प्रधान स्रोत उपास हो गया।

(२) विदेशी सरकार की घातक नीति—देश में अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ तथा ईस्ट इण्डिया कंपनी का भारतीय उद्योग नीति से कुटीर उद्योगों को धक्का लगा। इस नीति को निष्कारित करते समय सरकार हमेशा अंग्रेजी उद्योग धन्धों के हितों को ध्यान न रखती थी। फल यह हुआ कि भारत के इन उद्योगों का क्रमशः ह्रास होने लगा। एक ओर तो सरकार ने भारत में जुलाहों, कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादन बन्द करने को बाध्य किया और वहाँ तक कि उनमें अँगूठे भी बन्दबा लिए, दूसरी ओर इंग्लैंड में जो भारतीय माल घड़ाघड़ आयात हो रहा था, उसको रोकने के लिए अनेक आयात कर लगाए गए और भारतीय वस्तुओं के उपभोग को एक कानूनी

अभियोग घोषित किया गया। यही नहीं भारत के ऊपर स्वार्थवश "स्वतन्त्र व्यापार" की नीति लादी गई। इसका प्रमाण ब्रिटिश संसद की सन् १९१३ की बहस से मिलता है। इसमें श्री टायने (Tierney) ने कहा था—

“हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इङ्गलैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय।”

कहने का तात्पर्य यह है कि मैनचेस्टर, लकाशायर, शेफील्ड इत्यादि के उद्योग-धन्धों की उन्नति करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत के धारे गौरवपूर्ण उद्योगों को जबरदस्ती गर्त में गिरा दिया। प्रोफेसर विल्सन लिखते हैं—

“यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर का धन्धन विद्यमान न होता तो पैसले और मैनचेस्टर की मिलों का जन्म से ही गला घुट जाता और उन्हें वाष्प शक्ति से भी चलाना कठिन हो सकता था।”

(३) पारचात्य सभ्यता का प्रादुर्भाव—अंग्रेजों से सम्पर्क बढ़ने पर लोगों के रहन सहन, पहनावे और रचि में परिवर्तन आ गया, इसलिए भी प्राचीन कुटीर-उद्योगों की वस्तुओं की माँग कम हो गई। पश्चिमी ढंग पर शिक्षित हुआ नया शिष्ट समाज पुरातन भारतीय गौरव को एकदम भूल गया। जैसा कि डा० ए-सेट का कहना है—

“भारत के धनी वर्ग ने योरोपीय फैशन को अपनाना शुरू कर दिया और या तो वे विदेशों से आयात की हुई वस्तुओं को खरीदते अथवा उन सस्ते देशी उत्पादनों से ही सतुष्ट हो जाते जो योरोपियनों को बेचे जाते थे। यदि इन्हीं की वे पहले अपने यहाँ से लेते, तो निश्चय ही नाक-भौं सिकोड़ते।”

इस पश्चिमी धुन से भारतीय कुटीर धन्धों की उत्पादन की माँग गिरने से उनकी अवनति हो गई।

(४) आवागमन के साधनों में विकास एवं मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—विदेशों, विशेषतः इङ्गलैण्ड से मशीन की बनी वस्तुओं के आयात का कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मशीन की बनी वस्तुएँ सस्ती होती थीं, अतः कुटीर-उद्योग उनके समझ टिक न सका। रेलों के बन जाने से विदेशी माल देश के कोने-कोने तक पहुँचने लगा, इसलिए भी कुटीर-उद्योग की वस्तुओं के लिए खपत का स्थान नहीं रहा। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इंग्लैंड में और भारत में मशीनों से सस्ती और एक आकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जिनके सामने हमारे छोटे उद्योग नहीं ठहर सकते थे। स्थल पर सड़कों और रेलों के बनाने से विदेशी माल देश के कोने-कोने में जाने लगा। गाँव के घरेलू धन्धे भी नगरों के शिल्प की

भाँति नष्ट होने लगे। इस देश में रेलों का निर्माण इतनी तीव्र गति से हुआ कि यहाँ के धन्धों को आकस्मिक धक्का लगा और कारीगरों को अन्य धन्धा अपनाने का अवसर ही नहीं मिला। अगर रेलों का विस्तार धीरे-धीरे होता और केवल विदेशी माल का ध्यान न रख कर यहाँ के धंधों की उन्नति का ध्यान रखा गया होता तो हमारे शिल्पियों को विवश होकर खेतों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आवागमन के साधनों की उन्नति होने से जहाँ और देशों की आर्थिक दशा सुधरती है, वहाँ भारतवर्ष की दशा और भी बिगड़ने लगी। इसका कारण यह था कि इस देश में आवागमन के साधन इस देश की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए नहीं उन्नत किये गये। रेल, तार, डाक, सब्कें, जहाज सब का निर्माण और उनके संचालन की नीति एक ही थी, अर्थात् अंग्रेजी व्यापारिक माल की वृद्धि और वहाँ के तैयार माल को इस देश में खपाना।

(५) गाँव की स्वावलम्बिता का अन्त—वे गाँव जो पहले स्वावलम्बी थे, अर्थात् अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति स्वयं करते थे, अब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे और गाँवों के कुटीर-उद्योग नष्ट हो चले।

इस प्रकार स्थानीय सरकार का अभाव, मशीन की प्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार, और सरकार की उदासीनता ये सब ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया और हमारे देश को एक तथाकथित 'कृषि प्रधान देश' बना दिया। इस कथन में कि 'ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारतीय सम्पत्ति के शोषण द्वारा ही सम्भव हुई है', कुछ अतिशयोक्ति अवरय है, पर कुछ सच्चाई भी है।

वर्तमान परिस्थिति एवं समस्याएँ

वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुटीर उद्योग अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण अवस्था से बहुत दूर खड़े हैं। कुछ दस्तकारियाँ तो पूर्णतया मर ही गई हैं जैसे ढाका की मल-मल का तो नाम-निशान ही नहीं मिलता। कुछ अन्य ऐसी हैं जो मृतप्राय दशा में हैं, जैसे हाथ चटाई और कुछ अन्य ऐसे हैं जैसे बुनने के हाथ-कर्म की जो हाल ही में पुनः साँस लेने लगे हैं। प्रो० राधाकमल गुकर्जी ने घरेलू दस्तकारियों की एक बहुत लम्बी सूची दी है जो अब भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में पाई जाती हैं। उनमें से कुछ हैं—बनारस, इलाहाबाद और जौनपुर जिले में टोचरी बनाना, मलानार और दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल में रस्से बटना, चटाई बनाना, पल्लियाँ बनाना, आसाम में रेशम के बड़े पालना; मेरठ, बदायूँ, मिर्जापुर, बोलपुर (बंगाल), चेन्नापटन (मैसूर) और कोंडापल्ले (मद्रास) में लाख और खिलौने बनाना, मुर्शिदाबाद, मालदा, मद्रा और भागलपुर में रेशम बुनना; मिर्जापुर और नदिया (बंगाल) में कलापूर्ण मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना; तिन्नेवली (मद्रास) में लुझियाँ और साड़ियाँ बनाना;

फतेहपुर और फिरोजाबाद में काँच की चूड़ियों का काम । डा० मुकजाँ उल्लेख करते हैं—

“प्रत्येक जिले में एक या अधिक गाँवों में सूती कपड़ा और रेशम की बुनाई होती है, सोने, चादी, ताँबे, द्विधातु, बॉस, वेत और चमड़े का ऊँचे स्तर पर कला पूर्ण काम होता है । सारे देश भर में कर्घों पर कताई और बुनाई का काम होता है । साबुनसाजी का भी बहुत विस्तार के साथ काम किया जाता है ।”

पर आज इन सभी उद्योगों के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण ही इन उद्योगों का विकास अब तक सम्भव न हो सका है । इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई—समय-समय पर उत्तम कच्चा माल उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं हो पाता । बड़ी बड़ी कम्पनियों के एजेण्ट निर्यात तथा मिल उद्योगों के लिए पहले ही अधिकांश माल खरीद लेते हैं, अतः कारीगरों को पटिया माल से ही संतुष्ट रहना पड़ता है । प्रायः यह माल भी उन्हें नियमित रूप से तथा उचित मूल्य पर मिलना कठिन होता है ।

कुटीर उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रत्येक कारीगर को उसकी उत्पादन शक्ति के अनुसार पर्याप्त कच्चा माल मिल सके । उदाहरणार्थ जुलाहों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सूत मिले और मूल्य भी उचित हो । ऐसी सहकारी-समितियों के भी बनाने में सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जो कारीगरों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण तथा उचित मूल्य पर सामान दे सके ।

(२) पूँजी की कमी (Lack of Capital)—कारिगर स्वयं तो निर्धन हैं ही और उनको ऋण देने के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था वहीं नहीं हो पाई है । बैंक उन्हें रुपया उधार नहीं देते तथा सहकारी समितियों का प्रचार अभी कारीगरों में नहीं के बराबर है । महान ही कर्ज प्राप्त करने का एक साधन है, अतः बेचारे कारीगरों का महाजन के द्वारा शोषण होता है । मजदूर होकर उन्हें अपना माल उतक हाथ कम मूल्य पर बेचना पड़ता है । कारीगरों की बैंक में कोई सान् नहीं होती और न अभी उन्होंने सहकारी ऋण समितियों का ही संगठन पर्याप्त रूप में किया है । इस प्रकार आर्थिक सहायता के अभाव में देश के लघु उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । बहुत से कारीगर तो वित्त के अभाव में अपने पश परम्परागत उद्योगों को छोड़कर मिलों में मजदूर बनने के लिए विवश हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के पास मिश्रित पूँजी कम्पनियों की भाँति पूँजी संग्रहीत करने के साधन भी

उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि न तो इनके लिए 'शेयर-होल्डर' ही मिलना सरल है और न फिर बजार ही। बम्बई आर्थिक एवं औद्योगिक जांच समिति, १९४० ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

“लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों की जो लोकन्यायी समस्या है वह है वित्त की समस्या। ये अधिकांश में किसी एक व्यक्ति के अधिकार में अथवा सांभोदारी में चलाये जाते हैं और उनके पास अपने औजारों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। उनके पास कच्चे माल के खरीदने के लिए भी आवश्यक पूँजी नहीं होती और जब उन्हें बाहर से ऋण लेना पड़ता है, तो ऊँची ब्याज की दर देनी पड़ती है।”

सरकार को चाहिये कि कारीगरों को उनके धन्यों को उन्नत करने तथा उनमें सुधार करने के लिए रपया उधार देने की उचित व्यवस्था करे। नये ढङ्ग के औजार कारीगरों को दे और उनसे तब तक किराया लेती रहे जब तक उनकी पूरी कीमत बसूल न हो जाय। इसके बाद वे कारीगरों के हो जायें। कारीगरों में भी ऋण-सहकारी-समितियाँ खोली जायें, जो ऋण प्राप्ति की व्यवस्था करें। किन्तु इस तरह बहुत समय लगेगा। अतः भारत के राज्य बैंक ने इस समस्या पर विचार करके 'पाईलट योजना' चालू की है जिसके अनुसार राज्य बैंक उद्योगों को लम्बी और मध्यम अवधि के लिए सस्ती दर पर ऋण प्रदान करेगा। यह पाईलट योजना आगरा, दिल्ली, छुथियाना, बम्बई, कोल्हापुर, सूरत, मद्रास, कोयम्बटूर तथा विजयवाड़ा में चालू की गई है।

(३) शिल्पियों की अशिक्षा, एवं अनुसन्धान व प्रशिक्षण की कठिनाई—वास्तव में भारतीय शिल्पियों की अकुशलता का मुख्य कारण उनकी अशिक्षा एवं अज्ञानता ही है। अशिक्षित होने के कारण ही वे अपनी निर्मित वस्तुओं का उचित विपणन नहीं कर पाते और न आधुनिक यंत्रों से जानकारी रख पाते हैं। इस प्रकार एक ओर उनकी अकुशल उत्पादन प्रणाली के कारण वस्तुओं की लागत व्यय अधिक होती है और दूसरी ओर अज्ञानता के कारण विपणन में वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर जाती हैं। अतः दोनों ही ओर से शिल्पियों को आर्थिक घाटा उठाना पड़ता है। शिल्पियों के पास अपने उद्योग में प्रशिक्षण पाने के लिए कोई साधन नहीं होते। देश में औद्योगिक शिक्षा के अभाव में अनुसन्धान में भी प्रगति नहीं हो सकी है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुटीर उद्योगों की पिछड़ी हुई अवस्था का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उनमें अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण का अभाव है जिसकी वजह से ये उद्योग मिलों की स्पर्धा में नहीं ठहर पाते। अनुसन्धान द्वारा ऐसे औजारों का आविष्कार किया जा सकता है जो सस्ते, सरल और देश के अनुकूल हों, उत्पादन में वृद्धि हो और किन्त में सुधार हो। नई नई आधुनिक डिजाइनों के प्राप्त होने

पर कार्यरत आधुनिक प्रकार की बस्तुओं का निर्माण कर करने में समर्थ हो सकेगा और ऐसे माल की माँग में अवश्य वृद्धि होगी।

उपरोक्त दोनों की दूर करने के लिए कार्यरतों को प्राथमिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। कृषीर-उद्योग अनुसन्धानशालाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में की जानी चाहिए।

(४) विपणन की व्यवस्था का अभाव (Lack of Marketing Organization)—कार्यरतों को अपनी कोई वस्तु नहीं, वो पैवार माल को बेचने में सहानुभूति हो सके। उसे बाजार का भी उचित ज्ञान नहीं होता है। वह साधनहीन होता है और इसलिए परिस्थितिवश उचित-अनुचित मूल्य पर अपना माल बेच देने पर मजबूर होता है। बीच के आदमी दलाल, आदमी इत्यादि उसका शोषण करते हैं। बहुधा उसे अपना माल नहाइन के हाथ बेचना पड़ता है, वो मनमाने दाम लगाता है। कार्यरत असहान और विचर होता है।

सरकार को विश्वी केन्द्र (Sales Depot) खोलने चाहिए। कार्यरत अपना माल उस केन्द्र पर बेच और उस केन्द्र से माल दूकानदारों को दिया जाय। मूल्य सहकारिता समितिना खोल कर कार्यरतों को नहाइन के मूल्य से छुड़ाने की व्यवस्था की जाय, ताकि वह स्वतन्त्रतापूर्वक माल खरीद व बेच सकें। सरकार ऐसा भी प्रयत्न करे कि बाजार में दलालों तथा त्रुटियों द्वारा कार्यरत को परेशान करने वाली हरकतों पर अदृश्य लगे।

(५) अकुशल उत्पादन प्रणाली—कार्यरतों के औजार एवं उत्पादन के ढंग पुराने होते हैं तथा कार्य करने का समय भी अन्यायपूर्ण नहीं होता। परन्तु वे वे किस प्रणाली पर प्रयत्न करते करते आते हैं, उन्ही पर काम है। विज्ञान के विकास का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फल यह होता है कि उनका पैवार माल बढ़िया तथा समय की दृष्टि से अकुशल नहीं होता। उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम रहती है।

इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जापान, स्विट्जरलैंड तथा अन्य देशों में जालू नवीन प्रणालियों का अध्ययन करके अपने देश के लोगों में उनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इनके लिए प्रदर्शनीयों का आयोजन किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग पर अनुसन्धान किये जाएँ और अर्जित ज्ञान की सूचना समय-समय पर कार्यरत तक पहुँचनी चाहिए। इस कार्य में कार्यरतों की सहकारिता तथा सरकार, दोनों का प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

(६) पैवार माल का निर्दिष्ट मापदंड (Standardisation)—कृषीर उद्योग द्वारा पैवार किये गये माल का कोई उचित मापदंड नहीं होता

अर्थात् कोई कारीगर उत्तम माल बनाता है तो दूसरा, दूसरी तरह का घटिया माल बनाता है और कम दाम पर बेचने लगता है। विवश होकर पहले कारीगर को भी सस्ता माल निकालना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि माल घटिया होता है। जब तक एक सा माल न बनाया जाय तब तक कुटीर उद्योग, मिल उद्योग के सहायक नहीं हो सकते और उनमें ऐसा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता जैसा कि जापान में है। वहाँ कुटीर उद्योग में किसी एक वस्तु के भिन्न-भिन्न भाग बनाये जाते हैं और अन्त में इस प्रकार भिन्न-भिन्न कारीगरों से प्राप्त पृथक पृथक अंशों को किसी एक फैक्ट्री में जोड़कर पूरी वस्तु बना ली जाती है।

अपने देश की सहाकारी समितियों को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और निश्चित माप की वस्तुएँ बनाने वाले लोगों से कारीगरों को परिचित करना चाहिए। सरकार भी इस कार्य में अपना हाथ बटा सकती है। जापान अथवा स्विटजरलैंड के दृष्ट पर भारत में भी सहाकारी समितियों द्वारा नियुक्त निपुण निरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कुटीर उद्योग के भी क्षेत्र में होना चाहिए। समितियों के यह निरीक्षक स्थान स्थान पर कारीगरों के काम की देल रेख करे और जिस कारीगर का माल नियत माप से गिरा हो, उसे निर्यात लाइसेन्स न दिये जायें।

(७) मिल उद्योग से प्रतियोगिता (Competition of Mill made Goods)—मिल की धर्ती वस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं, और इसीलिये बाजार में माल की प्रचुरता हो जाती है, साथ ही यह सस्ती भी होती है। इसीलिये कुटीर उद्योग से बनी वस्तुएँ इनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकतीं।

सरकार को चाहिये कि कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के ध्यान से एक ऐसी योजना बनावे जिससे मिल उद्योग एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुएँ बनावे तथा कुटीर उद्योग द्वारा दूसरे प्रकार की वस्तुएँ तैयार हों। अथवा ऐसी व्यवस्था की जाय कि कुटीर उद्योगों तथा मिल उद्योगों में सहाकारी सम्पर्क स्थापित हो सके। जापान की तरह दोनों उद्योग आपसी सहयोग द्वारा उत्पादन करें। स्विटजरलैंड से जो घड़ियाँ यहाँ आती हैं उनके बनाने में वहाँ के कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे-छोटे पुर्जे तथा भाग अलग अलग स्थानों पर बनाये जाते हैं और पूरी घड़ी तैयार हो जाती है।

(८) संरक्षण (Protection)—भारत के कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को विदेश से निर्यात किये गये सामान से भी मुनाबला करना पड़ता है। विदेशों के उद्योग धन्धे इतने बड़े चड़े हैं कि कुटीर उद्योगों का माल उनका मुनाबला नहीं कर सकता।

विदेशी माल से रक्षा करने के लिए सरकार को इन्हें सरक्षण देना चाहिये और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर इतना आयात कर लगाना चाहिये कि वे देश के कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं से सस्ती न रहे।

(६) चालक शक्ति का प्रयोग (Use of Power)—कुटीर उद्योगों में अब बिजली का प्रयोग भी होने लगा है। परन्तु इन्हें पचास तक बिजली उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति तो पैसों के बल पर पचास से अधिक बिजली हड़प लेते हैं, जब कि गरीब कारीगरों को उचित मात्रा में भी नहीं मिल पाती।

विद्युत शक्ति की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिये कि वह कुटीर उद्योगों को पर्याप्त बिजली प्रदान करने का व्यवस्था करे, तभी कुटीर क्षेत्रों में आर्थिक माल सस्ती लागत पर बना सकेंगे और उन्नति के पथ पर क्रमशः बढ़ना प्रारम्भ कर सकेंगे।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Government Measures)

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ प्रयत्न किये थे, परन्तु यदि उस विकास को विकास कहा जाय तो 'विकास' शब्द का अर्थ ही बदल जाय। सन् १८१४ में व्यावसायिक विकास की एक संस्था स्थापित की गई थी, परन्तु संस्थाओं का स्थापित करने से ही विकास काय यदि सम्भव हो जाय तो फिर पूछना ही क्या? कुटीर उद्योग के विकास के अर्थ का केवल दाग रखा गया, परन्तु वास्तव में तो विकास काय का तरफ ध्यान भा नहीं दिया गया। इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता थी और था आवश्यकता बाजार की। अब उससे यह भावि हो गई कि कच्चे माल के उत्पादन को ही प्रोत्साहन दें और भारत में विदेशी वस्तुओं के लिए बाजार प्राप्य रहे। तब तक स्वदेशी आन्दोलन की चिनगाड़ी वाला के रूप में परिचित हुई और कुटीर उद्योग में बल पाना। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्तुओं की तरफ लोगों का ध्यान आया। विदेशी सरकार को कुछ भय हुआ और उसने पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष पाँच वर्षों तक यह उद्योगों के विकास के लिए खर्च करने का आश्वासन दिया। सन् १८३४ में ग्रामीण उद्योग संस्था की स्थापना की गई, परन्तु वह कम लेते ही शमशान घाट पर पहुँच चुकी थी। सन् १८३५ में प्रत्येक राज्य में उद्योग विभाग का स्थापना की गई। इससे अतिरिक्त इसी वर्ष 'अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ' की स्थापना कांग्रेस के तत्वाधान में हुई। सन् १८३६ ई० में 'राष्ट्रीय योजना समिति' ने भी भारतीय कुटीर उद्योगों के स्थान के साधनों पर विचार किया। बुद्धोन्मुख योजनाओं में देश में 'गुड ऐन्ट रिपोर्ट' का

भी महत्व है, जिसने उद्योगों के विकास के लिए एक नवीन शिक्षा योजना देश के समक्ष रखी।

स्वतन्त्रता के उपरान्त

१५ अगस्त, सन् १९४७ को जब हम स्वतन्त्र हुए, तब तक आंधकार की चादर हमारे मानस पटल से उतर चुकी थी। केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश की सरकारों ने कुटीर उद्योगों के महत्व को समझा। बेरोजगारी की समस्या उनके सामने थी। कृषि भी अधिक प्रोत्सिक्त हो चुकी थी। अन्न अधिक प्रोत्सिक्त होना इसकी सहनशक्ति के बाहर था। तब लोग व्यवसाय तथा उद्योग की तरफ आये। उनके पास पूँजी का कमी थी और था विदेशी मशीनों का अभाव। फिर भी बाजार में क्रेताओं से विक्रेताओं की ही सराया अधिक थी। तब केन्द्रीय सरकार ने उन सभी व्यवसायों को अपनाया जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के थे और प्रदेश की सरकारों ने उनको अपनाया, जिनका स्थानीय महत्व था।

लघु उद्योगों के विकास में सीधा भाग लेना सरकार ने दिसम्बर १९४७ में आरम्भ किया जब नई दिल्ली में भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९४८ में एक कुटीर उद्योग बोर्ड और एक कुटीर उद्योग डायरेक्टर की स्थापना की। १९५२ के अन्त में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों के लिए विशाल योजनाएँ की स्थापना होने पर कुटीर उद्योग डायरेक्टर का नाम बदल कर लघु उद्योग डायरेक्टर रखा गया और उसे लघु उद्योगों के विकास का काम सौंपा गया।

१९४८ में भारत सरकार ने एक शिष्टमण्डल जापान भेजा। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के विषय में वहाँ किये गये उपायों का अध्ययन करना और भारतीय प्रवस्थाओं के उक्त कुछ छोटी मशीनों की खरीदना था। इस शिष्टमण्डल ने कुछ जापानी विशाल मशीनें और अनेक प्रकार की मशीनें खरीदीं। अन्न की सराया तथा हस्तुयागज आदि स्थानों पर इन मशीनों के प्रयोग किये गये। रस्सी, पाल, बिलौने आदि बनाने की कुछ मशीनें भारत के लघु औद्योगिकों ने अपना लीं। अन्य बहुत सी मशीनें भारतीय व्यवस्थाओं के अनुकूल ऋद्ध नहीं हुईं। कुछ राज्य सरकारों ने भी जापान को शिष्टमण्डल भेज परन्तु उनका भी वही परिणाम हुआ।

(२) कारीगरों के शिक्षण की व्यवस्था—राज्य सरकारों भी लघु उद्योगों के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थीं, परन्तु उनके पास न तो धन था और न ऐसे विशेष कर्मचारी ही जो किसी साहसपूर्ण कार्य को प्रमत्त में ला सकते। कुछ राज्य सरकारों ने कारीगरों को शिक्षा देने का काम आरम्भ किया और वेनार व्यक्तियों को तरह तरह की

विपणन व वितरण के लिए भी राज्य की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। सहकारी विपणन समितियों की स्थापना इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल सन् १९४६ में केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की है। यह देशी एवं विदेशी माँग द्वारा कुटीर उद्योगों के माल के विक्रम में सहायता देकर प्रोत्साहन देता है। इस एम्पोरियम ने कुटीर उत्पादन के विज्ञापन के लिए समुक्त राज्य, लफा, अफगानिस्तान, जापान, न्यूजीलैंड आदि देशों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिससे बहाँ की माँग से लाभ हो सके। उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, मद्रास, काश्मीर, आसाम, पंजाब तथा बम्बई प्रांता में भी कुटीर निर्मित माल के विपणन के लिए एम्पोरियम हैं जो देश की विभिन्न प्रदर्शनियों में माल के विज्ञापन के हेतु दूकान रखते हैं। परन्तु ऐसे एम्पोरियम प्रत्येक राज्य में होने चाहिए, जो केन्द्रीय एम्पोरियम से सहयोग लेकर कुटीर उद्योगों के उत्पादन का विपणन करें।

इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने उपभोग के लिए इन उद्योगों का माल खरीदती हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि जहाँ चाय, मूत्र तथा अन्य बातें समान हों, वहाँ सरकारी उपभोग के लिए कुटीर उद्योगों के बने माल की ही खरीद करनी चाहिए। ये माल अधिकांश में या तो सहकारी समितियों के द्वारा खरीद जायें, प्रथम राज्य सरकारों की सलाह से किसी ऐसी एजेन्सी से खरीदे जायें जिन्हें केन्द्रीय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुमति मिल गई हो। इस दृष्टि से भारत सरकार 'अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग सभ' से प्रति वर्ष खादी खरीदती है। इस खरीद का उद्देश्य खादी को प्रोत्साहन देना है। मद्रास सरकार ने कृषा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह वाच्य बना दिया है कि राज्य में उत्पन्न होने वाली सड़ियाँ में ४० प्रतिशत करके द्वारा बुनी जायेंगी। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार सरकारें प्रत्यक्ष रूप से माल खरीद कर अथवा अन्य विपणन समन्वय विधियाँ प्रदान करने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

(५) श्रृण की व्यवस्था—सन् १९४६ ५० के वित्तीय वर्ष से भारत सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिये अनुदान तथा श्रृण देकर राज्य सरकारों की सहायता करनी आरम्भ कर दी। प्रांतीय अर्थ प्रमण्डल विधान के अन्तर्गत कुछ राज्यों में अर्थ-प्रमण्डल बनाये गये हैं, जैसे बम्बई तथा पंजाब में। फिर भी अन्य राज्यों में आर्थिक प्रदान की कमी है। राज्य सरकारें कुटीर उद्योगों को कुछ आर्थिक सहायता प्रांतीय औद्योगिक सहायता अधिनियम के अन्तर्गत देती हैं, परन्तु वह अपर्याप्त है।

इस कार्य के लिये केन्द्रीय अधिकारण जाँच समिति के अनुसार सहकारी

साल समितियाँ की स्थापना की जानी चाहिये, जो समितिवाँ केवल कुटीर उद्योगों को ही साल सुविधाएँ देने का कार्य करें तथा अपने सदस्यों को सस्ते दरा पर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सुविधाएँ दें। इसी हेतु नवम्बर सन् १९५४ में लघु उद्योग सभा की स्थापना की गई है, जो इन उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक समस्याओं को हल करेगी।

उत्तर प्रदेश ने इस कार्य के लिये सन् १९५२-५३ में ५७½ लाख रुपये का आयोजन किया था परन्तु वह भी अधूरा ही रहा। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र ४ कुटीर धंधों की सहकारी संस्थाओं की भाँति सस्ते ऋण की दरों पर आर्थिक सुविधाएँ देने के लिये कहा है, विशेषतः हाथ कर्मा उद्योग के लिये जिनमें इस समय ६ से ७ लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ने कुटीर उद्योगों को उनके विकास के लिये प्रांतीय सहकारी बैंकों के माध्यम से २% ऋण पर १५ मास की अवधि तक आर्थिक सुविधाएँ देने का विशेष आयोजन किया है परन्तु इस कार्य के लिये औद्योगिक सहकारिताओं के स्थापना की आवश्यकता है, जिससे कुटीर उद्योगों की आर्थिक, कच्चे माल की तथा निर्मित माल की बिक्री की समस्याएँ हल होकर उनकी नींव सुदृढ़ हो सकेगी। स्टेट बैंक ने छोटे उद्योगों को ऋण देने की योजना में लगभग ७०० छोटे कारखानों को ऋण दिया है। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक बैंक ने इन कारखानों को ३ करोड़ ६८ लाख रु० का ऋण दिया था। यह योजना उन सभी स्थानों में लागू होगी जहाँ पर स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं।

(६) राष्ट्रीय लघु उद्योग क्लारिफिकेशन की स्थापना—राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन की व्हाइट ट स्टार कम्पनिज के रूप में ४ फरवरी सन् १९५५ को रजिस्ट्री की गई। इसकी धारी पूँजी सरकार ने लगाई है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उन्नति करना, उनको संरक्षण, आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता देना है। यह कारपोरेशन केवल ऐसे लघु उद्योगों को सहायता देगा जो शक्ति का प्रयोग करते हों एवं जिनमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हों अथवा जो शक्ति का प्रयोग न करते हों, परन्तु उनमें १०० से अधिक व्यक्ति काम न करते हों तथा उनकी पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक न हो। इसके निम्न कार्य हैं—

- (1) सरकारी आदेशों या अनुचित हिस्सा लघु उद्योगों को दिलाना।
- (ii) जिन उद्योगों को ऐसे आदेश मिले हैं उनको आदेशों की पूर्ति के लिये आवश्यक आर्थिक एवं शिल्पिक सहायता देना।
- (iii) सहायक एवं लघु उद्योगों में सामञ्जस्य लाना, जिससे लघु उद्योग सहायक उद्योगों की पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति पर सकें।

(17) लघु उद्योगों के बैंकों अथवा अन्य संस्थाओं से मिलने वाली ऋणा की जमानत देना एवं अभिगीपन (Underwrite) करना ।

इस वापारेशन की पूँजी १० लाख रुपये है जो १०,००० अंशों में विभाजित है । कार्पोरेशन ने सरकारी आडर लेकर उन्हें लघु औद्योगिकों को देना आरम्भ कर दिया है । यह औद्योगिकों को सरकार से सीधे आर्डर लेने में सहायता करगा । यह उन्हें तथा छोटे उद्योग के मध्य एकीकरण भी करेगा जिससे छोटे उद्योग बड़े उद्योगों में काम आने वाली वस्तुएँ तैयार कर सकें । मिश्री मशीनों की एक शृंखला तथा चलती फिरती जना गाड़िया चालू करने के विषय में भी कार्पोरेशन विचार कर रहा है । उसने लघु औद्योगिकों को किराया खरीद प्रणाली के अनुसार छोटी मशीनें और उपकरण देने में आरम्भ कर दिये हैं । लघु उद्योग सेवा कार्पोरेशन द्वारा उन व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाता है जिन्हें इन मशीनों की आवश्यकता है । अब तक ११ लाख रुपये की मशीनों के आडर प्राप्त हो चुके हैं । इन आर्डरों के अनुसार पहले मशीनें किराये पर दी जायेंगी और फिर बाद को लेने वाले ही उन्हें खरीद लेंगे । जून १९५८ के अन्त तक निगम के पास १,२६२ प्रार्थना पत्र आये जिनमें ३,८०,५०,६४५ रुपये की ४,५१६ मशीनों की माँग की गई, जबकि ६७,२८,८५८ मशीनें खरीदारों को प्रदान कर दी गई ।

(७) फोर्ड फाउन्डेशन योजना

सन् १९५३-५४ में भारत सरकार ने लघु उद्योगों की उत्थिति के लिये फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से विदेशी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया । ये विशेषज्ञ अमारना तथा स्वीडन के थे । इस दल ने भारत के लघु उद्योगों के विभिन्न कर्तों का दौरा किया । इस दल ने बड़ी सावधानी के साथ अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि देश में ही खपत के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध होने के कारण लघु व्यापार पर उद्योगों का विकास करने की बड़ी गुंजायश है । परन्तु उसने यह भी देखा कि बहुत से लघु उद्योगों की दशा विगड़ती जा रही है । उनके माल की विस्म गिरती जा रही है और उनके कारीगर उन्हें छोड़ छोड़कर भागते जा रहे हैं । उनके माल की माँग घट जाने के कारण उत्पादन घटता जा रहा है । अतः वे अपने कारीगरों को अच्छी मजदूरी देने में भी अग्रसर हैं । यह सब देखकर दल ने लघु उद्योगों के लिए बहुउद्देशीय शिक्षणशालाएँ स्थापित करने की सिफारिश की जो लघु उद्योगों की मूलभूत आवश्यकता सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ शैक्षणिक सहायता दें और कारीगरों को शिक्षा भी प्रदान कर सकें । इससे आंतरिक व वर्तमान निर्माण प्रणालियों का पर्यवर्तन भी करा सकें तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए परीक्ष

खात्मक तथा किमाल्मक गवेषणा को भी हाथ में ले सकें। अच्छे ढंग के औजारों और मशीनों, प्रणालियों, कच्चे माल की निम्न गुणवत्ता, विनी व्यवस्था करने, श्रम प्राप्त करने आदि क बिपन्न में उभरने का कार्य भी इन शालाओं क द्वारा किया जान।

छोटे कारखानों की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दल ने वे विचारों की—

(१) व्यापारी तथा सहकारी बैंकों और राज्य विद्युत कार्पोरेशन को लघु-उद्योगों के लिए श्रम देने का है।

(२) बावदाद देहन रखकर श्रम देने की प्रणाली बलाई जाय।

(३) लतरेवा की पूंजी क लिए सरकार पर्याप्त धन अलग निधारित कर दे।

(४) आधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीदने क लिए किश्तों द्वारा अदा होने वाल श्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(५) लघु उद्योगों के श्रम सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए एक उन्मुक्त संगठन स्थापित किया जान।

दल ने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह कारीगरों को सहकारिता के आधार पर सङ्गठन करने क लिए प्रोत्साहित करे। इसक अतिरिक्त उत्पादनों की अच्छी विनी होगी परमाणरक है। सरकार को एक ऐसा सङ्गठन स्थापित करना चाहिए जो परवेक्षणा द्वारा उपभोक्ताओं की माँग का पता लगाने और लघु औद्योगिक मिला की इन माँग क अनुसार माल तैयार करने से प्रोत्साहन दे तथा थोक और खुदरा विनिमय के माल क आर्डर प्राप्त करके उनक अनुसार माल तैयार कराये। विनी व्यवस्था कार्पोरेशन बनाया जान और उसमें नकार सम्बन्धी समाचार प्रदान करने की भी व्यवस्था हो जो देशी तथा विदेशी नकारों क समाचार छोट उद्योगों को प्रदान किया करें। इसक अतिरिक्त एक लघु उद्योग कार्पोरेशन स्थापित करने की सलाह दी गई जिसकी प्रादेशिक और राज्या में शाखाएँ हों। यह कार्पोरेशन सरकारी आनश्यन्ता क अनुरूप मान तैयार करने क लिए लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करे। दल ने कारीगरों का शिक्षा देने और शक्ति का प्रत्यक्ष करने की भी विचारिश की।

इस दल की विचारिशों पर सरकार ने विचार किया और ७ जून १९५४ को नीचे लिखी विचारिशें स्वीकार कर लीं—

(१) लघु उद्योगों के लिए नार शिक्षणालाएँ स्थापित की जायें जो लघु उद्योगों का उत्पादन तथा व्यवस्था प्रणाली सुधारने, श्रम तथा विद्युत प्राप्त करने, उन्मुक्त कच्चा माल प्राप्त करने, अच्छे से अच्छे साम पर उनके करने माल को बेचने, उनके उत्पादन कार्य का एकीकरण करने आदि में सहायता दें।

(२) एक विक्री व्यवस्था कार्पोरेशन स्थापित किया जाय जो बाद में शालाओं के साथ अपने कार्य को सम्बद्ध कर दे।

(३) सरकारी आर्डर पूरे करने के लिए उत्पादन का प्रबन्ध करने वाला एक लघु-उद्योग कार्पोरेशन स्थापित किया जाय।

सरकार ने लघु-उद्योगों के लिए एक विकास कमिश्नर नियुक्त करने और एक लघु-उद्योग बोर्ड बनाने का भी निश्चय किया। विकास कमिश्नर और इस बोर्ड को ही उपर्युक्त सङ्गठनों के कार्यों का एकीकरण करने का भार सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त देश में लघु-उद्योगों के विकास का सामान्य कार्यक्रम तैयार करने और अमल में लाने का भार इन्हें सौंपा गया। २ नवम्बर १९५४ को विकास कमिश्नर की अभ्युत्थता में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई।

(८) लघु उद्योग बोर्ड के कार्य—लघु-उद्योग बोर्ड की विचारिश पर प्रादेशिक शालाओं का नाम लघु-उद्योग सेवा शालाएँ रखा गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और फरीदाबाद में ये शालाएँ स्थापित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। अभी इनकी स्थायी इमारतें नहीं तैयार हुई हैं। इसलिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली में क्रिये पर स्थान लेकर इन शालाओं के डाइरेक्टरों और अन्य अफसरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। शालाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों और कारीगरों की भर्ती हो रही है। मद्रास और फरीदाबाद की शालाओं के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और अन्य दो शालाओं के लिए इसकी बातचीत चल रही है। लघु औद्योगिकों को लाभ पहुँचाने के लिए इन शालाओं में बड़ईगिरी और लोहारी के आदर्श कारखाने और चलती फिरती प्रदर्शन गाड़ियाँ रखने का कार्य आरम्भ कर दिया है। बहुत से छोटे छोटे औद्योगिकों ने प्रादेशिक शालाओं के डाइरेक्टर से सहायता के लिए बातचीत आरम्भ कर दी है। डाइरेक्टर और उनके सहायक अफसर इन्हें पत्र द्वारा, मिलकर अथवा स्वयं कारखानों में जाकर यथासम्भव सहायता दे रहे हैं।

औद्योगिक संस्थान

छोटे कारखाने अब तरु बड़ी कठिनाइयों में रहकर अपना काम चलाते रहे हैं। उन्हें पहली कठिनाई तो कारखाने के लिए काफी जगह प्राप्त करने की होती है। उनके पास प्रायः कारखाना बनाने के लिए काफी धन भी नहीं होता। यदि धन भी हो गया तो कच्चे माल, मशीनों, मिजली, टेलीफोन इत्यादि का प्रबन्ध करने में उन्हें प्रायः दो वर्ष लग जाते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लघु-उद्योग बोर्ड ने औद्योगिक वस्तियों की योजना बनाई है जिनकी मालिक सरकार

अथवा निची कम्पनियाँ होंगी। इन बस्तियाँ में कारखाने की इमारतें बनाकर उनमें बिजली, पानी, गैस, भाप, रेलवे साइडिङ्ग आदि का प्रबंध रहेगा। ये इमारतें छाने कारखाना को किराये पर मिल सकेगी और इस प्रकार उनकी सभी कठिनाइयाँ एक बार में ही हल हो जाया करेंगी। आशा है कि प्रगले छ महाना में महत्वपूर्ण कन्द्रा में प्रायः अर्धा दर्जन औद्योगिक बस्तियाँ बन जायेंगी। ये बस्तियाँ उन्हीं स्थानों पर बनाई जा सकनी हैं जहाँ कुछ कारखाने इनमें आने को प्रस्तुत हैं और जो योक बाजारों में निकट हैं। अथवा कन्द्रा में कारखाना की इमारतें बनाकर लघु औद्योगिकों को किराये पर दे देने का प्रस्ताव है। आमतौर पर औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है लेकिन जल्दी के कारखानों को खला तथा नैनी संस्थानों की स्थापना का कार्य लघु उद्योगों में ही निम्न शक्ति दिया गया था। इन दोनों संस्थानों की स्थापना का पहला चरण पूरा हो चुका है। इनमें क्रमशः ३५ और ३४ कारखाने होंगे। खोखला संस्थान का उद्घाटन १२ अप्रैल, १९५८ को प्रधान मंत्री ने किया था। इलाहाबाद के नैनी संस्थान में २५ कारखाने उद्योगपतियों को दे दिये गये हैं। इन दोनों संस्थानों के अवस्तर का कार्य चालू है। इन संस्थानों के अतिरिक्त कई राज्य सरकारों ने भी औद्योगिक बस्तियाँ की व्यवस्था की है। इस प्रकार अभी तक ११ औद्योगिक बस्तियाँ तैयार हो चुकी हैं और ३२ बस्तियाँ और बनाई जा रही हैं। इस प्रकार अभी तक ४२ कारखाने सिरी (मद्रास) में, ३५ खोखला (दिल्ली) में, ३५ कटक (उड़ीसा) में, ३४ रावकोट (गुजरात) में, ३४ पाल घाट तथा क्विलान (करल) में और १५ नैनी (उत्तर प्रदेश) में हैं। केंद्रिय सरकार ने विभिन्न राज्यों में ७१ औद्योगिक बस्तियाँ के लिए धन देना मंजूर किया है। इसके लिए पिछले ३ वर्षों में राज्य सरकारों को ३ करोड़ २६ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी जिसमें १९५७-५८ तक ३ करोड़ रुपये उर्ध्व हो चुका है। अनुमान है कि चालू वर्ष में राज्यों को ७२ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये जायेंगे।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में भारी उन्नति सती और काफी बिजली उपलब्ध होने पर निर्भर है। योजना समीक्षण बिजली की स्थिति पर विचार कर रहा है। कहीं कहीं बिजली की दरें ऐसी हैं कि छोटे औद्योगिकों को बढ़ा की अपेक्षा दूनी दर पर बिजली लानी पड़ती है। लघु-उद्योगों को उद्युक्त अधिकारियों का ध्यान दिलाया है और दरों में आवश्यक परिवर्तन करने का कहा है।

लघु उद्योग बोर्ड ने छोटे उद्योगों को मशीनों आदि किराये पर उपलब्ध कराने का अनुसार देने के लिए कहा है और इसमें यदि रुपये मारे जाने का कोई खतरा आवे तो सरकार उसे सहन करे। छोटे उद्योग पुराने ढंग की मशीनों के साथ साथ

निर्माण की प्रणालियाँ भी पुराने ढङ्ग को अपनाये हुए हैं। ये ऐसे विशेषज्ञ नहीं रख सकते जो उन्हें उन्नत प्रणालियाँ उ विषय में परामर्श दें। लघु उद्योग सेवा बोर्ड इन्हें इस प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा और इनके विषय में हिन्दा तथा अन्य स्थानीय भाषाओं में आवश्यक साहित्य प्रदान करेगा।

राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता से छोटे उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने की शर्त प्रदान कर रही है। साधारण बैंकों से भी इन्हें ऋण दिलवाने के उपाय किये जा रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर उद्योग

प्रथम पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार ने ग्राम और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए निश्चित कार्यक्रम कायान्वित करने के निमित्त सगठना का एक जाल सा बिछा दिया है। वे सगठन ये हैं—(I) अखिल भारतीय लोदी और आमोद्योग बोर्ड, (II) ग्रामल मखीय दस्तकारी बोर्ड, (III) अखिल भारतीय हाथ करवा बोर्ड, (IV) छोटे उद्योग बोर्ड, (V) नारियल बटा बोर्ड और (VI) रेशम बोड। इनके कार्य ये हैं—ग्रामों में उत्पादन तथा विनास योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को शिक्षा देना, बन्धे माल की केंद्रीय प्रति बनाने रखना, उनका विक्रय तथा अन्वेषण का प्रबंध करना तथा इस उद्योग के विविध अंगों का अध्ययन करना, योजनाओं की परीक्षा करना तथा सरकारी सहायता के लिए उनका नाम प्रस्तावित करना भी इन कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। ये भारत में विक्रय की ओर ध्यान देते हैं और आन्तरिक व्यवसाय व व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं।

सन् १९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। उसने परामर्श से लघु उद्योग के विनास में कुछ पद और प्रदाये गये। डिजाइनों के राष्ट्रीय सूच की स्थापना की गई, जिसका काम नये नमूनों को बनाना तथा अन्वेषण के कार्य करना है। इसके द्वारा अधिक शिक्षा प्रबंध की सम्भावना हो सता है। प्रदर्शनियों का आयोजन तथा विविध विज्ञापन और प्रसार में इसका हाथ रहा है। उपमोक्षाओं की सहयोग समितियों ने कुछ ऐसे पग बढ़ाये हैं जिन्हें देखने से आशा और अधिक बलवती हो जाती है। देश-विदेश से नमूना और डिजाइनों को लाना वा मँगाना तथा उत्पादकों और उपमोक्षाओं के पास तक पहुँचाना ही क्या साधारण कार्य है? भारतीय यह उद्योग के उत्पादन के लिए विदेशों में बाजार की षोज करना तथा निर्यात का प्रबंध करना भी इसका कार्य हो गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा आमोद्योग की शिक्षा के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था बनाने, फरीदाबाद, कलकत्ता और मद्रास में की गई है। इसकी शाखाएँ बिहार,

उत्तर प्रदेश, रावनकोर कोचीन आदि में है। नासिक में इन्हीं कार्य के लिए केन्द्रीय आर्थिक केंद्र की स्थापना की गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उद्योग के लिए ११४२ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था, जो पीछे बढ़ा कर २२-३४ करोड़ रुपये तक कर दिया गया। त्रिभुज प्रदेश की सरकार ने १५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया, तथा सामुदायिक योजना के अन्तर्गत करीब ७ करोड़ रुपये खर्च किए गये। प्रत्येक मद पर सरकार ने सन् १९५१ से १९५६ तक निम्न सहायता दी है—

हाथ निर्मित कपड़ों पर	१११ करोड़ रुपये
खादी पर	८४ करोड़ रुपये
ग्राम्य-उद्योगों पर	४१ करोड़ रुपये
छोटे परिमाण के उद्योग पर	५२ करोड़ रुपये
दस्तकारियों पर	१ करोड़ रुपये
सिल्क तथा प्रसिद्धी पर	१३ करोड़ रुपये
बनावट पर	१ करोड़ रुपये
कुल	३१२ करोड़ रुपये

हाथ कर्षा बोर्ड के अनुसार कपड़ा का उत्पादन १९५१ से १९५४-५५ में ७,४२० लाख गज से १३,१४० लाख गज बढ़ा है और १९५५-५६ में यह उत्पादन १४,५०० लाख गज हो गया। प्रखिल भारतीय हाथ कर्षा तथा खादी समिति के अनुसार हाथ निर्मित खादी का उत्पादन जो १९५१ में १३ करोड़ रुपये का था, १९५५-५६ में ५ करोड़ रुपये से भी अधिक पहुँच चुका है। खादी का उत्पादन ३४० लाख गज तक पहुँच गया है। १९५२ में सरकार ने यह उद्योग की वस्तुओं को खरीदने में ६६ लाख रुपये तक का खर्च किया, जो १९५४-५५ में १०५ लाख तक पहुँच चुका है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह उद्योग पर अधिक खर्च करने का रिनकार किया गया है जो इस तालिका से स्पष्ट हो जायगा—

करोड़ रुपयों में

	केन्द्र स	प्रदेशा में
हाथ कपों से बने झरडा पर	१५	५६०
खादी पर	४०	५६०
दस्तकारी पर	३०	६०
छोटे परिमाण क उद्योगा पर	१००	४५०
खिलक और झरडी पर	०३	४८
स्वावर पर	०२	१७
अविध	६०	६५
	२५० +	१७५०

कुल

२०० करोड़ रुपये

इस योजना के अन्तर्गत १४५ लाख कपों को उत्पादन में और तथा जायगा। १७,००० लाख गज और करड़े तैयार किये जायेंगे। सूती खादी का उत्पादन ६०० लाख गज तक बढ़ाया जा सकेगा तथा ऊनी खादी का उत्पादन जो १९५६ में २,५०,००० गज था, १९६० ई में १० लाख गज तक बढ़ाया जा सकेगा जिस पर पूरा खर्च २१ करोड़ रुपयों का होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क लिए ग्राम और छोटे उद्योग समिति नियुक्त समापति श्री कार्वे थे और निरन्तर नाम पर इन्हे कार्वे बनरी कहा जाता है, का कहना है कि कुटीर उद्योग क विकास के फलस्वरूप २५ लाख लोग को अतिरिक्त काम मिल सकेगा। लघु उद्योग क विकास क लिए योजना बमीशन के समस्त कार्य क्रम का जो मसौदा उपस्थित है, उसमें ५०,००० कारखाना को किराया खरीद प्रणाली पर मशानों देना, ३० लघु उद्योग सेवाशाखाएं खोलना, २०० शक्ति सेवा दल बनाना, ५०० सामान्य सुविधा कन्द्र स्थापित करना, ३० औद्योगिक वस्तियाँ बनाना, ७५,००० कारखाना को श्रृणु देना, ३०० विनय मडार खोलना, २,००० चलती पक्का प्रदर्शन गाड़िया चलाना, बिजली दरा में कमी करना, वर्तमान प्रदर्शन दला का विस्तार, उत्पादन सहसिचरण कन्द्र खोलना, आदर्श कारखाने बनाना आदि क प्रस्ताव शामिल हैं।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार और भारतीय जनता कुटीर उद्योग के महत्व एवं विकास क प्रति भली-भांति आगरुह है और निस्संदेह भारतीय

उद्योग धन्धा का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। कुटीर उद्योग धन्धा को पुनर्जीवित करने में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न भी अत्यन्त सराहनीय हैं और यह ठीक ही है क्योंकि रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक विस्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधारभूत उद्देश्यों में से एक है और यह कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा ही सम्भव हो सकता है। राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गाँधी तो चरखे को राष्ट्ररूपी शरीर का एक फेफड़ा कहा करते थे। प्रत्येक गाँव में कुटीर उद्योगों की झुंकार के साथ ही साथ, राष्ट्रीय जीवन भी नवीन चेतना एवं जागृति से झुंकार उठेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।



तृतीय खण्ड

“भारतीय-धर्म-समस्याएँ”

- (१) सामाजिक सुरक्षा
- (२) धर्म कल्याण
- (३) धर्म-सम्बन्धी अधिनियम
- (४) धर्म सच
- (५) औद्योगिक स्वर्ण
- (६) धर्म का कार्यक्षमता

सामाजिक सुरक्षा

(Social Security)

‘न्याय की व्यवस्था, शान्ति की स्थापिका है’^१ इस सामाजिक सिद्धान्त के जन्म के साथ ही सामाजिक सुरक्षा का जन्म हुआ। प्रथम महायुद्ध (१९१८) के उपरान्त सप्ताह में सामान्यतः यह बात स्पष्ट हो गई कि विश्व के किसी भी कोने में यदि किसी प्रकार का असंतोष है तो इससे अन्य स्थानों में शान्ति भंग हो सकती है। यह भी अनुभव किया गया कि विपत्ति के समय में समाज का कर्तव्य है कि वह दूसरे दलित एवं दरिद्रवर्ग की सहायता करे। मनुष्य के जीवन में दो अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें वह दूसरे पर निर्भर रहता है—शैशवावस्था एवं वृद्धावस्था। कभी कभी युवावस्था में भी मनुष्य बीमारी, चोट एवं बेकारी के कारण धनोपार्जन के अयोग्य हो जाता है और दूसरे पर निर्भर हो जाता है। ऐसी अवस्था में असहाय व्यक्तियों की सहायता करना सामाजिक सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा वास्तव में मनुष्य को आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने की योजना है। बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, विधवापन, परिवार के उपार्जक सदस्य की मृत्यु इत्यादि ऐसी घटनाएँ हैं जिन मनुष्य की आय तो लगभग बन्द ही हो जाती है, परन्तु व्यय लगभग समान रहते हैं या बढ़ जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में ही मनुष्य की रक्षा करना सामाजिक सुरक्षा का मूलमन्त्र है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है—

“यह सुरक्षा वह उचित संगठन है जिससे समाज अपने सदस्यों को कुछ निश्चित सफ्टो से सुरक्षित रखता है।”

संक्षेप में यह सुरक्षा उस जनवर्ग के लिए है जो कि अकेले, योग्यता एवं दूर-दर्शिता से अपने को पूर्णतया भावी सफ्टो से सुरक्षित नहीं कर सकता है। मि० क्लाइव के शब्दों में—

१ “Husband Justice & we Shall garner Peace”—I L O.

“जनतन्त्र राज्य के नागरिक को अधिकृत रूप से पर्याप्त भोजन मिलना चाहिये ताकि वह स्वस्थ रह सके। उसके लिए उचित श्रणी का आश्रय, वस्त्र एवं ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिये। उसे शिक्षा के पूर्ण एवं समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये …… उसे बेकारी, अस्वस्थता एवं वृद्धावस्था के संकटों से सुरक्षित किया जाना चाहिये। विशेष कर सन्तान का जन्म माता-पिता के लिए विपत्ति का संदेश नहीं होना चाहिये।”

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत दो योजनाएँ आती हैं—

(१) सामाजिक सहायता ।

(२) सामाजिक बीमा

सामाजिक सहायता वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ चन्दा नहीं देना पड़ता और सारा खर्च सरकार स्वयं अपने पास से करती है।

सामाजिक बीमा वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को भी कुछ न कुछ चन्दे के रूप में देना पड़ता है। सामाजिक बीमा कर्मचारी, सरकार और मालिक तीनों का सामूहिक प्रयत्न होता है।

सामाजिक बीमा (Social Insurance)

सामाजिक बीमा वह संगठन है जो कि अपने सदस्यों को बेकारी, बीमारी और अन्य आकस्मिक संघटा में एक अनिश्चित आधार पर पर्याप्त लाभ प्रदान करता है। यह लाभ उस कोष से पहुँचाया जाता है जो कि मजदूरों, मालिका और राज्य के अशदान से एकत्रित होता है। चूँकि मजदूर इस कोष में अशदाता के रूप में होते हैं इसलिए उनको यह लाभ अधिकार के रूप में मिलता है। अपने सदस्यों की आय के रुक जाने पर उनके लिए एक उचित रहन-सहन का स्तर प्रदान करना सामाजिक बीमा योजना का मुख्य कार्य है।

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत निम्न योजनाएँ आती हैं—

(१) स्वास्थ्य बीमा, (२) औद्योगिक अयोग्यता बीमा, (३) बेकारी बीमा, (४) मातृत्व हिता लाभ, (५) वृद्धावस्था में पेन्शन, और (६) विधवाओं एवं अनाथों के लिये पेन्शन।

भारत में आवश्यकता एवं महत्त्व

भारत अपनी निर्धनता के लिये सर्वविदित है। भारतीय श्रमिक इतने निर्धन हैं कि सफट काल के लिये कुछ धन राशि बचा कर रखना उनकी सामर्थ्य के बाहर

है। उनकी दरिद्रता ही इस बात की साक्ष्य है कि सामाजिक बीमा का महत्व हमारे देश में क्या हो सकता है। श्री अदारकर के शब्दों में—

“You do not have to go out of your way to make out a case for social security. The agonising Indian scene cries out clamorously for it.”

भारतीय श्रमिकों को अचकारमय भविष्य की कल्पना से मुक्त करके उन्हें चिन्ताओं से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इससे उनके अन्दर नवीन चेतना एवं स्फूर्ति का जन्म होगा और उनकी कार्यक्षमता में अपार वृद्धि होगी। आज राजनैतिक स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत आर्थिक मोक्ष का पथ खोज रहा है। श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ने पर देश में उत्पादन की वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त भारत में मलेरिया, चेचक आदि बीमारियों के प्राधिक्य के कारण भी श्रमिकों की आर्थिक दशा शोचनीय रहती है। मरीजी के कारण वे चिकित्सा का भी उचित प्रबंध नहीं कर पाते। लालों व्यक्ति इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिसका दुष्परिणाम उनके कुटुम्बियों की सुगमता पड़ता है। जो बीमारी से बच जाते हैं, वे कमजोर और अकुशल हो जाते हैं। देश की आर्थिक सम्भ्रता कुशल एवं हृष्टपुष्ट श्रमिकों पर ही निर्भर है। Royal Commission on Labour के शब्दों में—

“Even a small step in the prevention of these ills would have an appreciable effect in increasing the wealth of India; a courageous attack on them might produce a revolution in the standard of life and poverty.”

सामाजिक सुरक्षा का एक उद्देश्य बेकारी के समय में उदसों की रक्षा करना भी है। भारत में पैरोनगारी एवं बेकारी की समस्या आज की सबसे जटिल समस्या है। आमदनी के एक जाने पर पूरे परिवार पर विपत्तियों का धादल मँडराने लगता है। बेकारी असतोष की जननी है। सामाजिक बीमा इस विपत्ति को काफी सीमा तक दूर रख सकता है। श्री खाडूभाई देसाई के शब्दों में—

“सामाजिक सुरक्षा का पथ लम्बा एवं कठिन अवश्य है, परन्तु यह एक ऐसी रचना है जिसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उपद्रवों को शान्त किया जा सकता है और राज्य में सतोष की भावना फैलाई जा सकती है।”^१

१ “The road to social security may be long and tough, but that is the only way of avoiding violating economic and social upheavals and of building up a prosperous and contented State”—Shri Khandubhai Desai

भारत समाजवादी दम का समाज निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। लोक हितकारी राज्य की स्थापना तभी समभव हो सकती है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हों और प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिये समाज का कर्तव्य है कि आवश्यकताएँ एवं उच्छ्रित काल में वह अपने सदस्यों की सहायता करे। भारत पुरुषरूप से लोक हितकारी राज्य उसी दिन होगा जब वह देश से निर्धनता, रोग, गंदगी, निरक्षरता एवं बेकारी का अन्त कर देगा। सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। धन का असमान वितरण समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम करने में मुख्य बाधा है तथा पूँजीवाद का पोषक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा भारत धन के वितरण की विषमता भी दूर करने में सफल हो सकता है। श्री जे० डन्लू० केन्ट (Shu J W Kent) के शब्दों में—

“Health Insurance is in itself a shift of purchasing power from the healthy to the sick”

आज भारत की प्रमुख समस्या ‘अधिक उत्पादन’ की समस्या है जिसके बिना राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। श्रमियों को भावी विन्ताओं से मुक्त दिलाकर, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता प्रदान करके, एवं उनके हृदय में यह विश्वास उत्पन्न करके कि सारा समाज उनके साथ सहानुभूति रखता है, सामाजिक सुरक्षा उनके जीवन में नवीन चेतना एवं उत्साह का प्रादुर्भाव उत्पन्न करेगी और वे यह समझने के लिये विवश हो जाएंगे कि समस्त समाज उनका है और वे समस्त समाज के हैं और समाज के हित में उनका हित निहित है। ऐसी परिस्थितियों में उनका राष्ट्र के उत्पादन में धन, मन, धन से सहयोग प्रदान करना स्वाभाविक ही हो जाता है। श्री बीवरेज (Shri Beveridge) के शब्दों में—

“In a sense the poorer you are, the more you need social security—by maintaining your health it will help you to increase productivity.”

भारत में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति

राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पहले, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, केवल श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) और मातृका हित लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) थे। वर्ष १९२३ में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पार

किया गया जिसके अन्तर्गत बड़े बड़े मिलों में काम करने वाले मजदूरों की यदि काम करते समय मृत्यु हो जाती थी या चोट लग जाती थी जिससे कि वे थोड़े समय के लिये ग्रथना जीवन भर क लिये असमर्थ हो जाते थे तब उनको मालिकों की ओर से नश्वद क्षतिपूर्ति (हर्जाना) मिलती थी। यह अधिनियम आज जम्मू एव काश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है। परन्तु जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरम्भ हो गई है वहाँ यह अधिनियम नहीं लागू होता है।

मातृका हित लाभ सम्बन्धी अधिनियम विभिन्न प्रान्तों द्वारा पास किया जाता है। बम्बई ने १९२६ में, मध्यप्रदेश ने १९३० में, मद्रास ने १९३४ में, उत्तर प्रदेश ने १९३८ में, बंगाल ने १९३६ में, पंजाब ने १९४३ में, आसाम ने १९४४ में और बिहार ने १९४५ में मातृका हित लाभ अधिनियम पास किया। इसके अन्तर्गत मिलों में काम करने वाली स्त्रियों को उनके शिशु जन्म के कुछ सप्ताह पूर्व और कुछ सप्ताह परचात् तक छुट्टी मिल जाती है और इस छुट्टी के समय उनको लगभग आधा वेतन भी मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने १९४१ में स्त्रियों में काम करने वाली मजदूर स्त्रियों के लिये भी इस प्रकार का नियम बना दिया है।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों में क्षतिपूर्ति का दायित्व केवल मालिकों पर ही था। इसमें केवल सामाजिक बीमा के अन्तर्गत आने वाले कुछ माषी सबरों से रक्षा प्रदान करने का ही आगोजन था। अतः इनको सामाजिक बीमा योजना का अङ्ग नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्षतिपूर्ति का उच्चदायित्व मालिकों पर ही रखा गया है और ये नियम केवल मिन या फैक्टरी के अन्दर होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा प्रदान करते हैं। इसक यतिरिक्त ये अधिनियम केवल बड़ी बड़ी फैक्टरीयों में ही लागू होने के कारण कुछ थोड़े से श्रमिकों को ही रक्षा प्रदान कर सकते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(Employee's State Insurance Scheme)

वास्तव में स्वाधीन भारत में ही सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न कुछ सीमा तक हल हो सका है। २ अप्रैल १९४८ के पावन दिवस पर भारतीय लोक सभा ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम पास किया। परन्तु इसका कार्य अनेक कठिनाइयों के कारण शीघ्र आरम्भ न हो सका। ६ अक्टूबर १९५१ को इस अधिनियम का संशोधन फिर हुआ, और इसका शुभारम्भ २४ फरवरी १९५२ को ही भारत की कोटि-कोटि जनता के हृदय सम्राट् प० जवाहरलाल नेहरू क कर कमलों द्वारा सम्भव हुआ। यह अधिनियम जम्मू एव काश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू

होता है। यह सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के कारखानों एवं प्रत्येक मजदूर को ४०० रु० तक प्रति मास पाते हैं, पर लागू होता है।

प्रबन्ध (Administration)

इस योजना का प्रबन्ध कर्मचारी राज्य बीमा प्रमण्डल द्वारा किया जाता है। इस प्रमण्डल में शासकीय प्रमण्डल के ३८ सदस्य हैं, जिसमें केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों, नियोक्ताओं एवं मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार इसमें केन्द्रीय सदस्य तथा डाक्टरी पेशे के प्रतिनिधि भी हैं। कार्पोरेशन का शासन प्रबन्ध एक स्थायी समिति करती है जिसमें १३ सदस्य होते हैं, जो इन्हीं ३८ सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस स्थायी समिति पर मजदूर एवं नियोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व होता है। इसी प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत औपधोपचार एवं चिरित्सा सम्बन्धी मुविधाओं का आयोजन करने तथा सलाह देने के लिये डाक्टरों की भी एक परिषद् बनाई गई है। इस औपधोपचार लाभ समा (Medical Benefits Council) के २८ सदस्य हैं।

आर्थिक व्यवस्था (Finance)

इस कार्यक्रम का आर्थिक प्रबन्ध कर्मचारी बीमा राज्य कोष (Employee's State Insurance Fund) से होता है। इस कोष में मालिकों एवं मजदूरों का चन्द्रा, केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के द्वारा दिया गया धन, और स्थानीय सरकारों के अनुदान एवं व्यक्तिगत सहायता शामिल है। प्रथम पाँच वर्षों तक प्रमण्डल के शासन सम्बन्धी उत्तर्ण का ३ भाग सरकार स्वयं देगी।

मालिकों एवं मजदूरों के अशदान के दर निम्नलिखित हैं—

भूति समूह		मजदूरों का चन्द्रा	मालिकों का चन्द्रा	योग
		रु. आ. पा.	रु. आ. पा.	रु. आ. पा.
(१) दैनिक वेतन	१) से ४) तक	—	०-७-०	०-७-०
(२) "	५) से ११) तक	०-२-०	०-७-०	०-९-०
(३) "	११) से २) तक	०-४-०	०-८-०	०-१२-०
(४) "	२) से ३) तक	०-६-०	०-१२-०	१-२-०
(५) "	३) से ४) तक	०-८-०	१-०-०	१-८-०
(६) "	४) से ६) तक	०-११-०	१-६-०	— १-०
(७) "	६) से ८) तक	०-१५-०	१-१४-०	२-१३-०
(८) "	८) से अधिक	१-४-०	२-८-०	३-१२-०

श्रमिकों को लाभ (Benefits)

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

(१) बीमारी हित लाभ—बीमारी के समय श्रमिकों को उनके दैनिक वेतन का $\frac{2}{3}$ नकद दिया जाता है। ऐसी सहायता एक वर्ष में अधिक से अधिक ५६ दिन के लिए ही मिल सकती है। श्रमिकों को अधिनियम में बताये गये चिकित्सक के द्वारा इलाज कराने पर एव प्रमाण पत्र के आधार पर यह लाभ दिया जाता है।

(२) मातृका हित लाभ (Maternity Benefit)—इसमें बीमायुक्त स्त्री श्रमिकों को शिशु जन्म के ६ सप्ताह पहले एव ६ सप्ताह बाद तक छुट्टी मिलती है और लाभ की दर बीमारी लाभ की दर के समान ही है। परन्तु यह सहायता प्रतिदिन १२ आने से कम नहीं हो सकती।

(३) असमर्थता हित लाभ (Disablement Benefit)—बीमायुक्त श्रमिकों के अयोग्य हो जाने पर निम्न रूप में आर्थिक सहायता मिलती है—

(अ) अस्थायी (temporary) अयोग्यता में लाभ की धनराशि 'पूर्ण दर' (Full rate) होती है।

(ब) स्थायी आंशिक अयोग्यता (Permanent Partial disablement) में पूर्ण दर (Full rate) कुछ प्रतिशत के हिसाब से जीवन भर के लिए लाभ प्राप्त है जैसा कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) में दिया हुआ है।

(घ) स्थायीपूर्ण अयोग्यता (Permanent disablement) में पूर्ण दर (Full rate) पर जीवन भर के लिए नकद आर्थिक सहायता मिलती है।

नोट—पूर्ण दर (Full rate) से तात्पर्य बीमा किये हुये मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी का आधा भाग है।

(४) आश्रितों को लाभ (Dependant's Benefit)—जब बीमायुक्त श्रमिक कार्य करते समय मर जाता है तो उसके आश्रित निम्न रूप में नकद आर्थिक सहायता पाने के अधिकारी हैं—

(अ) विधवा को जीवन भर के लिए या जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है पूर्ण दर का $\frac{3}{4}$ भाग मिलता रहेगा। यदि विधवाएँ दो हैं तो यह लाभ दोनों में बँट जायगा।

(ब) गोद लिए हुए या निज के लड़के या लड़कों को पूर्ण दर का $\frac{2}{4}$ भाग जब तक वह १५ वर्ष का नहीं हो जाता, मिलता रहेगा।

(घ) प्रत्येक अनिवाहित लड़की को पूर्ण दर का २/५ भाग जब तक कि वह १५ वर्ष की नहीं हो जाती या विवाह नहीं कर लेती है, मिलवा रूहना ।

उपर्युक्त दोनों दशांश में यह सहायता १८ वर्ष तक जारी रहेगी, यदि वह लड़का या लड़की प्रमनडल के सम्बन्ध में अनुसर विद्या प्राप्त करते रहते हैं ।

(द) विधवा या बच्चों न न होने पर वह लाभ धनिक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाता है जिसकी दर चर्चित अधिनियम (Workmen's Compensation Act) के अन्वय द्वारा निर्धारित की जाती है । लेकिन वह सहायता किसी भी हालत में पूर्ण दर के आधे से अधिक नहीं हो सक्ता ।

(५) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ (Medical Benefit)—यह लाभ मरद नहीं प्राप्त होता है । इसमें बीमार, चोट व कारण अयोग्यता या पुन बन्ध के समय निःशुल्क चिकित्सा होती है । बीमार्युक्त मजदूर जब भी बीमारी या पुन बन्ध व सम्बन्ध में प्रार्थना पर दें वे इस प्रकार की सहायता के अधिकारी हैं । वह चिकित्सा प्रमनडल द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय में होता है । अब यह लाभ बीमार्युक्त मजदूर के परिवार व अन्य सदस्यों को भी प्रदान किया जाता है ।

योजना की प्रगति

अब यह योजना निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में लागू कर दी गई है—

क्षेत्र		लाभ प्राप्त करने वाले अनिवासी की संख्या
(१) उत्तर प्रदेश—	कानपुर	८६,०००
१ जनवरी, १९५६	{ लखनऊ आगरा सहारनपुर }	२०,०००
१ अप्रैल, १९५७	{ बनारस इलाहाबाद रामपुर कल्यानपुर (कानपुर) }	१४,०००

क्षेत्र	लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या
(२) दिल्ली	५५,०००
१ अप्रैल, १९५८	१२,०००
२८ मार्च, १९५६	१०,०००
(३) पंजाब—	
मई, १९५३	१५,०००
(४) मध्य प्रदेश—	
अनवरी, १९५५	५२,०००
	३,०००
(५) बम्बई—	
शुक्रार्थ, १९५४	२२,०००
	५,२५,०००
	१०,०००

क्षेत्र		लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या
(६) मद्रास—	मद्रास	५२,०००
जनवरी १९५५	कोयम्बटूर	३६,०००
	३ अन्य औद्योगिक केन्द्र	३७,०००
(७) आन्ध्र—	हैदराबाद	
सन् १९५५	सिकन्दराबाद	१८,०००
	७ अन्य औद्योगिक केन्द्र	१७,०००
(८) बंगाल—	{ कलकत्ता एव हावड़ा जिला }	२,३६,०००
(९) केरल—७	औद्योगिक केन्द्र	१७,०००
(१०) राजस्थान—६	औद्योगिक केन्द्र	
१ दिसम्बर १९५६	जैपुर	१६,०००
	जोधपुर	
	बीकानेर	
	लखेरी	
	पल्ली	
बलवाड़ा		
(११) मैसूर—	बगलौर	५०,०००
२६ जुलाई १९५८	{ गगानगर धोलपुर }	२०००
२८ मार्च १९५९		
		कुल श्रमिक १२,५१,०००

कर्मचारी प्रावीडेंट फंड योजना

(Employees' Provident Fund Scheme)

कर्मचारी प्रावीडेंट फण्ड योजना स्वतन्त्र भारत में सामाजिक सुरक्षा की ओर दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिये विधेयक सन् १९४८ में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन वह पास नहीं हो सका। १५ नवम्बर १९५१ को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश (आर्डिनेन्स) द्वारा इसे लागू किया और मार्च १९५२ में इसका कानून भी पास हो गया। प्रारम्भ में यह योजना केवल ६ उद्योगों में लागू की गई जो इस प्रकार हैं—(१) सीमेंट (२) सिगरेट (३) इन्डियनिरॉड (४) लोहा एव स्पाट (५) कागज (६) सूती, रेशमी ऊनी, एव जूट के मिलों में। कुल मिला कर १९५६ मिलों के लगभग १५,००,००० मजदूरों को इससे लाभ प्राप्त हुआ। इन उद्योगों के प्रत्येक श्रमिक को जिसने एक सल की लगातार नौकरी की है कोप का सदस्य होने का अधिकार है। मजदूरों एव मालिकों के इस अदान की दर मजदूरी, मँहगाई और अन्य सहायता को लेकर रुपये में एक आना है। कोप के शासन सम्बन्धी व्यव का ३ प्रतिशत मालिकों को देना पड़ता है। Coal-mines Provident Fund की तरह इसमें भी सरकार के प्रतिनिधि और मजदूरों एव मालिकों के प्रतिनिधि कोप के शासन के सम्बन्ध में रहते हैं। सितम्बर १९५६ तक इस कोप की कुल एकाग्र धनराशि ५५ करोड़ रुपये थी। धन जमा करने का कार्य केन्द्रीय सरकार क नाम होता है और सदस्यों को ३ प्रतिशत ब्याज भा देना जाता है।

१ अगस्त १९५६ से यह योजना १४०० कारखानों के करीब ४,००,००० मजदूरों पर और लागू कर दी गई। इसमें चान के बागीचों के श्रमिक, खान में काम करने वाले, शकर, दियासलाह और शीशे के कारखानों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं।

८ दिसम्बर १९५६ को इस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार यह योजना उन श्रमिकों पर भी लागू की जा सकती है जो कारखानों में काम नहीं करते हैं।

३१ दिसम्बर १९५६ से यह योजना समाचार पत्रों के श्रमिकों पर भी लागू कर दी गई है। ३० जून १९५७ तक यह योजना ३० नये उद्योगों में लागू की गई जिनमें मुख्य नील, लाल, भापी रसायन, रबड़, विद्युत, काँची, लौंग इलायची आदि हैं। लोकसभा में अभी हाल ही में कर्मचारी प्रावीडेंट फंड (संशोधन) विधेयक, १९५८ स्वीकार किया गया है। इसका उद्देश्य मूल अधिनियम को उन स्थानों पर लागू करना है जो सरकार या स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व के अन्तर्गत संचालित

हैं। ३० अप्रैल १९५८ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत २६,७२,००० मजदूरों वाले ६५५८ कारखाने शामिल हैं। इस प्रगति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह समय दूर नहीं जब यह योजना भारत के प्रत्येक उद्योग में लागू हो जायगी, विशेष रूप से जब कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर है।

छूटनी का भत्ता (Retrenchment Compensation Scheme)

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत यह तृतीय योजना है। यह योजना उन सभी कारखानों में लागू होगी जो औद्योगिक संघर्ष अधिनियम १९४७ (Industrial Disputes Act, 1947) के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सकगा जिन्होंने लगातार कम से कम एक वर्ष नौकरी कर ली है। किसी भी श्रमिक की छूटनी हो जाने पर उसको प्रत्येक वर्ष के लिए—जितने वर्ष उतने नौकरी की हो—१५ दिन के पारिश्रमिक के बराबर रकमा प्राप्त हो सकेगा। यदि कोई श्रमिक स्वयं ही नौकरी छोड़ देता है तब उसको कुछ भी लाभ न प्राप्त होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pensions Scheme)

वृद्धावस्था पेंशन योजना वास्तव में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि यह योजना उत्तर प्रदेश को छोड़कर अभी विस्तृत रूप से सम्पूर्ण भारत में नहीं अपनाई गई, तो भी उत्तर प्रदेश का यह कदम अन्य राज्यों के लिए अग्रदूत सिद्ध होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

इस योजना को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने राज्य में सन् १९५७ से लागू किया है। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा २५ लाख रुपये की धनराशि अलग रखी गई है जिसके अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को, जिनकी आयु ७० वर्ष या अधिक है और जिनको सहारा देने वाला कोई कुटुम्ब का व्यक्ति नहीं है, सहायता प्रदान की जायगी। भीख माँगने वाले या जिनको सेवा आश्रमों द्वारा सहायता मिलती है इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते। सहायता श्रम कमिश्नर द्वारा मन्जूर की जायगी। ऐसे व्यक्ति जो इस सहायता का सदुपयोग न करेंगे अथवा जिनका चाल चलन ठीक न होगा उनको जाँच करने के उपरान्त सहायता न दी जायगी। सहायता के रूप में क्या धनराशि दी जायगी, यह इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या पर निर्भर होगा। ऐसी सभावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम १५ रुपये माहवार अवश्य मिल सकेगा। केवल वही व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कम से कम एक वर्ष से रह रहे हैं इस सहायता के भागी हो सकते हैं।

आलोचनात्मक विस्तोपय

उपर्युक्त योजनाओं पर एक निहगम दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक छोटा सा प्रारम्भ है। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ पर अभी तक केवल थोड़े से सक्कों से सुरक्षित रखने का प्रवन्ध हो रहा है। केवल वे मजदूर ही जो ४०० रुपया मासिक से कम वेतन पाते हैं और कारखानों में काम करते हैं, सामाजिक बीमा योजना से लाभ उठा पाते हैं। बाकी सभी श्रमिक इसका अन्तर्गत नहीं आते। यह सरया जो लाभ प्राप्त कर सकती है, पूर्ण भारत की जनसख्या का एक बहुत थोड़ा भाग है। कृपि श्रमिक तो अभी तक इस योजना के क्षेत्र के बाहर ही हैं। इसके अतिरिक्त आज भी बकारी हित लाभ, वृद्धावस्था हित लाभ, नि शुल्क शिक्षा इत्यादि भारत के लिए स्वप्न हैं। अस्पतालों की अर भी कभी है और चिकित्सा का प्रव-व सतोपबन्नक नहीं है। अस्वी दवाओं का अभाव है।

उपसहार

यह सत्य है कि कर्मचारी राज बीमा योजना में कई दोष हैं। इसमें भी उ देह नहीं है कि भारत सरकार अभी तक सभी भावी सक्कों से श्रमिकों को सुरक्षित नहीं कर सकी है। यह भी ठीक ही है कि अभी भारत की जनसख्या का केवल थोड़ा भाग ही इस योजना से लाभ उठा सकता है और कृपि श्रमिक त्रय भी इसके क्षेत्र के बाहर हैं। परन्तु यह खब होते हुये भी इसमें अन्देह नहीं है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा की ओर यह कदम सराहनीय है क्योंकि एशिया में भारत पहला देश है जिसने इतने बड़े पैमाने पर इस ओर कार्य किया है। भारत पश्चमी देशों से भले ही पाछ हो परन्तु वे देश जो दासता की शृङ्खलाओं से अभी मुक्त हुए हैं उनमें भारत अग्रगण्य है। आज भारत को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए कोषों का आवश्यकता है और यही कारण था कि पूर्णरूपेण सुरक्षा की योजना कार्य रूप में नहीं परिशित की जा सकी। शास्त्र में कर्मचारी बीमा एव फंड, छुटनी के भत्त एव वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रारम्भ है जिन्होंने प्रारम्भ में सहस्रों श्रमिकों के अवकारमय भविष्य में प्रकाश का किरण उत्पन्न कर दिया है। सत्य तो यह है कि ये योजनाएँ आज भारत में एक छोटे-से अक्षुर के समान हैं जो एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में उग आने की शक्ति रखती हैं और अपना पूर्णता में आने पर ये उन तमाम व्यक्तियों को आश्रय एव छाया प्रदान कर सकेंगी जो इसे चाहते हैं।

श्री जगजीवनराम के शब्दों में

“यद्यपि हमारा यह प्रयास बहुत ही लघु सा प्रारम्भ है, परन्तु इस रूप में हम उस नींव की स्थापना कर रहे हैं जिसके ऊपर स्वतन्त्र भारत के आर्थिक विकास का मञ्च भवन निर्मित होगा।”^१



^१ “Although we are making a small beginning, it is the corner stone of a great edifice which a free country seeking its Economic salvation must build.”
—Jagjivan Ram.

श्रम-कल्याण

(Labour Welfare)

श्रम कल्याण एक ऐसा शब्द है जो विविध आशयों की ओर इंगित करता है और इसी कारण से विभिन्न देशों ने इसका आशय भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त किया है। विभिन्न आशयों के प्रयुक्त होने से विभिन्न देशों में इसका समान महत्व नहीं रह सका। राजकीय आयोग (Royal Commission) के शब्दों में—

“It is a term which must necessarily be elastic, bearing a somewhat different interpretation in one country from another, according to the different social customs, the degree of industrialisation and the educational development of the workers”

संयुक्त राज्य के श्रम सांख्यिक ब्यूरो के अनुसार—

“Anything for the comfort and improvement, intellectual and social, of the employees, over and above wages paid, which is not a necessity of the industry nor required”

श्रम कल्याण की परिधि में पूँजीपतियों द्वारा सम्पन्न ऐच्छिक कार्यों का समावेश होता है जिसमें कार्य करने की उत्तम दशाएँ, फैक्टरी में रोजगार प्रदान करना, श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार एवं शांति में वृद्धि, सुरक्षा, मानसिक एवं चारित्रिक प्रगति, सामान्य कल्याण वृद्धि तथा औद्योगिक कुशलता में वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। इसका सञ्चालन एवं संगठन श्रमिक, पूँजीपतियों अथवा अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा होता है। यह कार्य अशिक्षित एवं अनभिज्ञ श्रमिकों के प्रति कर्तव्य की भावना का अभिव्यक्ति स्वरूप है।

असह्यकारी कार्यों में श्रमिकों के लिए गृह, औषधि, शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन के साधन, सहकारी समितियाँ, जलपानगृह, शिशुगृह, स्नानगृह, स्वास्थ्य-वर्द्धक खाद्य पदार्थ, यातायात, प्रावीडेंट फण्ड तथा जीवन बीमा इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित की जाती है। सन्धेप में श्रमिक वर्ग को गराबी, अज्ञान, सामाजिक

असमानता, दक्षिणमुखी दृष्टिकोण, शीमारी एवं मलिन जीवन के बन्धनों से मुक्त कराने वाले सघर्ष क सनो पहलू उसमें निहित हैं।

श्रम कल्याण कार्य के उद्देश्य—

असहितकारी कार्य औद्योगिक जनतंत्र की आधार शिला है जिसके अभाव में सुखवस्थित सामाजिक संगठन असम्भव है। श्रम कल्याण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) मानवीय कल्याण (२) आर्थिक उत्थान। नियोजित इसमें आर्थिक बचत के उद्देश्य से देवता है। परन्तु श्रमिकों के मध्य निर्धनता तथा असन्तोष क्रांति के रूप में परिणित होकर न केवल उद्योगों को ही नष्ट कर सकते हैं वरन् समस्त समाज का समूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सानेतिक जीवन भी क्षिन्न भिन्न कर सकते हैं। औद्योगिक कलहों की एक मात्र जड़ श्रमिकों में असन्तोष रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप सामाजिक सघर्षों की उत्पत्ति हुई। औद्योगिक शक्ति को चिरस्थायी बनाने के हेतु श्रम कल्याण अत्यन्त अनिवार्य है। रामराज की साकार कल्पना, जिसमें एक सुखवस्थित सामाजिक न्याय की स्थापना हो, निना औद्योगिक शक्ति क असम्भव ही प्रतीत होती है।

आज भारतीय श्रमिक निर्धनता, अनभिज्ञता एवं आलस्य के अन्वचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यदि उनके जीवन को सुखमय तथा औद्योगिक प्रगति में चार चाद लगाने हों तो इन श्रम कल्याण कार्यों द्वारा ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन आदि की समस्याएँ श्रमिकों के समक्ष हैं। श्रमिकों के अल्पजन क लिए वाचनालया एवं पुस्तकालयों का प्रबन्ध आवश्यक है। उनका बच्चों क पढ़ने क लिए नवीन स्कूलों एवं खेलकूद का भी आय जन होना चाहिए। यदि इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए श्रम कल्याण की योजना आरम्भ कर दी जाय तो निःसन्देह वह समय दूर नहीं जब कि भारत औद्योगिक प्रगति के पथ पर चलता हुआ अपनी आर्थिक मोक्ष की मज्जिन तक सुविधापूर्वक पहुँच सक्ता।

भारत में श्रम कल्याण का महत्व

श्रम कल्याण श्रमिकों के जीवन को सुखमय बनाने का एकमात्र प्रयत्न है क्योंकि इससे प्राप्त सुविधाओं क कारण श्रमिकों का आकर्षण कारखानों की ओर बढ़ेगा तथा जीवन की नीरसता कम होगी। इसके साथ ही साथ उनका नैतिक स्तर भी उच्च होगा एवं नागरिक उत्तरदायित्व की भावना का भी उदय होगा। श्रमिक वर्ग हमारे सामाजिक जीवन की गाड़ी का धुरा है, राष्ट्र की सम्पत्ति का उत्पादक एवं राष्ट्रीय जीवन की प्रगति का पोषक है।

श्रम कल्याण औद्योगिक यन्त्र का चलनशक्ति स्रोत है

औद्योगिक यन्त्र के दो प्रमुख तत्व हैं—प्रथम, पूँजीपतियों द्वारा विनियोजित धनराशि और द्वितीय मानवीय श्रमशक्ति जो कि निश्चेष्ट धनराशि में सक्रियता एवं कार्यशीलता का बीजारोपण करती है। अतएव उद्योग के हित में मानवीय तत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। श्रम तथा पूँजी औद्योगिक यन्त्र के दो विशाल पहिये हैं जिनके साथ-साथ चलने पर ही किसी उद्योग की प्रगति निर्भर है। इसलिये इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रम कल्याण के कार्यों के कार्यान्वित होने से श्रमिक सन्तुष्ट रहेंगे और औद्योगिक यन्त्र भी अपनी तीव्र गति से प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा।

वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र में श्रमिक तथा पूँजीपतियों में परस्पर द्वन्द्व चल रहा है जिसका प्रमुख कारण श्रमिक की निराशा, निर्धनता, एवं विद्रोह की भावना है। अतः औद्योगिक जगत में शांति की स्थापना के हेतु सहकारिता, सद्भावना तथा श्रम कल्याण की अत्यन्त आवश्यकता है। श्रम कल्याण के कार्य ही श्रमिकों में सद्भावना एवं नवीन श्रुति उत्पन्न कर सकते हैं। आज यह स्पष्ट रूप से विदित हो चुका है कि समस्त उत्पादन की मुख्य आधारशिला श्रमिक ही हैं। इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय उत्पादन एवं विकास के साथ खिलवाड़ करना होगा। वास्तव में अन्तिम ही देश के औद्योगिक ढाँचे के निर्माणकर्त्ता हैं। श्री जे० स्मिथ (J. Smith) के शब्दों को इस स्थान पर उद्धृत करना अतिशयोक्ति न होगी—

“Machinery is not more important than human life, profits are not more sacred than the baby in the workman's family, dividends have no priority over the security of the employee in his job, economic control of a plant does not give the right to exclude the working partner in the enterprise from a rightful voice in relations that vitally affect his just return of the things produced.”

न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना

आज भारत एक बहुपक्षकारी राज्य की स्थापना समाजवादी ढंग पर करने का प्रयत्न करके महात्मा गाँधी के साम्राज्य की कल्पना को साकार करना चाहता है। धन के समान वितरण के अभाव में इस उद्देश्य की पूर्ति कठिन प्रतीत होती है। अतः समाज में समान धन का वितरण होना अनिवार्य है। आधुनिक युग में कोई भी समाज बिना सेवा भाव से स्थिर नहीं रह सकता। अतएव श्रम-कल्याण के कार्य एक ऐसे सुन्दर सामाजिक न्यायसंगत व्यवस्था की स्थापना कर सकने में सफल होंगे जो

कि राष्ट्र का पूर्णरूपेण आर्थिक विनाश कर सकने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। श्रम कल्याण पर किया गया व्यय निश्चय ही धन के समान वितरण में सहायक सिद्ध होगा।

सतुष्ट, स्थायी तथा कुशल श्रमशक्ति

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के अशुशल होने का एकमात्र कारण निर्धनता एवं उनका अशिक्षित होना है। सरकार एवं नियोक्ताओं द्वारा अभी तक इनकी शिक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि टाटा न श्रमकों के बच्चों के लिये पाठशालाओं का आयोजन किया है, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी इस ओर सहायनीय कार्य किये हैं, परन्तु राज्य को भी प्राथमिक नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिये जिससे कि श्रमिकों की अशिक्षितता एवं अज्ञानता को दूर किया जा सक। भारतीय श्रमिक असहनीय एवं कष्टदायक वातावरण में कार्य करने के पश्चात् जब कारखाने से निकलता है तो उसे मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता होती है जिसके अभाव के कारण वह शराबी, जुआड़ी, चेशामामी हो जाता है। श्रम कल्याण कार्यो क सम्पन्न होने से न केवल उसके जीवन तथा कार्य में ही सुधार होगा, वरन् उत्पादन की वृद्धि होगी जिसमें ही राष्ट्र का उत्थान एवं विकास निहित है।

उत्पादन शक्ति में वृद्धि

उत्पादन, अधिक उत्पादन तथा अत्यधिक उत्पादन ही आज भारत का मारा है तथा इस पर ही देश की सम्पन्नता आश्रित है। जब श्रमिक यह अनुभव करने कि उद्योगपति तथा सरकार उनके प्रतिदिन के जीवन को भली भाँति सुखी, सम्पन्न एवं उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसकी मानसिक शक्ति सतुष्टता में परिणत हो जायगी। वह उद्योग में अधिक उत्सुकता, लगन तथा परिश्रम से कार्य करेगा एवं अपना तन, मन, धन लगाकर उसको उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करेगा। सतुष्टता ही स्वेच्छा पूर्वक कार्य के कुशल सम्पादन की प्रेरणा है। श्रम कल्याण एक विनियोग है जिससे उद्योगपतियों तथा देश दोनों को ही लाभ होगा।

श्रम कल्याण मानवता की पुकार है

श्रमिक मानव है और उसका साथ पशु के समान व्यवहार कहाँ तक न्याय संगत कहा जा सकता है। श्रमिक के पारिश्रमिक का निर्धारण निर्जीव एवं चेतनाहीन वस्तुओं के मूल्य के समान कदापि नहीं किया जा सकता। मानव के नाते उसको वे सभी जीवन की सुविधाएँ प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार है जो मानव को पशुओं से भिन्नता प्रदान करती हैं। आज समय की पुकार के साथ-साथ उनको मानव होने

के नाते समाज में उचित स्थान देना ही होगा, यह अनिवार्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। श्रम कल्याण कार्य इस दिशा में उचित कदम होगा, इसमें सन्देह नहीं। श्री जे० सिन्ध ने ठीक ही लिखा है—

“It is the birth right of those surcharged with passion and emotion, rebellious against hardships and injustices, desirous of life, and the attainment of those elemental rights and privileges which even the dullest of human beings subconsciously yearns for.”

आज भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर लड़ा है और अत्यधिक उत्पादन, समाजवादी समाज की रचना तथा सुदृढ़ जनतन्त्रवाद की स्थापना उसका उद्देश्य है। श्रम कल्याण ही भारत को उसक लक्ष्य प्राप्ति में योग प्रदान कर सकता है।

भारत में वर्तमान अवस्था

सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य

प्रथम विश्व युद्ध (१९१४-१८) तक श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय रही परन्तु युद्धोपरान्त सरकार ने श्रमिकों की ओर ध्यान दिया तथा द्वितीय महायुद्ध ने इस आन्दोलन को सहयोग प्रदान किया। इस समय श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत गिर गया था। उसके समस्त मकानों की समस्या थी, वस्तुओं का भाव भी बढ़ गये थे। इन विपन्न परिस्थितियों का प्रभाव श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा पड़ा। अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होना अनिवार्य था, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति बिना अधिक एवं कुशल उत्पादन के सम्भव नहीं थी।

द्वितीय युद्धकाल के समय में अन्न शस्त्र के कारखानों में श्रमकल्याण की योजनाओं का कार्यान्वित करना स्वाभाविक था क्योंकि इससे श्रमिकों का चरित्र की रक्षा तथा अत्यधिक उत्पादन की सम्भावना थी। धीरे धीरे ये श्रम कल्याण के कार्य व्यक्तिगत व्यवसायों में भी कार्यान्वित किये गये।

फोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक श्रम हितकारी कोष खोल दिया गया। सामाजिक बीमा, शैक्षणिक आवास, चिकित्सा तथा श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं के विषय में सरकार ने कदम उठाये। पैक्टरी कानून १९४८, खान अधिनियम १९५२ तथा उद्यान अधिनियम १९५३ के अन्तर्गत जलपानगृह, विश्रामगृह, चिकित्सा सहायता एवं श्रमिक अफसरों की नियुक्ति हुई। “अन्नक खान श्रमिक हितकारी कोष” अधिनियम १९४७ ने अन्नक खानों के श्रमिकों के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं आवास की सुविधाएँ प्रदान कीं।

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्य

इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के हेतु मकानों की व्यवस्था, काम के घटे, रोशनदान, मशीनों को टक कर रखना, चिकित्सा, और शिशु गृहों का आयोजन किया गया। ५०० या इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई।

श्रम हितकारी कोष

१९४६ में श्रम कल्याण कोष की स्थापना के लिए एक योजना बनाई गई। इस कोष की श्राव को उन समस्त श्रम कल्याण कार्यों पर व्यय किया जायगा जिनके लिए भारत के किसी भी कानून में अभी तक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। १९४७-४८ में यह कोष केवल १२,००० श्रमिकों के लिए ही था। इस कोष से श्रमिकों के बाहरी तथा भीतरी खेल कूद, वाचनालय एवं पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान की जायँगी। व्यक्तिगत व्यवसायों में श्रम हितकारी ट्रस्ट कोष की त्रिफारिश भी सरकार ने की है।

रेलवे तथा बन्दरगाहों में श्रम हितकारी कार्य

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा तथा खेल कूद की व्यवस्था रेलवे करती है। सस्ते गल्ले की दुकाने भी रेलवे कर्मचारियों के लिए चलाई गई हैं। बन्दरगाहों में भी चिकित्सालय तथा सुयोग्य डाक्टर हैं। बम्बई, कलकत्ता तथा विशाखापट्टम आदि बन्दरगाहों में सहकारी समितियाँ भी पाई जाती हैं।

राज्य सरकारों द्वारा श्रम हितकारी कार्य

बम्बई

१९३६ से बम्बई में श्रमिकों के हेतु हितकारी कार्य प्रारम्भ हुए। सन् १९३६ में इस कार्य के लिए १२,००० रु० स्वीकृत हुए जो कि धीरे धीरे बढ़ते गये। १९५३ में सरकार ने यह कार्य श्रम हितकारी बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जिसमें कि १४ सदस्यों का आयोजन है। आजकल यह बोर्ड ५४ श्रमहितकारी केन्द्रों को सहायता प्रदान करता है। इन केन्द्रों में नर्सरी स्कूल, स्त्री शिक्षा विभाग, पुरुषों के लिए मैदानी तथा भीतरी खेल-कूद की व्यवस्था, स्नानागार, चल तथा अचल पुस्तकालयों की व्यवस्था है। रेडियो तथा वाद्य यंत्र भी यहाँ रखे जाते हैं। औषधालय भी केन्द्रों में रहता है। सरकार ने अब श्रम कल्याण कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय तथा चार औद्योगिक प्रशिक्षण वर्कशॉप की व्यवस्था भी की है। यह विद्यालय बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में खाल भी दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश

सन् १९३७ के पश्चात् ही उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के हितकारी कार्यों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए कानपुर में श्रम हितकारी केन्द्र खोले गये। आजकल ४२ श्रमहितकारी केन्द्र राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहरों में हैं। यह शहर कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बनारस, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, इलाहाबाद, रुड़की, रामपुर तथा भौंसी हैं। ये समस्त चैन तीन भागों में विभक्त कर दिये गये हैं—'क' 'ख' तथा 'ग'। 'क' श्रेणी क कन्द्रा म एलोपैथिक का चिकित्सालय, पुस्तकालय व वाचनालय, बिधा क लिए कढ़ाई तथा सिलाई की कक्षाएँ, बाहरी तथा भीतरी खेल, सज्जीत, रेडियो, वाद्य सज्जीत तथा प्रसूत शहों की व्यवस्था होती है। 'ख' श्रेणी क कन्द्रों में भी करीब करीब यही सुविधाएँ हैं परन्तु यहाँ होम्नोपैथी का चिकित्सालय होता है। 'ग' श्रेणी के केन्द्रों में पुस्तकालय तथा वाचनालय, खेल-कूद, तथा रेडियो होते हैं।

१९३७ में १०,००० रुपया, १९४६ म २५ लाख रुपया तथा आजकल ८ लाख रुपया वार्षिक श्रम हितकारी कार्य में व्यय होता है। १९५४-५५ के बजट में श्रम कल्याण के हेतु ८,१८,९०० रुपया निर्धारित किया गया था।

इन समस्त श्रम कल्याण केन्द्रों के अलावा कानपुर में श्रमिका के लिए सरकारी श्रम कल्याण टी० बी० क्लीनिक भी हैं। १०० इ० प्रतिमास तक पाने वाले श्रमिकों को यह चिकित्सा सहायता प्रदान करती है।

अन्य राज्य

अन्य राज्य सरकारें भी अनेक श्रम हितकारी केन्द्रों का संचालन कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में कन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है—

पश्चिमी बंगाल	—	२५
बीरभद्र	—	२०
बिहार, हैदराबाद तथा द्रावणकोर कोचीन		३ (प्रत्येक राज्य में)
मैसूर	—	२
बहार	—	३
मध्यप्रदेश	—	४

उद्योगपतियों द्वारा श्रमहितकारी कार्य

भारत में उद्योगपति श्रम कल्याण कार्य के प्रति सदैव से उदासीन रहे हैं परन्तु आजकल उद्योगपतियों ने इस ओर कुछ विशेष जागरूकता दिखालाई है। उनके यह

अमहितकारी कार्य अधिकांश में श्रमिकों के प्रति दयाभावना तथा सरकारी बंधनों पर आधारित हैं। वे ऐसे कार्य को अपना व्यावसायिक वर्तव्य समझ कर सम्पन्न नहीं करते। भारतीय जूट मिल सघ, भारतीय चाय सघ, टाटा तथा सिंघानियाँ आदि प्रमुख हैं जिन्होंने अम कल्याण के हेतु कुछ कार्य किये हैं।

सूती मिल

नागपुर के एम्प्रेस मिल्स, दिल्ली ज्ञान जनरल मिल्स, जिवाजीराव काटन मिल्स, बर्किशम एण्ड कर्नाटिक मिल्स, मदुरा के काटन और सिल्क मिलों तथा मदुरा मिल्स कम्पनी ने अमकल्याण के हेतु अत्यन्त ही सराहनीय कार्य किये हैं। प्रसूतग्रह, जलपानग्रह, भीतरी तथा बाहरी खेल कूद, सहकारी समितियाँ, विद्यालय, प्राविडेंस फण्ड योजना तथा सस्ते मकान आदि की सुविधाएँ इनमें प्रदान की जाती हैं। समस्त मिलों ने चिकित्सालय तथा योग्य डाक्टरों का प्रबन्ध किया है।

जूट उद्योग

जूट उद्योग में अम हितकारी कार्यों को करने वाली एकमात्र संस्था जूट मिल सघ है, जिसने हजारों बाग, कनकी नाड़ा, सीरामपुर, टीटागढ़ और भद्रेश्वर में अमहितकारी केन्द्रों की स्थापना की है। इन के द्रो में मैदानी एवं भीतरी खेल कूद की व्यवस्था की जाती है। महिला कल्याणकारी समिति तथा महिला क्लब आदि को भी सगठित करने का प्रयत्न किया गया है। समस्त जूट मिलों में एक एक चिकित्सालय है। प्रसूतग्रहों के लिए क्लीनिक, शिशुग्रह तथा जलपान ग्रह आदि का भी प्रबन्ध है।

इञ्जीनियरिंग उद्योग

इञ्जीनियरिंग उद्योग में १,००० या इससे अधिक श्रमिक वाले समस्त कारखानों में चिकित्सालय हैं। स्त्री श्रमिक के लिए शिशुग्रहों का भी निमाण किया गया है। जलपानग्रह तो प्रायः समस्त कारखानों में उपलब्ध हो चुके हैं। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाओं का भी आयोजन है। १०० से अधिक श्रमिक जहाँ काम करते हैं उन कारखानों में प्राविडेंस फण्ड योजना लागू होती है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। इसमें ४०० पलंग वाला अस्पताल, ५१ डाक्टर, ८ हाई स्कूल, ११ मिडिल स्कूल और १६ प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। विशाल स्त्रीशाल तथा जलपानग्रह आदि भी हैं।

शकर उद्योग

कुछ शकर के कारखानों को छोड़कर समस्त चिकित्सालयों की व्यवस्था है तथा वे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। बहुत से कारखानों में

श्रमिकों के लिए बसबों, मनोरजन के साधनों तथा खेलकूद का भी आयोजन किया गया है। परन्तु कुछ ही कारखानों में जलपात्रगृह तथा सड़करी समितियाँ प्राप्त होती हैं। श्रमिकों के लिए मकानों का भी प्रबन्ध किया गया है।

उद्यान

आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के अधिकांश बड़े-बड़े चाय उद्यानों में अस्पताल बने हैं। श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल हैं। चिकित्सा सहायता के लिए एक कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा चार लाख रुपये उद्यान श्रमिकों की हितकारिता के लिए सुरक्षित किये गये जोकि उनकी मनोरजन की सुविधाओं तथा दस्तकारी की शिक्षा में व्यय किये जायेंगे।

श्रमिक संघों द्वारा हितकारिता-कार्य

सच तो यह है कि भारत में श्रमिक संघ अभी तक अपनी रीश्च अवस्था में हैं तथा सुयोग्य सदस्यों के अभाव में श्रमिक संघ हितकारिता कार्य को सुचारु रूप से कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। तथापि कुछ संघों ने सराहनीय-कार्य अवश्य किया है, जिनमें अहमदाबाद टैक्सटाइल श्रमिक संघ, मजदूर सभा कानपुर एवं मिल मजदूर संघ इन्दौर प्रमुख हैं। इन्होंने पुस्तकालयों, शिक्षालयों तथा क्लबों की व्यवस्था की है। कानपुर मजदूर सभा ने चिकित्सालय तथा वाचनालय का भी प्रबन्ध किया है। रेलवे संघ ने कोष, बीमे, बीमारी इत्यादि के लिए भी व्यवस्था की है। सहकारी समितियाँ भी बहुत से स्थानों में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त सभी कार्य बहुत सीमित क्षेत्र में ही किये गये हैं। आमतौर पर अब तक मजदूर संघों के मंच केवल आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति और उस जैसी अनेक कार्य-धाहियों पर प्रहार करने के मंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्षेत्र अमकल्याण के रूप में अभी अज्ञात पड़ा है जिसके द्वारा मजदूरों को आब की अपेक्षा अधिक खुशहाल, उसके वातावरण को अधिक आकर्षक, उसके सामुदायिक जीवन को अधिक सम्यन् एवं उसके सामाजिक ज्ञान को अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। कुछ बड़े श्रम संघ अवश्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं लेकिन वे अपवाद मात्र हैं। यदि धन-संघ इन कामों को अपने हाथ में ले लें तो वे सहज ही में मजदूर वर्ग के लिए धरती पर स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। धन-संघों को यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि जब तक वे एक खुशहाल मविध के निर्माण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक उनका कोई भी प्रयत्न श्रमिक वर्ग के लिए धरती पर स्वर्ग की रचना नहीं

कर सकेगा। श्रम शर्षों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे इस मामले में जागरूक हों और स्थिति को परखें क्योंकि “समय और दूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।”

अलीचन्नात्मक अध्ययन एव उपसंहार

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतया विदित होता है कि भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता वृद्धि तथा कल्याण के हेतु अब तक जितने प्रयत्न हुये हैं, अत्यन्त अल्प हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने विभिन्न श्रम केंद्रों में अनेक सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयत्न किया है परन्तु श्रमिकों की अशिक्षितता, श्रमिक शर्षों में धन का अभाव आदि को देखते हुए यह सुविधाएँ तुच्छ हैं। पूँजीपति श्रम कल्याण के प्रति उदासीन हैं अतः हमारी सरकार का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि यह उद्योगपतियों पर ऐसे बन्धन लगाये जिससे वे श्रमकल्याण काम में सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य हो जायँ। श्रम कल्याण केंद्रों को बढ़ाना चाहिये। इन सब के अतिरिक्त उद्योगपतियों को भी इसका महत्व समझना चाहिये। क्योंकि उद्योग के कुशल संचालन के लिए श्रमिकों का सतृप्त एव स्वस्थ होना आवश्यक है।

श्रम अनुसंधान कमेटी के अनुसार उद्योगपति श्रमकल्याण के प्रति अत्यन्त उदासीन हैं। परन्तु युग परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें भी चलना होगा। अब श्रमिक शोषण को नहीं सह सकता और अब इसके साथ न्याय एव समानता को प्रदान करने की तीव्र आवश्यकता है। अतः श्रमिकों की समस्या को सुलभाने में एक मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाय, तभी भारतीय श्रमिक विश्व के अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों की भांति शक्तिशाली होकर देश का नवनिर्माण कर सकेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार तथा उद्योगपतियों को समझना चाहिये कि श्रम कल्याण पर किया गया व्यय एक प्रकार से उनकी पूँजी है जो श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण अधिक उत्पादन के रूप में पुनः प्राप्त हो जायगी। श्रम कल्याण की समस्या को सुलभाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा तभी निरीह एव जर्जरित भारतीय श्रमिक अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों के समस्त कार्यकुशल होकर देश के आर्थिक विकास की नींव दृढ़ कर सकेगा। वास्तव में श्रम कल्याण मानवता के नाते श्रमिकों का जन्म सिद्ध अधिकार है जिससे उनको वंचित रखना सामाजिक अन्याय है।
विलियम जे. स्मिथ ने ठीक ही लिखा है—

“When the industrial and economic system of a country had been conducted over a series of years, on the policy and practice of rugged individualism, which treated labour

as a commodity, brooked no opposition of any kind and defied the Government and even God Himself to say No ! to its operations, the ground work for a first class industrial conflict had been layed.''

अतः देश में औद्योगिक शान्ति, समाजवादी अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक विकास की आधारशिला अम कल्याण पर ही निर्मित की जा सकती है। अम कल्याण पर ही भारत का उज्ज्वल भविष्य अवलम्बित है।



श्रम-सम्बन्धी अधिनियम

(Labour Legislation)

पिछली शताब्दी के अन्त तक राज्य का उद्योगों पर कोई भी हस्तक्षेप न था और न श्रमिकों से ही कोई विशेष सम्बन्ध था। फैक्टरी कानून के न होने के कारण उद्योगपति श्रमिकों का मुख्यतया खी एव बच्चों का शोषण करने के लिए स्वतन्त्र थे। काम करने के घण्टे लम्बे, श्रम मजदूरी एव फैक्टरी में काम करने की शर्तें अमानुषिक थीं। उस समय काम करने वाले बच्चों की आयु, छप्ताइ में लुट्टियाँ एव मशीनों में चोट लाये हुये श्रमिकों के लिए कोई सुविधा न थी। यद्यपि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ देर से हुआ किन्तु वहाँ के उद्योगपति पाश्चात्य अनुभवों से लाभ न उठा सके। अहातों की वस्तियाँ एव अधिक आवादी ने श्रमिकों के स्वास्थ्य एव उनकी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डाला और इसके साथ ही साथ राष्ट्र का उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम रहने लगा।

श्रमिक अधिनियम की आवश्यकता

समय के परिवर्तन के साथ साथ शताब्दियों से शोषित एव पीड़ित श्रमिकों के जीवन में नई चेतना एव स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमिकों की दयनीय स्थिति ने भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुधारकों के हृदय को पिघला दिया। परिणामस्वरूप श्रमिकों ने अपनी दयनीय दशा से छुटकारा पाने के लिए समर्थ प्रारम्भ कर दिया और उनकी अन्य देश सेवकों की सहानुभूति भी प्राप्त होने लगी। इसके बाद सती कपड़े की मिलों के विकास पर लक्ष्मणायर के उद्योगपतियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उनका विचार था कि फैक्टरी विधान के अभाव में भारतीय बाजार में भारतीय उद्योगपति उनके साथ प्रतिस्पर्धा के लाभ में था। अतः उन्होंने भारतीय सती मिलों पर फैक्टरी कानून लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डाला अस्तु १८७५ में बम्बई सरकार ने एक फैक्टरी आयोग की नियुक्ति की जिसकी विफारिशों के फलस्वरूप १८८१ में पहला फैक्टरी एक्ट बना, तो भी प्रथम महायुद्ध तक श्रमिक अधिनियम का कोई महत्वपूर्ण स्थान न था। उसके बाद देश के बढ़ते हुए औद्योगीकरण, श्रमिक

वर्गों में वर्गीय जायति की वृद्धि तथा उनको अपने शक्ति तथा महत्व का ज्ञान, भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सच तथा उसके प्रस्ताव क प्रति उत्तरदायित्व की स्वीकृति तथा वाप्रेस मन्त्रिमण्डलों के आगमन के कारण अमी हाल म एक बड़ी सख्या में श्रम सन्धियम बनाये गये हैं ।

कारखाने के नियम (Factory Acts)

Factory Act of 1881

यह प्रथम अधिनियम १०० से अधिक श्रमिकों एवं शक्ति के उपयोग होने वाली फैक्टरी में लागू होता था । इसके अनुसार ७ वर्ष से कम बच्चों का कार्य निषेध और ७ से १२ वर्ष तक के लिए १ घण्टे विश्राम एवं ६ घण्टे कार्य करना निर्धारित किया गया । साथ ही मास में ४ दिन छुट्टी की भी व्यवस्था थी । स्त्री एवं पुरुषों के लिए कोई अन्य सुरक्षा नहीं प्रदान की गई ।

Factory Act of 1891

प्रथम नियम के अपर्याप्त होने के कारण सन् १८६० के बम्बई फैक्टरी कमीशन और १८६० के फैक्टरी श्रमिक कमीशन ने नये कानून को पास करने के लिए बाध्य किया । यह ५० श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होता था और इसमें सप्ताह में एक दिन छुट्टी, १२ बजे मध्याह्न से २ बजे तक विश्राम एवं न्यूनतम आयु ६ वर्ष रखी गई । ६ वर्ष से १४ वर्ष तक वालों के लिए ७ घण्टे कार्य, ११ घण्टे स्त्रियों के लिए एवं ३ घण्टा विश्राम करने की व्यवस्थाएँ की गई । स्त्रियों को ८ बजे रात्रि से प्रातः ७ बजे तक फाय करना बर्जित कर दिया गया । कारखाने के अन्दर कार्य की दशाशों में सुधार, सफाई व रोशनी की भी व्यवस्था निर्धारित कर दी गई ।

Factory Act of 1911

सन् १९०५ में बम्बई में विद्युत शक्ति की व्यवस्था होने के कारण कार्य करने के घण्टों में वृद्धि, लकड़ाशायर उद्योगपतियों के शोर और फीरर स्मिथ कमेटी १९०६ की एवं कारखाना श्रम आयोग की रिपोर्ट ने इस अधिनियम को लागू करने को बाध्य कर दिया । इसमें पुरुषों के लिए १२ घण्टे (आधा घण्टा विश्राम सहित), बच्चों के लिए ६ घण्टे एवं रात्रि में स्त्रियों को कार्य करने के लिए बर्जित कर दिया ।

Factory Act of 1922

सन् १९११ के अधिनियम के पश्चात् एक नया संशोधित अधिनियम बनाया गया जिसमें न्यूनतम आयु १२ वर्ष हुई और १२ वर्ष से १५ वर्ष तक के लड़कों के

लिए ६ घंटे साथ में आधा घंटा विश्राम प्रत्येक ४ घंटे के पश्चात् नियत किया गया। पुरुषों को १२ घंटे प्रतिदिन या ६० घंटे सप्ताह में एव स्त्रियों के लिए साथ ७ बजे से ५॥ बजे प्रात तक कार्य न करने की व्यवस्था की गई।

Factory Act of 1934

अनिक कार्यकर्ता, समाज सुधारकों के आन्दोलन तथा सन् १९३१ के रावल श्रम आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर यह नियम पास किया गया। इसमें १५ से १७ साल वालों का किशोर वर्ग बनाया गया और इसमें डाक्टरी प्रमाण पत्र देना पड़ता था। कार्य क ५ घंटे और एक दिवस की सप्ताह में छुट्टी की व्यवस्था की गई। स्त्रियों के कार्य के लिए १० घंटे एव रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों को कार्य करने से वर्जित कर दिया गया। अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त बतन की भी व्यवस्था की गई। श्रमिकों के स्वास्थ्य एव सुरक्षा क लिए व्यवस्था की गई।

Factory Act of 1948

सन् १९३४ के नियमों के दोषों को दूर करने के लिए सन् १९४८ में नया अधिनियम बनाया गया जो १ अप्रैल १९४९ में लागू कर दिया गया।

इस कानून के अनुसार राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे। यह सभी कारखानों पर लागू होता है। सामयिक तथा निरंतर श्रमिकों का भेद समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार को उद्योगों के पंजीकरण एव लाइसेंस देने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किये गये। कारखानों के मालिकों को सरकार को १५ दिन के अंदर पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया। श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए, शीतल जल, स्वच्छता, धूकदान एव स्नानागार की व्यवस्था की गई। ३५० क्यूबिक फीट जगह प्रत्येक श्रमिक के मध्य होना चाहिये। साथ ही उपहार उहों, विश्रामालयों, शिशुग्रह आदि की भी व्यवस्था की गई। ५०० से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में अनहितकारी आकिसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। प्रतिदिन काम क घण्टे ९, सप्ताह म ४८ घण्टे तथा एक दिन की छुट्टी एव प्रत्येक ५ घण्टों के पश्चात् ३ घंटा विश्राम की तथा कैन्टीन स्थापना की भी व्यवस्था की गई। अतिरिक्त काम के लिए दुगना पतन, न्यूनतम आयु १४ साल व लड़कों के लिए ४३ घण्टे काम के रखे गये। स्त्रियों व बच्चों के लिए रात्रि ७ से प्रात ६ बजे तक काम करने को निषेध कर दिया गया। एक साल समाप्ति पर दूसरे साल में दस दिन का अवकाश बतन रहित दिया जायगा और बच्चों को १४ दिन का अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त मौड़ श्रमिकों को निरंतर काम करने के बाद २० दिन में एक दिन और बच्चों के लिए प्रत्येक १५ दिन उपरांत एक दिन अवकाश का रखा गया।

दूकानों एवं व्यावसायिक केन्द्रों के लिए कानून (Legislation for Shops and Commercial Establishments)

रेस्ट्रॉ, गियेटर, व्यापारिक गृहों, मनोरजन केन्द्रों में काम करने के घण्टों को नियत करने के लिए बम्बई में सन् १९३६ में दूकानों तथा व्यापारिक संस्था अधिनियम पास किया गया। अधिकतम काम के घण्टे ६॥; ५ घण्टों पर ३ घण्टे विश्राम व एक दिन उत्ताह में नियत छुट्टी की व्यवस्था की गई। रेस्ट्रॉ के लिए दस घण्टे काम के रखे गये। १९४२ में सरकार ने छुट्टी अधिनियम पास किया जिसमें खुलने एवं बन्द होने के घण्टे, अतिरिक्त काम का पारितोषिक, सवेतनिक छुट्टी आदि की व्यवस्था लागू की गई। यह नियम बङ्गाल, सिन्ध तथा पञ्जाब में १९४०, मध्यप्रदेश तथा वरार, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में १९४७ और आसाम में १९४८ में इसी प्रकार के नियम बनाये गये।

पारिश्रमिक का भुगतान नियम १९३६

(Payment of Wages Act 1936)

कारखानों के कर्मचारियों को उचित समय पर वेतन न मिल सकने के कारण भारत सरकार ने १९३६ में यह अधिनियम पास किया जो २८ मार्च १९३७ को लागू हुआ। यह फेब्ररी, रेलवे और यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो इसे मोटर, खान, ड्राम्बे, और तेल के सेन्ट्रो आदि में लागू कर सकती है। यह अधिनियम उन सभी पर, जो २०० रुपये प्रति मास की मजदूरी के अन्तर्गत आते हैं, लागू होता है। पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम अवधि एक मास है। भुगतान नकद रूपों में होने चाहिये। निकाले हुए श्रमिकों का भुगतान दो दिन के अन्दर हो जाना चाहिये।

न्यूनतम मजदूरी नियम (Minimum Wages Act of 1948)

भारत सरकार ने १९४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी को नियत करने के लिए पास किया जिसमें प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह न्यूनतम मजदूरी विभिन्न प्रकार के पेशों, व्यवसायों एवं कारखानों में नियत करे। यह न्यूनतम मजदूरी औद्योगिक नीति को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सलाहकार परिषद् एवं प्रान्तीय बोर्ड द्वारा की जायगी। इन समितियों में अधिकारी वर्ग, कर्मचारी एवं स्वतन्त्र सब से या तिहाई संख्या से अधिक नहीं होंगे। साप्ताहिक छुट्टी, कार्य करने के घण्टे भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन स्थानों पर जहाँ पर यह अधिनियम लागू होता है नियत किये जायेंगे। कुछ अपवादों के अतिरिक्त मजदूरी नकद में नियत होगी। यह मजदूरी निम्न प्रकार से किन्ही एक के आधार पर नियत हो सकेगी—

- (१) Basic rates;
- (२) Cost of living,
- (३) Cash value of Concessions.

खानों एवं उद्यानों में काम करने वालों की मजदूरी नियत करने के लिए सन् १९५० में उन्नित भृत्ति विधेयक प्रस्तुत किया गया किन्तु अभी तक पास नहीं किया गया है।

औद्योगिक सांख्यिकी नियम (Industrial Statistics Act)

यह नियम उपस्थित, रह, पानी, स्वच्छता, किराया, मजदूरी, कार्य के घण्टे, भूमिओं को दिये जाने वाले फण्ड आदि के आँकड़ों को एकत्र करने के लिए पास किया गया है। यह कार्य औद्योगिक सांख्यिकी सचालक (Director of Industrial Statistics) प्रान्तीय सरकार के द्वारा किया जाता है जो कि निरन्तर राजदों में व धर्म व्यूरो द्वारा प्रकाशित होते हैं।

खानों का नियम (Mining Legislation)

सरकार का प्रथम प्रयत्न जो कि कोयले की खानों के कर्मचारियों के लिए किया गया वह था सन् १९०१ में सरकार द्वारा एक अधिनियम पास किया गया जो कि सन् १९२३ में भारतीय खान अधिनियम (Indian Mines Act) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नियम में अनेकों बार संशोधन किये गये। अन्त में १९५२ में वह भारतीय खान अधिनियम पास किया गया।

Indian Mines Act of 1952

यह अधिनियम जम्मू एवं काश्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

इस अधिनियम के अनुसार अधिकतम कार्य करने के ६ घण्टे नियत किये गये जो जमीन के ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये था और जमीन के अन्दर कार्य करने वालों के लिये ८ घण्टे तथा मौद कर्मचारी के लिये ४८ घण्टे सप्ताह में नियत किया।

सतह पर काम करने वाले कर्मचारी को डेढ़ गुनी और सतह के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी को दूनी मजदूरी अतिरिक्त कार्य करने के एवज में निश्चित की गई।

न्यूनतम आयु सतह के नीचे वाले कर्मचारियों के लिए १७ से १८ वर्ष, तक रखी गई। कार्य करने के लिए प्रतिदिन १५ से १८ वर्ष वाले कर्मचारियों के लिए

४३ घण्टे निश्चित किये गये तथा खिनों को रात के नीचे कार्य करने के लिये बन्धित कर दिया गया।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिये फ़ैक्टरी कानून १९४८ के अनुसार इसमें व्यवस्था की गई।

उद्यान श्रम अधिनियम

(Plantation Labour Legislation)

उद्यानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए १८६३ से लेकर १९०१ तक अनेक नियम पास किये गये किन्तु रायल आयोग क मुन्नावा पर टी डिस्ट्रिक्ट्स इमीग्रेंट श्रम अधिनियम (Tea Districts Emigrant Labour Act) सन् १९३२ में पास हुआ और १९३३ में लागू किया गया और तभी से यह अधिनियम लागू है।

उद्यान श्रम नियम १९५१

श्रम नॉन्व कमेटी ने सन् १९४६ में कार्य करने की शर्तों एवं अनुपस्थिति के लिये पूर्ण रूप से कट्टा आलोचना की, क्योंकि धर्मीकों के कर्मचारियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण से भारत सरकार ने सन् १९५१ में यह अधिनियम बनाया जो सन् १९५४ से लागू किया गया।

इसमें निम्नलिखित मुख्य व्यवस्थाएँ थीं—

(i) यह अधिनियम भारत में बम्बू एवं काश्मीर को छोड़ कर उन सभी उद्यानों पर लागू होता है, जिनका क्षेत्र २५ एकड़ अथवा जिनमें ३० से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों।

(ii) यह अधिनियम डाक्टरी सुविधाएँ, पेशाब रह, पीने का शीतल बल आदि की उचित रूप में उद्यानपतियों द्वारा दिये जाने की भी व्यवस्था करता है।

(iii) यह अधिनियम कार्य करने क घण्टे, अनिवार्य विश्राम और छुट्टियों को भी निश्चित करता है।

(v) यह अधिनियम भी सन् १९४८ के फ़ैक्टरी अधिनियम के अनुसार श्रम कल्याण की सुविधाएँ प्रदान करता है। इस अधिनियम की धाराओं को उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन तथा भारतीय श्रम-अधिनियम

२८ जून, सन् १९१९ ई० में स्थापित हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I L O) का भारत एक प्रमुख सदस्य रहा है। यह संस्था अत्र उद्युक्त राष्ट्र

संघटन (U N O) के अन्तर्गत कार्य कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय अम संघटन सामयिक बैठकें करती रहती हैं और इसमें सभी सभ्य देश के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की शोषण से रक्षा तथा उनकी दशा में सुधार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संघटन कुछ कन्वेंशन्स बनाकर बहुमत से पास करता है तथा कुछ अम-हितकारी सिकारियों सदस्य राष्ट्रों से करता है। सदस्य राष्ट्रों का वह पवित्र कर्तव्य होता है कि अपने-अपने देशों में उन कन्वेंशन्स तथा सिकारियों का समावेश करते हुए अम सनियम बनायें तथा उन्हें कार्यान्वित करें। अब तक इस संघटन ने लगभग १०० से ऊपर कन्वेंशन पास किए हैं तथा लगभग इतनी ही सिकारियों भी की हैं। भारतीय सरकार ने इनमें से बहुत से कन्वेंशन्स स्वीकार कर लिए हैं तथा उन्हीं के आधार पर अम अधिनियम बनाए हैं और राज्य सरकारों ने के द्रीय सरकार का ही अनुकरण किया है। हमारे देश के द्वारा स्वीकृत कुछ मुख्य कन्वेंशन्स निम्नलिखित हैं—

(१) कार्य के घटे	(उद्योग)	कन्वेंशन	१९१९
(२) रात्रि-कार्य	(स्त्रियाँ)	"	"
(३) "	(बालकों)	"	"
(४) संध निर्माण करने का अधिकार	(कृषि)	"	१९२१
(५) न्यूनतम आयु	(उद्योग)	"	"
(६) साप्ताहिक विश्राम	(")	"	"
(७) बच्चों की डाक्टरों बाँझ	(समुद्र)	"	"
(८) श्रमिक प्रतिफल	(व्यवसायिक रोग)	"	१९२५
(९) नाविकों के इकरार के नियम		"	१९२६
(१०) बाँटों का विपरण		"	१९२९
(११) रात्रि कार्य	(स्त्रियाँ)	सशोधित	" १९३४
(१२) धरातल के नीचे कार्य	(स्त्रियाँ)	"	१९३५
(१३) अम निरीक्षण		"	१९४७
(१४) रात्रि - कार्य	(स्त्रियाँ)	सशोधित	" १९४८
(१५) बच्चों का रात्रि कार्य	(उद्योग)	सशोधित	" १९४८

हमारे देश के सम्पूर्ण अम-अधिनियमों पर अन्तर्राष्ट्रीय अम संघटन द्वारा बनाये हुए कन्वेंशन्स की स्पष्ट छाप पड़ी है। हमारे देश के श्रमिकों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो गया है और इस प्रकार हमारे देश के श्रमिकों की दशा निरन्तर उच्चम बनती जा रही है तथा शोषण से उनकी रक्षा हो रही है।

ऊपर बतलाए हुए नियमों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के धनिक हितकारी अधिनियम भी केन्द्र तथा राज्यों में बने हैं। निजी व्यापारियों और दूकानदारों के आर्थिक कार्य करने वाले धर्मचारियों की दशा में सुधार करने एवम् उनके लिए छुट्टी इत्यादि की व्यवस्था करने वाले अधिनियम बम्बई में सन् १९३९ में, पंजाब और मगाल में १९४० में और मध्यप्रदेश, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में सन् १९४७ में बनाये गये। सन् १९४२ में केन्द्रीय सरकार ने साप्ताहिक अवकाश अधिनियम बनाया।

श्रमिकों के लिए आवाठ की व्यवस्था करने वाले अधिनियमों में से बार्मे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट १९४८; नमूर लेबर हाउसिंग ऐक्ट १९६९ और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट १९५० के नाम मुख्यतः उल्लेखनीय हैं। सन् १९५४ में रजिस्ट्रार वल डिस्प्यूट्स (वीकिंग कम्पनीज) ऐक्ट पास किया गया। औद्योगिक सघन गान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में भी बहुत से उद्योगी अधिनियम बनाये जा चुके हैं।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार की पूर्ण सहायता समूह श्रमिकों के साथ है। अन्य औद्योगिक देशों का समान ही हमारी सरकार ने श्रमिकों को न्यायपूर्ण एवं सहायभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान करने तथा श्रमिकों की शोषण से रक्षा करने एवम् उनकी दशा को सुधारने के उद्देश्य से बहुत से धनिक अधिनियम बनाए हैं। अन अधिनियम के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दिशा में हमारे देश ने हड़ता से कदम बढ़ाया है और बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।

श्रम-संघ

(Trade Unions)

विशालनाय उद्योगों के जन्म के साथ ही साथ पूँजी की विशाल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। पूँजीवाद के अतुर के पनपने के कारण श्रमिकों को अपने को पूर्ण-रूप से पूँजीपतियों के आश्रय में समर्पण करना पड़ा। पूँजीपतियों ने श्रमिकों को आश्रित होने के कारण उनका शोषण प्रारम्भ कर दिया। श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो उठी। निर्धन एवं शक्तिहीन श्रमिकों को शक्तिशाली पूँजीपति प्रतिद्वन्दा के शोषण से रक्षा करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त करना असम्भव था। 'एकता में बल है' सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों को शोषण से रक्षा करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करना अनिवार्य हो गया। फलस्वरूप पूँजीवाद शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 'श्रम-संघ आन्दोलन' का उद्भव हुआ, जिसका मूलाधार 'संगठन' है। संगठन में ही शक्ति है। वास्तव में श्रम-संघ शक्ति, निर्धन एवं जबरित श्रमिकों की ओर से पूँजीवादी शक्ति का प्रत्युत्तर था, अतः इस आन्दोलन का आधुनिक विशालकाय उद्योगों का शिशु कहने में अतिशयोक्ति न होगी।

परिभाषा

सङ्चित विचारधारा के अनुसार श्रमिकों का वह संगठन जो श्रमिकों की वाय करने की दशाओं तथा पूँजीपतियों के शोषण से संरक्षण के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है, 'श्रम संघ' कहलाता है। इस संगठन का वाय मूल रूप से रोजगार की दशाओं को नियन्त्रित करके श्रमिकों को औद्योगिक प्रतियोगिता के दूषित वातावरण से मोक्ष प्रदान करना है। इस विचारधारा का सम्यक्त सिद्धिनी एवं वेब ने भी किया है जैसा कि उनके निम्न शब्दा से स्पष्ट है—

“श्रम संघ श्रमिकों का एक स्थायी संगठन है जो उनके कार्य जीवन की दशाओं के संरक्षण पर सर्वार्थ के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है।”

1 A continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working —Sidney & Webb

विस्तृत श्रमों में श्रम सघ से तात्पर्य केवल श्रमिकों के संगठन से ही नहीं होता, वरन् इसका अर्थ किसी उद्योग के मालिक, कर्मचारी एवं स्वतन्त्र कार्यकर्ताओं के एक ऐसे संगठन से होता है जो अपने सदस्यों के एवं उस व्यापार के हितों की रक्षा के मुख्य उद्देश्य से, जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्मित किया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से श्रम सघ की परिभाषा उपरोक्त दृष्टिकोण से ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है क्योंकि निर्धन श्रमिकों को ही वास्तव में शोषण से रक्षा करने के लिए संगठन की आवश्यकता है।

उद्देश्य (Aims and objects)

श्रम सघ का मूल उद्देश्य श्रमिकों को पूँजीपतियों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्तिगत रूप से पूँजीवादी शक्ति पर विजय प्राप्त करना श्रमिकों की शक्ति के बाहर था। अतः सामूहिक रूप से ही वे अपने को शोषण से बचा सकते थे। पूँजीपतियों पर पूर्ण रूप से आश्रित होने के कारण कदाचित् व्यक्तिगत प्रयास द्वारा श्रमिक कभी भी अपने पारिश्रमिक में वृद्धि न करा सकता। श्री हैमिल्टन (Mr. Hamilton) ने ठीक ही लिखा है—

“An employer can do without any one of them; he cannot do without all of them. Unity gives strength ”

उपर्युक्त उद्देश्य के अतिरिक्त श्रम सघ के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

श्रमिकों की कार्य करने एवं रहने की दशा में सुधार

सामूहिक रूप से समझौते द्वारा श्रम सघ श्रमिकों के कार्य करने के घटों में कमी, फैक्ट्री के अन्दर प्रकाश एवं स्वच्छ वायु की व्यवस्था, मशीनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा, सचेतन छुट्टियों की व्यवस्था आदि को, कार्यान्वित कराने का भी प्रयत्न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण कार्यों द्वारा ये श्रम सघ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करने का स्वयं प्रयास करने के अतिरिक्त सरकार तथा उद्योगपतियों को भी इस क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आधुनिक श्रम सघ का तो श्रम कल्याण कार्य एक अभिन्न अंग बन गया है।

समानता एवं औद्योगिक शान्ति स्थापित करना।

सामूहिक शक्ति के कारण श्रम-सघ पूँजीवादी शक्ति के समान हो जाते हैं और दीन-हीन श्रमिक अपने को उतना ही शक्तिशाली पाता है जितना उसका प्रतिद्वन्दी। इस प्रकार समानता लाने का ही श्रम-सघ का मुख्य उद्देश्य होता है क्योंकि बिना इसके श्रम-सघ अपने अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी समानता के कारण ही

श्रमिकों में उचित भाव तब करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यही कारण था कि कार्लमार्क्स (Karl Marx) ने कहा था—

“Workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains.”

समानता के कारण ही श्रम सघ इस स्थिति में होता है कि उद्योगपति इसकी श्रवहेलना न कर सकें। पूँजीपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता और उसको समझीते द्वारा कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार श्रमिकों एवं पूँजीपतियों में समानता लाकर औद्योगिक शान्ति की सुरक्षा करना भी श्रम सघ का एक आवश्यक उद्देश्य होता है।

राजनैतिक क्षेत्र में प्रभुत्व

समय की गति के साथ ही साथ श्रम सघ के उद्देश्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती चली गई और आज हम देखते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में अपने प्रभुत्व स्थापित करना भी श्रम-सघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक प्रजातंत्र में सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार करवाने के लिए श्रम सघ का राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण करना आवश्यक हो गया। कार्ल-मार्क्स (Karl Marx) के शब्दों में—

“The political movement of the working class naturally has as its final aim the conquest of political power for it”

लाभ (Advantages)

मि० चर्चिल (Mr Churchill) के शब्दों में—

“Trade Unions are those institutions which lie so near the core of our social life and progress, and have proved that stability and progress can be combined.”

वास्तव में श्रम-सघ श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं सामान्य जनता सभी के लिए लाभकारी हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है —

श्रमिकों को लाभ

जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है उनके लिए तो श्रम सघ वरदान स्वरूप हैं। श्रम सघ द्वारा ही वे अपनी शोषण से रक्षा करने, अपनी कार्य करने एवं रहने की दशाओं में सुधार करने, एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता एवं सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वास्तव में श्रम सघ श्रमिकों के जीवन में

नवीन आशा का संचार करने एवं नवीन चेतना तथा स्फूर्ति प्रदान करने का एक मात्र साधन है। प्रो० एन० जी० रंगा (Prof. N. G Ranga) ने ठीक ही लिखा है—

“It is only one of the great social and economic weapons, that industrial labour has, to emancipate itself from its present dependence upon capitalism and to win for it, in co operation with the other sections of toilers, complete political and economic power in modern society”

यह श्रम-सघों की ही देन है कि श्रान श्रमिक को न केवल एक राष्ट्र विशेष में बरन् विश्व में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सका है।

उद्योगपतियों को लाभ

उद्योगपतिया एवं श्रमिकों के बीच आपसी समझौते श्रम सघ के कारण ही सम्भव हो पाते हैं। उद्योगपति प्रत्येक श्रमिक स व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने में सर्वथा असफल रहता। पारस्परिक समझौतों के कारण औद्योगिक शान्ति की व्यवस्था अत्यन्त सरल हो जाती है। औद्योगिक शान्ति की स्थापना उद्योगपतियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है, इसमें सन्देह नहीं। औद्योगिक शान्ति पर ही उद्योगपतियों का उत्पादन एवं लाभ निर्भर है।

सामान्य जनता को लाभ

औद्योगिक प्रगति पर ही किसी भी राष्ट्र के देशवासियों का सुख एवं समृद्धि निर्भर है। श्रमियों की ही सम्पन्नता पर राष्ट्र का उत्पादन निर्भर है। इस प्रकार श्रम सघ श्रमिकों के जीवन को सुखी बना कर सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पन्नता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की आय में वृद्धि करके श्रम सघ समाज में धन की विषम वितरण की समस्या का समाधान भी करते हैं। 'समानता' ही इन श्रम-सघों का मूल उद्देश्य है और 'समानता' ही समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार है। यदि इन श्रम सघों को समाजवादी अर्थ व्यवस्था का प्रथम व्यावहारिक शिक्षालय कहा जाय तो कदाचित् अतिशयोक्ति न होगी। अर्नेस्ट बेविन (Ernest Bevin) का मत है—

“The Central idea of Trade unions is the liberty of the ordinary man and the right relationship between fellowmen
Is not this also the central idea of democracy?”

ऐतिहासिक सिंहावलोकन

भारत में विदेशी सत्ता के कारण औद्योगिक विकास की गति अति मन्द रही। वास्तव में जब पाश्चात्य जगत में औद्योगिक विकास अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच रहा था भारत में औद्योगिक विकास की नींव डाली जा रही थी। औद्योगिक विकास न होने के कारण भारत में श्रम सघों की आवश्यकता का अनुभव न किया जाना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप श्रम सघ आन्दोलन की गति मन्द रहना अनिवार्य था। राजनैतिक दायता के कारण देशवासियों में विकास की भावना भी मर चुकी थी और विदेशी सत्ता का यहाँ के देशवासियों के विकास से सम्बन्ध ही क्या था। अस्तु सरकार भी इस दिशा में मिलकुल उदासीन रही।

सर्व प्रथम सन् १८७५ में श्रमिकों की—विशेषतया स्त्रियों तथा बच्चों की—दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ और साथ ही साथ सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ उत्साही युवकों ने श्री सोराब जी शापुर जी बगाली के नेतृत्व में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया, परन्तु यह सफल न हो सका। इस आन्दोलन को वास्तविक श्रम सघ आन्दोलन भी नहीं कहा जा सकता था।

भारत में सर्व प्रथम श्रम सघ स्थापित करने का श्रेय श्री लोकखण्डे को है जिन्होंने सन् १८६० में “बम्बई मिल श्रमिक सभा” (Bombay-Mill Hand's Association) स्थापित करके श्रम सघ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। परन्तु श्री लोकखण्डे की मृत्यु के कारण आन्दोलन की प्रगति अथवा बढ़ हो गई। सन् १८६७ में “रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय सघ” (National Union of Railwaymen) का जन्म हुआ। सन् १९०५ तथा १९०७ में क्रमशः “कलकत्ता प्रेस कर्मचारी सघ” एवं “बम्बई बन्दरगाह कर्मचारी सघ” का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९१० में बम्बई के सनाथ सेवियों द्वारा “कामगार हितवर्धक सभा” की स्थापना की गई। परन्तु इन सभी को संगठित आधार पर निर्मित न होने के कारण श्रम सघ की सहा नहीं प्रदान की जा सकती। वास्तव में ये समाज कल्याण सस्था के रूप में ये जिनका उद्देश्य सदस्यों के हित में कल्याणकारी कार्य करना था।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके उपरांत १९२६ तक

वास्तव में आधुनिक श्रम सघ आन्दोलन का सूत्रपात प्रथम महायुद्ध के उपरान्त ही सम्भव हो सका। इसके कारण निम्नलिखित थे—

(१) औद्योगिक विकास का शिलान्यास प्रथम महायुद्ध काल में ही हुआ। परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जन्म हुआ। अतः श्रम सघ आन्दोलन का युद्धोपरान्त गतिशील होना स्वाभाविक ही था।

(२) युद्धकाल में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण उद्योगपतियों ने तो खूब

लाम उठाया परन्तु श्रमिकों की मजदूरी में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ जिसके कारण श्रमिकों में असतोष की भावना व्याप्त हो गई।

(३) युद्ध के समाप्त हो जाने पर पन्दी के युग में श्रमिकों की छुट्टी प्रारम्भ हो गई तथा उनकी मजदूरी भी कम कर दी गई जिसके कारण उनमें और भी अधिक असतोष बढ़ा।

(४) महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वराज आन्दोलन ने श्रमिकों में ही नहीं वरन् समस्त देशवासियों में नवीन चेतना एवं जागृति का प्रादुर्भाव किया। परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति पूर्णरूप से जागरूक हो उठा।

(५) सन् १९१७ में रूस की क्रान्ति की सफलता ने तो सारे विश्व के श्रमिकों में उत्साह की एक नई लहर उत्पन्न कर दी।

(६) सन् १९२० में भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ का सदस्य बन गया था जिसके कारण श्रमिक वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दशाओं से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सका। परिणामस्वरूप हमारे देश के श्रम सघ आन्दोलन को नवीन शक्ति प्राप्त हो गई।

उपर्युक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण श्रमिकों में जागृति हुई और वे अपनी दयनीय अवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्नशील होने लगे। यही कारण था कि १९१६ से १९२१ तक हड़तालों की बाढ़ सी आ गई और प्रत्येक हड़ताल ने एक अस्थाई श्रम सङ्घ को जन्म दिया। श्री आर के दास के शब्दों में—

“युद्धोत्साह, राजनैतिक आन्दोलन एवं क्रान्तिकारी आदर्शों के प्रभाव से श्रमिक वर्ग आर्थिक शिथिलताओं एवं सामाजिक अन्यायों के प्रति धैर्यवान और सहनशील न रह सका।”

सर्व प्रथम सुसंगठित श्रम सघ बनाने का श्रेय श्री बी० पी० वाडिया को है जिन्होंने सन् १९१८ में “मद्रास श्रम सङ्घ” की मद्रास में स्थापना की। एक वर्ष में ही इस सङ्घ की सदस्य संख्या २०,००० हो गई। श्री लोचनाथन (Shri Loknathan) के शब्दों में—

Not one textile worker in the city of Madras remained out of the union and the union became more and more powerful in a short period”

सन् १९१६ में १० श्रम सङ्घ—५ बम्बई, २ मद्रास और एक-एक बङ्गाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब—में स्थापित किये गये। इनमें से मुख्य वे “The Employees’ Association Calcutta”, “The Seamen’s Union Bombay” एवं “M S M Railway Union Madras”

सन् १९२० में और भी बहुत से श्रम सङ्घों की स्थापना हुई। इसी वर्ष “अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस” (The All India Trade Union Congress) का जन्म हुआ जिसमें अन्य ६४ श्रम सङ्घ विलीन हो गये और इसकी सदस्य संख्या १,४०,८५४ हो गई। “अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रम सङ्घ” जिसकी स्थापना १९१८ में की गई थी, की सदस्य संख्या १९२० में १६,४५० थी। सन् १९२० में १२५ श्रम सङ्घों की सदस्य संख्या कुल मिलाकर २,५०,००० थी। इन सभी श्रम-सङ्घों को सुसंगठित एवं मुनियोजित रूप से कार्य करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष जिनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन (International labour Conference) के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न भी उपस्थित हुआ। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ‘अखिल भारतीय श्रम-सङ्घ कांग्रेस’ की स्थापना की गई। यह श्रम सङ्घ भारतीय कांग्रेस के तत्वाधान में सर्व प्रथम अखिल भारतीय श्रम सङ्घ था। सन् १९२२ में ‘अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन’ की स्थापना हुई और प्रायः सभी रेलवे कर्मचारी सङ्घ इसमें विलीन हो गये। यह सङ्घ आज भी सबसे शक्तिशाली श्रम सङ्घ है।

इस काल में श्रम सङ्घों का पर्वत विकास हुआ, परन्तु उनका संचालन सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित आधार पर न हो सका। इसका मूल कारण कानूनी संरक्षण का अभाव था। सन् १९२१ में श्री वाडिया द्वारा स्थापित किए गये सङ्घ को मद्रास के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। अतः अब यह अनुभव किया जाने लगा कि श्रम सङ्घ के संगठित एवं व्यवस्थित विकास के लिए वैधानिक सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है। अतः सन् १९२१ में श्री एन० एम० जोशी ने एक ‘श्रम सङ्घ बिल’ (Trade Union Bill) संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु वह पास न हो सका। इसके उपरान्त निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात् सन् १९२६ में ‘भारतीय श्रम सङ्घ कानून’ पास हो सका।

सन् १९२६ से द्वितीय महायुद्ध तक

सन् १९२६ में भारतीय श्रम-सङ्घ कानून पास हो जाने के उपरान्त भारतीय श्रम सङ्घ आन्दोलन के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ। इस कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्री शुदा श्रम सङ्घों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। अब सङ्घ के पदाधिकारियों पर संघ सदस्यों के हित में फी गई हड़दालों या अन्य कार्यों के कारण दीवानी या फौजदारी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस कानून में सन् १९४७ में संशोधन हुआ जिसके अनुसार श्रम अदालत (labour

Court) के आदेश पर उद्योगपति को अनिवार्य रूप से श्रम सङ्घ को मान्यता देनी होगी। यदि मालिक श्रम सङ्घों के सगठन में वाचा डालें अथवा श्रम सङ्घ के कार्यों में भाग लेने के आधार पर किसी सदस्य या पदाधिकारी को नौजरी से अलग कर देते हैं या भेद भाव का व्यवहार करते हैं तो वे १००० रुपये तक अर्थ दण्ड के भागी होंगे। मान्यता प्राप्त श्रम सङ्घों की कार्यकारिणी सभाओं को मालिकों के साथ रोजगार सम्बन्धी बातचीत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया।

श्रम सङ्घ कानून बन जाने के कारण इस आन्दोलन की प्रगति की गति को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और यह आन्दोलन निरन्तर विकास की ओर बढ़ता गया। परन्तु सन् १९२६ के उपरान्त मन्दी के युग के पदार्पण होने पर उद्योगपतियों के लाभ कम होने लगे जिसके कारण उन्होंने छुट्टी, तालाबन्दी इत्यादि का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया। श्रमिकों में भी असंतोष का बढ़ता स्वभाविक ही था। परिणामस्वरूप इस काल में हड़तालें भी अधिक होने लगीं। श्रमिकों की स्थिति सुधार के लिए श्रम सङ्घों में दो विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ—एक तो वे लोग थे जो अहिंसात्मक दृष्टि से समस्याओं के मुलभूताने के पक्ष में थे और दूसरी ओर वे लोग जो हिंसात्मक तरीकों के अपनाने के पक्ष में थे। कम्युनिस्ट भी इस क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२६ के उपरान्त श्रम आन्दोलन का नेतृत्व एक प्रकार से साम्यवादियों और वाम पक्षियों के हाथ में आ गया। श्रम सङ्घ की ओर इन लोगों ने राजनीतिक विचारों के अनुसार उग्र कार्य करने प्रारम्भ कर दिये। वास्तव में अब श्रम सघ राजनीतिक क्रियाओं के रङ्गभूत बन गये। इस प्रकार श्रम सङ्घ आन्दोलन के सम्मुख जो निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था, एक भीषण सफ़ट उपस्थित हो गया। साम्यवादियों के समावेश होने के कारण “गिरनी कामगार सङ्घ” को जिसका निर्माण १९२६ में हुआ था हिंसा तथा अशांति के लिए कानूनन उत्तरदायी ठहराया गया। इसके कारण श्रम सङ्घ बदनाम हो गये। दो विचारधाराओं के प्रादुर्भाव के कारण आपसी मतभेद हुआ और “अखिल भारतीय श्रम सङ्घ कामेस” (A. I. T. U. C.) दो दलों में विभक्त हो गया। उदार दल ने श्री एन० एम० जोशी एवं श्री शिवाराव के नेतृत्व में राष्ट्रीय श्रम सङ्घ फेडरेशन (National Trade Union Federation) के नाम से एक नया सघटन स्थापित किया। यह फूट का अक्षुर निरन्तर विस्तार करता गया जिसके कारण सन् १९३३ में चार अखिल भारतीय श्रम सघ बन गये—

(१) भारतीय राष्ट्र श्रम सङ्घ कांग्रेस (INTUC),

(२) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन (All India Railway-men's Federation),

(३) श्रम सङ्घों का भारतीय फेडरेशन (Indian Federation of Trade Unions),

(४) भारतीय राष्ट्र लाल श्रम सङ्घ कांग्रेस (All India Red Trade Union Congress) ।

श्रम सङ्घ आंदोलन में पुनः स्फूर्ति देने के प्रयत्नों के कारण कुछ समय उपरांत भारतीय राष्ट्र श्रम सङ्घ कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्र लाल श्रम सङ्घ कांग्रेस दोनों ही 'अखिल भारतीय श्रम सङ्घ कांग्रेस' (A I T U C) के नाम से एक ही संघटन में संयुक्त हो गई। "श्रम सङ्घों का भारतीय फेडरेशन" एवं "अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन" दोनों मिल कर 'राष्ट्रीय श्रम सङ्घ फेडरेशन' (National Trade Union Federation) का अन्तर्गत समागत हो गई यह सहयोग सन् १९४० तक निरंतर चलता रहा।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर श्रम सङ्घ कांग्रेस ने युद्ध में तटस्थ रहने का निश्चय किया परंतु एम० एन० राय के समर्थक पूर्ण सहयोग के पक्ष में थे। परिश्रम स्वरूप आ राय ने "श्रमियों का भारतीय फेडरेशन" (Indian Federation of Labour) नामक श्रम सङ्घ की स्थापना की जिसकी सरकारी सहमति भी प्राप्त होने लगी, किंतु इस संघ को जन सहयोग न प्राप्त हो सका। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण "अखिल भारतीय श्रम सङ्घ कांग्रेस" (A I T U C) पुनः साम्यवादियों के हाथ में आ गई।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त वर्तमान समय तक प्रगति

सन् १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ और शासन की बागडोर कांग्रेस ने सम्भाली। कांग्रेस के प्रभाव के फलस्वरूप "भारतीय राष्ट्र श्रम सङ्घ कांग्रेस" (I N T U C) सुदृढ़ आधार पर संगठित हुई। इसी वर्ष समाजवादियों ने "हिन्द मजदूर सभा" का निर्माण किया। सन् १९४६ में प्रो० के० टी० शाह ने "संयुक्त श्रम सङ्घ कांग्रेस" (United Trade Union Congress) की स्थापना की। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत श्रम सङ्घ आंदोलन को पुनः जीवन मिला और श्रमिक सङ्घों में पर्याप्त विकास संभव हुआ जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष मान्यता प्राप्त श्रम सङ्घों की सदस्य संख्या (हजारों में)
संख्या

१९४६ ४७	१७२५	१३३२
१९४८ ५०	३३६५	१८२१
१९५३ ५४	४६२७	२१२५

वर्तमान समय में प्रमुख रूप से चार अखिल भारतीय श्रम संघ हैं—

(१) भारतीय राष्ट्र श्रम संघ कांग्रेस (I N. T U C) कांग्रेस के प्रभाव में है।

(२) अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस (A I T U C) साम्यवादियों का प्रभुत्व में है।

(३) हिन्द मजदूर संघ (H M S) समाजवादियों का नेतृत्व में है।

(४) संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस (U T U C.) वामपंथीय प्रभाव में है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता का उपरान्त श्रम संघ आन्दोलन में आशाजनक प्रगति की है, परन्तु राजनीतिक प्रभावों का अन्तर्गत कार्य करने के कारण इनका आधार दृढ़ नहीं कहा जा सकता। बहुत से श्रम संघ तो भारत में केवल नाम के लिए हैं। बहुत से श्रम संघों की संख्या हड़ताल इत्यादि के समय तो बढ़ जाती है परन्तु बाद में बहुत कम हो जाती है। राजनीतिक कार्यों में अधिक रुकान होने के कारण, श्रमिकों की इन संघों पर आस्था का भी अभाव है। वही कारण है कि श्री वी० वी० गिरि का मत है—

“The Trade Union Movement in India is still in an infant stage”

आपसी राजनीतिक मतभेद होने के कारण विभिन्न श्रम संघों में निरन्तर फूट बनी रही और ‘एकता’ का, जो इस आन्दोलन का मूलधार है, सर्वथा अभाव रहा। परिणामस्वरूप आज भी सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित आचार पर निर्मित श्रम संघों का भारत में पूर्णतया अभाव है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार श्रमिक वर्ग की सम्पूर्ण संगठन योग्य शक्ति (पूरे देश का स्तर पर) का केवल २६ प्रतिशत मजदूर संघों में संगठित है। बही नहीं हमारे देश की सम्पूर्ण श्रमिक शक्ति का एक बड़ा भाग खेतियार मजदूरों का है और उनका संगठन अभी बाकी है। श्री गिरि (Shri V. V. Giri) ने ठीक ही कहा है—

“There is a great need of building up a Trade Union Movement characterised by unity, strength and vitality’ so that it would be able to enter into collective bargaining with employers on equal footing’

भारत में श्रम संघ आन्दोलन के धीमी प्रगति के कारण भारतीय श्रमिकों की निर्धनता

प्रत्येक संस्था के उचित संगठन एवं विचार के लिए पर्याप्त कोष का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत में श्रमिक निर्धनता के कारण मामूली कन्दा

देने में भी अपने को असमर्थ पाता है। बहुत से श्रमिक तो चन्दा देने में असमर्थ होने के कारण श्रम सघों का सदस्य होना भी पसन्द नहीं करते। चन्दा न मिलने के कारण श्रम सघों की आर्थिक स्थिति ढँवाडोल रहती है जिसके कारण उनकी विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। मि० राबर्ट्स (Mr Roberts) का तो कथन है—

“In India he found many paper unions without any fund and was surprised to learn that many members were defaulters ”

औद्योगिक विकास की गति मन्द होना

श्रम सघ वास्तव में विशालकाय उद्योगों का शिशु है। औद्योगिक विकास की गति भारत में विदेशी सत्ता के कारण अत्यन्त मन्द रही जिसके कारण श्रम समस्याओं का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ और न श्रम सघों की आवश्यकता ही रही। औद्योगिक विकास की गति मन्द होने के कारण, श्रम सघ आन्दोलन की गति मन्द होना स्वाभाविक ही था।

भारतीय श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति (Migratory Character of Indian Labour)

भारतीय श्रमिक उद्योगों में काम करने के लिए स्थायी रूप से नहीं आता क्योंकि उसका वास्तविक सम्बन्ध तो कृषि से होता है। उसके कुटुम्ब के अन्य सभी सदस्य भी प्रायः गाँव में ही रहते हैं। परिणामस्वरूप वह शहरों में अस्थायी रूप से रहने के लिए ही आता है। वास्तव में अस्थायी प्रकृति भारतीय श्रम की मुख्य विशेषता है। स्थायी रूप से शहरों में न रहने एवं फैक्टरी में केवल कुछ समय तक ही कार्य करने की अभिलाषा रखने के कारण भारतीय श्रमिक श्रम सघों के कार्यों में कुछ भी रुचि नहीं लेता और न उनका महत्व को ही समझता है। ऐसी दशा में श्रम सघ आन्दोलन का विकास न होना स्वाभाविक हो जाता है।

सामाजिक वातावरण एवं एकता का अभाव

‘एकता’ ही श्रम सघ की प्रगति का भूलाधार है। परन्तु भारत में सामाजिक वातावरण के कारण श्रमिकों में ‘एकता’ का अभाव रहा। जाति, धर्म, भाषा तथा आचार विचार सम्बन्धी भेद-भाव के कारण विभिन्न श्रमिकों में एकता स्थापित करना एक कठिन समस्या बन गया जिसके कारण शक्तिशाली संगठन स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो गया। श्रमिकों में इस कमजोरी का लाभ उठाकर उद्योगपतियों ने “विभाजन करो और शासन करो” (Divide & rule) की नीति अपनाकर सदैव संगठित श्रम सघ स्थापित करने में रोकड़ा अटकवाया। भारत में जाति भेद की सफुचित

विचारधारा के कारण बहुत से श्रम सघ तो जातीय आधार पर निर्मित कर दिये गये थे जिनको सन् १९४३ में सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया ।

कुशल कार्य-कर्ताओं का अभाव

भारत में श्रम सघों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कुशल कार्य-कर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध न हो सकीं जिससे इनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा । किसी भी उस्था की उन्नति उसके कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर होती है, परन्तु भारत में श्रम सघों में इनका सर्वथा अभाव रहा । अमरीका में तो “अमरीकन श्रम फेडरेशन” के सेक्रेटरी को लगभग ७५,००० डॉलर्स तनख्वाह मिलती है जो कदाचित अमरीका के प्रेसीडेन्ट के बाद द्वितीय स्थान पर आती है ।

काम करने के घटे

भारत में काम करने के घटे अधिक होने के कारण, श्रमिक इतना शिथिल हो जाते हैं कि पैन्डरी में कार्य करने के बाद केवल विश्राम ही चाहते हैं । उनके पास न तो शक्ति ही रह जाती है और न अवशा ही कि वे श्रम सघ के कार्यों में सक्रिय भाग ले सकें । भारत में बहुत से श्रमिक तो यह भी नहीं जानते कि सघ का कार्यालय कहाँ पर है ।

श्रमिकों का अशिक्षित एवं अज्ञानी होना

भारतीय श्रमिक अशिक्षित एवं अज्ञानी होने के कारण श्रम सघों के महत्व एवं उद्देश्य को ही नहीं समझता । अतः ऐसी स्थिति में श्रम सघों के कार्यों में कुछ भी रुचि न रखना स्वाभाविक ही था । परतन्त्रता की शृङ्खलाओं में वर्षों तक जकड़े रहने के कारण उनमें दासता एवं हीनता की भावना पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई थी । उन्होंने इस भावना के कारण ही अपने मालिकों के विरुद्ध आवाज उठाने की कभी कल्पना भी नहीं की और शोषण को सदेव धरना भाग्य ही समझा ।

श्रम-सघों द्वारा कल्याणकारी कार्यों का अभाव

आर्थिक स्थिति के ठीक न होने के कारण भारतीय श्रम सघ श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्य करने में सदैव असमर्थ रहे जिसकी वजह से श्रमिक वर्ग ने इन सघों के प्रति कुछ भी उत्साह नहीं दिखलाया । वास्तव में भारत के अधिकांश श्रम सघ केवल हड़ताल समितियाँ हैं और श्रमिक यह समझता है कि इनका उपयोग केवल हड़ताल के समय में ही किया जा सकता है ।

उद्योगपतियों का विरोध

भारतीय उद्योगपतियों में इस धारणा ने कि श्रम सघ उनके लिए चुनौती हैं

और इनकी स्थापना का उद्देश्य उनकी शक्ति को कम करना है, उनको श्रम संगठन तोड़ने के लिए अनेक अनुचित उपायों का अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया। प्रायः उद्योगपति जासूसी एव गुंडों द्वारा श्रम सघों के पदाधिकारियों को घूस देकर, मरवा पिटा कर एव प्रतियोगी श्रम सघ निर्माण करके श्रम संगठन को तोड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसी दशाओं में भारतीय श्रम संगठन का शिथिल होना स्वाभाविक ही था।

श्रम सघों में आन्तरिक फूट

भारत में श्रम सघ का संगठन राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर किया गया है। विभिन्न राजनैतिक राजनीतिक सिद्धान्तों में मतभेद होने के कारण विभिन्न श्रम सघों के सदस्यों में भी मतभेद होना स्वाभाविक ही था। वही कारण रहा कि श्रम सघों में आन्तरिक फूट का कारण विभिन्न श्रमिकों की आर्थिक समस्याएँ समान होने हुए भी उनको एक सूत्र में नहीं बाँधा जा सका और सुसंगठित श्रम सघों का विकास न हो सका। आज भी विभिन्न श्रम सघ विभिन्न राजनैतिक दलों की चूब-छाया में उनके राजनैतिक आदर्शों पर चल रहे हैं और उन्हीं आदर्शों के अनुरूप ही उनके अलग अलग समस्याओं के सुलझाने के ढंग भी हैं। सभी के रास्ते अलग अलग होने के कारण श्रम सघ व्यवस्थित रूप से एक होकर श्रम समस्याओं के सुलझाने में सदैव असफल रहते रहे। आपसी नौक-भौंक के कारण सदैव आपसी तनाव बना रहा और श्रम सघ आन्दोलन असंगठित बना रहा।

श्रम संगठन में राजनीति का प्रवेश

विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा स्थापित श्रम-सघ केवल राजनीति का रंगमंच रह गये और अपना मुख्य उद्देश्य खो बैठे। इन श्रम-सघों का राजनीतिक नेताओं ने श्रम सघ के संगठन का मूल उद्देश्य राजनैतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करना रखा। इनका उद्देश्य श्रमिकों की दशा में सुधार करना नहीं था। ऐसी दशा में श्रमिकों का इनके प्रति कुछ भी रुचि न रखना स्वाभाविक ही था। प्रायः श्रमिक यह सोचने लगता है कि श्रम सघ का उसका जीवन से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है।

पदलोलुपता

श्रम सघ के संगठन रूढ़ियों में पदलोलुपता एव नेता बनने की अभिलाषा के कारण स्वयं संगठनकर्त्ताओं में ही भेदभाव बना रहता है। परिणामस्वरूप वे सभी मिलकर कार्य नहीं करते जिसका कारण संगठन शिथिल हो जाता है। वे आपस में ही एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते हैं। ऐसी दशा में उचित संगठन का अभाव रहना स्वाभाविक हो जाता है।

सरकार की उदासीनता

विदेशी सरकार का भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं रही। यहाँ पर प्रारम्भ में अधिकतर उद्योग-धंधे भी विदेशियों द्वारा ही स्थापित किये गए थे और ये विदेशी उद्योगपति सदैव भारतीय श्रमिकों के शोषण करने में ही अपना हित समझते थे। विदेशी सरकार का इनके प्रति सहानुभूति रखना स्वभाविक ही था। परिणामस्वरूप भारत में श्रम संघों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम संघ अधिनियम सन् १९२६ तक नहीं बनाया गया। इसके पहले तो श्रम संघों को कानूनन अवैध घोषित किया जा चुका था। ऐसी दशाओं में श्रम संघ आन्दोलन की विरासत की गति का मन्द होना स्वाभाविक ही था।

भारत में कुशल श्रमिक नेताओं का अभाव

प्रत्येक संस्था का उत्थान उसके नेताओं पर ही निर्भर होता है। भारतीय श्रमिकों के अशिक्षित होने व कारण, हमारे देश में श्रम संघों का नेतृत्व श्रमिक-वर्ग के नेताओं के अधीन न होकर सामान्यतः किसी कनीस अथवा राजनीतिज्ञ के हाथों में रहा जो परोपकार या राजनैतिक आत्मोपकार की दृष्टि से श्रमिक नेता बन बैठे। ये श्रमिक नेता श्रमिकों की वास्तविक कठिनाइयों एवं उद्योग विरोध की विशेषताओं से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञता के कारण श्रमिकों के हित में कुछ भी कार्य करना इन नेताओं के लिये कठिन हो जाता है। वास्तव में श्रम संघ का नेतृत्व राजनीतिज्ञों के हाथ में होने के कारण ये संघ राजनैतिक प्रचार के रासमच का रूप ले लेते हैं क्योंकि इन राजनीतिज्ञों का मूल उद्देश्य सगठन स्थापित परके अपने राजनैतिक दल को सुदृढ़ बनाना एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है। इस प्रकार भारत में कुशल श्रमिक नेताओं की छुनछुटा में श्रम संघों के नेतृत्व का अभाव, इस आन्दोलन की प्रगति के पथ में सदैव एक मुख्य बाधा रहा है।

उपमहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में यद्यपि श्रम संघ आन्दोलन का पूर्ण विकास उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं हो सका और आज भी यह आन्दोलन अपनी शैशवावस्था में ही है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि इस आन्दोलन का आशाप्रद सङ्घात हो चुका है। इधर का विषय है कि श्रमिकों में जागरूति एवं चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है और ये श्रम संघ के महत्व को मनी भाति समझ चुके हैं। श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक हो गया है। चाय श्रमिका कवल इस बात की है कि भारतीय श्रम संघों को राजनैतिक दलबन्दी के गन्दे

दलदल से मुक्त किया जाय और इनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के नेताओं की छत्रछाया में ही सम्भव बनाया जाय। इसके लिये श्रमिकों को श्रम सघ के संचालन के विषय में उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता है। श्रम सघों को श्रमिकों के लिए वास्तविक कल्याणकारी कार्य करना भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना श्रमिकों को सघों की ओर आकृष्ट करना अत्यन्त कठिन होगा। श्रम सघों के कार्यों को देखते हुए ऐसा स्पष्ट होता है कि उसका कार्य केवल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने एवं समय समय पर कुछ प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित रह गया है। भारत में श्रम सघों की संख्या भी बहुत अधिक है जिसके कारण सामूहिक प्रयत्न संभव नहीं हो पाता और श्रमिकों का पक्ष शिथिल हो जाता है। अतः इस बात की भी आवश्यकता है कि एक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक ही सघ हो। उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उनका हित श्रम-सघों के विकास में ही निहित है क्योंकि औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए श्रम सघ प्रथम आवश्यकता है। इस आन्दोलन की सफलता से न केवल श्रमिकों एवं उद्योगपतियों को ही लाभ होगा वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) के शब्दों में—

“Nothing but a strong trade union movement will give the Indian workmen adequate protection. Legislation can act as a palliative and prevent the graver abuses, but there are strict limitations to the power of the government to protect workmen who are unable to protect themselves..... Nor is labour the only party that will benefit from a sound development of the trade union movement, employers and the public generally should welcome its growth

वास्तव में भारत सरकार सन् १९४२ का औद्योगिक प्रस्ताव, देश के संविधान में उसी भावना का पुनः प्रकाशन तथा दोनों ही पक्षधर्मीय योजनाओं में मजदूरों को दिए गए आश्वासन हमारे विश्वास एवं सक्लों तथा मेहनतकश समुदाय के उन्नतिशील भाग्य के चमकते हुए प्रकाश ग्रह हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस भी यह स्वीकार कर चुकी है कि श्रम सघ हमारे जीवन और उद्देश्यों के अनिवार्य अंग हैं। अतः देश में उनके मजबूत एवं प्रभावशाली विकास का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त हो चुका है।

औद्योगिक संघर्ष

(Industrial Disputes)

उद्भव एवं महत्व

विशालकाय उद्योगों के जन्म के साथ ही साथ मानव समाज का दो वर्गों— श्रम वर्ग एवं पूँजी वर्ग—में विभाजन हो गया। श्रम वर्ग शोषित एवं श्रमाव ग्रस्त था एवं पूँजी वर्ग सम्पन्न एवं वैभवशाली। पूँजी वर्ग ने अपनी पूँजी की श्रम शक्ति के कारण एवं श्रमिक वर्ग की निर्बलता एवं दयनीय स्थिति का लाभ उठा कर श्रमिकों का शोषण प्रारम्भ कर दिया। श्रमिकों की दशा शोचनीय हो उठी और उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप ही औद्योगिक संघर्ष का हड़तालों, बाले बन्दियों एवं अन्य औद्योगिक झगड़ों के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। असंतोष एवं अशान्ति के मध्य श्रमिकों में शान्ति स्थापित किए रहना अत्यन्त कठिन हो गया और औद्योगिक संघर्ष की समस्या न केवल उद्योगपतियों के लिये वरन् समस्त राष्ट्र के लिये एक गभीर समस्या बन गई। प्रो० पीगू (Prof. Pigou) ने ठीक ही लिखा है—

“The declaration of class war means loss of wages, hunger and all its attendant miseries and suffering to the worker, financial loss to the employer, reduced sale to the shop keeper, extra worries to those in charge of law and order, excitement and inconvenience to the general public, and huge economic loss to the nation”

श्रम एवं पूँजी किसी भी उद्योग के दो मुख्य आधार स्तम्भ हैं। बिना इन दोनों के सहयोग के किसी भी राष्ट्र का औद्योगिक विकास असम्भव है। औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक शान्ति की स्थापना प्रथम आवश्यकता है। पूँजी तो उत्पत्ति का एक निष्क्रिय साधन है। इसमें जीवन एवं चेतना प्रदान करने का श्रेय तो श्रम को ही है, अतः उत्पत्ति में श्रम का स्थान सर्वोच्च है। मि० एम० ए० मास्टर (Mr. M A Master) ने ठीक ही लिखा है—

“Without hearty co operation of the workers, the most powerful mechanical contrivances and the most efficient organization are of little avail.”

किसी भी राष्ट्र में उत्पादन श्रमियों पर ही निर्भर होता है। औद्योगिक सघर्ष के कारण राष्ट्र की उत्पादन शक्ति क्षीण हो जाना स्वाभाविक ही है। राष्ट्र के उत्पादन पर ही देशवासियों की सम्पन्नता एवं समृद्धि तथा राष्ट्र का वैभव निर्भर होता है। अतः औद्योगिक सघर्ष की समस्या राष्ट्रीय विकास की समस्या है। वास्तव में औद्योगिक सघर्ष किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के पथ की मुख्य बाधा है।

‘असतोष ही क्रान्ति की जननी है’। औद्योगिकों सघर्षों में इस क्रान्ति की चिन्तनगारी सुलगा करती है। राष्ट्र में शान्ति स्थापित करने के लिए इस चिन्तनगारी का सुझाव नितान्त आवश्यक है। बिना शान्ति के कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। इस प्रकार औद्योगिक सघर्ष की समस्या शान्ति व्यवस्था की समस्या भी है जिसके समधान के बिना राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे का सुदृढ़ आधार पर निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज समस्त विश्व के राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक इस समस्या के सुलभाने में व्यस्त हैं।

आज का युग समाजवादी अर्थ व्यवस्था का युग है। पूँजीवाद अपनी अन्तिम श्वासों गिन रहा है। इस युग में श्रमिक को वे अधिकार प्रदान करना जो प्रत्येक मानव के जन्म सिद्ध अधिकार हैं, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। आज यह समय की पुकार है जिसकी कोई भी राष्ट्र ग्रहण नहीं कर सकता। औद्योगिक शान्ति स्थापित करके श्रमिकों के जीवन में नवान चेतना एवं जायति का प्रादुर्भाव करना वर्तमान युग की प्रथम आवश्यकता है। यहाँ पर सर्व श्री सिडनी एवं वेब (M/s Sidney & Webb) के शब्दों को उद्धृत करना कदाचित् अनुचित न होगा—

“We have got to remember that it is human beings like ourselves with whom we are dealing, husbands, fathers and citizens like ourselves. We can, if we like, still take advantage of the wage earner's poverty or their ignorance to bully them, to subject them, to caprice or tyranny, or to insult them with foul language, but we do so at our peril.”

वास्तव में औद्योगिक शान्ति, सामाजिक समानता एवं न्याय की माँग है जिसको प्रदान करना ही होगा, टाला नहीं जा सकता। शोषण का अन्त करना अनिवार्य है। उद्योगों को जीवन प्रदान करने वाले मानव का ध्यान रखना ही होगा।

औद्योगिक सघर्ष के कारण

औद्योगिक सघर्ष के कारणों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) आर्थिक कारण,
- (२) अनार्थिक कारण ।

आर्थिक कारण

औद्योगिक सघर्ष के मूलभूत कारणों में आर्थिक कारणों का प्रमुख स्थान है । प्रायः प्रत्येक औद्योगिक सघर्ष की घुष्टभूमि में सर्वेव कोइ न कोइ आर्थिक कारण अवश्य रहता है जैसा कि भारतीय श्रम आयोग के शब्दों से स्पष्ट है—

“यद्यपि श्रमिक वर्ग राष्ट्रीय, साम्यवादी अथवा व्यापारिक हितों को सिद्ध करने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क से प्रभावित भले हुए हों, फिर भी हमारा पूर्ण विश्वास है कि कोई भी महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद ऐसा नहीं हुआ जिसके पीछे पूर्णतया या अधिकांश रूप से आर्थिक कारण न रहे हों ।”^१

वास्तव में श्रमिकों की निर्धनता एवं दरिद्रता ने ही उनमें असतोष की भावना को जन्म दिया जिसके कारण औद्योगिक सघर्ष का प्रादुर्भाव हुआ । औद्योगिक सघर्ष के मुख्य मुख्य आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं—

- (१) मजदूरी, ग्रेजस एवं महगाई के भत्ते की माँग एवं उनमें वृद्धि के लिए सघर्ष ।
- (२) कार्य करने की दशाओं एवं रोजगार की शर्तों में सुधार करने के लिए सघर्ष ।
- (३) कार्य करने के घंटों में कमी करने के लिए सघर्ष ।
- (४) अधिक अवकाश एवं सनेतन सफ्ट कालीन लुद्धियों की व्यवस्था के लिए सघर्ष ।
- (५) मिलों के प्रबंधक या भर्ती करने वालों के दुर्व्यवहार पर प्रति सघर्ष ।
- (६) श्रमिकों की अनुचित मर्जास्तगी के विरोध में एवं उनको पुनः काम देने की माँग करते हुए सघर्ष ।
- (७) अनुचित रूप से मिल बन्द कर देने के विरोध में सघर्ष
- (८) उद्योगों के उद्धारण में श्रमिकों का स्थान प्राप्त करने के लिए सघर्ष ।

१ Although workers may have been influenced by persons with nationalist communist or commercial ends to serve we believe that there has been rarely a strike of any importance which has not been due entirely or largely to economic reasons

(६) वैज्ञानिक प्रवर्ध के विरुद्ध, जिससे श्रमिकों के निकाले जाने का भय उपस्थित हो जाता है, सघर्ष ।

आनाथिक कारण

आनाथिक कारणों के अन्तर्गत राजनैतिक एवं सामाजिक कारण आते हैं । भारत में औद्योगिक सघर्ष के इतिहास में इन कारणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । बहुत से औद्योगिक सघर्ष यहाँ पर केवल राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की देन रहे हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा ।

(१) राजनैतिक

विदेशी शासनकाल में भारत के श्रमिकों का राष्ट्रीय आन्दोलन में, जिसका मूल उद्देश्य दासता की शृङ्खलाओं से मुक्ति प्राप्त करना था, सक्रिय भाग लेना स्वाभाविक ही था । भारत में इन आन्दोलनों के प्रति आस्था एवं सहानुभूति दिखलाने के लिए श्रमिक वर्ग ने हड़ताल का सहारा लिया । सन् १९०८ में श्री लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के फलस्वरूप बम्बई में हुई हड़ताल ने वास्तव में राजनैतिक हड़तालों की नींव डाल दी । मुख्य रूप से निम्नलिखित राजनैतिक कारण औद्योगिक सघर्ष के जन्मदाता रहे हैं—

(क) खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा-भंग आन्दोलन (Civil disobedience) एवं महात्मा गांधी तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अनशन के कारण प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी एवं उनके प्रति दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया व कारण हड़तालें ।

(ख) मालिकों द्वारा श्रमिकों को राजनैतिक सभाओं अथवा जलूस में भाग लेने के कारण, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सहानुभूति प्रकट करने पर एवं विदेशी प्रवर्धकों की अवज्ञा के कारण बरतारत कर देने या उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने के विरोध में प्रदर्शन एवं हड़तालें ।

(ग) साम्यवादी विचारधारा वाले श्रम सघों के उदयाने के कारण हड़तालें ।

(२) अन्य औद्योगिक सस्थानों के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति

कभी कभी एक उद्योग के श्रमिकों के हड़ताल करने पर उनके प्रति सहानुभूति दिखलाने के लिए अन्य उद्योगों के श्रमिकों ने भी हड़ताल का सहारा लिया और औद्योगिक सघर्ष की समस्या उत्पन्न कर दी ।

(३) सटोरियों की नीति के कारण

सटोरियों का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के द्वारा अधिक लाभ कमाना होता है । अतः हड़तालों द्वारा वस्तु के उत्पादन में कमी करके उनके मूल्यों में

वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से सटोरिये झूठी अफवाह फैलाकर एवं श्रमिकों को घूस देकर हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

(४) श्रम संघों का अभाव

वास्तव में श्रम संघ आन्दोलन का अविकसित होना भारत में औद्योगिक संघर्ष का मूल कारण कहा जा सकता है। उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने के लिए एवं उनमें पारस्परिक सद्भावना स्थापित करने के लिये श्रम-संघ महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। श्रम संघों के बिना उद्योगपतियों का श्रमिकों से सम्बन्ध रखना कठिन हो जाता है और आपसी समझौते की नीबत ही नहीं आने पाती। वास्तव में बहुत सी समस्याएँ, जिसके कारण औद्योगिक संघर्ष का जन्म होता है, प्रारम्भ में ही आपसी समझौते द्वारा सुलझाई जा सकती हैं जिससे संघर्ष की नीबत ही न आने पाये, परन्तु श्रम संघ के अभाव में ऐसा सम्भव नहीं हो सका। श्रम संघ के अभाव में श्रमिकों को उचित निवन्धन और पथ प्रदर्शन न मिलने के कारण मामूली सी बातों पर हड़ताल का सहारा लेना पड़ा, और औद्योगिक संघर्ष की जड़ें और भी मजबूत होती चली गईं।

औद्योगिक संघर्ष के रोकने के उपाय

औद्योगिक संघर्ष रोकने एवं उनसे होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए दो प्रकार के उपायों की आवश्यकता है—

(१) वे उपाय जिनसे औद्योगिक संघर्ष का जन्म ही न होने पाये अर्थात् प्रतिवन्धक उपाय (Preventive Measures)।

(२) वे उपाय जो यदि संघर्ष उपस्थित हो जाय तो उसका शीघ्र से शीघ्र निवटारा करके शान्ति स्थापित कर सकें अर्थात् रक्षात्मक उपाय (Curative Measures)।

प्रतिवन्धक उपाय

पुरानी कहावत है “इलाज से रोग की रोक-थाम सर्वैय उत्तम होती है”।^१ अतः औद्योगिक शान्ति के स्थापित करने में इन उपायों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वे व्यापक निम्नलिखित हो सकते हैं—

संगठित श्रम संघ की स्थापना

औद्योगिक संघर्ष का मुख्य कारण उद्योगपतियों तथा श्रमिकों में पारस्परिक सम्बन्ध एवं सहानुभूति का न होना है। वास्तव में यदि छोटी-छोटी बातें जिनके

१ “Prevention is better than cure”

कारण औद्योगिक सर्पर्ष उग्र रूप धारण कर लता है प्रारम्भ में ही आपसी समझौते द्वारा मुलभत्ता दी जायें तो औद्योगिक सर्पर्ष का बन्धन ही न हो। उद्योगपति प्रत्येक श्रमिक से अलग अलग सम्बन्ध तो स्थापित नहीं कर सकता, परन्तु श्रम सर्पर्षों द्वारा यह समस्या आसानी से मुलभक्त सकती है। आपसी सम्पर्क के कारण दोनों ही एक-दूसरे की समस्याओं को समझ सकेंगे और सहानुभूति दिखला सकेंगे। प्रेम एवं सहानुभूति आपसी कटुता एवं आवश्वास का स्थान ले लेंगे। प्रेम एवं सहानुभूति का मूल्य आपसी संधि का प्रश्न ही नहीं उठता।

संगठित श्रम संगठन के होने पर उद्योगपति भी अपनी शक्ति से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करने में सज्ज होकर और इस प्रकार शांति का अन्त ही जायगा। यही नहीं श्रमिक भी सामूहिक सौदेबाजी (Collective bargaining) से लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसी दशा में औद्योगिक सर्पर्ष का प्रारम्भ में ही गला टूट जायगा। सर पम्स डोक ने ठीक ही लिखा है—

“सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता चाहिये कि स्वाभिमान, उत्तरदायी और समस्त श्रमिक संगठन का निर्माण किया जाये।”

उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्यों का आचोपन

शान्ति का मूलाधार प्रेम एवं सहानुभूति है। यदि श्रमिकों में इस भावना को उत्पन्न कर दिया जाय कि उद्योगपति उनका हितैरु एवं शुभाकांक्ष हैं तो न प्रकृत्य ही उनका प्रति सहानुभूति रखने लगें और ऐसा स्थिति में सर्पर्ष की भावना का नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। यह तभी सम्भव है सन्तुष्ट है जब उद्योगपति श्रमिकों के कल्याण के लिये कुछ ठोस कार्य करें और उनका कुछ दान को समझें। भारत में विदेशी उद्योगपतियों का सम्बन्ध भारतीय श्रमिकों से रचनात्मक भावना थी और यही कारण रहा कि श्रमिकों ने प्रायः उन पर विद्रोह नहीं किया और आपसी भद्र एवं मनसुख के कारण सदैव अविश्वास की भावना पनपती नहीं जो औद्योगिक सर्पर्ष का मूल कारण रही। आज परिस्थितिना बदल चुकी है। उद्योगपति भी भारतीय हैं और श्रमिक भी। आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगपति मानवतावादी दृष्टिकोण को समझें और अपनायें। आज समय की गति के साथ साथ उद्योगपतियों को श्रम कल्याण कार्यों का महत्व समझना है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो श्रम असन्तोष से उत्पन्न हुई साम्यवाद का उन्नात तरंग उठेगा शान्ति ही विनाश की अतल गहराइयों में डूबा देगा। औद्योगिक शान्ति का समस्त उनका जीवन-मरण की समस्या है और इसकी स्थापना केवल प्रेम एवं सहानुभूति का आधार पर ही की जा सकती है। इस दिशा में श्रम कल्याण का कार्य उचित कदम होगा।

सामाजिक सुरक्षा का आयोजन

सापात्रिक सुरक्षा की योजनाओं द्वारा धमिकों की भावी चिन्ताओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है और उनमें सतोष की भावना व्याप्त की जा सकती है। बेरोजगारी का भय, दरिद्रता के कारण दैवी धकटों से भय एव वृद्धावस्था में आय पन्द हो जाने का भय धमिकों में असतोष की भावना को और भी प्रज्वलित करते हैं। असतोष में ही क्रान्ति की विनाशकारी चिन्ताएँ छिपी रहती हैं। दरिद्रता ही भारतीय धमिकों का मुख्य अभिशाप है और इससे छुटकारा दिलाने में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ अत्यधिक सफल हो सकती हैं।

धमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का प्रादुर्भाव

अतीत में उद्योगपतियों के अनुचित व्यवहार के कारण भारतीय धमिकों में उनके प्रति आश्वासन की जड़ें मजबूती से जम चुकी हैं। धमिकों में इस भावना का मिटाना ही श्रौचोगिक शान्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक है। आज धमिकों को स्वतन्त्र भारत का नागरिक एव राष्ट्र का कर्णधार होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिये। अभिनवीकरण, वैज्ञानिक प्रगति एव अन्य श्रौचोगिक सुधारों का अविशेषपूर्ण आधार पर विरोध न तो उनके ही हित में और न राष्ट्र के हित में ही होगा। अधिकारों के माँग के साथ-साथ कर्तव्यों का समझना भी आवश्यक है। श्रौचोगिक सवर्ष राष्ट्र के उत्पादन-वृद्धि में एक अवरोध है और राष्ट्र विरोधी एक तत्व है जिसका विवेकपूर्ण रीति से हटाना अत्यन्त आवश्यक है। यह प्रवश्य है कि अध्यापन एव अज्ञान व गहन अन्धकार में भटकते हुए धमिक वर्ग से आज शान्ति एव सतोष को आया करना व्यर्थ ही नहीं, वरन् अन्याय ही होगा। अतः पहले उनके कल्याण के लिये उद्योग पतियों, केन्द्रिय तथा राज्य सरकारों, धर्म सचों तथा समाज रक्षण संस्थाओं द्वारा ठोस कदम उठाया जाना चाहिये, तभी धमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का प्रादुर्भाव सम्भव हो सकता है।

कार्य समितियों की स्थापना (Establishment of Works Committees)

कार्य समितियों का निर्माण प्रत्येक मिल में अलग-अलग मालिक और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये समितियाँ मिल अथवा निर्माणशाला के अन्दर बैठकर अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाती हैं। मालिकों और धमिकों के बीच निकटवर्ती सम्पर्क स्थापित हो जाता है और आपस में सब मसले सुलझ जाने के कारण श्रौचोगिक सवर्ष की चिन्ताएँ प्रज्वलित होने के शून्य ही बुझ जाती हैं। इन समितियों में दोनों ही दल एक दूसरे के भिन्न के रूप में मिलते हैं, अतः समस्याओं का सुलझाना सरल होता है। सवर्ष हो जाने के उपरान्त दोनों ही दल एक दूसरे के

प्रतिद्वन्दी का रूप ले लेते हैं, अतः समस्या का रूप और भी गम्भीर हो जाता है। इन समितियों द्वारा सभी समस्याएँ प्रारम्भिक अवस्था में ही सुलभ जाती हैं जिससे उनकी भावनाएँ ठीक बनी रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय श्रम आयोग ने लिखा है—

“यदि इन्हे उचित प्रोत्साहन दिया जाय और पुराने दोष मिटा दिये जायँ तो ये समितियाँ भारतीय औद्योगिक प्रणाली में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं।”^१

भारत में श्रम आयोग के सुझाव पर ऐसी समितियों का कुछ उद्योगों में निर्माण हुआ था, परन्तु अहमदाबाद छोड़कर जहाँ गाँधी जी का व्यक्तिगत प्रयत्न एवं प्रभाव था, अन्य स्थानों पर ये समितियाँ असफल सिद्ध हुईं।

स्थायी आदेशों का होना (Standing Orders)

स्थायी आदेश मालिक एवं मजदूरों के बीच सम्पन्न हुए, भर्ती, छुट्टी, अनुशासन कार्यवाही और रोजगार की शर्तों आदि से सम्बन्धित समझौते होते हैं जिनको कानूनन मान्य ठहराया जाता है। प्रायः औद्योगिक सघर्ष उपर्युक्त बातों के आधार पर हुआ करता है। यदि इन बातों को आपसी समझौते द्वारा पहले ही निर्धारित कर लिया जाय तो अग्रसर ही सघर्ष की नीचत न आने पायेगी। ब्रिटेन में ये समझौते अत्यन्त सफल हुए हैं और भारत में भी ये निश्चय ही सफल सिद्ध हो सकते हैं यदि इनके संचालन में कानूनी अनिवार्यता बढ़ती जाय।

लाभ भागीदारी योजना एवं श्रमिकों का उद्योग व्यवस्था में स्थान

लाभ-भागीदारी योजना (Profit Sharing Scheme) कार्यान्वित होने के उपरान्त श्रमिकों का उद्योग विशेष के लाभ में भाग होने के कारण, उत्पादन का अधिक करना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में वे स्वयं किसी प्रकार के सघर्ष से बचने का प्रयत्न करेंगे। उद्योगों की व्यवस्था में भाग मिल जाने पर इस आधार पर कि व्यवस्था ठीक नहीं है श्रमिक सघर्ष करने में अपने को असमर्थ पायेगा। फलस्वरूप औद्योगिक सघर्ष का न होना स्वाभाविक ही है। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब पारस्परिक अविश्वास एवं मनोमालिन्य का अन्त हो जाय।

रक्षात्मक उपाय (Curative Measures)

उपर्युक्त प्रतिबन्धक उपायों के कार्यान्वित होने के बाद भी औद्योगिक सघर्ष की

^१ “We believe that if they are given proper encouragement and past errors are avoided, Works Committees can play a useful part in the Indian Industrial System”—*Royal Commission on Labour*

समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना तो बनी ही रहती है। अतः ऐसे उपायों का, जो संघर्ष उपस्थित हो जाने पर उसका शीघ्र से शीघ्र निवारण कर सकें, कम महत्व नहीं है। संघर्ष जितनी बल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है। अधिक हाँसि से बचने के लिए ये उपाय अनिवार्य हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैं—

- (१) समझौता (Conciliation),
- (२) मध्यस्थता (Mediation),
- (३) जाँच (Investigation),
- (४) पंच निर्णय (Arbitration),
- (५) औद्योगिक न्यायालय की स्थापना (Industrial Courts)।

समझौता (Conciliation)

आपसी समझौता एक ऐसी प्रणाली है जिसके अन्तर्गत संघर्ष के उपस्थित हो जाने पर मालिक एवं मजदूरों के प्रतिनिधि एक तीसरे व्यक्ति या समिति के सम्मुख अपने विवाद को रखते हैं जहाँ आपसी बातचीत द्वारा आपसी समझौते का कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न किया जाता है। मध्यस्थ दोनों दलों के दृष्टिकोण जानने के उपरान्त आपसी समझौते के द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करता है।

समझौता दो प्रकार का हो सकता है—(१) स्वेच्छिक (Voluntary), (२) अनिवार्य (Compulsory)। जब मालिकों एवं मजदूरों द्वारा स्वेच्छा से समझौते की व्यवस्था होती है तो उसे स्वेच्छिक समझौता कहते हैं। जब समझौता कानूनन अनिवार्य कर दिया जाता है तो उसे अनिवार्य समझौता कहते हैं। सरकार इस व्यवस्था के लिए समझौता अधिकारी (Conciliation officers) या समझौता बोर्डों (Conciliation Boards) की स्थापना करती है।

मध्यस्थता (Mediation)

संघर्ष की समस्या उत्पन्न होने पर जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति, सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी अथवा कोई अन्य मध्यस्थ मामले में हस्तक्षेप करता है तो इस प्रणाली को मध्यस्थता कहते हैं। प्रायः ये मध्यस्थ सरकार द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार की मध्यस्थता का प्रश्न उस समय उपस्थित होता है जब समझौता समिति (Conciliation Board) की बातचीत असफल होकर टूटती-सी प्रतीत होती है। मध्यस्थ का प्रभावशाली व्यक्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। इस उपाय को अधिक उपयुक्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि मध्यस्थ को बात मान ही ली जाये।

जाँच (Investigation)

इस प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक झगड़ों का एक समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यह भी स्वेच्छिक अथवा अनिवार्य हो सकता है। जब दोनों पक्षों द्वारा अथवा किसी एक पक्ष द्वारा निवेदन करने पर समिति का निर्माण होता है तो इसे स्वेच्छिक जांच कहते हैं। जब सरकार द्वारा बिना किसी पक्ष के निवेदन के ही जांच समिति का निर्माण होता है तो इसे अनिवार्य जांच कहा जाता है। इन जांच समितियों (Investigation Committees) का मुख्य कार्य परिस्थितियों का निरीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव रखना होता है जिनका स्वीकार करना या न करना दोनों ही पक्षों की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। इस प्रणाली में समय अधिक लगने के कारण, इसको आदर्श प्रणाली नहीं कहा जा सकता। तथ्यों के प्रकाशित हो जाने पर भी और जांच समिति के प्रस्ताव रखने पर भी उनका पालन करना केवल स्वेच्छा पर ही निर्भर है।

पंच निर्णय (Arbitration)

इस प्रणाली के अन्तर्गत विवाद को किसी व्यक्ति, समिति या न्यायालय के सम्मिलित पंच की हेतियत से उपस्थित किया जाता है। ये पंच दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरान्त अपना फैसला देते हैं। यह फैसला दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। पंच निर्णय भी स्वेच्छिक या अनिवार्य हो सकता है। स्वेच्छिक पंच निर्णय में पंच द्वारा दिया गया निर्णय मानना दोनों पक्षों की स्वेच्छापर निर्भर होता है। अनिवार्य पंच निर्णय में दोनों ही पक्षों को पंच द्वारा दिया गया फैसला अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है।

औद्योगिक न्यायालय की स्थापना

इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार औद्योगिक न्यायालयों की स्थापना करती है। इन न्यायालयों में श्रमिकों एवं मालिकों के बीच समझौता नहीं होने पर विवाद को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का दोनों ही पक्षों को अधिकार होता है और इनका फैसला कागूतन मान्य होता है। कभी-कभी ऐसी भी व्यवस्था होती है कि समझौता न होने पर विवाद को न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होते हैं।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Measures taken by the Government)

कार्य समितियों की स्थापना (Establishment of Works Committees)

सर्व प्रथम सरकार ने सन् १९२० में सरकारी छापखानों में संयुक्त समितियाँ (Joint Committees) की स्थापना की थी। इसके उपरान्त मद्रास की कपड़ा

मिलों, रेलवे, बमरोदपुर के लौह इस्पात उद्योग एव कुछ राब्या के चरिगत उद्योगों म इन समितियों का निर्माण किया गया, परन्तु इनक द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सन। सरकार द्वारा भी दस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं हुआ। सर्व प्रथम सरकार द्वारा सन् १९४७ में औद्योगिक सवप कानून के अन्तर्गत कन्द्रीय सरकार ने राबन सरकारों को विभिन्न उद्योगों म कार्य समितियों निर्माण करने की व्यवस्था की। सन् १९४८ म उत्तर प्रदेशीय सरकार ने २०० या इससे अधिक श्रमिकों वाला निर्माण-शालाओं म कार्य समितियों की स्थापना अनिवार्य कर दिया, परन्तु नवम्बर १९५० म इस व्यवस्था का हटा लेना पड़ा। इस और बम्बई, मद्रास, मद्रास एव पंजाब सरकारों ने भी कदम उठाए परन्तु सफल न हो सन। इन कार्य समितियों की असफलता क निम्नलिखित कारण रह—

(१) ऋम सव इन समितियों को अपना प्रतियोगी समनत थे।

(२) उद्योगपति इन समितियों को श्रम सव का दूसरा रूप समकृत थे। उद्योगपति इन समितियों म बैठकर श्रमिकों से बातचीत करने म श्रमती हीनता समझते थे और उनका मत था कि उद्योग क दैनिक कार्य इन समितियों क कारण मुचाक रूप से नहीं चलाए जा सकते।

स्थायी आदेश (Standing Orders)

सर्वप्रथम सन् १९३८ में बम्बई औद्योगिक सवप कानून के अन्तर्गत स्थायी आदेशों क निर्माण की अनिवार्य किया गया। इसक उपरान्त सन् १९४६ म कन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश (Industrial Employment Standing Orders Act) कानून के अन्तर्गत १०० या इससे अधिक श्रमिकों वाली औद्योगिक संस्थानों में स्थायी आदेशों का निर्माण अनिवार्य कर दिया और इसके पालन न करने पर दंड की व्यवस्था का। कानून के अनुसार स्थायी आदेशों का निर्माण श्रमिकों क सहयोग से होगा और इन आदेशों को ऋम कमिश्नर द्वारा प्रमाखित करना आवश्यक है। परन्तु अनुभव यह मतलाता है कि ये कानून उचित निराकरण क अभाव म सफल नहीं हो सक।

औद्योगिक सधि प्रस्ताव १९४७ (Industrial Truce Resolution 19 47)

औद्योगिक शान्ति स्थापित करने क उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् १९४७ में उद्योगपतियों एव श्रमिकों क बीच एक शान्ति-सधि स्थापित करने की व्यवस्था की। इस सधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—

(१) बिनादों को सुलभाने के लिए सभी कानूनों और अन्य उपादानों की प्रत्येक स्थान पर उचित व्यवस्था की जाए।

(२) उचित मजदूरी (Fair wages) एवं कार्य करने की दशाओं को निर्धारित करने और श्रम सहयोग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवं उत्पादक इकाई समितियाँ स्थापित की जायँ ।

(३) प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में कार्य समिति की स्थापना की जाय ।

(४) श्रमिकों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए उनके आवास की उचित व्यवस्था की जाय ।

सन् १९४८ में राब्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें उचित पारिश्रमिक और मालिकों का लाभ निश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की गई। केन्द्रीय सरकार ने १० लाख मकानों के निर्माण के लिए एक गृह निर्माण बोर्ड (Housing Board) की भी स्थापना की। श्रम रोजगार केन्द्रों (Employment Exchanges) एवं श्रम प्रशिक्षण केन्द्रों (Labour Training Centres) को भी स्थायी रूप प्रदान किया गया।

औद्योगिक संघर्ष कानून (Industrial Disputes Act)

औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में औद्योगिक संघर्ष विधान का इतिहास पुराना नहीं है। सर्वप्रथम इस दिशा में बम्बई राज्य सरकार ने सन् १९२४ में एक औद्योगिक संघर्ष बिल प्रस्तुत किया था परन्तु वास्तविक रूप से सन् १९२८ में जाकर केन्द्रीय सरकार एक प्रभावशाली बिल प्रस्तावित करने में सफल हो सकी जिसके कारण सर्वप्रथम सन् १९२९ में व्यापार संघर्ष कानून (Trade Disputes Act 1929) पास हुआ। वास्तव में यह कानून सरकार द्वारा औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम सहायनीय प्रयास था।

व्यापार संघर्ष कानून १९२९ की मुख्य धाराएँ

(१) स्वतंत्र अध्यक्ष (Independent Chairman) एवं अन्य स्वतंत्र सदस्यों द्वारा निर्मित जाँच अदालतों (Courts of Enquiry) की केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं रेलवे द्वारा स्थापना की व्यवस्था की गई। जाँच अदालत का कर्तव्य झगड़े के मूल कारणों को ज्ञात करना था। जाँच हो जाने पर समझौता बोर्ड का कार्य था कि दोनों पक्षों में समझौता करावे।

(२) समझौता बोर्ड (Conciliation Board) की भी व्यवस्था की गई। इसके लिये भी एक स्वतंत्र अध्यक्ष तथा दो या चार सदस्य रखे गये जो समान रूप से दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बोर्ड का कार्य जाँच होने के उपरान्त दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराना था।

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत जनहितकारी उद्योगों में (Public Utility Concerns) में जैसे रेल, तार, डाक, विद्युत, प्रकाश, पानी, सफाई इत्यादि में बिना १४ दिन के नोटिस के हड़ताल अवैध घोषित कर दी गई।

(४) अवैधानिक हड़ताल एवं तालाबन्दी की व्याख्या कर दी गई। इस प्रकार किली ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जो उद्योग वाले उद्योग से सम्बन्धित नहीं हैं, कोई भी हड़ताल अवैध होगी। ऐसी हड़तालें भी जिससे जनता को कोई विशेष अनुविधा एवं कष्ट हो, अवैध घोषित की गईं। सहानुभूति में की गईं हड़तालें भी अवैध करार दी गईं।

(५) भ्रम हित की सुरक्षा के लिये सरकारी भ्रम अधिकारियों (Labour Officers) की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई।

उपर्युक्त अधिनियम में कई दोष होने के कारण इसकी कठु आलोचना की गई। सर्वप्रथम इस कानून में संघर्ष रोकने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं था। जॉन अदालत एवं समन्वैता बोर्ड की स्थापना की भी संघर्ष के उपरान्त स्थापित करने की व्यवस्था थी, अतः अवैध होने के कारण इन संस्थाओं का उद्योग विरोध से सम्पर्क न रहना स्वाभाविक ही था। प्रत्येक हड़ताल से जनता को कुछ न कुछ अनुविधा का होना स्वाभाविक ही था, अतः सरकार द्वारा किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता था। इसके कारण भ्रमियों की ओर से भी इस कानून की आलोचना की गई। सहानुभूति हड़तालों के प्रतिबंध को भी उचित नहीं समझा गया। इन आलोचनाओं के परिणामस्वरूप सन् १९३२ में संशोधन किया गया और सन् १९३४ में इसको स्थायी रूप दे दिया गया क्योंकि १९२९ में यह अधिनियम प्रथमतः ५ वर्ष के लिये बनाया गया था। भारतीय भ्रम आयोजन व शिक्षारिणों के आधार पर इस कानून में पुनः सन् १९३० में संशोधन हुआ।

सन् १९३० के संशोधन

(१) औद्योगिक भ्रमों की मध्यस्थता (Mediation) के लिए समन्वैता अधिकारियों की (Conciliation officers) की नियुक्ति की व्यवस्था थी।

(२) अवैध हड़ताल सम्बन्धी नियंत्रणों को भी कुछ शिथिल किया गया।

(३) जन सेवा उद्योग (Public Utility Services) में चल जावायात और ट्रामवे उद्योग भी सम्मिलित किये गये।

उपर्युक्त सभी संशोधनों के बावजूद भी विवादों के निवारण के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि दोनों ही पक्ष अब भी समन्वैता-समितियों का निर्णय मानने न मानने को स्वतन्त्र थे।

द्वितीय महायुद्ध

युद्धकालीन परिस्थितियों के अनुकूल सन् १९४१-४२ में सशोधन किया गया। इन सशोधनों का फलस्वरूप श्रमिकों पर बहुत से बन्धन लगा दिये गये जिनके कारण उनका हड़ताल करना कठिन हो गया। उद्योगपतियों को भी बिना नोटिस दिये हुए ही घंटों तथा अवकाश इत्यादि में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता दे दी गई। यह सब युद्ध प्रयत्नों के हित में ही किया गया।

जनवरी १९४२ में हड़तालों के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षति रोकने के लिए भारत सरकार ने भारत सुरक्षा कानून की धारा ८१-ए के अन्तर्गत हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा सघन उठ खड़े होने की व्यवस्था में समझौते तथा निराकरण के लिए सरकार को सूचना देने का आदेश प्रसारित किये। इसी प्रकार के अधिकार प्रांतीय सरकार को दे दिये गये। बिना १४ दिन की पूर्व सूचना दिये हुए हड़ताल व तालाबन्दी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

उपर्युक्त सभी युद्धकालीन प्रयत्न थे जोकि ३० सितम्बर सन् १९४६ को समाप्त कर दिये गये। किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये स्थायी धाराएँ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई थीं। इस काल में सरकार को औद्योगिक भगड़ों का पर्याप्त अनुभव हो गया और उनका आधार पर देश में स्थायी रूप से औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए उचित विधान निर्माण की योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार ने सन् १९४७ में औद्योगिक सघर्ष अधिनियम का निर्माण किया।

औद्योगिक सघर्ष अधिनियम १९४७

यह अधिनियम मार्च १९४७ में सन् १९२६ ई० के अधिनियम को स्थानापन्न करने के लिए पास किया गया। इसकी मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं—

(१) औद्योगिक भगड़ों को रोकने के लिए दो संस्थाओं को जन्म दिया गया है—श्रम समितियाँ (Works Committees) तथा औद्योगिक न्यायालय (Industrial Tribunals) श्रम समितियों में उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जबकि औद्योगिक न्यायालयों में दो एक ऐसे सदस्य भी होंगे जिनकी योग्यता किसी हाईकोर्ट के जज के समान हो।

सम्बन्धित सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे श्रमिकों व उद्योगपतियों के सम्बन्धी में सुधार करने तथा उनके पारस्परिक झगड़ों को तय करने के लिए उनके प्रतिनिधियों की श्रम समितियाँ (Works Committees) प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थान में स्थापित कर दें जहाँ १०० या इससे अधिक श्रमिक काम

करते हैं। राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे किसी भी झगड़े की जाँच कराने के लिए जाँच न्यायालय (Courts of Enquiry) की माँ स्थापना कर दें।

हड़ताल करने से पूर्व पहले मामला समझौता अधिनारी के समक्ष जायगा जोकि अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख १४ दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा। यदि फैसला हो गया तब तो ठीक है अन्यथा इसके उपरान्त सरकार मामले को समझौते बोर्ड अथवा औद्योगिक न्यायालय के पास भेजती है। बोर्ड अपना प्रयास दो मास तक कर सकता है। अवकाश होने पर सरकार मामले को पुनः जाँच न्यायालय को सौंपती है जो कि ६ माह तक के अन्तर्गत अपनी पूरी जाँच करके प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसके बाद सरकार मामले को औद्योगिक न्यायालय के पास अपने अन्तिम निर्णय (Award) देने के लिए भेजती है। सरकार को अधिकार है कि वह इस निर्णय को दोना पक्षों पर अनिवार्यतः लागू कर सके।

(२) पंच फैसले के मध्य में अथवा उसका फैसले के दो माह तक भी हड़ताल या तालाबन्दी अवैधानिक व दण्डनीय है। जो अतिक्रम ऐसी हड़तालों में सम्मिलित नहीं होंगे उनको पूर्ण रक्षा दी जायगी।

(३) जन हितकारी सेवाओं (Public Utility Services) में हड़ताल करना अवैधानिक कर दिया गया है। इसके लिए ६ सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक है।

(४) राजनैतिक और सहानुभूति में की गई हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

सन् १९४६ के एक कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष औद्योगिक न्यायालय की स्थापना करके जैको और बीमा क्षेत्रों में होने वाले झगड़ों को अपने हाथ में ले लिया है।

इस प्रकार सन् १९४७ का औद्योगिक संघर्ष अधिनियम औद्योगिक शान्ति स्थापित करने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था। इसके अनुसार समझौता एवं पंच फैसला अनिवार्य कर दिया गया है।

औद्योगिक संघर्ष (अपील न्यायालय) कानून १९४७ Industrial Disputes (Appeal Tribunal Act 1947) - सन् १९४७ के कानून के निर्णय के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को औद्योगिक न्यायालय (Industrial Tribunals) नियुक्त करने का अधिकार था किन्तु इन न्यायालयों की कार्यवाही तथा फैसले में कोई समन्वय नहीं था। विभिन्न औद्योगिक न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में विभिन्नता और असमानता की समस्या सुलझाने के लिए सरकार ने उपर्युक्त कानून के अन्तर्गत एक अपील न्यायालय (Appeal Tribu-

nal) की स्थापना की जो विभिन्न समझौता समितियों, वेतन परिषदों (Wage Boards) एवं न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय पर अपील किये जाने पर पुनर्विचार करता है। इस न्यायालय में एक चेयरमैन और कुछ सदस्य होंगे जिनकी संख्या समय-समय पर सरकार निश्चित करेगी। सन् १९५५ में अधिनियम में संशोधन करके इस न्यायालय को भंग कर दिया गया है।

श्रम सम्बन्ध बिल १९५० (Labour Relations Bill 1950)

पिछले अनुभव के आधार पर केंद्रीय सरकार ने पुराने कानूनों में मामूली परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी और एक बिल का प्रारूप तैयार किया। बिल १७ फरवरी १९५० को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य श्रमियों और उद्योगपतियों के पारस्परिक सम्बन्धों में और भी अधिक सुधार करना तथा विभिन्न राज्यों में पाठ हुए कानूनों का समन्वय किया गया। परंतु यह विधेयक बहुत ही ऐसी परिस्थितियों लाकर उत्पन्न करता था जिन पर जनता में मतभेद होने के साथ ही साथ स्वयं केंद्रीय मंत्रिमंडल में गंभीर मतभेद था जैसा कि १९५४ में अपने त्याग पत्र में श्री वी० वी० गिरि ने सनत किया। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस विधेयक का एक प्रकार से दफना सा दिया।

औद्योगिक संघर्ष अध्यादेश १९५३ (The Industrial Disputes Ordinance 1953)

२८ अक्टूबर सन् १९५३ को राष्ट्रपति का और से एक अर्थ अध्यादेश जारी किया गया जिसमें कर्मचारी के पारिभ्रमिक और उद्योगी वर्गों के बीच सम्बन्धित कुछ धाराएँ हैं। इस अध्यादेश के अनुसार—(१) उस श्रमिक को जिसकी एक वर्ष की सेवाएँ हो चुकी हैं, कुछ शर्तों के साथ, शीमारी की अवस्था में, दैनिक वेतन के ५०% के हिसाब से वेतन पाने का अधिकार होगा। तथा (२) बिना एक महान का नाटिक और पिछली सेवाओं के लिए (१ वर्ष में १५ दिन के अंतर शीमारी वेतन के आधार पर) अनुदान (Gratuity) दिये हुए, किसी कर्मचारी को जिसकी सेवाएँ १ वर्ष की हो चुकी हैं प्रत्यास्त नहीं किया जा सकता। सन् १९५४ में औद्योगिक संघर्ष विधान में पुनः संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार यह कानून बगीचा उद्योग के कर्मचारियों पर भी १ अप्रैल सन् १९५४ से लागू होता है।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार ने औद्योगिक शक्ति को स्थापित करने की दिशा में सराहनीय प्रयत्न किये हैं। अनिवार्य समझौता एवं पंच निर्णय मंचों

अच्छि नहीं कहे जा सकते परन्तु भारतीय प्रगति के इस संक्रमण काल में अनिवार्यता का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। परन्तु स्थायी शांति की स्थापना के लिए केवल अनुरोध एवं दवाव का ही सर्वदा सहारा नहीं लिया जा सकता।

अनिवार्यता युद्ध काल में आवश्यक भी हो, वर्तमान काल में यह अनावश्यक एवं अन्यायपूर्ण है। स्थायी शांति का निर्माण तो आपसी प्रेम एवं सद्भावना के आधार पर ही सम्भव है। कानून द्वारा सुधारों को मनुष्यों पर लादा नहीं जा सकता। एच० एस० किर्काल्डी (H. S. Kirkaldi) ने ठीक ही लिखा है—

“Laws and Libraries are full of statutes and court cases, and decisions on the conduct of married life, but they have not made a marriage happy and successful. This is true in industrial relations. It is just as hard and impractical to prescribe iron-bound rules of behaviour in dealings between Labour and management, as it would be to prescribe them for husbands and wives”

अक्तूबर सन् १९५२ में नेनीताल में हुए एक तृदलीय भ्रम सम्मेलन (Tripartite Labour Conference) का सामान्य विचार भी यही था कि “अनिवार्य निर्णय (Compulsory Adjudication)” के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी (Collective bargaining) और आपसी समझौते को महत्व दिया जाय। श्री गिरि भी पारस्परिक समझौते (Mutual Conciliation) और स्वैच्छिक पक्ष निर्णय (Voluntary Arbitration) के पक्ष में थे। वास्तव में औद्योगिक शांति स्थापित करने का मार्ग कानूनी व्यवस्था में ही नियत नहीं है। असतोष से श्रोत प्रोत्त शोषित एवं अर्जरित श्रमिक वर्ग से शांति की कामना करना केवल एक गुप्त स्वप्न के समान होगा। स्थायी शांति तो श्रमिकों को आर्थिक शृङ्खलाओं से छुटकारा दिलाकर एवं उनके जीवन में नवीन चेतना तथा जागरण का प्रादुर्भाव करके ही स्थापित की जा सकती है। मिस्त्री ए० डी० श्राफ (Mrs. A. D. Shroff) ने ठीक ही लिखा है—

“Let the Government realise that there is no time for mere schemes on paper. This is time for action, words do not matter, act up to your tradition, hold high the maxim of justice and equality and give the workers the place which they deserve in the building up of society.”

भारतीय श्रम की कार्यक्षमता

(Efficiency of Indian Labour)

राष्ट्र के औद्योगिक विकास के दो मूल एव महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं, श्रम एव पूँजी। औद्योगिक ढाँचे की भित्ति का न्याय इन्हीं दोनों के आधार पर पूर्णतया अवलम्बित है। निश्चिष्ट एव निष्क्रिय पूँजी में श्रम ही चेतना प्रदान करता है, अतः उद्योग को जीवन एव गति प्रदान करने वाले स्तम्भ श्रम का स्थान पूँजी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वही कारण है कि राष्ट्र की उत्पादन क्षमता एव औद्योगिक प्रगति वहाँ की श्रमिकों की शक्ति एव क्षमता पर निर्भर होती है। भारत में राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष की समस्या का समाधान निर्विघ्न प्राप्त है और तभी हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता सार्थक सिद्ध हो सकती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश का औद्योगिकरण अनिवार्य हो गया है क्योंकि यही निर्धनता, अज्ञानता, रोग तथा आलस्य की समस्याओं का अन्त करके समृद्ध एव सम्पन्नता का मार्ग है। भारत के पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ के असह्य श्रमिकों के कंधों पर ही निर्भर है। आज ७ वैज्ञानिक प्रतिभा के युग में श्रमिकों की सहायता का यथेष्ट ध्यान ही पचास नहीं, बल्कि उनका कार्यक्षम होना भी नितांत आवश्यक है। नित्य प्रति नवीन यन्त्रों तथा उपादानों का आविष्कार हुआ करता है और इन्हीं के कुशल संचालन पर ही श्रमिकों की उत्पादन क्षमता निर्भर होती है। अतः आज राष्ट्र के औद्योगिक विकास, उत्पादन वृद्धि तथा पुनर्निर्माण के लिए श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि देश की प्रथम एव आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष का स्वयं श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि ही साधन हो सकता है। श्रमिक ही राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे की रीढ़ है।

श्रम की वर्तमान दशा

आज भारतीय श्रमिक अपना कार्यक्षम नहीं है जितना कि उसके पश्चात्त यत्न के साथी हैं। वास्तव में भारतीय श्रम अपनी प्रयत्नशक्ति के लिए सार विश्व में प्रसिद्ध है। अन्य देशों में तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो

जाती है। अलैंग्जोएडर मैकरानर्ट के अनुसार अंग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा ४ गुना अधिक कार्य कुशल है। बलेमेट सिम्पसन का तो मत है कि सूती वस्त्र उद्योग में भारत के श्रौतन ३ श्रमिक लड़ाखायर के मिलों में एक श्रमिक के बराबर कार्य करते हैं। सूती मिल उद्योग तटकर कमीशन १९२६ २७ के अनुसार बितने समय में जापानी श्रमिक २४० तकुओं पर, अंग्रेज श्रमिक ५०० से ६०० तकुओं पर और अमरीकन श्रमिक लगभग ११२० तकुओं पर काम करता है उतने ही समय में भारतीय श्रमिक केवल १८० तकुओं पर काम कर पाता है। भारतीय बुनकर श्रौतन २ वर्षों चलाता है जब कि जापानी बुनकर २३, अंग्रेज बुनकर ४ से ६ तक एव अमरीकी बुनकर ६ वर्षों का संचालन कर सकता है। भारतीय उद्योगपतियों का तो कथन है कि वर्तमान मजदूरी (कदाचित् विश्व में जो सबसे कम है) भी श्रमिकों का कार्यक्षमता को देखते हुए मैहगी है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय श्रमिक की उत्पादन क्षमता अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा बहुत कम है। भारतीय श्रमिक का दरिद्रता एव अज्ञानता के गहन अघकार में पालन पोषण होने के कारण उसकी कार्य क्षमता का हीन होना स्वाभाविक ही है।

श्रमिकों की कार्यक्षमता निवारित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं—

(१) प्राकृतिक कारण—

(क) जलवायु

(ख) पैतृक मुख

(२) आर्थिक कारण—

(क) वाय के घटे

(ख) उचित मजदूरी

(ग) कारखाने का वातावरण

(घ) छुट्टियाँ एव अन्य सुविधाएँ

(ङ) श्राुतिक यंत्रों की उपलब्धि

(च) अ-द्वे किस्म के कच्चे माल की

उपलब्धि

(छ) कुशल प्रबंध

(ज) स्थायी प्रकृति

(३) राजनैतिक एव सामाजिक—

(क) सरकार की नीति

(ख) धर्म कल्याण कार्य

(ग) शिक्षा एव आवास की व्यवस्था

(घ) महत्वाकांक्षी भावनाएँ

उपयुक्त परिस्थितियों का अनुकूल न होना ही भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का मुख्य कारण है जैसा कि निम्नलिखित त्वचन से स्पष्ट होता है—

जलवायु

जलवायु का प्रभाव श्रमिकों की कार्यक्षमता पर अत्यधिक पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के रहने वाले लोग गर्म प्रदेशों के रहने वालों से अधिक शक्तिशाली होते हैं और वे अधिक घंटों तक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। भारत एक गम देश है। यहाँ गर्मियों में तो कारखानों में १२०° तक तापक्रम पहुँच जाता है। ऐसी दशा में कार्य करना श्रमिकों के लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है और वे अधिक घंटों तक कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं।

कार्य के अधिक घंटे

भारतीय उद्योगपतियों की मनोवृत्ति सदैव से यह रही है कि उत्पादन में वृद्धि श्रमिकों के कार्य करने के अधिक घंटों पर ही निर्भर है। परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों को औसतन ८ से १० घण्टे तक प्रतिदिन काम करना पड़ता है जब कि अमेरिका में श्रमिकों को सप्ताह में केवल ४० घंटे तथा रूस में ३६ घंटे कार्य करना पड़ता है। कार्य के घंटे अधिक होने के कारण श्रमिकों की रुचि कार्य के प्रति समाप्त हो जाती है और वे अपनी उत्पादन क्षमता खो बैठते हैं।

कम मजदूरी

भारतीय श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि वे अपनी दैनिक आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। दरिद्रता के कारण ही उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में उनमें शक्ति एवं स्फूर्ति का अभाव स्वाभाविक ही है। उनके दिमाग सदैव भावी चिन्ताओं में प्रस्त रहते हैं और उनमें ही उनका जीवन घुला करता है। न तो वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ही प्रयत्न कर पाते हैं और न उनकी शिक्षा का ही। बीमारी से रक्षा के लिये तो वे सदैव माय्य तथा भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। इन चिन्ताग्रस्त मनुष्यों से कार्य कुशलता की आशा रखना व्यर्थ ही होगा।

कार्य करने की प्रतिकूल दशाएँ

भारतीय मिलों का अस्वास्थ्यकर वातावरण भी जिसमें श्रमिकों को अधिक घंटों तक कार्य करना पड़ता है भारतीय श्रम की अकुशलता, का एक मुख्य कारण है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर सूर्य के प्रकाश के होते हुए भी विद्युत प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही और जहाँ शुद्ध वायु का प्रवेश असम्भव हो, मानव का निरन्तर कुशलता पूर्वक कार्य करना कदाचित् असम्भव ही है। स्वस्थ वातावरण ही मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और भारत की मिलों में इसका सर्वथा अभाव है। ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भारतीय श्रमिकों का अकुशल होना स्वाभाविक ही है।

छुट्टियों एव अन्य सुविधाओं का अभाव

निरन्तर कार्य में लगे रहने के उपरान्त मानव को विधाम की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। भारत में काम करने के घंटे तो अधिक हैं ही और उसके साथ साथ श्रमिकों को छुट्टियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। काम के घंटों के बीच में भी जो अवकाश ऊट्टे मिलता है, वह भी अर्पार्थ है। छुट्टियों के अभाव में श्रमिकों के जीवन में मनोरंजन का कोई भी स्थान नहीं रह जाता है और वे काम से जी चुराने लगते हैं। काम के प्रति उनकी रुचि भी नाश हो जाती है और वे अपनी उत्पादन-क्षमता खो बैठते हैं।

चिकित्सा तथा मनोरंजन के लिए भी भारतीय श्रमिकों को कोई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अग्रेष्ठ अपनी दरिद्रता के कारण स्वयं चिकित्सा तथा मनोरंजन का प्रयत्न करने में असमर्थ होता है। मनोरंजन के साधन न उपलब्ध होने के कारण श्रमिकों को अपनी यत्न एव चिन्ताओं से मुक्ति पाने के लिए अपने अमिन्न मित शरणा का हा सहारा लेना पड़ता है जिससे उनकी कार्यक्षमता और भी अधिक गिर जाती है।

उत्तम यन्त्रों का अभाव

भारत के मिलों की मशीनें प्रायः घिरी पिटी हैं। आधुनिक मशीनों का उत्पादन श्रम भी भारत में प्रारम्भ नहीं हुआ है और भारत पूर्ण रूप से विदेशों पर आश्रित है। विदेशी धानमय का सठनाई के कारण आधुनिक मशीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो पाता। भारतीय उद्योगपति भी आधुनिक मशीनों पर अधिक खर्च नहीं लगाना चाहते। अतः आधुनिक यंत्रों का अभाव में श्रमिकों की उत्पादन क्षमता उनकी न होना जितनी अन्य देशों में होती है, स्वामानविक ही है। जितना अच्छी मशीनों का कोई भी श्रमिक चाहे वह कितना ही निपुण एव स्वस्थ क्यों न हो, अधिक उत्पादन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में यदि भारतीय श्रम की उत्पादन क्षमता कम है तो इसमें आश्चर्य ही क्या।

घटिया किस्म के कच्चे माल का उपयोग

हमारे देश के उद्योगपति केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने की कामना रखते हैं और इससे लिये वह सब कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे देश के उद्योगों में प्रायः घटिया किस्म के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रभाव उत्पादन की मात्रा तथा गुण पर प्रतिकूल पड़ता है। यदि कच्चा माल ही अच्छा न हो तो इसमें श्रमिकों का क्या दोष। उनकी कार्यक्षमता कम होना स्वामानविक ही है। जैसा कच्चा माल होगा वैसा ही उत्पादन होगा, फिर

अकुशलता का दोष श्रमिक के मत्थे क्यों मढ़ा जाय। घटिया किस्म के माल होने का प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर भी खराब पड़ा है।

अकुशल प्रबन्ध

जिस प्रकार से फौज की शक्ति उसके नायक अथवा संचालक की कुशलता एवं दूरदर्शिता पर निर्भर होती है, इसी प्रकार से श्रमिकों की शक्ति उद्योग के संचालक अथवा संगठनकर्ता पर निर्भर होती है। श्रमिक तो केवल आज्ञा का पालन करने वाला होता है। उसको जो आज्ञा या जो कार्य दिया जायगा इसका सम्पादित करना अनिवार्य है क्योंकि वह अपनी स्वतन्त्रता को मजदूरी के बदले पहले से ही बेच देता है। यह संचालक का कार्य है कि वह श्रमिक को वही कार्य दे जिसके लिये वह अधिक उपयुक्त है और जिस कार्य के प्रति उसकी रुचि है। भारत में अकुशल प्रबन्ध का होना भी श्रमिकों की अकुशलता का एक मुख्य कारण है। भारत में वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) उचित प्रमापीकरण (Standardization) मालिकों एवं श्रमिकों में सहकारिता तथा मालिकों के उचित व्यवहार का प्रायः अभाव है। ऐसी दशा में श्रमिकों का अकुशल होना स्वाभाविक ही है। यदि वैज्ञानिक प्रबन्ध के आधार पर श्रमिकों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाय, उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जाय, माल का उचित प्रमापीकरण हो तथा कुशल प्रबन्ध द्वारा श्रमिकों में यह भावना व्याप्त कर दी जाय कि उद्योग उनका अपना ही है और उसकी सफलता में ही उनकी सफलता निहित है तो कोई कारण नहीं कि श्रमिकों की कार्यक्षमता में आशातीत वृद्धि सम्भव न हो।

श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति

भारतीय श्रमिक प्रायः गाँव के रहने वाले होते हैं और वे शहरों में केवल अपनी आय वृद्धि करने के उद्देश्य से कारखानों में नौकरी करते हैं। उनका स्थायी निवास स्थान तो गाँव में ही रहता है और उनका मुख्य उद्यम कृषि होता है। परिणामस्वरूप वे स्थायी रूप से कारखानों में काम करने एवं शहर में बसने के लिए नहीं आते। श्रमिकों की इस अस्थायी प्रकृति का प्रभाव यह होता है कि वे अपने काम के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रखते तथा बार-बार काम छोड़ने के कारण अपने कार्य में दक्ष भी नहीं हो पाते। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ न रहने के कारण श्रमिक संदेह घर जाने की सोचता रहता है। यही कारण है कि वह अधिक लुब्धियाँ लेता रहता है। प्रायः शहर में अकेले रहने के कारण उसके रहने तथा पाने पीने की व्यवस्था भी उचित रूप से नहीं हो पाती जिसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन परिस्थितियों में सत्कार के बिना भी श्रमिक का कार्य कुशल होगा अस्मभन सा ही प्रतीत होता है।

यदि भारतीय श्रमिक इन परिस्थितियों के कारण अकुशल है तो इसमें आश्चर्य ही क्या।

आवास की असुविधा

भारत के सभी औद्योगिक शहरों में मकानों की समस्या बड़ी गंभीर है। प्रायः श्रमिक गन्दी कोठरियों में निवास करते हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश एवं स्वच्छ हवा दुर्लभ होती है। ये कोठरियाँ पशुओं के लिए भी कदाचित् अपर्याप्त होंगी। इनमें बीमारियाँ के बीटासु सदा पलते रहते हैं। ऐसे निवास स्थानों में रहकर श्रमिक अपना स्वास्थ्य खो बैठता है। दिन भर काम करने के उपरान्त भी यदि श्रमिक को पूर्ण विश्राम करने के लिये भी स्थान न हो तो वे कैसे कार्य-कुशल रह सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक कोठी में ही ४ से ६ श्रमिक तक रहते हैं। ऐसे वातावरण में रहकर भी वे कार्यकुशल हो सकें ऐसी उल्पना भी नहीं की जा सकती। आवास की उचित व्यवस्था न होने के कारण श्रमिक अपने परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकता। दिन भर के कठोर परिश्रम के उपरान्त घर लौटने पर उससे सहानुभूति दिलाने के लिए कोई दो शब्द भी कहने वाला नहीं होता है। थकान मिटाने के लिए कोई मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध नहीं होते। इन सबका परिणाम यह होता है कि वह बुझा खलता है, शराब पीता है और वश्यागमन करने लगता है जिससे उसका नैतिक पतन प्रारम्भ हो जाता है और साथ ही साथ कार्यक्षमता भी घटती जाती है।

श्रम कल्याण कार्यों का अभाव

विदेशी सरकार की उपेक्षा एवं उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्यों पर न्यून किंवा गया धन व्यर्थ होने की भावना के कारण भारत में श्रम-कल्याण कार्यों का सर्वथा अभाव रहा है। उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्यों के न किये जाने के कारण, श्रमिकों में उनका प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं रह गई तथा कामचोरी की भावना का प्रादुर्भाव हुआ जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो गई। इसके अतिरिक्त श्रम-कल्याण कार्यों का अभाव में श्रमिकों का जीवन और भी सकटमय हो गया। अन्य देशों के उद्योगपति तो श्रम कल्याण कार्यों को उचित विनियोग (Investment) समझते हैं। ऐसी दशा में भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होना स्वाभाविक ही है।

अशिक्षा

सामान्य शिक्षा श्रमिक के ज्ञान और साधारण बुद्धि के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिसके बिना श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती। भारत में आज भी निरक्षरता का साम्राज्य है। हमारे देश में आज भी कुल

यदि हम भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि श्रमिकों की इस देश में सदेव अवहेलना की गई है। भारत में श्रमिकों की मजदूरी बहुत ही कम है और उनका रहन-सहन का स्तर निम्नकोटि का है। कार्य करने एवं रहने का वातावरण भी अत्यन्त शोचनीय है। उनको निम्नकोटि का कच्चा माल तथा मशीनों कार्य करने के लिए मिलती हैं। साम्रिक शिक्षा एवं श्रम वहाराय कार्यों का पूर्णतया अभाव है। उद्योगपतियों की सहानुभूति से भी वे पूर्णतया से वंचित हैं। भारतीय उद्योगों का सङ्गठन तथा प्रयत्न भी दोषपूर्ण है। सरकार द्वारा जो भी कानून श्रमिकों के हित के लिए बनाये गये हैं वे भी अधिकारियों की उदासीनता एवं उद्योगपतियों की उपेक्षा के कारण केवल कागधी कार्यवाही के रूप में ही रह गये हैं उनको क्रियात्मक रूप नहीं प्रदान किया जा सका। ऐसी परिस्थितियों में यदि भारतीय नर कनाल श्रमिक की तुलना अमरीका, रूस, इङ्गलैंड आदि देशों के सम्बन्ध श्रमिकों से करना बर्दाश्त अनुचित होगा। श्रीमती वीरा एन्स्टे (Mrs Vera Anstey) ने ठीक ही लिखा है—

“एक लंकाशायर के श्रमिक के समान उत्पादन करने के लिए मद्रास की वरिष्ठम और कर्नाटक मिलों के औसतन ३ श्रमिकों की आवश्यकता होती है—यह अनुमान भारतीय श्रमिक की अकुशलता का आधार नहीं मानना चाहिए।.....भारतीय श्रमिक की अल्प उत्पादन क्षमता मुख्य रूप से वहाँ की मिलों में कार्य,संगठन प्रणाली के भिन्न होने के कारण है।”

जहाँ तक भारतवासियों में शारीरिक शक्ति का सम्बन्ध है द्वितीय महायुद्ध में विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी बीरता का उदाहरण समस्त विश्व में प्रीट दिया है। अतः वही भारतीय मूल मशीन के समुत्पन्न हार मान ले बर्दाश्त ऐसा असम्भव है। वास्तव में भारतीय श्रमिक की कुशलता एत शक्ति युगों तक भारत के गौरव की वस्तु रही है। आज भी जिन प्रतिष्ठानों में उसको अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो गया है वहाँ उसने अन्व देशों के श्रमिकों को चुनौती दे दी है। ग्रेडी कमीशन (Grady Commission) जो भारत में सन् १९४२ में आया था, भारतीय श्रमिकों की अतुल्य शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जी कसे (Mr. Casse) ने कहा था—

“भारतीय श्रमिक प्रथम श्रेणी का मिशैतिक है और अपनी कार्य-कुशलता में समस्त विश्व को चुनौती दे सकता है।”

वाटानगर के लोहा इत्याव कारखानों का निरीक्षण करने के उपरान्त ह्यूक आफ ग्लाउडैस्टर ने कहा था—

“इस उद्योग की स्थापना करने वालों का उत्साह और श्रमिकों की

कुशलता और शक्ति सम्पन्नता भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए शुभ लक्षण हैं।”

इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि भारतीय श्रमिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कार्य कर सकता है और कैसे भी बदलते हुए वातावरण के अनुकूल अपने को बना सकता है। बम्बई राज्य के कुछ सूती कारखानों में जहाँ वातावरण में कुछ सुधार हुआ है, मजदूरों ने ६ करघों के सञ्चालन की क्षमता प्राप्त कर ली है और उनका उत्पादन लकाशायर क श्रमिक की तुलना में ८५ प्रतिशत तक पहुँच गया है जब कि लकाशायर के कारखानों की अपेक्षा यहाँ के कारखानों में काम करने की दशाएँ बहुत ही शोचनीय हैं। श्रम जाँच आयोग (Labour Investigation Committee) ने ठीक ही लिखा है—

‘Considering that in this country hours of work are longer, rest pauses fewer, facilities for apprenticeship and training rarer, standards of nutrition and welfare amenities far poorer, and the level of wages much lower than in other countries, the so called inefficiency cannot be attributed to any lack of native intelligence or aptitude on the part of the workers’

कार्यक्षमता में वृद्धि के उपाय

श्रमिकों की कार्यक्षमता स्वयं उन पर मालिकों पर तथा सरकार पर अवलम्बित है, अतः जब ये सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएँ तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इन सभी को मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु इन सभी में सबसे अधिक उत्तरदायित्व मालिकों का ही है क्योंकि श्रमिकों से लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं कि यदि श्रमिकों को कार्य करने एवं रहने की सुविधाएँ उचित मजदूरी, काम क घटो में कमी तथा मालिकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाय तो उनकी कार्यक्षमता में अवश्य वृद्धि होगी। वास्तव में इस समस्या का समाधान केवल कानूनों द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। आवश्यकता तो इस बात की है कि श्रमिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय जिसमें श्रमिक वह अनुभव करने लगे कि राष्ट्र की समृद्धि एवं सम्पन्नता में उसका भी योगदान है। परिस्थितियों ने श्रमिकों को सदैव उदासीन रहने के लिए विवश कर दिया है। मिल मालिकों को यह समझना चाहिए कि श्रमिक ही उनके उत्पादन का सक्रिय साथी है और केवल मशीनों तथा पूँजी में वृद्धि से ही उत्पादन वृद्धि सम्भव नहीं है। श्रमिक मनुष्य है और इसलिए उसके साथ मनुष्य की भाँति व्यवहार करना आवश्यक है। अतः उत्पादन में वृद्धि के लिए उनके जीवन को सुख

नय बनाना तथा उनके सुख दुःख में सहानुभूति रखना उद्योग की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। श्री खाडू भाई देसाई ने ठीक ही कहा है—

“उत्पादन का सिर्फ यह मतलब नहीं कि श्रमिक अधिक परिश्रम करें और अधिक माल तैयार करें, आखिर मनुष्य के श्रम की भी एक सीमा है। दूसरी ओर मशीनों की उचित देख रेख और मरम्मत करने, पहले से उत्तम कच्चे माल के प्रयोग करने तथा उत्पादन प्रणाली पर प्रबन्ध में सुधार करने से ऐसे परिणाम निकल सकते हैं जो अकेले श्रमिक द्वारा अधिक श्रम करने से प्राप्त हुए परिणामों से कहीं अधिक बढ़-चढ़ कर होंगे।”

श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था, तापिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था में सरकार सहयोग देकर तथा सक्रिय भाग लेकर श्रमिकों के जीवन में नवीन स्फूर्ति एवं चेतना प्रदान कर सकती है। यदि ये सभी सुविधाएँ प्रदान कर दी जायें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारतीय श्रमिक भी अन्य उन्नत शील राष्ट्रों के श्रमिकों की भाँति कार्यक्षम बन जायेंगे।

उपयुक्त सुधारों के अतिरिक्त श्रमिकों के अन्दर मनोवैज्ञानिक सुधार की भी बहुत आवश्यकता है जिसके बिना कदाचित् उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के सभी उपाय असफल सिद्ध होंगे। साम्यवादी प्रभाव में आकर आज वह जो नीति—काम धीरे करो—अपना रहे हैं, वह उत्तरदायी नागरिकों के लिए उचित नहीं कही जा सकती। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि श्रमिक यह समझें कि वे राष्ट्र के भाग्य के निर्माता हैं और उनका कोई भी ऐसा कार्य जिससे उत्पादन शक्ति में अन्वरोध उत्पन्न होता है राष्ट्र के प्रति विश्वासघात है। उनका यह परम कर्तव्य होना चाहिये कि अधिक से अधिक उत्पादन करके राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

उपसंहार

हृष का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं उनके महत्व के प्रति पूर्णरूप से जागरूक है। सरकार ने अमकल्याण कार्यों में सक्रिय भाग लेकर, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके, आवास की व्यवस्था करके एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ कार्यान्वित करके श्रमिकों के जाचित पो सुखमय बनाने का सराहनीय प्रयत्न किया है। भारतीय उद्योगपति भी समय की माँग के अनुसार मानववादी दृष्टिकोण अपनाते लगे हैं। श्रमिकों के तापिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। श्रमिकों के हित में और भी कानून बनाये गये हैं तथा बनाये जा रहे हैं। ऐसी दशाओं में भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि स्वाभाविक ही है। इसमें सन्देह नहीं कि सुन्दर एवं सुखमय वातावरण के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ भारत की असंख्य मानव शक्ति बिजली की भाँति चमक उठेगी।

चतुर्थ खण्ड

“भारतीय-संगठित-उद्योग”

- (१) सूती वस्त्र उद्योग
- (२) लोह-इस्पात उद्योग
- (३) जूट उद्योग
- (४) सीमेंट उद्योग
- (५) कागज उद्योग
- (६) चीनी उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग

(Cotton Textile Industry)

“सूती वस्त्र उद्योग भारतीय औद्योगिक विकास में अग्रगण्य तथा पथ प्रदर्शक है। इसने न केवल अफ़ार मानव के वस्त्र आयात से देश को मुक्त किया है, बल्कि सार के निर्यात मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है।”—श्री एम० डी० टेकरसे

सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक अत्यन्त प्राचीन तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग है। मानव जीवन की द्वितीय महत्वपूर्ण आवश्यकता वस्त्र (clothing) की पूर्ति करने वाला यह उद्योग राष्ट्रीय जन जीवन में कृषि के बाद अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। भारत कपास का जन्म स्थान है और सूती कपड़े के उद्योग का जन्मदाता कहा जा सकता है।

ऐतिहासिक मीमांसा

आज से ५,००० वर्ष पूर्व भी भारत में उत्तम सूती कपड़ा बुना जाता था। भारतीय वस्त्र का व्यापार आधुनिक लोकतंत्र एवं सभ्यता के जनर मित्र, रोम, यूनान आदि अनेक मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व के देशों से होता था। इतिहास साक्षी है कि “सोने की चिड़िया” युग में भारत का इस कुटीर उद्योग को स्विट्ज़रलैंड की घड़ियों का समान विश्व स्तरात प्राप्त था। प्राचीन रोम में भारतीय मलमल तथा लुई के वस्त्र धारण करने में रोमन महिलाएँ अपना गौरव समझती थीं। परन्तु भारत में पदार्पण करने के उपरान्त अंग्रेजों ने भारतीय राजनीतिक स्थिति पर छाते गये, जैसे जैसे आर्थिक जगत पर आयात भी करते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य तो भारत की कम्बोरीयों से लाभ उठाकर इङ्ग्लैण्ड की पूँजी का आगार बनाना था। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उद्योगों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। हमारा अतीत का गौरव वस्त्र उद्योग भी इस लपेट से न बच सका। अंग्रेजों ने भारतीय बुनकरों के अँगूठे ही नहीं बरन् हाथों को भी बटवा दिया, सरक्षण एवं आर्थिक सहायता का प्रश्न ही नहीं था। इन परिस्थितियों में कोई भी उद्योग कैसे

जीवित एवं प्रगति की ओर उभरता हो सकता था। परन्तु इतना सत्र होते हुए भी भारतीय बख्खोद्योग दनी हुई चिनगारी क समान जीवित बना रहा और समय पाकर आज क्रमिक विकास करता हुआ चिनगारी की ऊपरी रात को हटाकर विश्व बख्ख बाजार में पुन उभर आया है और विश्व के अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। जो उचानन ने ठीक ही लिखा है—

“सूती उद्योग भारत के प्राचीन दुग का गौरव, वर्तमान एवं भविष्य का सवेह किन्तु सदा की आशा है।”

हमार देश में सर्वप्रथम बृहद्दनीय सूती बख्ख उद्योग की नाव सन् १८१८ ई० में फलफूला म डाली गई परन्तु यह सफल न हो सकी। सन् १८५४ ई० म श्री कावजी द्वारा ने द्वारा नम्बई म एक बुनाई मिल संचालित किया गया। इसके उपरान्त धीरे-धीरे नूता बख्ख उद्योग प्रगति करता रहा और आधुनिक काल में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग बन गया है। सन् १८६१ ई० म ‘शाहपुर मिल्स’ की स्थापना अहमदाबाद में श्री रमछोडलाल छोटालाल रँहटीवाला के द्वारा हुई। सन् १८६६ ई० म ‘कैलिको मिल्स’ का स्थापना हुई। बम्बई प्रदेश म कच्चे माल की प्रचुरता, पूँजी की उल्लब्धिता, बैकिंग की सुविधाएँ, नम जलवायु, यातायात क साधनों की प्रचुरता, आयात तथा निर्यात की सुविधाएँ तथा विदेशी सस्ते बौयले की उपलब्धता इत्यादि सुविधाएँ उपस्थित थीं अतः सब प्रथम सूती बख्ख उद्योग इसी प्रदेश म केंद्रित हुए। नमश सूती मिलों की सख्या म धीरे धीरे वृद्धि होने लगी।

सन् १८७७ स बहुत सी कताई व बुनाई की मिलें अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, मद्रुरा तथा आगरा म खुलने लगीं। सन् १८९० में सूती बख्ख उद्योग क लिए सफ़ट काल प्राया। इस सफ़ट काल का कारण मांग की कमी, जापानी प्रतिस्पर्धा तथा करेन्सा की दशा थी। जापान और चीन दोनों ही अपने अपने देशों में सूती बख्ख उद्योग की उन्नति कर रहे थे तथा जापान को बहुत सी ऐसी सुविधाएँ जैसे सस्ता धम तथा सरकारी सहायता एवं रक्षा इत्यादि प्राप्त थी जो हमारे देश म नहीं था। इन कारणों से हमारे सूता बख्ख उद्योग की प्रगति में रुकावट आ गई। यह सफ़ट काल लगभग सन् १९०५ तक रहा।

इसक उपरान्त सन् १९०७ म सूती बख्ख उद्योग फिर उन्नति करने लगा। इसक प्रमुख कारण दो थ। प्रथमतः विदली प्रयास प्रारम्भ होने के कारण कार्य के घटों म कमी हुई तथा नाम भी शीघ्रता से होने से उत्पादन में वृद्धि हु। दूसरे स्वदेशी बख्ख पहिनने की भावना में वृद्धि होने क कारण भारतीय सूती बख्खों की मांग में पर्याप्त वृद्धि हो गई। सन् १९०७ म मिलों की संख्या २९४ थी जो कि

सन् १९१४ में बढ़कर २७१ हो गई। परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध के पहले सन् १९१४ ई० तक सूती वस्त्र उद्योग का दृष्टि से हमारा देश विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर सका।

प्रथम युद्ध काल में सूती वस्त्र उद्योग

युद्ध के कारण विदेशी प्रतिद्वन्द्वता का अन्त हो गया तथा सूती वस्त्रों की माँग में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। भारत सरकार तथा अन्य मित्त राष्ट्रीय सरकारों ने अपने वस्त्रों का आवश्यकताओं की पूर्ति भारत निर्मित कच्चा से ही करना प्रारम्भ कर दिया। माँग में वृद्धि हो जाने के कारण इस उद्योग का विकास हुआ। युद्ध काल इस उद्योग के विकास के लिए बरदान स्वरूप होकर उपस्थित हुआ था परन्तु नई मशीनों के आयात में कठिनाई होने के कारण नवीन मिला का अधिक सरप्ला में स्थापना न हो सका परन्तु फिर भी अर्थों की सहायता से पर्याप्त वृद्धि हुई। अन्त तक इस उद्योग में कच्चा का विशेष महत्त्व था परन्तु अब पुनाई पद्धति का विकास हुआ। फारस, मसोपोटामिया, दक्षिणी अफ्रीका, लुका और मलाया में भारतीय वस्त्रों का निर्यात होने लगा। इस प्रकार प्रथम युद्ध काल में इस उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ।

प्रथम युद्धोपरान्त काल में प्रगति

युद्ध के उपरान्त विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग पर भी पड़ा। सन् १९२३ के उपरान्त इस उद्योग का प्रगति स्थितीय पड़ गई। कृषि पदार्थों के मूल्य गिरने के कारण कृषकों की क्रय शक्ति क्षीण हो गई। परिणाम यह हुआ कि सूती वस्त्रों का माँग में बहुत कमी हो गई। युद्धोत्तर काल में सूती वस्त्र उद्योग के उन्मुख अर्थिन पूँजीकरण, योग्य प्रबंधकों का अभाव, कुपम्ब, टेक्निक्ल विज्ञान का अभाव, मशीनों का किसी पिढी होना तथा कच्चे माल का दुर्लभता आदि समस्याएँ उपास्थित हो गईं। इसी समय सूती मिलों में अर्थिकों के द्वारा कई नई नई हलताल भी गईं। उपरोक्त समस्याओं के कारण सूती वस्त्र उद्योग एक महान संकट में पड़ गया। लगभग सन् १९२३-२४ में यह संकट काल उद्योग सहायक नीति अपनाई जाने के कारण निवारण हो सका और सूती वस्त्र उद्योग पुनः धीरे धीरे प्रगति करने लगा। यह प्रगति द्वितीय युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले सन् १९३६ ई० तक होती रही। द्वितीय युद्ध की घोषणा के पहले हमारे देश में सूती मिलों की सरप्ला ३८६ थी। इस प्रगति को निम्न तालिका से भली भाँति आसानी जा सकता है—

वर्ष	कारखाने
१८८०	५६
१९००	१०३
१९१४	२७१
१९२१	२९८
१९३६	३८८

द्वितीय महायुद्ध में सूती उद्योग की प्रगति

महायुद्ध की घोषणा होते ही सूती वस्त्रों की माँग में वृद्धि होने लगी। उस काल में जापान से सूती कपड़ों का आयात बन्द हो गया। फलतः १९४३ ई० तक देश में सूती वस्त्रों का अकाल हाँ गया तथा वस्त्र के मूल्य बहुत ऊँचे हो गये। सूती वस्त्र के उद्योगपतियों को बहुत लम्बे-बीड़े लाभ प्राप्त हो गये। देश के वस्त्र निर्यात में लगभग ४०% की वृद्धि हो गई। मित्रराष्ट्र भी भारत से ही अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। सूती वस्त्र की उत्पादन लागत में भी काफी वृद्धि हो गई। सरकार ने इस परिस्थिति में मुधार लाने तथा कठिनाई दूर करने के लिए सूती वस्त्रों का मूल्य नियन्त्रण कर दिया तथा कपड़े की राशनिंग कर दी। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए सिविल सप्लाइ विभाग की स्थापना की और सन् १९४३ में टेक्सटाइल क्लाय एवं यार्न आर्डर लागू कर दिया। स्टैंडर्ड वस्त्र के नाम से सरकार ने कुछ कपड़ों का नमूने तैयार कराये जिन पर मूल्य अंकित रहता था। सूती वस्त्र के उत्पादन और निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण लगा दिया गया। सरकारी नियन्त्रण के होते हुए भी सरकारी अफसरों की घुबटा तथा मिल मालिकों एवं व्यापारियों की चार माजारी का कारण वस्त्र नियन्त्रण योजना सफल न हो सकी। इन कारणों से जनता का वस्त्र सक्कट बहुत बढ़ गया एवं यह स्थिति लगभग दस वर्ष तक चलती रही। प्रथम युद्ध काल के ही समान द्वितीय युद्ध काल में भी सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। सन् १९४४ ई० में सूती मिलों की संख्या ४०७ थी जो कि दो वर्षों के उपरान्त १९४६ में ४२१ हो गई।

देश में प्रति व्यक्ति लौह का औसत उपभोग अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा बहुत कम है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति लोहे का उपभोग केवल आठ पौंड प्रति व्यक्ति है जब कि अमरीका में यह १११० पौंड प्रति व्यक्ति, और ४७० पौंड प्रति व्यक्ति आस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार उत्पादन में भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस समय हमारे देश का इस्पात का उत्पादन १३३ लाख टन है जब कि अमरीका में १३०० लाख टन तथा इंग्लैंड में १८० लाख टन प्रति वर्ष है। रूस का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग १२६० लाख टन है। इन प्रगतिशील देशों के उत्पादन एव उपभोग को देखने से हमारे देश का उत्पादन अत्यन्त अल्प है। अतः हमारे देश को अन्य उन्नतिशील देशों के साथ कपे के कंधा मिलाकर चलने के लिए तथा अपने पर्याप्त आर्थिक विकास के लिए लौह एव इस्पात उद्योग का अभी पर्याप्त विकास करना है। लोहे एव इस्पात से सम्बन्धित प्रकृत से उद्योग शुद्ध काल में प्रारम्भ हो गए हैं तथा इनकी रक्षा एव विकास की बड़ी भारी आवश्यकता है जिससे लौह एव इस्पात का उपभोग में वृद्धि हो सक और उसके अनुरूप ही उत्पादन में भी वृद्धि की जा सके। हमें का विषय है कि इस उद्योग की महत्ता एव उपयोगिता का विषय में हमारी सरकार, उद्योगपति तथा जनता पूर्णरूप से जागरूक हैं तथा इसको उन्नतिशील बनाने के पर्याप्त एव प्रशासनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस्पात की दृष्टि से १९५८ निश्चय ही एक कठिन वर्ष था, पर अन्धे दिनों के लक्षण निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सरकारी क्षेत्र में इतने विशाल आकार का तीन कारखानों का एक साथ निर्माण करना कोई मामूली काम नहीं है। ऐसा अब तक कहीं नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को हमारे इन प्रयत्नों में विश्वास ही नहीं होता। राउरकेला, मिलार्ड और फिर दुगापुर—यह भारत का औद्योगिक प्रगति का तीन परमोत्कर्ष बिन्दु हैं। यह कारखाने देश की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त टना कच्चे लोहे तथा इस्पात का निर्यात भी कर सकेंगे। हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २६ दिसम्बर, १९५६ को दुगापुर की प्रथम वायु मट्टी का उद्घाटन करते हुए ठीक ही कहा है—

“अब भारत के औद्योगिक उन्नयन का शिलान्यास विधिवत् हो गया है।”

ये तीन महान् इस्पात कारखाने निश्चय ही भारत की शक्ति एव श्रीवृद्धि के प्रतीक हैं।

जूट उद्योग

(Jute Industry)

स्वर्णिम रेशा जूट का वास्तव में भारत के लिए स्वर्ण के समान विदेशी विनिमय डालर अर्जन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जूट भारत की एक महत्वपूर्ण कृषि सम्पत्ति है और इसके लिए भारत में प्रकृति प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जूट उद्योग भारत का गौरव एवं गर्व है क्योंकि भारत को इसमें प्रारम्भ से लेकर आज तक विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। सन् १९५७ में इसके द्वारा देश को १ अरब १४ करोड़ २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। सत्तर बर के जूट कारखानों में कुल जितने रुपये हैं उसके ५३ प्रतिशत भारत के इस उद्योग में हैं। इस उद्योग में कुल ३० लाख के लगभग औद्योगिक श्रमिकों का १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख के लगभग काम कर अपनी रोजी प्राप्त करते हैं। वल्ल उद्योग के बाद जूट उद्योग में ही सबसे अधिक औद्योगिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत के समस्त जूट उत्पादक क्षेत्रों में कुल मिलाकर २० लाख कृषक परिवार इस उद्योग के कारण अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इस उद्योग की कार्यरत पूँजी ७५ करोड़ रुपये के लगभग है। भारतीय जूट का सामान “विश्व का केरियर” कहलाता है। यह उद्योग हमारे देश का एक सुसंगठित एवं आदर्श उद्योग है जिसमें प्रवन्ध, निर्देश एवं अर्थ-व्यवस्था सुनियमित है। निःसन्देह जूट उद्योग भारतीय अर्थतंत्र का मूलाधार है।

ऐतिहासिक मीमांसा

प्राचीन काल में यह एक रूढ़ उद्योग के रूप में चलाया जाता था और इतिहास से पता चलता है कि अठारहवीं शताब्दी में हमारे देश के बने हुए जूट के टाट एवं बोरे अमरीका इत्यादि देश को निर्यात किये जाते थे। हमारे देश में आधुनिक संगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। प्रथम जूट मिल सन् १८५४ ई० में बार्न ऑक्लैण्ड ने स्थापित किया था। ऑक्लैण्ड साहब ने स्कॉटलैण्ड से मशीनों को लाकर औरामपुर के निबट रिसरद नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन् १८५७ ई० से क्वाई के अतिरिक्त इसमें

बुनाई का भी काम प्रारम्भ हो गया। सन् १८५६ ई० में बोर्नियो कम्पनी ने एक दूसरे मिल की स्थापना की जिसमें कटाई एव बुनाई दोनों ही काम प्रारम्भ कर दिए गये। सन् १८६० ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए। सन् १८७४ ई० में पाँच, और सन् १८७८ में आठ नई जूट कम्पनियाँ खुलीं और कलकत्ता जूट उद्योग का एक विशाल केन्द्र बन गया। यहाँ तक कि सन् १८८२ ई० तक उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई तथा १८८५ ई० तक पाँच नये मिलों की स्थापना हुई। जूट उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए १८८४ ई० में भारतीय जूट मिल सघ की स्थापना हुई।

सन् १८८२ से लेकर १८८५ ई० तक जूट उद्योग की प्रगति में उत्थान एव पतन होना रहा परन्तु उत्पादन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही। सन् १८९५ तक मिलों की संख्या २६ हो गई। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चार वर्षों में दस नये मिल और स्थापित किए गये। भारतीय जूट उद्योग इस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा।

प्रथम युद्धकाल में जूट उद्योग की प्रगति—प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही जूट की बनी हुई सामग्री की माँग बहुत बढ़ गई। एक ओर युद्ध के लिये तम्बू और त्रिपाल बनाने के लिये टाट की माँग बढ़ी और दूसरी ओर लाइनों को पाटने के लिये बीरों की आवश्यकता बढ़ी और साथ ही जूट की रस्सियों एव सुतलियों तथा अनाज और वस्त्र की पैकिंग के लिये टाट की माँग बहुत बढ़ गई। इस बढ़ती हुई माँग के कारण भारत के जूट मिलों को विकास करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ।

प्रथम युद्धोपरान्त जूट उद्योग की प्रगति—युद्ध की समाप्ति के उपरान्त माँग में बहुत बड़ी कमी आ गई। अतः जूट उद्योग के लिये सकट काल उपस्थित हो गया तथा बहुत से मिल बन्द हो गये। यह आर्थिक सकट काल सन् १९१६ ई० तक रहा। सकट काल के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग की माँग सुलगठित होने के कारण बहुत अधिक हानि न हुई और कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग भीमि किन्तु निश्चित गति से उन्नति करता गया यहाँ तक कि १९१४-१५ में ७० मिलों की संख्या बढ़कर सन् १९२६-२७ में ९८ हो गई।

सन् १९२६ ई० के बाद जूट उद्योग में एक बहुत बड़ा सकट काल उपस्थित हुआ। कच्चे जूट के मूल्यों में बहुत बड़ी कमी आ गई और जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य भी गिर गये। इस सकट काल पर विजय प्राप्त करने के लिये जूट मिल सघ ने यह निर्णय किया कि काम करने के घण्टे घटा दिये जायें। सन् १९३१ तक घण्टों की संख्या कम कर दी गई और १५% करके घट कर दिए गए। जूट मिल उद्योग के

सुप्रबन्ध तथा उद्योगपतियों की कुशलता के कारण उद्योग की अधिक श्रवणति नहीं होने पाई परन्तु श्रमिकों की अवस्था मिरती गई। जूट उत्पादक निर्धन हो गए और उद्योग की दशा सतोषजनक हो गई।

द्वितीय विश्व युद्ध तथा जूट उद्योग—द्वितीय युद्ध छिड़ते ही जूट उद्योग में पुनः जीवन का संचार हुआ। सन् १९३६ ई० में भारत में १०७ जूट मिल थे जिनमें ६८ बंगाल, ३ उत्तर प्रदेश, ३ बिहार, २ मद्रास और १ मध्य प्रदेश में था। युद्ध के कारण जूट निर्मित पदार्थों की माँग बढ़ गई तथा जूट मिलों को देश तथा विदेशों से बहुत बड़े बड़े आर्डर प्राप्त हुए। काम के घण्टे प्रति सप्ताह ६० कर दिए गए, तथा सरकार ने जूट उद्योग को फैनटरी एक्ट के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस काल में जूट उद्योग ने बहुत बड़ी उन्नति की। युद्धकाल में माँग में उतार-चढ़ाव के साथ ही साथ भारतीय जूट उद्योग में थोड़ा बहुत उत्थान पतन होता रहा। इस उद्योग ने मात्रा के साथ ही साथ जूट निर्मित वस्तुओं की उत्तमता में बड़ी अच्छी उन्नति की।

द्वितीय युद्धोपरान्त जूट उद्योग—द्वितीय युद्ध के बाद सन् १९४७ में देश के विभाजन होने से जूट उद्योग पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। देश का वह भाग जिसमें ७३.४% कच्चा जूट उत्पन्न होता था, पाकिस्तान में चला गया। जूट मिलों के सामने कच्चे माल के अभाव की बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। इस कारण से जूट मिलों में काम के घण्टे घटा दिये गये एवं कुछ मिलें बन्द भी हो गईं। देश के विभाजन के बाद सन् १९४७ ई० में लगभग ११३ जूट मिल थे। सन् १९४६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाने से जूट उद्योग की कठिनाई और भी बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने जूट उद्योग के विकास के लिए कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि करने का निश्चय किया और इस ओर ठोस कदम उठाया, जिससे जूट उद्योग में पुनः विकास के लक्ष्य दृष्टिगोचर होने लगे जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष	कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि	जूट उत्पादन क्षेत्र का विकास
	(लाख गाठों में)	(लाख एक्ड में)
१९४७-४८	१६.५३	६.५२
१९४३-४४	३०.६१	११.४६
१९४४-४५	४१.२६	१४.७३
१९४६-४७	४२.२१	१८.८३

भारत विभाजन से पूर्व ५३ लाख गाँठ जूट का निर्यात करता था परन्तु आज वह ६५ लाख गाँठ जूट का निर्यात करता है। पुन इस उद्योग के पैर स्थिर हो गये हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना क अन्तर्गत जूट मिलों की स्थिति को ठोस बनाने के प्रयत्न किये गये हैं और जूट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की रसायनिक खादों का प्रयोग तथा गहरी खेती की व्यवस्था की गई है। निर्यात की दृष्टि से सन् १९५६ ई० में ८ लाख टन निर्यात जूट वस्तुओं का निर्यात हुआ है और द्वितीय आयोगन क अंत तक ६ लाख टन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोगन में मशीनों क निर्माण क लिए १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और कच्चे माल क उत्पादन, मशीनों क नवीनीकरण तथा निर्यात की स्थिति सुधारने क प्रयत्न किये जाने का निश्चय किया गया है। भारत का यह मुख्य उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति एवं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है तथा विभाजनअन्य समस्या पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सन् १९५७ में जूट के माल का कुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जो कि सन् १९५८ में बढ़कर १०,५२,००० टन हो गया।

जूट उद्योग की समस्याएँ—हमारे जूट उद्योग क समस्त कुछ ऐसी समस्याएँ उपस्थित हैं जिनका सुलझाया जाना उद्योग क विकास एवं प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन समस्याओं में से निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(क) अनार्विक इकाइयों की समस्या—वर्तमान काल में कुछ जूट मिलों को छोड़कर अन्य सभी घाटों में चल रहे हैं। पिछले चार महीनों में तीन जूट मिलों को अपना कारखाना समेट कर ताला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुख्य कारण माँग की कमी है। किन्तु फिर भी जूट उद्योग अभी तक कार्य क्षेत्र में डटा हुआ है वह इसके लिए गौरव की बात है।

(ख) उत्पादन में वृद्धि की समस्या—इस समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हेथिंगन और सैकिंग की माँग घटती हुई प्रतीत हो रही है, उत्पादन में वृद्धि एक समस्या है। स्मरणीय है कि गत वर्ष जूट उद्योग का उत्पादन १० लाख ६२ हजार टन के स्तर पर रहा था जो सन् १९४२ क बाद का सर्वोच्च स्तर है। सन्तोष की बात पचल इतनी ही है कि देश के अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण औद्योगिक किमानीयता बढ़ गई है और फलस्वरूप हेथिंगन सैकिंग की माँग में भी वृद्धि हुई है। आंतरिक माँग में यह वृद्धि जूट मिलों के लिए विशेष रूप से सहायक हुई है। गत वर्ष

देश के अन्दर बोरों की माँग विशेष रूप से बढ़ी। यह आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में हैशियन सैकिङ्ग की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और इससे जूट मिलों को सहाय प्राप्त होता रहेगा। कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, धीमेंट उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग में काफी बड़ा विस्तार हो रहा है और इन सभी उद्योगों को अपना माल पैरु करने के लिए बोरों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु जहाँ देश के अन्दर बोरों की माँग में वृद्धि हुई है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में हास हुआ है। स्मरणीय है कि सन् १९५३ से १९५५ तक सैकिङ्ग निर्यात काफी आशाप्रद रहा था। किन्तु गत वर्ष वह अचानक घट गया। भारतीय बोरों के मुख्य बाजार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में हैं। गत वर्ष दोनों ही स्थानों में माग घट गई।

सन् १९५५ में भारत ने ४ लाख ४४ हजार टन सैकिङ्ग का निर्यात किया था किन्तु गत वर्ष निर्यात घट कर केवल ४ लाख ८ हजार टन रह गया। हैशियन और सैकिङ्ग तथा विविध मालों का कुल निर्यात सन् १९५५ की तुलना में प्रायः २५ हजार टन कम रहा। जूट के मालों के निर्यात में हास सबके लिए एक अत्यन्त चिन्ताजनक बात है। कारण यह है कि इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में मुद्रा विनिमय की बहुत बड़ी तंगी चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्यात में अधिक से अधिक वृद्धि हो। उसमें वृद्धि के स्थान पर हास एक गम्भीर बात है।

(ग) बाजार की समस्या—इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया भारत पर निर्भर रहते थे स्वयं अपने यहाँ जूट मिलों की स्थापना में लगे हुए हैं। फलस्वरूप यह आशंका प्रकट की जा रही है कि ये बाजार सदा के लिए भारत के हाथ से निकल जायेंगे। इस प्रसंग में बर्मा, थाईलैंड, इण्डोनेशिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों में जूट मिलों की स्थापना का प्रयत्न हो रहा है और यह बात भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इन देशों में भारतीय जूट उद्योग मालों की माँग घट जाने के कारण निर्यात को बहुत बड़ा धक्का लगा है। केवल इतना ही नहीं जापान और यूरोप की जूट मिलें इस समय अपने अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रही हैं। चिन्ता का एक अन्य कारण यह है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जूट उद्योग ने बहुत बड़ी प्रगति की है। पहले पाकिस्तान केवल पाठ का उत्पादन करता था और जूट मिलें नलकत्ते में थीं। अब पाकिस्तान ने अपने यहाँ स्वतंत्र रूप में जूट उद्योग की स्थापना कर ली है। परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान का बाजार

तो भारतीय मिलों के हाथों से निकल ही गया है वहाँ से उल्टी प्रतियोगिता हो रही है। पहले पाकिस्तान में प्रति वर्ष भारतीय मिलों का प्रायः सत्तर हजार टन माल खपता था। अब यह सारा माल वहाँ की मिलें स्वयं उत्पादित करती हैं। इसके अतिरिक्त वे विदेशों को अपने मालों का निर्यात भी करने लगी है। गत वर्ष पाकिस्तान की मिलों ने विदेशों को प्रायः पचास हजार टन माल का निर्यात किया था—अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में प्रायः दूना। उत्तरी अमेरिका तथा बर्मा को पाकिस्तानी मिलों का माल विशेष रूप में जा रहा है। भारतीय जूट मिलों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

(घ) कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या—वस्तुतः कच्चे माल का प्रश्न ही भारतीय जूट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। गत वर्ष पाट के माब अचानक बढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इसके फलस्वरूप अचानक असम्भूलित हो गया। गत वर्ष जूट मिलों को जो घाटा हुआ उसका मुख्य कारण पाट के भावों में आशातीत वृद्धि होना ही है। भारत सरकार इस समस्या से महीमाँति अवगत है। उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में पाट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख गॉंड से बढ़ाकर ५५ लाख ४० हजार गॉंड कर दिया है। किन्तु अभी तक यह कहना कठिन है कि इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति में सफलता कहाँ तक मिलेगी। प्रश्न केवल तादाद तक ही सीमित नहीं है। पाट व्यापार में कई ऐसे तत्वों का समावेश हो गया है जो यातायात को स्थिर नहीं होने देते। फाटका स्थिरता का पुराना शत्रु है और पाट का सम्पूर्ण व्यापार फाटके के आधार पर चलता है। फसल की भोनी होते ही फाटके वाले भावों को कृत्रिम रूप में घटाने-बढ़ाने लगते हैं और कभी-कभी “कार्ने-रिंग” आदि के रूप में भी कृत्रिम परिस्थितियों की सृष्टि का प्रयत्न किया जाता है। अतः पाट के उत्पादन क सम्बन्ध में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने पर भी उद्योग की समस्याओं का समाधान न होगा। कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्तता तभी होगी जब फाटक का तत्न समाप्त हो जाय और भावों में कुछ स्थिरता रहे।

(ङ) नवीनीकरण की समस्या—जूट उद्योग जिस सफटापन्न स्थिति से गुजर रहा है उसका वास्तविक समाधान तभी हो सकता है जब उसके उत्पादन व्यय में कमी हो और प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि। इसके लिए कच्चे माल की मुविधा के अतिरिक्त एक बात और भी आवश्यक है—वह है मशीनों का नवीनीकरण। भारतीय जूट उद्योग अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकांश मिलों की मशीनें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं और उनका नवीनीकरण आवश्यक है। इस दिशा में मुख्य बाधाएँ दो हैं—अर्थाभाव और ट्रेड यूनियनों का विरोध। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसका समाधान सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न वास्तविक नो अचेचा

मनोवैज्ञानिक अधिक है। मजदूर नवीनीकरण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि मशीनें नई हो जाने पर छुट्टनी अनिवार्य हो जायगी। किन्तु यह आशका निराधार है।

उपसंहार

अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण आवश्यकता का ८० प्रतिशत वस्त्रा वूट उत्पादित करना प्रारम्भ कर दिया है तथापि जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे देश में निर्मित पदार्थों की माँगें बहुत कम हो गई हैं। एक ओर हमारे मूल्य बहुत ऊँचे हैं और दूसरी ओर विदेशी उद्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदार्थों की खोज कर रहे हैं। कपड़े तथा कागज के बोरो का प्रयोग होने लगा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में खलि-हानों से मोटरों में गल्ला भरने की मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जूट उद्योग के समस्त उपस्थित कठिनाइयों के प्रति जूट उद्योगपति तथा सरकार दोनों आगरूक हैं। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने माँग में वृद्धि करने के उद्देश्य से अमेरिका एव इंग्लैंड में अपने कार्यालय खोल रखे हैं तथा अन्य देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन नई नई वस्तुओं को निकालने के लिये अनुसन्धान कर रहा है। हमारी जूट मिलों ने पदें, दरियाँ, मोटे कपड़े तथा छोटे-छोटे बोरे आदि बनाना प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि पाकिस्तान भी अपने देश में जूट के मिलों की स्थापना करके विश्व प्रतिद्वन्द्वता के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है और इसके साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे बर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन, चीन, जापान तथा अमेरिका आदि देशों में जूट या जूट के समान रेशे के उत्पादन के प्रयत्न चल रहे हैं, तो भी भारतीय जूट उद्योग को इस पहलू से सशक्त होने की अधिक आवश्यकता नहीं है। भारत आर्थिक नियोजन काल से गुजर रहा है। भारत के शक्कर, लौह एव सीमेन्ट उद्योग प्रगतिशील हैं। अतः जितनी बाह्य माँग में गिरावट आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है उससे अधिक आंतरिक माँग में वृद्धि होगी जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष	वार्षिक आन्तरिक खपत
१९५४	१,१०,००० टन
१९५५	१,७०,००० टन
१९५६	१,९३,००० टन
१९६०—(अनुमानित)	३,००,००० टन

परन्तु आज के प्रतिस्पर्धा के युग में यह आवश्यक है कि जूट का उत्पादन व्यय कम हो। इसके लिए मिलों में नई से नई आधुनिकतम मशीनों का लगाना आवश्यक है, भले ही ख्यापी रूप से कुछ मजदूरों को बेकारी का भी सामना करना पड़े। जूटोद्योग के मालिकों में शोषण की प्रवृत्ति न होकर सहयोग तथा सहमति की प्रवृत्ति होनी चाहिये। अधिक ही उत्पादन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अतः उत्पादन व्यय कम करने में इनका सहयोग नितान्त आवश्यक है।

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिये शून्य मजूर किये जा रहे हैं। अब तक ६ मिल कम्पनियों के लिये शून्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से २ को ५०,६१,६८५ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। अन्य अनेक आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। ऐसी परिस्थिति में नवीन आशा का संचार हो चुका है और इसमें संदेह नहीं कि साहस, धैर्य एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण नियोजित कार्य करने से हमारे जूट उद्योग की सभी समस्याएँ सुलभ जायेंगी और यह उद्योग निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा।



सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

भोजन, वस्त्र तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और इनमें अतिम आवश्यकता की पूर्ति में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है। आधुनिक युग में मकान-निर्माण की अन्य सामग्री की तुलना में सीमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कारखाने, सड़क, पुल, बाँध, हवाई-अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के विकास में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वस्तुतः सीमेंट उद्योग इस युग की अनिवार्य आवश्यकता एवं राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है। भारत के इस नव निर्माण काल में राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत् उत्पादन तथा सिंचाई के लिए बड़े-बड़े बाँध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कों, रेलों, बन्दरगाह एवं हवाई अड्डे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं विस्थापितों के लिए बस्तियाँ (Colonies) बनी रही है। इन सभी कार्यों की सफलता की पृष्ठभूमि में सीमेंट ही है और यह उद्योग भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं की सफलता का प्रतीक एवं अभिन्न अंग बन गया है।

ऐतिहासिक मीमांसा

भारत में सीमेंट उद्योग का इतिहास पुराना नहीं है। इस उद्योग का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है। प्रथम महायुद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ही नहीं था। सर्वप्रथम सन् १९०४ में मद्रास में "पोर्टलैंड सीमेंट" का निर्माण प्रारम्भ हुआ, परन्तु यह प्रयास नगण्य था। इसके पश्चात् सन् १९१२ में पोश्चन्दर स्थान पर "इंडियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड" ने एक कारखाना स्थापित किया। यह कारखाना सफल रहा। सन् १९१५ में "कटनी सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी" ने सीमेंट बनाना प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् १९१६ में "बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी" ने लखेरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। इन सभी कारखानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए नितान्त अर्पयित थी। परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लैंड या अन्य देशों से सीमेंट के आयात पर निर्भर रहता था। सन् १९१४ में भारत ने १,८०,००० टन सीमेंट का आयात किया।

प्रथम युद्ध काल में प्रगति

युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्थापित कारखानों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और वे शीघ्र ही उन्नति कर गये। युद्ध के कारण विदेशी सीमेंट की प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई, देश में पहले से ही सीमेंट के लिए बड़ा दीर्घ बाजार प्रस्तुत था और निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध था। इनके फलस्वरूप भारतीय सीमेंट उद्योग को प्रथम युद्ध काल में नवीन जीवन मिल गया और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े। भारत में ७६ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होने लगा।

प्रथम युद्ध के उपरान्त

युद्ध के उपरान्त भी सीमेंट उद्योग की प्रगति में क्रमशः वृद्धि होती गई। युद्ध के उपरान्त निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की अत्यन्त आवश्यकता थी। राष्ट्र वा औद्योगिक विकास भी तबों से प्रारम्भ हो गया था। सरकार ने इस उद्योग को सुरक्षा भी प्रदान किया जिससे इसकी विकास की सम्भावनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं। परिणाम स्वरूप सन् १९१९ और १९२३ के बीच देश में सीमेंट के ७ और नये कारखाने खुल गये तथा पूर्व स्थित ३ कारखानों की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई। सन् १९१४ में कुल उत्पादन ६४५ टन था, यह बढ़कर सन् १९२४ में २,२६,७४६ टन हो गया और इस बीच में सीमेंट का आयात १,६५,७३३ टन से घटकर १,२४,१८६ टन रह गया। इस आश्चर्यजनक उन्नति का फल यह हुआ कि देश में सीमेंट का अति उत्पादन होने लगा और विभिन्न उत्पादकों में भयंकर प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्पर्धा का एक यह भी कारण था कि नवीन सात कारखानों की स्थापना उसी क्षेत्र में की गई थी जो कि पहले से ही सीमेंट के विपणन क्षेत्र का अन्तर्गत थे—२ कारखाने बटनी के निकट, १ छोटा नागपुर में, १ पञ्जाब में, १ काठियावाड़ में, १ म्वालयत राज्य तथा १ हैदराबाद राज्य में स्थापित थे। पारस्परिक स्पर्धा का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी उद्योगों को हानि होने लगी। इस हानि का अनुमान २ से २५ करोड़ रुपये के बीच लगाया गया। नये कारखानों में से तोड़नी ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ऐसी स्थिति एक अनिश्चित काल तक नहीं रह सकी थी। अन्ततः उद्योगों में सग उन का प्रादुर्भाव हुआ और सन् १९२४ में सीमेंट का उद्योगपातकों ने टेरिफ-बोर्ड के सम्मेलन पर प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार आयात पर २५ स० प्रति टन कर लगाने का मुझाव था। बोर्ड ने गम्भीर विचार करने के उपरान्त इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बोर्ड का विचार था कि समस्त विदेशी प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि आन्तरिक स्पर्धा की थी। अतः इस उद्योग को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं

समझी गई। परन्तु उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए बोर्ड ने राजकीय-सहायता की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उद्योगपतियों का उद्योग की रक्षा करने के लिए स्वयं उपाय करने के लिए विपश्य होना पड़ा। परिणामस्वरूप पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त करने के लिए सामंजस्य उद्योगपतियों ने सन् १९२५ में "इंडियन सीमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन" की स्थापना की। इस संघ का कार्य विक्री मूल्यों का निर्धारण एवं नियमन था। संघ के निर्माण से आपसी प्रतिस्पर्धा का अन्त हो गया और आगामी चार वर्षों में मूल्यों में कटौती करने अथवा कमी करने की कोई समस्या नहीं उठी। संघ केवल मूल्य निर्धारण करता था और संघ की प्रत्येक इकाई अपना स्वयं का विक्री प्रबन्ध करने के लिए स्वतन्त्र थी। कुछ समय उपरान्त संघ ने विक्री की व्यवस्था करने के लिए एक सामूहिक संस्था स्थापित करने के लिये प्रत्येक कारखाने की सम्पूर्ण विक्री पर ५ आना प्रति टन का चूदा लगा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १९२७ में एक संस्था भी स्थापित कर दी गई जिसका नाम "कमिन्ट एसोसियेशन आफ इण्डिया" रखा गया। इस संस्था का मुख्य कार्य सीमेट के उपभोक्ताओं में सीमेट के प्रयोग का प्रचार करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क तकनीक (Technical) सलाह देना था।

संघ के निर्माण के पश्चात् सीमेट उद्योग को पुनः जीवन मिल गया और इस उद्योग की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। उद्योगपतियों में भी नवीन आशा एवं साहस का संचार हुआ। सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगपतियों ने सन् १९३० ई० में सीमेट के विपणन को नियमित करने के उद्देश्य से 'सीमेंट मार्केटिंग आफ इंडिया' नामक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत विपणन प्रबन्ध के स्थान पर सामूहिक रूप से विपणन प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना था। परन्तु सदस्य कम्पनी विपणन पर अपना व्यक्तिगत नियन्त्रण छोड़ने को तैयार न हुई क्योंकि वे अपनी अपनी विपणन व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयत्न करने में सलग्न थीं। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी। इतना अवश्य हुआ कि सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कारखाने की उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया जाय। इस प्रकार सभी कारखानों की सामूहिक वार्षिक उत्पादन क्षमता ७,२२,००० टन निर्धारित कर दी गई। इन सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप सीमेंट उद्योग को पुनः गति मिली और यह उद्योग प्रगति के पथ पर चल पड़ा।

सन् १९३२ में 'कोयंबटूर' सीमेट कम्पनी तथा सन् १९३४ में 'शाहामाद' सीमेट कम्पनी की स्थापना हुई जिससे क्रमशः ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन का

अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। विपणन के सम्बन्ध में समझौते के अनुसार जो कोटा प्रत्येक कंपनी के लिये निश्चित हुआ था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके अनुसार कंपनियाँ अपना प्रसार या विकास न करने के लिए बाध्य हों। सन् १९३५ में यह अनुभव किया जाने लगा कि इस उद्योग में अभी विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और सानूहिक रूप से उत्पादन एवं विपणन करने पर उत्पादन व्यय में और भी कमी की जा सकती है। परिणामस्वरूप श्री एफ० ई० दिनशा के सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप १९३६ में सभी सीमेंट सरधानों का विलीनीकरण करके सम्बन्ध में एक नवीन कंपनी 'ऐसोशियेटेड सीमेंट कंपनी' (ACC) के नाम से स्थापित की गई। नवल 'गेन पैली कंपनी' को छोड़कर देश की सभी कंपनियाँ इस विलयन में शामिल हो गईं। सीमेंट उद्योग में अभिनवीकरण की दिशा में यह सर्वप्रथम प्रयास था। इस प्रयास द्वारा उद्योग को अधिक शक्तिशाली बनाकर विदेशी स्पर्धा से मुक्ति प्राप्त करना एवं उत्पादन तथा विपणन व्यय कम करके उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीमेंट प्रदान करना ही मुख्य लक्ष्य था। उद्योग को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस प्रकार का प्रयास आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। इस प्रयास के फलस्वरूप सीमेंट के मूल्य २५ प्रतिशत कम हो गये और कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी। सन् १९३७ में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन ६,६७,००० टन हो गया। और सन् १९३८ में १५,००,००० टन हो गया। इस प्रगति से प्रोत्साहन पाकर सन् १९३८ में डालमिया दल की स्थापना हुई। इस दल के अन्तर्गत कारखाना का निर्माण तो १९३६ में ही प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु वास्तविक उत्पादन १९३८ से ही सम्भव हो सका। डालमिया दल ने अपने को एसोशियेटेड सीमेंट कंपनी से अलग रखा जिसके कारण बाजार में स्पर्धा होने लगी और पुनः उद्योग के सम्मुख गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। पारस्परिक स्पर्धा का अन्त उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हो गया। सौभाग्य से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई क्योंकि सन् १९४० में दोनों दलों में समझौता हो गया और विपणन का कार्य 'सीमेंट मार्केटिंग कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड' को सौंप दिया गया। इस समय ए० सी० सी० के अन्तर्गत २२ कारखाने और डालमिया दल के अन्तर्गत ५ कारखाने थे। इसके अतिरिक्त चार कारखाने स्वतन्त्र रूप से उत्पादन करते थे।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

युद्धकाल में सीमेंट उद्योग को विदेशी स्पर्धा से स्वामाविक संरक्षण मिल गया। युद्ध का आवश्यकताओं के कारण सरकार की माँग भी सीमेंट के लिए अत्यधिक बढ़ गई। उद्योग को नवीन रजूर्ति मिली और उद्योग का आर्थिकजनक विकास प्रारम्भ हो गया। सन् १९४१-४२ में तो उत्पादन २२ लाख टन पहुँच गया जो अब तक के

उत्पादन में अधिकतम था। सीमेंट की माँग में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण सरकार ने सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण पर अपना अधिकार कर लिया। देश के सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग सरकार ने अपने युद्धकालीन निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित कर लिया। इस स्थिति में जनता को कष्ट होना स्वाभाविक ही था। माँग के बढ़ने के कारण सीमेंट के उद्योगों को अपना प्रचार करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। ए० सी० सी० के अन्तर्गत संस्थानों में विस्तार होने के फलस्वरूप इसकी उत्पादन क्षमता में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त प्रगति सन् १९४२ के उपरान्त अवच्छेद हो गई। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त कोयले का अभाव, श्रमिकों के भ्रगड़े, यातायात की असुविधा, राजनैतिक उथल-पुथल आदि अन्य कारण थे जिन्होंने इस उद्योग की प्रगति में बाधा उपस्थित कर दी। युद्ध के कारण विदेशों से मशीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो सकता था जिसके कारण पिसी हुई मशीनों का आधुनिकीकरण भी नहीं हो सका। पुरानी मशीनों पर उत्पादन क्षमता कम हो जाना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप सन् १९४२ के उपरान्त सीमेंट उत्पादन क्रमशः कम होने लगा। यहाँ तक कि सन् १९४६-४७ में कुल उत्पादन १५,४२,००० टन सीमेंट था।

सन् १९४७ में इस उद्योग को विभाजन के फलस्वरूप एक और धक्का लगा। विभाजन के पहले सीमेंट के २४ कारखाने थे परन्तु विभाजन के कारण इनमें से ५ पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गये। अतः सन् १९४८ में कुल उत्पादन लगभग १०.४६ मिलियन टन ही रह गया। सन् १९४८ में डालमिया दल पुनः अलग हो गया और अपनी विपणन व्यवस्था भी अलग करने लगा। यह व्यवस्था तब से वर्तमान समय तक चली जा रही है।

युद्धोत्तर विकास की योजनाओं में सरकार ने सन् १९५२ ई० तक सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य ६० लाख टन प्रति वर्ष रखा। यद्यपि इस लक्ष्य की प्राप्ति तो सम्भव न हो सकी, परन्तु सन् १९४६ के उपरान्त उत्पादन में क्रमशः वृद्धि अवश्य होने लगी। आन्तरिक माँग में वृद्धि, विकास योजनाओं के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा माँग, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण की शिथिलता एवं स्वतंत्र नागरिकों के उत्साह तथा उत्साह ने इस उद्योग की नवीन चेतना एवं साहस प्रदान किया। सीमेंट के वर्तमान कारखानों में उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के प्रयास कार्यान्वित किये जाने लगे और नवीन संस्थानों का जन्म होने लगा। सन् १९५० में स्थापित तीन नये कारखानों ने—सौराष्ट्र, मद्रास एवं भावनकोर कोचीन—जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २६,००,००० लाख टन थी, सन् १९५१ से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त तीन और नये कारखाने स्थापित किये गये जिनमें से सिवालिया (बम्बई)

ने अप्रैल १९५१ में तथा सवाई माधोपुर (राजस्थान) तथा राजगजपुर (उड़ीसा) के कारखाने में सन् १९५२ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश सरकार ने ४३ करोड़ रुपये की पूँजी से मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगञ्ज के निक्ट चर्क नामक स्थान में एक नया कारखाना स्थापित किया। इसमें सन् १९५४ से उत्पादन होने लगा। सन् १९५५ में सिद्धी में सीमेंट का कारखाना स्थापित होने से सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता २ लाख टन से और बढ़ गई। इसी अवधि में सीमेंट के ७ कारखानों की आधुनिकीकरण योजना पूरी होने से इन कारखानों की उत्पादन क्षमता १० लाख टन से और बढ़ गई। सन् १९५५-५६ में २१ नये कारखानों तथा १२ पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप इस उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ७० लाख टन हो गई है। सन् १९५६ के उपरान्त इस उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्न तालिका से सरलता से किया जा सकता है—

वर्ष	उत्पादन
१९५६	२१ लाख टन
१९५०	२३ " "
१९५१	३२ " "
१९५२	३५ " "
१९५३	३७ ८ " "
१९५४	३८ " "
१९५५	४५.० " "
१९५६	४६.५ " "
१९५७	५६ " "
१९५८	६० लाख ६० हजार टन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् १९५५-५६ तक का योजना आयोग का लक्ष्य ४८ लाख टन सीमेंट पूरा ही नहीं हो चुका है, वरन् लक्ष्य के आगे भी पहुँच गया है। सन् १९५३ तक २३ कारखाने थे। १९५६ तक ६ नये कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। सभी कारखानों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) ऐसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड १३ कारखाने

(२) राज्य सरकारों के ३ कारखाने

(३) अन्य लिमिटेड कम्पनियों के १३ कारखाने (इनमें से १० कम्पनियों का प्रबंध मेनेजिंग एजेंट करते हैं)। सन् १९५८ में सीमेंट के दो और कारखाने खोले गए और इस प्रकार कारखानों की कुल संख्या ३१ हो गई है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने सीमेंट का वार्षिक उत्पादन १३० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना काल में इस उद्योग के विस्तार की निम्न रूपरेखा बनाई गई है—

(१) वर्तमान २८ कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(२) ३१ नये सीमेंट कारखाने खोलने की व्यवस्था।

वर्तमान कम्पनियों द्वारा ६ नये कारखाने और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोलने के लिए सरकार स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। इस विस्तार के फल स्वरूप सीमेंट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने की आशा है—

वर्ष	कारखानों की संख्या	वर्तमान कारखानों की वार्षिक क्षमता (लाख टन में)	नये कारखानों की क्षमता (लाख टन में)	योग (वार्षिक क्षमता) (लाख टन में)
१९५६	४२	८० ३३	२४ ८६	१०५ २२
१९६०	४४	९१ ७१	२८ ५४	१२० २५
१९६१	५३	९८ ५६	४० ६८	१४८ २७
१९६२	५५	९८ ५६	५२ ६८	१५१ ५७

सन् १९५७ में तटकर आयोग के सुझाव

सीमेंट वितरण का कार्य जुलाई १९५६ से राज्य व्यापार निगम के हाथ में

जूट उद्योग

(Jute Industry)

स्वर्णिम रेशा जूट का वास्तव में भारत के लिए स्वर्ण ने समान विदेशी विनिमय डालर अर्जन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जूट भारत की एक महत्वपूर्ण कृषि सम्पत्ति है और इसका लिए भारत में प्रकृति प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जूट उद्योग भारत का गौरव एक गर्व है क्योंकि भारत को इसमें प्रारम्भ से लेकर आज तक विश्व में एजाधिकार प्राप्त हैं। सन् १९५७ में इसके द्वारा देश का १ अरब १४ करोड़ २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। उसी भर के जूट कारखानों में कुल बितने करते हैं उसका ५३ प्रतिशत भारत के इस उद्योग में है। इस उद्योग में कुल ३० लाख के लगभग औद्योगिक श्रमिकों का १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख के लगभग काम कर अपनी रोजी प्राप्त करते हैं। बल्कि उद्योग के बाद जूट उद्योग में ही सबसे अधिक औद्योगिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत के समस्त जूट उत्पादक क्षेत्रों में कुल मिलाकर २० लाख कृषक परिवार इस उद्योग के कारण अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इस उद्योग की कार्यरत पूँजी ७५ करोड़ रुपये के लगभग है। भारतीय जूट का सामान “विश्व का केरियर” कहलाता है। यह उद्योग हमारे देश का एक सुसंगठित एक आदर्श उद्योग है जिसमें प्रबन्ध, निर्देश एक अर्थ व्यवस्था मुनियत्रित है। निःसन्देह जूट उद्योग भारतीय अर्थतंत्र का मूलाधार है।

ऐतिहासिक मीमांसा

प्राचीन काल में यह एक यह उद्योग के रूप में चलाया जाता था और इतिहास से पता चलता है कि अठारहवीं शताब्दी में हमारे देश के बने हुए जूट के टाट एक बोरे अमरीका इत्यादि देश को निर्यात किये जाते थे। हमारे देश में आधुनिक संगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। प्रथम जूट मिल सन् १८५४ ई० में जार्ज ब्राक्लैण्ड ने स्थापित किया था। ऑक्लैण्ड साहब ने स्काटलैण्ड से मशीनों को लाकर श्रीरामपुर के निकट रिचर्ड नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन् १८५७ ई० से क्ताइ के अतिरिक्त इसमें

बुनाई का भी काम प्रारम्भ हो गया। सन् १८५६ ई० में बोर्नियो कम्पनी ने एक दूसरे मिल की स्थापना की जिसमें बत्ताई एव बुनाई दोनों ही काम प्रारम्भ कर दिए गये। सन् १८६० ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए। सन् १८७४ ई० में पाँच, और सन् १८७८ में आठ नई जूट कम्पनियाँ खुली और बलकत्ता जूट उद्योग का एक विशाल केन्द्र बन गया। यह तक कि सन् १८८२ ई० तक उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई तथा १८८५ ई० तक पाँच नये मिलों की स्थापना हुई। जूट उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए १८८४ ई० में भारतीय जूट मिल सघ की स्थापना हुई।

सन् १८८२ से लेकर १८९५ ई० तक जूट उद्योग की प्रगति में उत्थान एव पतन होता रहा परन्तु उत्पादन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही। सन् १८९५ तक मिलों की संख्या २६ हो गई। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चार वर्षों में दस नये मिल और स्थापित किए गये। भारतीय जूट उद्योग इस प्रकार धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा।

प्रथम सुदूरकाल में जूट उद्योग की प्रगति—प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने ही जूट की बनी हुई सामग्री की माँग बहुत बढ़ गई। एक ओर युद्ध के लिये तम्बू और त्रिपाल बनाने के लिये टाट की माँग बढ़ी और दूसरी ओर खाइयों को पाटने के लिये बोरो की आवश्यकता बढ़ी और साथ ही जूट की रस्सियों एव सुतलियों तथा अनाज और वस्त्र की पैकिंग के लिये टाट की माँग बहुत बढ़ गई। इस बढ़ती हुई माँग के कारण भारत के जूट मिलों की विकास करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ।

प्रथम सुदूरपरान्त जूट उद्योग की प्रगति—युद्ध की समाप्ति के उपरान्त माँग में बहुत बड़ा कमी आ गई। अतः जूट उद्योग के लिये सकट काल उपस्थित हो गया तथा बहुत से मिल बन्द हो गये। यह आर्थिक सकट काल सन् १९१६ ई० तक रहा। सकट काल के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग की माँति नुसगठित होने के कारण बहुत अधिक हानि न हुई और कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग धीमी किन्तु निश्चित गति से उन्नति करता गया यहाँ तक कि १९१४-१५ में ७० मिलों की संख्या बढ़कर सन् १९२६-२७ में ६८ हो गई।

सन् १९२६ ई० के बाद जूट उद्योग में एक बहुत बड़ा सकट काल उपस्थित हुआ। कच्चे जूट के मूल्यों में बहुत बड़ी कमी आ गई और जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य भी गिर गये। इस सकट काल पर विजय प्राप्त करने के लिये जूट मिल सघ ने यह निर्णय किया कि काम करने के धष्टे घटा दिये जायँ। सन् १९३१ तक घण्टों की संख्या कम कर दी गई और १५% कच्चे बच कर दिए गए। जूट मिल उद्योग के

भारत विभाजन से पूर्व ५३ लाख गाठ जूट का निर्यात करता था परंतु आज यह ६५ लाख गाठ जूट का निर्यात करता है। पुन इस उद्योग के लिए स्थिर हो गये हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूट मिलों की स्थिति को ठोस बनाने के प्रयत्न किये गये हैं और जूट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की रसायन खादा का प्रयोग तथा गहरी खेती की व्यवस्था की गई है। निर्यात की दृष्टि से सन् १९५६-६० में ८ लाख टन निर्मित जूट वस्तुओं का निर्यात हुआ है और द्वितीय आयोजना के तहत ६ लाख टन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में मशीनों के निर्माण के लिए १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और कच्चे माल के उत्पादन, मशीनों के नवीनीकरण तथा निर्यात की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किए जाने का निश्चय किया गया है। भारत का यह मुख्य उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति एवं उत्पादन की दृष्टि से आमनिर्भर हो गया है तथा विभाजन के समय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सन् १९५७ में जूट के माल का कुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जो कि सन् १९५८ में बढ़कर १०,५२,००० टन हो गया।

जूट उद्योग की समस्याएँ—हमारे जूट उद्योग के समस्त कुछ ऐसी समस्याएँ उपस्थित हैं जिनका सुलझाया जाना उद्योग के विकास एवं प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन समस्याओं में से निम्नोक्त प्रमुख हैं—

(क) **अनार्यिक इकाइयों की समस्या—**वर्तमान बाल में कुछ जूट मिलों को छोड़कर अन्य सभी घाटे में चल रहे हैं। पछले चार महीनों में तीन जूट मिलों को अपना कारखाना समेट कर बाला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुख्य कारण मांग की कमी है। किंतु अगर भी जूट उद्योग अभी तक कार्य क्षेत्र में डटा हुआ है यह इसके लिए गौरव की बात है।

(ख) **उत्पादन में वृद्धि की समस्या—**इस समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होशियन और सैकिङ्ग की मांग घटती हुई प्रतीत हो रही है, उत्पादन में वृद्धि एक समस्या है। स्मरणीय है किगत वर्ष जूट उद्योग का उत्पादन १० लाख ६२ हजार टन के स्तर पर रहा था जो सन् १९४२ के बाद का सर्वोच्च स्तर है। उत्पाद की बात बंधल इतनी ही है कि देश के अंदर भारतीय पंचवर्षीय योजना के कारण औद्योगिक क्रियाशीलता बढ़ गई है और फलस्वरूप होशियन सैकिङ्ग की मांग में भी वृद्धि हुई है। अतएव मांग में यह वृद्धि जूट मिलों के लिए विशेष रूप से उहासक हुई है। यह वर्ष

देश के अन्दर बोरों की माँग विशेष रूप से बढ़ी। यह आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में हैशियन सैक्रिड की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और इससे जूट मिलों को सहाय प्राप्त होता रहेगा। कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग में काफी बढ़ा विस्तार हो रहा है और इन सभी उद्योगों को अपना माल पैर करने के लिए बोरों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु जहाँ देश के अन्दर बोरों की माँग में वृद्धि हुई है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में हास हुआ है। स्मरणीय है कि सन् १९५३ से १९५५ तक सैक्रिड निर्यात काफी आशाप्रद रहा था। किन्तु गत वर्ष वह अचानक घट गया। भारतीय बोरों के मुख्य बाजार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में हैं। गत वर्ष दोनों ही स्थानों में माँग घट गई।

सन् १९५१ में भारत ने ४ लाख ४४ हजार टन सैक्रिड का निर्यात किया था किन्तु गत वर्ष निर्यात घट कर केवल ४ लाख ८ हजार टन रह गया। हैशियन और सैक्रिड तथा विविध मालों का कुल निर्यात सन् १९५५ की तुलना में प्रायः २५ हजार टन कम रहा। जूट के मालों के निर्यात में हास सबके लिए एक अत्यन्त विनाशकारी बात है। कारण यह है कि इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में मुद्रा विनिमय की बहुत बड़ी तंगी चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्यात में अधिक से अधिक वृद्धि हो। उसमें वृद्धि के स्थान पर हास एक गम्भीर बात है।

(ग) बाजार की समस्या—इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरतया भारत पर निर्भर रहते थे स्वयं अपने यहाँ जूट मिलों की स्थापना में लगे हुए हैं। फलस्वरूप यह आशंका प्रकट की जा रही है कि ये बाजार सदा के लिए भारत के हाथ से निकल जायेंगे। इस प्रसंग में बर्मा, थाइलैंड, इण्डोनेशिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों में जूट मिलों की स्थापना का प्रयत्न हो रहा है और यह बात भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इन देशों में भारतीय जूट उद्योग मालों की माँग घट जाने के कारण निर्यात का बहुत बड़ा घक्का लगा है। केवल इतना ही नहीं जापान और यूरोप की जूट मिलें इस समय अपने अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ बड़ी प्रतियोगिता कर रही हैं। चिन्ता का एक अन्य कारण यह है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जूट उद्योग में बहुत बड़ी प्रगति की है। पहले पाकिस्तान केवल पाट का उत्पादन करता था और पूर मिलें नलकते में थीं। अब पाकिस्तान ने अपने यहाँ स्वतन्त्र रूप में जूट उद्योग की स्थापना कर ली है। परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान का बाजार

तो भारतीय मिलों के हाथों से निकल ही गया है वहाँ से उल्टी प्रतियोगिता हो रही है। पहले पाकिस्तान में प्रति वर्ष भारतीय मिलों का प्रायः सत्तर हजार टन माल खपता था। अब यह सारा माल वहाँ की मिलों स्वयं उत्पादित करती हैं। इसके अतिरिक्त वे विदेशों को अपने मालों का निर्यात भी करने लगी है। गत वर्ष पाकिस्तान की मिलों ने विदेशों को प्रायः पचास हजार टन माल का निर्यात किया था— अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में प्रायः दूना। उत्तरी अमेरिका तथा बर्मा को पाकिस्तानी मिलों का माल विशेष रूप में जा रहा है। भारतीय जूट मिलों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

(घ) कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या—वस्तुतः कच्चे माल का प्रश्न ही भारतीय जूट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। गत वर्ष पाट के भाव अचानक बढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इसके फलस्वरूप अचानक असन्तुलित हो गया। गत वर्ष जूट मिलों को जो घाटा हुआ उसका मुख्य कारण पाट के भावों में आघाती वृद्धि होना ही है। भारत सरकार इस समस्या से भलीभाँति अवगत है। उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में पाट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख गॉठ से बढ़ाकर ५५ लाख ४० हजार गॉठ कर दिया है। किन्तु अभी तक यह कहना कठिन है कि इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति में सफलता वहाँ तक मिलेगी। प्रश्न केवल वादाद तक ही सीमित नहीं है। पाट व्यापार में कई ऐसे तत्वों का समावेश हो गया है जो वातावरण को स्थिर नहीं होने देते। फाटका स्थिरता का पुराना शत्रु है और पाट का सम्पूर्ण व्यापार फाटके के आधार पर चलता है। फसल की बोनी होते ही फाटके वाले भावों को कृत्रिम रूप में घटाने-बढ़ाने लगते हैं और कभी-कभी “वार्न-रिंग” आदि के रूप में भी कृत्रिम परिस्थितियों की सृष्टि का प्रयत्न किया जाता है। अतः पाट के उत्पादन के सम्बन्ध में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने पर भी उद्योग की समस्याओं का समाधान न होगा। कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्तता तभी होगी जब फाटके का उत्पन्न समाप्त हो जाय और भावों में कुछ स्थिरता रहे।

(ङ) नवीनीकरण की समस्या—जूट उद्योग जिस सङ्कटापन्न स्थिति से गुजर रहा है उसका वास्तविक समाधान तभी हो सकता है जब उसके उत्पादन व्यय में कमी हो और प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि। इसके लिए कच्चे माल की सुविधा के अतिरिक्त एक बात और भी आवश्यक है—वह है मशीनों का नवीनीकरण। भारतीय जूट उद्योग अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकांश मिलों की मशीनें नीर्या-शीर्या हो चुकी हैं और उनका नवीनीकरण आवश्यक है। इस दिशा में मुख्य बाधाएँ दो हैं—अर्थभाव और ड्रैड भूमियनों का विरोध। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसका समाधान सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न वास्तविक की अपेक्षा

मनोवैज्ञानिक अधिक है। मजदूर नवीनीकरण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि मशीनें नई हो जाने पर छुट्टी अनिवार्य हो जायगी। किन्तु यह आशय निराधार है।

उपसंहार

अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण आवश्यकता का ८० प्रतिशत कच्चा जूट उत्पादित करना प्रारम्भ कर दिया है तथापि जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे देश में निर्मित पदार्थों की माँगें बहुत कम हो गई हैं। एक आर हमारे मूल्य बहुत ऊँचे हैं और दूसरी ओर विदेशी उद्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदार्थों की खोज कर रहे हैं। कपड़े तथा कागज के बोरो का प्रयोग होने लगा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में खलि हानों से मोटरों में गल्ला भरने की मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जूट उद्योग के समस्त उपस्थित कठिनाइयों के प्रति जूट उद्योगपति तथा सरकार दोनों जागरूक हैं। इण्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने माँग में वृद्धि करने का उद्देश्य से अमेरिका एवं इंग्लैंड में अपने कार्यालय खोल रखे हैं तथा अन्य देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। इण्डियन जूट मिल एसोसिएशन नई नई वस्तुओं को निरालने के लिये अनुसन्धान कर रहा है। हमारी जूट मिलों ने पर्दे, दरिया, मोटे कपड़े तथा छाट जोट आदि बनाना प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि पाकिस्तान भी अपने देश में जूट के मिला की स्थापना करके विश्व प्रतिद्वन्द्वता के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है और इससे साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे बर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन, चीन, जापान तथा अमेरिका आदि देशों में जूट या जूट के समान रेशे के उत्पादन के प्रयत्न चल रहे हैं, तो भी भारतीय जूट उद्योग को इस पहलू से सशक्त होने की अधिक आवश्यकता नहीं है। भारत आर्थिक नियोजन काल में सुखर रहा है। भारत के शक्कर, लौह एवं सीमेंट उद्योग प्रगतिशील हैं। अतः जितनी बाह्य भाग में गिरावट आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है उससे अधिक आंतरिक भाग में वृद्धि होगी जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष	वार्षिक आन्तरिक उपज
१९५४	१,२०,००० टन
१९५५	१,७०,००० टन
१९५६	१,६३,००० टन
१९६०—(अनुमानित)	३,००,००० टन

परन्तु आग क प्रतिस्पर्धा के युग में यह आवश्यक है कि जूट का उत्पादन व्यय कम हो। इसके लिए मालों में नई से नई आधुनिकतम मशीनों का लगाना आवश्यक है भले ही स्थायी रूप से कुछ मजदूरा को बेकारी का भी सामना करना पड़े। जूटोद्योग के मालिका में शोषण की प्रवृत्ति न होकर सहयोग तथा सहमति की प्रवृत्ति होनी चाहिये। अमित्र हा उत्पादन की राह की हड्डी होते हैं। अतः उत्पादन व्यय कम करने में इनका सहयोग अनन्त आवश्यक है।

राष्ट्रीय उद्योग विकास आगम द्वारा जूट मिला क आधुनिकीकरण के लिये ऋण मन्त्रालयके जा रहे हैं। अब तक ६ मिल कम्पानय के लिये ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से २ को ५०,६१,६८३ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। अन्य अनेक आवदन पत्र विचाराधीन हैं। ऐसी पारास्थिति में नवीन आशा का संचार हो चुका है और इसमें सन्देह नहीं कि साहस, धैर्य एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक निवोनित कार्य करने से हमारे जूट उद्योग की सभी समस्याएँ सुलभ नायगी और यह उद्योग निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा।



सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

भोजन, वस्त्र तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और इनमें अतिम आवश्यकता की पूर्ति में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है। आधुनिक युग में भवन-निर्माण की अन्य सामग्री की तुलना में सीमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कारखाने, सड़क, पुल, बाँध, हवाई-अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के विकास में भी इसका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वस्तुतः सीमेंट उद्योग इस युग की अनिवार्य आवश्यकता एवं राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है। भारत के इस नव निर्माण काल में राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत्-उत्पादन तथा सिंचाई के लिए बड़े-बड़े बाँध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें, रेलें, बन्दरगाह एवं हवाई अड्डे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं विस्थापितों के लिए बस्तियाँ (Colonies) बनी रही है। इन सभी कार्यों की सफलता की वृष्टभूमि में सीमेंट ही है और यह उद्योग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता का प्रतीक एवं अभिन्न अंग बन गया है।

ऐतिहासिक मीमांसा

भारत में सीमेंट उद्योग का इतिहास पुराना नहीं है। इस उद्योग का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है। प्रथम महायुद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ही नहीं था। सर्वप्रथम सन् १९०४ में मद्रास में "पोर्टलैंड सीमेंट" का निर्माण प्रारम्भ हुआ, परन्तु यह प्रयास नगण्य था। इसके पश्चात् सन् १९१२ में पोरबन्दर स्थान पर "इंडियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड" ने एक कारखाना स्थापित किया। यह कारखाना सफल रहा। सन् १९१५ में "कटनी सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी" ने सीमेंट बनाना प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् १९१६ में "बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी" ने लखेरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। इन सभी कारखानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए नितान्त अर्थापत्त थी। परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लैंड या अन्य देशों से सीमेंट के आयात पर निर्भर रहता था। सन् १९१४ में भारत ने १,८०,००० टन सीमेंट का आयात किया।

प्रथम युद्ध काल में प्रगति

युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्थापित कारखानों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और ये शीघ्र ही उन्नति कर गये। युद्ध के कारण विदेशी सीमेंट की प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई, देश में पहले से ही सीमेंट के लिए बड़ा दीर्घ बाजार प्रस्तुत था और निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध था। इनके फलस्वरूप भारतीय सीमेंट उद्योग को प्रथम युद्ध काल में नवीन जीवन मिल गया और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े। भारत में ७६ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होने लगा।

प्रथम युद्ध के उपरान्त

युद्ध के उपरान्त भी सीमेंट उद्योग की प्रगति में क्रमशः वृद्धि होती गई। युद्ध के उपरान्त निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की अत्यन्त आवश्यकता थी। राष्ट्र का औद्योगिक विकास भी तेजी से प्रारम्भ हो गया था। सरकार ने इस उद्योग को सरक्षण भी प्रदान किया जिससे इन्फ्री विनास की सम्भावनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं। परिणाम स्वरूप सन् १९१६ और १९२३ के बीच देश में सीमेंट का ७ और नये कारखाने खुल गये तथा पूर्व स्थित ३ कारखानों की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई। सन् १९२४ में कुल उत्पादन ६४५ टन था, यह बढ़कर सन् १९२४ में २,३६,७४६ टन हो गया और इस बीच में सीमेंट का आयात १,६५,७२३ टन से घटकर १,२४,१८६ टन रह गया। इस प्राश्चर्यजनक उन्नति का फल यह हुआ कि देश में सीमेंट का अति उत्पादन होने लगा और विभिन्न उत्पादकों में मजदूर प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्पर्धा का एक यह भी कारण था कि नवीन सात कारखानों की स्थापना उसी क्षेत्र में वा गई थी जो कि पहले से ही सीमेंट के विपक्षित क्षेत्र व अन्तर्गत थे—२ कारखाने कटनी के निकट, १ छोटा नरगपुर में, १ पञ्जाब में, १ काठमावाड़ में, १ ग्वालियर राज्य तथा १ हैदराबाद राज्य में स्थापित थे। पारस्परिक स्पर्धा का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी उद्योगों को हानि होने लगी। इस हानि का अनुमान २ से २३ करोड़ रुपये का बीच लगाया गया। नये कारखानों में से तोतीन ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ऐसी स्थिति एक अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी। अवशेष उद्योगों में समझौता का प्रादुर्भाव हुआ और सन् १९२४ में सीमेंट का उद्योगपातकों ने टैरिफ-बोर्ड के अध्यक्ष सरक्षण का प्रस्ताव रखना जिसका अनुसार आयात पर २५ से ३० प्रतिशत कर लगाने का सुझाव था। बोर्ड ने गम्भीर विचार करने के उपरान्त इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बोर्ड का विचार था कि समस्या विदेशी प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि आन्तरिक स्पर्धा की थी। अतः इस उद्योग को सरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं

समझी गई। परंतु उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए बोर्ड ने राजकीय सहायता का सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश का भी अत्याकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उद्योगपतियों को उद्योग की रक्षा करने के लिए स्वयं उपाय करने के लिए विवश होना पड़ा। पारिशामस्वरूप पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त करने के लिए सामंत के उद्योगपतियों ने सन् १९२५ में "इंडियन सामंत मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन" की स्थापना की। इस संघ का कार्य मजदूरी मूल्यों का निर्धारण एवं नियमन था। संघ के निमाण्य से आपराध प्रावस्था का अन्त हो गया और आगामी चार वर्षों में मूल्यों में कटौती करने अथवा कमा करने की कोई समझौता नहीं उठा। संघ केवल मूल्य निर्धारण करता था और संघ का प्रत्येक इकाई अपना स्वयं का मजदूरी प्रबंध करने के लिए स्वतन्त्र था। कुछ समय उपरान्त संघ ने मजदूरी की व्यवस्था करने के लिए एक सामूहिक सस्था स्थापित करने के लिये प्रत्येक कारखाने का सम्पूर्ण विभागीय पर ५ आना प्रति टन का चंदा लगा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १९२७ में एक सस्था भी स्थापित कर टा गई जिसका नाम "कॉन्ट्रोल एसोसियेशन आफ इंडिया" रखा गया। इस सस्था का मुख्य कार्य सीमेंट के उपभोक्ताओं में सीमेंट के प्रयोग का प्रचार करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क ताक (Technical) सलाह देना था।

संघ के निमाण्य के परिचात् सामंत उद्योग को पुनः जीवन मिल गया और इस उद्योग की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। उद्योगपतियों में भी नवीन आशा एवं साहस का संचार हुआ। सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगपतियों ने सन् १९३० ई० में सीमेंट के विपणन को नियमित करने के उद्देश्य से 'सीमेंट मारकेटिंग आफ इंडिया' नामक सस्था स्थापित करने की योजना बनाई। इस सस्था का मूल उद्देश्य व्यापक विपणन प्रबंध के स्थान पर सामूहिक रूप से विपणन प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना था। परन्तु सदस्य कम्पनी विपणन पर अपनी व्यक्तिगत नियंत्रण छोड़ने को तैयार न हुई क्योंकि वे अपनी अपनी विपणन व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयत्न करने में सलभ थीं। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी। इतना अवश्य हुआ कि सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकला गया कि प्रत्येक कारखाने की उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया जाय। इस प्रकार सभी कारखानों की सामूहिक वार्षिक उत्पादन क्षमता ७,२२,००० टन निर्धारित कर दी गई। इन सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप सीमेंट उद्योग को पुनः गति मिली और यह उद्योग प्रगति के पथ पर चल पड़ा।

सन् १९३२ में 'कोयम्बटूर' सीमेंट कम्पनी तथा सन् १९३४ में 'शाहानाद सीमेंट कम्पनी' की स्थापना हुई जिससे क्रमशः ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन का

अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। विपणन के बाधा में समझौते के अनुसार जो कोटा प्रत्येक कम्पनी को लिये निश्चित हुआ था उसमें ऐसी बाधा नहीं थी जिसके अनुसार कम्पनियाँ अपना प्रचार का विकास न करने के लिए बाध्य हों। सन् १९३५ में यह अनुभव किया जाने लगा कि इस उद्योग में अभी विकास के लिए प्रयास क्षेत्र है और सामूहिक रूप से उत्पादन एवं विपणन करने पर उत्पादन ध्येय में और भी कमी की जा सकती है। परिणामस्वरूप श्री एफ० इ० एन० शा क संदर्भना के फल स्वरूप १९३६ में सभी सीमेंट संस्थानों का विलीनीकरण करके उन्हें में एक नया कम्पनी 'एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी' (A.C.C.) के नाम से स्थापित की गई। जबल 'श्रीमती कम्पनी' को छोड़कर देश का सभी कम्पनियाँ इस विलयन में शामिल हो गईं। सीमेंट उद्योग में अभिनवीकरण की दिशा में यह सर्वप्रथम प्रयास था। इस प्रयास द्वारा उद्योग को अधिक शक्तिशाली बनाकर विदेशी संधा से मुक्ति प्राप्त करना एवं उत्पादन तथा विपणन व्यय कम करके उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीमेंट प्रदान करना ही मुख्य लक्ष्य था। उद्योग को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस प्रकार का प्रयास आवश्यक ही नहीं आननाय था। इस प्रयास में फलस्वरूप सीमेंट के मूल्य २५ प्रतिशत कम हो गये और कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी। सन् १९३७ में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन ६,९७,००० टन हो गया। और सन् १९३८ में १५,००,००० टन हो गया। इस प्रगति से प्रोत्साहन पाकर सन् १९३८ में डालमिया दल का स्थापना हुई। इस दल के अन्तर्गत कारखानों का निर्माण तो १९३६ में ही प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु वास्तविक उत्पादन १९३८ से ही सम्भव हो गया। डालमिया दल ने अपने को एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से अलग रखता जिसके कारण बाजार में संधा होने लगी और पुनः उद्योग के सम्मुख गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। पारस्परिक संधा का अन्त उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हो गया। सौभाग्य से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई क्योंकि सन् १९४० में दोना दल में समझौता हो गया और विपणन का कार्य 'सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड' को सौंप दिया गया। इस समय ८० सी० सी० के अन्तर्गत १२ कारखाने और डालमिया दल के अन्तर्गत ५ कारखाने थे। इसका अतिरिक्त चार कारखाने स्वतंत्र रूप से उत्पादन करते थे।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

युद्धकाल में सीमेंट उद्योग को विदेशी संधा से स्वाभाविक संरक्षण मिल गया। युद्ध का आवश्यकताओं के कारण सरकार की मांग में सीमेंट के लिए अत्यधिक बढ़ गई। उद्योग को नवीन स्थिति मिली और उद्योग का आदर्शचरित्रक विकास प्रारम्भ हो गया। सन् १९४१-४२ में तो उत्पादन २२ लाख टन पहुँच गया जो अब तक के

उत्पादन में अधिकतम था। सीमेंट की माँग में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण सरकार ने सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण पर अपना अधिकार कर लिया। देश के सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग सरकार ने अपने बुद्धकालीन निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित कर लिया। इस स्थिति में जनता को कष्ट होना स्वाभाविक ही था। माँग के बढ़ने के कारण सीमेंट के उद्योगों को अपना प्रसार करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। १० सी० सी० के अन्तर्गत संस्थानों में विस्तार होने के फलस्वरूप इसकी उत्पादन क्षमता में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

द्वयुक्त प्रगति सन् १९४२ के उपरान्त प्रवृद्ध हो गई। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा नियंत्रण था। इससे अतिरिक्त कोयले का अभाव, अधिकाँक न भण्डे, वातावात की अनुपस्थिति, राजनीतिन उथल पुथल आदि अन्य कारण थे जिन्होंने इस उद्योग का प्रगति में बाधा उपस्थित कर दी। युद्ध के कारण विदेशों से मशीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो सकता था जिसके कारण पिछे हुए मशीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो सका। पुरानी मशीनों पर उत्पादन क्षमता कम हो जाना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप सन् १९४२ के उपरान्त सीमेंट उत्पादन क्रमशः कम होने लगा। यहाँ तक कि सन् १९४६-४७ में कुल उत्पादन १५,४२,००० टन सीमेंट था।

सन् १९४७ में इस उद्योग को विभाजन के फलस्वरूप एक और चक्का लगा। विभाजन के पहले सीमेंट के २४ कारखाने थे परन्तु विभाजन के कारण इनमें से ५ पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गये। अतः सन् १९४८ में कुल उत्पादन लगभग १०४६ मिलियन टन ही रह गया। सन् १९४८ में डालमिया दल पुनः अलग हो गया और अपनी विपश्यन व्यवस्था बना अलग करने लगा। यह व्यवस्था तब से वर्तमान समय तक चली जा रही है।

सुदोत्तर विकास की योजनाओं में सरकार ने सन् १९५२ ई० तक सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य ६० लाख टन प्रति वर्ष रखा। यह ५ इस लक्ष्य की प्राप्ति का सम्भव न हो सकी, परन्तु सन् १९४६ के उपरान्त उत्पादन में क्रमशः वृद्धि अवश्य होने लगी। आन्तरिक माँग में वृद्धि, विकास योजनाओं के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा माँग, वातावात की सुबधाओं में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण की शिथिलता एवं स्वतन्त्र नागरिकों के उल्लास तथा उत्साह ने इस उद्योग को नवान् चेतना एवं साहस प्रदान किया। सीमेंट के वर्तमान कारखानों में उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के प्रयास वास्तविक रूप से जाने लगे और नवान् संस्थानों का जन्म होने लगा। सन् १९५० में स्थापित तीन नये कारखानों में—वीरपट्ट, मद्रास एवं त्रावनकोर कोच्चन—जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २६,००,००० लाख टन थी, सन् १९५१ से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इससे अतिरिक्त तीन और नये कारखाने स्थापित किए गये जिनमें से तिरुलिया (१००६)

ने अप्रैल १९५१ में तथा सवाई माचौपुर (राजस्थान) तथा राजगजपुर (उड़ीसा) के कारखाने में सन् १९५२ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश सरकार ने ४३ करोड़ रुपए की पूंजी से मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज के निकट चर्क नामक स्थान में एक नया कारखाना स्थापित किया। इसमें सन् १९५४ से उत्पादन होने लगा। सन् १९५५ में सिद्धी में सीमेंट का कारखाना स्थापित होने से सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता २ लाख टन से और बढ़ गई। इसी अवधि में सीमेंट के ७ कारखानों की आधुनिकीकरण योजना पूरी होने से इन कारखानों की उत्पादन क्षमता १० लाख टन से और बढ़ गई। सन् १९५५-५६ में ११ नये कारखानों तथा १२ पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने क फलस्वरूप इस उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ७० लाख टन हो गई है। सन् १९४६ के उपरान्त इस उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्न तालिका से सरलता से किया जा सकता है—

वर्ष	उत्पादन
१९४६	२१ लाख टन
१९५०	२३ " "
१९५१	३२ " "
१९५२	३५ " "
१९५३	३७ ८ " "
१९५४	३८ " "
१९५५	४५ ० " "
१९५६	४६ ५ " "
१९५७	५६ " "
१९५८	६० लाख ६० हजार टन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् १९५५-५६ तक का योजना आयोग का लक्ष्य ४८ लाख टन सीमेंट पूरा ही नहीं हो चुका है, बरन् लक्ष्य क आगे भी पहुँच गया है। सन् १९५३ तक २३ कारखाने थे। १९५६ तक ६ नये कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। सभी कारखानों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) ऐसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड १३ कारखाने

(२) राज्य सरकारों क ३ कारखाने

(३) अन्य लिमिटेड कम्पनियों क १३ कारखाने (इनमें से १० कम्पनियों का प्रथम मर्गिंग एजेंट करते हैं)। सन् १९५८ में सीमेंट क दो और कारखाने खोले गए और इस प्रकार कारखानों की कुल संख्या ३९ हो गई है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना क अन्तर्गत सरकार ने सीमेंट का वार्षिक उत्पादन १२० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना काल में इस उद्योग क विस्तार का निम्न रूपरेखा बनाई गई है—

(१) वर्तमान २८ कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(२) ३१ नये सीमेंट कारखाने खोलने की व्यवस्था।

वर्तमान कम्पनियों द्वारा ६ नये कारखाने और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोलने क लिए सरकार स्वीकृत प्रदान कर चुकी है। इस विस्तार क फल स्वरूप सीमेंट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने का आशा है—

वर्ष	कारखानों की संख्या	वर्तमान कारखानों की वार्षिक क्षमता (लाख टन में)	नये कारखानों का क्षमता (लाख टन में)	योग (वार्षिक क्षमता) (लाख टन में)
१९५६	४२	८० ३३	२४ ८६	१०५ २२
१९६०	४४	९१ ७१	२८ ३४	१२० २५
१९६१	५३	९८ ५६	४ ५८	१४८ १०
१९६२	५५	९८ ५६	५२ ६८	१५१ ५०

सन् १९५७ में तटकर आयोग के सुझाव

सीमेंट वितरण का कार्य जुलाई १९५६ से राज्य व्यापार निगम के हाथ में

आने के बाद जिन सीमेंट उत्पादकों को दुलाई के कारण बचत होती थी, वह बचत बन्द हो गई। दूरी और समस्त सीमेंट उत्पादकों को अनेक कारणोंवश उत्पादन की लागत भी अधिक पड़ने लगी। परिणामस्वरूप सन् १९५७ के आरम्भ में भारत सरकार ने तटकर आयोग को विभिन्न कारखानों में पड़ने वाली उत्पादन लागत की जाँच करते एव उत्पादकों को उचित मूल्यों की सिफारिश करने के लिए निर्देश दिया। तटकर आयोग ने विभिन्न कारखानों की उत्पादन लागत का हिाभ लगाने के बाद उन कारखानों के लिए खुले सीमेंट के वहाँ से चलते समय के मूल्य निर्धारित कर दिये। आयोग ने ये मूल्य १ जनवरी १९५८ से ३१ दिसम्बर १९६० तक रखने की सिफारिश की। इन उशोधित मूल्यों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि सभी उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिये गए हैं तथापि गन्तव्य स्थान पर सीमेंट का एफ० ओ० आर० मूल्य देश भर में अब भी वर्तमान के समान ११७ ५० रु० प्रति टन ही रहेगा। ऐसा ऊपरी खच्चों में हेर फेर करके तथा राज्य ध्यापार निगम के पारिश्रमिक को ३ प्रतिशत से घटाकर २ प्रतिशत कर देने से सम्भव हो सका है।

सीमेंट के निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात के लिए २ लाख टन सीमेंट के निश्चित कोटे ने अतिरिक्त १ लाख ४८ हजार टन और सीमेंट बाहर भेजने के करार किये जा चुके हैं। सीमेंट क कारखानों की मशीनें भारत में ही बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि १९६२ तक देश की ही बनी हुई मशीनों से सीमेंट क कारखानों की आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति हो सकेगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत का सीमेंट उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रगति से अग्रसर होता चला जा रहा है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में निर्धारित सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य एव उसके प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ वास्तव म सीमेंट उद्योग के स्वर्णिम भविष्य क प्रतिबिम्ब हैं।

कागज उद्योग

(Paper Industry)

राष्ट्र की सभ्यता एवं सस्कृति के विकास का मूलाधार कागज ही है। अतः कागज उद्योग को राष्ट्र की सभ्यता एवं सस्कृति का प्रतीक कहना कदाचित् अनुचित न होगा। भारत अति प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता का कन्द्र रहा है। अतः कागज उद्योग का वर्णन सोलहवीं शताब्दी में मिलता है। परन्तु प्रामाणिक रूप से इस उद्योग का जन्म मुसलमानी शासनकाल में हुआ। सम्राट अकबर के शासन काल में तो यह उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैल गया। भारत में अँग्रेजों के आने के पूर्व कुटीर-उद्योग के रूप में कागज उद्योग अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में था।

बड़े पैमाने पर संगठित रूप में इस उद्योग का इतिहास तो उन्नीसवीं शताब्दी से ही प्रारम्भ होता है। वैसे तो सन् १७१६ में इसाई धर्म के प्रचारक विलियम कैरे ने कलकत्ता के निकट सीरामपुर में सर्वप्रथम कागज का कारखाना स्थापित किया था परन्तु यह प्रयास असफल रहा। इसके उपरान्त सन् १८३७ में दूसरा कारखाना हुगली के तट पर कलकत्ते के ही निरुद्ध 'वेली पेपर मिल' के नाम से खोला गया। सन् १८८१ में बंगाल में 'टीटागढ़ पेपर मिल' की स्थापना हुई जिसने सन् १८८४ में अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। वास्तव में यह प्रथम कारखाना था जिसने आधुनिक कागज उद्योग का आधारशिला कहा जा सकता है। सन् १९०४ में 'वेली पेपर मिल' का भी 'टीटागढ़ पेपर मिल' में विलियन हो गया जिससे इसका और भी विस्तार हुआ। सन् १९२४-२५ तक इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता १८,००० टन हो गई। १९वीं शताब्दी के अन्त तक और भी कई कारखाने स्थापित किये गये जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे—

- (१) अपर इण्डिया डूबर मिल, लखनऊ (१८७६)
- (२) महाराजा सिन्धिया पेपर मिल, ग्वालियर (१८८१)
- (३) डकन पेपर मिल क० पूना (१८८५)
- (४) बंगाल पेपर मिल क० रानीगंज (१८८६)
- (५) इम्पीरियल पेपर मिल्स, कवीनारा (१८६४)

उपर्युक्त कारखानों में सिन्धिया पेपर मिल असफल रहा और उसकी मशीनों को १९२२ में बंगाल पेपर मिल ने खरीद लिया। इसी प्रकार इम्पीरियल पेपर मिल की मशीनों को १९०३ में टीटागढ़ पेपर मिल ने खरीद लिया। डकन पेपर मिल भी घाटे के कारण बन्द हो गया। विभिन्न मिलों की असफलता ने इस उद्योग के विरासत की गति को अवरुद्ध कर दिया और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कोई नया कारखाना नहीं खोला गया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय भारत में कुल ५ कागज मिलें थीं जिनका वार्षिक उत्पादन २७,००० टन था।

युद्ध काल में आयात की कमी के कारण इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। भारत के सभी मिलों ने खूब उत्पादन किया और लाभ कमाया। इस सफलता के कारण ही अन्य लोगों को इस उद्योग की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। सन् १९१८ में इण्डियन पल्प कं० की स्थापना की गई जिसने सन् १९२२ में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सन् १९२७ में मद्रास में 'कर्नाटक पेपर मिल्स' तथा सन् १९२९ में सहायनपुर में 'पञ्जाब पेपर मिल' की स्थापना हुई। इस उपरान्त ही जगाधरी में 'श्री गोराल पेपर मिल्स' की स्थापना हुई। इस प्रकार सन् १९२४ तक कागज मिलों की संख्या ९ थी और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३३,००० टन। योद्धत्तर मन्दी के कारण सन् १९२४ में इस उद्योग ने सरकार की माँग की और सरकार द्वारा ७ वर्ष के लिए सरकार प्रदान किया गया। सरकार प्राप्त होने तथा सहायनपुर व कर्नाटक मिलों के स्थापित हो जाने के कारण कागज उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता सन् १९३१ में ४५,६०० टन हो गई। सन् १९३१ में टैरिफ बोर्ड ने पुनः इस उद्योग की जाँच की और अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि सरकार की अबाध में इस उद्योग ने सतोषप्रद प्रगति की है। अतः बोर्ड ने आगामी ७ वर्षों के लिए फिर से सरकार प्रदान किये जाने की सिफारिश की। अभी तक कागज बनाने में 'सवाई' घास का प्रयोग किया जाता था जिसके कारण कागज की किस्म अच्छी न रहती थी। अब बाँस से लुगदी बना कर कागज बनाया जाने लगा जो किस्म एच टिफाऊपन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। पुनः सरकार मिल जाने के कारण उद्योग को और भी प्रोत्साहन मिला। परिणामस्वरूप १९३६-३७ तक देश में ११ कारखाने हो गये—इनमें ४ बंगाल, ४ बम्बई, १ उत्तर प्रदेश, १ मद्रास तथा १ द्रावनकोर में था। इसके उपरान्त सन् १९३९ में आसाम में एक और नया कारखाना खुला। इसी वर्ष एक लुगदी का कारखाना चिटगाँव में भी खुला। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय भारत में कुल १३ कागज के कारखाने थे और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ६०,००० टन थी।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

द्वितीय महायुद्ध में विदेशों से आयात बन्द हो जाने के कारण, कागज उद्योग को स्वाभाविक सरक्षण मिल गया। आन्तरिक माँग में वृद्धि होने के कारण पारस्परिक स्पर्धा का भी अन्त हो गया। मूल्यों में वृद्धि के कारण लाभ भी अधिक होने लगा। वास्तव में इस उद्योग के लिए युद्ध वरदान सिद्ध हुआ और इस उद्योग को पुनः जीवन मिल गया। ऐसी परिस्थितियों में कागज उद्योग का विकास स्वाभाविक ही था। अतिरिक्त लाभ ने पुराने कारखानों को विस्तार करने के लिए प्रेरणा प्रदान की और नये उद्योगियों को भी नये कारखाने खोलने के लिए आकर्षित किया। युद्ध कालीन नये स्थापित हुए कारखानों में “आर्यन पेपर मिल्स लि०” तथा “नेशनल पेपर एण्ड बोर्ड लि०” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्ट्रॉबोर्ड बनाने वाले कारखानों की संख्या १८ हो गई जिनका वार्षिक उत्पादन ३०,००० टन था जबकि आन्तरिक माँग केवल २५,००० टन ही थी। इसी प्रकार भारत सन् १९३७ तक पेपर बोर्ड के लिए आयात पर ही निर्भर था, परन्तु युद्ध के कारण पेपर बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला और इसी का परिणाम है कि “दि रोहतास इंडस्ट्रीज लि०” डालमिया नगर, पेपर बोर्ड का बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया जा सका और आज भारत में पेपर बोर्ड का वार्षिक उत्पादन २४,००० टन है जो आन्तरिक माँग के लिए पर्याप्त है। सन् १९४४ तक देश में १६ कागज के कारखाने हो गये और कागज का उत्पादन १,०३,७८४ टन होने लगा। कागज की विभिन्न किस्मों का भी निर्माण होने लगा और भारत कागज में आत्मनिर्भर हो गया।

सन् १९४२ ४३ तक तो इस उद्योग के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती गई परन्तु इसके उपरान्त क्रमशः उत्पादन कम होने लगा। इसके मुख्य कारण थे यातायात की असुविधा, कोयले का अभाव, श्रमिकों के भगड़े एवं फन्चे माल का अभाव। कागज का अभाव होने के कारण इसका मूल्य भी बहुत बढ़ गये और जनता को अपने उपयोग के लिए कागज मिलना कठिन हो गया। फलस्वरूप सरकार ने कागज पर नियन्त्रण लगा दिया और सरकारी तथा सार्वजनिक उपयोग की मात्रा निश्चित करने के अनुसार पहले तो ६० प्रतिशत कागज अपने लिए रखा परन्तु बाद में घटा कर ७० प्रतिशत कर दिया। कागज में भी चोर बाजारी प्रारम्भ हो गई।

युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद कागज उद्योग की स्थिति तथा विकास की भावी सम्भावनाओं की जाँच करने के लिए सरकार ने एक “पैनल” नियुक्त किया। इस “पैनल” ने जाँच करने के उपरान्त कागज, लुगदी, गन्ना तथा अन्य सभी प्रकार के कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विकास योजना बनाई जिसके

अन्तर्गत १९५१ तक १,६६,००० टन तथा १९५६ तक ३,०२,००० टन कागज के उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। युद्ध के उपरान्त भी अखबारी कागज (News Print) का पूर्णतया अभाव था, अतः इसके उत्पादन के लिए भी योजना बनाई गई। सन् १९५३-५४ में मध्य प्रदेश में "नेपा मिल्स" की स्थापना की गई जिसने जनवरी १९५५ से उत्पादन आरम्भ कर दिया और अखबारी कागज का उत्पादन प्रारम्भ हो गया। परन्तु अब भी अधिकतर आम कागज का उत्पादन ही अधिक मात्रा में होता था और अच्छे किस्म के कागज का अभाव रहा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

(हजार टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन	लापने व लिखने का कागज	शैविंग कागज	विशेष किस्म का कागज	बोर्ड (पट्टा)
१९५०	१०६	७०	१५	५	१६
१९५१	१३१	७८	२४	३	२६
१९५२	१३८	६१	२२	२८	२२
१९५३	१४०	६६	२१	३४	२०

कागज उद्योग के सम्बन्ध में जो 'पैनल' नियुक्त किया गया था उसने यह सिफारिश भी की थी कि भविष्य में नये कारखाने उन स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिये जहाँ उनके विकास के लिये पर्याप्त कच्चा माल, यातायात की सुविधा, शक्ति के साधन एवं विपणन सुविधाएँ सरलता से प्राप्त हो सकें। इसका मत था कि कागज के कारखाने पश्चिमी बंगाल में न खुल कर, मद्रास, बम्बई, आसाम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही स्थापित किये जाने चाहिये। जहाँ तक अखबारी कागज का प्रश्न है इनके कारखानों का विकास वाराणसी में तथा उत्तर प्रदेश में देहली-गढ़वाल में सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इन स्थानों पर उनके लिये कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।

पर्वमान प्रगति पर समस्यार्थ

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये थे—

(हजार टन में)

	१९५०-५१			१९५५-५६		
	कारखाने	वार्षिक उत्पादन क्षमता	वास्तविक उत्पादन	कारखाने	वार्षिक उत्पादन क्षमता	वास्तविक उत्पादन
कागज एवं पट्टा	१७	१३६'६	११४	१९	२११	२००
अखबारी कागज	१	३०	२७
स्ट्रॉबोर्ड	१८	४८५	२२	२०	५८५	५२६

उपर्युक्त लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिये किन्ने गये प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् १९५६ में कागज और गत्ते का उत्पादन २१ लाख टन हो गया जबकि यही उत्पादन १९५०-५१ में केवल १'१४ लाख टन था। परन्तु कागज की खपत को देखते हुए यह बहुत कम था। सन् १९५१ में कागज की खपत २१ लाख टन थी परन्तु १९५६ में यही खपत बढ़कर ३१७ लाख टन हो गई। परिणामस्वरूप हमको लगभग १५ करोड़ रुपये की लागत का ४९ हजार टन कागज, ८० हजार टन अखबारी कागज तथा १२ हजार टन रेयन की लुगदी विदेशों से मँगानी पड़ी। इस समय तक देश में २१ कागज की मिलें स्थापित हो चुकी हैं। ये मिलें अधिकांश में बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में स्थित हैं। सन् १९५७ तथा सन् १९५८ में इनका उत्पादन इस प्रकार रहा—

कागज (टन)

	छपाई और लिखाई	पैकिंग	विशेष निर्यात का	गत्ता	योग
१९५७	१,२६,५१६	३८,०१६	७,२००	३८,४००	२,१०,१३२
१९५८	१,३९,८३९	३८,३३७	७,२००	४६,२००	२,३१,५७६

द्वितीय आयोगन काल में देश में २२ नये कारखाने और खोलने की व्यवस्था

की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ तक उद्योग का विकास कार्यक्रम इस प्रकार है—

	आवश्यकता (अनुमानित)	वार्षिक उत्पादन क्षमता	उत्पादन
कागज एव पट्टा	३,५०,००० टन	४,५०,००० टन	३,५०,००० टन
अख्तारी कागज	१,२०,००० टन	३०,००० टन	३०,००० टन

सन् १९५७ में कागज तथा गत्ते का उत्पादन २,००,००० टन की सीमा को पार कर गया जब कि १९५६ में कुल १,९३,४०० टन कागज का उत्पादन हुआ था। सन् १९५८ के अन्ततक आशा है कि कागज के उत्पादन के लिए दो नये कारखाने चालू हो जायेंगे। अख्तारी कागज का उत्पादन अब पक्की तरह कम गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसका एक ही कारखाना 'नेपा मिल' है। सन् १९५७ में यहाँ १४,४८९ टन अख्तारी कागज बनाया गया। जब त्रिजली अधिक परिमाण में मिलने लगेगी तो यह और भी बढ जायगा। राष्ट्रीय उद्योग विकास कॉर्पोरेशन के आधीन अख्तारी कागज का एक सरकारी कारखाना आंध्र प्रदेश में राजर नगर में खोला जा रहा है जिसमें ३० हजार टन अख्तारी कागज बन सकेगा। अख्तारी कागज की माँग को दृष्टि में रखते हुये अभी देश में तीस तीस हजार टन कागज बनाने वाले दो कारखानों के खोलने की मुम्बदाइश है। देश में प्रति वर्ष ८०,००० टन अख्तारी कागज की खपत होती है। आशा है कि सन् १९६०-६१ तक बढ़कर यह १,२०,००० टन हो जायगी।

जनवरी १९५७ में कागज एव लुगदी समिति का गठन किया गया था जो इस उद्योग के विषय में सभी बातों पर विचार किया करेगी। सरकार ने आठान में रासायनिक लुगदी बनाने के कारखाने की स्थापना करने की एक योजना स्वीकार कर ली है। इसका उत्पादन ३० हजार टन लुगदी प्रतिवर्ष होगा। इसी प्रकार ५० हजार टन की नकली रशम रेवन की लुगदी बनाने के लिये भी एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

छपाई तथा लपेटने के काम आने वाले घटिया किस्म के कागज की माँग को पूरा करने के लिए छोटे कारखानों का महत्व स्वीकार किया जा चुका है तथा इस प्रकार के ६ कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिनकी कुल क्षमता १५,५०० टन होगी।

सरकार ने कागज के ७ नये कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिये हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ५५,१०० टन होगी। इसमें से ३ बम्बई में तथा एक एक आसाम, बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र में खोला जायगा। वर्तमान कारखानों में ८ कारखानों के विस्तार के लिये भी लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिससे इनकी उत्पादन क्षमता में १,०६,५०० टन की वार्षिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। इन योजनाओं की पूर्ति पर देश की वार्षिक उत्पादन क्षमता ३,५०,८०० टन हो जायगी।

भ्यूटल मोनोसलफाइड प्रणाली द्वारा गन्ने की खेई से प्रतिदिन १०० टन उत्पादन करने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के साथ शतचीत चल रही है। इसकी अन्तिम प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए मशीनों के लिए अभी ठेके नहीं दिये जा सके हैं।

उद्योग पर भिन्न भिन्न रूपों पर सरकार को सलाह देने के लिए १९५५ में बनाई गई तालिका का १९५७ में पुनः सगठन किया गया। इस तालिका में चार उपसमितियाँ बनाई गईं जो कि (१) कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण (२) कच्चे माल के साधनों का निर्धारण (३) परिचालन दक्षता सम्बन्धी जानकारी का सफलन तथा विनिमय और (४) भिन्न-भिन्न किस्मों के कागजों की भाँगी के निर्धारण के प्रश्नों पर विचार करती है।

सन् १९५८ में प्रथम बार नमी तथा गर्मी सहने वाली सैल्यूलोज फिल्लियों का उत्पादन आरम्भ हुआ। सिगरेट निर्माताओं द्वारा इनकी किस्म सन्तोषजनक बताई गई है और आशा है कि सिगरेट उद्योग की ५० प्रतिशत आवश्यकता स्थानीय उत्पादन द्वारा ही पूर्ण हो सकेगी। देश में पहली बार बनाये जाने वाले अन्य किस्म के कागजों में क्विकनाई रोकने वाले तथा कठिलों में लगाये जाने वाले कागजों का परीक्षणार्थ किया गया उत्पादन उल्लेखनीय है। चैक के कागजों का उत्पादन अब नियमित रूप से होने लगा है।

वर्तमान समय में कागज उद्योग के सम्मुख यंत्रों के आधुनिकीकरण एवं कच्चे माल की समस्याएँ मुख्य रूप से इसके प्रगति के पथ को अवरुद्ध बिये हैं। कागज के कारखानों में अधिकांशतः पुराने यंत्रों का ही उपयोग हो रहा है। हमारे इजीनियरिंग उद्योग की सफलता पर ही कागज उद्योग की इस समस्या का समाधान निर्भर है। जहाँ तक कच्चे माल की समस्या का प्रश्न है प्रमुख रूप से उत्पादन के लिए बाँस तथा सबाई घास का उपयोग होता है। परन्तु देश के विभाजन के कारण पूर्वी बङ्गाल से आने वाला बाँस बन्द हो गया। इससे पश्चिमी बङ्गाल के कारखानों

को कच्चे माल का एक प्रकार से दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया। सत्राई घास भारत में बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती है। इसके लिए जङ्गलों की सुरक्षा और राँस के भावों का निर्धारण, जङ्गलों में सड़कों का निर्माण, तथा जूट व रई की बतरन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बनों के प्रमुख निरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया है जो कच्चे माल की पूर्ति को ध्यान में रखकर कागज उद्योग के विकास की आधारभूत योजना प्रस्तुत करेगी। यह समिति राँस के तथा अन्य कच्चे माल के विरोहन के लिए उपाय करेगी तथा सेल्यूलोज की प्राप्ति बढ़ाने के लिये उपाय बतलावेगी। देहरादून का 'कारेस्ट रिसर्च इस्टीमेट' इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत का कागज उद्योग निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अब भारत किस्म की दृष्टि से भी सत्तर न किसी भी देश से पीछे नहीं रह गया है। इस उद्योग की वर्तमान समस्याओं के प्रति हमारी राष्ट्रीय सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सन्देह नहीं कि इन समस्याओं का हल हो जाने के बाद इस उद्योग के प्रगति क पथ का अवरोध मार्ग खुल जायगा और यह उद्योग पुन विकास की ओर शीघ्रता से बढ़ने में समर्थ हो सकेगा और भारत कागज क लिये आत्मनिर्भर हो सकेगा। हमारे देश की आन्तरिक मांग में वृद्धि से इस उद्योग को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ऐसे देश में बहाँ ८२ प्रतिशत लोग निरक्षरता क गहन अन्धकार में मटक रहे हैं और जहाँ विदेशी दासता से पददलित एवं सुसुप्त सांस्कृतिक चेतना की पुनरुज्जीवन प्रदान करना हो, वहाँ शिक्षा के विकास एवं सांस्कृतिक सन्देश को विश्व के अन्तरिक्ष में प्रतिध्वनित करने के लिए भविष्य में निरन्तर कागज की माँग में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। फलतः भारत की सांस्कृतिक प्रगति के प्रतीक इस कागज उद्योग का स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है।



चीनी उद्योग

(Sugar Industry)

हमारे राष्ट्र के सगठित बड़े उद्योगों में विशालता की दृष्टि से आज चीनी उद्योग का द्वितीय स्थान है। राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का यह उद्योग एक महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति करता है। चीनी उद्योग उन उद्योगों में से है, जो देश की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। न केवल आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, बल्कि सस्ते में चीनी का सर्व प्रमुख उत्पादक होने के नाते भी इस उद्योग का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय देश में चीनी के १६० कारखाने हैं जिनसे लगभग १३ लाख टन एच अरद अमिकों तथा ३६०० विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त लोगों को जीविका प्राप्त होती है। लगभग २ करोड़ किसान गन्ने की खेती में लगे हुए हैं और इस वर्ष गन्ने के मूल्य में ७०-६८ करोड़ रुपये इन किसानों को प्राप्त हुए। राज्यसोप को इससे ६५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। देश को इस उद्योग से बड़ी आशाएँ हैं।

ऐतिहासिक भीमास्त

कहा जाता है कि भारत ही गन्ने का जन्म स्थान है। प्राचीन काल में जब पार्श्वत्य जगत क लोग पाने को मीठा करने के लिए शहद का उपयोग किया करते थे, तब भारत में चीनी दैनिक आवश्यकता की वस्तु थी। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रन्थों में 'शर्करा' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि अति प्राचीन काल में भी भारत में शर्करा अर्थात् खाड़ का प्रयोग होता था जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय भी खाड़ बनाने का धंधा प्रचलित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गन्ने के रस से शर्करा बनाने और शीरे से मसखार बनाने की विधियों की व्याख्या भी है। १६ वीं शताब्दी के मध्य में रचे गये चीन के विश्व कोष में भारत के उन्नतिशील चीनी उद्योग का उल्लेख है। भारत चीनी का निर्यात अन्य देशों को भारी मात्रा में करता था। परन्तु ईस्ट इण्डिया कंपनी के प्राबुध्वाय के साथ-साथ हमारा यह अतीत का गौरव चीनी उद्योग क्रमशः अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। १९ वीं शताब्दी में तो भारत स्वयं चीनी का आयात करने लगा। मारिशस तथा जावा से आयातों में

भारी वृद्धि के कारण चीनी उद्योग की दशा १८६० के बाद बड़ी खराब हो गई। सरकारी सहायता प्राप्त योरोपियन चीनी की आयातों से कीमतें बहुत गिर गईं और गुड़ से चीनी बनाने का उद्योग बड़ा अलामप्रद हो गया।

बीसवीं शताब्दी में

वास्तव में सगठित बड़े पैमाने के चीनी उद्योगों का जन्म बीसवीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी के प्रारम्भ में मोतीहारी, बारा बक्विया, गोरखपुर तथा पदरौना के कारखाने प्रसिद्ध थे। परन्तु इन आधुनिक उद्योगों के खुल जाने के बाद भी इस उद्योग की प्रगति बहुत ही मन्द रही। जुटीर उद्योग तो प्रायः नष्ट ही होता जा रहा था। विदेशी स्पर्धा के कारण मूल्य गिर जाने से किसानों ने गन्ने का उत्पादन भी कम कर दिया। चीनी बनाने के प्राचीन एवं अवैज्ञानिक ढंगों के प्रचलन के कारण उत्पादन व्यय भी अधिक पड़ता था। भारत आन्तरिक उपभोग के लिए आयात पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गया। सन् १६१३ १४ में ८,६६,३७० टन चीनी का आयात किया गया। प्रथम महायुद्ध ने थोड़े समय के लिए उद्योग को प्रोत्साहन तो दिया, परन्तु युद्ध के उपरान्त स्थिति व्यो की व्यो हो गई। सन् १६१६ २० में चीनी उद्योग के विकास के लिए एक चीनी समिति की स्थापना की गई। गन्ने के उत्पादन में कुछ वृद्धि भी हुई, परन्तु सन् १६३१ तक भारतीय बाजारों में विदेशी शक्कर का ही गहुता यत रहा। इस समय तक देश में छोटे-बड़े सब मिलाकर कुल ३२ कारखाने ही थे और उनका अस्तित्व भी खतरे में था। सन् १६३० में "भास्तीय कृषि अनुसंधान परिषद्" ने सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर आकर्षित किया और इस उद्योग को उचित सहायता प्रदान करने की सिफारिश का। इस परिषद् की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने सन् १६३२ में इस उद्योग को सरक्षण प्रदान किया। वास्तव में इसी वर्ष से इस उद्योग ने विकास के युग में पदार्पण किया और इसके इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ।

सरकार ने इस उद्योग को १५ वर्षों के लिए सरक्षण देना स्वीकार किया। सरकार ने चीनी के आयातों पर पहले सात वर्षों के लिए ७ ६० ४ आ० प्रति हडरवेड के हिसाब से सरक्षण कर लगाया और इस आयात कर पर २५% के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क भी लगाया। सन् १६३७ के उपरान्त यह आयात कर समझानुबूल घटता बढ़ता रहा और अन्त में १६५० में सरक्षण विलकुल हटा लिया गया। इस सरक्षण से विदेशी प्रतिस्पर्धा का अन्त हो गया तथा उद्योग को अपना विकास करने का अवसर मिल गया। सरक्षण द्वारा नवीन चेतना एवं स्फूर्ति प्राप्त करके यह उद्योग क्रमशः प्रगति की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष	चीनी के कारखाने	उत्पादन (हजार टन में)	आयात (हजार टनों में)
१९३१-३२	३१	१५८	५८६
१९३४-३५	१२८	५६९	३८१
१९३६-३७	१३७	९१९	१४२
१९३९-४०	१४५	१२०७	६६

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीनी उद्योग की प्रगति संरक्षण की ही प्रगति है जिसने न केवल देश को चीनी के मामलों में आत्म निर्भर बना दिया, वरन् प्रतिवर्ष जो देश में आयात करने में १६ करोड़ रुपये की उद्भूम्य विदेशी विनिमय व्यय होती थी, वह भी बन्द हो गई। सन् १९३७ में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादनाधिक्य से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से "भारतीय चीनी सिन्डिकेट" (Sugar Syndicate) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार ने चीनी नियन्त्रण अधिनियम पास किया जिसके अनुसार कोई भी नया कारखाना बिना सरकार के लाइसेंस के प्राप्त किये हुए नहीं खोला जा सकता था। इस उद्योग पर आवश्यक नियन्त्रण रखने के लिए सन् १९४० में चीनी आयोग की भी नियुक्ति की गई।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय चीनी उद्योग में अति उत्पादन की समस्या वर्तमान थी। युद्ध प्रारम्भ होने पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक कारखाने का उत्पादन कोटा निर्धारित कर दिया। फलतः उत्पादन कम हो गया। युद्ध के कारण चीनी की माँग में भी वृद्धि हुई। सरकार ने गन्ने के दाम ऊँचे नियत किये तथा उत्पादन कर में भी वृद्धि कर दी। चीनी सिन्डिकेट ने भी अधिक लाभ कमाने की इच्छा से प्रेरित होकर मूल्य को ऊँचा ही रखा। परिणामस्वरूप मूल्यों का अधिक होने के साथ ही साथ सन् १९४२ में चीनी का घोर अभाव हो गया। सरकार ने चीनी के मूल्यों एवं उसके वितरण पर नियन्त्रण लगा दिया। वितरण के लिए शहरों में राशनिंग लागू कर दी गई। सन् १९४४-४५ में देश में चीनी के उत्पादन में और भी गिरावट हुई।

इसके मुख्य कारण ये गन्ने के उत्पादन में कमी तथा मशीनों के घिसावट के कारण उत्पादन क्षमता में हास । सन् १९४७ में विभाजन के फलस्वरूप श्रीर भी उत्पादन घट गया जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
१९४२-४३	१०.५२
१९४३-४४	१२.०१
१९४४-४५	९.४२
१९४५-४६	९.२३
१९४६-४७	९.०१

राशनिंग के कारण युद्ध काल में प्रायः सभी बर्गों के लोग चीनी के उपभोग के आदी पड़ गये थे । जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी उपभोग की मात्रा बढ़ गई थी । दिसम्बर १९४७ से चीनी पर नियन्त्रण भी उठा लिया गया था । परिस्थान-स्वरूप उत्पादकों को मुँह माँगा मूल्य माँगने का मुश्किल मिल गया । चीनी के अभाव का रूप अत्यन्त मीषण हो गया । चोर बाजारी तथा सड़क आदि समाज विरोधी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु नियन्त्रण हट जाने तथा अधिक लाभ होने के कारण सन् १९४८ से उत्पादन में वृद्धि प्रारम्भ हुई । सन् १९४९-५० में कुल उत्पादन ११,५४,००० टन तक पहुँच गया और १९५०-५१ में बढ़कर १२,०४,००० टन हो गया । गुड़ की खपत बढ़ने के कारण उपलब्ध गन्नों का बहुत बड़ा भाग गुड़ निर्माण की ओर जाने लगा था । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने सन् १९५० में “चीनी एवं गुड़ नियन्त्रण आदेश” द्वारा चीनी एवं गुड़ की अधिकतम कीमतें निश्चित कीं, जिसकी विफारिश टैरिफ बोर्ड द्वारा की गई थी । इस आदेश के कारण गुड़ उद्योग की गन्ने के लिए अधिक कीमत देने की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति कम हो गई और चीनी का उत्पादन बढ़ने लगा । इसके अतिरिक्त सन् १९५०-५१ में भारत सरकार ने “फ्री सुगर” नामक एक योजना को चालू किया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कारखाना अपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के उपरान्त अपनी फालतू चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र था । इससे उत्पादकों को और भी प्रोत्साहन

१ लाख २० हजार रुपये होगी जिसमें से सरकार स्वयं दो सिहाई कपया देगी तथा शेष ४० हजार कपया गज्जा उत्पादक देंगे। ये तीनों मिलें क्रमशः बीधलपुर (पीलीभीत) बुढ़ाना (मुजफ्फर नगर) तथा देवकाली (गाजीपुर) में खोली जा रही हैं। आयाह है निकट भविष्य में ही इनमें चीनी बनने लगेगी। प्रत्येक मिल में प्रतिदिन १ हजार मन गन्ना पैदा जायगा। सहकारी मिलों को प्रोत्साहन देने क लिए यह भी निश्चय किया गया है कि इन मिलों से न तो गन्ने का उप कर लिया जाय और न उत्पादन कर लिया जाय।

वर्तमान समस्याएँ

(क) गन्ने का अभाव एव निम्न कोटि—गन्ने की पूर्ति का अभाव उद्योग क समस्त एक बड़ी गम्भीर समस्या है। वयपि गत दो वर्षों में गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र बढ़ाया गया, परन्तु प्रति एकड़ गन्ने की उपज में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी। मात्रा कम होने क साथ ही साथ गन्ने की मरम् भी अच्छी नहीं होती जिसके कारण प्रति मन गन्ने से बनाई जा सकने वाली चीनी का अनुपात अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

देश	गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन (मन)	गन्ने में चीनी का अनुपात (प्रतिशत)
क्यूबा	४६५.६	१२.२५
हवाई द्वीप	१६८८.६	१०.४६
मि ३	८२७.६	६.६७
जावा	१५३०.०	११.४६
जापान	७३६.३	१२.६३
भारत	३६६.८	६.५०

यह कम उपज मुख्यतः भूमि क उपावभाजन एव उपरदन क कारण है। इसके अतिरिक्त उत्तम खाद एव बीज की प्रयोग भी कृषक निर्धनता क कारण नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चीनी मिल वष में केवल ४ या ५ महीने ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि आषाढाश में वष क एक ही भाग में गन्ना पक कर तैयार

होता है। इसके धारण खर्चों में और भी वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने के मूल्यों की समस्या भी एक कठिनाई उपस्थित करती है। चीनी मिल के मालिकों का कथन है कि गन्ने के भाव ऊँचे हैं तथा इन भावों पर उद्योग को कुछ भी बचत नहीं होती है। इसके विपरीत किसानों का मन है कि गन्ने के मूल्य बहुत कम हैं। इसी विषय पर १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन करने वालों का एक आन्दोलन भी चल चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि चीनी मिलों को स्वयं अपने खेत हों तो वे उत्पादन व्यय कम करने में बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। गन्ने के मूल्यों के सम्बन्ध में एक कठिनाई और भी है और वह यह है कि भारत में गन्ने का मूल्य बजल तेल के आधार पर प्रतिमन या प्रति टन के हिसाब में तय किया जाता है, गन्ने की किस्म कैसी ही क्यों न हो। ऐसी दशा में अगर गन्ने की किस्म खराब है तो मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता है। सन् १९५४ ई० में 'चीनी विकास परिषद' ने भी यह सिफारिश की थी कि गन्ने के भावों को उसकी किस्म के अनुसार निर्धारित करने के लिए एक समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कृषकों तथा मालिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। इस समिति की अब स्थापना की जा चुकी है। किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारित किये जाने पर कृषक को भी अच्छी नस्ल का गन्ना उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी और मालिकों का भी नुकसान नहीं हो पायगा।

वरों में उत्तरोत्तर वृद्धि की समस्या भी उद्योग के सम्बन्ध है जिसके कारण चीनी के मूल्य गिरने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कई प्रकार के कर जैसे एक्साइज ड्यूटी, केन सेस, सहकारी समिति कमीशन इत्यादि उद्योग पर लाद दिये गए हैं। यही नहीं वे कर जो उद्योग के विकास के उद्देश्य से लिए जाते हैं उनका ठीक प्रकार व्यय भी नहीं होता है। १९४४ से लेकर १९५२ तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने ३४३ लाख रुपया केन सेस से वसूल किया परन्तु केवल ५६ लाख रुपया ही गन्ने की उपज और किस्म आदि के सुधार में लगाया गया और शेष अन्य मदों पर जो सर्वथा अनुचित है।

उपर्युक्त बातों के कारण ही भारत में चीनी का उत्पादन व्यय बहुत अधिक हो जाता है और यह उद्योग विदेशी बाजारों में माल बेचने में असमर्थ हो जाता है। चीनी निर्यात बढ़ाने के लिए कन्द्रीय सरकार ने चीनी निर्यात समिति की नियुक्ति की थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतवासी चीनी की कीमत जहाँ १८३ रुपये प्रतिमन है, वहाँ विदेशी चीनी की कीमत २१ से २३ रुपये प्रतिमन है।

(ख) अभिनवीकरण की समस्या—इस उद्योग के लिए आवश्यक यान्त्रिक भागों का आयात विदेशों से होता है। गत ५ वर्षों में लगभग ४ करोड़ रुपये के बजल पुर्जे (Spare parts) का आयात किया जा चुका है। अधिकतर मिलों में प्रयोग की

जाने वाली मशीनें पुरातनवादी एव विसी पिटी हैं। अत उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए एव उत्पादन व्यय कम करने के लिये इन मशीनों का आधुनिकीकरण नितांत आवश्यक है। विदेशों पर मशीनों की निर्भरता के कारण ही यह उद्योग अभिनवीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने में अपने को असमर्थ पाता है।

(ग) स्थिति की समस्या—चीनी उद्योग का विस्तार मुख्यत उत्तरी भारत में ही हुआ है। विशेष रूप से अधिकांश चीनी मिल उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही केन्द्रित हैं। मद्रास में जहाँ पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है ववल १६ कारखाने हैं जबकि उत्तर प्रदेश में ७२ और बिहार में ३० हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार गन्ने की पर्याप्त पूर्ति भी नहीं कर पाते, अत इन्हीं राज्यों में इस उद्योग का कान्द्रत होना किसी विशेष आर्थिक कारणवश नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि दक्षिणी भारत में विषमवत रेखा का समीप होने का कारण गन्ने की प्रति एकड़ उपज और उस दोनों ही अधिक होते हैं। एक ही स्थान पर कन्द्रित होने के कारण इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी होने लगती है। अत पारस्परिक स्पर्धा का अन्त करने के लिए तथा आर्थिक दृष्टिकोण से चीनी उद्योग का विपन्नीकरण अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा करने पर ही इस उद्योग का पर्याप्त विकास सम्भव हो सकता है।

(घ) ईंधन की समस्या—ईंधन का उपयोग भू-मितव्ययिता से चीनी का उत्पादन व्यय कम होगा और उसके मूल्य कम हो जायेंगे। अभी आमतौर पर गन्ने का छिलका ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंतरिक कोयला तथा लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। जहा तक गन्ने का छिलका का तवाल है उसकी आवश्यकता कामज तथा गत्ता बनाने के लिए भी पड़ती है। अत इस छिलके की मांग कामज के कारखानों द्वारा भी होती है और इसका अधिक मूल्य उनसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में छिलका का उपयोग ईंधन के रूप में हितकर नहीं होता। इसलिए ईंधन तथा वाष्प के उपयोग में मितव्ययिता करने की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

(ङ) गुड एव खाण्डसारी चीनी की स्पर्धा—चीनी उद्योग को पारस्परिक स्पर्धा के अतिरिक्त गुड़ एव खाण्डसारी से भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। चीनी के मूल्यों का निर्धारण करते समय सरकार चीनी के सभी कारखानों के उत्पादन व्यय को ध्यान में रखकर ही मूल्य निर्धारित करती है। यदि इसी तरह चीनी, गुड़ एव खाण्डसारी का उचित मूल्य निर्धारित किया जाय तो इन तीनों ही उद्योगों में परस्पर आर्थिक सहतुलन स्थापित हो जायगा और वे एक-दूसरे के प्रतियोगी न रह कर सहयोगी बन सकेंगे।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में उद्योग के सम्मुख कुछ कठिनाइयाँ विद्यमान हैं बिनके कारण इस उद्योग के प्रगति का मार्ग अवरोध है। देश में चीनी उद्योग के विकास के लिए किसी भी योजना में केवल आन्तरिक माँग को ही ध्यान में रखकर निर्यात की ओर भी दृष्टि रखना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से भारतीय चीनी का उत्पादन-व्यय कम करने के साथ साथ किस्म में भी सुधार करना आवश्यक है। भारतीय चीनी के दाने बहुधा छोटे, मैले और विभिन्न आकार के होते हैं, जबकि विदेशी चीनी श्वेत व चमकीले दानों की होती है। चीनी बनाने की पद्धति में सुधार करने के अतिरिक्त चीनी कारखानों के मालिकों, श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना भी अत्यन्त आवश्यक है। बिना इन सभी के पारस्परिक सहयोग के चीनी उद्योग का उचित दिशा में विनाश वृद्धि सम्भव न हो सकेगा। इस दिशा में सहकारी मिलों की स्थापना भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है जैसे कि द्वितीय आयोजन में सिफारिश की गई है। हर्ष का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार उद्योग की उपर्युक्त कठिनाइयों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है और उनका निराकरण क प्रयत्न में सलग्न है। विकेन्द्रीकरण के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा चुका है तथा सहकारी आधार पर चीनी के कारखाने खोलने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सरकार अनुसंधान कार्यों में भी विशेष रुचि ले रही है। अभी भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत केवल ७ पौण्ड तथा खाइसारी की २४ पौण्ड है, परन्तु भारतवासियों की आय तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ चीनी की खपत में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। अतः भविष्य में इस उद्योग की और भी विस्तृत होने की आशा है। भारत ने १९५६-५७ में २ लाख टन चीनी का निर्यात किया था। उद्योगपतियों तथा सरकार के भगीरथ प्रयत्नों के फलस्वरूप चीनी उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल दृष्टिगोचर हो रहा है। इस पर कर का बोझ अधिक है। इसमें संदेह नहीं कि अगर इस उद्योग की मौजूदा कठिनाइयाँ और बाधाएँ कुछ कम कर दी जायें तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थायी बनाने में योग दे सकता है।

पंचम खण्ड

“विविध”

- (१) भारतीय राज्यकोपीय नीति
- (२) भारत की नवीन शैद्यौगिक नीति

भारतीय-राज्यकोषीय-नीति (Indian Fiscal Policy)

“A backward country full of poverty and miseries, but wishful of developing her industries for eradicating the evils of early deaths and diseases, is the one which badly requires the policy of protection”

हमारे देश में १९वीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों तक भारत सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया, और किसी प्रकार की राज्यकोषीय नीति का अनुसरण नहीं किया। इसका केवल यही कारण था कि स्वतन्त्र व्यापार नीति से इङ्ग्लैण्ड को लाभ था। वे अपने देश के बने हुए माल को बेचते थे और हमारे देश से कच्चा माल अपने देश को ले जाते थे। स्वतन्त्र व्यापार नीति का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति न हो सकी। तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने जिसमें (Fredric List) फ्रेडरिक लिस्ट, कैरे, मार्शल एव पीगू मुख्य हैं, यह स्पष्ट घोषणा की कि बिना राज्य के संरक्षण के कोई भी देश औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता। उनके मत से एक पिछड़े हुए देश में, जिसमें नि निर्धनता एव दरिद्रता का बोलबाला हो, औद्योगिक स्वात्मक नीति का होना आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है। मुख्यता हमारा देश पिछड़े हुए देशों में से एक है जहाँ पर प्राकृतिक साधनों की समृद्धि होते हुए भी उनके विकसित न होने के कारण निर्धनता का साम्राज्य है। इसी कारण औद्योगिक विकास भी नहीं हो सका है। औद्योगिक उन्नति प्राकृतिक साधनों के पूर्ण विकास तथा आयात एव निर्यात की सुदृढ़ नीति क बिना नहीं हो सकती। अतः राज्य कोषीय नीति क अन्तर्गत इस प्रकार की तटकर नीति की आवश्यकता अनुभव की गई जिसका उद्देश्य आयात एव निर्यात पर नियन्त्रण करके तथा निर्मल एव नवीन उद्योगों की रक्षा करके औद्योगिक विकास सम्भव हो सक।

राज्यकोषीय नीति की आवश्यकता एव महत्व ने सरकार का ध्यान प्रथम महायुद्ध के समय आकर्षित किया। सन् १९१६ में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई जिसने सन् १९१८ ई० में अपनी रिपोर्ट में भारत के औद्योगीकरण के लिए

उत्तम सुझाव दिये। युद्ध के उपरान्त देश में महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुए और जनता ने जोरदार आवाज से देश के औद्योगीकरण की माँग की। सन् १९१७ में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यह स्वीकार किया कि भारतवर्ष को कुछ राजनैतिक अधिकारों के प्रदान करने के साथ ही साथ राज्यकोपीय स्वतंत्रता भी प्रदान की जाय। अतः सन् १९१६ में राज्यकोपीय स्वायत्त सभा (Fiscal Autonomy Convention) की स्थापना की गई। इसी काल से भारत की राज्यकोपीय नीति का प्रादुर्भाव हुआ।

राज्यकोपीय आयोग सन् १९२१

सन् १९२१ में प्रथम राज्यकोपीय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वह देश की तटकर नीति को निर्धारित करे। इस आयोग ने उद्योगों के सरक्षण की सिफारिश की और पक्षपातपूर्ण सरक्षण (Discriminating Protection) की नीति को अपना देने के लिए कहा। कमीशन ने उन सभी उद्योगों का सरक्षण देने की सिफारिश की जो निम्नलिखित तीन शर्तों पूरी करते हों। यह तीनों सिद्धान्त भारत की राज्यकोपीय नीति के इतिहास में ट्रिपल फारमूला (Triple Formula) के नाम से विख्यात हैं। इनके अनुसार सरक्षण प्राप्त का अधिकारी उद्योग,

(क) ऐसा होना चाहिए जिसके लिए देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन, कच्चा माल, श्रमिक और शक्ति के साधन प्राप्त हों,

(ख) ऐसा होना चाहिए जो बिना सरक्षण के विकसित नहीं हो सकता हो और उसकी उन्नति देश के लिए आवश्यक हो,

(ग) ऐसा होना चाहिए जो अन्त में जाकर बिना सरक्षण के भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में ठहर सके।

उपरोक्त सिद्धान्तों के अलावा आयोग ने उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल तथा मशीनों की प्राप्ति के विषय में भी अच्छे सुझाव दिये और तटकर नीति को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा कि सरक्षण के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अधिक न हो। इस प्रकार विवेकात्मक सरक्षण नीति अपनाये जाने का सुझाव इस कमीशन ने दिया। उपर्युक्त सभी सुझावों को सरकार ने मान लिया।

तटकर बोर्ड सन् १९२३ की स्थापना तथा उसके कार्य

आयोग की सिफारिशों के अनुसार फरवरी १९२३ में हमारे देश में प्रथम तटकर बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड अस्थायी था और इसकी नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए की गई थी। आगे चलकर कई वर्षों तक इसकी अवधि बढ़ा दी

गई । इस तटकर बोर्ड ने सरक्ष्य देने के दृष्टिकोण से बहुत-से उद्योगों की जान की और इसी सिफारिश पर लोहा तथा इत्यात, सूती वस्त्र उद्योग, कागज, दियासलाई, शक्कर तथा रासायनिक उद्योगों को सरक्ष्य प्रदान किया गया । इस बोर्ड ने उस समय सीमेंट, कौयला तथा ऊनी वस्त्र उद्योगों को सरक्ष्य देना स्वीकार नहीं किया ।

विवेकात्मक (Discriminating) सरक्ष्य नीति का आलोचनात्मक अध्ययन

विवेकात्मक सरक्ष्य नीति का मूल उद्देश्य वास्तव में यह नहीं था कि भारत का औद्योगिक विकास दृढ़ आधार पर हो क्योंकि ऐसा करने पर कदाचित इङ्ग्लैंड के उद्योगों को काफ़ी क्षति होने की सम्भावना था । अंग्रेजों से मला ऐसी आशा कैसे की जा सकती थी कि वे अपने देश के उद्योगों की बलि दे दें । भारत ही इङ्ग्लैंड का प्रमुख बाजार था और वे किसी भी दशा में इतको खो नहीं सकते थे । परन्तु दूसरी ओर भारत की जनता के असह्योप की भावना को भी नष्ट करना था । भारतीय जनता शाही अधिमान (Imperial Preference) का भी विरुद्ध थी । फलस्वरूप हमारे कुशल अग्नेत्र राजनितिज्ञों ने विवेकात्मक सरक्ष्य नीति के रूप में, जिसका मूल उद्देश्य केवल उन उद्योगों को सरक्ष्य प्रदान करना था जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को कुछ भी क्षति न हो, शाही अधिमान को ही परिवर्तित रूप में भारतीय जनता पर लाद दिया । तटकर आयोग के शब्दों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है—

“Unless U K maintains its export trade, heart of the empire will weaken and this is a contingency to which no part of empire can be indifferent ”

वास्तव में सरक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो शर्तें रखी गई थीं उनसे इस नीति का खोललापन और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । सर्वप्रथम शर्त यह थी कि उद्योग को ऐसा होना चाहिए जिसके लिए देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन, कच्चा माल तथा शक्ति के साधन उपलब्ध हों । सोचने वाली बात है कि जिस उद्योग को ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों उसको सरक्ष्य की क्या आवश्यकता । सरक्ष्य तो उस उद्योग को चाहिए जो अपने पैरों पर न खड़ा हो सकता हो ।

यह सरक्ष्य नीति इसलिए भी उचित नहीं बही जा सकती थी क्योंकि इसमें प्रत्येक उद्योग को अलग-अलग सरक्ष्य प्रदान करने की व्यवस्था थी । भारत की समस्या तो औद्योगिक विकास की समस्या थी, अतः सरक्ष्य नीति का इस प्रकार का होना जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र का औद्योगिक विकास सम्भव हो सके, अत्यन्त आवश्यक था । इस नीति से इस उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती थी । ऐसा तटकर आयोग के शब्दों से स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है—

“सरक्षण को आर्थिक विकास का साधन न समझते हुए उसे केवल ऐसा साधन समझा गया जिससे कुछ उद्योगों को सरक्षण द्वारा विदेशी प्रति-योगिता का सामना करने की शक्ति प्रदान की जाय।”

सरकार द्वारा अस्थायी टटकर बोर्ड की स्थापना भी उचित नहीं कही जा सकती। बोर्ड के समासदों में समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण कोई भी दीर्घ-कालीन नीति नहीं अपनायी जा सकती थी। समासदों के स्थायी न होने के कारण राष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र की पूर्ण जानकारी एवं उसके अनुरूप कार्य करना भी अत्यन्त कठिन था।

उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त सबसे बड़ा दोष तो इस नीति का यह था कि इसमें उद्योग विशेष ही टटकर बोर्ड द्वारा जाँच हो जाने के बाद ही सरक्षण का प्रश्न उठता था। जाँच करने में समय का अधिक लगना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप इस विलम्बकारी नीति से जो सरक्षण मिलता भी था वह बेकार साबित होता था। वास्तव में यह सरक्षण उस प्राणदाता औषधि के समान था जो मृत्यु के उपरान्त प्रयोग में लाई जाती थी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेकात्मक नीति से भारतीय औद्योगिक विकास को बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त हो सका। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जिन उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया गया उनका विकास अवश्य हुआ। भारत के लोहे एवं इस्पात तथा शक्कर उद्योग का प्रगतिशील बनाने का श्रेय सरक्षण को ही है। इतना अवश्य है कि यदि इस प्रकार की विवेकात्मक सरक्षण नीति में कड़ी शर्तें न हातीं तो सम्भवतः देश में आघारभूत उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता, परन्तु यह तो साम्राज्यवादी नीति के विरोध में था। अतः इस सरक्षण नीति को उचित कहना नितान्त भ्रमपूर्ण होगा।

द्वितीय महायुद्ध में तथा उसके उपरान्त सरक्षण नीति

सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही, अंग्रेज शासकों को अपना प्रथम महायुद्ध का कटु अनुभव याद दौ आया कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र में विकसित न होना इङ्गलैंड के लिए अत्यन्त हानिकर सिद्ध होगा। परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया कि युद्धोत्तर काल में वर्तमान उद्योगों तथा युद्धकाल में स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का भय होने पर सरकार सरक्षण प्रदान करेगी। कुशल युद्ध संचालन के लिए यह अनिवार्य ही था क्योंकि युद्ध में अंग्रेजों को निम्न अनुभव मिल चुका था—

“उच्च आर्थिक शक्ति एवं विकसित औद्योगिक कलेक्टर जिस देश में है, केवल वही देश अपनी सुरक्षा अथवा हमला कर सकता है।

अपने युद्धकालीन आस्वाप्तन को पूरा करने के लिए ही, सन् १९४५ में युद्ध के अन्त होते ही भारत सरकार ने अन्तरिम तटकर बोर्ड की स्थापना की।

अन्तरिम तटकर बोर्ड १९४५ की स्थापना व उसके कार्य

२१ अप्रैल सन् १९४५ को सरकार ने सरक्षण नीति की नवीन घोषणा की और इसी वर्ष २ वर्षों के लिए एक अन्तरिम तटकर बोर्ड (Interim Tariff Board) की स्थापना की। इस बोर्ड ने किसी उद्योग के सरक्षण पाने के लिए निम्नलिखित शर्त रखी—

(१) यदि उद्योग हट व्यापारिक नींव पर स्थापित है और अच्छा कार्य कर रहा है।

(२) यदि उद्योग इस प्रकार का है कि जिसे सम्पूर्ण प्राकृतिक एवं आर्थिक उन्नति के साधन प्राप्त हैं, अथवा उद्योग ऐसा है जिसका विकास राष्ट्र के हित में आवश्यक है।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले समस्त उद्योगों को पूरा सरक्षण प्रदान करने की नीति अपनायी गई। ४६ उद्योगों ने सरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना की जिनमें से ४२ उद्योगों को सरक्षण दिया गया। अस्थायी होने के कारण अन्तरिम तटकर बोर्ड अपना कार्य सुचारु रूप से न कर सका। अतः सन् १९४७ में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया। इस समाप्त ने नये तथा पूर्व स्थापित उद्योगों की जाच की तथा चीना, लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, कागज, तथा चादी के तार और मैग्नेशियम क्लोराइड ६ उद्योगों के सरक्षण समाप्त करने का तथा अन्य १४ उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। सन् १९४८ में भारत ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की, इसलिए भारतीय राज्यकोषीय नीति को इसका अनुरूप बनाने की आवश्यकता हुई। परिणाम स्वरूप सरकार ने सन् १९४६ में एक राज्यकोषीय आयोग की स्थापना की।

राज्यकोषीय आयोग १९४६ तथा उसके कार्य

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् सन् १९४६ में भारत सरकार ने एक राज्य कोषीय आयोग की स्थापना की और उसका निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये।

(क) अब तक की सरक्षण नीति का जाच करना।

(ख) सरक्षण सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार को सहायता देना।

(ग) तटकर नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक अन्ध-व्यवस्था करने के लिए सलाह देना।

(घ) इस नीति से सम्बन्धित अन्य बातों के विषय में भी उचित सलाह देना।

इस आयोग ने देश की औद्योगिक समस्याओं का अध्ययन किया और तन् १९४६ में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय राजकोषीय नीति के निम्न उद्देश्य बतलाये—

(क) बेकारी तथा अर्ध-बेकारी को दूर करना और उत्पादन में वृद्धि करना।

(ख) प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विकास करना।

(ग) औद्योगिक शक्ति के साधनों में वृद्धि करना तथा भूमिकों की दशा में सुधार करना।

(घ) वृष्टि का सुधार करना जिससे कि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सक।

(ङ) कुटीर एवं छोटे-छोटे उद्योगों तथा बड़े संगठित उद्योगों में सामञ्जस्य उपस्थित करना।

(च) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त (Mixed Economy) के आधार पर देश का औद्योगीकरण करना।

बड़े उद्योगों के क्षेत्र में इस आयोग ने सिफारिश की कि इनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करना चाहिये—

(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग।

(ख) वृहत् बुनियादी उद्योग—जिन पर देश के अन्य उद्योग निर्भर हैं।

(ग) वृहत् बुनियादी उद्योग जो कि उत्पादक मशीनों का निर्माण करते हैं।

(घ) हल्के बुनियादी उद्योग।

(ङ) उपभोग पदार्थ उत्पन्न करने वाले उद्योग।

आयोग ने यह भी बताया कि उपरोक्त सभी प्रकार के उद्योगों का एक साथ विकसित करना सम्भव नहीं। अतः उनके विकास में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय जो देश के हित के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में भी आयोग ने अपने सुझाव दिये। कमीशन ने यह भी बताया कि उद्योगों की सरक्षण नीति का सम्बन्ध देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास से सम्बन्धित कर देना चाहिए। सरक्षण प्रदान करने के लिए कमीशन ने निम्नलिखित सिद्धान्त बताये—

(क) उन सभी उद्योगों को सरक्षण दिया जाय जो एक उच्चतम समय के अन्दर पर्याप्त रूप से विकसित हो सकते हों और भविष्य में बिना सरक्षण के भी चल सकते हों।

(ख) उन उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना चाहिये जो राष्ट्र हित में सरक्षण पाने के अधिारी हैं, तथा जिनके सरक्षण का व्यय भी समाज पर अत्यधिक न पड़े।

सरक्षण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कच्चा माल उही स्थान

पर मिलता हो। सरञ्चित उद्योग से यह आशा करना कि वह देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, उचित नहीं है। साथ ही आयोग ने सिफारिश की कि जिन उद्योगों को सरञ्क्षण मिलता हो उन पर एक्साइज कर (Excise duty) न लगाया जाना चाहिये जब तक कि बजट को सन्तुलन करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक न हो। कमीशन ने सिफारिश की कि देश के लिए एक स्थायी तटकर कमीशन की आवश्यकता है जो कि अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य कर सके।

तटकर कमीशन अधिनियम १९५१

स्थायी तटकर कमीशन की नियुक्ति के लिए भारतीय संसद ने सन् १९५१ ई० में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम क अनुसार कमीशन के सदस्यों की संख्या तीन या पांच हो सकती है। इन्हीं में से केन्द्रीय सरकार किसी एक को अध्यक्ष बना सकती है। प्रथमतः कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति बसल ३ वर्षों के लिए हो सकती है परन्तु पुनः वे तीन वर्षों के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं। कमीशन के कार्य से हटने के पश्चात् कोई भी सदस्य सरकारी आज्ञा के बिना तीन वर्षों तक किसी भी उद्योग में नौकरी नहीं कर सकता है।

कमीशन के कर्तव्य

- (क) किसी भी भारतीय उद्योग को सरञ्क्षण प्रदान करना।
 - (ख) सरञ्क्षण सम्बन्धी करों में परिवर्तन करना।
 - (ग) सस्ते मूल्यों पर विदेशी आयात पर नियन्त्रण लगाना।
 - (घ) सरञ्क्षण से अनुचित लाभ उठाने वाले तथा राष्ट्र हितकारी कार्य करने वाले उद्योगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना।
 - (ङ) मूल्य स्तर, जनता के रहन सहन क स्तर तथा राष्ट्रीय आर्थिक विनाश पर सरञ्क्षण की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
 - (च) विदेशी व्यापारिक सम्झौते के दृष्टिकोण से प्रत्येक उद्योग के सरञ्क्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।
 - (झ) अपने कर्तव्य पालन के मार्ग की बाधाओं ७ निवारण के उपाय करना।
 - (ञ) अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने के लिए कानूनी व अदालती कार्यवाही करने के अधिकार का प्रयोग करना।
 - (झ) सरञ्क्षण सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को समय समय पर सूचना तथा सलाह देना।
- उपरोक्त स्थायी तटकर कमीशन की नियुक्ति से हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक माँग की पूर्ति हुई। इसके द्वारा उद्योगों को न्यायपूर्ण सरञ्क्षण

प्रदान किया जा रहा है। तटकर नीति सफलतापूर्वक राष्ट्रीय हित में कार्य कर रही है। सरक्षित उद्योगों की सूची में दिन प्रतिदिन नये उद्योग सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। सन् १९५४ ई० में भारतीय संसद ने भारतीय तटकर अधिनियम (सशोधक) एक्ट पास किया जिसके फलस्वरूप तटकर कमीशन के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र और भी प्रशस्त कर दिये गये। इस विधेयक के अन्तर्गत पेंसिलेन, पुराने समाचार पत्र, ऊनी धागे, मदिशायें, यमस की बोतलें, रेजर ब्लेड इत्यादि पर आयात कर में वृद्धि कर दी गई है। विधेयक में कुछ उद्योगों को सरक्ष्य जारी रखने की भी बात है जिनमें अल्युमिनियम, विद्युत मोटरें, बिजली का सामान तथा साइकिल इत्यादि मुख्य हैं।

तटकर कमीशन बड़े उत्साह से एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बड़े ऊँचे औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य रखे हैं। तटकर कमीशन की नीति के फलस्वरूप जहाँ एक ओर देश की औद्योगिक प्रगति निरन्तर हो रही है वहाँ पर साथ ही साथ हमारे आयात में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। जहाँ एक ओर उपभोग के पदार्थों के आयात में कमी हुई है वहाँ उत्पादक पदार्थों जैसे मशीनों इत्यादि के आयात में काफी वृद्धि हुई है। सन् १९५४ में ६२० करोड़ रुपये के मूल्य के पदार्थों का आयात किया गया था। सन् १९५६ के अन्त तक ७२० करोड़ रुपये का आयात हुआ। परन्तु साथ ही उपभोग के पदार्थों के आयात में सन् १९५४ के २३० करोड़ रुपये के आयात से घटकर केवल २१० करोड़ रुपये का आयात हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगीकरण की योजना है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको अर्थों की पूर्ण आवश्यकता है तथा साथ ही एक सुदृढ़ एवं सङ्गठित राज्य-कोषीय नीति का आवश्यकता है। देश के समस्त विदेशी मुद्रा मुख्यतः डालर पावने की कमी है। इसी कारण से पिछले वर्ष अक्टूबर सन् १९५७ में हमारे केन्द्रीय अर्थ मन्त्री महोदय श्री टी० टी० कृष्णमचारी और सन् १९५८ में हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई अमेरिका तथा योरोपीय देशों का भ्रमण करने गये थे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे तटकर कमीशन का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। तटकर कमीशन की सफल नीति एवं कार्यकुशलता पर बहुत कुछ अर्थ तक हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता निर्भर है। भविष्य कष्टकार्कीर्ण है एवं अगाध-कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, फिर भी भारत को सर्वत्र का भाति सब शक्तिमान पर भरोसा रखकर 'कर्मस्ये वाधि कारस्ते' (Action is thy duty) के सिद्धान्त पर आरुढ़ होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता ही जा रहा है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति, नवीन औद्योगिक नीति एवं समतानुवृत्त तटकर नीति के फलस्वरूप, सर्वोच्च शिखर पर अवश्य पहुँचेंगी।

भारत की नवीन औद्योगिक नीति

(The New Industrial Policy of India)

राजनैतिक परतन्त्रता की शृङ्खलाओं से मुक्ति पर विदेशी सत्ता से वर्जित एवं शोषित भारत में पुनर्जीवन प्रदान करने की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ। विना आर्थिक मात्त के राजनैतिक स्वतन्त्रता का मूल्य भी कुछ नहीं था। परिणामस्वरूप राष्ट्र की अविकसित अर्थव्यवस्था का उच्च स्तर तक पहुँचाना, जिससे हमारे करोड़ों देशवासियों की उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की आकांक्षा पूर्ण हो सके, निरान्त आवश्यक हो गया। राष्ट्र के औद्योगीकरण क बिना इस समस्या का समाधान कदाचित् असम्भव था। उद्योग धरे ही किसी राष्ट्र के जीवन हैं। हमारी विदेशी सरकार ने प्रारम्भ से ही मुक्त व्यापार नीति (Laissez Faire) का अनुगमन करके इस बात का प्रयत्न किया कि भारत कवल कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बना रहे तथा यहाँ का औद्योगिक विकास न हो। ऐसी नीति का मानना, भारत जैसा विशाल बाजार इङ्गलैंड के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए, आवश्यक ही था। मुक्त व्यापार नीति में ही इङ्गलैंड का वैभव एवं सम्पन्नता निर्भर था। श्री टियर्ने (Sht Tienney) क शब्दों से यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता है—

“हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त ही कि इङ्गलैंड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले में एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय।”

विवेकात्मक संरक्षण नीति (Discriminating Protection Policy) का भी यही उद्देश्य था कि भारत में उन उद्योगों के प्रोत्साहन को बल दिया जाय जिनसे इङ्गलैंड के उद्योगों को कोई भी हानि न हो। इस नीति क परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र क उद्योगों का विकास व्यवस्थित ढंग पर नहीं हो पाया और हम अपने औद्योगिक ढाँचे की दृढ़ भित्ति का न्यास करने में असफल रहे। पूर्ण रूपण सगठित औद्योगिक नीति का अभाव ही हमारे राष्ट्र के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने का मुख्य कारण रहा। फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास को सुदृढ़ आधार पर निर्मित करने के लिए, व्यवस्थित औद्योगिक नीति का

होना प्रथम आवश्यकता थी। समय के साथ-साथ चलने के लिए विश्व में नये परिवर्तनों का अनुरूप ही हमारी औद्योगिक नीति का होना भी आवश्यक था। अब उस समय का अन्त हो चुका था जबकि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक समझा जाता था। जापान में तो आधुनिक औद्योगीकरण के लिए वहाँ की सरकार को "इश्वरीय धिता" कहकर पुनरा जाता है। इसका अतिरिक्त भारत में शीघ्र औद्योगीकरण का उभार बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रयत्नों को सामूहिक रूप से कार्यान्वित किया जाय। यही कारण था कि हमारे आगजनों ने सामित वित्तीय एवं प्राविधिक साधनों के कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक समझा और राष्ट्र की समृद्धि के लिए ऐसा आवश्यक भी था जैसा कि श्री ए० सी० पी० क शब्दों से स्पष्ट होता है—

“साधारण प्रतिस्पर्धा की दशाया में भी यदि निजी क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो भी वितरण के साधन राष्ट्रीय आय के लिए उतने हितकर नहीं होते, जितने किसी अन्य वितरण से।”

निजी क्षेत्र को उद्वेग-वस्तुगत लाभ की प्रेरणा से कार्य करता है, अतः राष्ट्र एवं समाज के हित की आशा करना उनसे व्यर्थ है। यही कारण था कि योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियोजित अर्थ व्यवस्था में—

“व्यक्तिगत साहस को अपने कार्य के महत्व को समझकर देश के अधिकतम हित के लिए अनुशासन के नये नियमों का स्वीकार करना होगा। किसी अन्य सस्या की भाँति व्यक्तिगत साहस जिस सीमा तक जनहित की उन्नति के लिए साधक प्रमाणित हागे वे अपनी न्यायोचितता का परिचय देंगे।”

इस प्रकार देश की वर्तमान परिस्थितियों का अनुसार दोनों क्षेत्रों को देश की अर्थव्यवस्था में साथ-साथ मिलकर स्वतंत्र एवं समृद्ध भारत का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आवश्यक हो गया जिसमें पारस्परिक आदर और सहिष्णुता की भावना हो, तथा इससे भी बढ़कर प्रजातंत्र एवं प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति में अटल विश्वास हो और जहाँ दलबन्दी, विचारों तथा वर्ग भावना की सङ्कुचितता के लिए कोई स्थान न हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ६ अप्रैल १९४८ को स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत धर्म, पूँजी तथा साधारण जनता द्वारा देश का शीघ्र औद्योगीकरण की आशा प्रकट की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि धीरे-धीरे सरकार उद्योग वर्गों में सक्रिय भाग लेगी। इस प्रकार वह औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थ व्यवस्था पर आधारित थी तथा

सरकारी क्षेत्र सीमित होने के साथ ही-उद्योग निजी उद्योगों के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम था। इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को ४ भागों में विभाजित किया गया—

(१) निरन्तर सरकारी क्षेत्र—मुरदा सम्बन्धी उद्योग जैसे मुद्र सामग्री व निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन, तथा रेल यातायात का स्थापित एवं प्रवन्ध।

(२) सरकारी नियमन तथा नियंत्रण का क्षेत्र—नमक, मोटरें, ट्रेक्टरों इत्यादि का निर्माण एवं अन्य बुनियादी उद्योग।

(३) निजी साहस के साथ सरकारी नियन्त्रण क्षेत्र—कोयला, लोहा एवं इस्पात, वायुयान तथा जलयान निर्माण इत्यादि।

(४) निजी व्यवसाय का क्षेत्र—उत्पन्न उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग।

भारतीय औद्योगिक नीति सन् १९४८ ई०

अप्रैल सन् १९४८ ई० में औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए सरकार ने यह बतलाया कि सरकार अन्न शक्ति एवं अणु शक्ति के उत्पादन तथा रेल एवं सम्वाद वाहक साधनों पर अपना एकाधिकार स्थापित करगी। आगत काल में सरकार देश की मुरदा के लिए किसी भी उद्योग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी। निम्नलिखित ६ उद्योगों में नये कारखानों की स्थापना सरकार के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति न कर पायेगा। कोयला, लौह एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस यन्त्र (रेडियो सेट को छोड़कर) और लनिज तेल। सरकार ने उचित मुआविजा देकर जनता के हित में किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित रक्खा। तत्कालीन बड़े मुसगठित उद्योगों के विषय में यह निश्चित किया कि इन्हें १० वर्षों तक व्यक्तिगत क्षेत्र में चलने दिया जायगा। १० वर्षों के उपरान्त इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने या न करने की बात पर पुन विचार किया जायगा। नमक, मोटर व ट्रेक्टर, बिजली, इञ्जनियरिंग मशानें एवं पुर्जे, रसायनों, लोहा और औषधियाँ, सूती और ऊनी वस्त्र, सीमट, शक्कर, कागज, वायु और समुद्री यातायात, लनिज तथा शराब उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण रक्खा जायगा।

सन् १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना देश में लागू की गई और उद्योगिक नीति के अनुसार राजकीय क्षेत्र में तथा निजी पूँजी क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कारखाने खोले गये।

औद्योगिक नीति सन् १९४८ का आलोचनात्मक अध्ययन—

औद्योगिक नीति मिश्रित आर्थिक नीति के सिद्धान्तों पर आधारित थी। इसका

उद्देश्य मुख्यतः अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना था। औद्योगिक नीति का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में एक ऐसे सामंजस्य को उत्पन्न करना था जिसके अन्तर्गत अमियों की शोषण से रक्षा हो सके, अधिकतम उत्पादन हो और निजी क्षेत्र के उत्पादकत्वों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके। प्रायः औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक दुर्लभ नीति थी और साथ ही साथ अनिश्चित तथा निर्बल भी थी। परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारा देश इस समय आर्थिक क्रांति की दशा में था जब कि पुराना आर्थिक ढाँचा धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था और उसके स्थान पर नई आर्थिक नीति की स्थापना हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में मिश्रित आर्थिक नीति ही सर्वोत्तम कही जा सकती है। औद्योगिक नीति सन् १९४८ की घोषणा के उपरान्त वाम पक्षियों के द्वारा इसकी बड़ी कठोर आलोचना की गई परन्तु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक नीति के अनुधार जो सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई हैं उनसे ये आलोचनाएँ गलत प्रमाणित हो गई हैं।

उपर्युक्त औद्योगिक नीति के कार्यान्वित किये जाने के उपरान्त देश में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी नये विकास हुए। इसके साथ-साथ इस नीति के दोष भी सरकार के समक्ष स्पष्ट हुए। उद्योग प्रगति तथा नियन्त्रण कानून १९५१, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ तथा अन्त, भारतीय संविधान का निर्माण तथा औद्योगिक नीति के अनुभव ने सरकार को देश में एक नई औद्योगिक नीति को अपनाते न लिए बाध्य कर दिया। आठवीं कांग्रेस सम्मेलन में भारत के आर्थिक विकास का लक्ष्य 'समाजवाद' रखा गया जिसकी पुष्टि अमृतसर सम्मेलन में की गई। इस सिद्धान्त के अनुरूप भारतीय संसद ने भी 'समाज के समाजवादी आचार' (Socialistic Pattern of Society) का सरकारी सामाजिक तथा प्राथक नीति का लक्ष्य मान लिया। सरकारी नीति सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तों में निम्न सिद्धान्त बहुत अधिक महत्वपूर्ण है—

‘भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण अधिकतम सामुदायिक समानता लाने के लिए होना तथा अर्थ व्यवस्था का संचालन जन साधारण के हित के विरुद्ध न हो और न धन एवं उत्पादन के साधनों का सीमित क्षेत्र में केन्द्रीकरण हो।’

भारतीय संविधान, म. न्याय, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, तथा आहुत आदि सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान की गई। इन्हीं सभी सिद्धान्तों के आधार पर हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा उपर्युक्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हमारे औद्योगिक नीति का होना आवश्यक

हो गया। फलस्वरूप सन् १९५६ में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। प्रथम औद्योगिक नीति का अनुभव उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री महोदय के शब्दों में इस प्रकार था—

‘लगभग ८० प्रतिशत उद्योग धन्ये जिनसे मेरा सम्पर्क रहा है, उनमें निजी क्षेत्र देश की बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने में असमर्थ रहा। वास्तविकता तो यह है कि उसने वृद्धि का ओर ध्यान ही नहा दिया।’

अतः नवीन औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य यह रखा गया कि—

‘नये उद्योग धन्ये स्थापित करने में तथा यातायात सुविधाओं के प्रसार करने में ताकि आर्थिक विपन्नताएँ दूर हो सकें और आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में ही संचय न हो, सरकार स्वयं ही धीरे धीरे अपने कर्णों पर यह उत्तर दायित्व प्रहण करगी।’

नवीन औद्योगिक नीति सन् १९५६

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन काल में प्राप्त अनुभवों का आधार पर हमारी सरकार ने ३० अप्रैल सन् १९५६ को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नवीन औद्योगिक नीति का वैद्वान्तिक आधार मिश्रित आर्थिक नीति ही है परन्तु आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस नवीन नीति के अनुसार देश के भावी औद्योगिक विकास में राज्य का उत्तरदायित्व दिन पर दिन बढ़ता जायगा और बहुत से आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तथा नये आधारभूत उद्योग राज्य द्वारा हाँ खोले जायगे। इस प्रकार तापानक क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास किया जायगा। कुछ उद्योगों को वैयक्तिक क्षेत्र (Private Sector) में भी रखा गया है जिससे वैवास्तिक प्रयास भी देश के औद्योगिक विकास में अपना पहलोग दे सके। इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार देश में ३ औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) सरकारी एकाधिकार क्षेत्र

(२) मिश्रित क्षेत्र

(३) निजी क्षेत्र

(१) सरकारी एकाधिकार क्षेत्र—इस क्षेत्र में तीन प्रकार के उद्योग रखे गये हैं—(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग, (ख) बड़े महत्वपूर्ण उद्योग जैसे अणु शक्ति, भारी मशान निर्माण, भारी विजली की मशीनें, भारी कार्टिंग, कोपला एच लिगनाइट, खनिज, तेल इत्यादि, (ग) यातायात तथा सम्वाद वाहक उद्योग जैसे वायुयान, रेल तथा जलपोत निर्माण उद्योग, टेलीफोन तथा विजली का उत्पादन तथा वितरण आदि। इस प्रकार इस श्रेणी में कुल १७ उद्योग रखे गये हैं।

(२) मिश्रित क्षेत्र—इस क्षेत्र में १२ उद्योग रखे गये हैं। इनमें राज्य तथा वैयक्तिक प्रयास दोनों ही सम्मिलित होंगे अर्थात् जिनकी स्थापना राज्य के द्वारा होगी और उनमें वैयक्तिक प्रयास भी सहयोग देंगे। ये उद्योग इस प्रकार हैं—

अन्य सभी प्रकार के खनिज (छोटे खनिजों को छोड़कर) जिनको सरकारी क्षेत्र में नहीं रखा गया, अत्युद्गीनियम, मशीन एव औजार, कैरो एलाय तथा यन्त्र बनाने का इस्पात, रसायनिक उद्योगों में प्रयोग में आने वाले पदार्थ, रज, प्लास्टिक, आवश्यक औषधियाँ, रसायनिक खादें, लुगदी, सड़क एव जल यातायात।

(३) निजी क्षेत्र—उपर्युक्त सभी उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योग निजी क्षेत्र में होंगे और ये सभी वैयक्तिक पूँजीपतियों के अधिकार में रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से शक्कर, वस्त्र, सीमेंट इत्यादि उद्योग हैं।

अब तक जो भारी एव आधारभूत उद्योग वैयक्तिक प्रयास के अन्तर्गत हैं, वे बने रहेंगे किन्तु जो नये भारी कारखाने खोले जायेंगे, उन्हें सरकार खोलेगी। निजी क्षेत्र में भी सरकार को वह अधिकार होगा कि वह इस क्षेत्र में भी अपने उद्योग स्थापित कर सके।

नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने पर्याप्त सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक नीति का यह उद्देश्य है कि अपने-अपने क्षेत्र में बृहदस्तरीय तथा लघु एव कुटीर उद्योग दोनों का पूर्ण विकास हो तथा ये दोनों ही एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी न होकर एक दूसरे के पूरक हों। सरकारी नीति के अनुसार लघुस्तरीय तथा कुटीर उद्योग बृहदस्तरीय उद्योग के लिये नींव का काम करेंगे तथा देश के उपभोग के लिए पर्याप्त पदार्थ उत्पादित कर सकेंगे तथा बृहदस्तरीय उद्योग अपने उत्पादन का अधिकतम भाग विदेशी बाजारों के लिए निर्मित करेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने घोषित किया है कि नवीन औद्योगिक नीति सन् १९५६ के अनुसार उपभोग सामग्री बनाने वाले जैसे शक्कर तथा वस्त्र उद्योग जोकि सम्मिलित क्षेत्र के अन्तर्गत हैं वे सरकार की सहायता एव प्रेरणा से सहकारिता के सिद्धान्तों पर समर्थित किये जायेंगे। सर्वप्रथम सरकार ने शक्कर मिलों को सहकारी समितियों के प्रबन्ध एव नियन्त्रण में स्थापित करने का निर्णय किया है। यह सरकारी प्रयत्न अभी एक अनुभववात्मक कदम है। यदि यह सफल हुआ तो औद्योगिक नीति के अनुसार मुख्यतः मिश्रित क्षेत्र के उद्योग सहकारी औद्योगिक समितियों के द्वारा ही संचालित किये जायेंगे। नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट कह दिया है कि सरकार धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता के साथ नवीन उद्योगों की स्थापना एव सञ्चालन करने तथा यातायात के साधनों का विकास करने के उत्तरदायित्व को अपने ही कंधों पर

अधिकाधिक रखना चाहती है जिससे कि आर्थिक विपत्ता नष्ट की जा सके तथा आर्थिक शक्ति तथा एकाधिकार शक्ति केन्द्रित न हो सक वरन् उसका विकेन्द्रीकरण किया जा सक। इस प्रकार यह नवीन नीति "नई बोटलों में पुरानी शराब" नहीं है, यद्यपि मिश्रित धर्म व्यवस्था अब भी इसका आधार है। यह निश्चयात्मक अधिक वामपंथी (लाय्) प्रतीत होती है। सन् १९४८ के प्रस्ताव से यह कई बातों में भिन्न है। सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता इसक राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आश्वासन का अभाव है। इसक अतिरिक्त सरकारी साहस का क्षेत्र इसमें पहले की अपेक्षा अब अधिक व्यापक कर दिया गया है। यही नहीं दूसरी और तीसरी श्रेणी में वर्णित उद्योगों को भी सरकार अपने स्वामित्व तथा अधिकार भ लेने के लिए स्वतन्त्र हो गई है। उक्त प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस विभागीकरण का अर्थ यह नहीं है कि उसमें हेरफेर न हो सक। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में न कबल एक ही से कामों को दोहराया जाता है, वरन् उनका आपस में जुड़ा रहना भी अनिवार्य है। भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव में कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बतलाया है। प्रस्ताव में औद्योगिक सहकारी समितियों तथा अम आदि का जो महत्व है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख है।

वर्तमान काल में द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे देश का औद्योगिक विकास इसी नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है।

नवीन औद्योगिक नीति १९५६ का आलोचनात्मक अध्ययन

इस औद्योगिक नीति की कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं। कुछ लोगों ने तो इसे पूर्णतया काल्पनिक बतलाया है। मूख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

निजी क्षेत्र की उपेक्षा

नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स की समिति ने कहा है कि यह औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र की उपेक्षा करके सरकारी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहित करती है, और ऐसा करके यह कबल निजी क्षेत्र के प्रति अन्याय नहीं करती वरन् अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालने वाली है। वास्तव में देश के प्राकृतिक सुगुप्त साधनों का विकास एक अधिकतम उत्पादन तथा समृद्धि के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है तथा इस क्षेत्र को पर्याप्त सरकारी सहायता प्राप्त होने की आवश्यकता है। इस नीति के आलोचकों का कहना है कि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत

जो कार्य हुए हैं तथा जो फल प्राप्त हुए हैं उनसे यह नि सन्देह प्रमाणित होता है कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक सफल रहा है। सरकारी क्षेत्र में अनुमानित व्यय के १०१ करोड़ रुपये में से इस क्षेत्र में केवल ५७ करोड़ रुपये का सदुपयोग हो पाया जबकि निजी क्षेत्र के अनुमानित व्यय ३८३ करोड़ रुपये में ३४३ करोड़ रुपये व्यय करके औद्योगिक विकास रिया गया। इस प्रकार निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहा है। उच्चम कार्य करने तथा अच्छे फल प्राप्त करने पर भी नवीन औद्योगिक नीति के अर्गत निजी क्षेत्र के प्रति सरकार ने सौतेली माता का सा व्यवहार किया है। यह सद्यथा अनुचित है तथा राष्ट्र हित में एक अच्छा कार्य नहीं है। आलोचकों का मत है कि भारत की प्रमुख समस्या औद्योगिक विकास की है न कि इस बात की कि उसको कौन कार्यान्वित करता है। अतः इस प्रकार के सरकारी तथा वैयक्तिक विभाजन की आवश्यकता ही नहीं थी। दोनों ही को स्वतन्त्र रूप से राष्ट्र का औद्योगिक विकास में सहयोग देने की स्वतंत्रता अत्यन्त आवश्यक थी जिसकी अब हलाना इस नीति में पूर्णतया की गई है।

यह नीति क्रियात्मक नहीं है

आलोचकों के मन से नवीन औद्योगिक नीति भारी मशीनों के बनाने पर अधिक जोर देती है और यह बात हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिकूल है। उनका कहना है कि इस औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगिक एवं आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि इसने अनुधार कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता है इतना अवश्य है कि निजी एकाधिकार शक्ति सरकारी क्षेत्र में हस्तान्तरित हो जायगी। इस प्रकार भूमिकों का शोषण भी बढ न हो सकेगा क्योंकि निजी उद्योगपतियों के स्थान पर अब सरकारी क्षेत्र में उनका शोषण होने लगेगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विषमता भी होगी जिससे राज्य सरकारों में आपसी एवं राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार में आपसी संपर्क की सम्भावनाएँ बढ जायँगी। आलोचकों का मत से यह नवीन औद्योगिक नीति तथा मिश्रित आर्थिक नीति केवल अच्छे लगाने वाले उद्देश्यों एवं वाक्यों से भरपूर तो अवश्य है परन्तु क्रियात्मक रूप में इसका सफल होना संदेहमय है। वास्तव में उत्पादन व साधनों पर सत्ता का अधिकार हो जाने से कुल लोगों के हाथों में राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है और राज्य पूँजीवाद की स्थापना हो जाती है।

कार्य व्यवहार की अकुशलता

उत्पादन समस्या का एक दूसरा पहलू कार्य व्यवहार की क्षमता है। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का अनुभव है अभी तक इस क्षेत्र ने अपनी कार्य-

समता का परिचय नहीं दिया है। वास्तव में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की एक कसीटी यह होनी चाहिए कि उसकी कम से कम खर्च में सुन्दर व्यवस्था हो सके। केवल आदर्शवादी प्राधार पर राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हित के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है उसके पास अनुभवी कर्मचारियों एवं व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव है जिसके कारण उत्पादन-समता का कम होना स्वाभाविक ही है। उदाहरण स्वरूप चिन्दी का कारखाना ही इसका प्रमाण है। अति उत्पादन के कारण मशीनरी पर बहुत जोर पड़ा है और उसकी मरम्मत तथा रक्षण पर काफी धन व्यय करना पड़ा है। जब तक सरकारी उद्योगों में उत्पादन स्थय की जांच न हो, किसे उत्पादन के आँकड़ों से कारोबार की सफलता का निर्णय नहीं हो सकता। १६ दिसम्बर १९५७ को जावन बीमा निगम सम्बन्धी जो बहस पार्लियामेंट में हुई थी उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकारी कारपोरेशन भी सन्देह और शका से ऊपर नहीं होते। राष्ट्रीय अधिकार उत्पादन के हित में है, वह दावा अन्य देशों के अनुभव से झूठा सिद्ध हुआ है। गत वर्ष पोलैंड की विवश होकर अपनी आर्थिक नाति को उदार बनाना पड़ा तथा कुछ आर्थिक गतिविधियों के कार्य निजी उद्योग के हाथ में सौंपने पड़े। भारत के पड़ोसी देश बर्मा का भी यह बड़ अनुभव है कि राष्ट्रीयकरण अथवा उत्पादन के वापनों पर राष्ट्रीय अधिकार सिद्धान्तवादियों की कल्पना के आदर्शों को नहीं ला सकते। बर्मा के प्रधान मंत्री श्री यू० नू० के शब्दों में—

“व्यावहारिक अनुभव के कारण मैं यह नहीं चाहता कि हर प्रकार के आर्थिक मामलों में सरकार बीच में आ जाय। अगर सरकारी हस्तक्षेप प्रिना रोक टोक के निरन्तर बढ़ता रहा तो ठीक देख रेख तथा पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण जल्दी या कुछ समय बाद राज्य के कारोबार चोर तथा ठगों के हाथों में चले जायेंगे।”

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध आरवासन का अभाव

इस नाति की इस आधार पर भी आलोचना का गई है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की क्या नीति होगी। राष्ट्रीयकरण न करने की स्पष्ट घोषणा के अभाव में निजी साहस में अनिश्चितता और खतरा उत्पन्न हो गया है जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होगा। इस दुलसुल नीति के कारण निजी क्षेत्र में निराशा की भावना व्याप्त हो गई है और जो भी प्रोत्साहन था वह मारा गया। सरकारी क्षेत्र हर एक उद्योग में प्रवेश करता जा रहा है और निजी क्षेत्र को हटाता जा रहा है। यही कारण है कि विकास कार्य में निजी क्षेत्रों

का कोई भी आकर्षण नहीं रह गया है। इस नीति के कारण वातावरण इतना अधिक सन्देशजनक हो गया है कि किसी को भी मनिष्य में विश्वास नहीं रह गया है और कोई भी सुरक्षापूर्वक पूँजी विनियोजन नहीं कर सकता। यह सही है कि भारत के समान अविषसित देश में विकास के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है और जो जितना चाहे बढ़ सकता है, पर इसके लिए विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। विश्वास की भावना बनाये रखने से ही उद्योगों को उचित स्थान प्राप्त हो सकता है।

इस नीति से उत्पादन वृद्धि संभव नहीं

निजी उद्योग, अपने देश के उद्योग ध्वजार के तीव्र विनास कार्य के लिए वैयक्तिक साधनों को प्राप्त करने की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, जिसकी आधार भूमि न्यायोचित लाभ है, जवल देश के विकास कार्य में ही समर्थ नहीं है, वरन् इसको कम से कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार देने के कार्य में भी काफी सहायक है। अतः इस निजी क्षेत्र को गौण स्थान प्रदान करके देश के उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। आलोचकों का तो कहना है कि औद्योगिक नीति की क्या आवश्यकता थी, जबकि उत्पादन वृद्धि केवल सरकार के सहयोग एवं उचित नियंत्रण से ही सम्भव हो सकती थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य तो समाज में धन का समान वितरण होता है न कि सरकार द्वारा स्वयं ही उद्योगों का संचालन। जहाँ तक लाभ का प्रश्न है मानव स्वभाव से ही ऐसा है कि काम करने के लिए उसे किसी प्रलोभन की आवश्यकता है। लाभ, जो उसके प्रयास का सही प्रतिफल है, न्यायोचित है, इसमें तिरस्कार की कोई बात नहीं। यदि सामाजिक शोषण जैसी कोई वस्तु है तो सरकार वित्तीय एवं द्राव्यिक साधनों से स्वतंत्र उद्योगों को नियमित करक तथा सामाजिक कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। इस नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने निजी उद्योगों के उपलब्ध साधनों को अपने नियंत्रण से कम कर लिया है और उद्योगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता को तेजी से रोका जा रहा है। ऐसी दशा में यह नीति कैसे उचित तथा राष्ट्र हित में कही जा सकती है।

जहाँ एक ओर बहुत से अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों ने नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना की है वहाँ पर अनेक उद्योगपतियों तथा विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है। उनके मूल से सन् १९४८ वाली औद्योगिक नीति के द्वारा निजी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का भय व्याप्त गया था और परिणामस्वरूप वहाँ पर पूँजी का उत्साह भंग हो गया। राष्ट्रीयकरण की बात उस औद्योगिक नीति में अनिश्चित ही थी परन्तु नवीन औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को निश्चित आश्वासन मिला है कि मिश्रित क्षेत्र में

सरकार उसकी रक्षा ही नहीं वरन सब प्रकार से सहायता करेगी। इस प्रकार निजी क्षेत्र में अब औद्योगिक विकास का कार्य अबाध गति से एवं निर्भयतापूर्वक हो सकेगा। नवीन नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को कार्य एवं विकास करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और सरकारी नियन्त्रण केवल राष्ट्रीय हितों में ही किया जायगा। नवीन औद्योगिक नीति में एक उत्तम बात यह है कि लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग के उत्पादन के साधनों का नवीनीकरण एवं वैशानीकरण किया जायगा। नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए प्रस्ताव में बतलाया गया है कि—

“The aim of State Policy will be to ensure that the decentralized sector acquires sufficient vitality to be self-supporting and its development is integrated with that of large scale industry”

अर्थात् राजकीय औद्योगिक नीति का यह लक्ष्य होगा कि विद्विष्ट क्षेत्र इतना शक्तिशाली बनाया जाय जिससे कि यह स्वावलम्बी होकर वृहद् स्तरीय उद्योग के साथ सहयोग करते हुए उसके साथ समान रूप से उन्नति कर सके। औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि—

“Whenever co operation with private sector is necessary, the State will ensure, either through majority participation in the capital or otherwise, that it has the requisite power to guide the policy and control of the operations of the undertaking.”

अर्थात् आवश्यकतानुसार सरकार या तो अधिकांश शेयरों को खरीदकर या अन्य प्रकार से पूँजी प्रदान करके उद्योगों को संचालित एवं नियन्त्रित करेगी। वास्तव में हमारी नवीन औद्योगिक नीति ‘पुरानी ही शायद नई बोलतों में भरी हो’ इस प्रकार की नहीं है। इसमें सरकारी साहस का क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक कर दिया गया है।

उपसंहार

नवीन औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ प्रायः निजी क्षेत्र के समर्थकों द्वारा अपने स्वार्थ एवं लाभ की दृष्टि से की गई हैं। जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है इसमें निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने का कहीं भी समावेश नहीं है। यह अवश्य है कि सरकार ने ऐसे किसी भी उद्योग की राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था की है जो राष्ट्र के हित में कार्य न करता हो और ऐसा करना निजी क्षेत्र पर अक्रुश रखने तथा

राष्ट्र हित की वृद्धि के लिए आवश्यक ही था। अभी तक भारत का उद्योगपति परम्परागत चिन्तनधारा के साथ बकड़ा हुआ है और उसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार भी हो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमा ले। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण ही वह जनता का विश्वास तथा सहानुभूति खो देता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रीयस्तर पर अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में हमारी वर्तमान औद्योगिक नीति अनुचित नहीं कही जा सकती। वास्तव में इस नीति ने निजी क्षेत्र को अपनी क्रियाशीलता तथा राष्ट्र हित का परिचय देने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। यह कहना कदाचित् ठीक न होगा कि निजी क्षेत्र की वर्तमान नीति में उपद्रव की गई है। यदि व्यक्तिगत उद्योग बढ़ते हुए समय के साथ अपने आपको संतुलित कर ले तो निश्चय ही उसे भावी अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारत के उद्योगपति तथा पूँजीपति नये युग के आदर्शों तथा आवश्यकताओं का दृष्टिगत करते हुये अपनी परम्परागत नीतियों तथा आदर्शों में कुछ संशोधन परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जायें तो संभवतः उन्हें नयी जीवनावधि प्राप्त हो सकता है। सारे विश्व में साम्यवाद की लहर फैल चुकी है तथा पूँजीवाद का अन्त हो चुका है। भारत सारे विश्व की जैसे अबहेलना कर सकता है। समाजवाद की स्थापना समय की मांग है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति भी आज इसकी अबहेलना करने की सामर्थ्य नहीं रखते। वास्तव में इस नवीन नीति ने निजी क्षेत्र के उद्योगों को साम्यवाद की भीषण ज्वालाओं से सुरक्षा प्रदान की है और समय के परिवर्तन के अनुरूप ही कार्य किया है जैसा कि एक विद्वान लेखक के निम्न शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

“The age of unrestricted private enterprise is dead beyond recall and the current flows strongly, even if a little fitfully, towards a larger and even larger measure of State control. We may in our hearts regret the passing of the opportunities which an age of free enterprise appeared to give to industrial initiative, or, otherwise disposed, we may rejoice in its demise seeing particularly in India that free enterprise has done relatively little to advance the life of the common man.”

वास्तविकता तो यह है कि नवीन औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार कर भारत ने भावी प्रगति का उत्र सीमान्तों के बीच से एक मध्यम पथ का निर्माण किया है जिसका मुख्य उद्देश्य कठोर दम के साम्यवाद और मुक्त पूँजीवाद

के बीच किसी न किसी प्रकार का सतुलन स्थापित करना है। वास्तव में इसी पथ के प्रशस्त करने पर ही भारत की भावी प्रगति निर्भर थी जैसा कि विद्वान अरस्तू के शब्दों से स्पष्ट है—

“The middle path unstudded with and devoid of the usual irksome thorns is a golden mean, a happy compromise and panacea for all ills”

निःसन्देह हमारी वर्तमान औद्योगिक नीति एक अत्यन्त दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नीति है। इसकी सफलता जनता, उद्योगपतियों तथा सरकार के सहयोग पर निर्भर है। इस नीति की सफलता में ही भारत का यदि विश्व में नहीं तो एशिया में अवश्य ही एक महान औद्योगिक देश बन जाने का मार्ग निहित है। हमारे राष्ट्र के कर्णधार प० नेहरू ने ठीक ही कहा है—

“भारत सरकार यह विश्वास करती है कि यह नवीन औद्योगिक नीति सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करेगी और भारत के शीघ्र औद्योगीकरण में सहायक सिद्ध होगी।”

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के आर्थिक विचार के लिए वहाँ क मन्त्रालय दल ने जो नीति निर्धारित की है उसका कुछ उल्लेख कर देना कदाचित् अप्रामाणिक न होगा। इसमें बताया गया है कि—

“सरकार तो केवल ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न कर सकती है जिनसे प्रगति सम्भव हो सके। उसके पास कोई जादू का डबा नहीं होता जिससे छूकर वह हमारी राष्ट्रीय दशा का तत्काल कायाकल्प कर दे। अन्त में हमारी सफलता हमसे प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्ना, कठिन तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और सामूहिक दायित्व की भावना पर निर्भर होगी।”

यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति का मूलभूत आदर्श अन्ततोगत्वा देश में समाजवादी दम के समाज की स्थापना करना है, तथापि इसके द्वारा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के सामञ्जस्यपूर्वक और एक-दूसरे के पूरक रूप में विकास करने की व्यवस्था की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के समस्त मानव समाज के सुख में अपना पूर्णतम योगदान कर सके।